

प्रकाशक,  
भारतेंद्र उपाध्याय, मंत्री  
सस्ता साहित्य मंडल,  
नई दिल्ली

---

---

चौथी बार : १९५२

कुल छपी प्रतिया—दस हजार

गङ्गा

मूल्य : साढ़े तीन रुपये

---

---

श्री हंसराज बच्छराज नाहटा

सरदारशहर निवासी

द्वारा

जैन विश्व भारती, लाडनू

को सप्रेम भेट -

# मिहल ज्ञान पुस्तकालय

(पुस्तकालय)

सन् १९५५ - १९५६ - १९५७ - १९५८ - १९५९ - १९६० - १९६१ - १९६२ - १९६३ - १९६४ - १९६५ - १९६६ - १९६७ - १९६८ - १९६९ - १९७० - १९७१ - १९७२ - १९७३ - १९७४ - १९७५ - १९७६ - १९७७ - १९७८ - १९७९ - १९८० - १९८१ - १९८२ - १९८३ - १९८४ - १९८५ - १९८६ - १९८७ - १९८८ - १९८९ - १९९० - १९९१ - १९९२ - १९९३ - १९९४ - १९९५ - १९९६ - १९९७ - १९९८ - १९९९ - २००० - २००१ - २००२ - २००३ - २००४ - २००५ - २००६ - २००७ - २००८ - २००९ - २०१० - २०११ - २०१२ - २०१३ - २०१४ - २०१५ - २०१६ - २०१७ - २०१८ - २०१९ - २०२० - २०२१ - २०२२ - २०२३ - २०२४ - २०२५ - २०२६ - २०२७ - २०२८ - २०२९ - २०३०

मनोव्यथा : वास

सरदार नरहर (राजस्थान)

प्रस्तावना का सामान्य उद्देश्य तो पुस्तक और उससे वर्णित विषय का परिचय कराना ही होता है; परन्तु 'क्या करें?' यह पुस्तक नहीं बल्कि एक अत्यन्त समभावी हृदय का मन्थन है, जीवन-शुद्धि की रहस्य-भेदी शोध है; और महावीर को भी शोभा दे, ऐसा एक आर्य संकल्प है। थोड़े में कहिए तो यह कारुण्य, आदर्य, गाम्भीर्य और माधुर्य की एक ओजस्वी रसायन है। इसका परिचय नहीं दिया जा सकता। इसकी उपासना होती है, इसका सेवन होता है।

टाँलस्टाय शक्तिशाली कला-विज्ञ थे। उनकी प्रत्येक कृति में औचित्य और प्रसाद-गुण तो होता ही है; पर हृदय को अस्वस्थ बना देने वाली समवेदना ही उनकी कला की विशेषता है। 'हम क्या करें?'—यह टाँलस्टाय की सर्वोच्च कोटि की कृति समझी जाती है। जैसा 'वृद्ध-चित्रण, भाव-प्रदर्शन और लोक-जीवन का अवगाहन उपन्यासों में होता है, वह सब इसमें है। फिर भी कला की दृष्टि से देखने पर इसमें औचित्य भग है, इसमें हीनता है, इसमें धर्म-जीवन का अपमान है। सीता का विलाप द्रौपदी की भीड़, सती का चितारोहण—ये प्रसंग काव्य-कला के लिए नहीं होते। ये तो जीवन को दीक्षा देने के लिए होते हैं। धर्म-पूर्ण हृदय से ही हमें इनका दर्शन करना चाहिए। केवल कला की ही आखें हो तो ऐसे प्रसंग पर उन्हें भीच लेना चाहिए।

टाँलस्टाय के वर्णित प्रसंग काल्पनिक नहीं हैं; उनके द्वारा की हुई मीमांसा केवल 'तात्त्विक' नहीं है, और उन्होंने जो जीवन में परिवर्तन किया था वह भी क्षणिक न था। पुस्तक का प्रारम्भ तो मार्ग में भटकते हुए मिखारियों के सुख-दुःख से होता है; पर इसका मुख्य विषय तो समस्त मानव-समाज का कल्याण है।

पुराणों में हम लोग पृथ्वी का भार बढ़ने की बातें सुनते हैं। क्या लोक-संख्या बढ़ने से पृथ्वी का भार बढ़ता होगा? या जंगलों की वृद्धि

से अथवा हिमालय-जैसा पहाड़ पानी में से उभड़ आने से ? ऐसी बातों से तो पृथ्वी का भार बढ़ने का कोई कारण नहीं। पृथ्वी पर भार होता है आलस का, काहिली का, पाप का, अनाचार का, द्रोह का। टॉल्स्टॉय ने देखा कि आजकल पृथ्वी पर बहुत भार बढ़ रहा है और वह असह्य हो रहा है, अब कोई-न-कोई उत्पात होगा। ज्वालामुखी फूट पड़ेगा अथवा दावानल प्रज्वलित होगा। यह दुःख किस प्रकार टले, इस महान् विनाश से समाज कैसे बचे—इसीकी विवेचना इसमें है।

उन्होंने देखा कि रूस में, यूरोप में, सारे संसार में प्रतिष्ठित अकर्मण्य लोगों की संख्या बेहद बढ़ गई है—बढ़ती जाती है और किसी तरह भी रोके नहीं सकती। इसका आमोद-प्रमोद, इनकी वासनाएं, इनके भोग भोगने के साधन बढ़ते ही जाते हैं। ये मस्तराम प्रजा का खून चूस जा रहे हैं और बदले में समाज को कुछ देते नहीं। इतना ही नहीं, सरकारी जबरदस्ती और पैसे के जाल से ग्रमित लोगों को सिर उठाने में भी असमर्थ बनाये दे रहे हैं; अपने मन को फुसलाने के लिए और दुनिया को बहलाने के लिए तरह-तरह की 'फिलासफियों' की रचना करते हैं; हमारी स्थिति जैसी होनी चाहिए वैसी ही है, इसीमें सबका कल्याण है, ऐसा सिद्ध करने के लिए कृत्रिम धार्मिक सिद्धान्तों का आविष्कार करते हैं, समाज-शास्त्र गढ़ते हैं और विज्ञान तथा कला को भ्रष्ट करते हैं। इन बातों को उखाड़ कर फेंक देना कुछ सहल बात नहीं है। विचारों को जन्म देने तथा उनका प्रचार करने का जिनका इजारा है, ऐसे समस्त मनुष्य समूह से—जिसमें हम लोग भी सम्मिलित हैं—यह अभिमन्यु-जैसा भी समान युद्ध—एकाकी युद्ध है। परन्तु टॉल्स्टॉय की लेखन-शक्ति और हरिश्चन्द्र के सगान अटल श्रद्धा इस नाम को लक्ष्य तक पहुंचाने के योग्य ही निकली। वह जानते थे, दुनियादार अकलमन्द लोग चाहे कितने ही क्यों न हों फिर भी उनका बल अपर्याप्त है और हम खुद अकेले ही हों तब भी सत्य-स्वरूप जगदीश के साथ होने से हमारा बल पर्याप्त है।

और टॉल्स्टॉय ने पृथ्वी का भार हलका करने का उपाय भी कैसा बताया ? सनातन काल से जो उपाय बताया गया है, वही—'त्यक्तेन

: पांच :

भुंजीया। मागूव. कस्यस्विद्धनम्' टाल्स्टाय ने यह उपाय केवल किताब लिखकर ही बताया हो सो बात नहीं; पर स्वयं सब-कुछ त्याग कर, अकिंचन बन कर, यथाशक्ति अपरिग्रह-व्रत का पालन करके और अन्त में महा-अभिनिष्क्रमण करके उन्होंने लोगों को रास्ता दिखाया।

टाल्स्टाय को कीर्ति यूरोप में खूब बढ़ी चढ़ी थी। उनकी साहित्य-कला के ऊपर यूरोप न्योछावर हो रहा था; पर जब टाल्स्टाय ने निष्पाप जीवन व्यतीत करने के लिए सर्वस्व छोड़ा तब यूरोप में हाहाकार मच गया। नट, विद्वपक और गणिका के रूप में प्रसिद्ध बने बैठे लोगों को तो ऐसा लगा कि कला की हत्या हो गई ! टाल्स्टाय ने कला की मर्यादा छोड़ दी। सत्य में प्रवेग किया। 'अति सर्वत्र वर्जयेत'—कला का यह सर्वोच्च नियम भंग किया। कला ही जीवन-सर्वस्व है, ऐसा माननेवाले लोगों को भास हुआ कि टाल्स्टाय जीवन के प्रति बेवफा निकला। पशु के साथ जो अपनी समानता है उसे छोड़ने से हम संकुचित ही तो हो जायगे ? पर सच्चे जीवन-कलाविदों ने देखा कि टाल्स्टाय के हाथ से कला कृतार्थ ही हुई है।

कितनों ही ने तो यह निदान निकाला कि टाल्स्टाय ने सबसे मांसाहार छोड़ा तभी से उनकी कला का आवेग घीमा पड़ गया और प्रतिभा क्षीण हो गई। संसार-सुधार का मार्ग छोड़कर उसने जगलीपन को ही आदर्श मान लिया। इस प्रकार के अनेक आक्षेपों का टाल्स्टाय ने इस पुस्तक में ज़बरदस्त निराकरण किया है। किंतु—'लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणं किं करिष्यति ?' तटस्थ रहकर विचार करनेवाला टाल्स्टाय का चरित्र-लेखक मांड ठीक ही कहता है कि टाल्स्टाय के सिद्धांतों के विरुद्ध लिखना और कहना तो अभी तक किसीको सूझा ही नहीं। जो निकलता है सो यही कहता है कि 'टाल्स्टाय का कथन लोक-विचक्षण है—उनका उपदेग आचरण में डालने योग्य नहीं है; टाल्स्टाय जो चाहते हैं वैसा करने से तो बड़ी अव्यवस्था मच जायगी !' पर इसका प्रतिवाद करनेवाले जो असंख्य पवित्र जीवनप्रद लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, उनका विचार ही नहीं करते। मनुष्य ऐसा समझ बैठता है कि जो सुधार हमसे

: छह :

नहीं हो सकता वह सभी मनुष्यों के लिए अशक्य होगा। टॉल्स्टाय का दृढ़ विश्वास है कि जिस प्रकार लोगो ने गुलामी की प्रथा को उड़ा दिया है उसी प्रकार धन और सत्ता की यह प्रथा भी अवश्य उड़ ही जायगी। सरकार, जायदाद, पैसा, आलसी लोग और इनका दौरदौरा कायम रखने तथा गरीबो को कुचल डालने के लिए खडी की हुई सेनाएँ—ये सब मनुष्य की ही निर्माण की हुई आपत्तियाँ हैं। निष्पाप तथा समृद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए इनमें से एक सस्था की भी जरूरत नहीं। बुद्धिमान मनुष्य को सादगी से रहते हुए समाज की अधिक सेवा करनी चाहिए। अधिक ऐशो-आराम में रहना और जोक की तरह समाज का लोहू पीना बुद्धिमान के लिए उचित नहीं है—इसी एक मुख्य तत्त्व को टॉल्स्टाय ने इस पुस्तक में समझाने का उद्योग किया है। विज्ञान और कला से उनका कहना है कि जिनका नमक खाकर तुम जीते हो उनका ही तिरस्कार करके तुम जीवित नहीं रह सकते। प्रजा की कुछ तो सेवा करो। अरे, कुछ नहीं तो असेवा करते तो लजाओ !

टॉल्स्टाय का यह धर्म-प्रवोच लोगो को पसन्द न आया और परिणाम यह हुआ कि इसी पुस्तक में टॉल्स्टाय ने स्पष्ट शब्दों में जो चेतावनी दी थी वह आज तीस वर्ष के अन्दर बिलकुल सत्य निकली। मजदूर-दल का धैर्य छूटा, प्रजा-क्षोभ छूटा और प्रजा के ही कंधे पर बैठकर प्रजा को लात मारनेवाला वर्ग भस्मसात हो गया।

फिर भी गरीबो का दुःख दूर नहीं हुआ। हिंसा का दुःख क्या हिंसा से मिटेगा ? लोहू से सना हुआ हाथ क्या लोहू से धोने से साफ हो सकेगा ?

टॉल्स्टाय का उपदेश रूस की वनिस्वत हिन्दुस्तान को अधिक लागू होता है। जबतक प्रजा का बोझ हलका नहीं होता और जबरदस्ती का दौरदौरा मिटता नहीं, तबतक देश की राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक उन्नति हो ही नहीं सकती। यह बात, देश का खयाल रखनेवाले मनुष्यों के हृदय में, यह पुस्तक पढ़ते समय, आये बिना रहती नहीं। पैसा इस अज्ञात जबरदस्ती का बड़े-से-बड़ा वाहन है; यह मान लेने के पश्चात् हिन्दुस्तान का प्रश्न अधिक स्पष्ट हो जायगा।

- यदि कोई ऐसा समझता हो कि हिन्दुस्तान में रूस की तरह उत्पात हो ही नहीं सकता तो वह उसकी भूल है। साथ ही यह भी ठीक है कि रूस-जैसा विस्फोट हिन्दुस्तान में भी होगा ही, ऐसी बात भी नहीं है। हिन्दुस्तान में सन्त-फकीरो का राज्य अन्य देशों की अपेक्षा अधिक फैला हुआ है। हमारी बुद्धि कितनी ही भ्रष्ट क्यों न हो गई हो; पर आज भी हमारे हाड में द्रोह नहीं है, हिंसा नहीं है। हमारे आद्य-आचार्यों ने शारीरिक श्रम का महत्व समझाया है। परिश्रम छोड़ने से सत्य की हानि होती है। मनुष्य अथवा पशु के कन्वे पर बैठकर की हुई जीवन-यात्रा निष्फल है, यह हम जानते हैं।

यत्नभसे निज कर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तं ।  
अर्थमनर्थं भावय नित्यं, भूद जहीहि घनागमतृष्णां ॥

यह उपदेश अभी केवल पोथी का बन्द कीडा ही नहीं है। रुपया-पैसा खराब मैली चीज है, यह बात भी टॉल्स्टाय ने नई नहीं कही है।

ब्रह्मं तु मुद्रितं स्पृष्ट्वा त्रिरात्रेण शुचिर्भवेत् ।

ऐसे-ऐसे वचन हमारे यहां पड़े हुए हैं। पर हम लोगो ने ये सब धर्म-तत्व साधु-सन्यासियों के सुपुर्द कर दिए और धर्म को अपने से दूर रक्खा। पर धर्म टालने से क्या टलनेवाला था ? मछली के लिए जैसा जल है वैसा ही मनुष्य के लिए धर्म है। राजी-खुशी न समझेंगे तो मजबूर होकर तो समझना ही पड़ेगा। पाप कुछ सिक्को में—सफेद या पीली चमकती हुई मिट्टी के गोल टुकड़ों में नहीं बल्कि समाज के हृदय में होता है, यह ठीक है। फिर भी आज यह सिक्के लोभी, निर्दय और जबरदस्त लोगो के हाथ के अस्त्र-दास्यास्त्र बन गए हैं, यह बात कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। टॉल्स्टाय का कहना है कि नीरोग मनुष्य को दवा की जितनी आवश्यकता होती है बस उतनी ही निष्पाप जीवन व्यतीत करनेवाले समाज को रुपये की जरूरत हो सकती है।

: आठ :

पर टाल्स्टाय की यह पुस्तक ? यह बहुत ही खराब किताब है। यह हमें जागृति करती है, अस्थिर करती है, धर्म-भीरु बनाती है। यह पुस्तक पढ़ने के बाद भोग-विलास तथा आनन्दोल्लास में पश्चात्ताप का कड़वा ककड़ पड़ जाता है। अपना जीवन सुधारने पर ही यह मनोव्यथा कुछ कम होती है। और जो इन्सानियत का ही गला घोट दिया जाय तब तो कोई बात ही नहीं

—काका कालेलकर

## विषय-सूची

	पृष्ठ
१ मास्को के भिखमंगे	१
२. अनाथालय में	७
३. उन्हें उबारना चाहा	१५
४. प्रारम्भिक जाच-पडताल	२३
५. दरिद्रों के दुर्ग में	२७
६ तो यह सब भ्रम था !	३३
७. कुलीन कंगाल	३८
८ बेचारी देवियाएं	४२
९ निराश्रित बालक	५०
१० घोर निराशा	५४
११ मेरी परोपकारिता का अंत	६२
१२. असफलता क्यों ?	६६
१३. गावों पर गहर की विलासिता का प्रभाव	७२
१४. दीच की दीवार	८२
१५. तो दोषी हम ही हैं	९१
१६ हमारे शोषण का जाल	१००
१७. दासत्व का मूल कारण—रूपया	१०६
१८. फीजी द्वीप की करुण कहानी	११७
१९. रूपया मूल्य का मापदण्ड नहीं-	१३३
२० दासता के तीन रूप	१४१
२१. अव्यवहारिक अर्थशास्त्र	१५७
२२. अब मैं समझा	१७०
२३. दूसरों के श्रम का शोषण क्यों ?	१७८
२४. दूसरों के रक्त से सनी हमारी रगरलिया	१८३
२५. हम देखते और देखकर समझते क्यों नहीं ?	१९९
२६. श्रेष्ठता का मिथ्या अहंकार	२११
२७. भयकर-भ्रम	२२२



विषय	पृष्ठ
२८ श्रम से बचने के बहाने	२३१
२९ मानव-समाज की वैज्ञानिक व्याख्या	२३७
३०. कॉम्टे की साकारवादी विचारधारा	२४५
३१. श्रम-विभाजन की भ्रामक धारणा	२५७
३२ बुद्धिजीवियों के थोथे बचन	२६६
३३. पथभ्रष्ट वैज्ञानिक और कलाकार	२७२
३४. क्या विज्ञान और कला जनता के लिए नहीं हैं ?	२७५
३५. झूठा दावा	२८९
३६ विज्ञान और कला की प्राचीनता	२९१
३७. कष्ट-सहन बिना सच्ची सेवा असम्भव	३०२
३८ तब फिर हम क्या करें ?	३१०
३९ सारी मुसीबतों की जड़ सम्पत्ति	३३५
४०. स्त्रियों का कार्यक्षेत्र	३५६



हम करें क्या ?



# हम करें क्या ?

: १ :

## मास्को के भिखमंगे

मेरा जीवन देहात में बीता था, इसलिए सन् १८८१ में जब मैं मास्को रहने आया तो वहाँकी गरीबी देखकर अचम्भे में रह गया। देहात की दरिद्रता से तो मैं परिचित था, किन्तु गहर की गरीबी मेरे लिए एक विल-कुल नई अनुभूति थी, जिसकी मैंने पहले कभी कल्पना तक नहीं की थी।

मास्को में आप चाहे किसी भी सड़क से होकर निकलिए, आपको भिखारी अवश्य मिलेंगे। ये भिखारी देहात के भिखारियों-जैसे नहीं होते। उनकी तरह ये झोली लिये, ईसा के नाम पर भीख नहीं मागते। इनके पास न झोली होती है और न ये हाथ ही पसारते हैं। जब आप इनके सामने या पास से होकर निकलते हैं तो साधारणतः ये आपकी आख-से-आख मिलाने की चेष्टा करते हैं और फिर आपके मुख पर अकित भाव को ताडकर यदि उचित समझते हैं तो भिक्षा मागते हैं, नहीं तो नहीं मागते।

इस प्रकार के भद्र वर्ग के एक बूढ़े भिखारी को मैं जानता हूँ। वह धीरे-धीरे, हर कदम पर झुकता हुआ चलता है। किसीके सामने पड़ने पर वह एक टांग पर झुक जाता है और ऐसा मालूम होता है जैसे वह आपको सलाम कर रहा हो। इस भावभंगी को देखकर यदि आप ठिठक जाते हैं तब तो वह अपनी फुदनीदार टोपी उतारकर आपको दुबारा सलाम करता

है और पैसे मागता है; किंतु यदि आप नहीं ठिठकते तो वह उसी तरह झुकता हुआ चलता रहता है और यह दिखाने का उपक्रम करता है कि वह चलता ही इस ढंग से है। वह मास्को के शिक्षित भिखारी-वर्ग का एक सच्चा नमूना है।

पहले मैं समझ नहीं सका कि ये भिखमगे सीधे-सादे ढंग से खुलकर भीख क्यों नहीं मागते। बाद में कारण तो मालूम हो गया; किंतु उनकी स्थिति फिर भी ठीक से समझ में नहीं आई।

एक दिन जब मैं एक गली से होकर जा रहा था, मैंने देखा कि पुलिस का एक सिपाही जलोदर रोग से पीड़ित एक फटे-हाल किसान को एक खुली गाड़ी में बैठा रहा है। मैंने पूछा—

“इसे क्यों पकड़ें लिये जा रहे हो?”

“भीख मागता था।”

“क्या भीख मागना मना है?”

“खयाल तो ऐसा ही है।”

और यह कहकर पुलिसवाला जलोदर के उस रोगी को गाड़ी में बैठाकर चलता बना। एक दूसरी गाड़ी में बैठकर मैं भी उनके पीछे हो लिया। मैं यह जानना चाहता था कि क्या भीख मांगना सचमुच वर्जित है और अगर है तो उसे रोकने के लिए क्या युक्ति काम में लाई जाती है। यह बात मेरी समझ में विलकुल नहीं आती थी कि एक आदमी को किसी दूसरे आदमी से कुछ मागने से कैसे रोका जा सकता है। मुझे यह भी विश्वास नहीं होता था कि भीख मागना सचमुच मना है, क्योंकि मास्को में भिखमगे-ही-भिखमगे दिखलाई पड़ते थे।

मैं थाने पहुंचा, जहां पुलिसवाला उस भिखारी को ले गया था। वहां एक आदमी पिस्तौल और तलवार लिये मेज के पास बैठा था। मैंने उससे पूछा—

“यह किसान क्यों गिरफ्तार किया गया है?”

‘उस आदमी ने मेरी ओर कठोरता के साथ देखते हुए पहले तो कहा—, “क्षत्रपको इससे क्या मतलब?” किंतु बाद में यह सोचकर कि मुझे कुछ समझाना चाहिए, वह बोला—

“अफसगो का हुक्म है कि इस तरह के लोग पकड़ लिये जाय, इसी-लिए हमें इन्हें पकड़ना पड़ता है।”

मैं बाहर चला आया। पुलिसवाला, जो भिखारी को पकड़कर लाया था, दहलीज में खिडकी की चौखट पर बैठे उदास भाव से अपनी नोट-बुक देख रहा था। मैंने पूछा—

“क्या यह सच है कि भिखारियों को ईसा के नाम पर भीख मागने की मनाई है ?”

पुलिसवाला चौका। उसने मेरी ओर आस उठाकर घूरकर देखा और त्योंही चढाने के बजाय खिडकी की चौखट पर जमकर बैठते हुए लापरवाही के साथ उत्तर दिया—

“हाकिमो का हुक्म है, इसलिए ऐसा करना जरूरी है।”

यह कहकर वह फिर अपनी नोट-बुक पढ़ने में लग गया। मैं बाहर बरसाती में गाडीवान के पास चला गया।

मेरे पहुँचने पर गाडीवान ने मुझसे पूछा—“क्या हुआ ? क्या उन्होंने उसे बन्द कर दिया ?”

स्पष्टत उसे भी इस मामले में दिलचस्पी थी।

“हा, बन्द कर दिया”—मैंने उत्तर दिया। इसपर गाडीवान ने सिर हिलाया, मानो उसे यह बात अच्छी नहीं लगी।

मैं बोला—“क्यों भई, तुम्हारे इस मास्को में ईसा के नाम पर भीख मागना कैसे मना है ?”

“भगवान जाने !”

“ऐसा क्यों होता है ? कगले तो ईश्वर को प्यारे होते हैं। फिर क्यों यह आदमी पकड़कर कोतवाली भेज दिया गया ?”

“आजकल यही कानून है। भीख मागना मना है।”

इसके बाद मैंने कई बार पुलिसवालों को भिखारियों को पकड़कर पहले किसी थाने में और फिर वहासे कामघर ले जाते हुए देखा। एक बार मैंने एक सबक पर इस तरह के भिखमंगों की एक पूरी टोली-की-टोली देखी, जिसमें लगभग तीस भिखमंगे रहे होंगे। उनके आगे-पीछे पुलिसवाले चल रहे थे। मैंने उनसे पूछा—

“इन्हे क्यों पकड़ा है ?”

उत्तर मिला—“भीख मागते थे।”

बाद में मालूम हुआ कि मास्को में भीख मागना कानूनन मना है, यद्यपि वहाँ एक भी ऐसी सड़क नहीं, जहाँ झुड़-के-झुड़ भिखारी न दिखाई देते हों। प्रार्थना के समय गिरजाघरों के सामने उनकी कतार-की-कतार खड़ी रहती है और दाह-सस्कारों में तो वे पहुँचे बिना रहते ही नहीं। किंतु यह बात मेरी समझ में कभी नहीं आई कि क्या कारण है कि कुछ भिखारी तो पकड़ लिये जाते हैं और कुछ स्वच्छंद फिरते रहते हैं। या तो कुछ भिखारी कानूनी और कुछ गैरकानूनी होते हैं, या उनकी संख्या इतनी अधिक होती है कि सबको पकड़ना सम्भव नहीं, या फिर यों कहिए कि जैसे ही कुछ भिखारी पकड़े जाते हैं वैसे ही दूसरे उनकी जगह आ घमकते हैं।

मास्को में सब तरह के भिखारी हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने भीख मागने को पेट पालने का घधा बना लिया है और कुछ ऐसे हैं जो सचमुच निराश्रित हैं और किसी-न-किसी कारण से विवश होकर मास्को में आ पड़े हैं। इस दूसरी श्रेणी के भिखारियों में बहुत-से सीधे-सादे किसान हैं—स्त्री और पुरुष दोनों—जो किसानों-जैसे ही कपड़े पहने रहते हैं। ये मुझे अक्सर मिलते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मास्को आकर बीमार पड़ गए थे और बाद में अस्पताल से बाहर निकलने पर उनके पास न पेट पालने का कोई साधन रह गया, न वे मास्को से बाहर जाने में ही समर्थ रहे। कुछको शराव पीने की भी लत पड़ गई है, जैसे उस जलोदर के रोगी को। कुछ ऐसे हैं जो बीमार तो नहीं हैं, किंतु जिनका या तो सबकुछ जलकर भस्म हो गया है, या जो बूढ़े हैं, अथवा बाल-बच्चेवाली स्त्रियाँ हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो खूब हट्टे-कट्टे और काम करने के योग्य हैं।

इन हट्टे-पुष्ट किसान-भिखारियों में मुझे विशेष दिलचस्पी पैदा हो गई थी। कारण, मास्को आने के बाद से मैंने स्वास्थ्य की दृष्टि से दो किसानों के साथ पहाड़ी पर जाकर काम करने की आदत डाल ली थी। ये दोनों किसान वहाँ लकड़ी चीढ़ने का काम करते थे और बिलकुल उन भिखारियों-

जैसे थे जो मुझे सड़को पर मिला करते थे। एक का नाम पीटर था। वह कालूगा का रहनेवाला एक सैनिक था। दूसरे का नाम सेमन था और वह ब्लाडीमीर का एक किसान था। इनके पास तन के कपडो और दो भुजाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। अपनी भुजाओ से खूब श्रम करके वे प्रतिदिन ४०-५० कोपेक\* कमा लेते थे। इस कमाई में से वे कुछ बचा भी लेते थे। पीटर भेड की खाल का एक कोट खरीदना चाहता था और सेमन गाव वापस जाने के लिए पैसे जमा कर रहा था। इन्ही लोगो की जान-महचान का यह फल था कि जब कभी मैं सड़को पर उनके-जैसे दूसरे लोगो को भीख मागते देखता तो उनकी ओर मेरा ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हो जाता और मेरे मन में यह प्रश्न उठता—क्या कारण है कि ये दोनो तो काम करते हैं और इनके ही-जैसे अन्य व्यक्ति भीख मागते फिरते हैं ?

जब कभी मैं सड़क पर इस तरह के किसी किसान-भिखमंगे से मिलता तो उससे साधारणतः यही प्रश्न करता—“तुम्हारी यह दशा कैसे हुई ?” एक बार मुझे एक हट्टा-कट्टा किसान मिला, जिसकी डाढी सफेद होनी गुरु हो गई थी। उसने मुझसे भीख मागी। इसपर मैंने उससे पूछा—“तुम कौन हो और कहा रहते हो ?”

उसने बताया—“काम की तलाश में मैं यहाँ कालूगा से आया था। पहले मुझे एक जगह लकड़ी फाड़ने का कुछ काम मिल गया था, पर जब मैंने और मेरे साथी ने मिलकर वहाँ की सारी लकड़ी फाड़ डाली तब हमें नए काम की चिन्ता हुई, लेकिन काम नहीं मिला। मेरा साथी मुझे छोड़कर चला गया और अब पन्द्रह दिन से मैं काम की तलाश में धक्के खाता फिर रहा हूँ। इस बीच मेरे पास जो कुछ था, मैंने बेच खाया और अब कुल्हाड़ी या आरा खरीदने के लिए मेरे पास एक फूटी कौडी तक नहीं है।”

---

\* १०-११ पैसे, अर्थात् ९-१० आने। कोपेक ताम्बे का एक रूसी सिक्का है, जो अंग्रेजी पनी के चतुर्थांश अर्थात् एक पैसे से भी कम के बराबर होता है।



मैंने उस आदमी को आरा खरीदने के लिए पैसे दिये और यह भी बताया कि अमुक स्थान पर आने पर काम मिल सकता है। पीटर और सेमन से मैंने पहले ही बात कर ली थी कि वे अपने साथ एक आदमी और रख लें और उसके जोड़ के लिए एक मजदूर तलाश कर दे।

“तो फिर जरूर आना, वहा काफी काम है”—मैंने चलते-चलते कहा।

“हा—हा, जरूर आऊगा। किसीको भीख मागना अच्छा थोड़े ही लगता है। मैं काम कर सकता हूँ।”

इस प्रकार उस आदमी ने शपथ लेकर आने का पक्का वचन दिया और मुझे ऐसा लगा कि वह सच्चे हृदय से कह रहा है और काम पर आना चाहता है।

दूसरे दिन जब मैं पीटर और सेमन के पास गया तो मैंने उनसे पूछा कि वह आदमी आया था या नहीं। मालूम हुआ कि वह नहीं आया था। इसी तरह कई और लोगो ने भी मुझे धोखा दिया।

मुझे कुछ ऐसे लोगो ने भी ठगा जिन्होंने कहा तो यह कि उन्हें घर जाने के लिए केवल रेलभाड़े की आवश्यकता है, किंतु जिन्हे एक सप्ताह के बाद ही मैंने फिर सड़क पर भीख मागते देखा। उनमे से कितनो को मैं पहचानता था और वे भी मुझे पहचानते थे, किंतु कभी-कभी भूलवश वे मेरे पास आ जाते और फिर वही पुराना पचडा सुनाने लगते। कुछ मुझे देखकर उलटे पाव लौट जाते।

इन बातो से मुझे यह तो मालूम हो गया कि इस श्रेणी के लोगो मे भी बहुत-से धूर्त हैं, परंतु मुझे उनपर बड़ी दया आती थी। उनके पास तन ढकने को पूरे कपडे तक नहीं थे और वे बिलकुल कगले, दुबले-पतले तथा बीमार थे। ऐसे ही लंगो के सर्दी से ठिठुरकर मर जाने या फासी लगा लेने के समाचार हमे अखबारो मे पढने को मिलते है।

## अनाथालय में

जब कभी मैं मास्को-निवासियों से नगर की इस भीषण दरिद्रता की चर्चा करता तो वे कहते—“ऊह, अभी तो आपने कुछ भी नहीं देखा। जरा खिन्नोफ बाजार जाकर वहाँ की सरायों को देखिए। भिखमगो की असली ‘सुनहरी टोली’ तो आपको वहाँ देखने को मिलेगी।”

इसपर एक मसखरे ने कहा कि उनकी टोली अब टोली ही नहीं रह गई है, बल्कि एक पलटन बन गई है। उसकी बात सही थी, लेकिन अगर वह यह कहता कि मास्को में भिखमगो की टोली या पलटन ही नहीं, बल्कि एक पूरी सेना बन गई है तो यह और भी सही होता। मैं समझता हूँ कि वहाँ कुल मिलाकर पचास हजार से कम भिखारी न होंगे।

मास्को के बड़े निवासी जब कभी शहर की गरीबी की चर्चा करते तो उन्हें एक प्रकार का हर्ष होता, मानो उन्हें अपने ज्ञान का अभिमान हो। मुझे याद है कि जब मैं लन्दन में था तब वहाँके लोग भी लन्दन की कगाली का वर्णन अभिमान के साथ किया करते थे।

जिस दरिद्रता के सम्बन्ध में मैंने इतनी बातें सुनी थीं उसे मैं अपनी आँखों से देखना चाहता था। कई बार मैंने खिन्नोफ बाजार की ओर पैर उठाए भी; किंतु हर बार मुझे पीडा और लज्जा की अनुभूति होती और मेरी अन्तरात्मा से एक आवाज आती—“जिनकी तुम सहायता नहीं कर सकते उनकी मुसीबतों को देखने क्यों जाते हो?”

किंतु फिर दूसरी आवाज कहती—“जब तुम यहाँ रहकर शहर की लुभावनी चीजें देखते हो तो जाओ, उसको भी देखो।”

और एक दिन सन् १८८१ के दिसम्बर महीने में, जब पाला पड़ रहा था और तेज हवा चल रही थी, मैं शहरी कंगाली के केन्द्र खित्रीफ बाजार की ओर चल पड़ा। वह काम-काज का दिन था और समय लगभग चार बजे का होगा। थोड़ी दूर निकलते ही लोग मुझे अधिकाधिक सख्या में ऐसे विचित्र कपड़े पहने दिखाई देने लगे जो निश्चय ही उनके नाप के नहीं थे। उनके जूते तो और भी विचित्र थे। उनके मुख कातिहीन, बीमारो-जैसे थे और उनकी चाल-ढाल कुछ ऐसी थी मानो उन्हें अपने चारों तरफ की दुनिया से कोई सरोकार नहीं।

मैंने देखा कि एक आदमी बहुत ही विचित्र और बेढगे कपड़े पहने निश्चिन्तता के साथ चला जा रहा है और उसे इस बात की विलकुल चिंता नहीं कि वह दूसरो को कैसा लगता है। ऐसे जितने भी लोग थे वे सब एक ही दिशा में जा रहे थे। मैं रास्ता नहीं जानता था, फिर भी किसीसे पूछ-ताछ किये बिना ही मैं उनके साथ हो लिया और खित्रीफ बाजार पहुँच गया। वहाँ मैंने देखा कि स्त्रिया भी पुरुषों की ही भाँति रगविरगी टोपिया, लबादे, जाकट और जूते पहने हुए हैं और उन्हें भी अपनी बेढगी पोशाक की परवाह नहीं है। क्या बूढ़ी, क्या जवान, सभी या तो बेफिक्री के साथ वैठी हुई कोई सौदा बेच रही थी, या इधर-उधर घूम रही थी और एक-दूसरी को गालिया देती हुई कोस रही थी। उस समय शायद बाजार उठ चुका था, क्योंकि वहाँ बहुत ही कम आदमी थे और अधिकांश लोग उधर से होते हुए पहाड़ी पर जा रहे थे। मैं उनके पीछे हो लिया और ज्यो-ज्यो आगे बढ़ता गया, मुझे उसी तरह के लोग अधिकाधिक सख्या में एक ही दिशा में जाते हुए दिखाई दिये।

बाजार से निकलकर जब मैं सड़क पर पहुँचा तो मुझे दो स्त्रिया मिली—एक बूढ़ी थी और दूसरी जवान। दोनों भूरे रंग के फटे हुए कपड़े पहने हुए थी और आपस में किसी विषय पर बातचीत करती जा रही थी। प्रत्येक आवश्यक शब्द के बाद वे दो-एक अनावश्यक और अश्लील शब्द का प्रयोग किये बिना न रहती थी। वे नशे में नहीं थी। हा, अपनी बातों में मस्त अवश्य थी। मुझे तो उनकी बातचीत का यह ढग बड़ा ही अटपटा लग रहा था, लेकिन जो लोग उनसे मिलते थे या उनके आगे-

पीछे चल रहे थे वे इसपर विलकुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। इससे साफ मालूम होता था कि वहा के लोग बोलते ही इस ढग से हैं।

सडक की बाईं ओर सराए बनी हुई थी। कुछ लोगतो उनमें घुस गए और कुछ आगे बढ़ते रहे। पहाडी पर चढने के बाद हम कोने के एक बडे मकान के पास पहुचे। जिन लोगो के साथ मैं चल रहा था, उनमें से अधिकांश वही रुक गए। बर्फ से ढकी हुई सडक और पटरी पर भी उसी तरह के लोग खड या बैठे थे। प्रवेश-द्वार की दाईं ओर सैकडो स्त्रिया थी और बाईं ओर सैकडो पुरुष। मैं दोनो के बीच से होकर आगे बढ़ा और जहा उनकी कतार समाप्त होती थी वहा जाकर रुक गया। जिस मकान के बाहर ये लोग खडे थे वह ल्यापिन अनाथालय था। वहा ये लोग रात के समय मुफ्त सोया करते थे और भीतर जाने की प्रतीक्षा में थे। अनाथालय के द्वार ५ बजे खुलते थे। रास्ते में मैं जितनो को पीछे छोड आया था, वे सब भी धीरे-धीरे वही आ गए थे।

पुरुषो की पक्ति जहा समाप्त होती थी, मैं वही खडा हो गया। जो लोग मेरे विलकुल पाम थे वे मेरी ओर कुछ इस तरह से देखने लगे कि मेरा ध्यान उनकी ओर बरबस आकर्षित हो गया। उनके तन के चीथडे तो एक-दूसरे से भिन्न और रंग-बिगने थे, किन्तु मेरे ऊपर डाली गई उनकी दृष्टियो मे विलकुल एक-मा भाव था। उनकी आखे मानो पूछ रही थी—“ऐ, दूसरी दुनिया के आदमी ! तुम हमारे पाम क्यों खडे हो गए ? तुम कौन हो ? तुम कोई आत्म-संतुष्ट अमीर तो नहीं जो अपने जीवन की एकरसता को बदलने के लिए हमारी दुर्दशा का मजा लेने आए हो ? या तुम हमपर करुणा दिखानेवाले वह मानव हो, जिसका अस्तित्व न इस समार में है, न कभी हो सकता ?”

हरेक के चेहरे पर यही प्रश्न था। उन्होने मेरी ओर देखा, दृष्टि से दृष्टि मिलाई और फिर मुह फेर लिया। मैं उनमे से कुछ लोगो से बात-चीत करना चाहता था; किन्तु बहुत देर तक मुझे ऐसा करने का साहस नहीं हुआ। पर मौन रहते हुए भी हम आखो-ही-आखो में एक-दूसरे के निकट आ गए। दो-तीन बार नजर-से-नजर मिलने के बाद ही हमने

महसूस कर लिया कि हमारे जीवन ने हमें एक-दूसरे से चाहे कितना ही अलग क्यों न कर दिया हो, है हम एक ही। और इस प्रकार हमारा एक-दूसरे के प्रति भय जाता रहा।

मेरे पास ही एक किसान खड़ा था, जिसका चेहरा सूजा हुआ था और जिसकी डाढ़ी लाल थी। उसका कोट फटा हुआ था और उसने बिना मोजों के ही अपने पैरों में टूटे-फूटे जूते पहन रखे थे, यद्यपि उस समय बड़े जोरों का पाला पड़ रहा था। मेरी आंखें उसकी आंखों से तीन-चार वार मिली और फिर मैंने अपनेको उसके इतना निकट अनुभव किया कि मुझे उससे बोलने में नहीं, बल्कि न बोलने में लज्जा मालूम होने लगी। मैंने उससे पूछा—“तुम कहाँके रहनेवाले हो ?” उसने इसका तुरंत उत्तर दिया और वातचीत का सिलसिला चल पड़ा। इतने में दूसरे लोग भी हमारे पास खिसक आए। मैं जिससे बातें कर रहा था वह स्मॉल्सेक का रहनेवाला था और मास्को काम की खोज में आया था। उसे आशा थी कि शहर में जाकर वह इतना कमा लेगा कि उससे अनाज भी खरीद लेगा और टैक्स भी भर देगा।

“लेकिन यह मुझे कोई काम नहीं मिला,” उस आदमी ने बताया। “सिपाहियों ने सारा काम ले लिया है,<sup>१</sup> इसलिए मैं मारा-मारा फिर रहा हूँ और भगवान जानता है कि दो दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है।”

उसने यह बात बड़ी कातरता के साथ कही और मुसकराने की चेष्टा की। पास ही स्विटें<sup>२</sup> बेचनेवाला एक बूढ़ा सिपाही खड़ा था। मैंने उसे बुलाया और मेरे कहने पर उसने स्विटें का एक गिलास भरकर उस आदमी को दिया। किसान ने गिलास को लेकर पहले उसपर अपने हाथ गरमाए। कारण, वह उसकी ज़रा-सी भी गरमी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था।

१. उन दिनों सिपाही बड़े सस्ते में काम करने के लिए मिल जाते थे।

२. शहद और मसाले से बना गरम पेय।

हाथ सेकते-ही-सेकते उम किसान ने मुझे अपनी जीवन-कथा सुना डाली। (इन लोगों की जीवन-कथा—कम-से-कम जिस रूप में ये लोग उसे सुनाते हैं—अधिकत एक-सी होती है)। उसने बताया—पहले मुझे थोड़ा-सा काम मिला था, लेकिन वह पूरा हो चुका और मेरा बटुआ, जिसमें मेरा पामपोट और बचे-खुचे पैसे थे, इसी अनाथालय में चोरी चला गया, जिसके कारण अब मैं मास्को से बाहर जाने में असमर्थ हूँ। दिन में मैं गरम पेय की दूकानों पर ताप लेता हूँ और कभी-कभी लोग मुझे रोटी के जो बचे-खुचे टुकड़े दे देते हैं उन्हें ही खाकर रह जाता हूँ। लेकिन कभी-कभी वे मुझे भगा भी देते हैं। रात मैं इसी ल्यापिन अनाथालय में काट लेता हूँ, जहाँ मुझे कुछ देना नहीं पड़ता। अब मैं केवल इस प्रतीक्षा में हूँ कि पुलिसवाले ढूँढते हुए आवे और पासपोर्ट न होने के कारण मुझे पकड़कर जेल में डाल दें और बाद में मैं अपने ही जैसे दूमरे आदमियों के साथ पुलिस के पहरे में पैदल घर भेज दिया जाऊँ। मैंने सुना है कि पुलिस वृहस्पतिवार को गश्त लगायगी।—(स्पष्टतः जेल और घर की पैदल-यात्रा उसे स्वर्ग-जैसी मालूम होती थी)।

भीड़ के दो-तीन आदमियों ने उसकी इन बातों का समर्थन किया और कहा कि हम भी ऐसी ही मुसीबत में हैं। उसी समय लम्बी नाक-वाला एक दुबला-पतला, निर्बल नवयुवक, जिसके शरीर पर कंधों पर से फटी हुई केवल एक कमीज थी और जिसकी टोपी का चदोवा भी लापता था, लोगों को ढंकेलता-ढंकात्ता भीड़ में से निकलकर मेरे पास आया। वह सर्दी से थर-थर कांप रहा था, फिर भी उसने किसान की बातों पर घृणापूर्ण हसी हसने की चेष्टा की और मेरी ओर दृष्टि गड़ाकर देखा। शायद उसने यह सोचा हो कि इस प्रकार की चेष्टा मेरी मनो-दशा के अनुकूल होगी।

मैंने उसे भी एक गिलास स्विटन दिलवाया। गिलास लेकर उसने भी अपने हाथ सेके, किन्तु ज्योंही उसने बोलना शुरू किया, एक लम्बा, काला, तोते-जैसी नाकवाला आदमी उसको धक्का देकर आगे निकल आया। वह छोट को एक कमीज और जाकट पहने हुए था, लेकिन

उसके सिर पर टोपी नहीं थी। उसने भी पीने के लिए स्विटेन मागा। उसके पीछे नशे में चूर, नुकीली डाढीवाला एक लम्बा बूढा आदमी आया। वह ओवरकोट पहने हुए था, जिसमे कमर के पास एक डोरी बधी हुई थी और उसके पैरो मे चटाई के जूते थे। उसके पीछे एक लडका आया जिसका मुह सूजा हुआ था और जिसकी आखे तर थी। वह एक भूरी जाकट पहने हुए था। उसके नगे घुटने फटी हुई ठडी पतलून मे से दिखलाई दे रहे थे और सर्दियों के मारे एक-दूसरे से टकरा रहे थे। वह इतना काप रहा था कि स्विटेन का गिलास उससे सम्हल नहीं सका और सारा-का-सारा स्विटेन उसके ऊपर ही बिखर गया। दूसरे लोग उसे गालिया देने लगे, किंतु वह कष्ट भाव से केवल मुसकरा भर दिया और खडा-खडा कापता रहा।

उस लडके के वाद चौथडे लपेटे, एक भट्टी सूरत का विकृत शरीर-वाला व्यक्ति आया। उसने अपने नगे पावो मे कपडे की पट्टिया लपेट रखी थी। फिर तो एक-एक करके कितने ही लोगो ने मुझे आकर घेर लिया। इनमे से कोई अफसर-जैसा लगता था तो कोई पादरी-जैसा, किसीके नाक ही नहीं थी तो किसीकी सूरत अजीब थी; लेकिन थे सब भूखे, सर्दियों से पीडित, जिद्दी और दीन-हीन। वे सब स्विटेन की ओर झुक पडे और देखते-ही-देखते उसे चट कर गए। तब एक आदमी ने मुझसे पैसे मागे और मैंने उसे दे दिये। इसपर दूसरे ने, फिर तीसरे ने पैसे मागे और फिर तो भीड-क्री-भीड मुझपर टूट पडी और लोग आपस में धक्कम-धक्का करने लगे। इतने मे बराबर के मकान से एक चौकीदार ने डपटकर कहा—“मेरे घर के सामने से हट जाओ।” वेचारो ने चुपचाप उसकी आज्ञा का पालन किया और भीड मे से कुठ लोग स्वयसेवक बनकर मेरी रक्षा करने लगे। वे मुझे उस रेले मे से निकाल ले जाना चाहते थे; किंतु जो भीड अभी तक पटरियों पर खडी हुई थी वह भी धक्कम-धक्का करती हुई मेरे चारो ओर जमा हो गई। सबके सब लोग मेरी ओर देख-देखकर भीख मागने लगे। उनमें से हरेक का चेहरा एक-दूसरे से अधिक कष्ट, अधिक क्लान्त और अधिक दीन मालूम पडता था। मेरे पास जो-कुछ भी था—अधिक नहीं, यही लगभग

वीस रूबल\* के रहे होंगे—मैंने सब बाट दिया और भीड़ के साथ-साथ मैं भी अनाथालय में घुसा। उसकी इमारत बहुत बड़ी थी और उसमें चार हिस्से थे। ऊपर के खंड में मर्द रहते थे और नीचे के तल्ले में स्त्रियां। पहले मैं नीचे के हिस्से में गया। एक बड़ा कमरा था जिसमें रेल के तीसरे दर्जे की सीटों के समान ऊपर-नीचे दो पक्तियों में लकड़ी के तख्ते लगे हुए थे। फटे-पुराने कपड़े पहने हुए अजीब-अजीब ढंग की बूढ़ी और जवान स्त्रियों ने आकर अपने-अपने तख्ते पर कब्जा कर लिया। कुछ ऊपर चढ़ गईं और कुछ नीचे रही। कुछ बूढ़ी स्त्रियों ने हाथ जोड़कर अनाथालय बनानेवाले के लिए ईश्वर से दुआ मागी। दूसरी स्त्रियां हसी-मजाक और गाली-गलौज करने लगीं।

इसके बाद मैं ऊपर के हिस्से में गया। वहां मर्द अपनी-अपनी जगह ले रहे थे। उनमें से एक वह भी था जिसे मैंने पैसे दिये थे। उसे देखकर एकाएक मुझे बड़ी लज्जा मालूम हुई। ऐसा लगा मानो मैंने कोई अपराध कर दिया है और मैं वहांसे तेजी से बाहर निकलकर सीधा अपने घर की ओर चल दिया। कालीन से ढके हुए जीने पर चढ़ता हुआ मैं गलीचे से सुसज्जित बड़े कमरे में पहुँचा और रोवेंवाला ओवरकोट उतारकर पाच व्यजनवाला भोजन करने बैठ गया, जिसे सफेद टाई और सफेद दस्ताने पहने हुए दो वर्दीधारी नौकरो ने लाकर मेज पर सजाया था।

तीस वर्ष पहले मैंने एक बार पेरिस में हज़ारों दर्शकों की उपस्थिति में जल्लादों को एक आदमी का सिर काटत देखा था। मैं जानता था कि उस व्यक्ति ने भयकर अपराध किया था। इस प्रकार सार्वजनिक रूप से सिर काटने के पक्ष में लिखी गई सारी दलीलो से भी मैं परिचित था। मुझे विदित था कि ऐसा दण्ड जानबूझ कर विशेष अभिप्राय से दिया जाता है; किंतु जैसे ही उस आदमी का सिर घड से अलग होकर

---

\* अर्थात् लगभग ३० रूपए। एक रूबल में १०० कोपेक होते हैं। रूस का यह सोने का सिक्का २ शिल्लिंग, १ $\frac{1}{2}$  पेंस यानी लगभग इकट्ठा रूपए के बराबर होता है।



नीचे वक्स में गिरा कि मेरा दम घुटने लगा और मेरे शरीर और हृदय ने ही नहीं, बल्कि रोम-रोम ने अनुभव किया कि मृत्युदंड के पक्ष में जितनी भी दलीलें हैं वे अनर्गल और दुष्टतापूर्ण हैं और इस ससार के सबसे जघन्य अपराध—हत्या—को करने में चाहे कितने ही आदमियों का योग क्यों न हो और अपने को वे चाहे कोई भी नाम क्यों न दें, हत्या हत्या ही है और चूँकि उक्त हत्या मेरी आंखों के सामने की गई थी और मैं बिना कोई आपत्ति किये उसे चुपचाप खडा-खडा देखता रहा था इसलिए मैं भी उसका समर्थक और भागीदार था। इसी प्रकार जब मैंने ल्यापिन अनाथालय के बाहर हजारों लोगों की भूख, कपकपी और पतन का दृश्य देखा तो मेरे शरीर और हृदय ने ही नहीं, बल्कि रोम-रोम ने यह अनुभव किया कि जब मेरे-जैसे सहस्रों व्यक्ति ठूम-ठूसकर तरह-तरह के व्यजन खाते हैं और अपने घोड़ों और घर के फर्श तक को कपड़े या गलीचे से ढकते हैं तब—चाहे ससार की समस्त विद्वद्मण्डली इसका कितना ही समर्थन क्यों न करे—इसमें सन्देह नहीं कि मास्को में इस तरह के दसियों हजार कगालों का होना एक विरस्थाई अपराध है और मैं अपनी विलासिता में पडा रहकर इस अपराध को न केवल सहन ही कर रहा हूँ, बल्कि स्वयं उसमें भाग भी ले रहा हूँ। मुझे तो पहली और अबकी अनुभूति में केवल एक अंतर दिखाई देता था। सार्व-जनिक प्राणदंडवाले मामले में मैं अधिक-से-अधिक इतना कर सकता था कि सूली के पास खड़े हुए हत्या की तयारी करनेवाले जल्लादों से चीखकर कहता कि तुम गलती कर रहे हो, और यह अच्छी तरह से जानते हुए भी कि मेरे किसी कार्य से हत्या रुक नहीं सकती, हर सम्भव युक्ति से उसमें बाधा डालने की चेष्टा करता; किंतु भिक्षुको के मामले में मेरी कार्य-क्षमता यही तक सीमित नहीं थी कि उन्हें स्वितेन पिला देता और जेब के थोड़े-से पैसे वाट देता, बल्कि मैं उन्हें अपने शरीर पर का ओवरकोट और अपने घर की सारी चीजें दे सकता था। परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। यही कारण है कि मैंने उस समय अनुभव किया, अब भी करता हूँ और सदा करता रहूँगा कि जबतक मेरे पास दो कोटों के होते हुए कोई व्यक्ति बिना कोट के रहेगा

तबतक मैं भी इस ससार में निरंतर होते रहनेवाले एक पाप का भागी-  
दार बना रहूँगा ।

: ३ :

## उन्हें उबारना चाहा

न्यायपिन अनाथालय से लोटकर मैंने उसी दिन शाम को अपने विचार एक मित्र के सामने प्रकट किये । वह शहर के ही रहनेवाले थे, इसलिए उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया कि मैंने जो कुछ देखा है वह शहरो के लिए एक बिलकुल स्वामाविक बात है और देहात में रहने के कारण ही मुझे उसमें अनोखापन दिखाई देता है । मेरे मित्र ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति तो सदा से रही है और रहेगी, भिक्षावृत्ति सभ्यता का एक अनिवार्य अंग है, लन्दन में तो इससे भी दयनीय दशा है, इसलिए इसमें कोई वुराई नहीं है और इससे किसी-को असतुष्ट नहीं होना चाहिए ।

मैं अपने मित्र से बहस करने लगा और मेरी बातों में इतनी उग्रता तथा उत्तेजना आगई कि पात के कमरे से मेरी स्त्री दौड आई और पूछने लगी कि क्या बात है । ऐसा मालूम पडता है कि अनजाने में मैं अपने मित्र की ओर दोनों हाथ फैलाए अश्रुप्लावित कठ से चिल्ला पडा था—“कोई भी व्यक्ति इस तरह नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता ।” इस अनावश्यक उत्तेजना के लिए मेरे मित्रों ने मुझे बडा लज्जित किया और कहा कि मैं किसी विषय पर शांतिपूर्वक वाते नहीं करता और अप्रिय ढग से उग्र हो उठता हू । उन्होंने यह बात विशेष रूप से प्रमाणित करने की चेष्टा की कि समाज में ऐसे अभागों का होना कोई ऐसी बात नहीं जिसके कारण मैं आसपासवालो का जीवन दूमर बनादू ।

यह सोचकर कि बात है तो बिलकुल ठीक, मैं चुप हो गया, परंतु मेरे अन्तस्तल में लगातार यह अनुभूति होती रही कि मेरी बात भी ठीक है और मेरा मन शान्त नहीं हो पाया ।

नीचे बक्स में गिरा कि मेरा दम घुटने लगा और मेरे शरीर और हृदय ने ही नहीं, बल्कि रोम-रोम ने अनुभव किया कि मृत्युदंड के पक्ष में जितनी भी दलीलें हैं वे अनर्गल और दुष्टतापूर्ण हैं और इस ससार के सबसे जघन्य अपराध—हत्या—को करने में चाहे कितने ही आदमियों का योग क्यों न हो और अपने को वे चाहे कोई भी नाम क्यों न दें, हत्या हत्या ही है और चूँकि उक्त हत्या मेरी आँखों के सामने की गई थी और मैं बिना कोई आपत्ति किये उसे चुपचाप खडा-खडा देखता रहा था इसलिए मैं भी उसका समर्थक और भागीदार था। इसी प्रकार जब मैंने ल्यापिन अनाथालय के बाहर हजारों लोगों की भूख, कपकपी और पतन का दृश्य देखा तो मेरे शरीर और हृदय ने ही नहीं, बल्कि रोम-रोम ने यह अनुभव किया कि जब मेरे-जैसे सहस्रो व्यक्ति ठूम-ठूसकर तरह-तरह के व्यजन खाते हैं और अपने घोड़ों और घर के फर्श तक को कपड़े या गलीचे से ढकते हैं तब—चाहे ससार की समस्त विद्वद्मण्डली इसका कितना ही समर्थन क्यों न करे—इसमें सन्देह नहीं कि मास्को में इस तरह के दसियों हजार कगालों का होना एक चिरस्थायी अपराध है और मैं अपनी विलासिता में पडा रहकर इस अपराध को न केवल सहन ही कर रहा हूँ, बल्कि स्वयं उसमें भाग भी ले रहा हूँ। मुझे तो पहली और अवकी अनुभूति में केवल एक अंतर दिखाई देता था। सार्व-जनिक प्राणदंडवाले मामले में मैं अधिक-से-अधिक इतना कर सकता था कि सूली के पास खड़े हुए हत्या की तैयारी करनेवाले जल्लादों से चीखकर कहता कि तुम गलती कर रहे हो, और यह अच्छी तरह से जानते हुए भी कि मेरे किसी कार्य से हत्या रुक नहीं सकती, हर सम्भव युक्ति से उसमें बाधा डालने की चेष्टा करता; किंतु भिक्षुको के मामले में मेरी कार्य-क्षमता यही तक सीमित नहीं थी कि उन्हें स्वितेन पिला देता और जब के थोड़े-से पैसे वाट देता, बल्कि मैं उन्हें अपने शरीर पर का ओवरकोट और अपने घर की सारी चीजें दे सकता था। परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। यही कारण है कि मैंने उस समय अनुभव किया, अब भी करता हूँ और सदा करता रहूँगा कि जबतक मेरे पास दो कोटों के होते हुए कोई व्यक्ति बिना कोट के रहेगा

तबक में भी इस ममार में निरंतर होने रहनेवाले एक पाप का भागी-  
दार बना रहूंगा।

: ३ :

## उन्हें उबारना चाहा

ल्यापिन अनायालय ने लौटकर मैंने उसी दिन शाम को अपने  
विचार एक मित्र के मामले प्रकट किये। वह गहर के ही रहनेवाले  
थे, इसलिए उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया कि मैंने जो-कुछ देखा  
है वह गहरों के लिए एक विलकुल स्वाभाविक बात है और देहात में  
रहने के कारण ही मुझे उसमें अनोखापन दिखाई देता है। मेरे मित्र  
ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति तो यदा से रही है और रहेगी,  
मिजावृत्ति सम्भता का एक अनिवार्य अंग है ; लन्दन में तो इससे भी  
दयनीय दशा है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है और हमने किसी-  
को अमृतुष्ट नहीं होना चाहिए।

मैं अपने मित्र से बहस करने लगा और मेरी बातों में इतनी उग्रता  
नया उत्तेजना आगई कि पान के कमरे में मेरी स्त्री दोड़ आई और  
पूछने लगी कि क्या बान है। ऐसा भालूम पड़ता है कि अनजाने में मैं  
अपने मित्र की ओर दोनों हाथ फेंचाए अशुभप्रभावित कठ से चिल्ला पडा  
था—“कोई भी व्यक्ति इस तरह नहीं रह सकता, नहीं रह सकता,  
नहीं रह सकता।” इम अनावश्यक उत्तेजना के लिए मेरे मित्रों ने मुझे  
बड़ा लज्जित किया और कहा कि मैं किसी विषय पर भातिपूर्वक बातें  
नहीं करता और अग्रिय ढग से उग्र हो उठता हूँ। उन्होंने यह बात  
विशेष रूप से प्रमाणित करने की चेष्टा की कि समाज में ऐसे अमानों  
का होना कोई ऐसी बात नहीं जिसके कारण मैं आसपासवालों का  
जीवन दूभर बनादू।

यह सोचकर कि बान है तो विलकुल ठीक, मैं चुप हो गया;  
परंतु मेरे अन्तस्सल में लगातार यह अनुभूति होती रही कि मेरी बात  
भी ठीक है और मेरा मन गान नहीं हो पाया !

नगर का जीवन, जो पहले मुझे अजीब और अपरिचित मालूम होता था, अब इतना घृणित दिखाई देने लगा कि विलासितापूर्ण जीवन के जिन सुखों में पहले मुझे आनन्द आता था वे ही मेरे लिए अब यातना बन गए। जिस प्रकार का जीवन मैं बिता रहा था उसके लिए अपनी आत्मा में थोड़ा-बहुत औचित्य ढूढने की मैं लाख चेष्टा करता; किंतु जब कभी अपना या किसी दूसरे का सजा हुआ गोल कमरा या मेज पर सफाई और सुन्दरता के साथ परोसा हुआ भोजन देखता, या जब कभी मेरी दृष्टि मोटे-ताजे घोड़ों और कोचवानों सहित किसी गाड़ी, या दुकान, या थियेटर, या सभा-मंडली पर जाती तो क्रोध आए बिना न रहता। इनके साथ-ही-साथ मेरी आंखों के आगे ल्यापिन अनाथालय के भूखे, ठिठुरते हुए और पददलित अनाथों की आकृतियाँ नाच उठतीं और बरबस मेरे मन में यह विचार उठता कि इन दोनों का आपस में सम्बन्ध है, ये दोनों एक-दूसरे के कारण हैं। मुझे याद है कि अपने को अपराधी मानने की जिस भावना की अनुभूति मैंने आरम्भ से ही की थी वह मेरे मन में सदा बनी रही, यद्यपि कुछ ही दिनों बाद एक दूसरी भावना उसमें आ मिली और उसने पहली अनुभूति को आच्छादित कर दिया।

ल्यापिन अनाथालय की जो छाप मेरे मन पर पड़ी थी उसकी चर्चा जब कभी मैं अपने इष्ट-मित्रों और जान-पहचानवालों में करता तब वे भी वैसी ही बातें कहते जैसी कि उस मित्र ने कही थी, जिमपर मुझे क्रोध आया था। किंतु साथ-ही-साथ वे मेरी दयालुता और सहज ही प्रभावित होनेवाली प्रवृत्ति की प्रशंसा भी करते। कहते कि आप पर इस दृश्य का इतना गहरा प्रभाव केवल इसलिए पड़ा कि आप—लियो टॉल्स्टॉय—एक बहुत ही दयालु और नेक व्यक्ति हैं। मैंने उनके इस निष्कर्ष पर सहर्ष विश्वास कर लिया और इसके पहले कि मैं इस विषय पर पुनः विचार करता, लज्जा और पश्चाताप की उस भावना के बदले, जो मेरे मन में सबसे पहले उदय हुई थी, मैं अपनी परोपकारिता की प्रवृत्ति पर सतोष अनुभव करने लगा और मुझमें उसके प्रदर्शन की भी इच्छा जाग उठी।

मैंने अपने मन में सोचा—“दोप गायद मेरे भोगविलास का नहीं, बल्कि जीवन की उन परिस्थितियों का है जो अनिवार्य हैं। मैंने जो वुराडया देखी हैं वे मेरे जीवन में परिवर्तन होने से दूर नहीं हो सकेंगी। अपने जीवन में परिवर्तन करके तो मैं अपने और अपने प्रियजनों के ही जीवन को दुखी बना लूंगा और अभागो अनाथों की दशा सदा के समान हीन-की-हीन बनी रहेगी। इसलिए मेरा यथार्थ कर्तव्य स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन करना नहीं है, जैसा कि मैंने पहले सोचा था, बल्कि यथाशक्ति उन अभागो की स्थिति सुधारने में सहायता देना है जिनके प्रति मेरे मन में सहानुभूति जागृत हुई है। माराग यह कि मैं एक बडा ही नेक और दयालु प्राणी हूँ और अपने पडोसियों का उपकार करना चाहता हूँ।”

इस विचार के आते ही मैं परोपकार की एक ऐसी योजना बनाने लगा जिसके द्वारा मुझे अपनी सज्जनता का प्रदर्शन करने का अवसर मिले। हा, इतना अवश्य बतला दू कि इस योजना को बनाते समय भी मेरी अतरात्मा में निरतर यही अनुभूति होती रही कि मैं जो-कुछ कर रहा हूँ वह ठीक नहीं है। किन्तु, जैसा कि अक्सर होता है, तर्क और कल्पना ने अतरात्मा का गला घोट दिया।

सयोग की बात है कि उन्ही दिनों मर्दमशुमारी की तैयारी हो रही थी। मैंने सोचा कि जिस परोपकार-कार्य द्वारा मैं अपनी सज्जनता का प्रदर्शन करना चाहता हूँ, उसे आरम्भ करने का यह अच्छा अवसर है। मैं मास्को की अनेक परोपकारी सस्थाओं और सभाओं से परिचित था; किन्तु मुझे ऐसा लगता था कि उनके कार्य का सचालन गलत रास्ते पर हो रहा है और उनकी चेष्टाएँ मेरे लक्ष्य की अपेक्षा नगण्य हैं। इसलिए मैंने निम्नलिखित योजना तैयार की—अमीरो के हृदय में गहर की गरीबी के प्रति सहानुभूति पैदा की जाय, रुपया इकट्ठा किया जाय, इस कार्य में सहायता देने की इच्छा रखनेवालों की सूची तैयार की जाय, मर्दमशुमारी करनेवालों के साथ-साथ अनाथों के सब अड्डों पर जाया जाय और उनकी गणना करने के अतिरिक्त उनके सम्पर्क में आकर उनकी आवश्यकताओं की जाच की जाय, उन्हें धन और काम देकर या गावों में वापस पहुँचाकर और उनके बच्चों को स्कूलों में बड़े-बूढ़ो

को अनाथाश्रमों में भरती कराकर उनकी सहायता की जाय। इसके अतिरिक्त मैंने यह भी सोचा कि इस कार्य में हाथ बंटानेवाले लोगों में से कुछ की एक स्थायी समिति बनाई जाय, जो मास्को के भिन्न-भिन्न भागों का काम अपने सदस्यों में बांटकर कंगाली और अनाथपन के कीटाणु को नष्ट करने की चेष्टा करे, उन्हें अंकुरित होते ही दबा दे और अधिक यत्न दरिद्रता के रोग की चिकित्सा करने के बजाय उसे रोकने का करे। मैं तो यहां तक स्वप्न देखने लगा कि मुझे अपने काम में इतनी सफलता मिलेगी कि किसीके पूर्ण रूप से अनाथ रहने की तो बात ही क्या, नगर में कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं रह जायगा जिसे किसी वस्तु की कमी हो। यह सोचकर मुझे बड़ा सुख होता कि यह सब मेरे ही कारण होगा और मेरे-जैसे अमीर निश्चित होकर अपने गोल कमरों में बैठेंगे, पांच व्यंजनों का भोजन करेंगे, गाड़ियों में बैठकर थियेटर और सभा-सोसायटियों में जायेंगे और रास्ते में उन्हें ल्यापिन अनाथालय-जैसे दृश्यों को देखकर दुःखी नहीं होना पड़ेगा।

इस प्रकार की योजना बनाकर मैंने एक लेख लिखा और उसे प्रकाशनार्थ भेजने से पूर्व मैं अपने उन परिचितों से मिला जिनसे मुझे सहायता मिलने की आशा थी। उस दिन मैं जितने लोगों से मिला (विशेष रूप से मैं अमीरों के ही पास गया) उन सबसे मैंने प्रायः वही बात कही जो अपने लेख में लिखी थी। मैंने उनसे प्रस्ताव किया कि मर्दुमशुमारी से लाभ उठाकर मास्को के कंगालों का परिचय प्राप्त किया जाय और रुपये तथा काम से उनकी सहायता कर ऐसा यत्न किया जाय कि मास्को में दरिद्रता रह ही न जाय और फिर हम अमीर लोग शान्त-चित्त होकर उन आमोद-प्रमोदों का आनन्द उठाएं जिनकी हमें आदत पड़ गई है। इन बातों को सबने बड़ी गम्भीरता के साथ ध्यानपूर्वक सुना और उनकी प्रतिक्रिया सबपर एक समान हुई। मेरी बातों का तात्पर्य समझते ही वे विचलित हो उठे और उनके मुख पर लज्जा का भाव झलकने लगा। ऐसा मालूम पड़ता था कि उन्हें लज्जा मुख्यतः मेरे कारण आ रही थी; क्योंकि वे सोचते थे कि मैं कुछ ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा हूँ जो उनकी समझ में मूर्खतापूर्ण होती हुई भी स्पष्ट रूप

से मूर्खतापूर्ण कही नहीं जा सकती थी। मुझे तो ऐसा लगा मानो किसी बाहरी कारण से वे मेरी इन मूर्खतापूर्ण बातों को सहन करने के लिए विवश हो गए हैं।

उत्तर मिला—“हा, हा, यह तो बड़ा ही अच्छा विचार है, भला इससे किसे सहानुभूति न होगी? आपका विचार बहुत ही सुन्दर है, मेरे मन में भी ऐसा ही विचार उठा था, लेकिन क्या कहें, यहाँ के लोग तो इन बातों की ओर से इतने उदासीन हैं कि अधिक सफलता की आशा नहीं की जा सकती। हा, जहाँ तक मेरा सवाल है मुझसे जितनी सहायता बन पड़ेगी, देने को तैयार हूँ।”

सबने कुछ-न-कुछ ऐसी ही बात कही। वे मुझसे सहमत तो हो गए, पर ऐसा प्रतीत होता था कि वे सतुष्ट होकर या स्वेच्छा से ऐसा नहीं कर रहे हैं बल्कि कोई बाहरी कारण उन्हें मुझसे असहमत होने से रोक रहा है। इसका एक प्रमाण यह भी था कि जो लोग आर्थिक सहायता करने का वचन देते थे वे यह नहीं बताते थे कि कितना देंगे, जिसके फलस्वरूप स्वयं मुझे कहना पड़ता था—“तो आशा है कि आपसे ३०० या २०० या २५ रूबल मिल जायेंगे।” इतने पर भी उनमें से एक ने भी हाथ के हाथ रुपया नहीं दिया। यह मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जिस बात में लोगों की रुचि होती है उसके लिए वे साधारणतः फौरन ही रुपया दे डालते हैं। उदाहरण के लिए, जब कभी लोग थियेटर जाना चाहते हैं तो अपनी सीट के लिए हाथ-के-हाथ पैसा दे देते हैं। किन्तु मेरी योजना के सम्बन्ध में जिन लोगों ने रुपया देने को कहा या सहानुभूति प्रकट की उनमें से एक ने भी तत्काल रुपया नहीं दिया। बस मैंने जो रकम कह दी उसे उन्होंने चुपचाप स्वीकार भर कर लिया।

उस दिन शाम को मैं जिस मित्र के घर सबसे अंत में गया वहाँ बहुत-से लोग इकट्ठे थे। उस घर की मालकिन इधर कुछ वर्षों से परोपकार के काम में लगी हुई थी। दरवाजे पर कई गाड़ियाँ खड़ी थी और प्रवेश-कक्ष में कीमती बर्दियाँ पहने कई दरवान बँठे थे। बड़े गोल कमरे में दो मेजों के चारों ओर, जिनपर लैम्प जल रहे थे, बहु-मूल्य वस्त्र और आभूषण पहने कितनी ही विवाहिता तथा अविवाहिता



स्त्रियाँ बैठी-बैठी गुड़िए बना रही थी। उनके पास ही कितने ही नवयुवक भी बैठे थे। गुड़िए गरीबों के सहायतार्थ लाटरी द्वारा बेची जाने के लिए बनाई जा रही थी।

गोल कमरे और उसमें एकत्र लोगों को देखकर मेरे हृदय पर बड़ा अप्रिय प्रभाव पड़ा। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि वहाँ एकत्र हुए लोगों की हैसियत लाखों रूबल की थी और उनके कपड़ों, गहनों, गाड़ी-घोड़ों, बर्तियों, दरवानों आदि पर जो खर्च हुआ था अकेले उसका सूद ही उनके कार्य के मूल्य से सैंकड़ोंगुना अधिक था। यदि हम इस तथ्य को छोड़ भी दें तब भी, केवल उस एक दिन के आयोजन का खर्च—दस्तानों, साफ चादरो, सवारी, मोमवत्ती, चाय, शक्कर, विस्कुट आदि पर व्यय किया गया धन—ही उन लोगों द्वारा तैयार की जानेवाली चीजों के मूल्य से सैंकड़ोंगुना अधिक होगा। यह सब देखकर मैंने समझ लिया कि कम-से-कम यहाँ तो मुझे अपनी योजना के लिए सहानुभूति की आशा करनी नहीं चाहिए। फिर भी चूँकि मैं वहाँ अपना प्रस्ताव रखने की नीयत से गया था इसलिए कठिनाई अनुभव करने पर भी मैंने अपनी बात कह ही डाली।

उपस्थित महिलाओं में से एकने कहा—“अधिक भावुक होने के कारण मैं स्वयं तो गरीबों के बीच नहीं जा सकूँगी; किन्तु कुछ रुपए अवश्य दूँगी।”—कितने और कब, यह उन्होंने नहीं बताया। एक दूसरी महिला और एक नवयुवक ने कगालों के बीच चलकर सेवा करने के लिए तत्परता दिखाई; परन्तु मैंने उनकी इस कृपा से लाभ नहीं उठाया। जिस व्यक्ति को मैंने विशेष रूप से सम्बोधित किया उसने कहा—“साधनों की कमी होने के कारण मेरे लिए कुछ अधिक करना सम्भव नहीं।”—बात यह थी कि मास्को के सभी धनाढ्य व्यक्ति सुपरिचित थे और उनसे जितना भी लिया जा सकता था सरकार पहले ही ले चुकी थी। इसके लिए उन्हें पद, तमगें और दूसरे सम्मान भी प्राप्त हो चुके थे। अतः उनसे और दान लेने की एकमात्र युक्ति यही थी कि उन्हें सरकार की ओर से नए सम्मान दिलाए जाते; किन्तु यह कार्य बहुत ही कठिन था।

उम दिन घर लौटकर जब मैं विस्तर पर लेटा तो मेरे मन में अपनी योजना के असफल होने की केवल आशंका ही नहीं थी, बल्कि मुझे लज्जा भी मालूम हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे सारे दिन मैं कोई बहुत ही घृणित और लज्जाजनक कार्य करता रहा हूँ। फिर भी मैंने चेष्टा बन्द नहीं की, क्योंकि एक तो कार्य आरम्भ हो चुका था और मिथ्या लज्जा की भावना मुझे उसे छोड़ने नहीं देती थी, दूसरे इस कार्य में लगे रहने पर भी मैं अपने जीवन का वही क्रम चलाता रह सकता था जिसका कि मैं अभ्यस्त हो गया था। इसके विपरीत, मैं खूब समझता था कि यदि मेरी योजना सफल न हुई तो मुझे अपने जीवन का पुराना क्रम त्यागकर एक नया क्रम ढुङ्कने के लिए विवश होना पड़ेगा, जिससे कि मैं अनजाने में ही डरा करता था। इसलिए मैंने अपनी अतरात्मा की आवाज पर विश्वास नहीं किया और जो काम आरम्भ कर चुका था उसे जारी रखा।

मैंने अपना लेख छपने को भेज दिया और उसके प्रूफ की एक प्रति नगर-‘ड्यूमा’\* (नगरपालिका) में पढ़कर मुनाई। उसे पढ़ते समय मुझे इतनी बेचैनी मालूम हुई कि बीच में मैं रुक गया और लज्जा के मारे मेरी आँखों में पानी भर आया। मैंने देखा कि वहाँ जितने लोग उपस्थित थे वे भी सब-के-सब बेचैन हो रहे थे। लेख समाप्त करने पर जब मैंने पूछा कि क्या मर्दमशुमारी करनेवाले लोग अपने पदों पर बने रहकर दीनों और सामान्य समाज के बीच मध्यस्थ का काम करने के मेरे प्रस्ताव से सहमत हैं तो वहाँ एक भट्टा सन्नाटा छा गया।

वाद में सभा के दो सदस्यों ने व्याख्यान दिये जिनसे मेरे प्रस्ताव का अटपटापन दूर हो गया। लोगों ने मेरी योजना के प्रति सहानुभूति प्रकट की; किन्तु साथ ही मेरे विचार की अव्यावहारिकता का भी संकेत

छ ‘ड्यूमा’ वास्तव में उस रूसी मसद को कहते हैं जो सन् १९०६ में स्थापित हुई थी, किन्तु इस शब्द का लोकप्रिय अर्थ है ‘कौंसिल’ अर्थात् सलाहकार-समिति। नगर-सलाहकार-समिति को भारत में म्युनिसि-पैलिटी अर्थात् नगरपालिका कहते हैं।

किया। इससे तत्काल तो लोगों को सतोष हुआ; किन्तु जब मैंने अपनी बात पर फिर जोर देने की इच्छा से वाद में मर्दुमशुमारीवालों से अलग-अलग पूछा कि क्या आप मर्दुमगनारी के समय गरीबों की आवश्यकताओं की जांच करने और अपने पदों पर बने रहकर अमीर और गरीब के बीच मध्यस्थता का काम करने को तैयार हैं, तो वे फिर बेचैन हो उठे। उनकी मूखान्कृति मानो कह रही थी—“श्रीमानजी, आपकी खातिर हमने एक बार तो आपकी मूर्खतापूर्ण बातें सह लीं; लेकिन लगे आप उन्हें फिर ओटने।” उनके मुख पर तो ये ही भाव थे, किन्तु जिद्दवा से उन्होंने स्वीकृति प्रकट की और उनमें से दो व्यक्तियों ने अलग-अलग किन्तु एक ही प्रकार के शब्दों में, मानों उन्होंने पहले से ही सलाह कर ली हो, कहा—“हम तो इस काम को करना अपना कर्तव्य समझते हैं।”

जब मैंने मर्दुमशुमारी के लिए नियुक्त किये गए विद्यार्थियों से कहा कि मर्दुमशुमारी के साथ-ही-साथ परोपकार की बात भी ध्यान में रखनी चाहिए तो मेरे कहने का उनपर भी वैसा ही प्रभाव पड़ा जैसा नगर-पालिकावालों पर पड़ा था। मैंने देखा कि इस विषय पर बात करते समय उन्हें मेरी ओर देखने में उसी प्रकार लज्जा की अनुभूति हो रही थी, जिस प्रकार किसी सहृदय व्यक्ति को अनर्गल बातें करते देख उसकी ओर देखने में होती है।

पत्र-सम्पादक को लेख देने पर उसपर भी ऐसा ही प्रभाव पड़ा था और मेरे पुत्र, मेरी स्त्री और अधिकांश दूसरे व्यक्तियों ने भी प्रायः ऐसी ही भावना व्यक्त की। न जाने क्यों, सभी लोग मेरा प्रस्ताव सुनते ही बेचैन हो उठते थे। फिर भी वे मेरे विचार की प्रशंसा करना आवश्यक समझते थे और अपनी स्वीकृति प्रकट करने के पश्चात् शीघ्र ही मेरी योजना की सफलता के विषय में प्रश्न व्यक्त करने लगते थे। इसके अतिरिक्त वे यह भी कहा करते थे कि क्या बताएँ साहब, समाज के प्रति तो सभी लोग (सिवा स्वयं उनके) बड़े उदासीन और उत्साह-विहीन हैं।

मेरी अंतरात्मा फिर भी यही कहती रही कि ये सब वार्ने ठीक नहीं और इनसे कुछ लाभ नहीं होगा। किन्तु मेरा लेख छत्ता और मैंने मर्दुम-शुमारी में काम करना स्वीकार कर लिया। मैंने ही योजना आरम्भ की थी और अब वह मुझे दरबन अपने नाय खींच ले चली।

: ४ :

## प्रारम्भिक जांच-पड़ताल

मेरी प्रार्थना के अनुसार मुझे खमोवनीकी वार्ड के एक मुहल्ले में मर्दुमशुमारी का काम नौपा गया। यह मुहल्ला स्मॉल्ड्स बाजार के पास प्रोनाखनी गली में नदीवाले गस्ते और निकॉल्सकी गली के बीच बसा हुआ है। इर्मी मुहल्ले में वे मकान बने हुए हैं जो नानूहिक रूप से रज्जानोफ़-भवन या रज्जानोफ़-दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध हैं। पहले ये मकान रज्जानोफ़ नामक एक व्यापारी के थे; किन्तु अब खीमिन-परिवार के अधिकार में हैं। मैं बहुत दिनों ने नुनता जाया था कि यह भवन भयकरतम दरिद्रता और व्यभिचार की गुफा है और इन्हींलिए मैंने प्रबंधको से उधर की ही मर्दुमशुमारी का काम मांगा था।

नगरपालिका से निर्देश मिलने के बाद मर्दुमशुमारी ने कुछ दिन पहले मैं अपने मुहल्ले का निरीक्षण करने गया। अधिकारियों ने मुझे जो नक्शा दिया था उसकी महायत्ना से मुझे रज्जानोफ़-भवन का पना आसानी से लग गया।

मैं पासवाली निकॉल्सकी गली में घुना। बाईं तरफ, जहां रस्ती समाप्त होती थी, एक दीहड़ श्रीहीन भवन था जिसका गली की ओर कोई रास्ता नहीं था। उसे बाहर में देखकर मैंने अनुमान लगा लिया कि यही रज्जानोफ़ दुर्ग है।

निकॉल्सकी गली के ढलाव पर मुझे दस से चौदह वर्ष की अवस्था के कुछ बच्चे मिले। वे जाकट या पनले कोट पहने हुए थे। कुछ तो

ढलाव पर और कुछ सड़क की बर्फ से ढकी हुई पटरी पर एक पैर में पहिये-दार जूता पहने फिसलने का खेल खेल रहे थे। वे सब थे तो फटे-हाल; परन्तु शहरी बच्चों की तरह सजग और ढीठ थे। मैं खडा होकर उन्हें देखने लगा। इतने में मोड़ से फटे-पुराने कपड़े पहने एक बुढ़िया निकली, जिसके पीले गाल सूखकर लटक गए थे। वह स्मॉलेस्क बाजार की ओर जा रही थी और एक थके हुए घोड़े की तरह पग-पग पर हाफ रही थी। मेरे पास आकर वह खड़ी हो गई और जोर-जोर से सास लेने लगी। कोई और जगह होती तो वह बुढ़िया मुझसे भीख मागे बिना न रहती; किन्तु वहा उसने मुझसे केवल बातें की। बर्फ पर खेलते हुए लड़कों की ओर सकेत करके वह बोली—“जरा इनकी ओर देखिए, हर वक्त ऊँध्रम ही मचाते रहते हैं। अपने बाप की तरह ये भी पक्के रज्जानोफी निकलेंगे।” उनमें से एक लड़के ने, जो ओवरकोट और फटी टोपी पहने हुए था, बुढ़िया की बात सुन ली। वह खडा हो गया और चिल्लाकर बोला—“तू भी तो रज्जानोफ की ही कुतिया है।”

“क्या तुम इसी मकान में रहते हो ?”—मैंने लड़के से पूछा।

“हा, और यह बुढ़िया भी इसीमें रहती है, इसने एक जूता चुराया था”—लड़का चिल्लाकर बोला और एक पैर आगे बढ़ाकर बर्फ पर फिसलता हुआ चला गया।

इसपर बुढ़िया ने गालियों की झड़ी लगा दी; लेकिन बीच-बीच में खासी आ जाने के कारण उसे रुक जाना पड़ता था। इसी समय फटे-पुराने कपड़े पहने सफेद बालोवाला एक बूढा हाथ हिलाता हुआ बीच गली में आ निकला। वह ढलाव की ओर उतर रहा था। उसके एक हाथ में कुछ रोटिया और कुरकुरे बिस्कुट थे और उसे देखकर ऐसा लगता था कि वह अभी-अभी वाँडका\* का एक गिलास चढाकर आया है। उसने बुढ़िया को गालिया देते हुए सुन लिया था। उसका पक्ष लेता हुआ चिल्लाकर बोला—‘ठहरो तो, गैतान के बच्चों !

---

\* एक तरह की रूसी शराब, जो अधिकत एक प्रकार की घास से और कभी-कभी आलू से भी चुआई जाती है।

अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ।” इस प्रकार बच्चों को धमकाकर उमने उनके पीछे दौड़ने का स्वाग रचा और फिर मेरे पास आकर वह पटरी पर चढ़ गया। यही वृद्धा अगर किसी प्रमुख सड़क पर मिलता तो लोग उसके बुढ़ापे, जसकी दुर्बलता और उसकी कगाली के रूप पर आकृष्ट हुए विना न रहते, किंतु यहा वह शाम को काम समाप्त कर घर लौटनेवाले एक हसमुख मजदूर-जैसा लग रहा था।

मैं वृद्धे के पीछे हो लिया। वह नुक्कड़ पर से बाईं ओर मुड़कर प्रोतीखनी गली में घुसा और उस लम्बे मकान तथा उसके फाटक को पार करता हुआ एक सराय के भीतर जाकर अदृश्य हो गया।

प्रोतीखनी गली की ओर इस मकान के दो फाटक और कई दरवाजे थे। इनमें सरायो के अलावा शराव, भोजन आदि कई चीजों की दूकानें थी। यही रज्जानोफ का किला था। इसकी इमारत, रहने के कमरे, आगन और आदमी सभी गदे, मटियाले और बदबूदार थे। मैं जितने भी आदमियों से मिला उनमें से अधिकांश आधे नंगे और फटे चीण्डे पहने हुए थे। कुछ लोग धीरे-धीरे आ-जा रहे थे और कुछ एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में भाग-दौड़ रहे थे। दो आदमी कुछ फटे-पुराने टुकड़ों का सौदा कर रहे थे।

प्रोतीखनी गली और नदीवाले रास्ते से होकर मैंने पूरी इमारत का चक्कर लगाया और लौटते समय मैं एक दरवाजे पर रुक गया। ऊंदर जाकर मैं यह देखना चाहता था कि वहा क्या हो रहा है, किंतु ऐसा करते हुए मुझे शिक्षक मालूम हो रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर कोई पृष्ठ बैठा कि क्या चाहते हो तो क्या उत्तर दूंगा। फिर भी थोड़ी देर के सकोच के बाद मैं अंदर घुस ही गया। वहा पंर रखते ही बदबू से नाक सड़ गई। आगन वेहद गदा था। आगे बढ़कर जब मैं एक कोने पर मुड़ा तो ऊपर बाईं ओर लकड़ी की गैलरी में—पहले छज्जे \* के तख्तो पर और फिर जीने की सीढियों पर—लोगो

—  
 ❀ आगन मकान से घिरा हुआ था और उसमें भीतर की ओर चारो ओर लकड़ी का छज्जा था।

के दौड़ने की बड़बड़ाहट सुनाई दी। सबसे आगे उडे हुए गुलाबी रंग के कपडे पहने एक दुबली-पतली स्त्री भागी हुई आई। उसकी आस्तीनें चढी हुई थी और वह बिना मोजो के ही जूते पहने हुए थी। उसके पीछे-पीछे एक मोटे बालोवाला आदमी आया। वह लाल कमीज और बहुत ही चौडा पाजामा पहने हुए था, जो लड्डो-जैसा लगता था। उसके पैरो मे रवड के जूते थे। जीने के नीचे पहुचकर उसने औरत को पकड लिया और हसकर कहा—“तू मुझसे बचकर नही जा सकती।”

“जरा इस कजे की बात तो सुनो”—औरत बोली। साफ मालूम पडता था कि उस आदमी के पीछे-पीछे भागने से वह मन-ही-मन में अहंकार का अनुभव करती हुई इतरा रही थी। इतने मे ही उसकी दृष्टि मुझपर जो पडी तो आपे से बाहर होकर बोली—“क्या चाहते हो ?” मुझे वहा किसीसे कोई काम नहीं था, इसलिए मैं सकपका गया और वहां से चला आया।

यह घटना स्वयं तो कुछ विशेष महत्व की नहीं थी, किंतु बाहर सडक पर मैं जो-कुछ देख चुका था—वह गाली देती हुई बुडिया, वह हंसमुख बूडा, वे बर्फ पर फिसलते हुए लडके—इन सबका जान प्राप्त होने के बाद सहसा इस नई घटना ने मेरे सामने मेरे काम का एक नया पहलू उपस्थित कर दिया। मैं चला था अमीरो की सहायता से इन गरीबो को लाभ पहुंचाने; किंतु उस दिन मैंने वहा पहली बार अनुभव किया कि जिन अभागो का मैं उपकार करना चाहता हू उनका सारा समय भूख और सरदी को झेलने और रैन-बसेरे की प्रतीक्षा मे ही व्यतीत नहीं हो जाता, बल्कि उनके पास और कामो के लिए भी समय रहता है। तन और पेट की चिंता करने के बाद इनके पास भी दिन के गेब घटे बचते हैं और इनके सामने भी एक पूरा जीवन है जिसके सम्बंध मे मैंने पहले कभी विचार नहीं किया था। वहा मैंने पहली बार अनुभव किया कि इन्हे केवल भोजन और गरण की ही आवश्यकता पूरी नहीं करनी पडती; बल्कि हमारी ही तरह इन्हे भी हर दिन जीवन के चौबीस घटे काटने पडते हैं। मैंने अनुभव किया कि हमारी ही तरह इन्हे भी क्रोध आता होगा, हमारी ही तरह ये भी

मुस्त रहते होंगे और हमारी ही तरह इन्हे भी साहसी बनने, रज करने और खुशिया मनाने की आवश्यकता पड़ती होगी। बात कुछ अजीब-सी तो है, किंतु मैं सच कहता हूँ कि मुझे पहली बार यह ठीक-ठीक समझ में आया कि मैंने जो काम हाथ में लिया है उसकी पूर्ति का एकमात्र मार्ग यह नहीं है कि जिस तरह हजार-दो-हजार भेड़ों को खिला-पिलाकर बाड़े में बंद कर दिया जाता है उसी तरह हजार-दो-हजार नंगो-भूखों को भी खाना-कपड़ा दे दिया जाय, बल्कि उसकी पूर्ति के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि इन नंगो-भूखों की कुछ मलाई भी की जाय। और जब मेरी समझ में यह आया कि इनमें प्रत्येक व्यक्ति एक मानव है और मानव की ही तरह उसका इतिहास भी है, उसके हृदय में भी मेरे ही समान आशाएँ और आकांक्षाएँ तरंगित होती हैं, वह भी मेरे ही समान प्रलोभनों और भूलों का शिकार बनता है, उसके मस्तिष्क में भी मेरे ही समान विचार और प्रश्न उठते हैं, सारांश यह है कि वह भी मेरे ही समान एक मनुष्य है, तब एकाएक मुझे मालूम पड़ा कि जिस काम का बीड़ा मैंने उठाया है वह बड़ा ही कठिन है और उसे पूरा करने में मैं नितान्त असमर्थ हूँ। किंतु अब तो काम चल पड़ा था और मैं उसमें लगा ही रहा।

: ५ :

## दरिद्रों के दुर्ग में

मर्दुमशुमारी करनेवाले विद्यार्थियों ने निश्चित तिथि पर अपना काम सवेरे से ही आरम्भ कर दिया, किंतु मैं, जो अपने को परोपकारी समझता था, दोपहर से पहले उनके साथ न लग सका। इसका कारण यह था कि दस बजे तो मैं सोकर उठा, उसके बाद मैंने कॉफी ली और फिर हाजमा ठीक करने के लिए सिगरेट भी। रज्जानोफ-भवन के फाटक पर पड़चते-पड़चते १२ बज गए। एक पुलिसवाले ने



मुझे नदीवाली गली की सराय में पहुँचा दिया। विद्यार्थियों ने, उससे कह रखा था कि अगर कोई हमें पूछने आए तो उसे सराय में पहुँचा देना।

मैं सराय के अंदर गया। वह अन्धकारपूर्ण, बदबूदार और गंदी थी। ठीक मेरे सामने शराबखाना था। उसमें बार्ड और एक छोटा कमरा था, जिसमें मैंले मेजपोशी से ढकी हुई मेजे पड़ी थी। दाहिनी ओर खम्भोवाला एक बड़ा कमरा था। उसमें भी खिडकी के पास और दीवारों से मिली हुई वैसी ही मेजे लगी थी। कुछ लोग इधर-उधर बैठे चाय पी रहे थे। इनमें से कुछ ने फटे-पुराने कपड़े पहन रखे थे और कुछ की पोशाक अच्छी थी। वे मजदूर या छोटे दूकानदार मालूम पड़ते थे। साथ ही कुछ स्त्रियाँ भी बैठी चाय पी रही थी। सराय बहुत गंदी थी; लेकिन यह देखते ही पता चल जाता था कि व्यापार अच्छा चल रहा है। सरायवाले की मुद्रा से व्यवहार-कुशलता टपक रही थी और वैसे बड़ी तत्परता और ध्यान से काम कर रहे थे।

मेरे भीतर घुसते ही एक बैरा मेरे पास आया। वह मुझे ओवर-कोट उतारने में सहायता करने और मेरे आदेशानुसार सामान लाकर देने के लिए बिलकुल तैयार था, जिससे साफ-साफ पता चलता था कि उस सराय के बैरे मुस्तैदी से काम करने के आदी हो चुके हैं। जब मैंने पूछा कि मर्दुमशुमारीवाले कहाँ हैं तो जर्मन फैशन के कपड़े पहने हुए एक नाटे आदमी ने, जो दूकान की एक अलमारी में कुछ मजा रहा था, नौकर को आवाज दी। वह सराय का मालिक था। उसका नाम ईवान फिदोतिश था और वह कालूगा का एक किसान था। उसने ज़ीमिन के आधे मकान को पट्टे पर लेकर कमरों को किरायेदारों को उठा रखा था। उसकी आवाज सुनते ही अट्ठारह वर्ष का एक दुबला-पतला, तोते-जैसी नाकवाला पीले रंग का नौकर दौड़ा हुआ आया। उसके आते ही नाटे आदमी ने कहा—“वान्या, इन साहबों को मर्दुमशुमारीवालों के पास ले जाओ। वे लोग कुएँ के ऊपरवाले बड़े मकान में हैं, जल्दी जाओ।”

लडके ने अपना तौलिया उतारकर रख दिया और अपनी सफेद कमीज तथा सफेद पतलून\* पर ओवरकोट डाल लिया। इसके अलावा उसने ऊंची वाढ की एक टोपी भी पहन ली और जल्दी-जल्दी पैर बढ़ाता हुआ वह मुझे पिछले दरवाजे से ले गया, जो अपने-आप बंद हो जाता था। वहाके चिकनाई और दुर्गन्ध से परिपूर्ण रसोईघर के दालान में हमें एक बूढ़ी औरत मिली, जो एक चीथड़े में लपेटा हुआ लोमड़ी का बदनदार मास बहुत सम्हालकर ले जा रही थी। दालान से हम लोग ढालू आगन में उतरे, जो चारो ओरसे लकड़ी के मकान से घिरा हुआ था। इस मकान की नीचे की मजिल ईंट की थी। आगन में बहुत ही तेज बदनू थी, जो पाखाने में से आ रही थी। जब-जब मैं उधर से निकला मैंने पाखाने के चारो ओर लोगो की भीड़ ही देखी। सच पूछिए तो लोग पाखाने के भीतर जाकर निवृत्त नहीं होते थे। पाखाना तो एक ऐसे स्थान का सकेत मात्र था जिसके चारो तरफ बैठकर निपटने का लोगो में प्रयास ही पड गई थी। आगन से होकर जाते समय उस ओर बरबस ध्यान खिच जाता था, क्योंकि उधर से आनेवाली दुर्गन्ध से परिपूर्ण तीखे वातावरण में जाते ही दम घुटने लगता था।

वान्या अपनी सफेद पतलून को बचाता हुआ मुझे सावधानी के साथ कूड़े के ढेर के ऊपर से निकालता हुआ एक मकान में ले गया। आगन और गैलरियो में आने-जानेवाले लोग रुककर मुझे देखने लगे। स्पष्टतः उस हिस्से में साफ-सुथरे कपड़े पहने हुए किसी आदमी का आना वहाके लोगो के लिए एक आश्चर्य की बात थी।

लडके ने एक औरत से पूछा—“कुछ पता है कि मर्दुमशुमारी-वाले किघर हैं ?” इसपर कई आदमी एकसाथ बोल उठे। कुछने कहा कि वे कुए पर हैं और कुछने बताया कि वे वहा थे तो, लेकिन अब आगे चले गए हैं। एक बूढ़े आदमी ने बताया कि वे ३० नम्बर

---

\* जिस तरह की सराय की ऊपर चर्चा की गई है उसके वीरे सदा रूसी ढंग के सफेद सूती कोट और पतलून पहने रहते हैं।

के मकान में है । वह आदमी केवल एक कमीज पहने हुए था और पाखाने के पास खड़ा हुआ अपने कपड़े ठीक कर रहा था । वान्या को उसकी बात सबसे सही मालूम पड़ी और वह निचली मजिल के सायबान में से होकर मुझे ३० नम्बर के मकान की ओर अंधेरे में ले चला, जहाँ एक दूसरी ही तरह की दुर्गन्ध आ रही थी । निचले खड पर उतरकर हम दोनों एक अंधेरे कच्चे गलियारे में से होकर चले । अभी हम उस गलियारे में ही थे कि एकाएक एक दरवाजा खुला और उसमें से शराब के नशे में झूमता हुआ एक बूढ़ा निकला । उसने सिर्फ कमीज पहन रखी थी और देखने में वह किसान नहीं मालूम पड़ता था । एक धोविन आस्तीने चड़ाए साबुनभरे हाथों से उसे चिल्ला-चिल्लाकर बाहर ढकेल रही थी । मेरे पथप्रदर्शक वान्या ने उसे एक ओर हटाकर डाटते हुए कहा—“अफसर होकर इस तरह उत्पात मचाना ठीक नहीं ।”

अब हम ३० नम्बर के मकान पर पहुँचे । वान्या ने दरवाजे को धक्का दिया तो वह तडाक से खुल गया और भीतर से साबुन की भाप, सड़े हुए भोजन तथा तमाखू की बड़ी तेज गंध आई । आगे गहन अंधकार था । खिडकियाँ दूसरी ओर थी और इस ओर दाए-वाए लकड़ी के तख्तों का गलियारा था, जिसमें भिन्न-भिन्न कोणों पर छोटे-छोटे दरवाजे लगे हुए थे । ये दरवाजे जिन कमरों में खुलते थे वे सफेदी से पुते हुए लकड़ी के पतले तख्तों से घेरकर बना दिये गए थे । बाईं ओर के एक अंधेरे कमरे में एक औरत नाद में कपड़े धो रही थी । दाहिनी ओर के एक छोटे दरवाजे से एक औरत झाक रही थी । एक दूसरे खुले द्वार के भीतर घने बालोवाला एक लाल मुँह का किसान दिखाई दिया । वह चटाई के जूते पहने दीवार से लगे हुए एक तख्ते पर बैठा था । यही तख्ता उसके लिए पलंग का भी काम देता था । वह अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखे हुए था और पैरों को हिलाता हुआ, उदास आँखों से चटाई के जूतों को निहार रहा था ।

गलियारे के अंत में एक छोटा-सा दरवाजा था । जिस कमरे में यह दरवाजा खुलता था उसीमें मर्दमशुमारीवाले बैठे काम कर रहे थे ।

यह कमरा ३० नम्बर के मकान की मालकिन का कमरा था। उसने सारा-का-सारा मकान ईवान फिडोतिश से किराए पर ले रखा था और उसके कमरो को स्थायी किरायेदारो को या ऐसे लोगो को उठा रखा था जो वहा रात को आकर सोते भर थे।

इसी छोटे-से कमरे में, राग के पत्तर से बनी हुई एक मूर्ति के नीचे एक विद्यार्थी मर्दुमशुमारी के कांड लिये बैठा था और कमीज और जाकट पहने हुए एक किसान से मजिस्ट्रेट की भांति प्रश्न पूछ रहा था। किसान गृह-स्वामिनी का मित्र था और उसकी ओर से विद्यार्थी के प्रश्नो का उत्तर दे रहा था। वह बूढ़ी स्त्री भी वही बैठी थी ओर दो उत्सुक किरायेदार भी आ डटे थे। जब मैं कमरे में घुसा तब वह ठसाठस भरा हुआ था और मैं मुश्किल से भिर्चाभिचाकर मेज के पास तक पहुँचा। विद्यार्थी ने मुझे नमस्कार किया और इसके बाद वह फिर प्रश्न पूछने में लग गया। मैं भी अपने उद्देश्य को दृष्टि में रखकर वहा के रहनेवाले किरायेदारो का अध्ययन करने लगा और बीच-बीच में उनसे आवश्यक पूछताछ भी करता रहा।

किंतु सयोगवश इस पहले मकान में मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसपर मैं अपनी परोपकारिता बरसा सकता। यो तो अपने आलीशान मकान की तुलना में मुझे वह घर दरिद्रतापूर्ण, छोटा और गदा प्रतीत हुआ, लेकिन उसकी मालकिन शहरी गरीबो की अपेक्षा अधिक सम्पन्न थी और गावो की गरीबी की तुलना में तो मैं यहा तक कह सकता हूँ कि वह शान के साथ रह रही थी। उसके पास परोवाला बिछौना, रुई की रजाई, एक समोवर, एक गरमकोट और चीनी के बर्तनो से भरी एक आलमारी थी। उसका मित्र भी देखने में वैसा ही सुसम्पन्न मालूम होता था। उसके पास तो एक घड़ी और चेन भी थी।

किरायेदार निस्सदेह निर्धन थे, किंतु उनमें से किसीको भी तत्काल सहायता की आवश्यकता नहीं थी। केवल तीन आदमियो ने सहायता के लिए प्रार्थना की, एक तो नाद में कपड़े धोनेवाली स्त्री ने, जिसे उसके पति ने छोड़ दिया था और जिसे अपने बच्चो का पालन-पोषण करना पडता था; दूसरे, एक बुडिया विधवा ने जिसने बतलाया कि

उसे रोटी-पानी का कोई सहारा नहीं है और तीसरे, चटाई का जूता पहने हुए किसान ने जिसने बताया कि उस दिन उसे खाने को अन्न का एक दाना भी मयस्सर नहीं हुआ। किंतु पूछताछ करने पर पता चला कि इनमें से एक को भी सहायता की विशेष आवश्यकता नहीं थी और उनकी सहायता करने के लिए यह आवश्यक था कि उनके सम्बन्ध में ठीक से जानकारी प्राप्त कर ली जाय।

जिस स्त्री का पति छोड़कर चला गया था उसके बच्चों को जब मैंने बाल-आश्रम में भरती करा देने का प्रस्ताव किया तब वह किंकर्तव्य-विमूढ़-सी हो गई, उसने कुछ विचार किया और मझे बहुत-बहुत धन्यवाद भी दिया; किंतु यह बात विलकुल स्पष्ट थी कि वह इस प्रकार की सहायता नहीं चाहती थी और रुपए-पैसे की मदद ही उसे अधिक प्रिय हो सकती थी। उसकी बड़ी लडकी कपड़े धोने में उसका हाथ बटाया करती थी और छोटी लडकी बच्चे की देखभाल किया करती थी। हा, बुढ़िया ने अलवत्ता गिडगिडाकर अनाथालय में भरती किये जाने की प्रार्थना की; परन्तु जब मैंने उसके रहने के कमरे को देखा तो मुझे पता चला कि वह सर्वथा दरिद्र नहीं है। उसके पास सामान से भरा हुआ एक छोटा-सा ट्रक था। इसके अलावा उसके पास टीन की टोटीवाली एक चायदानी, दो प्याले और कुछ मिठाई के डिब्बे थे जिनमें अब चाय और चीनी रखी थी। वह मोजे और दस्ताने बुना करती थी और एक दयालु महिला से उसे कुछ मासिक सहायता भी मिलती थी। जहां तक किसान का सवाल था, उसे खाने नहीं बल्कि पीने के लिए कुछ चाहिए था और इसमें सदेह नहीं कि उसे जो-कुछ दिया जाता वह कलाल की सड़कची में ही पहुंच जाता।

इस प्रकार मैंने देखा कि उस मकान में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे मैं रुपया देकर सुखी बना सकता था, यद्यपि मैंने कल्पना की थी कि वहा इस प्रकार के लोगो की बहुलता होगी। मुझे वहाके प्रत्येक व्यक्ति की निर्धनता सदिग्ध मालूम पडी।

मैंने बुढ़िया, बच्चोवाली स्त्री और किसान का नाम नोट कर लिया और निश्चय किया कि विशेष अभागो की सहायता कर लेने के बाद

(जिनकी मुझे उस मकान में मिलने की आशा थी) इनके लिए कुछ-न-कुछ अवश्य करना होगा। मैंने यह भी निश्चय किया कि जो सहायता दी जाय उसका कोई निश्चित क्रम हो; अर्थात् पहले उन लोगों को सहायता दी जाय जो सबसे अधिक दुखी हैं और बाद में उन लोगों को जिनके नाम मैंने नोट किये थे।

किन्तु मैं जहा-जहा भी गया वहा-वहा मैंने ऐसी ही स्थिति देखी। सब लोग एक ही प्रकार के थे—ऐसे लोग जिन्हें सहायता देने से पहले उनकी स्थिति का अधिक ध्यानपूर्वक अध्ययन करना आवश्यक था। मुझे एक भी ऐसा दुखिया नहीं मिला जिसे केवल आर्थिक सहायता देकर सुखी बनाया जा सकता था। यह स्वीकार करते हुए मुझे लज्जा आती है कि उन मकानों में मैंने जिस प्रकार के पीड़ितों को देखने की आशा की थी वैसे लोगों को वहा न पाकर मुझे निराशा होने लगी। मैंने सोचा था कि भले वहा बिलकुल ही असाधारण व्यक्ति मिलेंगे; किन्तु सारे मकानों में चक्कर लगा चुकने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि वहा के रहनेवालों में कोई विशेषता नहीं थी, वे भी वैसे ही थे जैसे हमारे आसपास के लोग होते हैं। हमारी ही तरह उनमें भी भले, बुरे, सुखी और दुखी सब तरह के लोग थे—कुछ ज्यादा और कुछ कम—और जो लोग दुखी थे वे बिलकुल वैसे ही दुखी थे जैसे हमारे बीच होते हैं। उनका दुख किन्हीं बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं था; बल्कि वे स्वयं अपने दुख का कारण थे और उनकी दुर्दशा को रूपों से दूर करना असम्भव था।

: ६ :

तो यह सब भ्रम था !

इन मकानों में शहर की सबसे निम्न श्रेणी के लोग रहते थे, जिनकी सख्या मास्को में शायद एक लाख से कुछ ऊपर होगी। ३० नम्बर के मकान में तो इस श्रेणी के सभी तरह के लोग थे—छोटे व्यापारी,

कारीगर, चमार, ब्रुश बनानेवाले, बढई, फर्नीचर बनानेवाले, मोची, दर्जी, लुहार, गाडीवान, स्वतंत्र धधा करनेवाले, दूकान करनेवाली औरते, धोविने, पुराने कपडो का धधा करनेवाले, छोटे-छोटे महाजन, मजदूर, बिना कोई निश्चित पेशेवाले लोग, भिखारी और बेरियाए ।

ल्यापिन अनाथालय के दरवाजे पर मैंने जिन लोगों को देखा था उन्हीमे से बहुत-से स्त्री-पुरुष इस मकान मे मौजूद थे; किंतु यहा वे मजदूरो मे घुलमिल गए थे । इसके अतिरिक्त पहले तो मैंने उन्हे उनकी दीनतम अवस्था में देखा था, जबकि उन्होने अपने पास की कौडी-कौडी खाने-पीने मे उडा दी था और सरायो से निकाल दिये जाने के कारण वे निशुल्क रात्रि-गृह मे प्रवेश पाने के लिए इस प्रकार नगे और ठिठुरते हुए प्रतीक्षा कर रहे थे जिस प्रकार कोई देवता के प्रसाद की करता है । उस समय उन्हे इस बात की आशा थी कि वे रात्रि-गृह से जेल भेज दिये जायंगे और फिर पुलिस के पहरे मे अपने-अपने गांव वापस पहुचा दिये जायंगे । इसके विपरीत, यहा मैंने देखा कि वे बहुत-से मजदूरो के साथ हिलमिल कर रह रहे हैं और अपनी-अपनी कोठरी का किराया देने के लिए उन्होने किसी-न-किसी तरह चार-पाच कोपेक प्राप्त कर लिये हैं और शायद खाने-पीने के लिए उनकी जेब मे कुछ रुबल भी है ।

बात तो कुछ अजीब-सी है, लेकिन मैं सच कहता हू कि ३० नम्बर के लोगो को देखकर मेरे मन मे वैसी भावना नही उठी जैसी ल्यापिन-अनाथालय मे उठी थी । इसके विपरीत, पहले चक्कर के बाद ही मुझे और मेरे साथ काम करनेवाले विद्यार्थियो को एक 'सुख की-सी' अनुभूति हुई । 'सुख की-सी' ही क्या ? ऐसा कहना तो गलत होगा । मैं समझता हू कि 'बहुत सुखकर' कहना ज्यादा सही होगा ।

३० नम्बर के मकान मे रहनेवालो को देखकर मेरे मन पर जो पहली छाप पडी वह यह थी कि उनमे से अधिकाश श्रमजीवी हैं और उनका स्वभाव बहुत अच्छा है । अधिकतर लोग अपने-अपने काम मे लगे हुए थे—धोविने अपनी नादो पर, बढई अपनी बेचो पर और मोची अपने स्टूलो पर । तग कमरे लोगो से भरे हुए थे और उनमे

हमी-बुगी और फुर्नी के साथ काम हो रहा था। मजदूरों के पाम पमीने की, मोचियों के पाम चमडे की ओर बढडयो के पास लकडी के छोल की दुर्गन्ध आ रही थी। रह-रहकर गाने की आवाज आती थी और नगी बलवान् भुजाए तेजी व कुगलता के साथ खटाखट काम करती दिखाई देती थी। हम जहा भी गए लोगो ने हमारा प्रसन्नता और सहृदयता के साथ स्वागत किया। इतना ही नहीं, हमने देखा कि हमारे जाने के कारण जिन लोगों की दैनिक दिनचर्या में बाधा पडी उनमें मिथ्याडम्बर या रूखे-सूखे उत्तर देने की वह भावना उत्पन्न नहीं हुई जोकि अधिकांश घनी परिवारों में मर्दुमगुमारीवालो के आने पर हो जाती है। इसके विपरीत, इन लोगों ने हमारे प्रश्नों को कोई विशेष महत्त्व न देते हुए उचित रूप से उत्तर दिये। मच पूछिए तो उन्हें यह देखने मे बडा मजा आया कि मर्दुमगुमारी का फार्म किस तरह भरा जाता है, किस एक मनुष्य को दो के बराबर और किन दो मनुष्यों को एक के बराबर माना जाता है, इत्यादि।

बहुतों को हमने भोजन करते या चाय पीते पाया और जब हमने 'रोटी और नमक' या 'चाय और चीनी'\* कहकर उन्हें नमस्कार किया तो प्रायः सभीने यही उत्तर दिया—“आइये आप भी हमारा माय दीजिए”, और कुछने तो खिसककर हमारे बैठने के लिए जगह भी खाली कर दी। हम समझते थे कि यह मकान सिर्फ खानाबदोशों का डेरा होगा; लेकिन यहा हमें कितने ही ऐसे कमरे मिले जिनमें किरायेदार बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे। एक बढई अपने कारीगरो के माय और एक मोची अपने सहकारियों के साथ यहा दस वर्ष से रह रहा था। मोची की कोठरी बडी गरी थी और वह सामान तथा आदमियों से अटी पडी थी, फिर भी वहा जितने लोग काम कर रहे थे वे सबके सब खुश थे। उनमें से एक मजदूर से मैंने यह सोचकर बातचीत की कि वह अपनी दुर्दशा का बखान करेगा और बतला-

---

\* रूस में भोजन करते समय ग्रामीणों से ऐसे ही नमस्कार करने की प्रथा है ।



यगा कि मालिक का कर्जदार होने के कारण उसे कैसी-कैसी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, किंतु मेरी बातें उसकी समझ में नहीं आईं और उसने अपने स्वामी तथा अपने जीवन दोनों के प्रति सतोष प्रकट किया।

एक कोठरी में एक बूढ़ा आदमी अपनी बूढ़ी स्त्री के साथ रहता था। वे दोनों सेव बेचा करते थे। सामान से भरी रहने पर भी उनकी कोठरी गरम और साफ थी। फर्श पर पुआल के बोरे बिछे थे, जो वे सेव के थोक व्यापारियों के यहाँ से लाए थे। कोठरी में ट्रक, आलमारिया, एक समोवर और चीनी के बर्तन थे। एक कोने में कितनी ही मूर्तियाँ थीं जिनके ऊपर दो छोटे-छोटे लैम्प जल रहे थे। दीवार पर चादर में लिपटे हुए गरम ओवरकोट लटक रहे थे। बुढ़िया के चेहरे पर तारे की शकल की झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं। वह सहृदय और बातूनी थी और अपने शांत व्यवस्थित जीवन से सन्तुष्ट दिखलाई देती थी।

सराय और इन कोठरियों का मालिक ईवान फिदोतिश सराय से उठकर आया और हमारे साथ ही लिया। उसने कितने ही किरायेदारों के साथ विनोदपूर्वक बातें की, घनिष्ठता से उनका नाम लेकर पुकारा और हमको हरेक का संक्षिप्त जीवन-वृत्तान्त भी सुनाया। वे सब साधारण श्रेणी के लोग थे; पर अपने को अभाग्य न समझकर दूसरों के समान ही समझते थे और वस्तुतः वे भी ऐसे ही।

हम लोग इस बात के लिए तैयार होकर आए थे कि यहाँ हमें केवल दयनीय और घृणित दृश्य दिखाई देंगे, किन्तु आशा के विपरीत कुछ ऐसी अच्छी चीजें देखने को मिलीं जिनके प्रति हमारे मन में अनायास ही आदर की भावना जागृत हो गई। भले आदमियों की संख्या यहाँ इतनी अधिक थी कि उनके बीच-बिचा जीर्ण-शीर्ण, पतित और काहिल व्यक्तियों के रहने पर भी हमारे हृदय पर वहाँ की स्थिति के सम्बंध में जो छाप लग चुकी थी वह मिट नहीं पाई।

इन बातों का जितना प्रभाव मुझपर पड़ा उतना विद्यार्थियों पर नहीं। वे तो वहाँ एक ऐसा कार्य करने आए थे जिसका उनकी दृष्टि में वैज्ञानिक मूल्य था, वे तो बस बीच-बीच में योही चलते-फिरते कुछ टीका-टिप्पणी

कर लेते थे। परंतु एक परोपकारी होने के नाते मैं उन बभागे, मरफोन्सुल और पतित व्यक्तियों की सहायता करने आया था, जिनके वहां मिलने की मुझे आशा थी। लेकिन ऐसे लोगों की बजाय मुझे वहां अविद्वतः शांत-मनुष्ट, प्रसन्न, सहृदय और अत्यन्त परिश्रमी लोग ही मिले।

इसका पूरा-पूरा अनुभव मुझे तब हुआ जब इन म्कारों ने मुझे मच-मच ही कुछ ऐसे दीन-हीन लोग मिले जैसों की मैं सहायता करना चाहता था। किन्तु जब-जब मुझे ऐसे लोगों की पता लगा तभी-तभी यह भी मालूम हुआ कि इनकी आवश्यकताएं पहले ही पूर्ण की जा चुकी हैं और जो सहायता मैं देना चाहता हूँ वह मेरे जाने में पूर्व ही इन्हें प्राप्त हो चुकी है। जानते हैं, यह सहायता किन्ने दी थी? उन्ही बभागों और पतितों ने जिनका मैं उद्धार करने चला था। इतना ही नहीं! यह सहायता उन्हें जितने अच्छे ढंग से दी गई थी, उनसे अच्छे ढंग से मैं नहीं दे सकता था।

तहवाने की एक कोठरी में एक बड़ा टाइफ़ाइड-ज्वर से पीड़ित अन्धेला पड़ा था। उसका अपना कोई सगा-सम्बन्धी नहीं था। एक विषदा पड़ोसिन, जो उसी कोठरी के एक दूसरे कोने में रहती थी और जिसके एक छोटी-नी लड़की थी, उन बृद्ध से बिलकुल अपरिचित होती हुई भी उसकी देख-भाल कर रही थी। वह उसे अपने पाम से चाय पिलानी और अपने ही पैसों से उनके लिए दवा लाती। एक दूसरे कमरे में एक स्त्री प्रमूति-ज्वर से पीड़ित थी और उसके बच्चे को वैश्यावृत्तिवाली एक गहरी स्त्री खेला रही थी। चौथड़े को लपेटकर उसने उसके लिए चुत्तनी तैयार कर ली थी और दो दिन से वह अपने पेगों पर नहीं गई थी। इन्हीं तरह एक दर्जों ने, जिसके अपने तीन बच्चे थे एक अनाथ लड़की को आश्रय दे रखा था।

अब रहे वहां के अभागे काहिल—जैसे कारकुन, नकलनबीर, बेकार चपरानी, मिस्सारी, शरादी, वैश्याएं और बालक। इन्हें तत्काल सहायता देना अत्यन्तव था। यह आवश्यक था कि इनके विषय में पूरी पड़ताल की जाय और फिर इनकी स्थिति पर विचार कर इन्हें काम पर लगाया जाय। मैं ऐसे दीन-दुखियों की तलाश में था जिनकी दुईहा का

कारण दरिद्रता हो और जिन्हें हम अपने फालतू धन का कुछ अंश देकर सहायता पहुंचा सके; परन्तु दुर्भाग्यवश—मैं तो इसे दुर्भाग्य ही समझता था—मुझे वहां एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला। मुझे तो केवल ऐसे दुखिए मिले जिनके सम्बन्ध में अधिक समय और सावधानी की आवश्यकता थी।

: ७ :

## कुलीन कंगाल

जिन अभागों के नाम मैंने नोट किये थे वे मेरी समझ में स्वभावतः तीन श्रेणियों में बांटे जा सकते थे। पहली श्रेणी उन लोगों की थी जो अपनी अच्छी नोकरिया खों बैठे थे और उन्हें फिर से प्राप्त करने की प्रतीक्षा में थे। इस श्रेणी में उच्च और निम्न दोनों वर्गों के लोग थे। दूसरी श्रेणी वेश्याओं की थी जिनकी बहुलता थी और तीसरी श्रेणी बच्चों की थी। मुझे सबसे अधिक पहली श्रेणी के ही लोग मिले और उनके नाम मैंने अपनी नोटबुक में लिख लिये। इस श्रेणी के लोग बहुत बड़ी संख्या में थे। सरकारी कर्मचारी और सम्भ्रान्त घरानेवाले तो विशेष रूप से अधिक थे। ईवान फिशोतिश के साथ हम जिस-जिस कमरे में गए, प्रायः सभी जगह उसने हमसे यही कहा—“यहां आपको किराये-दागों की सूची स्वयं नहीं भरनी पड़ेगी। यहाँ फला आदमी है जो यह काम कर सकता है, वरतों कि उसने आज भी न रखी हो।”

यह कहने के बाद ईवान फिशोतिश उस आदमी का नाम लेकर पुकारना और फिर मकान के किसी अंदरे कोने से अर्द्धनग्न अवस्था में और प्रायः पिये हुए ही कोई ऐसा आदमी निकलता जो पहले या तो धनवान था या किसी अच्छे पद का सरकारी कर्मचारी। यदि वह पिये हुए न होता तो सहर्ष काम करने को तैयार हो जाता। अपनी महत्ता का अनुभव करते हुए वह गर्वपूर्वक सिर हिलाकर स्त्रीकृति की सूचना देता और भौंहे सिकोडकर बातचीत में विद्वत्तापूर्ण शब्दों का प्रयोग करता। अपने कापते हुए गंदे हाथों में मर्दुमशुमारी के छपे हुए साफ लाल कार्ड को सावधानी

से पकड़ते हुए वह अपने साथ रहनेवालों की ओर गर्व और घृणा की दृष्टि से देखता, मानो जो लोग अक्सर उसका अनादर किया करते थे उनपर उसे अपनी उच्च शिक्षा के प्रताप से विजय मिल गई हो। यह साफ मालूम पड़ता था कि जिस दुनिया में लाल कांड छपते हैं और जिममें पहले वह स्वयं रह चुका था, उसके सम्पर्क में आकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई है। जब कभी मैं उससे उसके जीवन के विषय में कोई प्रश्न पूछता तो वह केवल तत्परता नहीं बल्कि उत्साह के साथ अपनी विपदाओं की कथा सुनाने लगता, मानो वह कथा उसे भजन की तरह कठाय हो गई हो। विशेषरूप से वह अपने उप-पूर्व पद का उल्लेख करता जो वह समझता था कि उसकी शिक्षा-सम्बन्धी योग्यता के कारण उसे ही मिलना चाहिए।

रज्जानोफ-भवन के कोने-कोने में इमी तरह के लोग बहुत बड़ी संख्या में फैले पड़े थे। एक खंड तो पूरा-का-पूरा ऐसे ही स्त्री-पुरुषों से भरा हुआ था। जब हम वहां पहुँचे तो ईवान फिदोतिश ने कहा—“देखिए, यहाँ कुलीन लोग रहते हैं।” वह खंड विलकुल भरा हुआ था और उस समय प्रायः सभी किरायेदार, जिनकी सत्या लगभग बालीस के थी, अपने-अपने कमरे में ही थे। सारे रज्जानोफ भवन में इनसे अधिक पतित और दुखी और कोई नहीं था। बूढ़ों के शरीर पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं और युवक रूखे तथा पीले दिखाई पड़ते थे। मैंने उनमें से कुछ लोगों से बातचीत की। सबकी लगभग एक-सी कहानी थी। अंतर केवल विकास-क्रम में था, अर्थात् किसीकी कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी थी और किसीकी अभी आरम्भ ही हुई थी।

ये सब-के-सब या तो कभी स्वयं धनवान थे या इनके बाप, भाई, चाचा, ताऊ पर कभी लक्ष्मी की कृपा थी। इसी तरह कभी या तो ये स्वयं या इनके पिता किसी अच्छे पद पर प्रतिष्ठित थे। बाद में ये किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति, या अपने ही अदूरदर्शितापूर्ण सरल स्वभाव, या किसी आकस्मिक घटना के कारण विपत्ति में फँस गए और अब सर्वस्व गवा चुकने पर इन्हें इस प्रकार अनुपयुक्त तथा घृणास्पद वातावरण में शराबियों और दुराचारियों के बीच गंदे चीथड़े पहनकर रहना पड़ रहा था। इतना ही नहीं, इन्हें बँल के मास और रोटी से पेट पालकर शिक्षा के लिए भी हाथ

फैलाना पड़ता था। इन लोगों की सारी भावनाएँ, सारी इच्छाएँ, सारी स्मृतियाँ अतीत में ही निहित थीं। वर्तमान इन्हें अस्वाभाविक, घृणास्पद और उपेक्षणीय मालूम होता था। सच पूछिए तो इनका कोई वर्तमान था ही नहीं। इनके पास थी केवल अतीत की स्मृतियाँ और भविष्य की आशाएँ, जो उनकी समझ में किसी समय भी पूर्ण हो सकती थीं और जिनकी पूर्ति के लिए बहुत ही कम प्रयास की आवश्यकता थी। किन्तु यह अल्प प्रयास भी उनकी क्षमता से बाहर था, इसलिए उनका जीवन व्यर्थ ही नष्ट हो रहा था। इस दुर्दशा में रहते-रहते किसीको एक, किसीको पाँच और किसीको तीस वर्ष हो गए थे। उनमें से किसी एक की तो धारणा यह थी कि उसे बस अच्छी पोशाक भर की कमी है, वह अगर मिल जाय तो उसे पहनकर वह एक ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति से मिलने चला जाय जो उसपर कृपा करने के लिए तैयार था। किसी दूसरे को केवल इस बात की आवश्यकता प्रतीत होती थी कि उसे पहनने को कपड़े मिल जाय और वह अपना थोड़ा बहुत कर्ज उतारकर ओरेल नगर चला जाय। इसी तरह कोई तीसरा केवल यह चाहता था कि उसकी गिरवी रखी हुई चीजे छूट जाय और उसे थोड़े से रुपए मिल जाय ताकि उनकी सहायता से वह अपना वह मुकदमा लड़ सके जिसमें उसकी जीत निश्चित थी और जिसके बाद उसकी स्थिति फिर अच्छी हो सकती थी। सब यही कहते थे कि यदि उन्हें थोड़ी-सी बाहरी सहायता मिल जाय तो वे उस स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेंगे जिसे वे अपने लिए स्वाभाविक और सुखकर समझते थे।

यदि दानवीरता के मद ने मेरी आँखों पर परदा न डाल दिया होता तो मैं इन साधारणतः दुर्बल और विलासी किन्तु अच्छे स्वाभाववाले वृद्धों और तरुणों के मुखों की ओर थोड़ा-सा देखकर ही समझ जाता कि इनकी दुर्दशा बाहरी युक्तियों द्वारा दूर नहीं की जा सकती और जबतक इनके जीवन-सम्बन्धी विचारों में परिवर्तन नहीं किया जायगा तबतक ये किसी अवस्था में भी सुखी नहीं रह सकेंगे। साथ-ही-साथ मैं यह भी समझ जाता कि दुर्भाग्य का पहाड़ विशेष रूप से इन्हींके ऊपर नहीं टूटा है, बल्कि ये भी वैसे ही व्यक्ति हैं जैसे हमारे चारों तरफ रहते हैं या जैसे हम स्वयं हैं।

मुझे याद है कि इस प्रकार के दुखियों के संसर्ग में आना मुझे विशेष रूप से कष्टकर मालूम होता था और अब मैं समझ गया हू कि ऐसा क्यों होता था। शीशे की तरह उनके अदर मुझे अपना ही रूप दिखाई देता था। यदि मैंने स्वयं अपने और अपनी श्रेणी के लोगों के जीवन पर विचार किया होता तो मुझे पता चल जाता कि हममें और इनमें कोई तात्विक अन्तर नहीं है।

आज यदि मेरे आसपास के लोग रज्जानोफ-भवन में न रहकर अच्छी-से-अच्छी सबको पर बड़े-बड़े कमरों और मकानों में रहते हैं और यदि वे साधारण मास-रोटी के बदले स्वादिष्ट भोजन और पान करते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि वे अभागे नहीं हैं। वे लोग भी अपनी स्थिति से असंतुष्ट हैं, वे लोग भी अतीत के लिए आसू बहाते हैं और सुन्दर भविष्य का सपना देखते हैं। अपने लिए वे भी वैसे ही उत्तमतर पद चाहते हैं जैसे रज्जानोफ-भवन के निवासी चाहते हैं, अर्थात् वे भी ऐसा ही पद चाहते हैं जिसपर रहकर उन्हें स्वयं तो कम काम करना पड़े और दूसरों से वे अपने लिए अधिक काम करा सकें। भेद केवल मात्रा का है।

यदि मैंने गम्भीरतापूर्वक विचार किया होता तो यह बात मेरी समझ में उसी समय आ गई होती, किन्तु ऐसा करने के वजाय मैंने उन दुखियों से केवल प्रश्न पूछे और उनके नाम नोट कर लिये, ताकि उनकी स्थिति और आवश्यकताओं का पूरा पता लगाकर बाद में मैं उनकी सहायता कर सकूँ। उस समय यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि ऐसे लोगों की सहायता केवल उनके जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोण में परिवर्तन करके ही की जा सकती है और किसी दूसरे के जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोण को बदलने के लिए यह आवश्यक है कि स्वयं हमारे जीवन का दृष्टिकोण उनकी अपेक्षा ऊँचा हो और उसी दृष्टिकोण के अनुसार हम जीवन-निर्वाह भी करें। किन्तु मैंने देखा कि जिस दृष्टिकोण को सामने रखकर मैं जीवन-यापन कर रहा था, स्वयं उसमें ही परिवर्तन की आवश्यकता थी और उसे बदलने के बाद ही दूसरों को उनके दुर्भाग्य से मुक्त किया जा सकता था।

यदि मैं लाक्षणिक भाषा का प्रयोग करूँ तो कह सकता हू कि उस समय मुझे यह पता नहीं चला कि जिन अभागों को मैंने देखा था

उनके दुःख का कारण यह नहीं है कि उन्हें पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, बल्कि यह कि उनकी पाचन-शक्ति में विकार उत्पन्न हो गया है और वे जिस भोजन की माग कर रहे हैं वह पुष्टिकर नहीं, बल्कि केवल भूख को उत्तेजित करनेवाला है। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि उनको भोजन की नहीं, बल्कि पाचन-विकार को दूर करनेवाली ओषधि की आवश्यकता है। वैसे तो यह बात आगे आयगी, फिर भी यहां इतना तो बता ही दू कि मैंने जितने भी लोगों के नाम लिखे थे उनमें से एककी भी मैंने वास्तविक सहायता नहीं की, हालांकि उन लोगों ने जो-कुछ मागा—और जिसके मिल जाने से ऐसा लगता था कि वे स्वयं अपने पैरो पर खड़े हो जायेंगे—वह उनमें से कुछको मिल गया। इनमें से तीन को मैं विशेष रूप से अच्छी तरह जानता हू। बार-बार सहायता देने पर भी इन तीनों की आज वही दशा है जो तीन वर्ष पहले थी।

: ८ :

## बेचारी वेश्याएं

अभागों की दूसरी श्रेणी में वेश्याएँ थीं। मुझे आशा थी कि बाद में मैं इनकी भी सहायता कर सकूंगा। रज्जानोफ-भवन में इनकी भरमार थी और ये हर तरह की थीं—युवावस्था में ही प्रौढा-सी दिखाई देनेवाली लड़कियों से लेकर उन भयंकर कुरूपता बुद्धियों तक जिनमें मनुष्य होने का कोई लक्षण ही शेष नहीं रह गया था। पहले इनकी ओर मैंने ध्यान नहीं दिया था, किन्तु निम्नलिखित घटना ने मेरे हृदय में यह आशा उत्पन्न कर दी कि कदाचित् मैं इनकी कुछ सहायता कर सकूँ।

यह घटना रज्जानोफ-भवन का चक्कर लगाते समय घटी। उस समय तक हम अपने काम की एक नियमित योजना बना चुके थे।

हर नए मकान में घुसते ही हम पहले उसके मालिक के बारे में पूछते थे। इसके बाद हममें से एक आदमी लिखने के लिए जगह

साफ कर बैठ जाता था और दूसरा आदमी मकान के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर प्रत्येक व्यक्ति से अलग-अलग प्रश्न पूछता था और फिर आकर सारी बातें लेखक को बता देता था।

इस तरह काम करते हुए जब हम सबसे नीचे के खड के एक कमरे में पहुँचे तब एक विद्यार्थी मालिक का पता लगाने चला गया और मैं उस कमरे के रहनेवाले से बातचीत करने लगा। वहा रहने की व्यवस्था इस प्रकार की गई थी—उस चौदह वर्गफुट चौकोर कमरे के बीचोबीच एक ईंट की अगीठी बनी हुई थी। इस अगीठी के पास से चार परदे एक सितारे के रूप में खिंचे हुए थे, जिनसे कमरे के चार अलग-अलग खड बन गए थे। पहले खड में से रास्ता था। उसमें चार खार्टे पड़ी थी और वहा एक बूढा एक औरत के साथ बैठा था। वहा से एक लम्बा-सा खड सीधा चला गया था, जिसमे मकान-मालिक रहता था। यह मकान-मालिक एक नवयुवक था, जिसका रंग बहुत पीला पड गया था और जिसने एक सम्भ्रात पुरुष की भाँति भूरे रंग का कोट पहन रखा था। पहले खड की बाईं ओर एक और खड था, जिसमे एक आदमी सोया हुआ था (शायद वह पिये हुए था)। उसके पास ही एक औरत बैठी हुई थी, जिसकी गुलाबी रंग की ब्लाउज आगे से ढीली और पीछे से कसी हुई थी। चौथा खड परदे के पीछे था और उसका रास्ता मकान-मालिक के खड से होकर था।

विद्यार्थी मकान-मालिक के खड में चला गया और मैं पहले में रुककर बूढे आदमी और स्त्री से बातें करने लगा। बूढा पहले छपाई का काम करता था; लेकिन अब उसके पास पेट पालने का कोई साधन नहीं रह गया था। स्त्री किसी बावर्ची की पत्नी थी।

तीसरे खड में जाकर मैंने ब्लाउज पहने हुए औरत से सोनेवाले आदमी के बारे में पूछा। उसने बतलाया कि यह एक आगतुक है। इसपर मैंने उससे सवाल किया—“तुम कौन हो ?”

“मैं मास्को की रहनेवाली एक किसान स्त्री हूँ,” उत्तर मिला।

“तुम्हारा पेशा क्या है ?” मैंने फिर पूछा।



इसपर वह हस दी और बोली नहीं। यह सोचकर कि शायद वह मेरा सवाल समझी नहीं, मैंने फिर प्रश्न किया—“तुम्हारा गुजारा किस तरह होता है ?”

“मैं सराय में बैठती हूँ,” वह बोली।

मैं उसकी बात नहीं समझा और बोला—“तुम्हारी रोटी का क्या सहारा है ?”

वह फिर कोई उत्तर दिये बिना ही हँस दी। चौथे खड से भी, जहा हम अभी तक नहीं गए थे, औरतो के हसने की आवाज आई।

मकान-मालिक अपनी कोठरी से बाहर आकर हमारे पास खडा हो गया। स्पष्टतः उसने मेरे प्रश्न और स्त्री के उत्तर सुन लिये थे। उसने स्त्री की ओर घूरकर देखा और फिर मुझे सम्बोधित करते हुए कहा—“यह वेश्या है।” साफ मालूम पडता था कि मन-ही-मन उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि वह सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रयोग में लाए जानेवाले ‘वेश्या’ शब्द को जानता है और उसका ठीक से उच्चारण भी कर सकता है। इस बात को कहते-कहते उसके होठों पर अभिमानपूर्ण सतोष की एक अदृश्य-सी मुसकान खेल गई। इसके बाद वह उस स्त्री की ओर घूमा और जैसे ही उसने उससे बोलना आरम्भ किया उसके सारे मुख की मुद्रा बदल गई। एक विचित्र घृणासूचक स्वर में—जैसे कोई कुत्ते को दुत्कारता है—वह उस स्त्री की ओर बिना देखे ही जल्दी-जल्दी बोला—“सराय में बैठती हूँ ! अरी, अगर सराय में बैठती है तो साफ-साफ कहती क्यों नहीं कि वेश्या है ?” उसने इस शब्द का एक बार फिर प्रयोग किया और मुझसे कहा—“देखिए न, इसे यही पता नहीं कि अपने को क्या कहे।”

उसकी बातचीत के ढग पर मुझे बडा क्रोध आया और मैं बोला—“इसे लज्जित करने का हमें कोई अधिकार नहीं। अगर हम सब सदाचार के साथ जीवन बितावे तो कोई वेश्या हो ही नहीं।”

“हां, इसका यही उपाय है”—मकान-मालिक ने कृत्रिम हसी हसते हुए कहा।

“हमारा काम इन्हें विककारना नहीं, बल्कि इनपर दया करना है। इममें इनका क्या अपराध ?”

मुझे याद नहीं कि उस समय मैंने क्या-क्या कह डाला; किन्तु इनका जानना हूँ कि स्त्रियों से भरे हुए उस मकान के नवयुवक मालिक के प्रति, उन स्त्रियों को बेध्या कहकर घृणामूत्रक स्वर में वातचीत करने के कारण, मेरे मन में विद्रोह की आग भड़क उठी और उन स्त्रियों के लिए मुझे बड़ी ग्लानि हुई। अपनी यह भावना मैंने वही व्यक्ति भी कर दी और अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि जिन तंड से पहले हूनी की आवाज आई थी वहां चारपाई का काम देनेवाले तलतों की चरचराहट सुनाई दी और परदे के ऊपर ( जो छन तक ऊंचा नहीं था ) चमकते हुए लाल चेहरेवाली एक स्त्री के बिखरे हुए घुंघराले बाल और सूजी हुई छोटी-छोटी आंखें दिखाई दीं। उसके क्षण भर बाद ही एक दूसरी और फिर तीसरी स्त्री का मिर दिखाई पड़ा। माफ मालूम पड़ता था कि तीनों जनी अपनी चारपाइयों पर लड़ी हो गई हैं और गर्दन उचकाए चुपचाप सामं रोककर हमारी ओर ध्यानपूर्वक देख रही हैं।

कुछ देर के लिए भड़ा मझाटा छाया रहा। विद्यार्थी, जो अवनक मुनकरा रहा था, गम्भीर हो गया। मकान-मालिक ने लज्जित होकर आंखें नीची कर ली और औरतें नाच खींचे मेरा मुंह ताकती रही। मुझे अपने तई उनसे भी अधिक लज्जा मालूम हुई। मैंने यह रती भर भी आशा नहीं की थी कि मेरी सावार्ण-सी बात का उनपर इतना प्रभाव पड़ेगा। यह तो ऐसा ही हुआ जैसे किसी देवात्मा के स्पर्श से भ्रमगान में बिखरी हुई हड्डियों में चेतना आ गई हो और वे हिलने-डुलने लगी हो। मेरे मुंह से तो ऐसे ही संयोगवश प्रेम और सहानुभूति का एक शब्द निकल गया था किन्तु उनपर उसका ऐसा प्रभाव पड़ा मानों उनके मृत शरीर पुनर्जीवित होने के लिए उसी शब्द की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे मेरी ओर उत्कंडाभरे नेत्रों से देख रही थीं और इस सोच में थीं कि आगे क्या होगा ! ऐसा लगता था जैसे वे इस प्रतीक्षा में हो कि मैं वे शब्द कहूँ और वे काम करूँ जिनसे मरी हुई हड्डियाँ फिर से एक-दूसरे से

जुड़ जाय उनपर मास चढ़ आय और वे पुन जीवित हो उठें । परतु मैंने अनुभव किया कि जो बात मैं आरम्भ कर चुका था उसे आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास न कोई शब्द था न कोई काम । मेरी अतरात्मा ने कहा कि मैंने झूठ बोला है, मैं स्वयं इन्हीं लोगों के समान हूँ और मेरे पास कुछ और कहने को नहीं है । अतः मैं काडों पर वहा रहनेवालों के नाम और उनके पेशे लिखने लगा ।

इस घटना ने मुझसे एक और नई गलती कराई । मैं यह मान बैठे कि इन अभागों की भी सहायता करना सम्भव है । आत्म-भ्राति के कारण उस समय मुझे ऐसा लगा कि यह कार्य बड़ी सरलता के साथ सम्पन्न हो जायगा । मैंने मन-ही-मन में कहा—“हम इन स्त्रियों के भी नाम लिख ले और बाद में जब सबके नाम लिखे जा चुके तब हम इनकी ओर ध्यान दे ।” उस समय मैंने यह नहीं सोचा कि ‘हम’ शब्द से मेरा क्या मतलब है और उसमें कौन-कौन शामिल है । मैंने सोचा कि हम—वे ही हम, जो कई पीढ़ियों से इन स्त्रियों को कुमार्ग पर ढकेलते आए हैं और अब भी ढकेल रहे हैं—एक दिन अचानक इस भूल को सुधारने का बीड़ा उठा सकेंगे, किंतु यदि उस समय मैंने केवल उस बातचीत को याद भर कर ली होती जो मैंने वीमार स्त्री के बच्चे को खेलानेवाली वेश्या से की थी तो मेरी समझ में आ जाता कि इस काम को हाथ में लेना कितना मूर्खतापूर्ण था !

उस वेश्या को बच्चा खेलते देखकर हम समझते थे कि बच्चा उसीका है । हमारे यह पूछने पर कि तुम कौन हो उसने सहज भाव से बतला दिया—“मैं एक कुलटा हूँ ।” उसने ‘वेश्या’ शब्द नहीं कहा । इस भयकर शब्द का प्रयोग तो केवल उस मकान-मालिक ने किया था ।

यह मानकर कि यह वेश्या बच्चेवाली है, मेरे मन में उसे पंख से निकालने का विचार आया और मैंने उससे पूछा—

“क्या यह बच्चा तुम्हारा है ?

“नहीं, यह इस औरत का है ।”

“तो फिर तुम इसे क्यों खेला रही हो ?”

“उसने मुझसे कहा है । वह मर रही है ।”

अपनी मान्यता के अशुद्ध सिद्ध होने पर भी मैं उस स्त्री से उसी दृष्टिकोण से बात करता रहा। मैंने उससे पूछा—“तू कौन है और इस स्थिति में कैसे फस गई?” उसने सहज भाव से सहर्ष अपनी सारी कहानी कह सुनाई। उसका जन्म मास्को में हुआ था और वह एक फैक्टरी के मजदूर की लड़की थी। जब उसके मा-बाप उसको अनाथ छोड़कर मर गए तो उसकी चाची ने (जिसका अब देहात हो गया था) उसे पाला-पोसा। अपनी इसी चाची के पास रहते हुए उसने सरायों में जाना शुरू किया। जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम अपना यह जीवन बदलना पसंद करोगी तो स्पष्टतः उसे मेरे इस प्रश्न में दिलचस्पी तक नहीं हुई। एक सर्वथा असम्भव प्रस्ताव भला किसीको कैसे आकर्षित कर सकता था? उसने मुह बनाकर कहा—“लेकिन इस पीले टिकट-वाली\* को रखेगा कौन?”

“मान लो कि हम तुम्हें कहीं रसोई बनाने का काम दिलवा दें”, मैंने प्रस्ताव किया। यह विचार मेरे मन में इसलिए उठा कि रसोई-दारिनो की तरह वह भी सन-जैसे वालोवाली एक तकड़ी औरत थी और उसके गोल-मटोल चेहरे पर सहृदयता झलकती थी। मेरी बात उसे पसंद नहीं आई और वह बोली—“रसोई बनाने का काम। लेकिन मैं रोटी सेंकना तो जानती ही नहीं।” यह कहकर वह हसने लगी। उसकी दलील तो यही थी कि वह रसोईदारिन बन नहीं सकती, किन्तु मैं उसकी मुखाकृति को देखकर समझ गया कि वह रसोईदारिन बनना चाहती नहीं और इस काम और पेशे को घृणा की दृष्टि से देखती है।

यह स्त्री, जिसने वाइविल में उल्लिखित विववा की भांति अपने बीमार पड़ोसी की सेवा में अपना सर्वस्व लगा दिया था, अपने पेशेवाली अन्य स्त्रियों की भांति मेहनत-मजदूरी के काम को हीन और घृणित समझती थी। उसका तो लालन-पालन ही इस ढंग से हुआ था कि उसे अपने जीवन में मेहनत-मजदूरी न करनी पड़े और उसका यह जीवन

---

\* रूस में वैश्याओं की रजिस्ट्री करके उन्हें पीला टिकट दिया जाता था।

उसके पासवालो की दृष्टि में बिलकुल स्वाभाविक था। वस्तुतः यही उसका दुर्भाग्य था और इसी दुर्भाग्य के कारण उसकी यह दुर्दशा हुई थी और अब भी वह उसीमें पड़ी हुई थी। इसीके कारण वह सरायो में बैठी और अब हममें ऐसा कौन पुरुष या स्त्री है जो उसके जीवन-सम्बन्धी इस मिथ्या दृष्टिकोण को बदल सके? हममें ऐसे लोग हैं ही कहा जिन्हें इस बात का पक्का विश्वास हो कि आलस्यपूर्ण जीवन की अपेक्षा परिश्रमी जीवन सदा ही सम्मानीय है, जो अपने इस विश्वास के अनुसार ही जीवन-यापन करते हो और जो इसी कसौटी पर दूसरो का आदर तथा मूल्यांकन करते हो? यदि मैंने इस प्रश्न पर विचार किया होता तो मेरी समझ में आ गया होता कि न तो मैं और न मेरी जान-पहचानवाला कोई दूसरा आदमी ही इस रोग को दूर करने में समर्थ है।

मुझे यह बात समझ लेनी चाहिए थी कि परदे के ऊपर से झाकने-वाली वे आश्चर्यचकित और ध्यानावस्थित आखें अपने लिए सहानुभूति के शब्द सुनकर केवल विस्मय व्यक्त कर रही थी और निश्चय ही उनमें व्यभिचारपूर्ण जीवन से मुक्त किये जाने की आशा की झलक नहीं थी। सच पूछिए तो ऐसी स्त्रियों को अपने जीवन की व्यभिचारिता दिखाई ही नहीं देती। वे जानती हैं कि लोग उनसे घृणा करते हैं और उन्हें गालिया देते हैं, किन्तु वे यह नहीं समझ सकती कि क्यों? वे वचन से ही अपनी-जैसी स्त्रियों के बीच रहती आई हैं और अच्छी तरह से जानती हैं कि ऐसी स्त्रियाँ सदा से समाज में रहती आई हैं तथा अब भी हैं और वे समाज के लिए इतनी आवश्यक मानी जाती हैं कि उनकी उचित व्यवस्था के लिए सरकारी कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं।\* वे यह भी जानती हैं कि उन्हें पुरुषों को वश में करने की शक्ति प्राप्त है और अन्य स्त्रियों की अपेक्षा वे उनपर अधिक प्रभाव डाल सकती हैं। वे देखती हैं कि यद्यपि उनका सदा तिरस्कार किया जाता

---

\* रूस में वेध्याओं को लाइसेंस लेना पड़ता है और उनकी नियमित रूप से जांच तथा डाक्टरी परीक्षा हुआ करती है।

है तथापि स्त्री और पुरुष दोनों ही तथा स्वयं सरकार तक समाज में उनके स्थान को स्वीकार करती है। इसलिए वे इतना तक नहीं समझ पाती कि आखिर पञ्चात्ताप करें तो किस बात के लिए और सुधार करें तो किस दिशा में।

एक दिन इन मकानों का चक्कर लगाते समय एक विद्यार्थी ने मुझे बतलाया कि एक कमरे में एक औरत रहती है जो अपनी तेरह वर्ष की लड़की से व्यभिचार कराती है। उस लड़की का उद्धार करने की इच्छा से मैं जानबूझकर उसके यहाँ गया। मा-बेटी दोनों बड़ी ही निर्धन अवस्था में रहती थी। मा चालीस वर्ष की, ठिगनी और काले रंग की थी। वह कुरूप ही नहीं बल्कि देखने में बड़ी वीभत्स थी। लड़की भी कम कुरूप नहीं थी। उनके जीवनक्रम के सम्बंध में मैंने घुमा-फिराकर कितने भी प्रश्न किए; किंतु लड़की की मा ने उन सबका बड़े ही सक्षेप में और सौहार्दरहित अविश्वास के साथ उत्तर दिया, जिससे साफ मालूम पड़ता था कि वह मुझे अपना शत्रु समझती है। बेटी ने तो अपनी मा की ओर देखे बिना मेरे किसी प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। स्पष्टतः वह मा पर पूर्ण विश्वास करती थी।

उन्हे देखकर मेरे मन में करुणा नहीं, घृणा उत्पन्न हुई। फिर भी, मैंने निश्चय किया कि लड़की का उद्धार करना आवश्यक है और इसके लिए मुझे ऐसी महिलाओं से बातचीत करनी चाहिए जिन्हें इस प्रकार की अभागिनो के प्रति सहानुभूति हो और फिर इन महिलाओं को उस लड़की की मा के पास भेजना चाहिए।

यदि मैंने उस लड़की की मा के बीते हुए लम्बे जीवन पर विचार किया होता; यदि मैंने यह सोचा होता कि उसने किस प्रकार दयनीय स्थिति में रहते हुए भी दूसरों से लेगमात्र सहायता पाये बिना ही और भारी-भारी त्याग करके अपनी लड़की को जन्म दिया तथा पाला-पोसा; साथ-ही-साथ यदि मैंने यह भी विचार किया होता कि किस प्रकार उसके मस्तिष्क में जीवन-सम्बन्धी एक विशेष धारणा ने जड़ जमा ली है, तो मेरी समझ में आ गया होता कि मा के उस व्यवहार में कोई बात बुरी अथवा अनैतिक नहीं थी। उसने अपनी लड़की के लिए जो

अच्छे-से-अच्छा समझा था, शक्तिभर किया था और अब भी कर रही थी। ऐसी दगा में यह तो सम्भव था कि उसकी लड़की को बलात् उससे अलग कर दिया जाय; किंतु उसे यह विश्वास दिलाना सर्वथा असम्भव था कि लड़की का धर्म बेचकर वह कोई गलती कर रही है।

लड़की का उद्धार करने के लिए यह आवश्यक था कि उससे बहुत पहले उसकी मा का उद्धार किया गया होता, उसे समाज द्वारा स्वीकृत उस जीवन-सिद्धान्त से छुटकारा दिलाया गया होता जिसके अनुसार स्त्री-जाति को अनुमति दी गई है कि वह अविवाहित रहकर अर्थात् विना संतान उत्पन्न किये और विना ही कोई काम किये केवल विषय-वासना की तृप्ति का-साधन बनी रहे। यदि मैंने ध्यानपूर्वक विचार किया होता तो मेरी समझ में आ जाता कि जिन महिलाओं को मैं उस वेग्या की लड़की का उद्धार करने के लिए भोजना चाहता था उनमें से अधिकतर स्वयं नि.संतान और उद्यम-रहित जीवन व्यतीत करती हुई केवल विषय-वासना की तृप्ति का साधन बनी रहती हैं और जानबूझकर अपनी लड़कियों को भी ऐसे ही जीवन की शिक्षा देती हैं। यदि एक मा अपनी लड़की को सराय में बैठाती है तो दूसरी अपनी लड़की को दरवार में या नाच में ले जाती है। जीवन के प्रति दोनों का दृष्टिकोण एक ही होता है—वह यह कि स्त्री का कर्तव्य पुरुष की विषय-वासना को तृप्त करना है और उसे इस सेवा के लिए अन्न, वस्त्र तथा संरक्षण मिलना चाहिए। ऐसी दगा में हमारी महिलाएँ किस प्रकार उस वेग्या या उसकी लड़की का उद्धार कर सकती हैं ?

: ६ :

## निराश्रित बालक

बालको के साथ मेरा सम्बंध और भी विचित्र था। उनकी ओर भी मेरा ध्यान परोपकार का वह कार्य करते समय ही आकृष्ट हुआ। इच्छा हुई कि निर्दोष बच्चों को पाप के गड़हे में गिरने से बचाऊँ और

यह सोचकर कि इनपर वाद में ध्यान दूंगा मैंने उनके नाम लिख लिये ।

स्येर्योजा नाम के एक वारहवर्षीय लड़के ने मुझे विशेष रूप से आकृष्ट किया। वह एक कुशाग्रबुद्धि और चतुर बालक था। पहले वह एक चमार के यहा रहता था, किंतु उसके जेल चले जाने पर निराश्रित हो गया था। मुझे उसपर बड़ी दया आई और मैंने अपने-को उसके लिए उपयोगी बनाना चाहा।

उस बालक को मैंने जो सहायता दी उसका क्या और किस प्रकार अन्त हुआ, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ; क्योंकि उससे मेरी परोपकारिता की पोल साफ-साफ खुल जाती है। मैं लड़के को अपने घर ले आया और उसे चौका-वर्तन के काम पर लगा दिया। यह तो भला हो ही कैसे सकता था कि पाप की गुफा से निकाले हुए उस गंदे लड़के को मैं अपने वच्चो के साथ हिलने-मिलने देता ? इतनी ही क्या कम नेकी और दयालुता थी कि मैंने उसे अपने घर पर रहने को स्थान देकर अपनेको न सही अपने नौकरो को असुविधा में डाला और उसे खाना तथा पुराने कपड़े भी दिये ? ( ध्यान रहे कि उसे खाना मैंने नहीं, बल्कि मेरे रसोइए ने खिलाया । )

वह लड़का मेरे यहा लगभग एक सप्ताह रहा। इस बीच मैंने उससे योही चलते-फिरने दो बार बातचीत की। एक दिन टहलते हुए मैंने अपनी जान-पहचान के एक मोची के पास जाकर उस लड़के की चर्चा की और पूछा कि क्या तुम इसे अपने यहा काम सिखाने के लिए रख सकते हो ? एक किसान ने, जो मेरे यहा ठहरा हुआ था, उस लड़के से मजदूरी करने के लिए गाव चलने को कहा। किंतु लड़के ने वहा जाने से इन्कार कर दिया और एक सप्ताह बाद वह मेरे यहा से भी चलता बना। उसकी तलाश में मैं रज्जानोफ-भवन गया। वह लौटकर वही चला गया था, लेकिन जब मैं पहुँचा तब अपने कमरे में नहीं था। उस दिन और उससे पहले दिन भी वह चिडिया-घर चला गया था। वहा उसे किसी सरकसवाले ने रंग-विरंगे कपड़े पहनाकर हाथी के साथ-साथ जलूस में चलने के लिए तीस कोपेक रोजाना पर नौकर रख लिया था।



दूसरे दिन मैं फिर रज्जानोफ-भवन गया; किंतु वह लड़का इतना क्रुतघ्न निकला कि मुझसे जानबूझकर कतराता रहा। उस समय यदि मैंने अपने और उस लड़के के जीवन पर विचार किया होता तो मेरी समझ में आ गया होता कि उसके विगडने का कारण यह है कि उसे मालूम हो गया है कि काम किये बिना ही वह चैन की वसी बजा सकता है और उसे काम न करने का अभ्यास पड गया है। उसका उपकार और सुधार करने के लिए मैं उसे अपने घर ले गया था; पर वहां उसने क्या देखा ? उसने देखा कि मेरे बच्चे—जिनमें से कुछ उससे बड़े, कुछ छोटे और कुछ उसीकी उम्र के थे—स्वयं कोई काम नहीं करते थे और दूसरो से सब तरह के काम करवाते थे। वे चीजे मँली करते, अपने आस-पास की प्रत्येक वस्तु विगाडते; स्वादिष्ट, मीठा और पौष्टिक भोजन ठूस-ठूसकर खाते, चीनी के बर्तन तोडते, दूध-मक्खन बखेरते और जिन चीजों को वह लड़का नियामत समझता उन्हें वे कुत्तों को दे देते। यदि एक ओर यह सत्य है कि मैं उस लड़के को पतन के गह्वर से निकालकर एक अच्छी जगह ले आया था, तो दूसरी ओर यह भी सत्य है कि जीवन-सम्बन्धी जो दृष्टिकोण उसने उस अच्छी जगह में देखा उसीको उसने स्वयं ग्रहण किया। हमारे जीवन-प्रवाह को देखकर उसने यही सीखा कि किसी अच्छी जगह रहने का अर्थ यही है कि कुछ काम-काज किये बिना ही खूब खाया पिया जाय और मौज उडाई जाय।

मैं मानता हूँ कि उसे पता नहीं था कि मेरे लड़को को लैटिन और यूनानी भाषाओं के व्याकरण सीखने में कठिन परिश्रम करना पडता है। वह इस प्रकार के परिश्रम की उपयोगिता को समझ भी नहीं सकता था; किंतु इसमें सन्देह नहीं कि यदि यह बात उसकी समझ में आ गई होती तो उसपर मेरे बच्चों के उदाहरण का और भी अधिक प्रभाव पडा होता। तब वह समझ जाता कि मेरे बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है कि उन्हें इस समय भी परिश्रम न करना पडे और भविष्य में भी वे अपनी उपाधियों के बल पर यथासम्भव कम-से-कम काम करने और जीवन की अच्छी-अच्छी चीजों

को अधिक-से-अधिक परिमाण में प्राप्त करने के योग्य बन सकें। सच पूछिए तो यह बात उसकी समझ में आ गई। तभी तो उसने गाव जाकर किसान के साथ ढोर चराने और आलू तथा क्वास\* पर जीवन-निर्वाह करने की अपेक्षा करीब आठ पैसे प्रतिदिन पर जगली कपड़े पहनकर हाथी के आगे-आगे चलना अधिक श्रेयस्कर समझा।

मुझे यह समझ लेना चाहिए था कि यह कैसी विडम्बना है कि स्वयं अपने बच्चों को तो मैं पूर्ण आलस्य और ऐश्वर्य का पाठ पढा रहा था और जिस रज्जानोफ-भवन को मैं पापगृह मानता था उसमें काहिली में पड़े-पड़े सड़नेवाले दूसरे आदमियों और उनके बच्चों को सुवारने की आशा करता था, हालांकि वहाँ के कम-से-कम तीन-चौथाई लोग या तो स्वयं अपने लिए या दूसरों के निमित्त श्रम अवश्य करते थे। किंतु ये बातें लेना मात्र भी मेरी बुद्धि में नहीं आई।

रज्जानोफ-भवन के अनेक बालक बड़ी ही दयनीय दशा में थे। उनमें से कुछ बेश्याओं के बच्चे थे, कुछ अनाथ थे और कुछ ऐसे थे जिन्हें लेकर भिखारी मडक पर धूमा करते थे। उन सबकी अवस्था अत्यन्त कष्टनाशक थी, किंतु स्येर्योञ्जा के साथ जो-कुछ बीती थी उससे मुझे यह विश्वास हो गया था कि जबतक मेरे जीवन का क्रम ऐसे ही चलता रहेगा तबतक मैं उनकी सहायता नहीं कर सकूंगा। जिन दिनों स्येर्योञ्जा हमारे यहाँ था, मैंने अनुभव किया कि मेरे मन में उससे अपने—विशेषतः अपने बच्चों के—जीवन को छिपाने की इच्छा छिपी हुई थी। मुझे ऐसा लगता था कि उन लड़के को नेक और उद्यमी जीवन की ओर ले जाने का मेरा सारा प्रयत्न मेरे और मेरे बच्चों द्वारा उपस्थित किये गए दृष्टांत के कारण विफल हो रहा है।

किसी बच्चे को बेश्या या भिखारी से ले लेना बड़ा सरल है और यदि अपने पास धन हो तब तो उसे नहलाना-धुलाना, अच्छे कपड़े पहनाना और अच्छा खाना खिलाना, यहातक कि विविध विद्याएँ पढ़ाना भी अत्यन्त सरल होता है, किंतु हम-जैसे लोगों के लिए, जो

\* एक प्रकार का पेय।

स्वयं अपनी 'जीविका नहीं कमाते, उस बच्चे को जीविकोपार्जन करने की शिक्षा देना कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव है, क्योंकि हम अपने उदाहरण द्वारा और जिस वस्तु में हमारा एक पैसा भी खर्च नहीं होता उससे, उस बच्चे के जीवन में सुधार करके भी हम उसको उलटी ही शिक्षा देते हैं। किसी पिल्ले को लेकर चुमकारना-पुचकारना, खिलाना-पिलाना, चीजे उठाकर लाने-ले जाने की शिक्षा देना और उसे देखकर हर्षित होना तो ठीक हो सकता है, किंतु किसी मनुष्य को केवल पालने-पोसने, खिलाने-पिलाने और यूनानी भाषा सिखाने से ही काम नहीं चल सकता। उसको तो जीवनयापन का ढंग सिखाना होगा और बताना होगा कि दूसरो से लो कम और दो अधिक। किंतु हम लोग तो इन अनाथ बच्चों को—चाहे उन्हें हम अपने घर रखें और चाहे किसी अनाथाश्रम में भेज दे—उलटी ही बातें सिखला पाते हैं।

: १० :

## घोर निराशा

ल्यापिन-अनाथालय में मैंने अपने प्रति घृणा और दूसरो के प्रति करुणा की जिस भावना का अनुभव किया था, वह अब मिट गई थी। अब तो मेरे मन में बस यही अभिलाषा भरी हुई थी कि जो काम मैं आरम्भ कर चुका हूँ उसे पूरा करूँ, अर्थात् जिन लोगो से यहाँ मिल चुका हूँ उनका कुछ उपकार करूँ। आश्चर्य की बात तो यह है कि जहाँ उपकार करना अर्थात् जरूरतमंदों को रुपया देना एक बहुत ही नेक काम मालूम होता था और उससे लोगो के प्रति प्रेम-भाव उत्पन्न होना चाहिए था, वहाँ उससे मेरे मन में लोगो के प्रति कटुता और निंदा की भावना उत्पन्न हो गई। पहले ही दिन शाम को चक्कर लगाते समय मेरी आँखों के सामने बिलकुल ल्यापिन-अनाथालय का-सा दृश्य उपस्थित हुआ, परंतु उसका मेरे ऊपर पहले-जैसा प्रभाव न पडकर एक बिलकुल ही और तरह का असर पडा।

बात उस समय की है जब एक कमरे में मुझे सचमुच एक ऐसी अभागिन बुढ़िया मिली, जिसे तत्काल सहायता की आवश्यकता थी। बुढ़िया भूखी थी, उसे दो दिन से कुछ भी खाने को नहीं मिला था।

कथा इस प्रकार है। एक बहुत ही बड़े कमरे में, जो करीब-करीब पूरा-का-पूरा खाली पड़ा था, मुझे एक बुढ़िया मिली और मैंने उससे पूछा—“क्या यहाँ कोई ऐसा भी गरीब आदमी है जिसके पास खाने को कुछ न हो ?” बुढ़िया ने कुछ देर तक सोचने के बाद दो नाम बतलाए, फिर, जैसे एकाएक उसे कुछ याद आ गया हो, वह एक चारपाई की ओर झाँककर बोली—“हाँ, मेरे खयाल में एक तो यही पडी हुई है, मैं समझती हूँ कि इसके पास खाने को कुछ भी नहीं है।”

“सचमुच ? वह कौन है ?”

“वह एक वेश्या है; लेकिन अब उसे कोई नहीं पूछता, इसलिए उसे अब कोई आमदनी नहीं होती। अबतक तो मकान-मालकिन उसपर तरस खाती थी, लेकिन अब वह उसे निकालना चाहती है। अगाफ्या, ओ अगाफ्या !” बुढ़िया ने चिल्लाकर पुकारा।

हमलोग पास गए और हमें चारपाई पर कोई चीज उठकर बैठती हुई दिखाई दी। वह सफेद और बिखरे बालोवाली एक औरत थी, जो सूखकर हड्डियों का ढाँचा भर रह गई थी। उसने एक फटी हुई मैली कुर्ती पहन रखी थी और उसकी गतिहीन आँखों में एक विचित्र प्रकार की चमक थी। उसने हमारी ओर देखा और फटी कुर्ती के भीतर से दिखाई पड़नेवाली अस्थिमात्र छाती को छिपाने के लिए पास पडी हुई एक जाकट को अपने पतले हाथों से उठाया। इसके बाद वह गुर्राकर बोली—“क्या है ? क्या है ?”

“कैसी बीत रही है ?”—मैंने उससे पूछा।

मेरी बात समझने में उसे काफी देर लगी, जिसके बाद वह बोली—“मुझे खुद पता नहीं। ये लोग मुझे निकाल रहे हैं।”

“तो क्या यह सच है कि तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं ?”

मुझे लिखते हुए लज्जा आती है कि उस समय मैंने उससे ऐसा प्रश्न किया। उसने मेरी ओर देखे बिना पहली ही जैसी तेजी के

साथ उत्तर दिया—“मैंने कल कुछ नहीं खाया था और आज भी कुछ नहीं खाया है।”

इस औरत को देखकर मेरी हृत्तत्री के तार एकवारगी ही झनझना उठे, फिर भी मुझपर उतना गहरा असर नहीं पडा जितना ल्यापिन-अनाथालय का दृश्य देखकर पडा था। वहाके लोगो के प्रति करुणा का भाव उठते ही मुझे अपने ऊपर ग्लानि हुई थी; किंतु यहा मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि जिस प्रकार के भूखे प्राणी की मैं तलाश में था वह मुझे आखिरकार मिल ही गया।

मैंने उसे एक रूबल दिया और मुझे याद है कि इस बात से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि लोगो ने मुझे वह रूबल देते हुए देखा। रूबल देते देखकर बुढिया ने भी हाथ फैलाया। उस समय दान करना इतना अच्छा लग रहा था कि पात्र-कुपात्र का विचार किये बिना ही मैंने बुढिया को भी कुछ दे दिया। वह कमरे के बाहर तक मुझे पहचाने आई और दालान में खडे हुए कुछ लोगो ने उसको मुझे धन्यवाद देते हुए सुना। दरिद्रता के विषय में मैंने जो प्रश्न किये थे उनसे शायद इन लोगो में आशा का संचार हो गया था और वे मेरे पीछे-पीछे चल रहे थे।

दालान में पहुचने पर लोग मुझसे फिर पैसा मागने लगे। इनमें कुछ तो स्पष्ट रूप से शरावी मालूम पड़ते थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत वुरा लगा, लेकिन बुढिया को देने के बाद इन लोगो को इन्कार करने का मुझे कोई अधिकार नहीं था, इसलिए मैंने उनमें भी स्वतंत्रतापूर्वक रुपया-पैसा बाटना शुरू कर दिया। ज्यो-ज्यो मैं देता जाता था त्यो-त्यो भीड बढ़ती जाती थी। सारे भवन में एक उत्तेजना-सी फैल गई। सीढियों पर और गैलरियों में लोग आ-आकर मुझे देखने लगे। जब मैं आगन में पहुचा तब एक लडका भीड चीरता हुआ सीढियों पर से बडी तेजी से उतरा। वह मुझे देखे बिना ही चिल्लाकर बोला—“इन्होंने अगाफ्या को एक रूबल दिया है।” फिर सीढी से नीचे उतरकर वह लडका मेरे पीछे-पीछे चलनेवाली भीड के साथ हो लिया।

मैं बाहर गली में निकल गया। वहा भी बहुत-से लोग मेरे पीछे हो लिये और पैसा मागने लगे। मेरे पास थोड़ी-बहुत जितनी भी

रेजगारी थी, मैंने मत्र वाट दी और एक दूकान पर जाकर दम रुबल की और रेजगारी मांगी। फिर वही हुआ जो ल्यापिन-अनायालय में हुआ था। बड़ा बावेल्ला मचा। बूढ़ी स्त्रियाँ, बिगड़े हुए अमीर, किसान और बच्चे सब-के-सब हाथ फैलाए हुए दूकान के सामने जमा हो गए। मैंने उनको पैसा दिया और कुछ लोगों ने उनके जीवन के सम्बंध में पृच्छनाछ कर उनके नाम अपनी नोटबुक में लिख लिये। दूकानदार अपने गरम ओवरकोट के रोएंडार कालर समेटे पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रहा। बीच में रह-रहकर वह कभी भीड़ की ओर और कभी मेरी ओर देख लेता था। साफ मालूम पड़ रहा था कि वीरो की तरह वह भी मेरे इस काम को मूर्खतापूर्ण नमझ रहा था; किंतु ऐसा कहने का उसे माहस नहीं होना था।

ल्यापिन-अनायालय के लोगों की दुर्दशा और अवनति देखकर मैं रंग रह गया था और अपने को अपराधी समझने लगा था। साथ ही मेरे मन में पहले की अपेक्षा अच्छे बनने की इच्छा उदित हुई थी और इसकी सम्भावना भी दिखाई देने लगी थी। किंतु अब उसी प्रकार के दृश्य ने मेरे हृदय पर एक दूसरे प्रकार का प्रभाव डाला। नवन पहेले तो जो लोग मुझे घेरकर खड़े हो गए थे उनमें मे अविकाग के प्रति मेरे मन में दुर्भावना उत्पन्न हुई और फिर मुझे इस बात की उद्विग्नता-सी हुई कि आखिर दूकानदारो और दरवानो ने मेरे बारे में क्या मोचा होगा !

वहामे घर लौटकर मैं तमाम दिन बड़ा बेचैन रहा। मुझे ऐसा लगा कि मैं जो-कुछ कर रहा हू वह मूर्खतापूर्ण और अनैतिक है और, जैना कि अंतर्द्वन्द्व की जवस्था में सदा हुआ करता है, मैं अपने द्वारा कारम्म किये गए कार्य के सम्बंध में इस तरह बढ-चढकर बातें करने लगा मानो मुझे उसकी सफलता में कोई सन्देह ही न हो।

अगले दिन मैं अकेला ही नोटबुक में लिखे हुए उन लोगों से मिलने गया जिनकी अवस्था मुझे सबसे अधिक दयनीय प्रतीत हुई और जिनकी सहायना करना सबसे सरल मालूम हुआ। जैसा कि बतला चुका हूं, मैंने किसीकी वास्तविक सहायना नहीं की। यह कार्य मुझे आगा मे

अधिक कठिन प्रतीत हुआ और या तो अपनी असमर्थता के कारण या काम असम्भव होने के कारण मैं दुखियो को केवल उत्तेजित भर कर सका, मुझसे उनकी कोई सहायता नहीं बन पडी ।

मर्दुमशुमारी का कार्य समाप्त होने से पहले मैं रज्जानोफ-भवन में कई बार गया और हर बार एक-सी ही बात हुई। मागनेवालो की भीड़ मुझे चारो ओर से घेर लेती और उनके बीच मैं खो-सा जाता। मगतो की सख्या इतनी अधिक थी कि मुझे ऐसा लगा कि मैं इनके लिए कुछ कर-धर नहीं सकूंगा और सच पूछिए तो मुझे उनकी बहुलता पर क्रोध आया। इससे अधिक मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं हुई। मुझे ऐसा लगा कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति या तो झूठ बोल रहा है या पूरी बात सच-सच नहीं बतला रहा है और मुझे केवल रूपयो की थैली समझकर अधिक-से-अधिक पैसे ऐंठना चाहता है। अक्सर मुझे ऐसा भी लगता कि लोग खुशामद करके मुझसे जो रूप ले लेते हैं उससे उन्हें लाभ के बदले हानि की ही अधिक सम्भावना है। रज्जानोफ-भवन में मैं जितना ही अधिक गया और वहाके लोगो से मेरा जितना ही अधिक परिचय हुआ, उतना ही अधिक यह स्पष्ट होता गया कि उनकी सहायता करना असम्भव है। फिर भी, मर्दुमशुमारी की अंतिम रात तक मैंने अपना काम बंद नहीं किया।

अंतिम रात की बात याद करके मुझे विशेष लज्जा मालूम होती है। पहले मैं अकेला जाया करता था; किंतु उस रात करीब बीस जने इकट्ठे होकर गए। गश्त में भाग लेने की इच्छा रखनेवाले लोग सात बजे ही मेरे मकान पर जमा हो गए। उनमें से प्रायः सब-के-सब मेरे लिए अपरिचित थे। अधिकांश तो विद्यार्थी ही थे; बस एक अफसर था और दो मेरी जान-पहचान के थे। प्रचलित रीति से अभिवादन करते हुए उन्होंने मुझसे अपनेको गणको में शामिल कर लेने के लिए कहा।

जो लोग मेरी जान-पहचान के थे वे खास तौर से शिकारी कोट और ऊंचे सफरी जूते पहनकर आए थे। इसी लिवास में वे शिकार पर ज़मया करते थे और यही उनकी राय में सरायो में जाने के लिए ठीक

लिबास था। उन्होंने अपने साथ विशेष रंग की नोटबुकें और असाधारण पेसिलें ले रखी थी। उस समय उनमें वही विशेष उत्तेजना दिखाई दे रही थी जो शिकार, कुश्ती अथवा युद्ध में जाते समय लोगो में हुआ करती है। उन्हें देखकर तो यह और भी स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगा कि हमारा कार्य कितना मूर्खतापूर्ण और निरर्थक है।

चलने से पहले हम लोगो ने आपस में सलाह की—ठीक उसी तरह जैसे युद्ध के सलाहकार परामर्श किया करते हैं। हमने इस बात पर विचार किया कि काम किस तरह से आरम्भ किया जाय, पहले किस काम में हाथ डाला जाय, कौन-कौन लोग किस तरफ जाय आदि-आदि। यह विचार-विमर्श ठीक उसी प्रकार से हुआ जिस प्रकार कौंसिलो, असेम्बलियो और कमेटियो में हुआ करता है, अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति ने कुछ-न-कुछ कहा—इसलिए नहीं कि उसके पास कोई ऐसी बात थी जिसे कहना अनिवार्य था या वह कुछ पूछना चाहता था; बल्कि इसलिए कि दूसरो से पिछड़े न रहने की इच्छा से उसने कोई-न-कोई बात कहने के लिए निकाल ही ली। पर जिस दान के विषय में मैं उनसे कई बार कह चुका था उसकी इस बातचीत के दौरान में किसीने भी चर्चा नहीं की। मैं लज्जित तो बहुत हो रहा था, किंतु लोगो को इस बात की याद दिलाना आवश्यक था कि गणना के साथ-साथ हमें परोपकार का कार्य भी करना है, अर्थात् चक्कर लगाते समय जो लोग दरिद्रावस्था में मिले उनका नाम हमें लिख लेना चाहिए।

इस प्रसंग की चर्चा करने में मुझे मदा लज्जा मालूम होती थी और उस रात भी यह बात मेरे मुह से बड़ी कठिनाई से निकल सकी। मुझे ऐसा लगा कि लोग मेरी बात खेद के साथ सुन रहे हैं। मौखिक रूप से तो उन्होंने अपनी स्वीकृति ही प्रकट की; किंतु साफ मालूम होता था कि वे मेरी बात को मूर्खतापूर्ण समझ रहे हैं और उनका खयाल है कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसलिए वे लोग तत्काल दूसरी-दूसरी बातों की चर्चा करने लगे और यह सिलसिला तबतक जारी रहा जबतक हमारे चलने का समय नहीं हो गया और हम लोग वहासे गाडी में बैठकर चल नहीं दिये।



हम लोग अघेरी सराय मे पहुँचे और वहाके नौकरो को जगाकर अपने कागज छाटने लगे। जब हमने सुना कि हमारे आने की सूचना पाकर लोग भागे जा रहे हैं तब हमने मकान-मालिक से फाटक बंद कर देने के लिए कहा और स्वयं आगन मे जाकर भागनेवालो को यह विश्वास दिलाने की चेष्टा की कि कोई उनसे पासपोर्ट\* दिखाने के लिए नही कहेगा।

इन घबराए हुए लोगो को देखकर मुझे जो विचित्र और अप्रिय अनुभूति हुई वह मुझे आज भी याद है। फटे चीथडे पहने हुए वे अर्द्ध-नग्न प्राणी अधकारपूर्ण आगन मे लालटेन की रोशनी मे बहुत लम्बे मालूम पडते थे। भय से कापते हुए वे दुर्गंधपूर्ण पाखाने के पास दल बनाए खडे थे। उन्होने हमारा आश्वासन सुना, किंतु उन्हे उसपर विश्वास नही हुआ। साफ मालूम पडता था कि आखेट के लिए घेरे गए जानवरों की भाँति वे अपने प्राण बचाने के लिए सबकुछ करने को उतारू थे। जिन शरीफ लोगो ने पुलिस-अफसरों, मजिस्ट्रेटों, जजों आदि के नाना वेशों मे उन्हे शहरो और गावों में, सडको और गलियो मे, सरायों और अनाथालयो मे, सब जगह जीवन-भर हताश किया था वे ही शरीफ एक बार एकाएक उनके घर पर आ धमके थे और उन्होने केवल गणना करने के लिए उनके मकान के फाटक बंद करवा दिये थे। स्वभावत हमारे आश्वासन पर विश्वास करना उनके लिए उतना ही कठिन था जितना खरगोशों के लिए यह विश्वास करना कि शिकारी कुत्ते उन्हे पकडने नही, बल्कि गिनने आए हैं। किंतु फाटक बंद हो चुके थे, इसलिए लाचार होकर वे अपनी-अपनी कोठरी में वापस चले गए और हमने अलग-अलग टोलिया बनाकर अपना काम आरम्भ कर दिया। मेरे साथ मेरे जान-पहचानवाले दोनो सज्जन और दो विद्यार्थी थे। वान्या ओवरकोट और सफेद पतलून पहने और हाथ मे लालटेन लिये उस अधकार मे हमारा पथ-प्रदर्शन कर रहा था।

---

\* उन दिनों पासपोर्ट न रखना अथवा जाली पासपोर्ट रखना रूस मे सख्त कानूनी जुर्म समझा जाता था।

हम उन कमरो में गए, जिन्हे मैं पहले ही देख चुका था और जिनके कुछ निवासियो से परिचित भी था। फिर भी, अधिकांश लोग नए थे और वहाका दृश्य ल्यापिन-अनाथालय के दृश्य से भी अधिक भयानक था। सब कमरे और तख्ते भरे हुए थे और अधिकत एक तख्ते पर दो-दो आदमी सोते थे। कमरो में स्त्री-पुरुष जिस बुरी तरह से ठुसे पडे थे वह दृश्य बडा ही भयानक था। जो औरतें गराव पीकर पूरी तरह बूत नही हुई थी वे पुरुषों के साथ सो रही थी। बहुत-सी स्त्रिया तो अपने बच्चों को लिये तग तख्तों पर अजनबी पुरुषों के साथ पडी हुई थी। इन लोगो की कगाली, गदगी और कातरता का दृश्य वास्तव में बडा ही करुण था। सबसे भयकर बात तो यह थी कि इस प्रकार की दुर्दशा भोगनेवाले लोगो की संख्या अपरिमित थी। एक, दो, दस, बीस—अनगिनत थी वे जीर्ण-शीर्ण कोठरिया जिनमें ये रहते थे और उन सभीमें वही दुर्गंध, वही दम घोटनेवाला वातावरण, वही भीड और स्त्री-पुरुषों का वही गडबड-घोटाला था। चारों ओर स्त्री-पुरुष उसी तरह मदहोश पडे थे, उनके चेहरो पर वैसा ही भय, वैसी ही दीनता और वैसी ही अपराध की छाया थी।

यह सब देखकर मेरे मन में एक बार फिर ल्यापिन-अनाथालय की ही तरह ग्लानि और लज्जा उत्पन्न हुई और मेरी समझ में आ गया कि मैंने जो काम हाथ में लिया है वह बडा ही विकट तथा मूर्खतापूर्ण है और इसलिए असम्भव है। यह सोचकर कि अब प्रयत्न करना व्यर्थ है, मैंने किसीसे और कोई प्रश्न नही किया और नोट लेना भी बंद कर दिया।

मेरे हृदय को बडा आघात लगा। ल्यापिन-अनाथालय का दृश्य देखकर मेरी अवस्था वैसी ही हो गई थी जैसी सयोगवश किसी मनुष्य के शरीर पर कोई बीभत्स फोडा देखकर हो जाती है। उस समय उस मनुष्य के लिए दुख होता है और इस बात की आत्मग्लानि होती है कि हमने उसकी सहायता पहले क्यों नही की। फिर भी यह आशा तो लगी ही रहती है कि कदाचित्त भविष्य में कुछ सहायता बन पड़े। किंतु अब मेरी दशा उस डाक्टर के समान हो गई थी, जो अपनी ओपधियो

के साथ रोगी के पास जाता है, उसके घाव को खोलता है और उसे साफ करता है किन्तु अत मे उसे यही स्त्रीकार करना पडता है कि उसका सारा प्रयत्न विफल रहा और उसकी ओषधि से रोगी को कोई लाभ नही पहुचेगा ।

: ११ :

## मेरी परोपकारिता का अंत

इस घटना ने मेरी आत्मभ्राति को विलकुल मिटा दिया और मुझे यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे गया कि मैंने जो काम अपने हाथ में लिया है वह केवल मूर्खतापूर्ण ही नहीं, बल्कि भयानक भी है। यह जानते हुए भी मुझे ऐसा लगा कि सारी योजना को एकदम भग कर देना न केवल ठीक नहीं होगा, बल्कि उसे जारी रखना मेरा कर्तव्य है; क्योंकि एक तो लेख लिखकर और निर्धनो से मिलकर तथा उन्हें सहायता का वचन देकर मैंने उनके मन में आशा उत्पन्न कर दी थी और दूसरे अपने लेख तथा वार्त्तालाप से मैंने दानी व्यक्तियों के हृदय में सहानुभूति जागृत कर दी थी जिसके फलस्वरूप बहुतो ने मेरे कार्य मे सहयोग देने और आर्थिक सहायता प्रदान करने का वचन दिया था। मैं इस प्रतीक्षा में था कि दोनो पक्ष के लोग मुझसे प्रार्थना करें और मैं उनकी प्रार्थना पर यथोचित रूप से विचार करू।

जहातक जरूरतमदो का प्रश्न है, उनके सम्बध में निम्नलिखित घटना घटी। मेरे पास सौ से भी अधिक प्रार्थनापत्र आए और यदि मैं एक नए शब्द का प्रयोग करू तो कह सकता हू कि वे सब-के-सब 'धनी दरिद्रो' के प्रार्थनापत्र थे। इनमें से कुछ लोगो को तो मैंने उत्तर नही दिया; किंतु कुछसे मैं स्वयं जाकर मिला। फिर भी मैं किसीकी सहायता करने में सफल न हो सका।

सभी प्रार्थनापत्र ऐसे व्यक्तियों के थे जो किसी समय सौभाग्य-शाली पद पर रह चुके थे, किंतु अब वे पद से हटा दिये गए थे और

उसे फिर से प्राप्त करना चाहते थे। मेरा आशय ऐसे पद से है जहां रहकर मनुष्य दूसरो को देने की अपेक्षा स्वयं लेता अधिक है। एक आदमी ने अपने गिरते हुए धवे को सम्हालने और अपने बच्चो की शिक्षा पूरी करने के लिए दो सौ रूबल मागे। दूसरे ने फोटोग्राफी के सामान की माग की, तीसरे ने चाहा कि उसका ऋण चुका दिया जाय और उसके अच्छे कपडे गिरवी से छुडा दिये जाय, चौथे ने एक पियानो मागा ताकि वह उसे अच्छी तरह बजाना सीख सके और फिर दूसरो को सिखाकर अपने कुटुम्ब का भरण-पोषण कर सके। अधिकांश लोगो ने केवल सहायता की प्रार्थना की और यह नहीं लिखा कि उन्हें कितने रुपयो की जरूरत है। किंतु जब उनकी आवश्यकताओ की छानबीन की गई तो पता चला कि जितनी अधिक सहायता उपलब्ध की गई उतनी ही अधिक उनकी आवश्यकताएं बढ़ती गईं और उन्हें न तो सतोप हुआ न हो ही सकता था। जैसाकि मैं पहले कह चुका हूँ, बायद इसका कारण यह था कि मुझे उनके साथ बर्ताव करने का ढंग नहीं मालूम था। जो-कुछ भी हो, सच यह है कि मैं किसीकी भी सहायता नहीं कर सका, यद्यपि कुछ लोगो की सहायता करने की मैंने चेष्टा अवश्य की।

अब दानी व्यक्तियों के सहयोग का हाल सुनिए। उन्होंने जो-कुछ किया वह बड़ा ही आश्चर्यजनक और आगा के विपरीत था। जिन-जिन लोगो ने निर्धनो के सहायतार्थ धन देने का वचन दिया था और रकम भी तय कर दी थी, उनमें से किसीने एक रूबल भी नहीं दिया। उनके वचन के आधार पर मैं लगभग तीन हजार रूबल पाने की आशा करता था; किंतु एकको भी अपना वचन याद नहीं रहा और उनसे फूटी कौड़ी भी हाथ नहीं लगी। अलबत्ता विद्यार्थियो को मर्दुमगुमारी-सम्बंधी कार्य के पारिश्रमिक स्वरूप जो-कुछ भी मिला, उन्होंने लाकर मुझे दे दिया। जहातक मुझे याद पडता है, उनसे कुल मिलाकर बारह रूबल मिले। अतः जिस योजना के अन्तर्गत मैंने धनी लोगो से एकत्र किये हुए सहस्रो रूबल की सहायता से सैकडो और हजारो निर्धनो को दरिद्रता और पाप के पक से उबारने का विचार किया था उमका अत

यह हुआ कि जिन लोगो ने मुझसे मागा उनमें मैंने कुछ दर्जन रूबल योही अललटप वाट दिये और बाद में मेरे पास विद्यार्थियों के दिये हुए बारह रूबलो के अतिरिक्त वे पच्चीस रूबल भी बच गए जो नगर-पालिका ने मुझे मर्दुमशुमारी के आयोजक की हैसियत से काम करने के लिए दिये थे। मैं यह नहीं समझ पाया कि इस रकम का क्या करूँ।

इस तरह सारी योजना ठप पड़ गई। मास्को छोड़कर गाव जाने से पहले मैं एक रविवार को बचे हुए सैंतीस रूबलो को गरीबों में बाटने के लिए रज्हानोफ-भवन गया। वहाँ मैं जितनो से परिचित था उन सबके कमरे में हो आया, किंतु एक बीमार आदमी को छोड़कर, जिसे मैंने शायद पाच रूबल दिये, वहाँ और कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसे कुछ दिया जा सकता। मागने तो बहुत-से लोग लगे थे, किंतु उनके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने बत्तीस रूबलो को बाटने के सम्बन्ध में सराय के मालिक ईवान फिदोतिग से सलाह लेने का निश्चय किया।

उस दिन कार्नीवाल का उत्सव था। सब लोगो ने अच्छे-से-अच्छे कपड़े पहने थे, खूब डटकर खाना खाया था और कुछ लोग तो पिये हुए झूम रहे थे। सराय के एक कोने में फटा कोट और चटाई के जूते पहने एक बूढ़ा किंतु फुर्तीला कवाडी खडा-खडा काम कर रहा था। वह अपनी टोकरी के सामान को छाट-छाटकर लोहे, चमड़े और दूसरी चीजों के अलग-अलग ढेर बना रहा था और ऊँचे मीठे स्वर में कुछ गा भी रहा था। मैं उससे बातें करने लगा। उसकी उम्र ७० वर्ष की थी और वह कवाडी का काम करके अपना पेट पालता था तथा अकेला ही रहता था। उसने न केवल किसी बात की शिकायत नहीं की, बल्कि बतलाया कि उसके पास खाने-पीने के लिए काफी है। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे जानने में रज्हानोफ-भवन में कोई ऐसा आदमी है जो सचमुच जरूरतमंद हो। मेरे इस प्रश्न से उसे कुछ खिजलाहट-सी हुई और उसने साफ-साफ कहा कि काहिलो और पियकडो को छोड़कर और किसीको तगी नहीं होती। परंतु जब उसे मेरे उद्देश्य का पता लगा तो उसने पीने के लिए मुझसे पाच कोपेक मागे और उन्हें पाते ही

वह सीधा सराय की ओर भागा। मैं भी बाकी रकम को बटवाने का भार ईवान फिदोतिग को सौंपने के अभिप्राय से सराय की ओर चल दिया।

सराय में बहुत भीड़ थी। मदिरा के मद में झूमती हुई युवनियां भडकीले कपड़े पहने हुए इधर-उधर आ-जा रही थीं। सब में जें भरी हुई थी और कितने ही लोग नशे में चूर थे। एक छोटे-से कमरे में एक आदमी बाजा बजा रहा था और दो आदमी नाच रहे थे। मुझे देखते ही ईवान फिदोतिग ने आदरवश नाच बंद करने का आदेश दिया और मेरे नाच वह एक खाली मेज पर बैठ गया। मैंने उसे बतलाया कि मुझे गरीबों में वाटने के लिए कुछ पैसे मिले हैं; तुम अपने किरायेदारों को जानने हो, बतलाओ कि उनमें से सबसे ज्यादा जरूरतमंद कौन-कौन हैं। उस भले आदमी ने (जिसकी एक साल बाद मृत्यु हो गई) अपने रोजगार में बक्षे रहने पर मेरी सहायता करने के लिए थोड़ी देर को अपना काम छोड़ दिया। कुछ समय तक वह मेरे प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करता रहा और उसकी मुद्रा से साफ मालूम पड़ता था कि वह चक्कर में पड़ गया है। एक बूढ़े नौकर ने हमारी बात सुन ली थी; वह भी हमारी बातचीत में शरीक हो गया।

वे एक-एक करके किरायेदारों के नाम लेने लगे—इनमें से कुछको मैं भी जानता था, किंतु वे किसीके सम्बन्ध में सहमन नहीं हो सके।

“परामोनौफना”, नौकर ने सुझाया।

“हा, ठीक है, कभी-कभी उसे भूखा रहना पड़ता है।...लेकिन वह तो शराब पीती है”, फिदोतिग बोला।

“तो क्या हुआ ? सब ठीक है...।”

“और स्पिरिडोन ईवानोविच ? उसके बच्चे हैं ?”

किंतु फिदोतिग को स्पिरिडोन के विषय में शंका थी।

“अच्छा तो अकुलीना ?...किंतु उसे तो भत्ता मिलना है। हा, याद आया वह अंधा आदमी कैसा रहेगा ?”

किंतु, उस अंधे आदमी के सम्बन्ध में मैंने स्वयं आपत्ति की। उने मैंने तभी देखा था। उसकी उम्र लगभग ८० वर्ष की थी और उसके

कोई सगा-सम्बन्धी नहीं था। कहने को तो कहा जा सकता है कि इससे दीन भला और कौन होगा, किंतु थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा था कि वह परोवाले एक ऊँचे बिछौने पर शराब पिये पड़ा था और जिस अपेक्षाकृत जवान स्त्री के साथ उसने सम्भोग किया था उसे वह, मुझे न देख सकने के कारण, बहुत ही धीमे स्वर में गद्दी-से-गद्दी गालिया दे रहा था।

इसके बाद फिदोतिश और उसके नौकर ने एक लूहे लडके का नाम लिया जो अपनी मा के साथ रहता था। मैंने देखा कि अन्त करण शुद्ध होने के कारण फिदोतिश असमजस में पड़ गया है। वह जानता था कि कार्नीवाल के दिनों में गरीबों को जो पैसा दिया जायगा वह लौट-फिर कर उसीके पास सराय में आ जायगा।

किंतु मुझे तो ३२ रूबल बाटने थे और जब मैंने बहुत कहा तो वे रूबल भले-बुरे किसी-न-किसी ढंग से बाट दिये गए। जिन्हें-जिन्हें पैसा मिला उनमें से अधिकांश अच्छे कपड़े पहने हुए थे और उन्हें ढूढने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ा, क्योंकि वे सराय में ही मौजूद थे। लूहा लडका ऊँचे जूते, लाल कमीज और वास्कट पहने हुए था।

इस प्रकार मेरी दानशीलता का अंत हो गया और, जैसा कि हमेशा होता है, लोगों से तग आकर मैं गाव चला आया। यह तो सत्य है कि मेरी दान-वृत्ति का कोई परिणाम नहीं निकला और वह विलकुल बढ़ हो गई, किंतु मेरे अन्त प्रदेश में उठनेवाले विचारों और भावनाओं का प्रवाह रुकने के बदले और भी दुगुने वेग से बढ़ चला।

: १२ :-

## असफलता क्यों ?

तो, इन सब बातों का क्या अर्थ था ?

मैं देहात में रह चुका था और वहाँ निर्धनों से मेरा सम्पर्क भी हो गया था। नम्रतावश नहीं, क्योंकि नम्रता में तो अधिक पुट गर्व का

होता है, बल्कि अपनी भावनाओं और विचारधारा को स्पष्ट करने के उद्देश्य से मैं यह बात सच-सच बनला देना चाहता हूँ कि देहात में मैंने गरीबों की बहुत ही कम सहायता की थी। फिर भी वहाँके अभागे मुझमें इतनी कम सहायता चाहते थे कि मैं जितना भी थोड़ा-बहुत कर देता था, वही उनके लिए उपयोगी सिद्ध होता था और उससे मेरे चारों ओर प्रेम तथा सतोंप का वातावरण छा जाता था। इस वातावरण में रहकर मुझे उस वेदना को शांत करना सम्भव प्रतीत होता था जिम्मा मैं अपने जीवनयापन के अनौचित्य के कारण अपनी अतरात्मा में निरंतर अनुभव किया करता था। नगर में आकर मैंने आशा की थी कि वहाँ भी मैं गाँव की तरह ही जीवन व्यतीत कर सकूँगा, किन्तु मास्को पहुँचकर मुझे एक विलकुल ही दूसरी तरह की दरिद्रता दिखाई दी। वहाँकी दरिद्रता में देहात की दरिद्रता की अपेक्षा सत्य का अंश कम था और साथ-ही-साथ वह अधिक कष्टदायक तथा निर्ममता की सूचक थी। सबसे बुरी बात यह थी कि एक ही स्थान पर इतनी अधिक मात्रा में दरिद्रता विद्यमान थी कि उसका मुझपर बड़ा भयानक प्रभाव पड़ा।

ल्यापिन-अनाथालय में मैंने जो-कुछ देखा उससे तत्काल मुझे अपने जीवन के विनोदोपन का भान हुआ। वह अनुभूति सच्ची और बलवती थी। फिर भी उसके लिए जीवन में जिस क्रांति की आवश्यकता थी उससे पहले-पहले मुझे भय लगा और मैंने उससे समझौता कर लिया। मुझसे तो जो बात प्रत्येक व्यक्ति कहता था और जो सृष्टि के आरम्भ से सभी लोग कहते आए हैं उसीपर मैंने भी विश्वास कर लिया—अर्थात् मैंने यह मान लिया कि वैभव और ऐश्वर्य में कोई बुराई नहीं, ये ईश्वर की देन हैं और मनुष्य ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताते हुए भी अभागों की सहायता कर सकता है। मैंने इस बात पर विश्वास करके इसीके अनुसार कार्य करने का निश्चय किया और एक लेख लिखकर धनवानों को निर्धनों की सहायता के लिए ललकारा। सभी धनिकों ने यह स्वीकार तो कर लिया कि दरिद्रों की सहायता करना उनका नैतिक कर्तव्य है; परन्तु इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए कोई भी आगे नहीं



बढा। इससे यह स्पष्ट था कि या तो वे सहायता करना चाहते ही नहीं थे या उनमें सहायता करने की सामर्थ्य नहीं थी।

मैं गरीबों में आने-जाने लगा और वहाँ मैंने जो-कुछ देखा उसे देखने की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ओर तो उन 'पाप की गुफाओं' में—जैसा कि मैं उन कोठरियों को कहा करता था—मुझे ऐसे लोग दिखाई दिये जिनकी सहायता करने का मेरे लिए प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि वे मजदूर थे, उन्हें काम करने और कष्ट सहने का अभ्यास था और इसलिए उनका जीवन मेरी अपेक्षा कहीं अधिक पक्की नींव पर स्थित था। दूसरी ओर मेरे सामने ऐसे दीन-दुखिए आए जिनकी सहायता करने में मैं अममर्थ था, क्योंकि वे सब मेरे ही समान थे। उनमें से अधिकांश की दुर्दशा का कारण यह था कि वे अपनी रोटी आप कमाने की सामर्थ्य, इच्छा और आदत खो बैठे थे। दूसरे शब्दों में यों कहिये कि वे मेरे ही समान अकर्मण्य थे।

भूखी मरती अगाफिया के अतिगिबन मुझे एक भी ऐसा दुखिया नहीं मिला,—चाहे वह बीमार हो, चाहे जाड़े में ठिठुरता हुआ, चाहे भूखा—जिसकी सहायता तत्काल की जा सकती। अतः मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि जिन दीन-दुखियों की मैं सहायता करना चाहता हूँ उनके जीवन से अलग रहने के कारण उनका पता लगाना मेरे लिए प्रायः असम्भव-सा होगा, क्योंकि उनमें से किसीको जब कभी कोई वास्तविक आवश्यकता होती है तो उन्हींके बीच रहनेवाले दूसरे दीन-दुखिए उस आवश्यकता की पूर्ति कर देते हैं। सबसे अधिक विश्वास तो मुझे इस बात का हो गया कि पैसे के बल पर मैं उनके दुखी जीवन को बदलने में समर्थ नहीं हो सकूँगा।

फिर भी जिस काम में मैं हाथ डाल चुका था उससे किनारा काटने की झूठी लज्जा के कारण और परोपकारिता की भावना से मदाघ होकर मैंने अपना काम उस समय तक जारी रखा जबतक कि वह स्वयं निरर्थक नहीं बन गया। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, उन ३७ रूबलों से, जिन्हें मैं अपना नहीं समझता था, मैं बड़ी कठिनाई से छुटकारा पा सका और ईवान फिदोतिश की सहायता

से जैसे-तैसे करके उन्हें रज्जानोफ-भवन के दुखियों में बाट पाया ।

अगर मैं चाहता तो अपने काम को जारी रखकर परोपकारिता का ढोंग रच सकता था । इसी तरह यदि मैं चाहता तो जिन लोगों ने मुझे धन देने का वचन दिया था उन्हें विवश करके रुपया वसूल कर सकता था । इसके अतिरिक्त मैं और भी अधिक धन एकत्र कर कगालों में बाट सकता था और इस प्रकार अपनी परोपकारिता पर सतोष की सास ले सकता था, परन्तु मैंने देखा कि हम धनवानों में इस बात की न तो इच्छा है न सामर्थ्य ही कि हम अपने बहुल धन का एक भाग निर्धनों के लिए अलग उठाकर रख दें, क्योंकि हमारी अपनी ही आवश्यकताएँ अनेक हैं । इसके अतिरिक्त मैंने यह भी देखा कि यदि हम सचमुच कगालों की सहायता करना चाहते हैं और अपना रुपया योही अललटप लुटाना नहीं चाहते, जैसा कि मैंने रज्जानोफ-भवन में किया था, तो सहायता देने योग्य कोई पात्र ही नहीं मिलेगा । इसीलिए मैंने सारा काम छोड़ दिया और निराश तथा दुखी होकर देहात चला गया ।

वहाँ पहुँचकर इच्छा हुई कि अपने अनुभवों पर एक लेख लिखू और उसमें बतलाऊँ कि मेरा काम सफल क्यों नहीं हुआ । मैं चाहता था कि मर्दुमशुमारीवाले लेख के सम्बन्ध में मुझपर जो आक्षेप किये गए थे उनका यथोचित उत्तर दूँ, समाज को उसकी उदासीनता के लिए दोषी ठहराऊँ और शहर की गरीबी के कारणों, उसे दूर करने की आवश्यकता और अपने मतानुसार उसके उपायों पर भी प्रकाश डालूँ ।

मैंने लेख लिखना आरम्भ कर दिया और सोचा कि वह बड़ा ही बहुमूल्य होगा, किन्तु बार-बार चेष्टा करने पर और सामग्री की बहुलता रहने पर भी मैं लेख आगे नहीं बढ़ा सका और वह कहीं अव\* आकर समाप्त हो पाया है । इस विलम्ब के कई कारण थे । एक तो

\* सन् १८८५-६ के जाडों में

यह कि मैं क्रोधावेश में लिख रहा था; दूसरे यह कि मैं उन प्रवचनाओं से मुक्त नहीं हो पाया था जो समस्या को ठीक प्रकाश में आने से रोक रही थी। तीसरी और सबसे बड़ी बात यह थी कि यद्यपि इन सब बातों का कारण बड़ा ही साधारण था और उसकी जड़ें स्वयं मुझमें जमी हुई थीं तथापि मुझे अभी तक उसका ठीक-ठीक और स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाया था।

नैतिक क्षेत्र में कुछ ऐसी बात हो जाया करती है जो आश्चर्यजनक होती है और जिसकी ओर लोग बहुत ही कम ध्यान देते हैं।

यदि मैं भूगर्भ-विज्ञान, ज्योतिष, इतिहास, पदार्थ-विज्ञान अथवा गणित-शास्त्र की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को बतलाऊँ जो उसे नहीं जानता तो उसे वह नए ज्ञान के रूप में ग्रहण करेगा और यह कभी नहीं कहेगा कि इसमें नई बात क्या है, यह तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है और मुझे तो इसका बहुत पहले से पता था। किंतु किसी श्रेष्ठ नैतिक सत्य को आप चाहे कितने भी स्पष्ट-से-स्पष्ट और सक्षिप्त-से सक्षिप्त रूप में समझाने की चेष्टा क्यों न करे, प्रत्येक साधारण मनुष्य—विशेषतः वह जिसे नैतिक प्रश्नों में कोई दिलचस्पी नहीं और जिसपर नैतिक शिक्षा का उलटा ही प्रभाव पड़ता है—यही कहेगा कि अजी, इसको कौन नहीं जानता? इसे तो लोग पहले भी जानते और कहते थे। वास्तव में वह समझता भी यही है कि बहुत पहले भी ऐसी ही शिक्षा दी जाती थी और ठीक इसी ढंग से। केवल वे लोग जो नैतिक सत्य को एक गम्भीर और बहुमूल्य वस्तु मानते हैं यह समझ पाते हैं कि नैतिक सत्य कितना महत्त्वपूर्ण और मूल्यवान् होता है और कितने परिश्रम और अध्यवसाय के बाद उसे बुद्धिगम्य तथा सरल बनाया जाता है, अर्थात् किस प्रकार धुंधली तथा अनिश्चित कल्पनाएँ और डच्छाएँ धीरे-धीरे विकसित होकर ऐसे अविचल और सुनिश्चित भावों का रूप धारण करती हैं, जिन्हें हृदयगम करने के लिए तदनुकूल ही आचरण की आवश्यकता होती है।

हम लोगों को यह सोचने की आदत-सी पड़ गई है कि नैतिक शिक्षा एक विलकुल तत्त्वहीन और नीरस वस्तु है, जिसमें कोई

नवीनता या सरसता हो ही नहीं सकती। फिर भी तथ्य यह है कि मनुष्य के सभी जटिल क्रिया-कलापो का; उसके राजनीतिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, व्यावसायिक आदि विविध कार्यों का, जिनका नैतिकता से कोई बाह्य सम्बन्ध नहीं होता, केवल एक लक्ष्य होता है और वह है नैतिक सत्य को अधिक-से-अधिक स्पष्ट बनाना, उसकी अधिक-से-अधिक पुष्टि करना और उसे अधिक-से-अधिक सुगम बनाते हुए अधिक-से-अधिक प्रचारित करना।

मुझे याद है कि एक बार जब मैं मास्को की एक गली से होकर जा रहा था तब मैंने देखा कि एक आदमी एक दूकान से निकला। उसने गली में लगे हुए पत्थरो को ध्यानपूर्वक देखकर उनमें से एकको चुना और मुझे ऐसा लगा कि उसपर बैठकर वह पूरे बल और उत्साह के साथ उसे खुरचने या घिसने लगा। “यह आदमी रास्ते के पत्थर पर क्या कर रहा है ?”—मैंने सोचा और जब उसके पास जाकर देखा तो पता चला कि वह लडका कसाई की दूकान पर काम करता है और सड़क के पत्थर पर अपना चाकू तेज कर रहा है।

पत्थरो की परीक्षा करते समय लडका पत्थरो के बारे में कुछ नहीं सोच रहा था और वाद में चाकू तेज करते समय तो वह उनके सम्बन्ध में और भी कम सोच रहा था। वह तो केवल अपना चाकू तेज कर रहा था, क्योंकि गोस्त काटने के लिए उसे चाकू तेज करने की आवश्यकता थी। किंतु मुझे ऐसा लगा जैसे वह सड़क के पत्थरो के साथ कुछ कर रहा है। इसी प्रकार, यद्यपि प्रतीत यह होता है कि मनुष्य व्यापार, सधि, युद्ध, विज्ञान, कला आदि विविध बातों में सलग्न है तथापि वास्तव में उसके लिए केवल एक ही कार्य महत्वपूर्ण होता है और वह उसी कार्य को करता है। वह कार्य है अपने तई उन नैतिक सूत्रों की व्याख्या करना जिनके बल पर वह जीवनयापन करता है।

नैतिक सूत्र सदा से ही चले आए हैं, मनुष्य उनकी व्याख्या भर करता है। जो लोग इन नैतिक सूत्रों को नहीं चाहते और उनके अनुसार जीवनयापन करने की कामना नहीं रखते, उन्हें यह व्याख्या तुच्छ और

निरर्थक प्रतीत होती है; किन्तु नैतिक सूत्रों की व्याख्या करना मानव-जाति का मुख्य ही नहीं बल्कि एकमात्र कर्तव्य है। यह व्याख्या उसी प्रकार अलक्षित रहती है जिस प्रकार खुट्टल और पैनी छुरी का भेद अलक्षित रह सकता है। छुरी तो छुरी होती है। जिसे उससे कुछ काटना नहीं होता उसकी दृष्टि उसके खुट्टलपन और पैनेपन के भेद पर नहीं जाती। किन्तु जो व्यक्ति समझता है कि छुरी के खुट्टल अथवा पैनी होने पर ही उसका सारा जीवन निर्भर है उसके लिए छुरी को तेज बनाने की प्रत्येक क्रिया महत्वपूर्ण होती है। वह यह भी जानता है कि पैना करने की यह क्रिया अनंत है और सच्ची छुरी वही है जो पैनी हो और जिससे जो चाहे काटा जा सके।

जब मैं यह लेख लिखने बैठा तब मेरी यही दशा हुई। मैं सोचता था कि ल्यापिन-अनाथालय और मर्दुमशुमारीवाली अनुभूतियों के फलस्वरूप मेरे मन में जो प्रश्न उठे हैं उनके विषय में मैं सब-कुछ जानता और समझता हूँ, किन्तु जब मैंने उन्हें समझने और व्यक्त करने की चेष्टा की तब मैंने देखा कि मेरी छुरी से कुछ कटता नहीं और उसे तेज करना होगा। और अब पूरे तीन वर्ष बीत जाने पर मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि मेरी छुरी में अब इतनी धार आ गई है कि उससे मैं जो चाहूँ काट सकता हूँ। इसका यह अर्थ नहीं है कि मुझे कोई नई बात मालूम हो गई है। मेरे विचार अब भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। अतएव केवल इतना है कि पहले वे अस्पष्ट थे, आसानी से बिखर जाते थे और केन्द्रीभूत नहीं होते थे, उस समय उनमें पैनापन नहीं था और वे आज की तरह एक सरलतम तथा स्पष्टतम निर्णय में बद्ध नहीं हो पाते थे।

: १३ :

## गांवों पर शहर की विलासिता का प्रभाव

मुझे याद है कि नगर के दीन-दुखियों की सहायता करने का निष्फल प्रयत्न करते समय मुझे ऐसा लगता था कि जिस दलदल से मैं

दूसरो को बाहर निकालने की चेष्टा कर रहा हूँ उसमें स्वयं खडा हुआ हूँ। मेरे प्रत्येक नए प्रयत्न ने मुझे यह अनुभव करने के लिए बाध्य किया कि जिस धरती पर मैं खडा हूँ वह पोली है। मैंने अनुभव तो किया कि मैं दलदल में हूँ, किंतु इस अनुभूति से उस समय मुझमें यह प्रेरणा उत्पन्न नहीं हुई कि मैं अपने पैरो तले की भूमि की अधिक सावधानी के साथ जाच-पडताल करूँ और पता लगाऊँ कि मैं किस वस्तु पर खडा हूँ। मैं तो अपने चांगे, ओर फैली हुई वुराई को दूर करने के लिए लगातार बाहरी उपायो की खोज में ही लगा रहा।

उन्ही दिनों मैंने यह भी अनुभव किया कि मेरा जीवन बुरा है और इस प्रकार रहने से काम नहीं चलेगा। इतने पर भी मैं इस सहज और स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सका कि मुझे अपने रहन-सहन में सुधार कर उत्तमतर जीवन बिताना चाहिए। इसके विपरीत, मैं इस विचित्र निष्कर्ष पर पहुँचा कि अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए दूसरो का जीवन सुधारना आवश्यक है और बस मैं इसी सुधार-कार्य में लग गया।

मैं नगर में रहता था और वहाँ रहनेवाले दूसरे लोगो के जीवन को सुधारना चाहता था, किंतु मुझे शीघ्र ही इस बात का विश्वास हो गया कि यह काम मेरे लिए सम्भव नहीं है और इसीलिए मैं शहरी जीवन तथा निर्धनता के रूप पर विचार करने लगा।

“यह शहरी जीवन और शहरी निर्धनता है क्या वस्तु? क्या कारण है कि मैं शहर में रहते हुए शहर के कगालो की सहायता नहीं कर सकता?” ये प्रश्न मेरे मन में उठे और उनका मेरे मन ने ही जो उत्तर दिया वह इस प्रकार था—“मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो वे एक ही स्थान पर बहुत बड़ी सख्या में विद्यमान हैं और दूसरे वे गाव के गरीबो से विलकुल भिन्न हैं।”

“तो फिर उनके यहाँ इतनी बड़ी सख्या में होने का क्या कारण है और उनमें तथा गाव के गरीबो में क्या भेद है?”—ये प्रश्न मेरे मन में फिर उठे और इनका एक ही उत्तर मिला—“इन निर्धनो के यहाँ इतनी बड़ी सख्या में विद्यमान होने का कारण यह है कि गाव में जो

लोग अपना पेट नहीं भर पाते वे सबके सब यहां आकर अमीरो के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। इनकी विशेषता ही यह है कि रोटी कमाने के लिए वे गाव छोड़कर गहर में आ बसे हैं। यदि इनमें कुछ ऐसे हैं जिनका जन्म गहर में ही हुआ था और जिनके बाप-दादा भी गहर में ही पैदा हुए थे तो इनका यह मतलब है कि इनके पूर्वज यहां रोटी कमाने आए होंगे।

“गहर में रोटी कमाना !” इसका क्या अर्थ है ? इन शब्दों पर विचार करने से पता चलता है कि इनमें एक अजीब मजाक-जैसी बात है। जिस देहात में जगल है, मैदान है, अनाज है, चीपाए है, साराग यह कि जहा धरती की सारी सम्पदा है—उस देहात को छोड़कर लोग रोटी कमाने के लिए भला ऐसी जगह क्यों आते हैं, जहा न पेड़ है, न घास, न धरती और जहा सिर्फ पत्थर और धूल-ही-धूल है ? जिन शब्दों का प्रयोग खाने और खिलानेवाले दोनों ही इस प्रकार करते हैं मानो उनके लिए वे सर्वथा स्पष्ट और बुद्धिगम्य हों, उन शब्दों का क्या अर्थ है ?

मुझे याद है कि जब मैंने नगर में रहनेवाले सैकड़ों और हजारों लोगों से—जिनमें से कुछ अमीर थे और कुछ गरीब—यह पूछा कि आप नगर में क्यों आए हैं तो उनमें से प्रत्येक ने बिना किसी अपवाद के यही उत्तर दिया—

“मास्को में बोया-काटा नहीं जाता, फिर भी वहा धन का ढेर लगा है।”

सबने यही कहा कि मास्को में प्रत्येक वस्तु की बहुलता है और वही एक ऐसा स्थान है जहा वे उस धन का उपार्जन कर सकते हैं जिसकी उन्हें गाव में अनाज, मकान, घोड़ा और जीवन-सम्बन्धी अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए आवश्यकता पड़ती है। फिर भी यह तो सब जानते हैं कि गाव ही समस्त सम्पदा का उद्गम है और वही वास्तविक धन—अनाज, लकड़ी, घोड़ा आदि—मिलता है। तो फिर जो वस्तु देहात में उपलब्ध है, उसे लेने के लिए लोग गहर क्यों जाते हैं ? इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि गाववालों को आटा, जौ, घोड़े,

चौपाए आदि जिन पदार्थों की स्वयं आवश्यकता रहती है उन्हें वे लोग देहात से शहर में क्यों ले आते हैं ?

इस विषय पर मैंने शहर में रहनेवाले किसानों से सैकड़ों बार चर्चा की और उनकी बातचीत तथा अपने अध्ययन से मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि गाववालों का शहर में आना कुछ तो अनिवार्य है, क्योंकि उनके पास पेट पालने का कोई दूसरा साधन नहीं और कुछ स्वेच्छापूर्ण है, क्योंकि नागरिक जीवन के प्रलोभन उन्हें आकर्षित करते हैं। यह सच है कि देहात में किसान की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि उसे अपने सिर पर आ पड़नेवाले विविध व्ययों की पूर्ति के लिए अपना वह अनाज और पशु-धन बेचना पड़ता है जिसकी वह जानता है कि उसे स्वयं आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार विवश होकर—चाहे वह पसन्द करे या न करे—उसे अपना अनाज वापस पाने के लिए शहर जाना पड़ता है, किन्तु साथ-ही-साथ यह भी सच है कि शहर में पैसा कमाने की जो अपेक्षाकृत आसानी होती है उससे आकर्षित होकर और शहरी जीवन के वैभव के लोभ में भी वह शहर की ओर खिंचा चला जाता है। वहाँ वह जीविका कमाने का बहाना लेकर कम मेहनत का काम ढूँढने, बढ़िया खाने-पहनने, दिन में तीन-चार बार चाय लेने और शराब के नशे में चूर होकर स्वेच्छाचारितापूर्ण जीवन बिताने के लिए भी जाता है।

दोनों परिस्थितियों का कारण एक ही है; वह यह कि धन उत्पादकों के हाथ से निकलकर उन लोगों के पास चला जाता है जो उत्पादक नहीं हैं और इस प्रकार शहर में इकट्ठा हो जाता है। जब सर्दी का मौसम आता है तब ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मी गावों में आ बसी हो, किन्तु तत्काल ही कर, फौजी भरती, लगान आदि सिर पर आ पड़ते हैं और बोडका, शादी-विवाह, उत्सव, खोमचेवाले आदि अनेक आकर्षण मन को खींचने लगते हैं। परिणाम यह होता है कि भेड़, बछड़ा, गाय, घोड़ा, सूअर, मुर्गी अंडा, मक्खन, सन, राई, जौ, मेषी, मटर, पाट के बीज, अलसी आदि विभिन्न रूपों में सारी सम्पत्ति दूसरे आदमियों के हाथ चली जाती है और फिर देहातों से कस्बों में तथा कस्बों से शहर में पहुँचा



दी जाती है। बेचारा किसान कुछ तो अपने खर्चों की पूर्ति के लिए और कुछ प्रलोभनों के चक्कर में पडकर अपनी समस्त सम्पत्ति को बेचने के लिए विवश हो जाता है और फिर कगाल बनकर उसी जगह जाता है जहा उसका धन गया है। वहा वह कुछ तो इस बात का प्रयत्न करता है कि देहात में उसे जिन पदार्थों की नितान्त आवश्यकता है उन्हें प्राप्त करने के लिए पैसे कमा ले और कुछ शहर के प्रलोभनों में फसकर वह दूसरों के साथ व्यसनो में लिप्त हो जाता है।

सारे रूस में—रूस में ही क्यों, मैं समझता हूँ कि सारे ससार में—ऐसा ही होता है। ग्रामीण उत्पादकों का धन व्यापारियों, जमींदारों, अफसरों और मिल-मालिकों के हाथ में चला जाता है। जिन्हें धन मिलता है, वे स्वभावतः उसका उपभोग करना चाहते हैं और उसका पूरा-पूरा उपभोग वे केवल नगर में कर सकते हैं। देहात में लोग एक-दूसरे से दूर-दूर रहते हैं जिसके कारण धनवानों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कठिन होती है, क्योंकि वहा न तो कारखाने होते हैं, न बड़ी-बड़ी दुकानें, न बैंक, न होटल, न थियेटर, न मनोरंजन के विभिन्न साधन। इसके अलावा, धन से मिलनेवाला जो एक बड़ा सुख अभिमान है, अर्थात् दूसरों को अपनी शान-शौकत से चकित करने और नीचा दिखाने की जो तृष्णा है, वह भी लोगों के दूर-दूर रहने के कारण गाव में बड़ी कठिनाई से तृप्त हो पाती है। गाव में भोग-विलास की वस्तुओं के पारखी नहीं होते, वहा ऐसे लोग नहीं होते जिनकी आखों में इन वस्तुओं से चकाचौंध पैदा की जाय। गाव के मकान को चाहे जितना सजाइए, उनमें चाहे जितने चित्र और मूर्तियाँ लाकर रखिए, चाहे जितने गाड़ी-घोड़े और सौन्दर्य-सामग्रियाँ जुटाइए, वहा उनकी प्रशंसा या उनसे ईर्ष्या करनेवाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि किसान लोग इन चीजों के बारे में कुछ नहीं समझते। तीसरी बात यह है कि आत्मा की पुकार सुननेवाले और सामाजिक औचित्य की चिन्ता करनेवाले व्यक्ति को गाव में विलासिता अरुचिकर ही नहीं, बल्कि सकटजनक भी प्रतीत होती है। जबकि दूध वहाके बच्चों को भी पीने को नसीब नहीं होता हमारा उससे नहाना या पिल्लो

को पिलाना बड़ा ही भद्दा और अरुचिकर प्रतीत होता है। इसी तरह जो लोग खाद से घिरी हुई कच्ची झोपड़ियों में रहते हैं और जिनके पास आग जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं होती, उनके बीच बड़े-बड़े मडप बनवाना और वाग लगवाना कष्टकर तथा अस्वाभाविक मालूम देता है। मूर्ख किसान यदि अज्ञानवश इन सब चीजों को नष्ट कर दें तो देहात में ऐसा कोई अधिकारी नहीं जो उन्हें नियंत्रण में रख सके।

इसीलिए धनी लोग शहरों में इकट्ठे होते हैं और अपनी ही जैसी रुचि के दूसरे धनवानों के बीच जा बसते हैं। वहां भोग-विलास के हर प्रकार के साधन की सावधानी के साथ निगरानी करने के लिए बहुत-सी पुलिस तैनात रहती है। इस तरह के शहरियों में मुख्य स्थान सरकारी कर्मचारियों का है। उनके आसपास तरह-तरह के कारीगर, व्यापारी और धनी लोग आ बसे हैं। धनियों को किसी वस्तु के लिए बस इच्छा भर करने की आवश्यकता होती है और वह वस्तु उनके सामने कर दी जाती है। नगरों में रहना धनिकों को अधिक प्रिय भी होता है, क्योंकि वहां उनके अभिमान को सतुष्टि का मार्ग मिल सकता है। वहां वे भोग-विलास में दूसरों के साथ होड़ कर सकते हैं, उन्हें चकित कर सकते हैं और नीचा भी दिखा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जिसके कारण उन्हें शहर में रहना अधिक रुचिकर प्रतीत होता है, यह है कि पहले तो वैभवशाली होने के कारण उन्हें अपने गांव में रहना बड़ा अप्रिय और कष्टकर लगता था और अब नगर में आ जाने पर उन्हें आनन्द-शोक से न रहना अप्रिय मालूम होता है, क्योंकि नगर में आसपास के सभी लोग ऐसे ही रहते हैं। रहन-सहन का जो ढंग उन्हें गांव में भयप्रद और भद्दा प्रतीत होता था, वही नगर में बिलकुल उचित लगता है। नगर में एकत्र होकर धनवान लोग अधिकारियों की छत्रछाया में आतिपूर्वक उन्हीं पदार्थों की मांग करते हैं जो गांव से आते हैं। जहां अमीर लोग नित्य-नए आमोद-प्रमोद मनाते हैं और गांव से हथियाए हुए धन का उपभोग करते हैं वहां जाने के लिए कुछ अंश में ग्रामीणों को बाध्य हो जाना पड़ता है ताकि वे अमीरों की मेज से गिरनेवाले जूठन से अपना पेट भर सकें। अमीरों के इस आरामतलब

और वैभवपूर्ण जीवन को देखकर कुछ-कुछ देहातियों की भी इच्छा अपने जीवन की इस प्रकार व्यवस्था करने की होती है कि उन्हें स्वयं तो कम काम करना पड़े और वे दूसरों के परिश्रम का अधिक सुख भोग सकें। स्मरण रहे कि इस प्रकार के जीवन को सभी लोग अच्छा समझते हैं और उसका समर्थन करते हैं।

यही कारण है कि देहात के स्त्री-पुरुष शहर जाते हैं और वहाँ धनिकों का पता लगाकर उनसे उन पदार्थों को, जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, हर सम्भव रीति से वापस लेने का प्रयत्न करते हैं। इसके लिए अमीर लोग उनपर जो शर्तें लगाते हैं, उन्हें वे स्वीकार कर लेते हैं। वे उनकी सारी मनोवांछित उमंगों की पूर्ति में सहायता देते हैं, या तो उनकी स्त्रियाँ या वे स्वयं हमामों और होटलों में नौकरी बजाते हैं, कोचवानी या वेश्यावृत्ति करते हैं, गाड़ियाँ, खिलौने और फैशनेबिल कपड़े बनाते हैं और धीरे-धीरे धनवानों से उनकी ही तरह रहना सीख लेते हैं। अर्थात्, वे स्वयं श्रम न कर दूसरों की भिन्न-भिन्न युक्तियों द्वारा इकट्ठी की हुई सम्पत्ति का अपहरण करना जान जाते हैं और इस प्रकार विगडकर नष्ट हो जाते हैं। शहरों में शहर के पैसे से विगड़े हुए ऐसे ही निर्धन रहते हैं। मैं इन्हींकी सहायता करना चाहता था, किंतु कर न सका।

जरा गाव के उन लोगों की स्थिति पर विचार कीजिए जो पेट पालने या टैक्स भरने के लिए पैसा कमाने शहर आते हैं। एक ओर तो उन्हें एक-एक पैसे के लिए एड़ी-चोटी का पसीना एक करना पड़ता है, दूसरी ओर वे देखते हैं कि उनके चारों ओर लोग पागलों की भाँति हजारों रुपए पानी की तरह बहा देते हैं और चुटकियों में सैकड़ों रुपए कमा लेते हैं। ऐसी अवस्था में यदि उसमें से एक भी व्यक्ति मेहनत-मजदूरी करके पेट पालना पसन्द करता है और यदि सबके सब पैसा कमाने के आसान साधनों—व्यापार, पशु-विक्रय, भिक्षा, व्यभिचार, घोखा-धड़ी चोरी आदि—का आश्रय नहीं लेते तो यह निस्सन्देह आश्चर्य की बात है।

शहर की अनन्त रंगरलियों में भाग लेते-लेते हम लोग इस प्रकार के जीवन के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि हमें अकेले एक आदमी का पाच

बड़े-बड़े कमरों में रहना सर्वथा स्वाभाविक मालूम पड़ने लगता है—ऐसे कमरे, जिन्हें गरम करने के लिए इतना ईंधन जलाया जाता है जितना बीस परिवारों के लिए भोजन बनाने और उनके घरों को गरम रखने के लिए काफी हो सकता है। इसी प्रकार आध मील जाने के लिए दो घोड़े और दो सर्दिस रखने, अपने वेल्-बूटेदार फर्शों पर गलीचे बिछाने और नाच-गाने में दस-पाच हजार रूबल व्यय कर देने की बात तो दूर रही, बड़े दिन के बूझ के लिए २५ रूबल खर्च करना आदि भी हमें स्वाभाविक मालूम पड़ने लगता है। किंतु जिस आदमी को अपने परिवार का पेट पालने के लिए दस रूबलों की आवश्यकता है, अथवा जिसकी आखिरी भेड़ सात रूबल का कर भरने के लिए विकी जा रही है और जो कड़ी मेहनत करके पँसा पैदा नहीं कर पाता, वह ऐसे जीवन का अभ्यस्त नहीं बन सकता। हम लोग समझते हैं कि ये सब बातें गरीबों को स्वाभाविक मालूम देती हैं। कुछ लोग तो यह कहते हुए भी नहीं हिचकते कि हमारे राग-रग से गरीबों का पेट पलता है और इस बात के लिए वे हमारे कृतज्ञ हैं, परंतु निर्धन होने से मनुष्य की बुद्धि नहीं मारी जाती। निर्धन भी हमारी ही तरह तर्क-वितर्क कर सकते हैं। जब हम सुनते हैं कि किसीने दस बीस हजार रूबल उड़ा दिये तो तत्काल हमारे मन में यही विचार आता है—“कितना मूर्ख और बेकार आदमी है यह, जिसने इतने रुपए व्यर्थ ही बर्बाद कर दिये! अगर इतने रुपए मेरे होते तो इनका मैं अपने खेत में उन्नति करने या उस मकान को बनवाने में सदुपयोग करता जिसे बनवाने की मुझे इतने दिनों से इच्छा थी,” आदि-आदि। कगालों के मन में भी धन की मूर्खतापूर्वक नष्ट होते देख ठीक इसी प्रकार के विचार उठते हैं। सच पूछिए तो उनके मन में ये तर्क-वितर्क और भी अधिक होते हैं, क्योंकि उन्हें उस धन की आवश्यकता किसी लोभ की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवन की अपरिहार्य आवश्यकताएँ जुटाने के लिए होती हैं। हम लोग यह सोचने में बहुत बड़ी भूल करते हैं कि गरीब लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते और वे अपने चारों ओर फैली हुई विलासिता को शर्तिपूर्वक देख सकते हैं।

निर्धनो ने इस बात को कभी उचित नहीं माना और न मानेगे कि कुछ लोग तो सदा गुलछर्रे उडाय और कुछ भूखो मरें और हड्डिया तोड़ें। इस अन्याय को देखकर पहले तो उन्हें आश्चर्य के साथ-ही-साथ क्रोध आता है, किंतु बाद में वे इसके अभ्यस्त हो जाते हैं और यह देखकर कि समाज की ऐसी ही व्यवस्था ठीक मानी जाती है वे स्वयं भी काम से बचने तथा सदा रगरलिया मनाने की चेष्टा करते हैं। कुछको सफलता मिल जाती है और वे सदा आनन्द-भोग में मस्त रहने लगते हैं, कुछ इस प्रकार के जीवन को प्राप्त करने के लिए धीरे-धीरे अपनी भावनाएँ उत्तेजित करने लगते हैं और कुछ अपनी लक्ष्य-प्राप्ति में असफल होने के कारण हताश हो जाते हैं और मेहनत-मजदूरी की आदत छूट जाने से वेश्यालयों या अनाथाश्रमों की शरण लेते हैं।

दो वर्ष हुए हम लोग एक किसान के लड़के को नौकरी करने के लिए गांव से लाए। उसकी दरवान से नहीं पटी और वह निकाल दिया गया। बाद में उसे एक सौदागर के यहाँ काम मिल गया। उसने सौदागर को खुश कर लिया और अब वह चमचमाते हुए बूट पहनकर अपनी वास्कट में जजीर लगाए फिरता है। उसकी जगह हमने एक गृहस्थ किसान को नौकर रखा। वह शराव पीने लगा और कुछ रुपए गवा बैठा। हमने तीसरा आदमी रखा। वह पियक्कड़ था। उसने कपड़े-लत्ते बेचकर शराव पी डाली और फिर बहुत दिनों तक वह अनाथालयों में मारा-मारा फिरता रहा। इमी तरह एक बूढ़ा बावर्ची गांव से शहर में आकर शराव पीने का आदी बन गया और बीमार पड़ गया। एक दरवान भी, जो पहले बहुत शराव पीता था किंतु जो गांव में रहते हुए पिछले पांच वर्ष से अपने को नशे से बचाता आया था, पार-साल मास्को आकर फिर शराव पीने लगा और इसीमें उसने अपना सारा जीवन नष्ट कर डाला। गांव में तो उसकी स्त्री उसे शराव पीने से रोकती रहती थी; किंतु शहर में वह अकेला ही रहता था और उसे रोकनेवाला कोई नहीं था। हमारे गांव का एक लड़का मेरे भाई के यहाँ नौकरी करता है। जब मैं गांव गया था तो एक दिन

उसका अघा दादा मेरे पास आया और बोला कि बाबूजी, किसी तरह मेरे पोते को शर्मिन्दा करके टैक्स के लिए दस रूबल भिजवा दो, नहीं तो मुझे अपनी गाय बेचनी पड़ेगी। बूढ़े ने कहा—“वह हमेशा यही कहता है कि शहर में अच्छे-अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं। उसने बूट खरीद लिये हैं। इतना ही बहुत है, लेकिन मेरा खयाल है कि अब वह घड़ी खरीदने की धुन में है।” बूढ़े ने यह बात इस तरह कही जैसे उसकी राय में घड़ी खरीदने से बढकर और कोई पागलपन हो ही नहीं सकता। निस्सन्देह यदि लोगो को यह मालूम हो जाय कि बेचारे बूढ़े को लेन्ट के त्रत में खाने के साथ तेल तक मयस्सर नहीं हुआ था और एक रूबल तथा बीस कोपेक का ऋण न भर सकने के कारण उसकी काटी हुई लकड़ी उसके हाथ से निकली जा रही है तो उन्हें उसके पोते का घड़ी खरीदने का प्रस्ताव पागलपन ही जचेंगा। बाद में पता चला कि बूढ़े का आक्षेप ठीक था। उसका पोता बढिया कपड़े का काला ओवरकोट और बूट पहने मेरे पास आया। ये बूट उसने आठ रूबल में खरीदे थे। कुछ दिन पहले उसने मेरे भाई से दस रूबल पेशगी लिये थे और उन्हीमें से वह बूट खरीद कर लाया था। मेरे लडको ने, जो उसे वचपन से जानते हैं, मुझे यह भी बतलाया कि घड़ी खरीदना वह सचमुच अपने लिए आवश्यक समझता है। लडका बहुत अच्छे स्वभाव का है; किंतु समझता है कि जबतक उसके पास घड़ी नहीं होगी तबतक लोग उसकी हसी उडाते रहेगे, इसलिए घड़ी उसके लिए जरूरी है। इस साल हमारे यहाकी एक अट्ठारह वर्ष की नौकरानी का साईंस के साथ सम्बन्ध हो गया। इसपर उसे हमने निकाल दिया। इस बात की चर्चा जब मैंने अपनी बूढ़ी धाय से की तो उसने मुझे एक और दुखिया लडकी की याद दिलाई जिसे मैं भूल गया था। दस साल पहले जब हम कुछ दिनों के लिए मास्को रहे थे तब उसका भी एक दरवान से सम्बन्ध हो गया था और उसे भी हमने नौकरी से अलग कर दिया था। अंत में वह एक वेद्यालय में जा पहुची थी और अपने जीवन का बीसवा वर्ष पूरा करने से पहले-ही-पहले उपदश रोग से पीडित होकर एक अस्पताल में मर गई थी। यदि हम उन मिलो और

कारखानो को छोड़ दे जो हमारे लिए भोग-विलास की सामग्री तैयार करने में निरंतर रत रहते हैं तो भी हम अपने चारो ओर उस छूत को देखकर दहल उठेंगे जो हम अपनी विलासिता द्वारा ठीक उन्ही लोगो में प्रत्यक्ष रूप से फैलाते हैं जिनकी बाद में हम सहायता करना चाहते हैं ।

इस प्रकार जिस नागरिक, दरिद्रता को दूर करने में असमर्थ रहा था, उसके स्वरूप का अध्ययन करने पर मुझे उसके दो कारण दिखाई दिये—पहला तो यह है कि मेरे-जैसे लोग गाववालो की आवश्यकता की चीजे एकत्र कर शहर ले आते हैं और दूसरा यह कि शहर में हम गावो से बटोरी हुई सम्पत्ति के बल पर ऐश-आराम करते हैं और अपनी विलासिता से उन ग्रामीणो को ललचाते तथा भ्रष्ट करते हैं जो गाव से लाई गई वस्तु को किसी-न-किसी प्रकार वापस ले जाने के लिए हमारे पीछे-पीछे शहर आते हैं ।

: १४ :

## बीच की दीवार

इससे बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण से विचार करने पर भी मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा । इस बीच शहर के कगालो के साथ मेरा जो सम्बन्ध स्थापित हुआ था उसपर विचार करने पर मैंने यह अनुभव किया कि उन कगालो की सहायता न कर सकने का एक कारण यह था कि उन्होंने मेरे साथ कपट किया और मुझसे झूठ बोला । वे मुझे मनुष्य नहीं, एक साधन समझते थे । मैं उनके सम्पर्क में न आ सका और मैंने सोचा कि शायद यह काम मुझे आता ही नहीं; किंतु मैंने देखा कि जबतक वे सचाई से काम नहीं लेंगे तबतक उनकी सहायता नहीं की जा सकती । जबतक कोई व्यक्ति अपनी पूरी स्थिति न बतलाय तबतक उसकी सहायता कैसे की जा सकती है ? पहले मैंने इसका दोष कगालो के ही सिर मढ़ा—दूसरो पर दोषारोपण करना बड़ा स्वाभाविक

होता है, किंतु उन दिनों मेरे पास ठहरे हुए सुताएफ\* नामक एक विलक्षण पुरुष के एक शब्द ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी और मुझे मेरी असफलता का गूढ़ कारण समझा दिया। मुझे याद है कि सुताएफ की बात का उस समय भी मुझपर गहरा असर पडा था, किंतु उसका पूरा महत्व मैं बाद में समझ पाया। यह उस समय की बात है जब मेरी आत्मप्रवचना अपनी चरमसीमा पर पहुची हुई थी। मैं अपनी बहन के यहा बैठा हुआ था। सुताएफ भी वही था और मेरी बहन मुझसे मेरी योजना के सम्बन्ध में कुछ पूछताछ कर रही थी। मैंने उसे बताना आरम्भ किया और—जैसा कि काम में पूरा विश्वास न होने पर सदा होता है—मैं उसके सामने अपने काम और उसके परिणामों का बड़ी तन्मयता तथा उत्साह के साथ बढ-बढकर बखान करने लगा। मैंने उसे बतलाया कि किस प्रकार हम अनाथों और बूढ़ों की देखभाल करेंगे, किस तरह शहर में गुजारा न चला सकनेवाले किसानों को देहात वापस भेज देंगे, किस प्रकार पतितों के सुधार का मार्ग प्रशस्त करेंगे और किस प्रकार हमारी योजना के सफल होने पर मास्को में एक भी व्यक्ति निस्सहाय नहीं रह जायगा। मेरी बहन ने मेरे साथ सहानुभूति प्रकट की और हम इसी विषय पर बातचीत करते रहे। इसी बीच मैंने सुताएफ पर दृष्टि डाली। मैं जानता था कि वह पक्का ईसाई है और दानशीलता को बहुत महत्व देता है। स्वभावतः मुझे आशा थी कि वह मेरा समर्थन करेगा और इसीलिए मैंने बातचीत इस ढंग से की कि वह मेरा आशय समझ जाय। वैसे तो मैं सारी बातें अपनी बहन को सम्बोधित करके कह रहा था; किंतु वास्तव में वे सुताएफ के लिए ही थीं। भेड की खाल का काला कोट पहने—जिसे वह

---

\* सुताएफ का उल्लेख पहले आ चुका है। यह वही किसान था जिसने टॉल्सटॉय के यहाँ आए हुए लडके को मजदूरी करने के लिए गाव चलने को कहा था; किंतु उस लडके ने टॉल्सटॉय की नौकरी छोडकर सर्कस में नौकरी कर ली थी। टॉल्सटॉय इस किसान का बडा सम्मान करते थे।



किसानो की तरह घर पर और घर से बाहर भी, सब जगह पहने रहता था—वह पत्थर-जैसा अचल बैठा था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह हमारी बातें नहीं सुन रहा है और अपने ही विचारों में मग्न है। उसकी छोटी-छोटी आंखें मन्द प्रतीत होती थी, मानो वे अन्दर की ओर देख रही हो। अपनी बात समाप्त कर मैंने उसको सम्बोधित किया और पूछा कि तुम्हारी क्या राय है।

“यह सब व्यर्थ है”, उसने कहा।

“क्यों ?”

“आप जो सभा बनाने जा रहे हैं वह विलकुल व्यर्थ होगी, उससे कोई लाभ नहीं निकलेगा,” सुताएफ ने आत्मविश्वास के साथ दुहराया।

“क्यों नहीं निकलेगा ? अधिक न सही, हजारों या सैकड़ों अभागों को ही सही; मदद देना व्यर्थ क्यों जायगा ? क्या नगों को कपडा और भूखों को भोजन देना बुरा है ? यह तो वाइविल का उपदेश है।”

“मैं जानता हू कि यह वाइविल का उपदेश है; किंतु आप ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। क्या मदद करने का यही तरीका है ? आप टहलने निकलते हैं, रास्ते में आपसे कोई बीस कोपेक मागता है और आप दे देते हैं। क्या यही दान है ? यदि आप दे सकते हैं तो मागनेवाले को आध्यात्मिक दान दीजिए, उसको शिक्षा दीजिए। किंतु इसकी वजाय आप क्या करते हैं ? पैसा देकर गरीब से महज पीछा छुड़ा लेते हैं।”

“नहीं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम गरीबों की आवश्यकताएँ जानना चाहते हैं और जो जरूरतमंद हैं उन्हें धन तथा काम देना चाहते हैं और उनके लिए नौकरी भी ढूँढना चाहते हैं।”

“इस तरह से आप इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे।”

“क्या मतलब ? क्या इन्हें भूख और ठंड से मरने दिया जाय ?”

“वे मरे क्यों ? उनकी संख्या इतनी अधिक तो नहीं।”

“है क्यों नहीं ?” यह बात मैंने यह सोचकर कही कि सुताएफ इस चर्चा को इसलिए इतना तुच्छ समझ रहा है कि उसे यह पता ही

नहीं कि रूस में कंगालों की संख्या कितनी विशाल है। मैं बोला—  
“क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अकेले मास्को में करीब बीस हजार भूखे  
और ठंड से कपकंपाते हुए अभागे हैं? इसके अलावा पीटर्सवर्ग और  
दूसरे शहरों में भी...”

इसपर सुताएफ मुसकराया और बोला—“बीस हजार! और  
रूस में कुल घर कितने होंगे? दस लाख?”

“अच्छा, मान लो दस लाख! तो इससे क्या?”

“इससे क्या?” उसकी आँखें चमक उठी और उसने आदेश में  
आकर कहना आरम्भ किया—“क्यों न हम इनको अपने में वाट ले! मैं  
अमीर नहीं हूँ, फिर भी तत्काल दो का भार अपने ऊपर लेने को  
तैयार हूँ। आपके वावर्चीखाने में जो लडका था उसे मैंने अपने साथ  
चलने के लिए कहा था, लेकिन वह राजी नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ  
कि अगर इससे दसगुने कंगाल हो तब भी हम उन सबको शरण दे  
सकते हैं। एकको आप रख लीजिए, दूसरे को मैं रख लूँगा। मैं  
जिसको रखूँगा उसके साथ स्वयं काम करने जाऊँगा। वह मेरे काम  
करने का ढंग देखेगा और इस तरह जीवन-निर्वाह की विधि सीखेगा।  
हम सब एक मेज पर बैठकर खाना खायेंगे; उसे कभी मुझसे और  
कभी आपसे उपदेश के दो शब्द सुनने को मिलेंगे। सच्चा दान यह  
है। आपकी योजना तो विलकुल बेकार है।”

उसकी यह सीधी-सी बात मेरे मन में बैठ गई और मुझे उसकी  
सारथकता को स्वीकार करना पड़ा। फिर भी उस समय मुझे ऐसा लगा  
कि यद्यपि सुताएफ की बात ठीक है तथापि सम्भव है कि मैंने जो कार्य  
आरम्भ किया है वह भी उपयोगी सिद्ध हो। किंतु ज्यो-ज्यो मेरा काम  
आगे बढ़ता गया और जैसे-जैसे मैं निर्धनों के निकटतर सम्पर्क में आता  
गया, वैसे-वैसे मुझे सुताएफ के शब्दों की अधिकाधिक याद आने  
लगी और वे मेरे लिए अधिकाधिक अर्थपूर्ण बनते गए। इसमें सन्देह  
नहीं कि जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो एक बहुमूल्य रोएदार  
कोट पहनकर या स्वयं अपनी गाड़ी में निकलता हूँ। एक ऐसा आदमी,  
जिसके पाम जूते तक नहीं हैं, मेरे दो हजार रूबल के मकान पर

दृष्टि डालता है या केवल यह देखता है कि जब-कभी मेरा जी चाहता है तभी मैं बिना क्षोभ के किसीको भी पाच रूबल दे बैठता हूँ। इससे वह समझता है कि मेरे इस प्रकार रूबल लुटाने का कारण यह है कि मैंने बहुत-से रूबल इकट्ठे कर लिये हैं और मेरे पास बहुत-से रूबल फालतू भी हैं जिन्हें मैंने किसीको देने की बजाय ठीक इसके विपरीत दूसरो से सरलतापूर्वक हड़प लिया है। स्वभावतः, वह आदमी मेरे विषय में इसके अतिरिक्त और क्या सोच सकता है कि जो धन वास्तव में उसका होना चाहिए था उसे मैंने हथिया लिया है ? इसी तरह मेरे प्रति उसकी और क्या भावना हो सकती है सिवा इसके कि मैंने उससे और दूसरो से जो धन हथियाया है उसे वह अधिक-से-अधिक परिमाण में वापस ले ले ? चाहता तो मैं यह हूँ कि उसके सम्पर्क में आऊँ और उससे शिकायत करूँ कि तुम साफ-साफ बातें नहीं करते, किंतु मुझे उसके विछौने पर बैठते हुए डर लगता है कि कहीं मेरे कपडो पर जूँ न चढ़ जाय, कहीं मुझे कोई छूत की बीमारी न लग जाय। मैं उसको अपने कमरे में भी घुसने नहीं देता। जब वह भूख से विलविलाता हुआ मेरे पास आता है तब उसे मेरी दुबारी या बाहर बरसाती में ही प्रतीक्षा करनी पड़ती है—और वह भी यदि उसके भाग्य सीधे हुए तब। फिर भी मैं कहता यही हूँ कि यदि मैं उसके सम्पर्क में नहीं आ पाता या वह मुझसे खुलकर बातें नहीं करता तो इसका दोष उसपर ही है।

यदि हम नाना प्रकार के व्यजन लेकर ऐसे लोगो के बीच भोजन करने बैठ जाय जिन्हें खाने को कुछ नहीं मिला है और जिन्हें केवल सूखी रोटी मयस्सर होती है, तो—हम चाहे कितने भी कठोर-हृदय क्यों न हो—यह सम्भव नहीं कि हम स्वयं तो खा लें और भूखे लोग ओठ चाटते रह जाय। अतः भूखो के बीच रहते हुए स्वादिष्ट भोजन करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने-आपको उनसे छिपा लें और ऐसी जगह भोजन करें जहाँ वे हमें देख न सकें। सच पूछिए तो ऐसा ही हम करते भी हैं।

सामाजिक जीवन पर कुछ अधिक सरल ढंग से विचार करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि निर्धनो के सम्पर्क में आने में हमें जो

कठिनाई दिखाई देती है वह केवल सयोग की बात नहीं है, बल्कि हम जान-बूझकर अपने जीवन की व्यवस्था इस प्रकार कर लेते हैं कि उससे निर्धनो के सम्पर्क में आना कठिन हो जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि जब मैंने निस्पक्ष भाव से अमीरो के जीवन पर विचार किया तो देखा कि हमारे जीवन में जो सुख समझा जाता है वह वास्तव में वह वस्तु है—या कम-से-कम उसका उस वस्तु से अटूट सम्बन्ध है—जो हमें कगालो से यथासम्भव अधिक-से-अधिक अलग रखती है। सब पूछिए तो हमारे वैभवपूर्ण जीवन के समस्त प्रयत्नो—हमारे भोजन, कपड़े, मकान, सफाई और शिक्षा तक—का मुख्य उद्देश्य हमें गरीबो से अलग रखना है। इस प्रकार अपने और निर्धनो के बीच अलघ्य दीवारें खड़ी करने में हम अपनी सम्पत्ति का दस में से कम-से-कम नवा भाग अवश्य उड़ा डालते हैं। धनवान बनने पर हम जो पहला काम करते हैं वह है दूसरो के साथ एक ही बर्तन में भोजन करना बंद कर देना\*। हम चीनी के बर्तन मंगा लेते हैं और अपनेको रसोई-घर तथा नौकर-चाकरो से अलग कर लेते हैं।

हम अपने नौकरो को भरपेट भोजन कराते हैं, ताकि हमारे स्वादिष्ट भोजन को देखकर उनके मुह में पानी न भर आए। हम स्वयं अलग भोजन करते हैं, किंतु अकेले खाना अच्छा न लगने के कारण भोजन को सुधारने और भेज को सजाने के लिए तरह-तरह की युक्तियां करते हैं, यहातक कि हमारे भोजन करने की रीति अभिमान तथा गर्व का विषय बन जाती है। हमारा भोजन करने का ढंग हमें दूसरो से अलग करने का एक साधन बन जाता है। किसी निर्धन को भोजन के लिए निमन्त्रित करना अमीरो के लिए कल्पना से बाहर की बात है। भोज में सम्मिलित होने के लिए कितने ही शिष्टाचारो का ज्ञान आवश्यक है—जैसे महिलाओ को भेज तक पहुंचाना, एक विशेष ढंग से झुकना, बैठना, खाना, उ गलियो को कटोरी में घोना आदि—

---

\*रूस के किसान-परिवार में सब लोग एक बड़े बर्तन में से अपनी-अपनी काठ की चम्मच से भोजन निकाल कर खाते हैं।

और ये शिष्टाचार केवल धनवान ही जानते हैं। यही बात कपड़ों के सम्बंध में भी है। यदि कोई धनी व्यक्ति केवल ठंड से शरीर की रक्षा करने के लिए कपड़े पहने तो उसे बहुत ही थोड़े कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक ओवरकोट, एक भेड़ की खाल का कोट, एक जोड़ी फेल्ट जूता, एक जोड़ी चमड़े का जूता, एक किसानोंवाला कोट, पाजामा और कमीज—बस इतना ही उसको काफी होगा और यदि उसके पास भेड़ की खाल के दो कोट होंगे तो वह उसमें से एक कोट किसी बिना कोटवाले आदमी को देने में आनाकानी नहीं कर सकेगा। किंतु अमीर लोग विशेष-विशेष अवसरों के लिए विशेष-विशेष प्रकार की पोशाक बनवाते हैं और ये पोशाकें गरीबों के मतलब की नहीं होतीं। धनवानों के पास ड्रेसकोट, वेस्टकोट, जाकेट, पेटेंट चमड़े के जूते, लबादे, फ्रांसीसी एड़ी के जूते, छोटे-छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए फैशनेबिल कपड़े, शिकारी लिबास, सफरी जाकेट आदि तरह-तरह के वस्त्र होते हैं। ये कपड़े केवल उन्हीं लोगों के काम आ सकते हैं जो निर्धनता से बहुत दूर होते हैं। अतः वस्त्र भी हमें गरीबों से अलग करने के साधन बन जाते हैं। फैशन का उद्देश्य ही अमीरों को गरीबों से अलग रखना है। यही बात कुछ और भी स्पष्ट रूप में हमारे मकानों से सिद्ध होती है। दस कमरों में अकेले रहने के लिए यह आवश्यक है कि एक कमरे में दस-दस की संख्या में रहनेवाले लोग उन कमरों को न देख सकें। आदमी जितना ही अधिक अमीर होता है उतना ही उसतक पहुंचना अधिक कठिन होता है, अर्थात् उसके और निर्धनों के बीच उतने ही अधिक दरवान होते हैं और निर्धनों के लिए उसके गलीचों पर चलकर उसकी साटन की कुर्सी पर बैठना उतना ही कम सम्भव होता है। सवारी के सम्बंध में भी यही बात है। यदि बैलगाड़ी में बैठकर जाता हुआ कोई किसान किसी पैदल बटोही को बैलगाड़ी में चढ़ा लेने से इन्कार करे तो वह निस्संदेह बड़ा ही कठोर-हृदय माना जायगा। उसकी गाड़ी में जगह होती है और उसे पैदल चलनेवालों को बैठा लेने का अवसर भी प्राप्त होता है। किंतु गाड़ी जितनी बढ़िया होती है उतनी ही उसमें किसी दूसरे को स्थान

मिलने की कम सम्भावना होती है। इसीलिए जो गाड़िया सबसे सुन्दर होती हैं उनमें से कुछ 'एक सवारीवाली' गाड़ी कहलाती हैं।

'स्वच्छता' शब्द से जिस जीवनक्रम का बोध होता है उसके सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है। उन मनुष्यों को— विशेषतः उन स्त्रियों को—भला कौन नहीं जानता जो स्वच्छता को एक महान् सद्गुण मानते हैं? और कौन ऐसा है जो स्वच्छता की युक्तियों से अपरिचित हो? जबतक ये युक्तिया दूसरो के श्रम के बल पर काम में लाई जाती हैं तबतक वे अनन्त होती हैं। जो लोग धनवान बन गए हैं, उनमें से ऐसा कौन है जो अपने अनुभव से यह न जानता हो कि इस सफाई की आदत उसे कितनी कठिनाई और कष्ट से पडी है? इससे तो यही कहावत चरितार्थ होती है कि गोरे हाथो को दूसरो की ही मेहनत अच्छी लगती है।

आज स्वच्छता इस बात में मानी जाती है कि एक कमीज हर रोज बदली जाय। कल शायद इस बात में मानी जायगी कि दिन भर में दो कमीजें बदली जाय। इसी तरह आज सफाई इस बात में समझी जाती है कि मुंह-हाथ प्रतिदिन धोए जाय\*, कल इस बात में समझी जायगी कि प्रतिदिन पैर भी धोए जाय और परसो इस बात में कि प्रतिदिन सारे शरीर को स्नान कराया जाय और वह भी एक विशेष ढंग से रगड़ कर। आज एक मेजपोश दो दिन चलता है, कल रोजाना बदला जायगा और परसो दिन में दो वार। आज स्वच्छता के लिए केवल इतना आवश्यक समझा जाता है कि दरवान के हाथ साफ हो; किंतु कल उसके लिए साफ दस्ताने पहनना अनिवार्य हो जायगा और उसे आदेश मिलेगा कि वह चिठिया साफ दस्ताने पहनकर साफ तश्तरी में लाया करे। इस तरह जब सफाई दूसरो के शरीर से कराई जाती है तब उसकी कोई सीमा नहीं होती और उससे कोई लाभ भी

---

\*ह्रस में इतनी कडी सर्दी पडती है कि वहा साधारण व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन स्नान करना सम्भव नहीं। इसकी सुविधा तो वहा के अमीर लोगो के लिए ही हो सकती है।

नहीं होता, सिवा इसके कि वह हमें दूसरो से अलग रखने का साधन बन जाती है और उसके कारण हमारा दूसरो से ससर्ग रखना असम्भव हो जाता है ।

इतना ही नहीं, जब मैंने इस प्रश्न पर कुछ और गम्भीरता के साथ विचार किया तो मुझे विश्वास हो गया कि साधारणतः हम जिसे शिक्षा कहते हैं उसके सम्बन्ध में भी यही बात लागू होती है ।

भाषा हमें धोखा नहीं देती । जनता जिस वस्तु का जो अर्थ लगाती है, वही भाषा भी व्यवत करती है । साधारण लोग जिस वस्तु को 'शिक्षा' कहते हैं वह है फ़ैशनेबिल वेशभूषा, शिष्टतापूर्ण वातचीत, उजले हाथ और एक विशेष प्रकार की स्वच्छता । इन गुणों से सम्पन्न व्यक्ति दूसरो की तुलना में 'शिक्षित' कहलाता है । उच्च वर्ग के व्यक्तियों में भी 'शिक्षा' का यही अर्थ लिया जाता है; परन्तु वहाँ पियानो बजाने की योग्यता, फ़्रांसीसी भाषा का ज्ञान, हिज्जे की गलती किये बिना रूसी भाषा में पत्र लिखने की क्षमता तथा कुछ अधिक बाह्य स्वच्छता भी 'शिक्षा' के उपकरणों में जोड़ लिये जाते हैं । और भी उच्च वर्ग के लोगों में उक्त गुणों के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, किसी उच्च शिक्षण-संस्था की डिग्री तथा और भी अधिक मात्रा में बाह्य स्वच्छता 'शिक्षा' के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाते हैं । किंतु उक्त तीनों प्रकार की शिक्षा वस्तुतः एक ही है । 'शिक्षा' का अर्थ है वह आचार-व्यवहार और वह ज्ञान जो एकमनुष्य को दूसरो से अलग करता है । इसका भी वही उद्देश्य है जो स्वच्छता का— अर्थात्, हम-धनवानों को निर्धनों से अलग रखना जिससे कि भूखे और नगरे यह न देख सकें कि हम किस तरह मौज उड़ाते हैं । फिर भी, हमारा राग-रग छिप नहीं पाता और वे उसे देख ही लेते हैं ।

इस प्रकार मुझे विश्वास हो गया कि हम-अमीरों का शहर के गरीबों की सहायता न कर सकने का एक कारण यह भी है कि हम लोगों के लिए उनके ससर्ग में आना असम्भव है और हमने अपने और उनके बीच यह खाई स्वयं अपनी जीवनचर्या और अपने धन के विभिन्न

प्रयोगों से खोद ली है। मुझे यह विश्वास हो गया कि हम-घनधानों और निर्धनों के बीच स्वच्छता और शिक्षा की एक दीवार है, जिसे हमने स्वयं अपने घन से खड़ा किया और मजबूत बनाया है। अतः कगालों की सहायता करने के योग्य बनने के लिए हमें सबसे पहले इस दीवार को गिराना है ताकि हम एक-एक दो-दो अनाथ को शरण देने की सुताएफ द्वारा बताई गई युक्ति काम में ला सकें। इस दृष्टिकोण से विचार करने पर भी मैं उसी परिणाम पर पहुँचा जिसपर नगर की दरिद्रता को दृष्टि में रखकर सोचविचार करने पर पहुँचा था—अर्थात् यह कि शहरी दरिद्रता का कारण हमारी सम्पत्ति है।

: १५ :

## तो दोषी हम ही हैं

मैंने इस प्रश्न पर एक और भी दृष्टिकोण से विचार करना आरम्भ किया। वह दृष्टिकोण पूर्णतः व्यक्तिगत था। परोपकार का कार्य करते समय मुझपर जिन बातों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा था उनमें से एक बड़ी अद्भुत थी और बहुत दिनों तक मैं उसका कारण नहीं ढूँढ पाया। बात यह थी कि घर पर या सड़क पर जब कभी मुझे किसी कगाल को बिना बातचीत किये ही पैसा देने का संयोग होता तो मैं देखता या मुझे ऐसा लगता कि उसके मुख पर प्रसन्नता और कृतज्ञता के भाव झलक रहे हैं। ऐसे अवसरों पर मुझे स्वयं भी बड़ी सुखकर अनुभूति होती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने वही काम किया है जो वह कगाल चाहता था और जिसकी उसे मुझसे आशा थी, किंतु जब कभी मैं ऐसे व्यक्ति से बातचीत करने के लिए ठहर जाता और उसके पिछले तथा वर्तमान जीवन के सम्बंध में सहानुभूति के साथ विस्तारपूर्वक पूछताछ करने लगता, तब मुझे उसे तीन-चार या दस-बीस कोपेक देना ठीक नहीं जचता और अपना बटुवा टटोलते हुए मैं इस सोच में पड़ जाता कि आखिर कितना दूँ। उस दशा में मैं सदा अधिक ही दे दिया करता था।



फिर भी मैं देखता था कि वह मेरे पास से असंतुष्ट होकर गया है । यदि मैं उससे और भी घनिष्ठतापूर्वक वाते करने लगता तो पैसों की संख्या के सम्बन्ध में मेरा असमंजस और भी बढ़ जाता और उस समय मैं चाहे कितना भी दे डालता, कगाल मेरे पास से पहले की अपेक्षा अधिक निराश और अधिक असंतुष्ट ही होकर जाता । यह एक नियम-सा हो गया था कि जब-कभी मैं किसी कगाल को अधिक घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करने के बाद तीन या अधिक रूबल देता तो सदा उसके मुख पर निराशा, असतोष और क्रोध तक के भाव झलकने लगते । कभी-कभी तो ऐसा होता कि मेरे दस रूबल दे देने पर भी वह धन्यवाद तक देने का शिष्टाचार न दिखाता और चुपचाप चल देता, मानो मैंने उसके साथ कोई अपराध कर दिया हो । ऐसे अवसरों पर मुझे सदा बेचैनी होती, अपने ऊपर लज्जा आती और ऐसा अनुभव होता जैसे मैं वास्तव में अपराधी हूँ । इससे भी आगे बढ़कर यदि मैं किसी निर्धन को हफ्तों, महीनों या वर्षों सम्पर्क में रहने के बाद सहायता देता और उसे अपने विचार बतलाने का प्रयत्न करते हुए घनिष्ठता स्थापित करता तो उसके साथ मेरे सम्बन्ध दुखदाई बन जाते और मुझे लगता कि वह मुझसे घृणा करता है । उस समय मेरी अतरात्मा कहती कि उसका ऐसा करना ठीक ही है ।

सड़क पर जाते समय यदि कोई भिखारी दूसरे राहगीरों की तरह मुझसे भी तीन कोपेक माग ले और मैं उसको दे दूँ तो उसकी दृष्टि में मैं एक नेक और दयालु राहगीर बन जाऊँगा—एक ऐसा राहगीर जो किसी नगरे के लिए कमीज बनवाने में योग देने के निमित्त एक घागा दान देता है । सच पूछिए तो वह भिखारी एक घागे से अधिक की आशा भी नहीं रखता और यदि मैं उसको इतना दे देता हूँ तो वह मुझे दिल से दुआ देता है । किंतु यदि मैं उसके पास रुककर एक भाई के नाते वाते करता हूँ और यह प्रदर्शित करता हूँ कि मैं उसके लिए एक राहगीर की अपेक्षा कुछ अधिक बनना चाहता हूँ और—जैसा कि अक्सर होता है—यदि वह रो-रोकर मुझे अपना दुखड़ा सुनाने लगता है, तब वह मुझे केवल एक राहगीर नहीं बल्कि एक दयालु पुरुष

समझने लगता है, जैसाकि मैं स्वयं चाहता हू कि वह समझे। किंतु यदि मैं सचमुच दयालु हू तो मेरी दया बीस कोपेक या दस रूबल या दस हजार रूबल पर समाप्त नहीं हो सकती। यह सम्भव नहीं कि हम थोड़े-से ही नेक बनकर रह जाय। मान लीजिए मैंने किसीको बहुत-सा धन दे दिया है, उसको रहने की जगह और पहनने को कपड़े भी दिलवा दिये हैं और उसे इस योग्य बना दिया है कि वह अपने पैरो पर खड़ा हो सके और दूसरो की दया पर निर्भर रहे बिना ही अपना जीवन-निर्वाह कर सके। इतने पर भी यदि दुर्भाग्यवश या स्वयं अपनी दुर्बलता अथवा दुश्चरित्रता के कारण वह व्यक्ति मेरे दिये हुए ओवरकोट, कपड़े अथवा रुपए को गवा दे और भूखो मरता तथा जाड़े में ठिठुरता मेरे पास दुबारा आय तो यह कैसे सम्भव है कि मैं उसे कुछ और देना अस्वीकार कर दूंगा ? यदि मेरी चेष्टाओ का उद्देश्य केवल भौतिक वस्तुओ की पूर्ति करना हो—जैसे, किसी निर्धन को रूबल दे देना या ओवरकोट बनवा देना—तब तो उसके लिए एक बार इतना कर चुकने के बाद मैं निश्चित बैठ सकता हू, किंतु मेरी चेष्टाओ का उद्देश्य इतना ही नहीं है। मेरा उद्देश्य तो दयालु बनना है, मैं चाहता हू कि मैं अपनी ही प्रतिच्छाया उन व्यक्तियों में देखू। दयालुता का सब लोग यही अर्थ मानते हैं, कोई दूसरा नहीं। अतः यदि हम किसी निर्धन की बीस बार सहायता करें और प्रत्येक बार वह सारे पैसो की शराब पीकर फिर भूखा और नगा हो जाय तब भी यह सम्भव नहीं कि यदि हम वास्तव में दयालु हैं तो उसकी पुन सहायता किये बिना रह जायगे। इतना ही नहीं, बल्कि जबतक भी हमारे पास उस निर्धन से अधिक धन रहेगा तबतक हम उसे सहायता देना बंद नहीं करेंगे और यदि हम उसकी सहायता करने से हाथ खींचेंगे तो यह प्रमाणित करेंगे कि हमने जो-कुछ किया था वह इसलिए नहीं किया था कि हम दयालु हैं बल्कि इसलिए कि हम उसकी और दूसरे लोगो की आंखों में दयालु दिखाई देना चाहते थे।

जब-जब मुझे निर्धनो की सहायता करने से हाथ खींचना पडा और इस प्रकार अपनी दयालुता को तिलांजलि देनी पडी, तभी-तभी मुझे मर्मान्तक लज्जा का अनुभव हुआ।

ऐसी ही लज्जा का अनुभव मुझे ल्यापिन-अनायालय में हुआ था और उससे पहले तथा बाद में भी जब-कभी मैं गाव में गरीबों को पैसा या कोई दूसरी वस्तु देता और जब कभी मैं नगर में दरिद्रों के बीच जाता तो मुझे ऐसी ही अनुभूति होती ।

हाल की एक घटना ने मुझे इस लज्जा का बड़ा ही मार्मिक स्मरण कराया और यह भी स्पष्ट कर दिया कि निर्धनों को पैसा देते समय मुझे ऐसी अनुभूति क्यों होती थी ।

यह घटना गाव में घटी । एक तीर्थयात्री को देने के लिए एक बार मुझे बीस कोपेक की आवश्यकता पड़ी । मैंने अपने लडके से कहा कि जाकर किसीसे उधार माग ला । उसने कोपेक लाकर तीर्थयात्री को दे दिये और मुझे बतलाया कि यह रकम वह रसोइए से उधार ले आया है । कुछ दिनों बाद कुछ और तीर्थयात्री आए और मुझे फिर बीस कोपेक की आवश्यकता पड़ी । मेरे पास एक रूबल था । तभी मुझे याद आया कि रसोइए को बीस कोपेक देने हैं । यह सोचकर कि उसके पास रूबल की बाकी खरीज मिल जायगी मैं रसोईघर में गया और रसोइए से बोला—“मैंने तुमसे बीस कोपेक उधार लिये थे, लो यह एक रूबल ....” मेरे वाक्य समाप्त करने से पहले ही उसने दूसरे कमरे से अपनी स्त्री को पुकारा और कहा—“पराशा, यह रूबल ले लो ।” यह सोचकर कि वह मेरा अभिप्राय समझ गई है मैंने उसे रूबल दे दिया । यहां यह बतला देना प्रयोजनीय है कि इस रसोइए को हमारे यहां आए केवल एक सप्ताह हुआ था और मैंने उसकी स्त्री को देखा तो अवग्य था किंतु उससे बातचीत नहीं की थी । मैं उससे गेप पैसे लौटाने के लिए कहने ही जा रहा था कि वह मेरे हाथ पर झुकी और यह समझकर कि मैं वह रूबल उसे ईनाम में दे रहा हूँ वह कृतज्ञता-प्रकाश के लिए मेरा हाथ चूमने\* को उद्यत हुई ।

कुछ बड़बडाता हुआ मैं रसोईघर से बाहर चला आया । उस समय मुझे बड़ी लज्जा आई, इतनी लज्जा जितनी वर्षों से नहीं आई

\* रूस में कृतज्ञता-प्रकाश का यही आम तरीका है ।

थी। शर्म की पीड़ा से मेरा शरीर एँठने लगा और मैंने साफ-साफ देखा कि मैंने दात तक निपोर दिये हैं। वहासे भागते समय मैं क्षोभ से कराह उठा। लज्जा की इस तीव्र भावना से, जो उस समय मेरे लिए बिलकुल अवाञ्छित और अप्रत्याशित थी, मैं चौक पड़ा—विशेषतः इसलिए कि बहुत दिनों से मुझे ऐसी अनुभूति नहीं हुई थी और मैं समझता था कि बूढ़ा होने के कारण मैं इस ढंग से जीवन बिता रहा हूँ कि मुझे इस प्रकार लज्जित होने की आवश्यकता ही नहीं। यही कारण था कि मैं स्तम्भित रह गया। मैंने इस घटना की चर्चा अपने परिवार-वालों और कुछ मित्रों से की और सभीने यह स्वीकार किया कि यदि वे मेरी स्थिति में होते तो उन्हें भी ऐसी ही अनुभूति हुई होती।

अब मैं सोचने लगा कि लज्जा मुझे क्योंकर आई। इस प्रश्न का उत्तर कुछ दिन पहले मास्को में घटी एक घटना से मिला। उसपर जब मैंने गम्भीरतापूर्वक विचार किया तो रसोइए की स्त्री के सामने लज्जित होने का कारण साफ-साफ समझ में आ गया। साथ-ही-साथ यह भी स्पष्ट हो गया कि मास्को में परोपकार का कार्य करते समय मुझे बार-बार क्यों लज्जा आती थी और अब भी जब-कभी मैं साधुओं और तीर्थयात्रियों को उत्तने से अधिक दान दे देता हूँ जितने की मुझे आदत पड़ी हुई है और जिसे मैं दान नहीं बल्कि शिष्टाचार और सौजन्य मानता हूँ, तो क्या कारण है कि सदा मुझे अपने ऊपर लज्जा आती है? यदि कोई हमसे प्रकाश के लिए कहे और यदि हमारे पास दियासलाई हो तो हमें चाहिए कि हम उसके लिए दियासलाई जला दें। इसी प्रकार यदि कोई हमसे तीन या बीस कोपेक अथवा कुछ रूबल भी मागे और यदि हमारे पास हो, तो हमें अवश्य दे देना चाहिए। यह दान नहीं सौजन्य की बात है।

वह घटना इस प्रकार थी। पहले मैं दो किसानों को चर्चा कर चुका हूँ, जिनके साथ दो वर्ष हुए मैं लकड़ी चीरा करता था। एक शनिवार की शाम को झुटपुटे के समय मैं उनके साथ शहर आ रहा था। वे अपने मालिक के पास मजदूरी लेने जा रहे थे। एक पुल के

पास हमें एक बूढ़ा मिला। वह भीख मागने लगा और मैंने उसे बीस कोपेक दिये। उन्हें देते समय मैंने सोचा कि मेरे दान का सेम्याँन पर, जिसके साथ मैं पारमार्थिक विषयो, पर बातें करता आ रहा था, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सेम्याँन ब्लाडीमीर का रहनेवाला किसान था और मास्को में उसकी स्त्री तथा दो बच्चे थे। उसने भी रुककर अपने लम्बे कोट के भीतर से बटुआ निकाला और उसमें से तीन कोपेक का एक सिक्का निकालकर उस बूढ़े को देते हुए दो कोपेक वापस मागे। बूढ़े ने हाथ पसारकर अपने सारे पैसे दिखला दिये। उसके पास तीन कोपेकवाले दो और एक कोपेकवाला एक सिक्का था। सेम्याँन ने उन सिक्को की ओर देखा। वह एक कोपेकवाला सिक्का उठाने ही वाला था कि एकाएक उसका विचार बदल गया; उसने टोपी उतारकर बूढ़े को सलाम किया और उसके हाथ में तीन कोपेक का सिक्का छोड़कर वह आगे बढ़ गया। मैं सेम्याँन की आर्थिक स्थिति से परिचित था। उसके पास न अपना घर था, न कोई दूसरी सम्पत्ति। जिस दिन उसने बूढ़े को तीन कोपेक दिये उस दिन तक उसने कुल मिलाकर ६ रूबल और ५० कोपेक कमाए थे। यह रकम उसने बचा कर रखी थी और यही उसकी कुल सम्पत्ति थी। मेरी सम्पत्ति लगभग ६ लाख रूबल की थी। मैं बाल-बच्चेदार आदमी था। सेम्याँन भी गृहस्थ था। आयु में वह मुझसे छोटा था और उसके बच्चों की संख्या भी कम थी। किंतु उसके बच्चे अभी छोटे थे, जबकि मेरे दो लड़के कमाने योग्य हो गए थे। इस प्रकार सम्पत्ति को छोड़कर हम दोनों की स्थिति प्रायः एक-सी थी, बल्कि मेरी स्थिति कुछ अच्छी ही थी। उसने तीन कोपेक दिये और मैंने बीस। अब सोचिए कि उसके और मेरे दान में क्या अंतर था। उसके बराबर दान करने के लिए मुझे कितना देना चाहिए था? उसके पास छ सौ कोपेक थे, जिनमें से उसने तीन बूढ़े को दे दिये। मेरे पास छ लाख रूबल थे। सेम्याँन की बराबरी करने के लिए मुझे बूढ़े को तीन हजार रूबल का नोट देकर उससे दो हजार का नोट वापस मागना चाहिए था और दो हजार का नोट न मिलने पर उसे भी उसके पास छोड़कर सलाम करते

हुए आगे बढ़ जाना चाहिए था और चुपचाप इधर-उधर की बातों में लग जाना चाहिए था। इस घटना पर विचार तो मैंने उसी समय किया, किंतु उससे अनिवार्य रूप से निकलनेवाले निष्कर्ष पर बहुत दिनों बाद पहुँचा। वह निष्कर्ष गणित के समान असदिग्ध होते हुए भी इतना असाधारण और विचित्र मालूम होता है कि उसका अभ्यस्त बनने के लिए समय की आवश्यकता है। सदा ऐसा लगता है मानो इस निष्कर्ष में कोई-न-कोई त्रुटि है, किंतु वस्तुतः ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों की आँखों के सामने केवल भ्रम का एक भयकर जाल छाया रहता है।

इस निष्कर्ष की असदिग्धता पर विश्वास होते ही मुझे उस लज्जा का रहस्य मालूम हो गया जो मुझमें रसोइए की स्त्री के सामने और निर्धनो को सहायता देते समय उत्पन्न हुई थी और ऐसे अवसरों पर अब भी होती है।

जो पैसा मैं निर्धनो को देता हूँ और जिसे रसोइए की स्त्री ने समझा था कि मैं उसे दे रहा हूँ वह वास्तव में क्या है? प्रायः वह मेरी सम्पत्ति का इतना छोटा अंश होता है कि उसे सेम्यान अथवा रसोइए की स्त्री के सामने वृद्धिगम्य रूप में उपस्थित नहीं किया जा सकता। साधारणतया वह मेरी सम्पत्ति का दस लाखवा हिस्सा होता है। मैं इतना थोड़ा देता हूँ कि उससे न तो मेरी सम्पत्ति में कोई कमी आती है, न आ सकती। मेरा दान तो एक प्रकार का मनोविनोद, एक तरह की मन की तरंग है। जब चाहा तब दिया जब चाहा तब नहीं दिया। रसोइए की स्त्री ने मेरे खबल को इसी रूप में देखा था। जब मैं राह चलते लोगों को एक खबल या बीस कोपेक दे देता हूँ तो क्या कारण है उसे एक खबल न दे देता? मेरा इस प्रकार दान देना उसकी दृष्टि में ठीक वैसा ही था जैसा कगालों की भीड़ में भद्र पुरुषों का रोटी के टुकड़े उछालना। यह तो जिनके पास बहुत-सा बेकार धन होता है उनका एक मनोरंजन है। मुझे लज्जा इसलिए आई कि रसोइए की स्त्री की भूल ने मुझे यह स्पष्ट रूप से बतला दिया कि केवल वही नहीं बल्कि दूसरे गरीब लोग भी मेरे विषय में ऐसा ही विचार

रखते हैं, वे समझते हैं कि मैं अपना मुफ्त धन—वह धन जो मैंने कमाया नहीं है—योही बाटता फिरता हूँ ।

मेरा धन वास्तव में क्या है और कहा से आया है ? इसका कुछ अर्थ तो मुझे उस भूमि से प्राप्त हुआ है जो मुझे अपने पिता से उत्तराधिकार-स्वरूप मिली है और जिसका लगान देने के लिए किसान को अपनी आखिरी भेड़ या गाय बेचनी पड़ती है । मेरी सम्पत्ति का दूसरा अर्थ मेरे लेखों तथा पुस्तकों से आया है । यदि मेरी पुस्तकें हानिकारक हैं तो मैं उसके खरीदारों के मार्ग में केवल प्रलोभन का जाल बिछाता हूँ और उनसे मुझे जो धन मिलता है वह बुरे रूप से कमाया हुआ धन है । किन्तु यदि मेरी पुस्तकें उपयोगी हैं, तब तो और भी बुरी बात है । मैं ये पुस्तकें लोगों को देता नहीं, बल्कि कहता हूँ कि लाओ मुझे सत्रह रूबल\* दो तब मैं तुम्हें अपनी पुस्तकें छूने दूंगा । जिस प्रकार लगान भरने के लिए किसान को अपनी अंतिम भेड़ बेचनी पड़ती है, उसी प्रकार मेरी पुस्तकें के लिए कोई निर्धन विद्यार्थी, कोई निर्धन अध्यापक, या कोई दूसरा निर्धन व्यक्ति अपनी आवश्यक वस्तुओं से वंचित रह जाता है । इस रूप में मैंने बहुत-सा धन इकट्ठा कर लिया है । लेकिन उसका मैं आखिर करता क्या हूँ ? मैं उसे शहर ले आता हूँ और यदि गांव के गरीब लोग शहर आकर मेरे इच्छानुसार कार्य करते हैं—जैसे, मेरे यहाँ झाड़ू लगाना, मेरे लैंप बज्जते साफ करना और कारखानों में काम करना—तो मैं शहर लाए हुए इस धन का कुछ अर्थ उन्हें दे देता हूँ । इसके बदले में मैं उनसे जितना भी काम ले सकता हूँ लेता हूँ, अर्थात् मैं उन्हें कम-से-कम देने और उनसे अधिक-से-अधिक लेने का प्रयत्न करता हूँ । फिर एकाएक विलकुल अप्रत्याशित रूप से और अकारण ही मैं यही धन इन्हीं गरीबों में बांटने लगता हूँ—सबको नहीं, बल्कि थोड़ों को अपने इच्छानुसार चुनकर । ऐसी दशा में क्यों न उनमें से प्रत्येक व्यक्ति यह आशा करे कि जिन लोगों को मुफ्त

---

\* उस समय टॉल्सटॉय के लेखों आदि का संग्रह १७ रूबल में मिलता था ।

घन बाटकर मैं अपना मनोरजन करूंगा उनमें शायद उसे भी सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो जाय ?

सारे कगाल मुझे इसी दृष्टि से देखते हैं ओर रसोइए की स्त्री ने भी मेरे विषय में ऐसा ही सोचा था। मैं इतने बड़े भ्रम में था कि एक हाथ से गरीबों से हजारों रुपए छीनकर दूसरे हाथ से कुछ चुने हुए निर्धनों के सामने कौड़िया बखेरने को परोपकार कहता था। अतः इसमें आश्चर्य ही क्या कि मुझे अपने ऊपर लज्जा आई।

तो, परोपकार करने से पहले यह आवश्यक है कि मैं स्वयं बुराई से दूर खड़ा हो जाऊँ, एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाऊँ जहाँ बुराई करना ही बंद हो जाय। इसका कारण यह है कि मेरा सारा जीवन बुराई से भरा हुआ है। हो सकता है कि अपनी सम्पत्ति में से निर्धनों को एक लाख रूबल दे डालने के बाद भी मैं अपने को परोपकार की स्थिति में न पा सकूँ, क्योंकि तब भी मेरे पास पाँच लाख रूबल बच ही जायगे। थोड़ा-बहुत भी परोपकार मैं उसी समय कर सकूँगा जब मेरे पास एक कौड़ी भी शेष न रह जाय, चाहे वह परोपकार उतना ही क्यों न हो जितना उस वेश्या ने बीमार स्त्री और उसके बच्चे की तीन दिन तक सुश्रूषा करके किया था। भला सोचिए तो, उसके इस परोपकार को मैंने बहुत ही नगण्य समझा और फिर भी मुझ परोपकार करने की कल्पना करने का साहस हुआ। वास्तव में सत्य का एकमात्र स्वरूप तो मेरी उस भावना में दिखाई दिया था जो ल्यापिन-अनाथालय के भूखों और नगों को देखते ही मेरे मन में उदित हुई थी और जिसने यह स्पष्ट कर दिया था कि उनकी दुर्दशा का दोष मुझपर है और जैसा जीवन मैं बिता रहा हूँ वैसा निरन्तर कदापि नहीं बिता सकूँगा।

तो फिर हम क्या करें ? यदि किसीको अब भी इस प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा है तो भगवान की कृपा से मैं आगे के पृष्ठों में उसका विस्तृत उत्तर दूँगा।



## हमारे शोषण का जाल

पहले तो मेरे लिए यह विश्वास करना कठिन था कि मैं एक भ्रम-जाल में फंसा हुआ हूँ, किंतु जब मुझे सत्य का ज्ञान हुआ तब मैं स्तम्भित रह गया। मैं स्वयं कान तक दलदल में फंसा हुआ था और फिर भी यही सोचता था कि मैं दूसरो को उस दलदल में से निकाल सकूँगा।

मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ ? मैं लोगो की भलाई करना चाहता हूँ, कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहता हूँ कि एक भी प्राणी नगा और भूखा न रहे और मनुष्य मनुष्य की तरह जीवन-निर्वाह करे।

ऐसा मैं चाहता तो अवश्य हूँ, किंतु देखता हूँ कि हिंसा, बल-प्रयोग आदि जिन विभिन्न शोषण-क्रियाओ में मैं हाथ बटाता हूँ उनसे एक ओर तो मजदूर अपनी अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुओ से वंचित हो जाते हैं और दूसरी ओर मेहनत न करनेवाले लोग—जिनमें से एक मैं भी हूँ—मेहनत करनेवालो की मेहनत से छककर लाभ उठाते हैं।

मैं देखता हूँ कि इस शोषण-व्यूह की रचना कुछ इस प्रकार की गई है कि मनुष्य जितना ही अधिक छल-प्रपंच करता है उतना ही अधिक वह दूसरो के श्रम का लाभ उठाता है और स्वयं कम मेहनत करता है।

ऐसा करनेवालो में सबसे पहला स्थान बड़े-बड़े पूजीपतियो, मिल-मालिको, खानो के स्वामियो और भूमिपतियो का है। इनके बाद बड़े-बड़े महाजन, व्यापारी, जमींदार और अफसर आते हैं। तीसरा स्थान मध्यम वर्ग के महाजनों, व्यापारियो, अफसरो और मेरे-जैसे जमींदारो का है। इनके बाद छोटे व्यापारियो, सराय के स्वामियो, सूदखोरो, पुलिस-अफ-

सरो, सिपाहियो, स्कूली अध्यापको, पुरोहितो और क्लर्कों का निम्न वर्ग है। इनके नीचे दरवान, खानसामे, सार्डिस, भिस्ती, गाड़ीवान और विसाती आदि हैं और सबसे नीचे कारखानो में काम करनेवाले मजदूर तथा किसान हैं, जिनकी सख्या अन्य सब वर्गों की अपेक्षा दसगुनी है। मैं देखता हूँ कि इन श्रमजीवियो मे से दस मे से नौ का जीवन कुछ इस प्रकार का है कि उसके लिए उसे स्वभावतः कठोर श्रम करने की आवश्यकता पडती है, जैसा कि सभी स्वाभाविक जीवन के लिए होता है। परन्तु हमारे द्वारा प्रयोग मे लाई जानेवाली विविध शोषण-विधियो के फलस्वरूप स्थिति दिन-पर-दिन बिगडती जा रही है और श्रमजीवियो का जीवन अधिक दुःख-पूर्ण बनता जा रहा है। इसके विपरीत हम-जैसे निठल्लो का जीवन कला और विज्ञान की सहायता से प्रति वर्ष अधिक सम्पन्न, अधिक आकर्षक और अधिक सुरक्षित होता जा रहा है।

मैं देखता हूँ कि आजकल मजदूर लोग—विशेषतः वृद्ध स्त्री, पुरुष और बच्चे—अतिशय परिश्रम और अपर्याप्त पोषण के कारण काल-कलवित होते जा रहे हैं, उन्हें जीवन की नितान्त आवश्यक वस्तुओ तक के प्राप्त होने की आशा नही होती। दूसरी ओर निठल्ले लोगो को—जिनमे एक मैं भी हूँ—प्रति वर्ष अधिकाधिक सुख और विलास की सामग्रिया मिलती जा रही है और उनका जीवन अधिकाधिक सुरक्षित होता जा रहा है; यहातक कि उनमे से मुझ-जैसे कुछ भाग्यशाली लोगो का जीवन सुरक्षा की उस सीमा पर पहुच गया है जिसका स्वप्न पुराने जमाने में लोग केवल परियो की कहानियो मे देखा करते थे। हमारी अवस्था उस व्यक्ति की-सी हो गई है जो जादू की किसी अक्षय थैली का स्वामी बन बैठा है। दूसरे शब्दो मे हम उस अवस्था मे पहुच गए हैं जिसमें मनुष्य न केवल जीवन-रक्षा के लिए परिश्रम करने के प्राकृतिक नियम से मुक्त हो गया है बल्कि इस योग्य भी बन गया है कि परिश्रम किये बिना ही वह जीवन के समस्त सुखो का उपभोग कर सके और अपने बाद अपनी जादू की अक्षय थैली या तो अपनी संतान को या अपने इच्छानुसार किसी और व्यक्ति को दे जा सके। मैं देखता हूँ कि मनुष्य के परिश्रम का फल श्रम करनेवालो

को न मिलकर अधिकाधिक निटल्ले लोगो को मिल रहा है। एसा मालूम पडता है कि समाज के विशाल भवन का पुनर्निर्माण कुछ इस ढंग से हो रहा है कि नीव के पत्थर शिखर की ओर चढते जा रहे हैं और यह परिवर्तन दिन-दूना रात-चौगुना बढता जा रहा है। मैं देखता हू कि जो कुछ हो रहा है वह ऐसा है जैसे किसी बाबी की चीटिया अपने समान नियम को भूल जायं और उनमें से कुछ चीटिया मिट्टी को उठा-उठाकर नीचे से ऊपर ले जाने लगें और इस प्रकार नीचे का भाग क्रमश छोटा होता जाय और शिखर बढता जाय; यहातक कि अन्य चीटिया भी विवश होकर नीचे से ऊपर चली जाय। मैं देखता हू कि परिश्रमी जीवन के आदर्श का स्थान जादूवाली थैली के आदर्श ने ले लिया है। धनिको ने, जिनमे एक मैं भी हू, अनेक युक्तियों से जादू की थैली हथिया ली है और उसका उपभोग करने के लिए हम शहरो में, अर्थात् एक ऐसी जगह, आ वसे हैं जहा उत्पादन एक भी वस्तु का नहीं होता किंतु उपभोग सब वस्तुओ का होता है। अभागा मजदूर, जो इस जादू की थैली को अमीरो के लिए सुलभ बनाने के लिए लुटा जाता है, उनके पीछे-पीछे शहर पहुचने की चेष्टा करता है। वहा पहुचकर वह भी छल-प्रपच सीख जाता है और या तो अपने लिए ऐसी स्थिति पैदा कर लेता है जिसमें थोडा श्रम करने से ही अधिक प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार मजदूर-वर्ग का वोज और भी अधिक बढ जाता है, या उस स्थिति तक पहुचने मे असफल होने के कारण वह नष्ट हो जाता है और सराय मे रात काटनेवाले उन भूखो-नगो की श्रेणी मे जा मिलता है जिसकी सख्या आश्चर्यजनक वेग के साथ बढ रही है।

मैं उस वर्ग के लोगो में से हू जो अनेकानेक युक्तियों द्वारा मजदूरो को जीवन सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओ से वचित कर देता है। इन्ही युक्तियों के बल पर उसे वह जादूभरी थैली मिली है जिसे बेचारे मजदूर ललचाई हुई आखो से देखते हैं। यदि मैं इन निर्धनो की सहायता करना चाहता हू तो यह स्पष्ट है कि मुझे इन लोगो को लूटना नहीं चाहिए, जैसा कि मैं कर रहा हू। इसके अलावा मुझे इन लोगो को

प्रलोभन भी नहीं देना चाहिए। किंतु इसके विपरीत, मैंने सदियों से प्रचलित जटिलतम, कुटिल और क्रूर छल-प्रपंचों की सहायता से अपने लिए एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर ली है जैसी जादू की थैली रखनेवाले किसी भी व्यक्ति की हो सकती है। अर्थात्, मैं उस स्थिति में पहुँच गया हूँ जिसमें वय कोई काम-काज किये बिना ही सैकड़ों, हजारों आदमियों को अपने लिए काम करने को बाध्य कर सकता हूँ। ऐसा ही मैं आजकल कर भी रहा हूँ; फिर भी यह सोचने की धृष्टता करता हूँ कि मैं निर्धनों पर दया करता हूँ और उनकी सहायता करना चाहता हूँ। एक ओर तो मैं गरीब की पीठ पर सवार होकर उसका दम घोट देता हूँ और उसे बाध्य करता हूँ कि वह मुझे लादकर ले चले और दूसरी ओर अपनेको तथा दूसरों को विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे उस बेचारे के लिए सहानुभूति है और मैं हर सम्भव युक्ति से उसका भाग्य सुधारना चाहता हूँ, बशर्ते कि मुझे उसकी पीठ से उतरना न पड़े।

बात बिलकुल सीधी-सादी है। यदि मैं निर्धनों की सहायता करना चाहता हूँ, अर्थात् यदि मैं चाहता हूँ कि निर्धन न रहे, तो मुझे उन्हें निर्धन नहीं बनाना चाहिए। परंतु वास्तविकता यह है कि उन गरीबों को, जो जीवन-मार्ग से विचलित हो गए हैं, मैं स्वेच्छा से दसियों, बीसियों या सैकड़ों रूबल दे डालता हूँ, किंतु जो लोग अभी विचलित नहीं हुए हैं उनसे मैं ठीक इसी प्रकार के सहस्रों रूबल वसूल कर लेता हूँ। इस प्रकार मैं उन्हें निर्धन बनाने के साथ-ही-साथ बुद्धिमत्त भी कर देता हूँ।

बात तो बिलकुल सरल है, फिर भी इसे पूरी तरह समझना मेरे लिए उस समय तक अत्यन्त कठिन था जबतक कि मैं कोई ऐसा समझौता न कर लेता या ऐसे बहाने न ढूँढ़ लेता जिनसे मेरे पक्ष का समर्थन हो सकता। पर जैसे ही मैंने अपना अपराध स्वीकार किया, वैसे ही जो बातें पहले विचित्र, जटिल, अस्पष्ट और अगम्य मालूम होती थी वे बिलकुल सरल और बोधगम्य हो गईं। सबसे बड़ी बात यह हुई कि इस व्याख्या के फलस्वरूप स्वयं मेरे जीवन का मार्ग सुगम,

स्पष्ट और सुखदायी हो गया और पहले की भांति जटिल, अगम्य तथा क्लेशकर न रह गया ।

लोगो की सहायता करने की इच्छा रखनेवाला मैं हू कौन ? मैं लोगो की सहायता करना चाहता हू, फिर भी मैं चार-चार मोमवत्तिया जलाकर रात को देर तक ताश खेलता हू और फिर दोपहर तक पडा सोता रहता हू । मैं दुर्बल, पौरुषहीन हो गया हू और मुझे स्वयं सैकड़ो आदमियों की सहायता और सेवा की आवश्यकता है । फिर भी मैं दूसरो की सहायता करने बढता हू । किंतु किसकी ? उनकी, जो सबेरे पाच बजे उठ जाते हैं, तख्तो पर सोते हैं और रोटी और करमकल्ला खाकर रह जाते हैं, जिनमे हल चलाने, लकडी काटने, कुल्हाडी मे मूठ लगाने, रद्दा चलाने, घोडो पर जीन कसने और कपडे सीने की योग्यता है । शक्ति, दृढता, कार्य-कुशलता और आत्मसयम मे ये लोग मुझसे सैकड़ो-गुना बढचढकर होते हैं, फिर भी मैं उनकी सहायता करने निकलता हू ! अतः ऐसे लोगो के सम्पर्क मे आकर मैं लज्जित न होता तो और क्या ? इनमे से सबसे दुर्बल व्यक्ति भी—रज्जानोफ-भवन मे रहनेवाला एक गराबी तक, जिसे लोग आवारा कहते हैं—मुझसे सैकड़ोगुना अधिक परिश्रमी है । यदि मैं इस बात का हिसाव लगाऊ कि मैं लोगो से कितना लेता हू और उन्हे कितना देता हू और उसकी तुलना इस बात से करू कि वह गगवी दूसरो से कितना लेता है और उन्हे कितना देता है तो मैं देखूंगा कि उसका आर्थिक सतुलन मेरे आर्थिक सतुलन से हजारोगुना अच्छा है ।

ऐसे ही लोगो की सहायता करने का मैं दम भरता हू । मैं दीनो की सहायता करने जाता हू । किंतु दीन कौन है ? जिनकी मैं सहायता करने जाता हू उनमे से एक व्यक्ति भी मुझसे अधिक दीन नही है । मैं सर्वथा अशक्त, निकम्मा और परावलम्बी हू और केवल विशेषतम अवस्था मे ही जीवित रह सकता हू । यह अवस्था उस समय उत्पन्न होती है जब सहस्रो व्यक्ति एक नितात निरर्थक जीवन को बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं । मैं वह कीडा हू, जो वृक्ष की पत्तियो के फूलने-फलने का और निरोग रहने की कामना तो करता है, किंतु उन्हे निरन्तर चाटता रहता है ।

मैं अपना सारा जीवन इसी प्रकार व्यतीत करता हूँ। मैं खाता हूँ, बातें करता हूँ, सुनता हूँ, पढता हूँ, लिखता हूँ, खेलता हूँ और सोता हूँ। यही क्रम प्रतिदिन चलता है। मैं न तो कुछ काम कर सकता हूँ, न करना जानता हूँ। मुझे इस प्रकार का जीवन बिताने में सहायता देने के लिए यह आवश्यक है कि दरवान, किसान, रसोइए-दार, रसोइएदारिन, साईंस और घोबिन सबेरे से शाम तक काम करते रहें। इनमें वे मजदूर शामिल नहीं हैं जो इन साईंसो, रसोइएदारो, दरवानो आदि को मेरे सेवार्थ बर्तन, कुल्हाडी, पीपे, ब्रुश, प्याले, तस्तरियाँ, मेज-कुर्सी, शीशे, पालिश, पैराफिन, घास, ईंधन, गोश्त आदि जुटाने में योग देते हैं। ये लोग दिन-रात कड़ी मेहनत करते हैं ताकि मैं बातें कर सकूँ, खा सकूँ और सो सकूँ। फिर भी मैं निकम्मा यही सोचता हूँ कि मैं दूसरो की सहायता कर सकता हूँ, उन्ही लोगो की जो मेरी सहायता कर रहे हैं।

इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मैं किसीकी सहायता नहीं कर सका और मुझे अपने ऊपर लज्जा आई। आश्चर्य की बात तो यह है कि मेरे मस्तिष्क में दूसरो की सहायता करने का मूर्खतापूर्ण विचार आया कैसे? जिस स्त्री ने बीमार बूढ़े की सेवा की थी, उसने उसकी सहायता की थी, जिस किसान महिला ने अपनी मेहनत से पैदा किये हुए नाज की रोटी में से एक टुकड़ा काटकर भिखारी को दे दिया था, उसने उसकी सहायता की थी। इसी तरह सेम्याँन ने अपने कमाए हुए तीन कोपेक भिखारी को देकर उसकी सहायता की थी, क्योंकि वे तीन कोपेक वास्तव में उसकी मेहनत के खोतक थे। किंतु मैंने न किसीकी सहायता की, न सेवा की। मैं यह अच्छी तरह जानता था कि मेरा घन मेरी कमाई का नहीं है।

अतः मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि स्वयं रूपे मे—यहातक कि उसे अपने पास रखने भर मे—कोई दोष, कोई पाप है। मैंने अनुभव किया कि मेरे चारो तरफ जो बुराईया दिखाई देती हैं उनकी जड यही रूपया और उसका मेरे पास होना है। तब मेरे मन में प्रश्न चठा—रूपया क्या है ?

## दासत्व का मूल कारण—रुपया

रुपया ! रुपया क्या है ?

रुपया परिश्रम का प्रतीक है ।

मैं ऐसे शिक्षित लोगो से मिला हूँ जो कहते हैं कि रुपया जिनके अधिकार में होता है उन्हीके परिश्रम का वह परिचायक होता है । मैं स्वीकार करता हूँ कि कुछ अस्पष्ट रूप में मेरा भी पहले यही मत था । किंतु मैंने यह जानना जरूरी समझा कि रुपया वास्तव में है क्या और इसके लिए मैंने अर्थशास्त्र की शरण ली ।

अर्थशास्त्र के अनुसार द्रव्य \* में कोई बात अन्यायसूचक अथवा हानिकारक नहीं है । वह तो सामाजिक जीवन का एक स्वाभाविक उपकरण है और उसकी निम्नलिखित कार्यों में आवश्यकता पड़ती है— (१) विनिमय सम्बन्धी सुगमता (२) मूल्य-निर्धारण (३) वचत और (४) भुगतान । यह एक विलकुल स्पष्ट बात है कि यदि मेरी जेब में तीन फालतू रुबल पड़े हो तो मैं किसी भी सभ्य नगर में जाकर चुटकी वजाते ही सैंकडो आदमियों को बुला सकता हूँ, जो उन तीन रुबलों के लिए कठोर-से-कठोर, अप्रिय-से-अप्रिय और अपमानजनक-से-अपमान-जनक कार्य करने को तैयार हो जायगे । इसका कारण रुपया-पैसा नहीं, बल्कि हमारे आर्थिक जीवन की जटिल विषमता है । कुछ विशेष व्यक्तियों को दूसरो पर प्रभुता प्राप्त हो जाने का कारण यह नहीं है कि उनके पास रुपया है, बल्कि यह कि श्रमजीवियों को अपने श्रम का पूरा पारितोषिक नहीं मिलता । इस अनीति की जड़ में पूजा, किराया

---

\* Money, सुगमता के लिए यहां 'द्रव्य' के स्थान पर 'रुपया-पैसा' या केवल 'रुपया' या 'पैसे' का भी प्रयोग किया गया है ।

और मजदूरी है जिनका स्वयं आपस में तथा धन के उत्पादन, वितरण और उपभोग से जटिल सम्बन्ध होता है। सीधी-सादी भाषा में इसका अर्थ यह है कि जो लोग पैसेवाले हैं वे वे-पैसेवालों को उगलियों पर नचा सकते हैं। किंतु अर्थशास्त्र के अनुसार वास्तविकता कुछ और ही है। उनका मत है कि हर तरह के उत्पादन-कार्य पर तीन बातों का प्रभाव पड़ता है— (१) भूमि, (२) संचित श्रम (पूजी) और (३) श्रम। इन तीनों साधनों की पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया के कारण और उत्पादन के दो साधनों—भूमि तथा पूजी—के मजदूरों के अधिकार में न होकर दूसरों के अधीन होने के कारण और साथ-ही-साथ उनसे उत्पन्न होनेवाली जटिल गुटबंदियों के फलस्वरूप कुछ लोगों का दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। धन का यह राज्य, जिसके अन्याय और जिसकी क्रूरता को देखकर हम रतम्भित रह जाते हैं, कैसे उत्पन्न होता है? पैसे की सहायता से कुछ लोग दूसरों पर क्यों शासन करते हैं? अर्थशास्त्र के अनुसार इसका कारण उत्पादन के विभिन्न साधनों का विभाजन और उससे उत्पन्न होनेवाली गुटबंदी है, जो मजदूरों को सताती है। यह उत्तर मुझे सदा ही विचित्र प्रतीत होता रहा है, क्योंकि न केवल इसमें प्रश्न के एक भाग—रूपए के महत्त्व—पर विचार नहीं किया गया है, बल्कि उसके अनुसार उत्पादन के साधनों का जो विभाजन किया गया है वह प्रथम दृष्टि में सदा कृत्रिम और वास्तविकता के विपरीत दिखाई देता है। कहा जाता है कि सब प्रकार के उत्पादन में भूमि, पूजी और श्रम तीनों का योग होता है। इसीलिए यह मान लिया गया है कि इनसे जो कुछ पैदा होता है—अर्थात् धन या उसका प्रतीक वह रूपया—इनके ही स्वामियों में बांट दिया जाता है। भूमि का मूल्य—किराया—जमींदार को मिलता है, व्याज पूजीपति को और परिश्रम का पारितोषिक—मजदूरी—मजदूर को। किंतु क्या यह सच है? सबसे पहले तो देखना है कि क्या सभी उत्पादन में तीनों साधनों का जुटना अनिवार्य है।

इस समय जबकि मैं यह लेख लिख रहा हूँ, मेरे चारों ओर घास सुखाई जा रही है। इस क्रिया में कौन-कौन से साधन प्रयोग में लाए जाते हैं? मुझे बताया गया है कि इसमें निम्नलिखित साधनों का



उपयोग किया जाता है—(१) भूमि, जिसपर घास उगाई गई है, (२) पूजा, अर्थात् हसिए, पैजेठिया, दतिए और गाडिया, जो घास को डकट्ठा करने के लिए आवश्यक है और (३) परिश्रम। किंतु मैं देखता हूँ कि यह बात सच नहीं है। भूमि के अतिरिक्त सूर्य, पानी, सामाजिक संगठन (जिसके फलस्वरूप लोगो को अनियमित अतिक्रमण से खेतों की रक्षा होती है), मजदूरों का ज्ञान, उनकी बोलने और शब्दों को समझ सकने की क्षमता आदि अनेक ऐसे दूसरे तत्व भी हैं जिनका सूखी घास के उत्पादन में योग होता है, किंतु जिनकी न जाने क्यो अर्थशास्त्र में गणना नहीं की जाती।

सूर्य की शक्ति भी भूमि की ही भाँति उत्पादन का एक साधन है, वल्कि उससे भी अधिक आवश्यक। यह बात कल्पना से बाहर नहीं है कि नगर के लोग दीवार खड़ी करके या पेड़ों द्वारा एक-दूसरे को सूर्य के प्रकाश से वंचित करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर उसकी गणना उत्पादन के साधनों में क्यों नहीं होती? पानी भी भूमि के समान ही उत्पादन का एक आवश्यक साधन है। यही बात वायु की है। यह सम्भावना भी कल्पना से बाहर नहीं है कि कुछ लोग आवश्यक जल और वायु पर एकाधिकार प्राप्त करके दूसरों को इनसे वंचित करदे। सामाजिक संरक्षण भी इसी प्रकार का एक अनिवार्य साधन है और जैसाकि कुछ अर्थशास्त्री स्वीकार करते हैं, मजदूरों के लिए भोजन और वस्त्र की गणना भी उत्पादन के साधनों में ही होनी चाहिए। शिक्षा और बोलने की योग्यता भी, जिनसे विभिन्न प्रकार के काम करने की क्षमता आती है, इसी प्रकार के साधन है। यदि मैं उत्पादन के ऐसे-ऐसे अनु-लिखित साधनों की गिनती करने बैठू तो उनसे एक पूरी-की-पूरी पुस्तक भर सकता हूँ। तो फिर, क्या कारण है कि उत्पादन के केवल तीन साधन चुने गए हैं और वे ही अर्थशास्त्र की नींव माने गए हैं? सूर्य के प्रकाश और पानी को भी भूमि के समान उत्पादन का पृथक-पृथक साधन माना जा सकता है। इसी तरह मजदूरों के औजारों के समान उनके भोजन-वस्त्र, ज्ञान और इसके संचारण को भी उत्पादन के स्वतंत्र साधनों में गिना जा सकता है। क्या कारण है कि सूर्य की

किरणो, पानी, भोजन और ज्ञान की गणना उत्पादन के पृथक साधनो के रूप में नहीं होती और केवल भूमि, औजार और श्रम ही इस श्रेणी में सम्मिलित किये जाते हैं ? क्या इसका कारण केवल यह है कि सूर्य की किरणो, पानी, हवा और बोलने अथवा सुनने की क्षमता के सम्बन्ध में बिरले ही कोई किसी विशेषाधिकार का दावा करता है, जबकि भूमि और श्रम सम्बन्धी अधिकारो के लिए हमारे समाज में सदा झगडा होता रहता है ? निस्सन्देह इस वर्गीकरण का कोई और आधार नहीं है। अतः मैं समझता हूँ कि उत्पादन के साधनो का केवल तीन अंगो में विभाजन एक जवर्दस्ती का विभाजन है और पदार्थो के रूप पर निर्भर नहीं है। किंतु सम्भवतः यह विभाजन मनुष्य-समाज के लिए इतना स्वाभाविक है कि जहा-कही आर्थिक सम्बन्ध स्थापित होते हैं वहा उत्पादन के ये ही तीन साधन सामने आते हैं।\*

अब देखना है कि क्या यह बात सही है। सबसे पहले मैं अपने चारो ओर रहनेवाले वृत्ती प्रवासियो को लेता हूँ, जिनकी संख्या लाखो थी और अब भी है। ये प्रवासी किसी नई जगह जाते हैं और वहा बसकर काम करने लगते हैं। यह बात उनकी समझ में बिल्कुल नहीं आती कि जो आदमी किसी भूमि को जोतता-बोता नहीं उसका उसपर अधिकार हो और भूमि अपना कोई अलग दावा पेश न करे। इसके विपरीत प्रवासी समझते हैं कि भूमि सारे समाज की सम्पत्ति है और प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का अधिकार है कि वह जहा चाहे वहा और जितनी सम्हाल सके उतनी भूमि जोते और बोए। प्रवासी अपने साथ जमीन जोतने, तरकारी पैदा करने और मकान बनाने के लिए औजार लाते हैं; किन्तु उनके मन में यह विचार कभी नहीं आता कि औजार स्वयं भी कमाई कर सकते हैं। ये औजार, जिन्हें पूजी कहा जाता है, कभी अपना कोई दावा करते भी नहीं। इसके

---

\* अर्थशास्त्र के सिद्धांतो में अब महान् परिवर्तन हो गए हैं। टॉल्स-टॉय ने जितनी भी बातें गिनाई हैं उनकी गणना आज के अर्थशास्त्रियो के मतानुसार भूमि, श्रम अथवा पूजी के अन्तर्गत करली जाती है।

विपरीत प्रवासी लोग यह बात पूर्ण चेतनता के साथ स्वीकार करते हैं कि बाजार या अनाज—अर्थात् पूंजी—को उधार देने के लिए व्याज लेना अन्याययुक्त है। ये प्रवासी मुफ्त भूमि पर स्वयं अपने बाजारों से अथवा बिना किसी व्यज के उधार लिये हुए दूसरों के बाजारों से, बलग-अलग या सब मिलकर सामान्य हित के लिए काम करते हैं। इस प्रकार के सामूहिक समाज में, किराए, पूंजी, व्याज या मजदूरी का अस्तित्व सिद्ध करना असम्भव है। ऐसे समाज का उल्लेख करते समय मैं कोई मनगढ़न्त बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि उस वस्तु-स्थिति का दिग्दर्शन करा रहा हूँ जो सब जगह दिखाई देती रही है और केवल रूनी प्रवासियों के बीच ही नहीं बल्कि सर्वत्र उस समय तक दिखाई देती है जबतक मनुष्य-जाति की स्वाभाविक प्रकृति बिगाड़ नहीं दी जाती। मैं वही बात कह रहा हूँ जो प्रत्येक मनुष्य को स्वाभाविक और न्यायमगत प्रतीत होती है। लोग भूमि पर बन जाते हैं और अपने-अपने स्वभाव के अनुसार काम करने लगते हैं। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने काम के लिए आवश्यक तैयारी करके अपना काम स्वयं करना है। यदि ये लोग देखते हैं कि इकट्ठा मिलकर काम करना उनके लिए अधिक मुविवाजनक होगा तो वे अपना एक सब बना लेते हैं; किंतु न तो उनकी व्यक्तिगत खेती में और न सामूहिक व्यवस्था में ही उत्पादन के साधन अलग-अलग किये जाते हैं। वहाँ तो केवल श्रम और श्रम-सम्बन्धी आवश्यक साधन होते हैं; जैसे, सूर्य जो सबको गरमी देता है; हवा जिसमें सब लोग सांस लेते हैं; पानी जिसे वे लोग पीते हैं; भूमि जिसपर वे काम करते हैं; कपड़े जिनसे वे शरीर ढकते हैं; भोजन जिससे वे पेट भरते हैं और डंडे, कुदाली, हल, मशीन आदि जिनकी सहायता से वे कार्य करते हैं। यह स्पष्ट है कि न तो सूर्य, न वायु, न जल, न भूमि, न तन ढकने के कपड़े, न डंडे, न कुदाली, न हल, न मशीनें किसी और के हो सकते हैं सिवा उनके जो सूर्य की किरणों का उपभोग करते हैं, हवा में सांस लेते हैं, पानी को पीते हैं, रोटी को खाते हैं, कपड़े से तन ढकते हैं और कुदाली या मशीन से काम करते हैं; क्योंकि इन सब वस्तुओं की आवश्यकता केवल उन्हीं

को होती है जो इनका उपयोग करते हैं। जब लोग इस रीति से काम करते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि वे वैसा ही कार्य कर रहे हैं जैसा कि मनुष्य के लिए उचित और विवेकपूर्ण है। अतः मनुष्यो के पारस्परिक आर्थिक सम्बन्ध को 'दृष्टि' में रखते हुए मैं यह नहीं कह सकता कि उत्पादन के साधनों का तीन अंगों में विभाजित किया जाना उनके लिए स्वाभाविक है। इसके विपरीत मैं इसे अस्वाभाविक और विवेकहीन समझता हूँ। किंतु कदाचित् आदिम समाज ही एक ऐसा समाज है जिसमें उत्पादन के साधनों का तीन अंगों में विभाजन नहीं होता। बाद में जैसे-जैसे जन-संख्या बढ़ती जाती है और संस्कृति का विकास होता है वैसे-वैसे यह विभाजन अनिवार्य हो जाता है। यह विभाजन यूरोपीय समाज में भी हुआ है और जो बात सिद्ध हो चुकी है उसे स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा नहीं। किंतु देखना यह है कि इस बात में सत्य कहा तक है। हमें बतलाया जाता है कि यूरोपीय समाज में उत्पादन के अंगों का पूरा-पूरा विभाजन हो गया है; अर्थात्, एक वर्ग के लोगों के पास जमीन है, दूसरे वर्ग के लोगों के पास औजार और तीसरे वर्ग के लोग इन दोनों से वंचित कर दिये गए हैं। मजदूर लोग इसी तीसरे वर्ग में हैं। उन्हें भूमि और औजारों से वंचित मानने के हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि अब हमें इसमें कोई विचित्रता नहीं प्रतीत होती। किंतु यदि हम विचार करें तो हमें तत्काल पता चल जायगा कि यह बात कितनी अशुद्ध और मूर्खतापूर्ण है। उसका खंडन स्वयं उसीमें छिपा हुआ है। मजदूर की कल्पना करते समय हम उसके साथ उस भूमि और उन औजारों को भी मिला लेते हैं जिसपर और जिनकी सहायता से वह कार्य करता है। यदि उसके पास रहने को भूमि और काम करने को औजार न हो तो वह मजदूर हो ही नहीं सकता। भूमि और औजारों के बिना न आज तक कोई मजदूर हुआ है और न हो सकता। हम ऐसे किसी खेतिहर मजदूर की कल्पना नहीं कर सकते जिसके पास काम करने के लिए भूमि, हसिया, गाड़ी और घोड़ा न हों। इसी प्रकार ऐसा मोची अकल्पनीय है जिसके पास मकान, पानी, हवा और काम करने के औजार न हों। यदि किसी किसान के पास

भूमि, घोड़ा या हसिया न हो, या किसी मोची के पास मकान, पानी या कूआ न हो तो इसका अर्थ यही है कि किसीने उसे भगाकर उसकी भूमि हड़प ली है या घोखा देकर उससे उसका हंसिया, उसकी गाड़ी, घोड़ा या सूआ छीन लिया है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हल के बिना कोई खेतिहर मजदूर हो सकता है या औजार के बिना कोई आदमी मोची हो सकता है। जिस प्रकार हम जल से दूर भूमि पर खड़े हुए किसी वसी-विहीन मछेरे की कल्पना नहीं कर सकते—सिवा उस दशा में जबकि किसीने उसे पानी से दूर भगा दिया हो और उसकी वसी आदि छीन ली हो—उसी तरह हम भूमि और औजारों से विहीन किसी किसान या मोची की कल्पना उस समय तक नहीं कर सकते जबतक कि किसीने उससे उसकी भूमि और उसके औजार छीन न लिये हो।

ऐसे आदमी हो सकते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह भगा दिया गया हो, जिनके काम करने के औजार छीन लिये गए हो और जिन्हें दूसरों के औजार लेकर ऐसे पदार्थ बनाने के लिए विवश किया जाता हो जिनकी उन्हें स्वयं अपने लिए आवश्यकता नहीं होती; किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि उत्पादन की प्रणाली होती ही ऐसी है। इससे तो केवल इतना व्यक्त होता है कि कही-कही उत्पादन की स्वाभाविक शर्तों का उल्लंघन होता है। यदि हम उन सब पदार्थों को उत्पादन का साधन मानते हैं जिनसे मजदूर को बलपूर्वक वंचित किया जा सकता है, तो फिर दास के शरीर पर अधिकार का जो दावा किया जाता है उसे भी उत्पादन का अंग क्यों न माना जाय ? इसी तरह सूर्य की किरणों, वायु, जल आदि के प्रयोग के अधिकार को भी उत्पादन के साधनों में क्यों न गिना जाय ? सम्भव है कि कुछ लोग ऐसे हो जो दीवार खड़ी करके अपने पड़ोसी को धूप से वंचित कर दें। ऐसे आदमी भी हो सकते हैं जो नदी के बहाव को तालाब की ओर मोड़कर पानी गंदा कर दें। इसी तरह ऐसे आदमियों के भी होने की सम्भावना है जो दूसरों को अपनी सम्पत्ति समझें। किन्तु बलपूर्वक कार्यान्वित किये जाने पर भी उपर्युक्त तीनों दावों में से एकको भी

उत्पादनो के साधनो के विभाजन का आधार नहीं माना जा सकता । भूमि और औजार सम्बन्धी काल्पनिक अधिकारो को उत्पादन का अलग-अलग साधन स्वीकार करना उतना ही अशुद्ध है जितना सूर्य की किरणो, वायु, जल अथवा किसी मनुष्य के शरीर सम्बन्धी काल्पनिक अधिकारो को । ऐसे लोग हो सकते हैं जो भूमि और मजदूर के काम करने के औजारो पर अपना अधिकार बताय, जैसेकि पुराने जमाने में लोग मजदूर के शरीर को अपनी सम्पत्ति समझते थे । इसी प्रकार ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो सूर्य, हवा या पानी पर एकाधिकार का दावा करें । कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो श्रमजीवी को एक जगह से दूसरी जगह भगा दे और ज्योही वह अपने श्रम से कोई वस्तु उत्पन्न करे त्योंही उसे उससे बलात् छीन लें और साथ-ही-साथ उसके औजारो को भी हथिया ले और उसको अपने लिए नहीं बल्कि अपने स्वामी के लिए श्रम करने को बाध्य करें, जैसा कि फ़ैक्टरियो में होता है । यह सब सम्भव है; किन्तु फिर भी जिस प्रकार एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की चल सम्पत्ति नहीं बन सकता—चाहे कितने ही प्राचीन काल से लोग ऐसा क्यों न मानते आए हो—उसी तरह कोई मजदूर बिना जमीन और औजार के नहीं हो सकता ।

यदि कोई मनुष्य यह दावा करे कि अमुक व्यक्ति का शरीर मेरी सम्पत्ति है तो उसका यह परिणाम नहीं हो सकता कि दास अपने स्वामी की अपेक्षा स्वयं अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करने के अपने प्राकृतिक अधिकार से वंचित हो जाय । ठीक इसी प्रकार किसी व्यक्ति का भूमि और दूसरो के औजारो पर स्वामित्व का दावा करना किसी मजदूर को मानवमात्र के इस नैसर्गिक अधिकार से वंचित नहीं कर सकता कि वह भूमि पर रहे और अपने लिए जो कुछ उपयोगी समझता है उसे स्वयं अपने या समाज के औजारो से उत्पन्न करे । वर्तमान आर्थिक अवस्थाओ को देखते हुए अर्थशास्त्र केवल इतना कह सकता है कि कुछ लोग मजदूरों की जमीन और औजारो पर अपना अधिकार जताते हैं, इसलिए कुछ मजदूरों के लिए—सबके लिए कदापि नहीं—उत्पादन के नैसर्गिक नियमों का इस प्रकार उल्लंघन किया गया

है कि वे भूमि और उत्पादन सम्बन्धी औजारों से वंचित होकर दूसरों के औजारों से काम करने के लिए बाध्य हो गए हैं। किन्तु इससे यह नहीं सिद्ध होता कि उत्पादन के नियमों का यह आकस्मिक उल्लंघन स्वयं उत्पादन का नियम है।

अर्थशास्त्रियों का यह कहना कि उत्पादन के साधनों का यह विभाजन उत्पादन का आधारभूत नियम है वैसा ही है जैसा बहुत-सी पखकटी छोटी हरी चिड़ियों को पिंजड़े में बंद देखकर किसी जीव-शास्त्री का यह निष्कर्ष निकालना कि एक छोटा-सा पिंजरा और उनकी शलाको पर रखे हुए नन्हें-नन्हें पानी के बर्तन चिड़ियों के जीवन के आवश्यक साधन हैं और पक्षियों का जीवन इन्हीं तीन साधनों पर निर्भर है। पिंजरो में चाहे कितनी ही पखकटी चिड़िए क्यों न हों, जीव-शास्त्री को यह नहीं समझना चाहिए कि पिंजरा पक्षियों के लिए जीवन का कोई प्राकृतिक वातावरण है। चाहे कितने ही मजदूरों को उनके स्थान से क्यों न भगा दिया जाय और चाहे उनकी पैदावार और उनके काम के औजारों को उनसे क्यों न छीन लिया जाय, उनकी भूमि पर रहने की तथा अपने औजारों से अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ बनाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति बदलेगी नहीं। कुछ लोग श्रमजीवियों की भूमि और उनके औजारों पर अपना अधिकार बतलाते हैं, जैसा कि पुराने जमाने में कुछ लोग उनके शरीर पर स्वामित्व का दावा करते थे; किन्तु जिस प्रकार मनुष्य-समाज का विभाजन स्वामियों और दासों में नहीं हो सकता—जैसा कि प्राचीन काल में लोग चाहते थे—उसी प्रकार उत्पादन के साधनों का भूमि और पूँजी में विभाजन नहीं हो सकता, जैसा कि वर्तमान समाज में अर्थशास्त्री करना चाहते हैं। किन्तु दूसरों की स्वतन्त्रता पर इस अन्याययुक्त अतिक्रमण को अर्थशास्त्री उत्पादन के स्वाभाविक साधनों के नाम से पुकारते हैं। मानव-समाज की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को अपना आधार बनाने के बदले अर्थशास्त्र ने किसी विशिष्ट उदाहरण को ही ग्रहण कर लिया है और उस विशिष्ट उदाहरण को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए उसने उस भूमि पर जिसपर एक आदमी काम करके आजीविका कमाता है और उन औजारों

पर जिनके सहारे वह रोजी कमाता है, दूमरे के अधिकार को स्वीकार कर लिया है। दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र ने एक ऐसे अधिकार को मान लिया है, जिसका अस्तित्व न तो कभी था, न हो सकता है और जो स्वतः आत्मविरोधी है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी भूमि पर अधिकार जताता है जिसपर वह काम नहीं करता तो उसका वास्तविक तात्पर्य केवल इतना है कि वह एक ऐसी भूमि को उपयोग में लाने का अधिकार चाहता है जिसे वस्तुतः वह इस्तेमाल नहीं करता। इसी तरह औजारों पर अधिकार जताने का अर्थ है ऐसे औजारों से काम करने का अधिकार मागना जिनका स्वयं प्रयोग नहीं किया जाता। जिस प्रकार प्राचीन काल में मनुष्य-समाज को नागरिकों तथा दासों की दो श्रेणियों में विभक्त करके दासों की अस्वाभाविक स्थिति को ही मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था मानते थे, उसी तरह उत्पादन के साधनों का वर्गीकरण करके आज अर्थशास्त्र मजदूरों की उस अस्वाभाविक स्थिति को जिसमें वे रहते हैं, जीवन की स्वाभाविक अवस्था मानता है। अर्थशास्त्र ने इस विभाजन को केवल इसलिए स्वीकार किया है कि वर्तमान समाज के जिस दुर्गुण को उसने अपने अन्वेषण का आधार मान लिया है उसे वह न्यायसंगत सिद्ध करना चाहता है। इसका परिणाम यह निकलता है कि अर्थशास्त्र वर्तमान स्थिति को किमी-न-किसी प्रकार उचित सिद्ध करने की व्यर्थ चेष्टा करता है और सामने आनेवाले प्रश्नों के स्पष्टतम तथा सरलतम उत्तर को अगीकार न करके ऐसे उत्तर देता है कि जिनका कोई अर्थ नहीं होता।

\* अर्थशास्त्र के सामने प्रश्न यह है—क्या कारण है कि जिन लोगों के पास भूमि और पूजी हैं, वे भूमिहीनों और बिना पूजीवालों को दास बना लेते हैं? सामान्य बुद्धिवाले कहते हैं कि यह सब रूपए की माया है। उनका कहना है कि रूपया ही मनुष्य को गुलाम बनाता है। किंतु अर्थशास्त्र इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करता और कहता है कि दासता का कारण रूपया नहीं है, बल्कि यह कि कुछ लोगों के पास भूमि और पूजी हैं और कुछ लोगों के पास नहीं। हम पूछते हैं—“क्या कारण है कि भूमि और पूजी के स्वामी भूमिहीनों और बिना पूजीवालों



को अपना दास बना सकते हैं ?” हमें उत्तर मिलता है—“क्योंकि उनके पास भूमि और पूंजी है।” किंतु, यही तो हमारा प्रश्न है। भूमि और काम के औजारों से वचित किया जाना तो दासता है ही। यह तो वही पुराना उत्तर हुआ—“इससे नोद आती है क्योंकि इसमें नोद लाने का गुण है।” किंतु जीवन अपने इस अनिवार्य प्रश्न को पूछना बंद नहीं करता। अर्थशास्त्र भी इसे देखता है और उत्तर देने का प्रयत्न करता है, किंतु जबतक वह अपने द्वारा चुने गए वर्तमान आधार पर ही काम करता रहेगा और भूल-भुलैया में पड़ा रहेगा तबतक वह ठीक उत्तर नहीं दे सकेगा। इसका उत्तर देने के लिए यह आवश्यक है कि अर्थशास्त्र सबसे पहले उत्पादन के साधनों के अपने गलत विभाजन का परित्याग करे; अर्थात् परिणाम को कारण मानना छोड़ दे और जिन बातों की उसे जाच-पड़ताल करनी है उनके पहले समीपस्थ और बाद में दूरस्थ कारणों पर विचार करे। अर्थशास्त्र को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए—“क्या कारण है कि कुछ लोग तो भूमि और उत्पादन के औजारों से वचित हैं और कुछ लोग उन दोनों के स्वामी हैं ?” अर्थात्, “क्या कारण है कि जो लोग जमीन जोतते हैं और औजारों का उपयोग करते हैं उनसे उनकी भूमि और उनके औजार अलग कर दिये जाते हैं ?” जैसे ही अर्थशास्त्र इस प्रश्न पर विचार करना आरम्भ करेगा वैसे ही अनेक नई बातें उसके सामने आ खड़ी होंगी और पहलेवाली वे सारी अर्थशास्त्रीय धारणाएँ उलट-पुलट जायगी जिनका परिष्कार इस दूषित आधार पर होता था कि मजदूरों की गरीबी का कारण उनकी गरीबी है। साधारण मनुष्य को इस बात में लेगमात्र भी शक नहीं होती कि दासत्व का निकट कारण रुपया है। किंतु अर्थशास्त्र इसको अस्वीकार करता है और कहता है कि रुपया (द्रव्य) तो विनिमय का साधन मात्र है और उसका लोगों की दासता से कोई सम्बन्ध नहीं। अब देखना है कि बात ऐसी ही है या नहीं ?

: १८ :

## फ्रीजी द्वीप की करुण कहानी

रूपया कहा से आता है? किन परिस्थितियों में राष्ट्रों के पास रूपया सदा बना रहता है और किन परिस्थितियों में वे उसका उपयोग नहीं करते? जिस प्रकार प्राचीन काल में सीदियन<sup>१</sup> या द्रेवलियन<sup>२</sup> लोग रहते थे, उसी प्रकार एक जाति आज अफ्रीका या आस्ट्रेलिया में रहती है। वह कृषि, पशु-पालन और फलोत्पादन द्वारा जीवन-निर्वाह करती है। इसकी स्वर्चा हम इतिहास के आरम्भिक काल में सुनते हैं और इतिहास का प्रारम्भ विजेताओं के आक्रमणों से होता है। विजेता सदा एक ही रीति का अनुसरण करते आए हैं। मूलनिवासियों से वे जितनी भी चीजे हड़प सकते हैं हड़प लेते हैं; जैसे पशु, अन्न, वस्त्र, बुनी हुई वस्तुएँ आदि। इसके अतिरिक्त वे स्त्रियों और पुरुषों को बंदी बनाकर लूटी हुई दूसरी वस्तुओं के साथ अपने देश ले जाते हैं। कुछ वर्ष बाद वे फिर चढ़ाई करते हैं, किंतु उस समय तक बन्दी के निवासी अपने पहले विनाशक भी नहीं सम्हल पाते और विजेताओं को लूटने के लिए बहुत कम सामग्री मिलती है। इसलिए वे उनके शोषण की और भी अच्छी-अच्छी युक्तियाँ ढूँढ निकालते हैं। ये युक्तियाँ बहुत ही सरल होती हैं और सबको स्वभावतः ही सूझ जाती हैं। पहली युक्ति है व्यक्तिगत दासत्व की, किंतु इसमें कठिनाई यह होती है कि विजेताओं को समस्त पराजित जाति से काम लेने और बदले में उसकी रोटी की व्यवस्था

१ एशिया की एक प्राचीन खानाबदोश जाति।

२ प्राचीन रूसी इतिहास में उल्लिखित एक स्लैवोनिक जाति।

करनी पडती है। स्वभावतः उन्हें एक दूसरी युक्ति सूझती है। इसके अनुसार वे पराजितों को उनकी ही भूमि पर रहने देते हैं, किंतु उद्योग भूमि पर आधिपत्य अपना जमा लेते हैं और उसे अपने अनुगामियों में बांट देते हैं ताकि इन अनुगामियों द्वारा वे वहाके मूल निवासियों से मनमानी मेहनत करवा सकें। किंतु यह युक्ति भी अमुविधाओं से रिक्त नहीं होती। विजेताओं के पृष्ठपोषकों को मूल निवासियों की उत्पादन सम्बन्धी सभी क्रियाओं की व्यवस्था करनी पडती है। इसलिए एक तीसरी युक्ति सामने आती है। यह युक्ति अन्य युक्तियों के समान ही सभ्यता की द्योतक होती है। इसके अन्तर्गत पराजितों पर एक प्रकार का अनिवार्य कर लगाया जाता है जो उन्हें निश्चित समय पर भरना पडता है। विजेताओं के सामने लक्ष्य यह होता है कि जनता की पैदावार का जितना भी अधिक-से-अधिक भाग हडपा जा सकता है हडपा जाय। स्पष्ट है कि विजेता ऐसी ही वस्तुओं को हथियाना चाहेगे जिन्हें वहाके मूल निवासी सबसे अधिक बहुमूल्य समझते हों; किंतु जो भारी न हों और सरलतापूर्वक संचित की जा सके, जैसे सोना और खाल। अतः वे प्रत्येक पराजित कुटुम्ब या जाति पर मोने या खाल के रूप में निश्चित समय पर मिलनेवाले कर लगा देते हैं और इस प्रकार अत्यधिक अमुविधा के साथ जनता के श्रम का शोषण करते हैं। जब मूल निवासियों का खाल और सोने का भंडार प्रायः पूरा-का-पूरा उनकी भेंट चढ़ लेता है तो अभागे पराजितों को और सोना प्राप्त करने के लिए न केवल आपस में ही एक-दूसरे को वल्कि विजेताओं और उनके अनुगामियों के हाथ भी अपनी सारी सम्पत्ति और कार्य-शक्ति बेचनी पडती है। यही क्रम प्राचीन और मध्यकाल में चलता रहा था और यही अब भी चल रहा है। प्राचीन काल में देशों की जय-पराजय प्रायः हुआ करती थी और मानव-समाज में समानाधिकार की भावना नहीं थी। यही कारण था कि वैयक्तिक दासता ही उन दिनों दूसरों पर स्वामित्व प्राप्त करने की सबसे प्रचलित प्रणाली थी और उसकी मुख्य विशेषता यह थी कि दासों के साथ चल-सम्पत्ति का-सा व्यवहार किया जाता था। मध्यकाल में इस प्रकार की दासता का स्थान कुछ अंश में सामंतशाही अर्थात्

भूस्वामित्व और चाकरी ने ले लिया और दासत्व के खिचाव का केन्द्र व्यक्ति से हटकर भूमि पर आ गया। आधुनिक काल में—जब से अमरीका का पता लगा, व्यापार में उन्नति हुई, बहुलता के कारण सोना ससार भर में प्रामाणिक सिक्के के रूप में स्वीकार कर लिया गया और विभिन्न देशों की राज्य-शक्ति भी बढ़ी—तबसे रुपए या द्रव्य के रूप में कर लेना लोगों के शोषण की मुख्य विधि बन गया है और मनुष्य के समस्त आर्थिक सम्बन्ध इसी पर आधारित हैं। एक साहित्यिक पुस्तक में प्रोफेसर यानजूल का एक लेख है जिसमें उन्होंने फीजी द्वीप के आधुनिक इतिहास का वर्णन किया है। यह प्रमाणित करने के लिए कि किस प्रकार वर्तमान युग में रुपया वसूल करना ही दूसरों को दास बनाने का प्रमुख साधन बन गया है, यदि मैं कोई अत्यन्त प्रभावोत्पादक उदाहरण उपस्थित करना चाहूँ तो मुझे नीचे लिखे सत्य-विवरण से बढ़कर कोई दूसरा दृष्टांत नहीं मिलेगा। यह विवरण लिखित प्रमाणों पर आधारित है।

फीजी लोग दक्षिण प्रशांत महासागर में पोलिनीशिया के द्वीपों में रहते हैं। प्रोफेसर यानजूल के अनुसार इस द्वीप-समूह में कई छोटे-छोटे टापू हैं, जिनका क्षेत्रफल लगभग ८,००० वर्गमील है। आबादी केवल आठे टापुओं में है। कुल जन-संख्या १,५१,५०० है, जिसमें से १,५०,००० मूल निवासी और १,५०० गोरे हैं। मूल-निवासियों को जंगली अवस्था में से निकले हुए बहुत दिन हो गए हैं और वे अपनी योग्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। थोड़े ही दिनों में कृषि और पशुपालन की अच्छी योग्यता प्राप्त करके उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि उनमें कार्य और विकास की क्षमता है। पहले ये लोग वैभव-शाली थे; परन्तु सन् १८५९ में भीषण सकट में फस गए। अमरीकी सरकार ने फीजी राजा पर यह अभियोग लगाया कि तुम्हारी प्रजा ने कुछ अमरीकी नागरिकों के साथ हिंसात्मक अत्याचार किये हैं इसलिए उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में ४५,००० डालर दो। अतः फीजी-निवासियों और उनके राजा थाकम्बाऊ को एकाएक रुपए की आवश्यकता पड़ गई।

क्षतिपूर्ति के धन को वसूल करने के लिए अमरीकियो ने एक सैन्य-दल भेजा, जिसने जमानत के रूप में कुछ सर्वोत्तम टापुओ पर अचानक अधिकार कर लिया और यहा तक धमकी दी कि यदि क्षतिपूर्ति का रुपया एक निश्चित तिथि तक अमरीकी प्रतिनिधियों को न दे दिया गया तो गोलाबारी करके उनकी वस्तिया नष्ट कर दी जायगी ।

धर्म-प्रचारको के साथ जो गोरे फीजी में सबसे पहले जा वसे थे उनमें अमरीकी भी थे । इन लोगो ने किसी-न-किसी वहाने टापुओ की सर्वोत्तम भूमि को चुन या हथिया कर उसपर रूई और कॉफी की खेती आरम्भ कर दी । उन्होंने वहाके असख्य निवासियों को मजदूरी पर रख लिया और उन बेचारो को या तो ऐसी शर्तों में जकड़ लिया जिन्हे वे समझ नहीं पाते थे या उन्हें ऐसे ठेकेदारो द्वारा नीकरी पर लगाया जो गुलामो का व्यापार किया करते थे । इन खेतों के गोरे स्वामियों और मूलनिवासियों में, जिन्हे गोरे अपना गुलाम समझते थे, झगडा अनिवार्य था । इसी प्रकार के एक झगडे को वहाना बनाकर अमरीका ने क्षतिपूर्ति की माग की थी । वैभवशाली होते हुए भी फीजी-निवासी उस समय तक भुगतान जिन्स के जरिए किया करते थे; जैसा कि यूरोप में भी मध्यकाल तक प्रचलित था । वे रुपए का प्रयोग नहीं करते थे और उनका सारा व्यापार वस्तु-विनिमय के ही रूप में होता था । माल के बदले माल दिया जाता था और जो इने-गिने सार्वजनिक अथवा सरकारी कर थे, उनका भुगतान पैदावार से होता था । अतः जब अमरीकावालो ने फीजीनिवासियों और उनके राजा थाकम्बाऊ से ४५,००० डालर की क्षतिपूर्ति मांगते हुए समय पर रुपया न भरे जाने पर भीषण परिणामो की धमकी दी तब उनके सामने एक विकट समस्या आ खड़ी हुई । उनके लिए तो ४५,००० का अक ही कल्पनातीत था; डालर की तो बात ही क्या, जिसको इतने परिमाण में उन्होंने कभी देखा ही नहीं था । थाकम्बाऊ ने दूसरे सामंतो से परामर्श करके इंग्लैंड की रानी की सहायता लेने का निश्चय किया । पहले उसने रानी से फीजी द्वीपो को अपने

सरक्षण में लेने की प्रार्थना की। बाद में उसने इन द्वीपों के अंग्रेजी राज्य में मिला लिये जाने की चर्चा उठाई, किंतु अंग्रेजों ने इस प्रार्थना पर अत्यन्त सावधानी से विचार किया और उस अर्द्ध-सभ्य राजा को आपत्ति-काल में सहायता देने की कोई उतावली नहीं दिखाई। सीधा उत्तर देने के बदले उन्होंने फीजी द्वीप की जाच-पडताल के लिए सन् १८६० में एक कमीशन भेजा जिससे कि यह निश्चय किया जा सके कि अमरीकी पावनेदारों को सतुष्ट करने और फीजी द्वीपों को ब्रिटिश उपनिवेश में मिलाने के लिए धन व्यय करना लाभदायक होगा या नहीं।

इस बीच अमरीकी सरकार क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए बराबर तकाजा करती रही। जमानत के रूप में उसने वहाँ के कुछ सर्वोत्तम स्थानों पर अधिकार कर लिया और लोगों की सम्पन्नता को देखकर क्षतिपूर्ण की राशि ४५,००० डालर से बढ़ाकर ९०,००० डालर कर दी। साथ-ही-साथ उसने यह भी धमकी दी कि यदि थाकम्बाऊ ने भुगतान में तत्परता नहीं दिखाई तो क्षतिपूर्ति की राशि और भी बढ़ा दी जायगी। इस प्रकार चारों ओर से दबाए जाने पर बेचारे थाकम्बाऊ ने, जिसको उधार लेन-देन की यूरोपीय पद्धति का तनिक भी ज्ञान नहीं था, यूरोपीय प्रवासियों की सलाह पर मेलबोर्न के व्यापारियों से किसी भी शर्त पर—यहाँ तक कि किसी एक व्यक्ति के पास अपना सारा राज्य गिरवी रखकर भी—रूपया लेने की चेष्टा की। थाकम्बाऊ की प्रार्थना के फलस्वरूप मेलबोर्न में एक व्यापारी कम्पनी की स्थापना हुई, जिनका नाम पोलिनीशियन कम्पनी रखा गया। इस कम्पनी ने अपने लिए बहुत ही अनुकूल शर्तों पर फीजी के सरदारों के साथ एक समझौता किया। अमरीकी सरकार के ऋण को कुछ निश्चित तिथियों तक चुका देने का वचन देकर कम्पनी ने समझौते की पहली शर्त के अनुसार आरम्भ में १,००,००० और बाद में २,००,००० एकड़ अच्छी-से-जच्छी अपनी पसन्द की भूमि ले ली। इसके अतिरिक्त उसने अपनी फैक्टरियों, बस्तियों आदि को सदा के लिए सब तरह के करों और चुगियों से मुक्त करा लिया। साथ-ही-साथ, उसने बहुत

समय तक के लिए फीजी में बैंक स्थापित करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया और अनिश्चित सख्या में नोट चलाने की छूट भी ले ली। समझौते के बाद से, जिसपर अंतिम रूप से सन् १८६८ में हस्ताक्षर किये गए, फीजी-निवासियों को थाकम्बाऊ की अवीनता में अपनी निजी सरकार के अतिरिक्त एक-दूसरी शक्ति का सामना करना पडा। यह शक्ति वह प्रभावशाली व्यवसायी कम्पनी थी जिसके पास सभी टापुओं में बड़ी-बड़ी जमीदारिया थी और जिसका थाकम्बाऊ सरकार में बड़ा बोलचाल था। उस समय तक थाकम्बाऊ सरकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न करो के रूप में मिलने-वाले पदार्थों को लेकर और आयात पर थोड़ी-सी चुगी वसूल कर ही सतुष्ट हो जाती थी; किंतु शक्तिशाली पोलिनीशियन कम्पनी की स्थापना और उसके साथ की गई सधि के फलस्वरूप फीजी सरकार की आर्थिक स्थिति बदल गई। उसकी सर्वोत्तम भूमि का एक बहुत बड़ा भाग कम्पनी के हाथ में चला गया, जिसके परिणामस्वरूप कर घट गए। उधर, जैसा कि बतलाया जा चुका है, कम्पनी को बिना चुगी दिये ही माल भेजने और मगाने का अधिकार मिल गया था। परिणाम यह हुआ कि चुगी की आय भी कम हो गई। मूल-निवासियों अर्थात् फीजी के ९९ प्रतिशत लोगों से चुगी की आय वैसे ही बहुत कम होती थी, क्योंकि रूई और धातुओं के कुछ सामान के अतिरिक्त वे किसी अन्य विदेशी वस्तु का उपयोग नहीं करते थे। अब जबकि पोलिनीशियन कम्पनी के कारण यूरोप के धनी लोग भी चुगी देने से बचने लगे तो थाकम्बाऊ की आय नाममात्र की रह गई। स्वभावतः थाकम्बाऊ को अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील होना पडा। उसने अपने गोरे मित्रों से सलाह पूछी कि मैं इन कठिनाइयों से कैसे बच सकता हूँ। उन्होंने थाकम्बाऊ को अपने देश में पहली बार प्रत्यक्ष कर लगाने की सलाह दी और यह भी कहा कि काम को सरल बनाने के लिए इस कर को रुपए के रूप में वसूल किया करो। यह कर एक पौण्ड प्रति पुरुष और चार गिलिंग प्रति स्त्री के हिसाब से व्यक्ति-कर के रूप में लगाया गया।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, फीजी द्वीपसमूह में अब भी खेती और प्रत्यक्ष वस्तु-विनिमय की प्रथा प्रचलित है। वहाँके मूल-निवासियों में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास रुपया या द्रव्य हो। विभिन्न प्रकार के कच्चे माल और पशु ही उनका धन है, रुपया नहीं। फिर भी, नए कर के अनुसार फीजी-निवासियों से एक निश्चित तिथि पर और चाहे जैसे भी हो वैसे रुपए के रूप में एक ऐसी रकम मांगी गई जो सकुटुम्ब व्यक्तियों के लिए काफी भारी सिद्ध हुई। उस समय तक कोई फीजी-निवासी मजदूरी के अलावा और किसी रूप में सरकार को व्यक्तिगत कर देने का अभ्यस्त नहीं था। कर तो गाव या समुदाय द्वारा सार्वजनिक खेतों की पैदावार में से भरे जाते थे और यही पैदावार फीजी-निवासियों की भी आय का प्रधान साधन थी। नई कठिनाई को दूर करने का इनके पास एक ही उपाय था और वह था गोरे औपनिवेशिकों से रुपया लेना। इसके लिए इन्हें या तो व्यापारियों की शरण लेनी पड़ती या खेत के मालिकों की। टैक्स-कलक्टर कर का रुपया एक निश्चित तिथि तक चाहते थे, इसलिए यदि उसे चुकाने के लिए मूल निवासी व्यापारी के पास रुपया लेने जाते थे तो उन्हें अपनी चीजें व्यापारी के हाथ किसी भी मूल्य पर बेच देनी पड़ती थी। कभी-कभी तो आगामी फसल को गिरवी रखकर रुपया लेना पड़ता था, जिससे लाभ उठाकर व्यापारी लोग स्वभावतः अनुचित कमाई करते थे। दूसरी युक्ति यह थी कि लोग जमींदार के पास जाकर उसके हाथ अपनी मेहनत बेच देते, अर्थात् उसके मजदूर बन जाते। किंतु उन दिनों फीजी द्वीप में मजदूरी बहुत कम थी जिसका कारण सम्भवतः यह था कि एक साथ बहुत-से आदमी काम करने को तत्पर हो गए थे। वर्तमान सरकार की रिपोर्ट के अनुसार उस समय प्रत्येक वयस्क पुरुष को प्रति सप्ताह एक शिल्लिंग या प्रति वर्ष दो पौण्ड बारह शिल्लिंग से अधिक नहीं मिलता था। इसका परिणाम यह होता था कि केवल निजी कर चुकाने के लिए—कुटुम्ब के कर की कौन कहे—



फीजी-निवासियों को घरदार, परिवार, भूमि और खेती छोड़कर कभी-कभी तो बहुत दूर दूसरे टापू में जाना पड़ता था और नए टैक्म के एक पौण्ड के लिए किसी जमींदार की दासता में छ महीनों को वधना पड़ता था। सारे कुटुम्ब के कर को चुकाने के लिए उसे दूसरे साधनों की शरण लेनी पड़ती थी।

इस प्रकार की व्यवस्था का क्या परिणाम हो सकता था, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है। अपनी १,५०,००० प्रजा से थाकम्बाळ केवल ६,००० पौंड इकट्ठा कर सका। इसके पश्चात् करो के भुगतान के लिए घर-घर इस प्रकार माग की जाने लगी जैसी पहले कभी नहीं की गई थी और लोगों पर बहुत-से अनिवार्य काम भी लादे जाने लगे। स्थानीय शासन के कर्मचारी, जो पहले ईमानदार थे, शीघ्र ही उन गोरों जमींदारों से जा मिले जिन्होंने देश की व्यवस्था अपने हाथों में ले ली थी। कर न चुकाने के अपराध में फीजी-निवासी अदालतों में प्रस्तुत किये जाने लगे और उन्हें अदालती व्यय भरने के अतिरिक्त कम-से-कम छः महीने के कारावास का दंड भी दिया जाने लगा। जेल का काम उस खेत से लिया जाता था जिसका गौरा स्वामी कंदी का कर चुकाने और मुकदमों का खर्च भरने को सबसे पहले तैयार हो जाता था। दूसरे गव्दों में यों कहिए कि अदालत अभियुक्त फीजी-निवासियों को गोरों के हाथ सौंप देती थी जिनके खेतों पर अनिवार्य मजदूरी करके उन्हें कारावास का-सा समय काटना पड़ता था। इस प्रकार गोरों को जितने मजदूरों की आवश्यकता होती थी, उतने उन्हें सस्ते दामों पर मिल जाते थे। आरम्भ में डम अनिवार्य मजदूरी का दण्ड छ महीने से अधिक के लिए नहीं दिया जाता था; किंतु बाद में भाड़े के टट्ट जज यह दण्ड अट्ठारह-अट्ठारह महीने तक के लिए देने लगे। कभी-कभी तो वे इस दण्ड को दुहरा भी देते थे। अतः कुछ ही वर्षों में फीजी-निवासियों की आर्थिक स्थिति सर्वथा बदल गई। पूरे-के-पूरे जिले, जो पहले हरे-भरे और सम्पन्न थे, अब विलकुल कगाल हो गए और उनकी जन-संख्या आधी रह गई। बूढ़ों और दुर्बलों को छोड़कर सारा-का-सारा पुरुष-समाज कर चुकाने के लिए रुपया कमाने या

अदालत द्वारा दिया गया दण्ड भोगने के लिए घर से दूर गोरे जमीदारो के यहा पापड बेलने लगा । फीजी की स्त्रिया खेती का काम नही करती; अत पुरुषो की अनुपस्थिति में उन्होने या तो खेतो की रत्ती भर भी चिन्ता नही की या खेती बिलकुल बंद कर दी । कुछ ही वर्षो मे फीजी की आधी जन-सख्या गोरो का गुलाम बन गई । स्वभावत अपनी दशा सुधारने के लिए इन लोगो ने एक बार फिर इंगलैंड का द्वार खटखटाया । एक नया प्रार्थनापत्र तैयार किया गया जिसमें फीजी के अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियो और सामन्तो ने ब्रिटिश प्रजा बनाए जाने की याचना की । यह प्रार्थना-पत्र ब्रिटिश राजदूत को दे दिया गया । इस बीच इंगलैंड अपने अन्वेषक यात्रियो की सहायता से फीजी-द्वीपो का ज्ञान ही नही प्राप्त कर चुका था, बल्कि उसने उनका पर्य-वेक्षण भी कर लिया था । साथ-ही-साथ उसे यह भी पता चल गया था कि संसार के एक कोने में पड़े हुए इस सुन्दर द्वीप-समूह मे कितना प्राकृतिक धन है । अत इस बार की चेष्टा पूर्ण रूप से सफल रही और सन् १८७४ मे इंगलैंड ने फीजी-द्वीप-समूह पर सरकारी रूप से अधिकार कर उसे अपने उपनिवेशो में मिला लिया । इसके फलस्वरूप अमरीकी जमीदारो मे बडा असंतोष फैला ।

थाकम्बाऊ का देहात हो गया और उसके उत्तराधिकारियो को थोड़ी-सी पेशन दे दी गई । द्वीप-पुज का शासन-भार न्यू साउथ वेल्स के गवर्नर सर हरकुलिज राबिनसन को सौंप दिया गया, जो बाद मे लार्ड रासमीड कहलाए । अंग्रेजी राज्य मे मिलने के बाद एक वर्ष तक फीजी मे अंग्रेजो की कोई सरकार नही रही, सर हरकुलिज राबिनसन ने वहां अपनी ओर से केवल एक व्यवस्थापक नियुक्त कर दिया । द्वीपो को अपने हाथ मे लेने के बाद अंग्रेजी सरकार से जो आशाएं की गई थी उन्हे पूर्ण करने मे उसे बडी कठिनाइयो का सामना करना पडा । एक ओर तो फीजी के मूल-निवासी घृणित मनुष्य-कर के बंद किये जाने की आशा करते थे । दूसरी ओर वहा के गोरे निवासियो मे स्वार्थ का संघर्ष था । अमरीकी लोग तो अंग्रेजों के शासन को शंका की दृष्टि से देखते थे, जबकि ब्रिटिश लोग हर तरह की सुविधाओ के आकांक्षी थे;

जैसे, मूल-निवासियों पर अपनी सत्ता की स्वीकृति, हडपी हुई फीजी भूमि पर अपने अधिकार का नियमित माना जाना, आदि। अंग्रेजी सरकार ने इस समस्या का योग्यतापूर्वक सामना किया। सबसे पहले उसने उस मनुष्य-कर का अंत किया जिसके कारण थोड़े-से औपनिवेशिकों के लाभ के लिए वहाँके मूल निवासी दासता की जजीर में जकड़ दिये गए थे, किंतु इस मामले में सर हरकुलीज राविनसन को एक भीषण असमजस का सामना करना पड़ा। जिस मनुष्य-कर से मुक्ति पाने के लिए फीजी-निवासियों ने ब्रिटिश सरकार से अपील की थी उसका अंत करना तो आवश्यक था ही, साथ-ही-साथ अंग्रेजी औपनिवेशिक नीति के अनुसार यह भी आवश्यक था कि फीजी द्वीप-समूह अपनी शासन व्यवस्था पर किये जानेवाले व्यय का भार स्वयं सम्हाले। किंतु मनुष्य-कर के हट जाने पर फीजी को चुगी से वर्ष भर में ६,००० पाँड से अधिक आय नहीं होती थी, जब कि शासन-प्रवध का वार्षिक व्यय कम-से-कम ७०,००० पाँड पड़ता था। इसलिए राविनसन ने द्रव्य-कर हटा कर श्रम-कर लगाया, अर्थात् फीजी-निवासियों को राज्य के लिए अनिवार्य रूप से काम करने के लिए बाध्य किया। इससे भी ७०,००० पाँड की वह रकम पूरी न हो सकी जिसकी उसे अपने और अपने सहकारी कर्मचारियों के व्यय के लिए आवश्यकता थी। यह स्थिति सर ए० एम० गार्डन (वैरन स्टेनमूर) नामक नए गवर्नर की नियुक्ति तक इसी प्रकार चलती रही। उसने अपने और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के आवश्यक व्यय की पूर्ति के लिए एक नई युक्ति निकाली। उसने निश्चय किया कि जबतक द्वीप में मुद्रा का प्रचुर प्रचार नहीं हो जायगा, तब-तक वह मुद्रा की माग न कर वहाँके निवासियों द्वारा उत्पन्न किये जानेवाले पदार्थों को इकट्ठा करता रहेगा और उन्हें स्वयं बेचेगा।

फीजी-निवासियों के जीवन की यह कष्ट कहानी हमें साफ-साफ और अच्छी तरह बता देती है कि वास्तव में क्या क्या हैं और उसका प्रभाव कितना व्यापक होता है। इसमें हम सारी बातें स्पष्ट रूप से देख लेते हैं—एक ओर हमें दासता के मूल आधार—तोप, धमकी, हत्या, लूटमार इत्यादि—का परिचय मिलता है और दूसरी ओर दासता के मुख्य शस्त्र

रुपए का स्वरूप दिखाई देता है—वह रुपया, जिसने अब अन्य सभी साधनों का स्थान ले लिया है। राष्ट्रों के आर्थिक विकास के इतिहास में हमें शताब्दियों तक की जिन घटनाओं का अध्ययन करना पड़ता है, वे सब, आर्थिक उत्पीड़न के विभिन्न रूपों के पूर्णतः विकसित हो जाने के कारण, यहाँ केवल दस वर्षों में केन्द्रीभूत हो गई हैं। नाटक इस प्रकार प्रारम्भ होता है—अमरीकी सरकार फ़ीजी-निवासियों को दास बनाने की इच्छा से प्रेरित होकर फ़ीजी द्वीप-समूह में तोपो से भरे हुए जहाज भेजती है। घमकी का वहाना आर्थिक है, किंतु फ़ीजी-निवासियों—औरतो, वच्चो, वूडो और वेकसूरों—के सामने तोपें तान दी जाती हैं। यही कहानी आज अफ़्रीका, चीन और मध्य एशिया में दोहराई जा रही है। सब राष्ट्रों की पराजय के इतिहास में यही कहानी दोहराई गई है। यह था नाटक का सूत्रपात जिसका मूल मंत्र था—“रुपया दो या जीवन।” पहले ४५,००० डालर, फिर ९०,००० डालर या रक्त की नदिया। किंतु ९०,००० डालर आते कहा से? वे तो अमरीकियों की जेब में थे। और तब आरम्भ होता है नाटक का दूसरा अंक। सक्षिप्त, रक्तपात से परिपूर्ण, भयकर और केन्द्रित नर-संहार की योजना स्थगित करनी पड़ती है और उसके स्थान पर ऐसी यातनाएँ आरम्भ की जाती हैं जो दिखलाई तो कम देनी हैं किंतु होती हैं अधिक चिरस्थायी। इसपर फ़ीजी द्वीपों के निवासी अपने शासक सहित नर-संहार के बदले आर्थिक दासता स्वीकार करते हैं। वे रुपया उधार लेते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मानवीय दासता के आर्थिक रूप प्रस्फुटित होते हैं।

यह आर्थिक दासता अपने विभिन्न रूपों में एक अनुशासित सेना के समान तुरन्त कार्य करना आरम्भ कर देती है और पाच वर्ष के भीतर सारा काम पूरा हो जाता है। फ़ीजी-निवासी न केवल अपनी भूमि और सम्पत्ति का उपभोग करने के अधिकार से वंचित कर दिये जाते हैं बल्कि उनसे उनकी स्वतंत्रता भी छीन ली जाती है। वे दास बन जाते हैं।

इसके बाद तीसरा अंक आरम्भ होता है। स्थिति असह्य हो जाती है और लोगों के कानों में भनक पड़ती है कि वे अपना स्वामी बदल

कर दूसरे की दासता स्वीकार कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इस समय आर्थिक दासता से मुक्ति पाने की किसीको चिंता नहीं रह जाती। फीजी-निवासी दूसरा स्वामी बुलाते हैं और अपने दुःखों को कम करने की प्रार्थना करते हुए उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अंग्रेज आते हैं और देखते हैं कि इन द्वीपों पर अधिकार करके वे यहाँ के असह्य आलसियों का पेट भर सकते हैं। अतः वे इन द्वीपों को उनके मूल-निवासियों सहित अपने राज्य में मिला लेते हैं, किंतु उन्हें वे न तो अपना दास या चल सम्पत्ति ही मानते हैं, न उनकी जमीन को हथिया कर अपने मित्रों में बाँटते हैं। अब इन पुराने हथकड़ों की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब तो केवल इस बात की आवश्यकता रह जाती है कि मूल निवासियों से कर वसूल किया जाय, जो एक ओर तो इतना भारी हो कि दासों को दासता में बाँधे रख सके और दूसरी ओर इतना पर्याप्त हो कि उससे अनगिनत निकम्मों का पेट पल सके।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, फीजी-निवासियों को अंग्रेजों को ७०,००० पौण्ड देना था। इसी आधारभूत गर्त पर इंग्लैंड उन्हें अमरीकी दासता से मुक्त करने के लिए उद्यत हुआ था। उन्हें दासता की श्रृंखला में पूरी तरह से जकड़ देने के लिए बस इसी बात की आवश्यकता भी थी। किंतु फीजी-निवासियों की अवस्था ऐसी नहीं थी कि वे ७०,००० पौंड भर सकते। यह रकम उनके सामर्थ्य से बाहर थी। इसलिए कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने अपनी माग में सशोधन किया और अपने पावने का कुछ अंश उपज के रूप में लेना स्वीकार कर लिया, ताकि भविष्य में रुपए का प्रचलन हो जाने पर वे अपना पूरा पावना वसूल कर सकें। इंग्लैंड ने पहली कम्पनी की तरह व्यवहार नहीं किया। उस कम्पनी के व्यवहार की तुलना जगली लोगों पर जगली आक्रमणकारियों द्वारा की गई उस प्रथम चढाई से की जा सकती है जिसमें आक्रमणकारियों का एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि जो कुछ मिले उसे लूटपाट कर चलते वनो। किंतु इंग्लैंड ने दासता के जाल में फसानेवाले एक दूरदर्शी व्यक्ति के समान व्यवहार किया। उसने सोने का अडा देनेवाली मुर्गी को एक वारगी ही नहीं

मार डाला, बल्कि उसे सोने की चिडिया समझकर खिलाया-पिलाया। अपनी अर्थ-सिद्धि के लिए पहले उसने लगाम ढीली कर दी ताकि बाद में वह उसे कसके खींचकर फ़ीजी-निवासियों को उस आर्थिक दासता में जकड़ दे जिसमें आज यूरोप और सारा सभ्य ससार जकड़ा हुआ है और जिससे मुक्ति का कोई मार्ग दृष्टिगत नहीं होता।

रूपया विनिमय का एक निर्दोष साधन है, किंतु तभी जब जनता की छाती पर तोपें नहीं तानी जाती। जब वह तोप से उडा देने की धमकी देकर बसूल किया जाता है तब अनिवार्य रूप से वही होता है जो फ़ीजी में हुआ था। ऐसा ही हर जगह हमेशा हुआ और होता है। ऐसा ही रूस के पुराने राजाओं और डबलियनो के साथ हुआ था और ऐसा ही सब देशों के शासकों और उनकी प्रजा के साथ होता है। जो लोग दूसरों का उत्पीड़न करने में समर्थ होते हैं, वे उनसे इतने अधिक रूपए की मांग करते हैं और उसे प्राप्त करने में इतने बल का प्रयोग करते हैं कि उत्पीड़ित उनकी दासता स्वीकार करने के लिए विवश हो जाता है। इसके अतिरिक्त सदा वैसा ही होता है जैसा अंग्रेजों और फ़ीजी-निवासियों के बीच हुआ था, अर्थात् उत्पीड़ित को गीघ्र-से-शीघ्र दास बनाने के उद्देश्य से उत्पीड़क सदा आवश्यकता से अधिक रूपए की मांग करता है, कम की नहीं। वह सीमा का उल्लंघन केवल उस दशा में नहीं करता जब उसके मन में नैतिक जागरूकता विद्यमान होती है। फिर भी जब उसे रूपए की आवश्यकता होती है तब वह अपनी निश्चित सीमा तक पहुँचे बिना नहीं रहता। जहाँ तक सरकार या शासन-संस्था का प्रश्न है, वह तो उस सीमा का सदा उल्लंघन करती है, क्योंकि एक तो उसमें नैतिक भावना नहीं होती और दूसरे, जैसा कि हम जानते हैं, युद्ध-सम्बन्धी व्ययों को पूरा करने और सहयोगियों को देने के लिए उसे सदा धन की अधिक आवश्यकता रहती है। वह ऋण से सदा इतनी अधिक लदी रहती है कि उससे मुक्त होना उसके लिए असम्भव होता है और इच्छा न होने पर भी उसे १८ वीं सदी के एक रूसी राजनीतिज्ञ द्वारा प्रतिपादित इस नियम का अनुसरण करना पड़ता है: "किमान को मूडते ही रहना चाहिए ताकि वह फूलकर मोटा न हो जाय।"

सभी सरकारें ऋण के पंक में इतनी ही बुरी तरह फसी रहती हैं और उनके ऋण में प्रति वर्ष बड़े भयकर वेग से वृद्धि होती रहती हैं (इंग्लैंड और अमरीका के आकस्मिक घाटे इसमें शामिल नहीं हैं)। इसी प्रकार बजट के अंको में भी वृद्धि होती है, अर्थात् दूसरे आक्रमणकारियों से झगड़ने और स्वयं अपनी आक्रमणकारी योजना में योग देने-वालों को घन और भूमि देने की आवश्यकता बढ़ जाती है। स्वभावतः भूमि-कर भी बढ़ जाते हैं। किंतु मजदूरी नहीं बढ़ती। इसका कारण यह नहीं है कि लगान का कानून उसे बढ़ने से रोकता है वल्कि यह कि भूमि-कर और राज्य-कर को वसूल करने में हिंसा का प्रयोग किया जाता है और इन करों का एकमात्र प्रयोजन लोगों से उनकी बची हुई सारी सम्पत्ति को छीनना होता है, ताकि वे कर भरने के लिए अपना श्रम बेचने पर बाध्य हो जाय। श्रमजीवियों का शोषण ही इन करों का लक्ष्य होता है। किंतु यह शोषण उसी दशा में सम्भव है जब लोगों से उनकी सामर्थ्य से अधिक कर मागा जाय, अर्थात् जब लोगों में इतनी क्षमता ही न हो कि वे अपनी पोषण-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अतिरिक्त कोई कर दे सकें। मजदूरी बढ़ा देने से इस दासत्व की सम्भावना ही समाप्त हो जायगी। अतः बल-प्रयोग के रहते हुए मजदूरी में कर-वृद्धि नहीं हो सकती। समाज के एक समूह के लोगों द्वारा दूसरे समूह के लोगों के साथ किये गए इस सरल और बोधगम्य व्यवहार को अर्थशास्त्री 'लौह नियम' कहकर पुकारते हैं और जिस साधन द्वारा यह कार्य किया जाता है उसे वे विनिमय का माध्यम कहते हैं।

विनिमय के इस निर्दोष माध्यम—रूपये—की आवश्यकता मनुष्य को पारस्परिक व्यवहार के लिए होती है। किंतु क्या कारण है कि जहां कर रूप के रूप में जबरदस्ती वसूल नहीं किये जाते वहां रूप के आजकल-जैसा महत्व न कभी रहा है, न हो सकता ? और क्या कारण है कि वस्तु-विनिमय का अर्थात् आवश्यकतानुसार भेड़, रोए, खाल, शख आदि का मुद्रा के रूप में प्रयोग सदा होता रहा है और होता रहेगा, जैसा कि फीजी, अफ्रीका आदि के निवासियों और साधारणतया

उन सभी लोगों में प्रचलित है जो कर नहीं देते ? लोगों में किसी विशिष्ट प्रकार के द्रव्य का प्रचलन तभी होता है जब वह सब लोगों से बलात् मागा जाता है। रुपए की आवश्यकता लोग तभी अनुभव करते हैं जब उन्हें पता चल जाता है कि उत्पीड़को के अत्याचार से बचने का यही एक साधन है और तभी रुपए को विनिमय की स्थायी क्षमता प्राप्त होती है। किंतु यह बात नहीं है कि जो वस्तु-विनिमय का सबसे सुविधाजनक माध्यम है उसीको विनिमय की शक्ति भी प्राप्त हो। यह शक्ति वस्तुतः उस वस्तु को मिलती है जिसकी माग सरकार करती है। यदि सरकार सोने की माग करती है तो सोना विनिमय का माध्यम बन जाता है। इसी प्रकार यदि सरकार अगुलियों की हड्डियों की माग करती तो उन हड्डियों को ही विनिमय-माध्यम का स्थान मिल जाता है। यदि ऐसी बात नहीं है तो विनिमय के माध्यम को प्रचलित करने का विशिष्ट अधिकार अबतक केवल सरकार को ही क्यों रखा है अब भी क्यों है ? जनता ने—मान लीजिए फीजी-निवासियों ने—जब विनिमय का एक माध्यम बना रखा है तो फिर उसे अपने इच्छानुसार विनिमय क्यों न करने दिया जाय और जिन्हे बल प्रयोग करने की क्षमता है वे उसको विनिमय-प्रणाली में हस्तक्षेप क्यों करे ? किंतु स्थिति यह है कि सरकार स्वयं सिक्के बनाती है और दूसरो को ऐसा करने से रोक देती है या (जैसा कि हमारे यहाँ रूस में होता है) सरकार केवल कागज के टुकड़े छाप देती है, जिसपर जार की मुखाकृति छपी रहती है और किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं। सरकार इस द्रव्य की नकल करने पर लोगों को दंड देती है और उसे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में बाँटती है। इन्हीं सिक्को और इन्हीं कागज के टुकड़ों को वह राज्य-कर और भूमि-कर के रूप में मागती है और इतनी अधिक सख्या में मागती है कि इन्हे प्राप्त करने के लिए मजदूरों को अपना सारा श्रम लगा देना पड़ता है। फिर भी सरकार जनता को यही विश्वास दिलाती है कि उसे इस रुपए की आवश्यकता 'विनिमय के माध्यम' के रूप में है। मानव स्वतंत्र होता है, वह एक-दूसरे पर अत्याचार नहीं करता और न एक-दूसरे को दासता की रस्ती में



ही जकड़ता। किंतु समाज में रुपए का उपयोग होता है और एक-ऐसा लौह-नियम बन जाता है, जिसके फलस्वरूप लगान बढ़ जाता है और मजदूरी घटकर न्यूनतम स्तर पर पहुँच जाती है। यह तो सत्य है कि रूस के आधे या आधे से भी अधिक किसान प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष टैक्सों और भूमि-करो के कारण जमींदारों और मिल-मालिकों के यहाँ दासों की तरह मजदूरी करते हैं, किंतु स्पष्टतः इसका यह अर्थ नहीं है कि सरकार और उसके सहकारी जमींदारों को मुद्रा के रूप में दिये जानेवाले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष व भूमि सम्बन्धी अनेक करों के बलात् लिये जाने के कारण मजदूर रुपया लेनेवालों की दामता करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये का अस्तित्व है और उसके साथ-साथ एक लौह कानून भी है।

दासता की प्रथा का अंत होने से पहले मैं अपने नौकर वैंका को कोई भी काम करने के लिए बाध्य कर सकता था और अस्वीकार करने पर उसे गाव के पुलिस-थाने में भेज देता था, जहाँ उसकी इतनी मरम्मत होती थी कि उसे घुटने टोक देने पड़ते थे। किंतु साथ ही यह बात भी थी कि यदि मैं वैंका से अधिक काम लेता या उसको भूमि और भोजन न देता तो मामला अधिकारियों के सामने जाता और मुझे उत्तर देना पड़ता। आज जबकि गुलामी उठ गई है, मैं वैंका, सिदोर्का या पेन्नूगका से कोई भी काम करा सकता हूँ। साथ-ही-साथ, यदि उनमें से कोई काम करने से इन्कार कर देता है तो मैं उसे कर चुकाने के लिए रुपए नहीं देता और तब उसपर इतने कोड़े पड़ते हैं कि वह मेरी बात मानने के लिए बाध्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त मैं किसी भी जर्मन, फ्रांसीसी, चीनी या हिन्दुस्तानी को, जिसके पास भूमि और भोजन नहीं है, काम करने के लिए विवश कर सकता हूँ और उसे लगान पर जमीन लेने या रोटी खरीदने के लिए उस समय तक रुपए देने से इन्कार कर सकता हूँ जबतक वह मेरे सामने सिर न झुका दे। इसके अतिरिक्त यदि मैं खाना दिये बिना ही उससे उसकी सामर्थ्य से अधिक काम लूँ या काम की चक्की में पीसकर उसे मार भी डालूँ तब भी कोई मुझसे एक शब्द भी नहीं कहेगा। इसपर

यदि मैंने अर्थशास्त्र की पुस्तकें पढ़ रखी हैं तो मैं इस बात का पक्का विश्वास कर सकता हूँ कि सब लोग मुक्त हैं और रुपया दासत्व का कारण नहीं है। किसान इस बात को बहुत दिनों से जानते हैं कि रुपए की मार सिंदूर की लाठी की मार से अधिक कड़ी होती है, किंतु अर्थशास्त्री उसकी ओर ध्यान देना नहीं चाहते। यह कहना कि रुपया दासत्व का कारण नहीं है ऐसा ही है जैसा कि आज से पचास वर्ष पहले कोई यह कहता कि दासता दासत्व के कानून से उत्पन्न नहीं होती। अर्थशास्त्रियों का मत है कि यद्यपि रुपए के बल पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दास बना कर रख सकता है तथापि रुपया विनिमय का एक निर्दोष माध्यम है। यही क्यों? क्या आज से पचास वर्ष पहले लोग यह नहीं कह सकते थे कि गुलामी के कानून के अनुसार लोग चाहे एक-दूसरे को दास भले ही बना ले, किंतु स्वयं वह कानून दासत्व का कारण न होकर पारस्परिक सेवा का एक हानिरहित साधन है? इसी तरह क्या वे यह नहीं कह सकते थे कि कुछ लोग मोटा काम करते हैं और दूसरे लोग दासों के शारीरिक और मानसिक हितों का ध्यान रखते हैं तथा उनके काम का सगठन भी करते हैं? मैं तो समझता हूँ कि शायद लोग ऐसा ही कहते भी थे।

: १६ :

## रुपया मूल्य का मापदण्ड नहीं

यदि अन्य कानूनी शास्त्रों के समान इस भ्रामक शास्त्र—अर्थशास्त्र—का उद्देश्य भी बल-प्रयोग के लिए वहाने ढूढ़ना न होता तो उसका ध्यान इस विचित्र बात की ओर जाए विना न रहता कि धन का वितरण—अर्थात् यह स्थिति कि कुछ लोग तो भूमि और पूजी से वंचित कर दिये जाते हैं और कुछ लोग इतने सम्पन्न हो जाते हैं कि वे दूसरों को अपना दास बना लेते हैं—रुपए पर निर्भर है और केवल रुपए के बल पर ही एक समूह के लोग दूसरे समूह के लोगों के श्रम का शोषण करते हैं अर्थात् उन्हें अपना दास बनाते हैं।

मैं एक वार फिर कहता हूँ कि जिसके पास पैसा है वह सारा अनाज खरीदकर अपने अधिकार में ले सकता है और दूसरो को भूखो मारकर, उन्हें रोटी के लिए तरसाकर पूरी तरह से अपना गुलाम बना सकता है। यही बात आज हमारी आँखों के सामने बड़े व्यापक रूप में हो रही है। इसीलिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि रुपए और दासता के पारस्परिक सम्बन्ध को जानने की चेष्टा की जाय। किंतु अर्थशास्त्र यह विश्वासपूर्वक घोषित करता है कि रुपए का लोगो की दासता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अर्थशास्त्र कहता है—रुपया भी अन्य पदार्थों के समान एक पदार्थ है, जिसका मूल्य-निर्धारण उसके उत्पादन-व्यय के आधार पर किया जाता है। अन्तर केवल इतना है कि मूल्य के मापदण्ड के रूप में और धन-संचय, विनिमय तथा भुगतान के लिए रुपया ही सबसे अधिक सुविधाजनक माध्यम माना गया है। एक व्यक्ति जूते बनाता है, दूसरा अन्न पैदा करता है और तीसरा भेड़ पालता है। अपनी-अपनी पैदावार का सरलतापूर्वक विनिमय करने के लिए ये लोग रुपए का प्रचलन करते हैं। यह रुपया इस बात का द्योतक होता है कि किस उत्पादन में कितना श्रम करना पडा है। उसकी सहायता से लोग जूतों के तल्लों को भेड़ के मांस और पाच सेर आटे से बदल सकते हैं।

इस 'काल्पनिक शास्त्र' के समर्थको को अपने सामने इस प्रकार की अवस्था के काल्पनिक चित्र खींचने का बडा शौक है; किंतु वास्तव में ऐसी अवस्था ससार में कभी रही नहीं। ऐसे समाज की कल्पना उस प्राचीन और निर्दोष मानव-समाज की कल्पना के समान है जिसके चित्र दार्शनिक अपने मस्तिष्क में खींचा करते थे, किंतु जिसका कभी कोई अस्तित्व नहीं रहा। मानव-समाज में जहा कही भी रुपए का इस रूप में प्रयोग हुआ है, वही सशक्त और सशस्त्र लोगो ने दुर्बल और निगसत्र लोगो पर बल-प्रयोग किया है और जहा कही भी बल-प्रयोग किया गया, वही मूल्य के मापदण्ड के रूप में प्रयुक्त होनेवाला रुपया, पणु, खाल, रोआ, धातु अथवा कोई अन्य पदार्थ विनिमय का माध्यम न रहकर बल-प्रयोग से बचने का एक साधन मात्र रह गया। इसमें

सन्देह नहीं कि रुपए में वे सब निर्मल गुण हैं जिनकी गणना अर्थ-शास्त्र कराता है; किंतु ये गुण उसी समाज में सम्भव हैं जहां मनुष्य मनुष्य पर बल-प्रयोग न करता हो अर्थात् जो एक आदर्श समाज हो। ऐसे समाज में रुपए का रुपए के रूप में—अर्थात् मूल्य के एक सामान्य मापदण्ड के रूप में कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह जैसे साधारण सरकारी दण्ड-व्यवस्था से मुक्त समाज में न तो कभी रुपए का ऐसा अस्तित्व था, न हो ही सकता था। किंतु हमारे जाने हुए जिस किसी समाज में भी रुपए का प्रचलन है, वहां उसे विनिमय का माध्यम बनने का महत्त्व केवल इसलिए प्राप्त हुआ कि उसका उपयोग बल-प्रयोग के साधन के रूप में होता था। इसलिए उसका मुख्य महत्त्व विनिमय के माध्यम के रूप में नहीं बल्कि बल-प्रयोग या जोर-जबरदस्ती के शस्त्र के रूप में है। जहां जोर-जबरदस्ती होती है, वहां रुपए का उपयोग विनिमय-माध्यम के रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि वह मूल्य के मापदण्ड का काम नहीं कर सकता। उसके मूल्य का मापदण्ड न बन सकने का कारण यह है कि जब समाज में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को उसके गाढ़े पसीने की कमाई से बचित कर देता है तब वहां तुरन्त इस मापदण्ड का उल्लंघन हो जाता है। यदि बाजार में ऐसी गाएं और ऐसे घोड़े लाए जाय जिनमें से कुछको तो उनके मालिको ने स्वयं पाला हो और कुछ अपने पोषको से बलात् छीन लिये गए हो, तो यह स्पष्ट है कि उस बाजार में गायो और घोड़ो का मूल्य उनके पोषक-व्यय के अनुसार नहीं होगा और इस अंतर के कारण बाजार के दूसरे सभी पदार्थों के मूल्य में भी अंतर पड़ जायगा। दूसरे शब्दों में यो कहिए कि उन पदार्थों का मूल्य रुपए द्वारा निश्चित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति बलपूर्वक गाय, घोड़ा या घर प्राप्त कर सकता है तो उसके लिए बलपूर्वक रुपया प्राप्त करना भी सम्भव है और उस रुपए से वह सभी पदार्थ ले सकता है, किंतु जब स्वयं रुपया ही बलपूर्वक प्राप्त किया जाता है और उससे अन्य वस्तुएं खरीदी जाती हैं तो उसमें विनिमय के माध्यम का कोई लक्षण कैसे शेष रह सकता है? जब कोई व्यक्ति किसीसे बलपूर्वक रुपया

छीनकर उसे दूसरो के परिश्रम से उत्पन्न किये गए पदार्थों के बदले में देता है तब उसका यह व्यापार विनिमय नहीं कहलायगा। वह मनुष्य तो जो कुछ चाहता है रुपए के बल पर ले लेता है।

किंतु यदि कभी इस प्रकार का कल्पित और असम्भव समाज रहा भी हो जहा जनता पर सरकारी दंड-व्यवस्था का अकुश न रहते हुए भी रुपए ( सोने या चादी ) से मूल्य के मापदंड और विनिमय के माध्यम का काम लिया जाता रहा हो, तो भी वहां बल का प्रयोग होते ही रुपए का उक्त गुण नष्ट हो गया होगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ऐसे समाज में कोई अत्याचारी विजेता के रूप में प्रवेश करता है। वह आततायी जनता की गाए, उनके घोड़े, कपड़े और घर-द्वार सब छीन लेता है, किंतु चूकि इन सबका प्रवन्ध करने में उसको अनुविद्या होती है इसलिए स्वभावतः उसके मन में जनता से समस्त रुपया-पैसा छीन लेने का विचार उठता है, जो सब प्रकार के मूल्यों का मापदंड समझा जाता है और जिससे विनिमय करके सब वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं। किंतु उस समाज में रुपए का मूल्य के मापदंड के रूप में प्रयोग होना तत्काल बंद हो जाता है, क्योंकि सब वस्तुओं के मूल्य अत्याचारी की इच्छा पर आश्रित हो जाते हैं। जिन वस्तु की आततायी को सबसे अधिक आवश्यकता होगी और जिनके लिए वह सबसे अधिक रुपया दे सकेगा, वही वस्तु सबसे अधिक बहुमूल्य हो जायगी। इसी प्रकार जिस वस्तु की उसे कम-से-कम आवश्यकता होगी और जिनके लिए वह कम-से-कम पैसे देना चाहेगा वह वस्तु सबसे सस्ती हो जायगी। अतः जिस समाज में बल-प्रयोग का बोलवाला होता है उस समाज में तत्काल रुपए में वे गुण प्रवेश कर जाते हैं जिनकी सहायता से आततायी जनता पर हिंसा का प्रयोग करता है। पीड़ितों के लिए रुपया विनिमय का माध्यम अवश्य बना रहता है, किंतु उसी सीमा तक जिस सीमा तक उसका इसमें प्रयोग किया जाना आततायी को सुविधाजनक होता है।

जरा ऐसे समाज की स्थिति पर विचार कीजिए। दाम लोग अपने स्वामी को कपडा, मुर्गा, मुर्गी और भेड़-बकरी लाकर देते हैं तथा

उनके लिए दिन भर चक्की पीसते हैं। स्वामी इन पदार्थों के बदले रुपया लेने को तत्पर हो जाता है और इनमें से प्रत्येक का मूल्य निर्धारित कर देता है। जो लोग अन्न, वस्त्र और पशु नहीं दे सकते या चाकरी नहीं बजा सकते उन्हें इस बात की छूट मिल जाती है कि वे इनके बदले एक निश्चित रकम दे दें। स्पष्ट है कि इस स्वामी के दास-समुदाय में विविध वस्तुओं का मूल्य स्वामी की इच्छा पर ही निर्भर होगा। जो वस्तुएं उसे मिलती हैं, उनका वह उपभोग करता है। किसी वस्तु की उसे अधिक आवश्यकता होती है और किसीकी कम और उसीके अनुसार वह उन वस्तुओं का अधिक या कम मूल्य निर्धारित करता है। स्पष्टतः उसकी ही स्वेच्छा और आवश्यकताओं के अनुसार इन पदार्थों का मूल्य उन व्यक्तियों के मध्य भी निर्धारित होता है जो उसे रुपए अदा किया करते हैं। यदि उसे नाज की आवश्यकता होती है तो निश्चित परिमाण में नाज न मिलने पर वह उसके लिए अधिक रुपए की माग करता है और निश्चित परिमाण में वस्त्र, पशु तथा श्रम न मिलने पर उनकी कीमत सस्ती रख देता है। परिणाम यह होता है कि जिनके पास अन्न नहीं होता वे अपने स्वामी की सतुष्टि के लिए अन्न खरीदने के अभिप्राय से अपनी पैदावार, श्रम, कपड़ा या पशु दूसरों के हाथ बेच देते हैं। यदि जमींदार इन सब पदार्थों के बदले रुपया लेना स्वीकार भी करले तब भी इनका मूल्य उत्पादन-श्रम के आधार पर निश्चित नहीं होगा, बल्कि वह दो बातों पर निर्भर होगा—एक तो यह कि जमींदार कितने रुपए की माग करता है और दूसरे यह कि किसानों द्वारा उत्पन्न किये गए किन पदार्थों की उसे सबसे अधिक आवश्यकता है और किन वस्तुओं के लिए वह अधिक मूल्य देगा और किनके लिए कम। जमींदार किसानों से जो अपना रुपया वसूल करता है उसका—जहां तक किसानों का प्रश्न है—चीजों की कीमत पर केवल दो परिस्थितियों में असर नहीं पड़ता—एक तो तब जबकि ये किसान या ये दास ससार के अन्य व्यक्तियों से विलकुल पृथक् होकर रहें और उनका आपस में और अपने स्वामी के अतिरिक्त किसी दूसरे से सम्पर्क न रहे, दूसरे तब जब जमींदार उस रुपए से अपने गांव में नहीं बल्कि कहीं बाहर

चीजें खरीदे। केवल इन्हीं अवस्थाओं में मूल्य नाममात्र के लिए परिवर्तित होने पर भी अपेक्षाकृत ठीक रह सकता है और तभी मूल्य-निर्धारण का मापदण्ड और विनिमय का माध्यम बनने का महत्व प्राप्त हो सकता है। किंतु यदि इन किसानों का पास-पड़ोस के लोगों में आर्थिक सम्बन्ध हो तो, जहां तक इन पड़ोसियों का सम्बन्ध है, स्वामी की अधिक या कम माग के अनुसार मूल्य बढ़ जायेंगे। यदि उनकी अपेक्षा उनके पड़ोसियों को अपने जमींदार को कम रुपया देना पड़ता है तो पड़ोसियों की तुलना में उनकी अपनी चीजें सस्ती विकेगी और इसी तरह यदि दूसरे गाववालों को अधिक रुपए देने पड़ते हैं तो उनकी पैदावार महगी विकेगी।

दूसरी अवस्था, जब जमींदार की रुपए की माग का चीजों की कीमत पर किसानों के लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह है जब जमींदार अपने एकत्र किये हुए रुपए से अपने ही किसानों की चीजें न खरीदे। किंतु यदि वह इस रुपए का प्रयोग अपने ही किसानों द्वारा उत्पादित पदार्थों के खरीदने में करेगा तो यह स्पष्ट है कि उन पदार्थों का मूल्य निरन्तर परिवर्तित होता रहेगा और इस बात पर निर्भर होगा कि जमींदार किम वस्तु विशेष को खरीदता है। मान लीजिए कि कोई स्वामी अपने दासों को स्वेच्छानुसार काम या व्यापार करने की अनुमति देने के लिए उनसे कमकर रुपए मागता है और कोई पड़ोसी जमींदार इसी अनुमति के लिए कम रुपए मागता है। स्पष्ट है कि ऐसी दशा में पहले जमींदार की जमींदारी में दूसरे जमींदार की जमींदारी की अपेक्षा सब वस्तुएँ सस्ती होंगी और इन दोनों जमींदारियों में चीजों की कीमत प्रत्यक्ष रूप से इस बात पर निर्भर होगी कि दासों द्वारा भरी जानेवाली रकम घटाई जाती है या बढ़ाई।

मूल्यों पर बलप्रयोग के जो अनेक प्रभाव पड़ते हैं उनमें से एक यह है। दूसरा प्रभाव, जो पहले से ही उद्भूत होता है, विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों के पारस्परिक सम्बन्ध पर पड़ता है। मान लीजिए कि एक जमींदार को घोड़ों का शौक है और उनके लिए वह अच्छे दाम देता है, दूसरे को तौलियों का शौक है और वह उनके लिए अच्छे पैसे देता

है। स्पष्टतः इन दोनों जमींदारों की रियासतों में घोड़े और तौलियों की कीमतें ऊंची होगी और इन कीमतों तथा गाय और नाज की कीमतों में बड़ा अन्तर होगा। यदि कल तौलियों के शांकीन जमींदार की मृत्यु हो जाय और उसके उत्तराधिकारी को मुर्गे-मुर्गियों का चाव हो तो स्पष्ट है कि तौलियों का मूल्य गिर जायगा और मुर्गे-मुर्गियों का बढ़ जायगा। जिस समाज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बलपूर्वक दबाव में रख सकता है, उस समाज में रुपए की मूल्य-निर्धारण-शक्ति तत्काल आततायी की स्वेच्छा पर आश्रित हो जाती है और रुपया गाड़े पसीने से उत्पन्न किये हुए पदार्थों के विनिमय का माध्यम न रहकर दूसरे के श्रम-शोषण का सबसे सुविधाजनक साधन बन जाता है। अत्याचारी को रुपए की आवश्यकता विनिमय के साधन के रूप में नहीं होती। उसको इसकी आवश्यकता मूल्य के मापदण्ड निर्धारित करने के लिए भी नहीं होती, क्योंकि मूल्य तो वह स्वयं निर्धारित करता है। उसे रुपए की आवश्यकता केवल इसलिए होती है कि वह अत्याचार आसानी से कर सके; कारण रुपया संचित किया जा सकता है और वह अधिक-से-अधिक व्यक्तियों को दासता के बंधन में बाधकर रखने का सबसे सरल साधन है। जिस समय जितने घोड़े, गायों और भेड़ों की आवश्यकता पड़े उस समय उतने ही घोड़े, गाय और भेड़े मिल जाय, इस उद्देश्य को दृष्टि में रखकर यदि सारे जानवर एक साथ ही छीनकर रख लिये जाय तो ऐसा करना सुविधाजनक नहीं हो सकता, क्योंकि आखिर इन सबका पेट भी तो भरना पड़ता है। यही बात नाज की भी है, क्योंकि उनके सड़-गल जाने की सम्भावना रहती है। यही बात मजदूरों तथा गुलामों के विषय में भी कही जा सकती है। आज एक हजार मजदूरों की आवश्यकता पड़ सकती है, कल एक की भी नहीं। जिनके पास रुपया नहीं है उनसे रुपया मागने से ये सारी असुविधाएँ दूर हो सकती हैं और आवश्यकतानुसार सदा प्रत्येक वस्तु मिल सकती है। यही मुख्य उद्देश्य है जिसके लिए अत्याचारी को रुपए की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त उसे रुपए की आवश्यकता इसलिए भी होती है कि वह चाहता है कि उसकी श्रम-शोषण-शक्ति थोड़े-से लोगों तक



ही सीमित न रहे बल्कि रुपए की आवश्यकता अनुभव करनेवाले सब व्यक्तियों तक व्याप्त हो जाय। यदि रुपया न हो तो किसी भी जमींदार में अपने किसान-दासों के अतिरिक्त और किसीके शोषण की सामर्थ्य नहीं आ सकती, किंतु जब दो जमींदार एक साथ मिलकर अपने किसान-दासों से रुपये मागने का निश्चय करते हैं तो दासों के पाम रुपया न होते हुए भी वे दोनों जमींदारियों के समस्त साधनों का समान रूप से शोषण करने में समर्थ बन जाते हैं।

इस प्रकार रुपए की सहायता से अत्याचारी को दूसरों के श्रम से लाभ उठाने में अधिक सुविधा मिलती है और वह रुपया केवल इसी कार्य के लिए चाहता है। जिस व्यक्ति के साथ बल-प्रयोग किया जाता है—अर्थात् जिस व्यक्ति के श्रम का प्रतिफल उससे छीन लिया जाता है उसे रुपए की आवश्यकता न तो विनिमय-माध्यम के रूप में पडती है, न मूल्य के मापदण्ड के रूप में, क्योंकि पहली दगा में तो वह रुपए के बिना ही वस्तु-विनिमय कर लेता है, जैसा कि सभी सरकारविहीन देश करते हैं और दूसरी दगा में मूल्य का निर्धारण उससे पूछे बिना ही कर लिया जाता है। इसी प्रकार उसे बचाने या भुगतान करने के लिए भी रुपए की आवश्यकता नहीं पडती, क्योंकि जहातक बचत का प्रश्न है जिस मनुष्य से उसके श्रम का प्रतिफल ले लिया जाता है वह बचा ही क्या सकता है और जहातक भुगतान की बात है पीडित व्यक्ति को लेने की अपेक्षा देना ही अधिक रहता है और यदि उसको कुछ मिलता भी है तो रुपए के रूप में नहीं बल्कि पदार्थ के रूप में। यह बात उस व्यक्ति के साथ लागू होती है जिसे अपने काम के बदले सीधे मालिक की दुकान से सामान मिल जाता है। प्रायः यही दशा उस व्यक्ति की होती है जिसकी सारी कमाई जीवन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाहरी दुकानों से सामान खरीदने में चट हो जाती है। उससे रुपया मागा जाता है और साथ-ही-साथ उसे यह धमकी दी जाती है कि यदि वह रुपए नहीं देगा तो उसको भूमि और अन्न कुछ नहीं मिलेगा या उसकी गाय या उसका मकान उससे ले लिया जायगा और उसको या तो मेहनत-मजदूरी करनी पडेगी या कारागार में सडना

होगा। इस स्थिति से वह तभी मुक्त हो सकता है जब वह अपने परिश्रम से पैदा की हुई चीजों और स्वयं अपने परिश्रम को ऐसे मूल्य पर बेच दे जो न्याययुक्त विनिमय द्वारा नहीं बल्कि पैसा भागनेवाली सत्ता की शक्ति द्वारा निश्चित किया गया हो।

अतः ऐसी स्थिति में जब कि मूल्य पर कर और लगान का प्रभाव हर समय और हर जगह—जमीदारियों में छोटे पैमाने पर और राज्यों में बड़े पैमाने पर—पड़ता है, जब कि मूल्यों के चढ़ाव-उतार का कारण उत्तना ही स्पष्ट होता है जितना कि पर्दे के पीछे देखनेवाले को पुतलियों के चलने फिरने का कारण; यह कहना कि रुपया विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापदंड है यदि और कुछ नहीं तो कम-से-कम आश्चर्यजनक तो है ही।

: २० :

## दासता के तीन रूप

दासता चाहे कैसी भी हो, उसका एकमात्र आधार यही है कि एक मनुष्य में दूसरे मनुष्य को जीवन के सुखों से वंचित करने की क्षमता होती है और अपने इस भयावह अधिकार को अक्षुण्ण रखकर वह उसे अपने इच्छानुसार काम करने के लिए बाध्य कर सकता है।

यह बात निश्चयपूर्वक कही जा सकती है कि यदि कहीं दासवृत्ति है अर्थात् यदि कहीं कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के इच्छानुसार और स्वयं अपनी इच्छा के प्रतिकूल अपने लिए अवाञ्छनीय कार्य करता है तो इसका एकमात्र कारण यही है कि उसके साथ हिंसात्मक व्यवहार किया जा सकता है और उस अभाग्य के जीवन को सकट में डालने की धमकी दी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपने सारे श्रम का लाभ दूसरों को दे देता है, यदि उसे स्वयं अपर्याप्त पोषण प्राप्त होता है, यदि वह अपने छोटे-छोटे बच्चों से कठोर परिश्रम करवाता है और यदि खेती छोड़कर वह अपना सारा जीवन उन पदार्थों के लिए घृणित

परिश्रम करने में लगा देता है जिनकी उसको स्वयं आवश्यकता नहीं है, तो यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि वह इन कामों को केवल इसलिए करता है कि इन्हें न करने पर उसे अपने प्राणों को लाले पड़ जाने का भय रहता है। ध्यान रहे कि ऐसी घटनाएँ इस ससार में हमारी आँखों के सामने घटती रहती हैं और फिर भी हम इस ससार को सम्यक् कहते हैं क्योंकि हम इसमें रहते हैं। हमारे इस सम्यक् ससार के अधिकांश निवासी ऐसे हैं जो भीषण अभावों से पीड़ित होकर घृणास्पद और अनावश्यक कामों में सलग्न रहते हैं और मार डाले जाने की धमकी से आतंकित होकर दासता का जीवन बिताते हैं।

अब प्रश्न यह है कि इस दासता का रूप क्या है और किस वस्तु से लोगों के जीवन सकट में पड़ते हैं।

प्राचीन काल में दास बनाने और जान से मार डालने की धमकी देने की रीति विलकुल प्रत्यक्ष थी। लोगों को दास बनाने के लिए एक जगली युक्ति काम में लाई जाती थी, उन्हें तलवार से उड़ा देने की सीधी धमकी दी जाती थी। सगस्त्र मनुष्य निशस्त्र से कहता था—  
“तूने देखा है कि मैंने अभी-अभी तेरे भाई को मार डाला है; इसी तरह मैं तुझे भी मार सकता हूँ। किंतु मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मैं तुझे छोड़ देता हूँ क्योंकि यदि मारे जाने की अपेक्षा तू मेरी नौकरी करने लगे तो यह बात तेरे और मेरे दोनों के लिए अधिक लाभदायक होगी। इसलिए मैं जो कुछ कहूँ उसे कर, नहीं तो मैं तेरे प्राण ले लूँगा।”  
भयभीत होकर निशस्त्र ने सगस्त्र के सामने घुटने टेक दिये और वह उसके सारे आदेश वजा लाने लगा। इस तरह निशस्त्र व्यक्ति काम करता था और सगस्त्र धमकी देता था। यही वह रूप था जिसमें व्यक्तिगत दासता सर्वप्रथम प्रकट हुई और जिसमें आज भी वह आदिम जातियों में दिखाई देती है। आरम्भ में दासता ऐसी ही थी, किंतु जैसे-जैसे जीवन जटिल बनता गया वैसे-वैसे दासता का रूप भी बदल गया। जीवन की जटिलता के बढ़ने के साथ-ही-साथ दासता का रूप आततायी के लिए अधिक असुविधाजनक होता गया। दुर्बलों के श्रम

का शोषण करने के लिए दुर्बलो को भोजन-वस्त्र देने की आवश्यकता की अनुभूति हुई अर्थात् दुर्बलो को कार्य करने योग्य बनाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। इसके कारण दासों की सख्या स्वभावतः परिमित हो गई। इसके अतिरिक्त, आतताइयों को सदा अपने दासों की गर्दन पर सवार रहने और उन्हें मृत्यु की धमकी देते रहने के लिए भी विवग होना पड़ा। अतः दास बनाने की एक दूसरी रीति निकालनी पड़ी।

जैसा कि बाइबिल में लिखा है, लोगों को दास बनाने की यह नई, अधिक सुविधाजनक और व्यापक रीति मिस्र देश में यूसुफ ने आज से पाच हजार वर्ष पहले निकाली थी। यह वैसी ही रीति है जैसी आजकल पशुशालाओं में हठी घोड़ों और जंगली जानवरों को बश में करने के लिए काम में लाई जाती है, अर्थात्, भूखों मारने की रीति।

बाइबिल के उत्पत्ति-प्रकरण में इस नई विधि का इस प्रकार वर्णन किया गया है—

अध्याय—४१ पद ४८—“और उसने (यूसुफ ने) मिस्र देश के सातों (अच्छी फसलवाले) वर्षों का सारा नाज इकट्ठा कर लिया और उसको नगरों में संचित कर दिया। प्रत्येक नगर के निकटवर्ती खेतों का नाज भी उसने वही जमा कर लिया।”

पद ४९—“यूसुफ ने नाज समुद्र के रेत के समान इकट्ठा किया। वह इतना अधिक था कि उसने उसकी नापजोख करनी छोड़ दी, वह अपरिमित था।”

पद ५३—“और मिस्र देश के सुकाल के सातों वर्ष समाप्त हो गए।”

पद ५४—“और, जैसी कि यूसुफ ने भविष्यवाणी की थी, दुष्काल के सात वर्ष आने लगे। सब देशों में अकाल था, किंतु मिस्र की भूमि में खाने को मिलता था।”

पद ५५—“और जब सारा मिस्र देश भी दुर्भिक्ष से ग्रस्त हो गया तो लोगों ने फराऊन के पास जाकर रोटी के लिए चिल्लाना शुरू किया और फराऊन ने मित्रियों से कहा—“यूसुफ के पाम जाओ और वह जो कुछ तुमसे कहे, करो।”

पद ५६—“और अकाल सारी दुनिया में फैल गया। यूसुफ ने अपने सारे कोठार खोल दिये और उनका नाज मिस्रियों को बेच दिया; और मिस्र में अकाल खूब जोरो पर था।”

पद ५७—“और सभी देशों के लोग यूसुफ के पास नाज खरीदने के लिए आने लगे, क्योंकि सारी दुनिया में अकाल जोरो पर था।”

तलवार की धमकी देकर लोगों को दास बनाने की असभ्य-कालीन विधि का प्रयोग करके यूसुफ ने सुकाल में ही अन्न संचित कर लिया। उसे पता था कि मुकाल के पञ्चात दुष्काल आयगा, जैसा कि बहुधा होता है और जिसे फराऊन के स्वप्न के बिना ही प्रत्येक व्यक्ति जानता है। इस व्यक्ति से, अर्थात् लोगों को भूखा मारकर यूसुफ ने न केवल मिस्रियों को बल्कि पास-पड़ोस के देशों के निवासियों को भी फराऊन की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ और मुविधाजनक ढंग से दास बना लिया और जब लोग भूखी मरने लगे तो उसने ऐसी व्यवस्था की जिससे लोग स्थायी रूप से उसके अधिकार में आ जायें। यह व्यवस्था थी लोगों को भूखा रखने की, जिसका वर्णन ४७ वे अध्याय में है।

पद १३—“और सारे देश में कहीं भी रोटी का पता नहीं था, क्योंकि अकाल बहुत भयकर था। मिस्र और कनान दोनों देशों में मुर्दों की छा गई।”

पद १४—“और लोगों ने नाज खरीदकर जो रुपया दिया था वह मिस्र और कनान में जितना भी मिल सका यूसुफ ने सब इकट्ठा कर लिया और उसको फराऊन के घर में लाकर रख दिया।”

पद १५—“और जब मिस्र और कनान में सब रुपया चुक लिया तो मिस्र के सारे निवासियों ने यूसुफ के पास आकर कहा—‘हमें खाने को दीजिए, हमारे पास रुपया नहीं है। क्या हम आपके होते हुए भूखी मरेगे?’”

पद १६—“और यूसुफ ने उत्तर दिया—‘तुम अपने पशु लाओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं रहा तो मैं तुम्हारे पशु लेकर तुम्हें अनाज दूंगा।’”

पद १७—“और तब लोग यूसुफ के पास अपने पशु ले गए और यूसुफ ने उनके घोड़े, गाय, बैल, भेड़, बकरियाँ और गधे लेकर उनके

बदले लोगो को अनाज दिया । और उस साल उसने उनके सारे पशु ले लिये और उनके बदले लोगो को रोटी दी ।”

पद १८—“और जब वह साल खतम हो गया तो अगले वर्ष वे फिर उसके पास आए और बोले—हम आपसे कुछ छिपायगे नहीं । हमारा सारा रुपया खर्च हो चुका है और हमारे पशु भी आपके पास है, आप जानते हैं कि अब हमारे पास गरीर और भूमि के सिवाय और कुछ नहीं बचा है ।”

पद १९—“तो क्या आपके अक्षत रहते हम और हमारी भूमि नष्ट हो जाय ? हमको और हमारी जमीन दोनों को अन्न के बदले खरीद लीजिए, हम अपनी जमीन के साथ फराऊन के गुलाम होकर रहेंगे । हमको बीज दीजिए जिससे हम जीवित रहें, मरे नहीं और हमारी भूमि उजाड़ न हो जाय ।”

पद २०—“तब यूसुफ ने फराऊन के लिए मिस्र की सारी जमीन खरीद ली । प्रत्येक मिस्रवासी ने अपना खेत बेच डाला, क्योंकि अकाल से वह वृरी तरह पीड़ित था; और जमीन फराऊन की हो गई ।”

पद २१—“और जहा तक लोगो का सम्बन्ध था उसने उन्हें मिस्र के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक नगरों में ला बसाया ।”

पद २२—“उसने केवल पुरोहितो की भूमि नहीं खरीदी, क्योंकि वह फराऊन की ओर से दक्षिणा के रूप में दी गई थी और उसीसे वे अपना पेट पालते थे । इसलिए उन्होंने अपनी जमीन नहीं बेची ।”

पद २३—“तब यूसुफ ने लोगो से कहा—देखो ! आज मैंने तुम्हें और तुम्हारी जमीन को फराऊन के लिए खरीद लिया है । लो, यह तुम्हारे लिए बीज है, इससे जमीन को जोतो-बोओ ।”

पद २४—“और यह नियम होगा कि फसल कटने पर तुम लोग उसका पाचवा हिस्सा फराऊन को दोगे और शेष चार भाग तुम्हारे रहेंगे । इनमें से तुम बीज के लिए रख छोड़ना और अपने कुटुम्ब और बाल-बच्चो का भरत-पोषण करना ।”

पद २५—“और उन्होंने कहा—आपने हमारी जान बचाई है । आप हमपर कृपा-दृष्टि रखिए और हम फराऊन के नौकर होकर रहेंगे ।”

पद २६—“और यूसुफ ने मिस्र की भूमि के सम्बन्ध में यह नियम बना दिया कि पैदावार का पाचवा भाग फराऊन को मिला करेगा । यह नियम वहा आज भी प्रचलित है । केवल पुजारियों की भूमि पर फराऊन का अधिकार नहीं हुआ ।”

इससे पहले फराऊन को लोगो के श्रम का शोषण करने के लिए डर और धमकी से काम लेना पड़ता था, किंतु अब जबकि अन्न-भंडार और जमीन सब उसके अधिकार में आ गए तब उसे केवल उनकी बलपूर्वक पहरेदारी करने की आवश्यकता रह गई । लोगो की भूख ने उसे इस बात में सहायता दी कि वह उन्हें अपने लिए काम करने को बाध्य कर सके ।

सारी जमीन फराऊन की हो गई और लोगो से लिये जानेवाले अन्न का पचमाग भी उमीका हो गया । इस प्रकार लोगो से काम कराने के लिए अब उसे अलग-अलग व्यक्ति को अलग-अलग तलवार दिखाने की आवश्यकता नही रह गई । अब तो केवल इस बात की आवश्यकता थी कि भंडारों की रक्षा के लिए बल का प्रयोग किया जाय, अर्थात् सशस्त्र पहरेदार रख दिये जाय । फलतः लोग तलवार की नोक पर नही, बल्कि भूख के कारण दास बन गए ।

अब यह फराऊन की सामर्थ्य में था कि किसी भी वर्ष अकाल पड़ने पर वह चाहे तो सब लोगो को भूखा मार दे और यदि दुर्भाग्यवश किसीके पास सुकाल में भी अन्न न रहे तो उसे भी भूख का शिकार बनने दे ।

इस प्रकार दास बनने की इस दूसरी विधि का आविर्भाव तलवार के बल पर नही हुआ, अर्थात् किसी सशक्त व्यक्ति ने दुर्बल व्यक्ति को मारने की धमकी देकर अपने लिए काम करने के लिए बाध्य नही किया, बल्कि आततायी ने जनता का अन्न हड़पकर उसपर तलवार का पहरा लगा दिया और इस प्रकार पेट की खातिर दुर्बलो को विवश होकर मजदूरी, स्वीकार करनी पडी ।

यूसुफ ने भूखो से कहा था—“अन्न मेरे अधिकार में है, इसलिए मैं तुम्हें भूखो मार सकता हूँ, किंतु मैं तुम्हें इस शर्त पर छोड़े देता

हूँ कि जो अनाज मैं तुम्हें दूँगा उसके बदले तुम मेरा हुक्म बजा लाओगे ।”

दासत्व की पहली विधि के लिए सत्ताधारी मनुष्य को केवल ऐसे सिपाहियों की आवश्यकता होती है जो घोड़ों पर चढ़कर सर्वदा लोगों में चक्कर लगाते रहें और उन्हें मौत की धमकी देकर स्वामी की आज्ञा का पालन कराते रहे । इस विधि में आततायी को केवल अपने सैनिकों को ही लूट का हिस्सा देना पड़ता है । किंतु दूसरी पद्धति में आततायी को सिपाहियों के अतिरिक्त ऐसे सहायकों की आवश्यकता होती है जो भूखों से अन्न-भंडारों और भूमि को रक्षा कर सकें । दूसरे शब्दों में यों कहिए कि उसे छोटे और बड़े यूमुफों, अन्न-वितरकों और प्रबन्धकों की आवश्यकता होती है । इसलिए सत्ताधारी को अपनी हथियारों हुई सम्पदा को इन सब लोगों में बांटना पड़ता है और न केवल यूसुफ को सुन्दर वस्त्र, सोने की अगूठी, नौकर-चाकर और अन्न देना पड़ता है बल्कि उसके भाइयों और सम्बन्धियों के लिए भी चादो देनी पड़ती है । इसके अतिरिक्त इस दूसरी पद्धति में यह स्वाभाविक है कि डर-धमकी के प्रयोग से प्राप्त किये जानेवाले लाभ में न केवल प्रबन्धकों और उनके सगे-सम्बन्धियों को बल्कि उन सब लोगों को भी, जिनके पास अन्न के भंडार हैं, हिस्सा मिले । जिस प्रकार पहली पद्धति में, जो केवल बल-प्रयोग पर अवलम्बित थी, जनता पर किये जानेवाले बल-प्रयोग में शस्त्रधारी भागीदार होता था, उसी प्रकार भूख के आधार पर स्थापित दूसरी पद्धति में उन सब लोगों को, जिनके पास खाने पीने की सामग्री होती है, डर-धमकी का लाभार्थ मिलता है और वे उन लोगों पर शासन करते हैं जिनके पास अन्न नहीं होता ।

पहली पद्धति की अपेक्षा दूसरी पद्धति से आततायी को दो लाभ होते हैं—पहला और प्रधानत यह कि मजदूरों से इच्छानुसार काम कराने के लिए उसे डर-धमकी का प्रयोग करने को बाध्य नहीं होना पड़ता, क्योंकि मजदूर स्वयं उसके पास आकर अपने को उसके हाथों बेच जाते हैं । दूसरा यह कि उसके अत्याचार-पाश से बहुत थोड़े लोग बच पाते हैं । इस पद्धति से उसे केवल एक हानि है, वह यह कि उसे



अपना लाभ अधिक व्यक्तियों में बाटना पड़ता है। जहातक थीडितो का प्रश्न है, उनके लिए इस पद्धति में अच्छाई यह होती है कि उन्हें बल-प्रयोग के आतक में नहीं रहना पड़ता। वे स्वतंत्र हो जाते हैं और दिन फिरने पर पीडितों की श्रेणी से निकलकर पीडकों की श्रेणी में जाने की आशा कर सकते हैं। इस पद्धति से उन्हें हानि यह होती है कि वे किसी भी अवस्था में डर-धमकी से बच नहीं पाते—चाहे उसकी मात्रा कम हो या अधिक।

दास बनाने की यह नई विधि प्रायः पहली विधि के साथ-ही-साथ प्रयोग में आती है और सत्ताधारी व्यक्ति आवश्यकतानुसार एक को सकुचित और दूसरी को व्यापक बनाता जाता है, किंतु इस पद्धति से भी सत्ताधारी को पूरा-पूरा सतोप नहीं हो पाता, क्योंकि वह तो चाहता है कि यथासाध्य अधिक-से-अधिक व्यक्तियों के श्रम का अधिक-से-अधिक प्रतिफल हड़पा जाय और अधिक-से-अधिक व्यक्तियों को दास बनाया जाय। इसके अतिरिक्त यह विधि जीवन की बढ़ती हुई जटिलताओं का साथ भी नहीं दे पाती। अतः दास बनाने की एक और नई विधि निकाली जाती है। यह नई और तीसरी विधि कर लगाने की है। दूसरी विधि के समान यह विधि भी लोगों को क्षुधित रखकर ही चलाई जाती है, किंतु इसमें एक नई बात यह जुड़ जाती है कि लोगों को रोटी से वंचित करने के साथ-ही-साथ जीवन-सम्बन्धी अन्य आवश्यकताओं से भी वंचित कर दिया जाता है। जो रुपया स्वयं आततायी के पास होता है उसे ही वह अपने दासों से इतनी अधिक सख्ता में मागता है कि उसका प्रवन्ध करने के लिए उन दासों को न केवल यूसुफ द्वारा निश्चित पंचमाग से अधिक अन्न बेचना पड़ता है; बल्कि मास, खाल, ऊन, कपड़ा, ईंधन और घर-जैसी नितान्त आवश्यक वस्तुएँ तक बेच डालनी पड़ती हैं। इस प्रकार आततायी न केवल भूख बल्कि प्यास, शीत, अभाव आदि अन्य विपदाओं का भी त्रास दिखाकर दासों को सदा अपने अधिकार में रखता है।

इस रीति से दासत्व के तीसरे रूप—पैसे की दासता—का प्रादुर्भाव होता है। इसमें सबल मनुष्य निर्बल से कहता है—“मैं तुमसे

प्रत्येक से जो चाह कर सकता हूँ। चाह तो मैं तुम्हें अपनी बट्टक की गोली का निशान बना दूँ और चाह तो तुमसे रोटी देनेवाली भूमि छीनकर तुम्हें नष्ट कर दूँ। जो रूपए तुम मुझे लाकर दोगे उससे मैं तुम्हारा उदर-भरण करनेवाला सारा नाज खरीद सकता हूँ और उस नाज को दूसरो के हाथों बेचकर तुम सबको किसी समय भी भूखी मार सकता हूँ। यही नहीं, मैं तुम्हारे पशु, तुम्हारे मकान, तुम्हारे वस्त्र—तुम्हारा सब कुछ हडप सकता हूँ। किन्तु ऐसा करना मेरे लिए-सुविधाजनक नहीं है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता, यही कारण है कि मैं तुम सबको इस बात की स्वतन्त्रता देता हूँ कि तुम जिस प्रकार चाहो अपने काम और पैदावार की व्यवस्था करो—मुझे तो केवल मेरी माग के अनुसार गिने-गिनाए रूपए दे दो, जो मैं तुमसे या तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से या तुम्हारी भूमि, तुम्हारे खाद्य पदार्थों, वस्त्रों या घरों के हिसाब से लूँगा। बस तुम मुझे ये रूपए लाकर दे दो और फिर जैसे चाहो आपस में रहो। पर इस बात को समझ लो कि रक्षा न तो मैं विधवाओं और अनाथों की करूँगा, न बीमारों और बूढ़ों की और न ऐसे लोगों की जिनका घर-बार आग में जल गया है। मैं तो केवल इस बात की व्यवस्था करूँगा कि रूपए का लेन-देन नियमित रूप से चलता रहे। जो लोग मुझे निश्चित समय पर अपेक्षित राशि देते रहेंगे, उन्हींके व्यवहार को मैं न्यायसगत ठहराऊँगा और उन्हींकी मैं रक्षा भी करूँगा। किन्तु मुझे इससे कोई सम्बन्ध नहीं कि उस रूपए को लोग अर्जित किस प्रकार करते हैं।

अपनी माग की पूर्ति के रसीद-स्वरूप सत्ताधारी इन्हीं रूपयों को चलाता है।

दासता की दूसरी विधि वह है जिसके अनुसार फराऊन ने फसल का पचमास इकट्ठा कर अपने कोठी में भर लिया था और तलवार के बल पर भी लोगों को व्यक्तिगत दासत्व में जकड़ लिया था। इसके अतिरिक्त इसी विधि की सहायता से उसके लिए यह भी सम्भव हो सका था कि अपने सहयोगियों से मिलकर वह अकाल के समय समस्त श्रमजीवियों पर और विपत्ति पड़ने पर उनमें से कुछ पर शासन करे।

तीसरी विधि वह है जिसके अनुसार फराऊन ने जनता से फसल के पचमाग के मूल्य से अधिक रुपया मागा और अपने सहायको की सहायता से मजदूरो पर केवल अकाल और आकस्मिक घटना के समय ही नहीं बल्कि सर्वदा राज्य करने का एक नया साधन निकाला। दूसरी पद्धति में लोग थोडा-सा अनाज बचाकर रख लेते थे और उसीके सहारे वे अपने को दासत्व से मुक्त रखकर छोटे-छोटे अकालो और आकस्मिक दुर्घटनाओ का सामना कर लेते थे। किंतु तीसरी पद्धति में कर में वृद्धि हो जाने के कारण उनसे उनका सारा नाज ही नहीं बल्कि जीवन सम्बन्धी अन्य सभी आवश्यक पदार्थ भी ले लिये गए और छोटे-से-छोटा सकट पडने पर ही मजदूरो को पैसेवाले की दासता स्वीकार करनी पडी, क्योंकि उनके पास न तो नाज ही रह गया और न कोई अन्य पदार्थ ही जिसके बदले में वे अन्न प्राप्त कर सकते। पहली पद्धति की सफलता के लिए आततायी को केवल सिपाहियो की आवश्यकता थी और उसे केवल उन्हीको लाभाग देना पडता था, दूसरी पद्धति में भूमि और अन्न-भंडारो के रक्षको के अतिरिक्त आततायी को अन्न एकत्र करनेवालो और वितरक मुगियो की भी आवश्यकता पडी। तीसरी पद्धति में वह अकेला ही सारी भूमि का स्वामी नहीं बना रह सका, उसे भूमि और सम्पत्ति की रक्षा के लिए पहरेदारो के अनिरीक्त जमीदारो, टैक्स-कलक्टरो, व्ययित अथवा उपभोग्य पदार्थ के हिसाब से टैक्स निश्चित करनेवाले अफमरो, इन्सपेक्टरो, चुगी व माल-अफसरो और पचो की आवश्यकता हुई।

तीसरी पद्धति का संगठन दूमगी की अपेक्षा अधिक जटिल है। दूसरी पद्धति के अनुसार नाज इकट्ठा करने का काम ठेके पर दिया जा सकता है, जैसा कि पुगने जमाने में होता था और आजकल भी तुर्की में होता है। किंतु जब दामो पर कर लगाया जाता है तब इस बात की देखभाल करने के लिए कि कोई व्यक्ति या उसका कर लगाने योग्य कोई कार्य कर से वंचित न रह जाय, एक जटिल शासन-व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इसलिए तीसरी पद्धति में आततायी को अपना लाभ दूसरी पद्धति की अपेक्षा और भी अधिक लोगो में बाटना पडता

है। इसके अतिरिक्त यह विधि कुछ है ही ऐसी कि पैसेवाले सभी लोग—चाहे वे उसी देश के हों जिसमें यह विधि प्रचलित है चाहे किसी और देश के—लूट में भागीदार बन जाते हैं। इस विधि का प्रयोग करनेवाले आततायी को पहली और दूसरी विधियों के आततायियों की अपेक्षा निम्नलिखित लाभ अधिक होते हैं—

पहला लाभ तो यह है कि इस विधि के अनुसार लोगों से अपेक्षाकृत अधिक काम लिया जा सकता है और वह भी अधिक सुविधाजनक रूप में, क्योंकि रुपए की शकल में लिया जानेवाला कर एक पेच के समान होता है जिसको सरलतापूर्वक उस अंतिम सीमा तक कसा जा सकता है जिससे सोने का बड़ा देनेवाली मुर्गी मरने न पाय। इसमें यूसुफ-काल की भाँति अकाल की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इस व्यवस्था के अनुसार अकाल जब चाहे तभी पैदा किया जा सकता है।

दूसरा लाभ यह है कि इस पद्धति में उन समस्त भूमिरहित व्यक्तियों को डराया-धमकाया जा सकता है जो पहले बच निकलते थे और उदर-पूर्ति के लिए थोड़ी-बहुत मजदूरी कर लेते थे, किंतु जिनको अब आततायी को कर देने के लिए भी अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है। इस विधि में आततायी को हानि यह है कि इसे अपना लाभ अपेक्षाकृत अधिक लोगों में बाटना पड़ता है। इन भागीदारों में केवल उसके सहायक ही नहीं होते, बल्कि एक ओर वे प्राइवेट जमींदार होते हैं जिनका ऐसी व्यवस्था में साधारणतः आविर्भाव ही जाता है और दूसरी ओर अपने ही देश के नहीं बल्कि विदेशों के भी वे व्यक्ति होते हैं जिनके पास उस तरह के सिक्के होते हैं जिस तरह के सिक्कों की दासों से माँग की जाती है। जहाँ तक पीड़ितों का प्रश्न है, उन्हें इस पद्धति में दूसरी पद्धति की अपेक्षा केवल इतना लाभ है कि वे आततायियों के चंगुल से और भी अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं। वे जहाँ चाहे रह सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं। खेत बोना या न बोना उनकी स्वेच्छा पर निर्भर है। उन्हें अपने काम का हिसाब किसीको नहीं देना पड़ता और यदि उनके पास रुपया है तो वे अपने को पूर्णतः स्वतंत्र समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब उनके पास फालतू रुपया होता है या

उस फालतू टपए से वे कोई जमीन खरीद लेते हैं तो वे केवल स्वतंत्रता प्राप्त करने की नहीं बल्कि-आततायी तक बन सकने की आशा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वे इस स्थिति को प्राप्त तक कर सकते हैं चाहे थोड़े ही समय के लिए सही। इस पद्धति से उन्हें हानि यह है कि साधारणतः उनकी स्थिति और भी बिगड़ जाती है और वे अपनी अधिकांश पैदावार से वंचित कर दिये जाते हैं, क्योंकि इस पद्धति में दूसरों के श्रम का सुख-भोग करनेवाले व्यक्तियों की संख्या और भी अधिक होती है जिसके फलस्वरूप उनके जीवन-निर्वाह का भार अपेक्षाकृत कम लोगों पर पड़ता है।

दास बनाने की यह तीसरी पद्धति भी बहुत पुरानी है और इसका प्रयोग भी पहली दो पद्धतियों के साथ-ही-साथ होता है वे इससे विलकुल व्यतिरिक्त नहीं हो जाती। सच पूछिए तो तीनों में से एक पद्धति भी कभी बंद नहीं हुई है। तीनों पद्धतियों की तुलना पेचों से की जा सकती है जो श्रमजीवियों के मस्तक पर रखे हुए एक तखते में कसे जाते हैं और उनको दबाते हैं। इनमें से मुख्य, आचारभूत और बीच का पेच—जिसके बिना दूसरे पेच नहीं ठहर सकते और जो सबसे पहले कसा जाता है तथा कभी ढीला नहीं किया जाता—शारीरिक दासता का पेच है—वह दासता जिसमें मानवों का एक नमूह मानवों के दूसरे समूह को तलवार से उड़ा देने की धमकी देकर बाधता है। दूसरा पेच, जो पहले के बाद कसा जाता है, लोगों को भूमि और भोजन से वंचित करके दास बनाने का पेच है; इसमें व्यक्तिगत मृत्यु की भी धमकी दी जाती है। तीसरा पेच उस दासता का पेच है जिसमें निरीह जनता से रुपया मांगा जाता है ( जो उसके पान नहीं होता) और साथ-ही-साथ मर्त की धमकी भी दी जाती है। तीनों पेचों से एक साथ काम लिया जाना है और जब एक कस दिया जाता है तभी दूसरे ढीले किये जाते हैं। श्रमजीवियों को दासत्व की श्रृंखला में पूर्ण रूप से कसने के लिए तीनों पेचों—दास बनाने की तीनों पद्धतियों—की आवश्यकता होती है। हमारे समाज में इन तीनों पद्धतियों से बराबर काम लिया जाता है—तीनों पेच बराबर कसे रहते हैं।

व्यक्तिगत बल-प्रयोग और तलवार से घड उडा देने की धमकी देकर लोगो को दास बनाने की पहली पद्धति का कभी परित्याग नही हुआ है और जबतक मानव मानव को दास बनाता रहेगा तबतक इस पद्धति का परित्याग नही होगा, क्योंकि इसीपर दासता की भीत खडी है। हमलोग बडे ही सहज भाव से यह विश्वास प्रकट करते है कि हमारे सभ्य ससार मे व्यक्तिगत दासता का अन्त हो चुका है, उसके अतिम अवशेष तो अमरीका और रूस मे दफना दिये गए। हम लोग यह भी कहते है कि अब दासता केवल जगलियो मे रह गई है। ऐसा कहते समय हम एक छोटी-सी बात भूल जाते है, वह यह कि स्थायी सेनाओ में करोडो व्यक्ति कार्य करते है, जिनके बिना कोई शासन-प्रबध अक्षुण्ण नही रह सकता और जिनको हटा देने से किसी भी राज्य की आर्थिक व्यवस्था का नष्ट-विनष्ट हो जाना अनिवार्य है। किन्तु ये करोडो सिपाही अपने शासको के व्यक्तिगत दास नही तो और क्या है? क्या यातना और मृत्यु की धमकी देकर—जो प्राय कार्यान्वित भी की जाती है—सिपाहियो को अपने स्वामी के इच्छा-नुसार कार्य करने के लिए विवश नही किया जाता? भेद केवल इतना है कि इनकी दासता को दासता का नाम नही दिया जाता। इसको अनु-शासन के नाम से पुकारा जाता है और जबकि दूसरे लोग आजीवन दास बने रहते है, इनकी दासता, जिसे हमलोग 'नौकरी' कहते है, एक सक्षिप्त काल तक ही सीमित रहती है। हमारे सभ्य समाज मे व्यक्तिगत दासता का न केवल अन्त नही हुआ है बल्कि अनिवार्य सैनिक भरती के कारण पिछले कुछ वर्षों से वह और भी अधिक पुष्ट हो गई है। यह तो सत्य है कि उसके रूप मे थोडा-सा परिवर्तन हो गया है, किन्तु सारत वह अब भी वही है जो पहले थी। उसका अस्तित्व मिट नही सकता, क्योंकि जबतक मनुष्य मनुष्य का दास रहेगा तबतक इस प्रकार की व्यक्तिगत दासता भी अक्षुण्ण रहेगी, जो तलवार की नोक पर मनुष्य की भूमि और कर सम्बन्धी दासता को भी जीवन-दान करती रहती है। हो सकता है कि सेना की यह दासता हमारे देश की रक्षा और गौरव के लिए आवश्यक हो, जैसा

कि कहा जाता है, किंतु यह आवश्यकता अत्यंत सदिग्ध है, क्योंकि हम देखते हैं कि युद्ध में असफल होने पर यही सेना देश की पराधीनता और अवनति का कारण बन जाती है। फिर भी एक बात स्पष्ट है, वह यह कि इस प्रकार की दासता भूमि और कर सम्बन्धी दासता को जीवन-दान करने के लिए उपयोगी है। उदाहरणतः, यदि रूस या आयरलैंड के किसान जमींदारों से जमीन छीन ले तो उसी समय सेनाएँ आकर किसानों से जमीन वापस ले लेंगी। इसी प्रकार यदि कोई शराब खींचने का कारखाना बनाले और आवकारी का कर अदा न करे तो सैनिक आकर उस कारखाने को तत्काल बंद कर देंगे। या जरा टैक्स बंद करके देखिए, आपको वही परिणाम भोगना पड़ेगा।

दूसरी पद्धति है लोगों की भूमि और भोजन-सामग्री छीनकर दास बनाने की पद्धति। जहाँ कहीं भी लोग दास बनाए जाते हैं वहाँ पहले भी इस पद्धति से काम लिया गया होगा और अब भी लिया जाता है। इस पद्धति का रूप चाहे कितना ही परिवर्तित क्यों न हो जाय वह प्रचलित सब जगह होती है। कहीं-कहीं—जैसा कि तुर्की में है—सारी भूमि पर राजा का स्वामित्व माना जाता है और सरकार फसल का दसवा भाग कर के रूप में वसूल करती है। कहीं-कहीं भूमि के कुछ भाग पर ही राजा का अधिकार माना जाता है और उस भूमि से कर इकट्ठा किया जाता है। कहीं-कहीं—जैसा कि इंग्लैंड में है—सारी भूमि कुछ थोड़े-से व्यक्तियों के अधिकार में होती है और उनके लिए लोगों से कुछ मजदूरी कराई जाती है। या कहीं-कहीं—जैसा कि रूस, जर्मनी और फ्रांस में है—भूमि का न्यूनाधिक भाग जमींदारों के अधिकार में होता है। सारांश यह कि जहाँ कहीं भी दासता है वहाँ सत्ताधारी व्यक्ति दासता द्वारा जमीन पर अपना अधिकार अवश्य जमा लेता है।

लोगों को दास बनानेवाला यह पेंच दूसरे पेंचों पर पड़नेवाले वोज़ को दृष्टि में रखकर ही कसा या ढीला किया जाता है। उदाहरणार्थ, रूस में जब अधिकांश श्रमजीवी व्यक्तिगत दासता में जकड़ दिये गए तो वहाँ भूमि की दासता निरर्थक हो गई, किंतु व्यक्तिगत दासता का

पेच उस समय तक ढीला नहीं किया गया जबतक भूमि और कर-सम्बन्धी दासता के पेच खूब कस नहीं दिये गए। लोगों को विभिन्न समुदायों में बांट दिया गया, उनके स्थान-परिवर्तन के मार्ग में बाधाएँ उपस्थित कर दी गईं भूमि या तो सरकार ने हथिया ली या व्यक्तिगत जमींदारों को दे दी गईं और तब कही जाकर किसानों को स्वतन्त्र किया गया। इसी तरह इंग्लैंड में भूमि-दासता का दौर-दौरा है और वहाँ भूमि के राष्ट्रीयकरण का जो प्रश्न उठ रहा है उसका अर्थ केवल यह है कि कर-सम्बन्धी पेच को कस दिया जाय ताकि भूमि-दासता का पेच ढीला किया जा सके।

कर द्वारा दास बनाने की तीसरी पद्धति भी पहले प्रचलित थी और आजकल विभिन्न राज्यों में समान मुद्रा का प्रचलन होने के कारण तथा शासक सस्थाओं के आंतरिक अधिकारों में वृद्धि होने से इस पद्धति का प्रभाव विशेष रूप से बढ़ गया है। वर्तमान काल में इस पद्धति का इतना विस्तार हो गया है कि इस बात की आशा की जाने लगी है कि धीरे-धीरे यह पद्धति भूमि-दासत्व की दूसरी पद्धति का स्थान ग्रहण कर लेगी। यह वह पेच है जिसके कस देने पर भूमि सम्बन्धी दासता का पेच ढीला हो जाता है, जैसा कि सारे यूरोप की आर्थिक अवस्था से प्रकट है। अपनी याद में हम रूस में दासता को दो बार एक रूप से दूसरा रूप ग्रहण करते देख चुके हैं। जब दास मुक्त किये गए और अधिकांश भूमि जमींदारों के अधिकार में छोड़ दी गई तब भू-स्वामियों को चिंता हुई कि दासों पर से उनका अधिकार जाता रहेगा। किंतु अनुभव ने सिद्ध किया कि वे एक शृंखला को छोड़कर दूसरी शृंखला पकड़ रहे हैं, अर्थात् दास-स्वामित्व के बदले भू-स्वामित्व की प्रणाली अपना रहे हैं। किसान के पास खाने को कुछ नहीं था। किंतु जमींदार के पास जमीन और अन्न-भंडार थे, इसलिए किसान गुलाम-का-गुलाम बना रहा। इस स्थिति में नया परिवर्तन तब हुआ जब कि सरकार की मांगों ने कर-सम्बन्धी दूसरे पेच को खूब कस दिया और अधिकांश श्रम-जीवी अपने आपको जमींदारों या मिल-मालिकों के हाथ बेचने को बाध्य हो गए। दासता की इस नई पद्धति ने लोगों को और भी जकड़



लिया। परिणाम यह हुआ कि रूस के ९० प्रतिशत मजदूर आज जमींदारों और मिल-मालिकों के यहाँ केवल इसलिए काम करते हैं कि भूमि-कर और राज्य की मांगे उन्हें ऐसा करने के लिए विवश करती हैं। यह बात इतनी स्पष्ट है कि यदि सरकार एक साल के लिए प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और भूमि सम्बन्धी करों की उगाही बंद करने का प्रयोग करे तो कारखानों में और उन जमीनों पर जो किसानों या मजदूरों की अपनी नहीं है, काम बिलकुल पट पड़ जाय। जब कर उगाहे जाते हैं तब उन्हें अदा करने के लिए रूस के ९० प्रतिशत लोगों को मजदूरी करनी पड़ती है।

दासत्विकरण की ये तीनों विधियाँ पुरातन काल से निरंतर चली आई हैं और आज भी विद्यमान हैं, किंतु मनुष्य का यह स्वभाव है कि इन विधियों की उपादेयता को सिद्ध करने के लिए नए बहानों के मिलते ही वह इनकी ओर ध्यान देना छोड़ देता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि यही पद्धति जिसपर आजकल सब कुछ टिका हुआ है, यही पंच जिसने सब चीजों को एक साथ जकड़ रखा है, लोगों को दिखलाई नहीं देता।

प्राचीन काल में, जब कि ससार की मारी आर्थिक व्यवस्था व्यक्तिगत दामता के आधार पर खड़ी थी, महान्-से-महान् मनीषियों की भी दृष्टि इधर नहीं गई। जोनोफन, अफलातून, अरस्तु और रोमनों का तो यह धारणा थी कि इसके विपरीत कुछ हो ही नहीं सकता। दासता युद्ध का स्वाभाविक और अनिवार्य परिणाम है और इसके बिना मानव-समाज का अस्तित्व ही कल्पनातीत है। इसी प्रकार मध्य काल में और अभी कुछ ही दिनों पीछे तक—लोग भू-स्वामित्व के महत्व को नहीं समझते थे और उसके फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाली उस दासता को भी नहीं देख पाते थे जिसपर मध्यकाल का सम्पूर्ण आर्थिक यंत्र अवलम्बित था। ठीक इसी तरह आजकल भी न तो कोई इस बात को समझता है, न समझने की चेष्टा ही करता है कि अधिकांश लोगों की दासता का कारण रूप के रूप में लिये जानेवाले वे राज्य-कर और भूमि-कर हैं जिनकी मांग सरकार और उसके आश्रित करते हैं और

जिन्हें वसूल करने की व्यवस्था कर्मचारियों तथा सैनिकों के हाथों में होती है—वे ही कर्मचारी और वे ही सैनिक जिन्हें इन करों की आय से वेतन दिया जाता है ।

: २१ :

## अव्यवहारिक अर्थशास्त्र

आश्चर्य की बात यह नहीं कि पुरातन काल से दासता के पाग में जकड़े हुए प्राणी स्वयं अपनी स्थिति से परिचित नहीं हैं और जिस दशा में वे सदा से रहते आए हैं उसे वे मानव-जीवन की स्वाभाविक अवस्था मानते हैं और दासता के रूपमात्र में परिवर्तन को सुधार समझ बैठते हैं । आश्चर्य की बात यह भी नहीं है कि इन दासों के स्वामी भी कभी-कभी सच्चे हृदय से यही समझते हैं कि एक पेंच ढीला करके वे अपने दासों को स्वतन्त्र कर रहे हैं जब कि वास्तविकता यह होती है कि दूसरा पेंच पहले ही से खूब कस दिया जाता है । दास और स्वामी दोनों अपनी-अपनी स्थिति के अभ्यस्त हो जाते हैं और स्वतन्त्रता से अनभिज्ञ होने के कारण दासों की केवल इतनी आकांक्षा होती है कि किसी तरह उनकी स्थिति में सुधार हो जाय या उनकी दासता का रूप बदल जाय । इसके विपरीत स्वामी-वर्ग के लोग अपने अन्याय पर परदा डालने के लिए इस बात की चेष्टा करते हैं कि लोगों को पुराने ढंग की दासता से निकालकर वे जिस नए ढंग की दासता में जकड़ने जा रहे हैं उसका खूब ढोल पीटें । आश्चर्य की बात तो यह है कि उदार कहलानेवाला अर्थशास्त्र भी मानव-जीवन की आर्थिक स्थिति की जांच करते समय उस वास्तविकता को देखने से चूक जाता है जो उस स्थिति के मूल में छिपी रहती है । मैं समझता हूँ कि अर्थशास्त्र का काम यह पता लगाना है कि किसी एक घटना का अनेक शृंखलाबद्ध घटनाओं के सामान्य कारण से क्या सम्बन्ध है ? किंतु अर्थशास्त्र इसका बिल्कुल उलटा करता है । वह

घटनाओं तथा उनके महत्व को एक सूत्र में बाधनेवाले सम्बन्ध को सावधानी के साथ छिपाता है और साधारण-से-साधारण तथा अनिवार्य-से-अनिवार्य प्रश्नों का भी उत्तर देने से बचता है। वह एक सुस्त और हठी घोड़े के समान है जो ढलाव पर, जहाँ वोश नहीं खींचना पड़ता, खूब मजे से चलता है, किंतु जैसे ही वोश खींचने का अवसर आता है वैसे ही वह किसी दूसरी दिशा में मुड़ जाता है, मानो उस दिशा में उसे कोई काम हो। अर्थशास्त्र के सामने जैसे ही कोई गम्भीर और आवश्यक प्रश्न आता है वैसे ही असम्बन्धित बातों पर पांडित्यपूर्ण वादविवाद आरम्भ हो जाता है, ताकि लोगों का ध्यान मुख्य प्रश्न से हट जाय।

आप पूछते हैं इस अस्वाभाविक, विलक्षण, विवेकरहित और केवल व्यर्थ ही नहीं बल्कि हानिकारक व्यवस्था का क्या कारण है कि मानव-समाज के कुछ प्राणी दूसरों की इच्छा के बिना न खा सकते हैं, न काम कर सकते हैं ? और अर्थशास्त्र गम्भीर-से-गम्भीर मुद्रा बना कर उत्तर देता है इसका कारण यह है कि कुछ लोग दूसरों के काम और पोषण पर नियंत्रण रखते हैं—उत्पादन का नियम ही ऐसा है।

आप पूछते हैं स्वामित्व का यह कैसा विलक्षण अधिकार है जिसके बल पर कुछ लोग दूसरों की भूमि, भोजन तथा काम करने के औजारों का अपहरण कर लेते हैं ? अत्यंत गम्भीर मुद्रा बनाकर अर्थशास्त्र उत्तर देता है इस अधिकार की रचना परिश्रम के संरक्षण के तत्त्व पर की गई है, अर्थात् एक वर्ग के लोगों के परिश्रम का संरक्षण दूसरे वर्ग के लोगों के परिश्रम का अपहरण करके किया जाता है।

आप पूछते हैं यह कैसा रूपया है जिसकी छपाई और ढलाई सब जगह सरकार अथवा उसके अधिकारी ही करते हैं, जो मजदूरों से इतनी अधिक संख्या में बलपूर्वक वसूल किया जाता है और जो राष्ट्रीय ऋण के रूप में मजदूरों की भावी सतान के सिर पर भी मढ़ दिया जाता है ? आप पूछते हैं कि कर लेनेवालों से कर देनेवालों का जो आर्थिक सम्बन्ध होता है, उसपर इस रूपए का, जो करो के रूप में लोगों से यथासम्भव अधिक-से-अधिक परिमाण में हड़पा जाता है, क्या असर

पडता है ? अर्थशास्त्र वही गम्भीर मुद्रा बना कर उत्तर देता है चीनी या छोट की तरह रुपया भी एक पदार्थ है । अतः केवल इतना है कि यह विनिमय का सबसे अधिक सुविधाजनक माध्यम है । करो का लोगो की आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पडता । उत्पादन, विनिमय और वितरण के नियम एक वस्तु है, कर दूसरी वस्तु ।

आप पूछेंगे . सरकार को अपने इच्छानुसार मूल्य घटाने-बढाने और कर बढाकर भूमि-विहीन लोगो को दासता की मृखला मे जकडने का जो अधिकार प्राप्त है, क्या उसका लोगो की आर्थिक अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पडता ? अर्थशास्त्र बडा ही गम्भीर मुह बनाकर उत्तर देता है विलकुल नहीं, उत्पादन, वितरण और विनिमय का शास्त्र अलग है और कर तथा राज्य-कार्य अर्थात् अर्थ-व्यवस्था का शास्त्र अलग है ।

आप अतिम प्रश्न करते हैं सारी-की-सारी जनता सरकार की दासता में आवद्ध है, सरकार को यह क्षमता प्राप्त है कि जिसे चाहे वह नष्ट करदे, जिससे चाहे उससे उसके श्रम का समस्त प्रतिफल ले ले और श्रमजीवियो को उनके काम से हटाकर सैनिक दासत्व में जकड दे—क्या इन सब बातों का आर्थिक परिस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पडता ? अर्थशास्त्र इस प्रश्न का उत्तर देने तक का कष्ट नहीं करता । यह तो एक विलकुल पृथक विषय है—राज्य-नियम या राजनीतिक कानून । जिस जनता का प्रत्येक कार्य और प्रत्येक कर्तव्य आततायी की स्वेच्छा पर निर्भर होता है उसके आर्थिक जीवन के नियमों का अर्थशास्त्र बडी गम्भीरता के साथ परीक्षण करता है और आततायी के इस अधिकार को सार्वजनिक जीवन का स्वाभाविक रूप समझता है । दासों के जीवन पर स्वामी की स्वेच्छा का क्या प्रभाव पडता है, अपने लाभार्थ स्वामी जो कुछ चाहता है उसे करने के लिए वह दासों को किस प्रकार बाध्य करता है, किस प्रकार उन्हें वह अपने मन की मौज के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर खदेडता फिरता है और इच्छा होती है तो भोजन देता है, नहीं तो भूखा रखकर मार डालता है या योही जीने के लिए छोड देता है—इन बातों की जाच किये बिना जिस प्रकार कोई भी प्रेक्षक दासों की आर्थिक स्थिति का अनुमान नहीं

लगा सकता उसी प्रकार अर्थशास्त्र भी ऐसा करने में असमर्थ रहता है। हम लोग सोचेंगे कि शायद अर्थशास्त्र मूर्खतावश ऐसा करता है, किंतु उसके प्रस्तावों की परीक्षा करने से यह विश्वास हो जाता है कि इसका कारण मूर्खता नहीं बल्कि चातुर्य है।

अर्थशास्त्र का एक निश्चित उद्देश्य है जिसको वह प्राप्त करता है। वह उद्देश्य है जनता में अध-विश्वास और भ्रम की भावना बनाए रखना और उसके द्वारा मानव-जाति को सत्य तथा कल्याण की ओर अग्रसर होने से रोकना। लोगों में बहुत दिनों से एक भयकर अध-विश्वास फैला हुआ है, जिसने समाज को भयकरतम धार्मिक अध-विश्वास से भी अधिक क्षति पहुंचाई है। अर्थशास्त्र इसी अध-विश्वास को अपनी पूरी शक्ति लगाकर अधुण्ण रखता है। यह अध-विश्वास धार्मिक अध-विश्वासों के ही समान होता है। कहा जाता है कि मनुष्य के प्रति मनुष्य का जो कर्तव्य है, उसमें भी बढ़कर हमारा कर्तव्य एक काल्पनिक व्यक्ति के प्रति है। धर्मशास्त्र में उस काल्पनिक व्यक्ति का नाम 'ईश्वर' है और अर्थशास्त्र में उसे 'राज्य' कहते हैं। धार्मिक अध-विश्वास यह मानने में है कि ईश्वर के लिए बलि—कभी-कभी नर-बलि तक—की आवश्यकता होती है, और यह बलि प्रत्येक दशा में होनी ही चाहिए, चाहे उसके लिए हिंसा का ही क्यों न प्रयोग करना पड़े। राजनीतिक अध-विश्वास यह मानने में है कि मनुष्य का जो कर्तव्य मनुष्य के प्रति है उससे भी बढ़कर उसका कर्तव्य राज्य के प्रति है। इस राज्य के लिए भी बलि—अकसर नर-बलि—की आवश्यकता होती है और इस बलि के निमित्त मनुष्य को हर तरह से, यहाँ तक कि हिंसा का प्रयोग करके भी, तैयार करना चाहिए। पहले इस अध-विश्वास के स्तम्भ विभिन्न धर्मों के पुरोहित थे, किंतु अब उसका समर्थक अर्थशास्त्र है। मानव-समाज पहले से भी अधिक भयकर दासता के गह्वर में ढकेल दिया गया है, किंतु अर्थशास्त्र हमें विश्वास दिलाने का प्रयत्न करता है कि यह स्थिति आवश्यक है और इससे भिन्न नहीं हो सकती।

राज्य का अस्तित्व लोक-कल्याण के लिए होना चाहिए और उसे अपना कर्तव्य-पालन करते रहना चाहिए; अर्थात् उसे जनता का शासन

करना चाहिए और साथ-ही-साथ शत्रुओं से उसकी रक्षा करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। इसके लिए राज्य को स्पष्ट और सिपाहियों की आवश्यकता होती है। यह रूपया राज्य के सब नागरिकों को मिला कर देना चाहिए और इसलिए राज्य के अस्तित्व को ध्यान में रखकर ही लोगों के परस्पर सम्बन्धों पर विचार करना उचित है।

एक साधारण अनपढ़ आदमी कहता है—मैं खेत पर अपने पिता की सहायता करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा व्याह करने की है, किंतु सरकार मुझे पकड़कर सिपाही का काम करने के लिए ६ वर्ष को कहीं दूर भेज देती है। सेना को छोड़ने के बाद मैं खेती करना और अपने परिवार की सहायता करना चाहता हूँ, किंतु रूपया दिये बिना मुझे अपने इर्द-गिर्द कहीं खेती करने की अनुमति नहीं मिलेगी और रूपया मेरे पास है नहीं। मुझसे रूपया वे लोग मागते हैं जिन्हें हल तक जोतना नहीं आता और वे इतना रूपया मागते हैं कि उसके लिए मुझे अपनी सारी मेहनत बेचनी पड़ती है। इतने पर भी मैं कुछ कमा लेता हूँ और उसमें से जितना बचा सकता हूँ उतना अपने बच्चों को देना चाहता हूँ; किंतु सरकारी कर्मचारी आकर मेरे पास से वह रकम कर के रूप में वसूल कर ले जाता है। इसके बाद मैं फिर कुछ कमाता हूँ और फिर मेरी सारी कमाई मुझसे छीन ली जाती है। मेरी सारी आर्थिक क्रिया राज्य की इच्छा पर निर्भर है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तथा मेरे भाइयों की दशा तभी सुधर सकती है जब हमको राज्य की मागों से छुटकारा मिल जाय।

किंतु अर्थशास्त्र कहता है—तुम ऐसी बातें अज्ञानवश सोचते हो। धन के उत्पादन, वितरण और विनिमय के नियमों का अध्ययन करो और आर्थिक प्रश्नों को राजनीतिक प्रश्नों के साथ न मिलाओ। जो बातें तुमने कहीं हैं उनसे तुम्हारी स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होता। वे तो अनिवार्य बलिदान हैं जो तुम्हें अन्य व्यक्तियों की भाँति स्वयं अपनी स्वतंत्रता और कल्याण के हेतु करना होगा।

इसपर वह सीधा-सादा आदमी कहता है—देखो तो, उन्होंने मेरे लड़के को मुझसे ले लिया है और कह गए हैं कि मेरे दूसरे लड़के

को भी बड़ा होते ही ले जायगे। वे उसको बलपूर्वक ले गए हैं और वह किसी ऐसे दिचित्र देश में शत्रुओं की गोलियों का सामना करने के लिए भेज दिया गया है जिसका हमने पहले कभी नाम भी नहीं सुना था। हमें तो यह भी नहीं पता कि यह युद्ध लड़ा क्यों जा रहा है और, यह तो देखिए, जिस खेत को हमें जोतने की अनुमति नहीं है और जिसके बिना हम भूखो मरते हैं वह एक ऐसे आदमी के अधिकार में है जिसको न तो हमने कभी देखा है, न जिसकी उपयोगिता हमारी समझ में आती है। जहाँ तक करो का सवाल है, मैं समझता हूँ कि जिन करो के लिए सरकारी सिपाही मेरे लड़के के पास से बलपूर्वक गाय छीन ले गया था, उनका रुपया उसी सिपाही के पास और विभिन्न कमीशनो तथा मन्त्रिमंडलों के उन सदस्यों के पेट में जायगा जिनको मैं नहीं जानता और जिनकी उपयोगिता में मुझे विश्वास नहीं। भला बताइए कि इस अत्याचार से मेरी स्वतंत्रता की किस प्रकार रक्षा होगी और इतनी सारी बुराई से भेग कैसे कल्याण होगा।

यह तो सम्भव है कि किसी व्यक्ति को दास बना लिया जाय और उसे कोई ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य किया जाय जिसे वह बुरा समझता है, किंतु उसे यह सोचने के लिए प्रेरित करना असम्भव है कि डर-धमकी की यंत्रणा भोगते हुए भी वह स्वतंत्र है और जिस प्रत्यक्ष बुराई को वह सहन कर रहा है वह उसके लिए कल्याणप्रद है। देखने में यह बात असम्भव प्रतीत होती है, किंतु अर्थशास्त्र की सहायता से हमारे समय में यही हुआ है।

सरकार—अर्थात् बल-प्रयोग करनेवाले सशस्त्र व्यक्तियों की सत्ता—यह निश्चित करती है कि जिन लोगों को वह डराती-धमकाती है उनसे वह कितना रुपया वसूल करे। जैसा कि अग्रेजों ने फिजी-निवासियों के साथ किया था, वैसे ही सरकार यह निश्चय करती है कि गुलामों से कितनी मेहनत कराई जाय, श्रमजीवियों को सगठित करने के लिए कितने सहायकों की आवश्यकता है और इन सहायकों को सिपाहियों, जमींदारों तथा टैक्स-कलक्टरों के रूप में सगठित करने के लिए क्या किया जाय। दास अपनी सेवाएँ समर्पित करते हैं, फिर भी वे

समझते हैं कि वे ऐसा अपने स्वामी की इच्छा के कारण नहीं कर रहे हैं बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि स्वयं अपनी स्वतंत्रता और कल्याण के लिए उन्हें 'राज्य' नामक देवता के सामने सेवाएँ समर्पित करना और लहू की बलि चढ़ाना आवश्यक है। इतना त्याग करते हुए भी वे अपने को स्वतंत्र मानते हैं। उनके इस विश्वास का कारण यह है कि पहले धर्म और पुजारी ऐसा ही कहते थे और अब अर्थशास्त्र और विद्वज्जन भी यही कहते हैं। किंतु यदि हम उन लोगों की बातों का, जो अपने को पुरोहित और विद्वान् कहते हैं, आखे बन्द करके विश्वास करना छोड़ दें तो उनके कथनों की अनर्गलता विलकुल स्पष्ट हो जाय। जो लोग दूसरों के प्रति बलप्रयोग करते हैं वे उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि यह बलप्रयोग राज्य के लिए आवश्यक है और राज्य जनता की स्वतंत्रता तथा कल्याण के लिए आवश्यक है। इसका अर्थ यह हुआ कि पीड़ितों की स्वतंत्रता में वृद्धि करने के लिए ही पीड़क उन्हें पीड़ा पहुँचाते हैं, उनकी भलाई के लिए उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं। किंतु मनुष्य तर्कशील प्राणी है, वह समझ सकता है कि उसकी किस बात में भलाई है और वह अपने हित की स्वतंत्रतापूर्वक अभिवृद्धि कर सकता है। जिन कामों की अच्छाईया लोगों की समझ में नहीं आती और जिन कामों को उन्हें विवशतावश करना पड़ता है, वे उनके लिए कदापि कल्याणप्रद नहीं हो सकते। तर्कशील प्राणी केवल उस वस्तु को कल्याणप्रद मान सकता है, जो उसकी बुद्धि को ऐसा प्रतीत हो। यदि कुछ व्यक्ति बुराई की ओर राग या तर्कहीनता के कारण आकर्षित होते हैं तो शेष लोग—जो ऐसी भूल नहीं करते—केवल इतना कर सकते हैं कि इन पथभ्रष्टों को वास्तविक कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। लोगों को यह विश्वास दिलाया जा सकता है कि यदि वे सबके सब सिपाही बन जाय, यदि उन सबकी जमीनें उनसे छीन ली जाय और यदि वे अपना सारा धर्म कर के रूप में अर्पित कर दें तो उनका अर्थिक कल्याण होगा। किंतु जबतक सब लोग इसे अपना कल्याण न समझने लगे और इसे स्वेच्छा से न करने लगे तबतक यह सार्वजनिक कल्याण की बात नहीं कही जा सकती। किसी भी काम के कल्याणप्रद होने का



एकमात्र प्रमाण यह है कि जनता उसे स्वेच्छा से करे। मनुष्य का जीवन ऐसी बातों से भरा हुआ है।

मान लीजिए, दस मजदूर साथ काम करने के लिए औजार लेते हैं। उनका यह कार्य निस्सदेह उनके सामान्य हित के लिए है। किन्तु यदि ये लोग किसी ग्यारहवें व्यक्ति को अपनी टोली में मिलकर काम करने के लिए बलपूर्वक वाध्य करे तो वे यह नहीं कह सकते कि जिस वस्तु में उनका सामान्य हित है उसीमें उस ग्यारहवें व्यक्ति का भी है।

यही बात उन भद्र पुरुषों के विषय में भी चरितार्थ होती है जो एक साथ मिलकर अपने किसी सामान्य मित्र को प्रीति-भोज के लिए निमन्त्रित करते हैं। यह कहना असम्भव है कि यह भोज उस व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा जिससे भोज के लिए बलात् दस खूबल वसूल किये गए हैं। यही बात उन किसानों पर भी लागू होती है जो अपनी सामान्य सुविधा के लिए तालाब खोदने का निश्चय करते हैं। जो लोग तालाब को उसपर की गई मेहनत से अधिक लाभदायक समझते हैं उनके लिए उसका निर्माण निस्सदेह एक सामान्य हित का प्रश्न होगा, किन्तु जो व्यक्ति फसल की कटाई में पिछड़ गया है और तालाब को उससे कम महत्त्वपूर्ण समझता है, उसे भला उसकी खुदाई कैसे लाभदायक प्रतीत हो सकती है? यही बात सड़को, गिरजाघरों, अजायब-घरों और बहुत-सी सामाजिक तथा राजनीतिक बातों में भी चरितार्थ होती है। ये चीजे उन्हीं लोगों के लिए लाभदायक हो सकती हैं जो उनको लाभदायक समझते हैं और उनके निर्माण में वे स्वेच्छा तथा स्वतन्त्रता के साथ भाग लेते हैं। यही बात सघ के लिए खरीदे गए हथियारों, भद्र पुरुषों द्वारा दिये गए सहभोज और किसानों द्वारा खोदे गए तालाब के सम्बन्ध में भी थी। जो काम लोगों से बलपूर्वक कराए जाते हैं वे केवल बलप्रयोग के कारण सामान्य हित के काम नहीं रह जाते।

यह बात इतनी स्पष्ट और सरल है कि यदि इतने दिनों तक लोग धोखे में न रहे होते तो इसे समझाने की कोई आवश्यकता ही न होती।

मान लीजिए कि हम सब गाव में रहते हैं और वहा के एक ऐसे दलदल पर पुल बांधने का निश्चय करते हैं जिसमे लोग अकसर फस जाते हैं । हमलोग सहमत होकर वचन देते हैं कि प्रत्येक परिवार से इतना रुपया, इतनी लकडी और इतने दिनों की मेहनत ली जायगी । इस काम को करने के लिए हम इसलिए राजी होते हैं कि हम समझते हैं कि यह पुल हमारे लिए अपने निर्माण-मूल्य से अधिक लाभदायक होगा । किंतु हममे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए खर्च न करना पुल के निर्माण से अधिक लाभदायक हो या जो कम-से-कम ऐसा समझते हों ।

क्या इन लोगो से पुल के निर्माण मे भाग लेने के लिए जबर्दस्ती करना उनके लिए लाभप्रद हो सकता है ? स्पष्ट है कि ऐसा नहीं हो सकता; क्योंकि जो लोग पुल के निर्माण में स्वेच्छापूर्वक कार्य करने को ही हानिकारक समझते थे वे अनिवार्य रूप से कार्य करना तो और भी अधिक हानिकारक समझेंगे । यदि हम यह भी मान ले कि हम सबने विलकुल एकमत होकर पुल बनाने का निर्णय किया था और उसके लिए प्रत्येक परिवार ने एक निश्चित परिमाण में रुपया और श्रम देने का वचन दिया था, तब भी यह सम्भव है कि स्थिति में परिवर्तन हो जाने के कारण कुछ लोग अपना वश देने में असमर्थ हो जाय और उसके फलस्वरूप यह सोचने लगे कि रुपया खर्च करने की अपेक्षा पुल का न होना ही अच्छा है । यह भी सम्भव है कि उनका केवल मत बदल गया हो, या वे यह सोचने लगे हो कि पुल तो हमारी सहायता के बिना भी बन ही जायगा और उसका उपयोग भी हम कर ही सकेंगे । ऐसी दशा में क्या इन लोगो को पुल के निर्माण मे भाग लेने के लिए बाध्य करना अर्थात् उनसे अनिवार्य बलिदान कराना उनके लिए लाभदायक हो सकेगा ? कदापि नहीं; क्योंकि यदि वे अपने वचन का पालन किसी ऐसी परिवर्तित स्थिति के कारण नहीं कर पाये हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुल के निर्माण मे योग देना कठिन हो गया, तो उनसे बलात् सहायता लेना उनका और भी अहित करना होगा । इसके विपरीत, यदि वचन भंग करनेवाले व्यक्ति का उद्देश्य दूसरो के श्रम

से लाभ उठाना था तब भी उसको सहायता देने के लिए विवश करना उसे केवल उसके एक इरादे के लिए दण्ड भर देना होगा और इरादा भी ऐसा जो सिद्ध नहीं हुआ है और कार्य रूप में परिणत होने से पूर्व ही दण्ड पा चुका है; किंतु किसी व्यक्ति को अवाञ्छित कार्य में भाग लेने के लिए विवश करना किसी भी दशा में लाभदायक नहीं हो सकता ।

यह बात तो तब है जब दलदल पर पुल बाधने-जैसा असदिग्ध उपयोगिता का और सबकी समझ में आनेवाला कार्य किया जाता है । जिस उद्देश्य को लोग समझते नहीं, जो उद्देश्य अग्राह्य होते हैं और बहुधा निश्चयात्मक रूप से हानिकर होते हैं, उनके लिए लाखों व्यक्तियों को उत्सर्ग करने के लिए विवश करना और भी अधिक अन्याय और मूर्खता की बात होगी, जैसा कि सैनिक भरती और करो की वमूली में होता है । किंतु अर्थशास्त्र का कहना है कि जो बात सबको वुरी दिखाई देती है वह वस्तुतः सार्वजनिक हित की बात है । ऐसा मालूम होता है कि कुछ थोड़े-से इनेगिने लोगों को ही इस बात का ज्ञान होता है कि सार्वजनिक हित किस बात में है और यद्यपि शेष सब लोग उस सार्वजनिक कल्याण को अहितकर समझते हैं, तथापि इन थोड़े-से व्यक्तियों को अधिकार होता है कि वे शेष लोगों को यह अहितकर कार्य करने के लिए विवश करे और उसको सार्वजनिक हित का कार्य समझे ।

यही वह सबसे बड़ा अविश्वास और धोखा है जो मानव-समाज को सत्य और कल्याण के पथ पर अग्रसर होने से रोकता है । इसी अध-विश्वास और इसी धोखे को अक्षुण्ण रखना राजनीति-शास्त्र का साधारण और अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है । उसका लक्ष्य मानव-समाज से अत्याचार और दासता की उस स्थिति को छिपाए रखना है जिसमें वह पडा हुआ है । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह जो युक्ति काम में लाता है वह इस प्रकार है—जिस बलप्रयोग द्वारा दासों का समस्त आर्थिक जीवन संचालित होता है उसे वह जानबूझ कर स्वाभाविक और अनिवार्य बतलाता है और इस प्रकार लोगों को धोखे

में डालकर उनकी आंखें उनकी दुर्दशा के वास्तविक कारणों की ओर से हटा देता है।

दास-प्रथा का अंत हुए बहुत दिन हो चुके हैं। रोम, अमरीका तथा रूस तीनों ही देशों में यह प्रथा नहीं रही है, किंतु जिस वस्तु का यथार्थत अंत हुआ है वह है दासता शब्द, स्वयं दासता नहीं।

दासता इस बात में है कि कुछ लोग अपने को उस श्रम से मुक्त कर लेते हैं जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोजनीय होता है और वही श्रम दूसरों पर बलात् लाद दिया जाता है। जहाँ कहीं भी ऐसे लोग हैं जिनके निष्क्रिय रहने का कारण यह नहीं है कि दूसरे लोग उनका काम प्रेमवश कर देते हैं बल्कि यह कि वे अपने लिए स्वयं काम न करके दूसरों को अपने लिए कार्य करने को बाध्य कर सकते हैं, वही दासता है। इसी प्रकार यूरोपीय देशों की भाँति जहाँ कहीं भी ऐसे लोग हैं जो हिंसात्मक युक्तियों द्वारा सहस्रो दूसरे व्यक्तियों के श्रम का उपयोग करते हुए यह विश्वास करते हैं कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार है और साथ-ही-साथ जहाँ दूसरे लोग इन हिंसात्मक युक्तियों के सामने सिर झुका कर काम करने ही नहीं लग जाते बल्कि उसको अपना कर्तव्य भी समझ लेते हैं, वहाँ निस्संदेह भयकर दासता का राज होता है।

तो, दासता विद्यमान है। किंतु उसका तथ्य क्या है? उसका तथ्य वही है जो सदा रहा है और जिसके बिना वह टिक नहीं सकती— अर्थात् सशक्तों तथा सशस्त्रों द्वारा दुर्बलों और निशस्त्रों के प्रति बल-प्रयोग।

दासता का रूप अब भी व्यक्तिगत बल-प्रयोग की उन्हीं तीन मूल प्रणालियों में दिखाई देता है, जिनमें पहले दिखाई देता था; अर्थात् (१) सैनिक भरती, (२) सैनिकों द्वारा प्रचारित भूमि-कर और (३) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के रूप में जनता पर लादे हुए सम्मान-कर, जिन्हें ये ही सिपाही अक्षुण्ण रखते हैं। हम इन्हें देख इसलिए नहीं पाते कि इनमें से प्रत्येक का नए ढंग से समर्थन किया जाने लगा है, जिसके कारण इनका अर्थ हमसे छिप गया है।

सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा निःशस्त्रों पर किये जानेवाले बल-प्रयोग का समर्थन यह कहकर किया जाता है कि उससे देश की कल्पित शत्रुओं से रक्षा होती है। यथार्थ में उसका वही पुराना अर्थ है—पराजितों पर विजेताओं का शासन। इसी प्रकार जिस हिंसा का प्रयोग श्रमजीवियों से उनके खेतों को छीनने में किया जाता है उसे सार्वजनिक हित के लिए किये गए कार्य का पारितोषिक कहकर उचित ठहराया जाता है। इसका समर्थन उत्तराधिकार की प्रथा से भी हुआ है। वस्तुतः यह वही पुरानी विधि है जिसके अनुसार सेना या अधिकारीगण खेतों को हथियाकर जनता को दास बनाते थे।

अंतिम विधि का, जो आजकल की सबसे शक्तिशाली और प्रमुख विधि है और जिसके अनुसार डरा-धमकाकर कर वसूल किये जाते हैं, एक बड़े ही आश्चर्यजनक ढंग से समर्थन किया जाता है। लोगों को उनकी सम्पत्ति, स्वतंत्रता और सारी भलाई से वंचित कर दिया जाता है और उसके समर्थन में कहा यह जाता है कि काम स्वतंत्रता और सार्वजनिक कल्याण के लिए किया गया है। वस्तुतः यह कुछ नहीं, वही पुरानी दासता है, सिवा इसके कि अब इसका रूप व्यक्तिगत नहीं रह गया है।

जहां बलप्रयोग को कानून का रूप दे दिया जाता है, वहां दासता का वास होता है। बलप्रयोग का प्रदर्शन चाहे किसी भी रूप में होता हो—चाहे राजा और उनके सैनिक स्त्रियों और बच्चों को मारते हुए तथा गावों को जलाते-फूकते हुए चढाई करते हो, चाहे स्वामीगण अपने खेत के लिए दासों से रुपया वसूल करते या मजदूरी कराते हो और उनके अस्वीकार करने पर सेना बुला लेते हो, चाहे कुछ लोग शस्त्र लेकर दूसरों पर गाव-गाव कर लगाते फिरते हो, चाहे प्रान्तीय गवर्नरों और देहाती पुलिस की सहायता से गृहमन्त्री का विभाग रुपया इकट्ठा करता हो और लोगों के आना-कानी करने पर फौज तैनात कर देता हो—सक्षेप यह कि जबतक सगीन की नोक पर लोगों को डराया धमकाया जायगा, उनके साथ जोर जबरदस्ती की जायगी, तबतक धन जनता में वितरित न होकर अत्याचारियों की मुट्ठी में जाता रहेगा।

हेनरी जार्ज \* की भूमि के राष्ट्रीयकरण की योजना इस निष्कर्ष की यथार्थता का एक प्रबल प्रमाण है। जार्ज का प्रस्ताव है कि सारी भूमि राज्य की मान ली जाय और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करो के स्थान पर केवल जमीन का किराया या लगान लिया जाय।

इसका परिणाम क्या होगा ? राज्य की सीमा में कृषि-दासता नहीं रह जायगी, अर्थात् भूमि पर राज्य का स्वत्व हो जायगा। इंग्लैण्ड की अपनी भूमि होगी और अमरीका की अपनी और किस व्यक्ति को कितना कर देना पड़ेगा यह इस बात पर निर्भर होगा कि वह कितनी भूमि का उपयोग करता है।

इससे कदाचित् कुछ ग्रामीण श्रमजीवियों की स्थिति सुधर जायगी, किंतु जबतक लगान की वसूली बलपूर्वक होती रहेगी तबतक दासता बनी रहेगी। फसल नष्ट हो जाने पर, बेचारा किसान बलपूर्वक मागे गए लगान को अदा करने में असमर्थ हो जायगा और तब उसे अपनी भूमि की रक्षा करने और सर्वनाश से बचने के लिए किसी धनी व्यक्ति की दासता करने पर बाध्य होना पड़ेगा।

यदि वालटी चूती है, तो निस्सदेह उसमें कहीं-न-कहीं छेद है। वालटी की तली पर दृष्टि डालने से दिखाई दे सकता है कि पानी कई छेदों से निकल रहा है। इन काल्पनिक छेदों को बाहर से रोकने की चाहे कितनी ही चेष्टा की जाय, पानी टपकता ही रहेगा। पानी को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि हम वालटी के उस सुराख को ढूँढ निकालें जिसमें से पानी निकलता है और उसे अन्दर से बन्द कर दे।

---

\* प्रसिद्ध अमरीकी अर्थशास्त्री (१८३९-१८९७), जिसे १८७९ में प्रकाशित अपनी 'उन्नति और निर्धनता' पुस्तक के कारण बड़ी ख्याति मिली। वह भूमि के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में था, यद्यपि वर्तमान जमींदारी प्रणाली को भी अक्षुण्ण रखने का समर्थक था। उसका कहना था कि भूमि के लगान पर कर लगाना चाहिए जिससे कि अन्ततः सभी अन्य प्रकार के कर हटाये जा सकें। उसके मतानुसार मनुष्य द्वारा निर्मित किसी वस्तु पर कर नहीं लगाना चाहिए था।

यही यत्न धन के दोषपूर्ण वितरण को रोकने के लिए करना चाहिए, अर्थात् उन छेदों को बंद करना चाहिए जिनमें से लोगों का धन टपक जाता है। लोग अनेक प्रकार के प्रस्ताव करते हैं—मजदूर-सभाएँ बनाओ और पूजा तथा भूमि दोनों को सार्वजनिक सम्पत्ति घोषित कर दो। ये सब युक्तियाँ सूराखों को केवल बाहर से बन्द करने की युक्तियाँ हैं। श्रमजीवियों के धन को टपककर काहिल-वर्गों के हाथों में जाने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि सूराख का अन्दर से पता लगाया जाय। यह सूराख है सशस्त्र मनुष्यों का निःशस्त्रों को डराना, धमकाना और सेना का बलप्रयोग करना जिसके फलस्वरूप स्वयं मजदूर अपने कामों से अलग कर दिये जाते हैं और उनसे उनकी जमीन तथा उनकी मेहनत के फल छीन लिये जाते हैं। जबतक इस ससार में एक भी ऐसा प्राणी रहेगा जो अपने को किसी भी दूसरे जीव को मार डालने का अधिकारी समझता है तबतक धन का अनियमित वितरण अर्थात् दासत्व कायम रहेगा। ❧

: २२ :

## अब मैं समझता

“हा, सिद्धांत की दृष्टि से तो यह ठीक है, किंतु पता नहीं व्यवहार की दृष्टि से यह कैसा होगा ?” लोगों को बार-बार ऐसा कहते सुनकर मुझे सदा आश्चर्य होता है। मानो सिद्धांत वाते करने के लिए सुन्दर शब्दमात्र हो, अनिवार्य रूप से व्यवहार में लाए जाने अर्थात्

---

❧ इस पुस्तक के पूर्व संस्करणों में यहाँ कुछ पृष्ठ और थे जो इस परिच्छेद के साथ-ही-साथ निष्कर्ष-रूप में छापे गए थे। किंतु बाद में टॉल्स्टॉय ने इन पृष्ठों को निकालकर रूपए की समस्या पर चार नए परिच्छेद लिख डाले जो इस संस्करण में परिच्छेद १७, १८, १९ और २० के रूप में प्रकाशित हैं।

हमारे समस्त कार्य-कलाप का आधार बनने योग्य नहीं ! निस्सन्देह इस संसार में मूर्खतापूर्ण सिद्धातों की भरमार होने के कारण ही यह विचित्र मत व्यापक रूप से स्वीकार किया गया होगा । सिद्धात वह है जो मनुष्य सोचता है और व्यवहार वह है जो मनुष्य करता है । तब यह कैसे सम्भव हो सकता है कि मनुष्य सोचे एक बात और करे ठीक उसका उलटा ? यदि रोटी बनाने का सिद्धात यह है कि पहले आटा गूबा जाय और फिर खमीर उठाने के लिए छोड़ दिया जाय, तो सिवा किसी पागल के ऐसा कौन-सा व्यक्ति इस सिद्धात को जाननेवाला होगा जो इसके विपरीत करेगा ? किंतु हम लोगो में तो यह कहने का फैशन-सा चल गया है कि सिद्धातत तो यह ठीक है, किंतु पता नहीं व्यवहार की कसौटी पर कैसा उतरे ?

जिस काम में मैं लगा हुआ हूँ उसमें अनुभव ने उसी बात की पुष्टि की जो मैं सदा उसके सम्बन्ध में सोचा करता था, अर्थात् यह कि सारी बातें सिद्धात के अनुसार ही कार्य के रूप में परिणत होती हैं । मैं यह नहीं कहता कि कार्य से सिद्धात का औचित्य सिद्ध होता है, किंतु वह उससे भिन्न नहीं हो सकता । यदि मैंने किसी विषय पर विचार करने के बाद उसे अच्छी तरह से समझ लिया है तो उसे मैं अपनी समझ के विपरीत नहीं कर सकता ।

मैं निर्धनो की सहायता करना चाहता था । इसका एक मात्र कारण यह था कि मेरे पास रुपया था और दूसरे लोगो की भाँति मैं भी इस अश्विश्वास को ठीक समझता था कि रुपया काम का प्रतीक है या साधारणत एक उचित और अच्छी वस्तु है । किंतु जब मैं रुपया देने लगा तो मुझे मालूम हुआ कि मैं तो उन्हीं हुडियो को वाट रहा हूँ जो निर्धनो के नाम लिखी गई थी और जिन्हें मैंने इकट्ठा कर रखा था । मैं वहीं कर रहा था जो बहुत-से जमींदार किया करते थे, अर्थात् मैं कुछ अनुचरो से दूसरे अनुचरो की सेवा करा रहा था । मैंने अनुभव किया कि रुपए-पैसे का चाहे कैसा भी उपयोग किया जाय, उससे चाहे कोई वस्तु खरीदी जाय चाहे वह किसीको दानस्वरूप दे दिया जाय, उसका एक ही अर्थ है—या तो हम गरीबो के नाम



हुडिया लिखकर जारी करते हैं या इन हुडियों को औरो को दे देते हैं, ताकि वे उनका रुपया गरीबों से वसूल करले। अतः मुझे अपने काम की मूर्खता समझ में आ गई। मैंने देख लिया कि मैं निर्धनों से ही रुपया हड़पकर निर्धनों की सहायता करना चाहता हूँ। मैंने यह भी देख लिया कि स्वयं रुपया न केवल एक वरदान नहीं है, बल्कि निश्चय ही एक अभिगाप है। वह मनुष्य को सबसे बड़े सुख—परिश्रम करने और अपने परिश्रम के मीठे फल का रसास्वादन करने—से वंचित कर देता है। मैंने अनुभव किया कि यह सुख मैं किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं कर सकता, क्योंकि वह स्वयं मुझे प्राप्त नहीं है। मैं श्रम नहीं करता और मुझे अपने श्रम का उपभोग करने का सुख प्राप्त नहीं है।

रुपया क्या है ? ऐसे निराकार प्रश्न का विवेचन करना कुछ अर्थहीन-सा प्रतीत हो सकता है। किंतु इस विवेचन ने, जिसे मैंने केवल विवेचन के अभिप्राय से नहीं बल्कि अपने दुःखों और जीवन के एक प्रश्न को हल करने के लिए आरम्भ किया था, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दिया कि 'हम क्या करें' ?

जैसे ही मेरी समझ में आया कि धन और रुपया क्या है, वैसे ही मुझे स्पष्ट और असदिग्ध रूप से केवल अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी कर्तव्य समझ में आ गया और यह भी मालूम हो गया कि सब लोग अनिवार्यतः क्या करेंगे। सच तो यह है कि वही बात जो मुझे बहुत पहले से मालूम थी, अब ठीक तरह से समझ में आ गई। यह वही सत्य था जिसका प्रकाश प्राचीन काल में बुद्ध, इसैया,<sup>१</sup> लाओत्ज़े<sup>२</sup> और सुकरात<sup>३</sup> ने साधारणतः समस्त मानव-जाति को दिया था और बाद में ईसा तथा उनके पूर्ववर्ती सत जॉन-वैपटिस्ट<sup>४</sup> ने अत्यंत स्पष्ट

---

१ हज़रत मूसा ने यहूदी लोगों में जिस धर्म का प्रचार किया था उसमें जब गिथिलता आई तो उसे दूर करने के लिए कई सतों का आविर्भाव हुआ जिन्होंने अपनी प्रभावोत्पादक वक्तृत्व-शक्ति तथा धर्मप्रियता द्वारा यहूदियों में फिर से धर्मभाव जागृत किया। इन सतों में

और असंदिग्ध तौर पर विशेष रूप से हम ईसाइयों को दिखाया था। जनता के इस प्रश्न का कि 'हम क्या करें' जॉन वैपटिस्ट ने मुसकराते हुए सरल भाव से यह सक्षिप्त उत्तर दिया था—“जिसके पास दो कोट है, वह एक कोट उस आदमी को दे दे जिसके पास एक भी नहीं है, और जिसके पास भोजन है, वह भी ऐसा ही करे।” (ल्यूक, अध्याय

इसैया का विशेष स्थान था। उन्हें लोग बहुत मानते थे। जनता में तो उनकी प्रतिष्ठा थी ही, राजा लोग भी उनका बड़ा सम्मान करते थे।

२ ईसा से ५०० वर्ष पूर्व इस महान् ज्ञानी तथा योगी का चीन देश में जन्म हुआ। उनका उपदेश तोओ के सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। तोओ का अर्थ है ब्रह्म अर्थात् प्रकृति में समाया हुआ गूढ तत्व। इसका एक अर्थ मार्ग भी है।

लाओट्जो का कहना था कि जिसने तोओ का साक्षात्कार किया है वह सब प्रकार के विधि-निषेधों को पार करके सदा आत्मतुष्ट की भांति निर्द्वन्द्व और निर्लेप होकर रहता है। यह वेदान्त के निवृत्ति-मार्गी सिद्धांत से मिलता जुलता है।

३ यूनान का विश्ववदित दार्शनिक तथा तार्किक ( ४६९-३९९ ईसा पूर्व )। सुकरात की तर्कशैली बड़ी प्रभावशाली थी, प्रश्न पर प्रश्न करके वह प्रतिपक्षी से अपने मन की बात कहला लेते थे। इसीलिए लोग कहते थे कि यह तो जादू कर देता है।

सुकरात पर नवयुवकों को बहकाने और देवी-देवताओं को गाली देने का आरोप लगाकर एक बड़ा लम्बा मुकदमा चलाया गया था और उन्हें मृत्यु-दण्ड दिया गया था। किंतु फासी पर लटकाए जाने से पूर्व ही सुकरात ने विष-पान करके अपनी जीवन-लीला समाप्त कर दी थी।

४ ईसा मसीह से कुछ समय पहले इस आचार्य का कार्य-काल था। जिन यहूदियों ने उनके उपदेश को ग्रहण किया उन्हें जॉन ने जोर्डन नदी में स्नान कराके दीक्षा दी, इसीलिए इस दीक्षा (वपतिस्मा) के कारण उनका नाम जान दी वैपटिस्ट प्रसिद्ध हुआ। ईसा के जन्म से २८ वर्ष पूर्व वह फासी पर लटकाकर मार डाले गए।

तीन, पद १०, ११)। यही बात ईसा ने अनेक वार और भी स्पष्ट रूप से कही थी। उनका कहना था—“गरीब धन्य है और उन्हें धिक्कार है जो अमीर है। उन्होंने यह भी कहा था—“तुम ब्रह्म और माया दोनों की उपासना नहीं कर सकते।” ईसा ने अपने शिष्यों को केवल पैसा त लेने के लिए ही नहीं कहा था बल्कि दो कोट तक न रखने का आदेश दिया था। उन्होंने धनी युवको से कहा था कि क्योंकि तुम अमीर हो, तुम खूदा के दरबार में नहीं पहुँच सकते। सूई के नकुए में से होकर ऊट का निकल जाना उतना कठिन नहीं जितना धनवान का ईश्वर के दरवार में पहुँचना। ईसा ने तो घोषणा कर दी थी कि जो लोग उनका अनुसरण करने के लिए, घर-बार वाल-बच्चे, खेती-वारी, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार नहीं होंगे उन्हें वह अपना शिष्य नहीं मानेगा। उन्होंने उस धनी का उदाहरण सुनाया जिसने अन्य धनियों के समान शान से खाने-पीने और पहनने के अलावा और कोई पाप नहीं किया था, किंतु जिसने इन्हीं बातों के कारण अपनी आत्मा कलुषित कर ली थी। साथ-ही-साथ ईसा ने लैज़ेरस\* नामक कगाल की भी कथा सुनाई थी जिसने कोई अच्छा काम तो नहीं किया था किंतु जिसका त्राण केवल इसलिए ही गया कि वह कगाल था।

---

\* लैज़ेरस वह एक गरीब फकीर था, जिसके शरीर में कुष्ठ के घाव थे। वह एक अमीर आदमी के द्वार पर खड़ा रहता था। कुत्ते आकर उसके घाव को चाटते। वह अमीर बड़ी गान से रहता, खूब खाना-पीता और मौज करता। लैज़ेरस उसके जूठे टुकड़े खाकर ही किसी तरह गुजारा करता था। किंतु जब वह मरा तो हजरत इब्राहीम ने प्रेमपूर्वक उसे अपनी गोद में लिटा लिया। वह धनी मरने पर कब्र में दफना दिया गया और उसे नरक मिला। जब उसकी आख खुली तब वह असह्य नारकीय पीडा से व्यथित हो उठा और देखा कि वह नाचीज गरीब लैज़ेरस— जो उसके द्वार पर पड़ा रहता और उसकी जूठन खाकर जीता था— ज्ञानन्द से इब्राहीम की गोद में लेटा हुआ है। उसने चिल्लाकर कहा— “पिता ! दया करके जरा लैज़ेरस को भेज दो, ताकि वह मेरे मुह में पानी

इस सत्य से मैं पहले से ही भली-भाति परिचित था, किन्तु ससार की झूठी शिक्षा ने उसे इतना आच्छादित कर दिया था कि वह एक सिद्धांत मात्र रह गया था या, जैसा कि लोग सिद्धांत का अर्थ लगाते हैं, वह कौरा शब्दाडम्बर मात्र रह गया था। किन्तु जैसे ही मैंने अपने मन पर से सासारिक शिक्षा के आडवरो का अवगुटन हटाया, वैसे ही सिद्धांत व्यवहारिकता में घुल-मिल गया और उसके फलस्वरूप मेरे तथा सभी मानवों के जीवन की यथार्थता मेरी आँखों के सामने नाच उठी।

मेरी समझ में आ गया कि मनुष्य को केवल अपने ही कल्याण के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी उद्योगशील होना चाहिए और यदि हमें पशु-जीवन से ही दृष्टांत लेना हो, जैसा कि बहुत-से लोगों को हिंसा और सघर्ष की सफाई देते समय पशु-समाज के जीवन-सघर्ष का उदाहरण देने का शौक है, तो हमें मधुमक्खी-जैसे सामाजिक जंतुओं के जीवन से आदर्श ग्रहण करना चाहिए। मेरी समझ में यह भी आ गया कि विवेक और जन्मजात बहुत्व की बात तो अलग रही, मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह दूसरों की सेवा करे और मानव-जाति के सामुदायिक हित के लिए उद्योग करे। यही मनुष्य का प्राकृतिक नियम है और इसका पालन करके ही वह अपने जीवनोद्देश्य को प्राप्त कर सुखी हो सकता है। मेरी यह भी समझ में

---

की दो बूंदें डाल जाय। मैं तो इस आग में झुलसा जाता हूँ।” पर इब्राहीम ने कहा—“पुत्र ! यह नहीं हो सकता। तूने अपने जीवन में आनन्द किया और यह यहा आनन्द कर रहा है। दूसरे, हमारे बीच में एक बड़ा खड्डा है, जिसे पार करके कोई आ-जा नहीं सकता।” उस घनिक ने तब प्रार्थना की कि लैज़ेरस को दुनिया में उसके बाप के घर भेज दिया जाय, ताकि उसके जो चार भाई हैं वे सबक सीखें और इस यातना से बचें। इब्राहीम ने उत्तर दिया कि दुनिया में हजरत मूसा और अन्य पैगम्बर हैं। जो लोग उनकी बातें नहीं सुनेगे, वे मरकर फिर जिन्दा हो जानेवाले लैज़ेरस की बात की भी पर्वाह न करेंगे।

आगया कि इस नियम का उल्लंघन हुआ है और अब भी होता है। लुटेरी मधु-मक्खियो की भांति कुछ लोग अपने बल का दुरुपयोग करके स्वयं तो काम से बच कर दूसरो के श्रम का शोषण करते हैं और अपनी चेष्टा सामुहिक हित-साधन में न लगाकर अपनी निरंतर बढ़ती हुई वासनाओ को तृप्त करने में लगाते हैं और फिर लुटेरी मधुमक्खियो के समान ही उन वासनाओ के फल-स्वरूप मर मिटते हैं। मैं समझ गया कि मनुष्य के दुर्भाग्य का कारण वह दासता है जिसमें कुछ लोग दूसरो को बाधे रहते हैं। मैं यह भी समझ गया कि हमारे युग की दासता के तीन कारण हैं—सैनिक हिंसा, भूमि की जब्ती और रुपए का हड़पा जाना। नवीन दासता के इन तीनों शस्त्रो का अर्थ समझ जाने के बाद यह अनिवार्य था कि मैं उससे मुक्त रहने की इच्छा करता।

मेरी अधीनता में बहुत से दास थे। किंतु जब मुझे इस स्थिति की अनेतिकता का ज्ञान हुआ तब मैंने प्रकाश में आये हुए अन्य व्यक्तियों की तरह उसमें से निकलने की चेष्टा की। स्वामित्व के अपने अधिकार को अनेतिक सनझकर मैंने यह निर्णय किया कि जबतक मैं इन अधिकारो का पूर्ण रूप से त्याग न कर लूंगा, तबतक इन अधिकारो का कम-से-कम उपभोग करूंगा और दूसरो को इस प्रकार जीवन व्यतीत करने दूंगा मानो मुझे ये अधिकार प्राप्त ही नहीं हैं। साथ-ही-साथ मैंने दूसरे स्वामियो के मन में भी यह धारणा बैठाने की सब तरह से चेष्टा की कि हमारे ये काल्पनिक अधिकार पाप और अमानुषिकता से भरे हुए हैं। स्वभावतः आजकल की दासता के सम्बन्ध में भी मैं यही कह सकता हूँ। जबतक मैं उन समस्त अधिकारो का पूर्ण रूप से परित्याग न कर दूँ, जो मुझे रुपया और भूमि का स्वत्वाधिकारी होने के नाते मिले हैं और जो सैनिक बल-प्रयोग के सहारे टिके हुए हैं, तबतक मेरे लिए एक यही रास्ता है कि मैं अपने अधिकारो का कम-से-कम उपभोग करूँ और साथ-ही-साथ इन कृत्रिम अधिकारो की अवैधता और अमानुषिकता को यथासम्भव दूसरो को समझाने की चेष्टा करूँ। दासो की दासता में स्वामी के भागीदार होने का क्या अर्थ है ?

यही कि वह दूसरो के श्रम का उपभोग करता है, चाहे ऐसा करने का आधार उसके दासता सम्बन्धी अधिकार हो चाहे उसके जमीन और रूपए सम्बन्धी अधिकार ।

इसलिए यदि कोई व्यक्ति वस्तुतः दासता को नापसंद करता है और उसमें भागीदार होना नहीं चाहता, तो सबसे पहले उसे यह करना चाहिए कि वह दूसरो के श्रम का किसी प्रकार भी उपभोग न करे—न तो जमीन पर अधिकार करके, न सरकारी नौकरी के द्वारा और न रूपयो के द्वारा । इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति दूसरो के श्रम-शोषण की प्रचलित युक्तियों का परित्याग कर दे तो उसके लिए यह अनिवार्य हो जाएगा कि एक ओर तो वह अपनी आवश्यकताएँ कम करे और दूसरी ओर स्वयं उन कामों को करने लगे जो पहले दूसरे लोग उसके लिए किया करते थे ।

यह सरल और अनिवार्य निष्कर्ष मेरे जीवन के एक-एक कार्य में व्याप्त हो गया और उसने मेरे जीवन में तत्काल परिवर्तन करके मुझे उन नैतिक यातनाओं से मुक्त कर दिया जिनका अनुभव मुझे लोगों का दुःख और दुराचार देखकर हुआ था । इसके अतिरिक्त उसने तीनों कारणों को, जिन्होंने मेरे लिए निर्धनों की सहायता करना असम्भव कर दिया था और जिनका ज्ञान मुझे अपनी असफलता का हेतु दूबते समय हुआ था, निर्मूल कर दिया ।

पहला कारण यह था कि लोग शहरों में ही खचाखच भर गए थे और गावों का धन नगरों में खर्च रहा था । यदि हममें सरकारी नौकरी, जमींदारी या रूपए द्वारा दूसरे के श्रम का शोषण न करने की इच्छा भर उत्पन्न हो जाय और उसके फलस्वरूप यदि हममें अपनी आवश्यकता को अपनी ही पूरी शक्ति और योग्यता से पूर्ण करने की अभिलाषा भर जाग उठे तो कभी हमारे भस्तिष्क में गावों को छोड़कर—जहाँ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति सबसे सरलतापूर्वक हो सकती है—उन शहरों में जाने का विचार ही न उठे जहाँ प्रत्येक वस्तु किसी दूसरे के श्रम का प्रतिफल होती है और जहाँ सारे पदार्थ खरीदने पड़ते हैं । यदि ऐसा हो तो हम गावों में जरूरतमंदों की सहायता करने में समर्थ हो

सकते हैं और वहा हमें उस वेवसी की भावना का अनुभव नहीं करना पड़ेगा जिसका मुझे शहर में अपने नहीं बल्कि दूसरो के श्रम से निर्धनो की सहायता करते समय अनुभव हुआ था।

दूसरा कारण था धनवानो का कगालो से अलग होना। यदि हम सरकारी नौकरी, जमींदारी या रुपए द्वारा दूसरो के श्रम का शोषण करने की इच्छा न करे तो इतने से ही हम अपनी आवश्यकताएं आप पूर्ण करने के लिए विवश हो जायगे और हमको श्रमजीवियो से विलग करनेवाली दीवाल आप-से-आप हट जायगी। तब हम मजदूरो के साथ घुलमिल कर उनके कधे-से-कधा मिलाकर चलेगे, जिसके फलस्वरूप उसकी सहायता करना हमारे लिए सम्भव हो जायगा।

तीसरा कारण था वह लज्जा-भाव जिसका प्रादुर्भाव मेरी इस चेतना के फलस्वरूप हुआ था कि जिस पैसे से मैं दूसरो की सहायता करना चाहता हूँ उमका अधिपति बनना मेरे लिए पाप है। सरकारी नौकरी, जमींदारी या रुपए द्वारा दूसरो के श्रम-शोषण की इच्छा को त्यागने भर की देर है, फिर देखिएगा कि हमारे पास अलंकार उत्पन्न करनेवाला वह फालतू धन रहेगा ही नहीं जिसको मेरे पास देखकर वे-पैसेवाले लोग मेरे सामने ऐसी मांगें उपस्थित करने लगे थे जिनको पूर्ण करने में मैं असमर्थ था और जिनके फलस्वरूप मुझमें अपनी भूल की अनुभूति जागृत हुई थी।

: २३ :

## दूसरों के श्रम का शोषण क्यों ?

मैंने देखा कि मनुष्य के दुःख और पतन का कारण यही है कि कुछ लोग दूसरो के दासता-पाश में बंधे हुए हैं। स्वभावतः मैं इस सरल निष्कर्ष पर पहुँचा कि यदि दूसरो की सहायता करना मुझे अभीष्ट है तो सबसे पहले मुझे चाहिए कि जिन दुःखो को मैं दूर करना चाहता हूँ, भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति का कारण न बनूँ, अर्थात् मानव को दास बनाने की क्रिया में भाग न लूँ। किंतु इस क्रिया की ओर मेरे आकर्षित

होने का कारण यह था कि बचपन से ही मुझे स्वयं अपने हाथों से काम न कर दूसरो के श्रम का उपयोग करने का अभ्यास पड़ गया था और मैं ऐसे समाज में रहता आया था और अब भी रहता हूँ जो इस क्रिया का केवल अभ्यस्त ही नहीं हो गया है बल्कि जो उसको हर प्रकार के धूर्ततापूर्ण और भद्दे मिथ्याडम्बरो द्वारा उचित ठहराता है। अतः मैं इस सीधे-सादे नतीजे पर पहुँचा कि लोगो का दुःख और पतन से त्राण करने के लिए मेरे लिए आवश्यक है कि मैं दूसरो के श्रम का कम-से-कम उपयोग करूँ और स्वयं यथाशक्ति अधिक-से-अधिक कार्य करूँ। लम्बा चक्कर काटने के बाद मैं अन्ततः उसी अनिवार्य निष्कर्ष पर पहुँचा जिसको हजारों वर्ष पहले चीनियो ने इस कहावत में व्यक्त किया था—“यदि इस ससार में कोई एक व्यक्ति आलसी है तो निश्चय ही उसके परिणाम-स्वरूप कोई दूसरा आदमी भूखा मरता होगा।” मैं इस सरल और स्वाभाविक परिणाम पर पहुँचा कि जिस थके हुए घोड़े की पीठ पर मैं सवार हूँ उसके प्रति यदि मुझे सहानुभूति है और उसकी इस दशा के लिए मुझे वस्तुतः खेद है तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य यह होना चाहिए कि मैं उसकी पीठ पर से उतर पड़ूँ और स्वयं अपने पैरों में चलने लगूँ।

यह उत्तर—जिससे हमारी नैतिक भावनाओं को पूर्ण सतुष्टि मिलती है—मेरी आँखों के सामने स्पष्ट रूप से खड़ा था। वस्तुतः वह प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल साफ दिखाई देता रहता है, किंतु हम उसे देखकर भी नहीं देखते और इधर-उधर भटकते फिरते हैं।

अपनी सामाजिक व्याधियों के उपचार के लिए हम चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हैं, सरकारी, सरकार-विरोधी, वैज्ञानिक और परोपकारी अथविश्वासो की दिशाओं में देखते हैं, किंतु जो वस्तु सबकी आँखों के सामने है उसे नहीं देखते।

हम लोग बड़ कमरो में मल-त्याग करते हैं और चाहते हैं कि दूसरे लोग उन्हें साफ करे। फिर भी हम यह बोग रचते हैं कि हमें उनके लिए दुःख है और हम उनका काम आसान बनाना चाहते हैं। इतना ही नहीं इसके लिए हम नाना प्रकार को युक्तियाँ भी निकालते हैं;



किंतु जो सबसे सरल उपाय है उसे नहीं करते; अर्थात् हम यह नहीं करते कि यदि हमें घर के भीतर ही मल-त्याग करना है तो हम उसे साफ करके स्वयं बाहर पहुँचा दें या निवृत्त ही बाहर जाकर हो।

जिसे अपने आस-पास के लोगों को देखकर मचमुच दुःख होता है, उसके लिए एक बड़ी स्पष्ट, सरल और सीधी युक्ति है, और यही एकमात्र युक्ति है जिसकी सहायता से वह ससार में फैले हुए दुःख-दारिद्र्य को दूर कर सकता है और मन-ही-मन यह सतुष्टि अनुभव कर सकता है कि वह नैतिक रूप से जीवनयापन कर रहा है। यह वही युक्ति है जो जॉन वैपटिस्ट ने हमें 'हम क्या करें' प्रश्न के उत्तर में बतलाया था और बाद को ईसा ने भी जिसका समर्थन किया था—एक से अधिक कोट अपने पास मत रखो और रुपए पैसे को तो अपने निकट फटकने तक न दो, अर्थात् दूसरों के परिश्रम से लाभ न उठाओ और इसलिए सबसे पहले जितना भी हो सके अपने-आप काम करो।

कितनी सरल और स्पष्ट बात है यह ! किंतु यह सरल और स्पष्ट तभी है जब हमारी आवश्यकताएँ भी सरल और स्पष्ट हों, जब हम स्वस्थ हों और सुस्ती तथा काहिली ने भीतर-ही-भीतर हमें विलकुल चाट न लिया हो। मैं गाव में रहता हूँ, भाड़ की छत\* पर पड़ा रहता हूँ और अपने पड़ोसी को, जिसपर मेरा कुछ कर्ज है, आदेश देता हूँ—“लकड़ी काटकर लाओ और भाड़ में आग जलाओ।” यह स्पष्ट है कि मैं काहिल हूँ और अपने पड़ोसी को उसके अपने काम से हटा रहा हूँ। इसलिए अतत मुझे लज्जा आयगी और इस प्रकार निरंतर पड़े-पड़े मैं उकता जाऊंगा और यदि मेरे पुट्टों में दम होगा तथा मुझे काम करने की आदत होगी तो मैं स्वयं जाऊंगा और लकड़ी काट लाऊंगा।

किंतु विविध प्रकार की दासता का प्रलोभन बहुत दिनों से चला आ रहा है और उसके कारण अनेक कृत्रिम आवश्यकताएँ उठ खड़ी हुई हैं।

\* रूसी किसानों के झोपड़ों में ईंट की भाड़ इस तरह बनाई जाती है कि उसमें झोपड़ा भी गरम रहे और वह खाना बनाने का भी काम दे। उसकी चौरस छत पर सोने में बड़ा आराम मिलता है।

जो लोग न्यूनाधिक मात्रा में इन आवश्यकताओं के अभ्यस्त हैं उनका परस्पर सम्बन्ध घनिष्ठ हो गया है और पीढ़ियों से विगडते-विगडते लोग कुठित हो गए हैं। इसके अतिरिक्त लोगों के सामने बड़े जटिल प्रलोभन हैं और विलासिता तथा आलस्य के पक्ष-समर्थन में बड़ी-बड़ी बातें छूंट निकाली गई हैं। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ है कि जो मनुष्य आलसी व्यक्तियों से लड़ी हुई सीढ़ी के सबसे ऊपरवाले डबे पर है उसके लिए अपने पाप को समझना उतना सरल नहीं जितना कि अपने पड़ोसी को भाड गरम करने की आज्ञा देनेवाले किसान के लिए है।

जो लोग सबसे ऊपरवाली सीढ़ी पर होते हैं उनके लिए यह समझना बड़ा कठिन होता है कि उनका कर्तव्य क्या है। आलस्य की इस सीढ़ी पर ऊंचे खड़े होकर जब वे नीचे उस स्थान की ओर देखते हैं जहाँ जीवनयापन के लिए उन्हें उतरना अनिवार्य है—यह जीवन पूर्णतः अच्छा भले ही न हो, फिर भी वह बिलकुल अमानुषिक नहीं होता—तो ऊंचाई के कारण उनका मस्तिष्क चकरा जाता है और इसीलिए यह साधारण तथा स्पष्ट सत्य उनको विचित्र प्रतीत होता है।

जिस आदमी के पास दस नौकर, वर्दीदार चपरासी, सार्इस, रसोइया, चित्र तथा पियानो हैं उसे यह बात सचमुच विचित्र ही नहीं हास्यास्पद भी मालूम होगी कि प्रत्येक मनुष्य का यह सरलतम और सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह अपना भोजन बनाने और अपने को गरम रखने के लिए लकड़ी खुद काटे, अपने जूते और पैतावे, जिन्हें पहने-पहने ही वह लापरवाही के कारण घूल में चला गया है, स्वयं साफ करे; अपनी शारीरिक सफाई के लिए पानी स्वयं लाए और सफाई कर चुकने के बाद गंदे पानी को स्वयं ही फेंक भी आए। यहाँ मनुष्य से भेरा अभिप्राय किसी विशेष सत्पुरुष से नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति से है जो मनुष्य भर है और जानवर नहीं है।

सत्य से दूर रहने के अतिरिक्त एक और भी कारण है जो मनुष्य को यह नहीं समझने देता कि जो कार्य मानवमात्र का सबसे सरल और सबसे अधिक स्वाभाविक कार्य है, उसे करना उसके लिए अनिवार्य

है। वह कारण है धनी मनुष्य के जीवन की जटिलता और उसके चारों तरफ रहनेवाले लोगों के परस्पर सम्बन्धित स्वार्थ।

आज सवेरे मैं उस दालान में गया जहाँ अगीठिया जलाई जाती है। एक किसान उस अगीठी को जला रहा था जिससे मेरे लडके का कमरा गरम रहता है। मैं लडके के कमरे में गया; वह तब भी सो रहा था। ग्यारह बजे चुके थे और छूट्टी का दिन था। इसलिए वहाना बनाया जा सकता था कि पढाई तो करनी नहीं है।

अठारह साल का एक मोटे गरीबवाला छोकरा, जिसके डाढ़ी निकल आई थी और जिसने पिछली रात खूब डटकर खाना खाया था, ग्यारह बजे तक पडा सो रहा था। किंतु उसीकी उम्र का एक किसान सवेरे ही उठ बैठा था। अवतक वह बहुत-सा काम निवटा चुका था और इस समय दमवी अगीठी सुलगा रहा था, जबकि मेरा लडका पडा सो रहा था। मेरे मन में विचार आया—“कितना अच्छा हो यदि इस किसान से उस हट्टे-कट्टे काहिल गरीब को गरमी पहुँचाने के लिए अगीठी न जलवाई जाय। किंतु तत्काल मुझे याद आया कि इस अगीठी से रसोई बनानेवाली स्त्री का कमरा भी तो गरम होता है। उसकी आयु चालीम वर्ष की थी और रात को मेरे लडके ने जो खाना खाया था उसे तयार करने और फिर तब्तारियो को हटाने आदि में वह सवेरे तीन बजे तक लगी रही थी। फिर भी वह सवेरे सात बजे उठ बैठी थी। वह अपने लिए अगीठी नहीं जला सकी थी, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं था। किसान उसके लिए भी अगीठी जला रहा था और उसके कारण उस काहिल लडके को भी गरमी मिल रही थी।

यह सच है कि सब लोगों के हित एक दूसरे से वध होते हैं, किंतु थोड़े-से प्रयत्न में ही प्रत्येक व्यक्ति का अन्तःकरण यह वता देता है कि कौन मेहनत करता है और कौन आलसी है। यह बात केवल अन्तःकरण ही नहीं बतलाता, इसका सबसे स्पष्ट ज्ञान हमारी बहियो से होता है। मनुष्य जितना अधिक व्यय करता है, उतना ही अधिक वह दूसरो को अपने लिए कार्य करने को विवश करता है। इसके विपरीत, वह जितना कम खर्च करता है उतना ही अधिक वह स्वयं अपने हाथ पैर चलाता है।

तो फिर उद्योग, सार्वजनिक हित के कार्यों और इन सबसे भयकर वस्तु, सस्कृति—कला तथा विज्ञान—के विकास का क्या होगा ?

: २४ :

## दूसरों के रक्त से सनी हमारी रंगरलियां

पिछले साल\* मार्च के महीने में मैं एक दिन सध्या समय कुछ देर से लौट रहा था। जूबोव-सडक से खामोवनोकी गली में मूड़ते हुए मुझे वर्जिन्स मैदान के बर्फ पर कुछ चलती-फिरती काली-काली परिछाइया दिखलाई दी। उस ओर मेरा ध्यान जाता भी नहीं, यदि गली के किनारे खड़े हुए सिपाही ने उन परिछाइयो की ओर देखते हुए चिल्लाकर न कहा होता—

“वासिली ! तू उसे लाता क्यों नहीं ?”

“वह नहीं आती”, उस ओर से एक आवाज आई और इसके बाद काली परिछाइया पुलिसवाले की ओर आने लगी।

मैंने रुककर पुलिसवाले से पूछा कि क्या बात है ? उसने उत्तर दिया—रज्जानोफ भवन से बदमाश लडकिया पकडकर लाए हैं और उन्हें थाने लिये जा रहे हैं। यह लडकी पीछे रह गई है, देखिए चलने का नाम ही नहीं लेती।”

भेड़ की खाल का कोट पहने एक चौकीदार उस लडकी को ला रहा था। वह आगे-आगे चल रही थी और चौकीदार उसे पीछे से ढकेल रहा था। हम सब—चौकीदार, पुलिसमैन और मैं—गरम कपडे पहने हुए थे, किंतु उस लडकी के शरीर पर एक लम्बा फ्रॉक भर था। अंधेरे में मैं इतना ही मालूम कर सका कि उसका फ्रॉक बादामी रंग का था और उसने अपने सिर तथा गर्दन पर एक रूमाल लपेट रखा था। वह नाटी थी, जैसेकि भुक्खड लोग होते हैं। उसकी

\* अर्थात् सन् १८८४।

टांगे छोटी थी और उसका शरीर बेडौल तरीके पर चौड़ा और भद्दा था ।

पुलिसमैन ने चिल्लाकर कहा—“अरी, ओ शैतान की बच्ची ! तेरे लिए क्या हम यहा रात भर खड़े रहेंगे ? बढ़ती है आगे, या बताऊ तुझे ?

उसकी बात से साफ मालूम पड़ रहा था कि वह थका हुआ है और उस स्त्री के मट्ठड़पन के कारण अधीर हो उठा है । स्त्री कुछ कदम आगे चली और फिर रुक गई । बूढ़ा चौकीदार, जो एक अच्छा आदमी है और जिसे मैं जानता हूँ, उसकी वाह पकड़कर खींचता हुआ बोला—“फिर रुकी तू ! अभी बताता हूँ कि रुकना किसे कहते हैं । बढ़ आगे !”

उसने क्रोध का-सा भाव दिखलाया, जिसपर वह स्त्री लड़खड़ाई और कर्कश स्वर में बड़बड़ाने लगी । उसका स्वर बनावटी और फटे वास-जैसा था ।

वह बोली—“धक्के क्यों देते हो ? चल तो रही हूँ ।”

“सदीं से ठिठुरकर मर जायगी, ” चौकीदार ने कहा ।

“हम-जैसी को ठड नहीं सताती । मेरे अंदर बहुत-सा गरम-गरम खून है ।”

उसने यह बात हसी में कही थी; किंतु लगी गाली-सी । हमारे घर के फाटक से थोड़ी ही दूर लैम्प के खम्भे के पास वह फिर रुकी और आगन की लकड़ीवाली चहारदीवारी का सहारा लेकर झुकी—झुकी ही क्यों, लगभग गिर पड़ी—और अपनी गद्दी ठडी अंगुलियों से जेबों में कुछ टटोलने लगी । चौकीदार उसपर फिर गुर्गाएँ; किंतु वह थोड़ी-सी बड़बड़ाई भर और जेबों टटोलती रही । एक हाथ से उसने एक सिगरेट निकाली, जो मेहराब की तरह झुक गई थी और दूसरे हाथ से दियासलाई । मुझे उसके पास जाने में लज्जा मालूम हुई; इसलिए मैं रुक गया । किंतु खड़े होकर तमाशा देखते रहने में भी लज्जा मालूम देती थी । अंत में दृढ़ निश्चय करके मैं उसके पास गया । वह लकड़ी की चहारदीवारी से कंधा टेके झुकी खडी थी और

उसपर-रगड़-रगड़ कर दियासलाई की तीलियो को जलाने की चेष्टा कर रही थी और जब वे नहीं जलती थी तो उन्हें उठाकर फेंक देती थी। मैंने उसके चेहरे पर दृष्टि डाली। उसे निस्संदिह पेट भर खाना मयस्सर नहीं होता था; किंतु ऐसा लगता था कि वह जवानी पार कर चुकी है। मेरी आंखों में वह तीस साल की जंची। उसका चेहरा मटमैले रंग का था और उसकी आंखें छोटी, घुघली और शराबियो-जैसी थी। उसकी नाक गाठदार और होठ टेढ़े थे, जिनके कोने से लार बह रही थी। उसके रूमाल से सूखे बालों का एक छोटा गुच्छा लटक रहा था। उसका शरीर लम्बा और चपटा था और उसके हाथ-पैर छोटे थे। मैं उसके सामने खड़ा हो गया। मेरी ओर देखकर वह इस प्रकार मुसकराई मानो कहना चाहती थी—“मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो।”

मुझे ऐसा लगा कि मुझे उससे कुछ कहना है और मैंने यह दिखलाना चाहा कि मुझे उसपर दया आती है।

“क्या तुम्हारे मा-बाप जिन्दा हैं ?” मैंने पूछा।

वह एक कर्कश हसी हंसी, फिर एकाएक रुक गई और अपनी भीहरे तानकर मेरी ओर देखने लगी।

“तुम्हारे मा-बाप जिन्दा हैं ?” मैंने फिर पूछा।

वह कुछ ऐसे भाव से मुसकराई मानो कहना चाहती हो—“आपको भी क्या अजीब सवाल पूछने को मिला है।”

“मेरी मा है, लेकिन तुम्हें इससे क्या ?” वह बोली।

“तुम्हारी उम्र कितनी होगी ?”

“पन्द्रह से कुछ ऊपर,” उसने तत्परता से कहा। स्पष्टतः वह इस प्रश्न का उत्तर देने की अभ्यस्त हो गई थी।

“चल, चल; तेरे साथ हम यहा ठंड में अकड़ जायगे, तेरा नाश हो,” पुलिसवाले ने चिल्लाकर कहा और स्त्री चहारदीवारी को छोड़कर लडखडाती हुई आगे बढ़ी और झूमती-झामती खामोवनीकी सड़क के रास्ते थाने की ओर चल दी। मैं फाटक पर से लौट आया और अदर पहुंचकर मैंने पूछा कि मेरी लडकिया बाहर से लौट आई या नहीं।

पता चला कि वे एक पार्टी में गई थी और वहा उन्होंने छककर मौज उडाई थी। वे वापस आगई थी और सो रही थी।

दूसरे दिन सवेरे मैं कोतवाली जाना चाहता था, ताकि वहा जाकर मालूम करू कि पुलिसवालो ने उस बेचारी औरत के साथ क्या किया। मैं तडके ही तैयार हो गया और जानेवाला ही था कि एक आदमी\* मिलने आ गया। वह उच्च वर्ग के उन अभागो में से था जो अपनी दुर्बलताओ के कारण अच्छी अवस्था से गिरकर गरीबी में फस जाते हैं और जिनकी अवस्था कभी सुधरती और कभी बिगडती रहती है। उसे मैं तीन वर्ष से जानता था। इस बीच वह कई बार अपना सब कुछ, यहा तक कि तन के कपडे भी, गिरवी रख चुका था। अभी कुछ ही दिन पहले भी उसको ऐसा करने के लिए बाध्य होना पडा था और उन दिनो वह रात रज्जानोफ भवन की किसी कोठरी में काटता था और दिन में मेरे यहा काम करता था। मैं बाहर निकला ही था कि वह आ धमका और मेरी बात सुने बिना ही बताने लगा कि पिछली रात रज्जानोफ-भवन में उसके साथ क्या बीती थी। अभी बात आधी भी नहीं हो पाई थी कि वह बूढा, जो अपने जीवन के सब उत्तार-चढाव देख चुका था, फूट-फूटकर रोने लगा और दीवाल की ओर मुह करके खडा हो गया। उसने जो बात कही वह विलकुल सत्य थी। बाद में मैंने स्वयं रज्जानोफ-भवन जाकर इसकी जाच-पडताल की और वहा मुझे कई नई बातें मालूम हुईं, जिनको मैं उसकी बताई हुई गाथा के ही साथ जोड दूंगा। उसने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी—

“उस सराय के निचले हिस्से के ३२ नम्बर के कमरे में, जहा मेरा मित्र सोया करता था, बहुत-से स्त्री-पुरुष अस्थायी रूप से रहा करते थे। वे पाच कोपेक पर एक-दूसरे के साथ सो जाया करते थे। उनमें एक धोविन भी थी जिसकी आयु लगभग ३० वर्ष की थी। उसके बाल

---

\* यह आदमी ए पी. इवानोफ था, जो बीच-बीच में कई वर्ष तक टॉल्स्टॉय के यहा नकलनवीस का काम कर चका था।

हलके भूरे रंग के थे और वह शांत तथा अच्छे आचार-व्यवहार की थी, किंतु बीमार मालूम पड़ती थी। उस कमरे की मालकिन एक मल्लाह की रखैल थी। गरमियों में उसका प्रेमी नाव चलाया करता था और सर्दियों में वे यात्रियों को रात भर के लिए एक खाट ३ कोपेक में विना तकिए के और ५ कोपेक में मय तकिए के किराए पर उठाकर अपनी जीविका चलाते थे। घोविन को बहा रहते कई महीने हो गए थे और वह शांत स्वभाव की थी। किंतु पिछले कुछ दिनों से लोग उसे नापसन्द करने लगे थे; क्योंकि उसकी खासी के कारण लोग सो नहीं पाते थे। विशेष रूप से अस्सी वर्ष की एक सनकी-सी बुढ़िया को, जो बहा स्थायी रूप से रहा करती थी, उस घोविन के प्रति बड़ी अश्रद्धा हो गई थी और वह उससे नींद में विघ्न डालने तथा रात भर भेड़ की तरह खासते रहने के लिए बराबर लड़ती-झगड़ती रहती थी। घोविन चुप रहती थी। उसपर मकान का किराया चढ़ गया था और वह अपने को दोषी समझती थी, इसलिए बेचारी को चुप रहना पड़ता था। वह दिन-पर-दिन कमजोर होती जा रही थी और काम पर कम जा पाती थी, इसीलिए वह मकान-मालकिन का किराया नहीं दे सकी थी। पिछले सप्ताह वह काम पर बिल्कुल नहीं जा पाई थी और उसकी खासी से सब लोग तग आ गए थे, विशेष रूप से वह बुढ़िया जो स्वयं काम पर नहीं जाती थी। चार दिन हुए मालकिन ने उससे मकान खाली करने को कह दिया था। ६० कोपेक\* उसपर पहले से ही उधार थे, जो उसने अभी नहीं दिये थे और जिनके मिलने की आशा भी नहीं रह गई थी। सोने के सारे तस्ते धिरे हुए थे और दूसरे किरायेदार घोविन की खासी की शिकायत करते थे।

मालकिन ने जब घोविन से कहा कि या तो बाकी किराया दे दे या यहा से चलती बन, तो बुढ़िया बड़ी प्रसन्न हुई और उसने घोविन को आंगन में ला खड़ा किया। घोविन चली गई, किंतु घंटे भर बाद वापस आ गई और मालकिन उसे फिर से निकाल बाहर करने



की निर्दयता न दिखा सकी। दो दिन तो धोविन वही रही और बराबर गिडगिड़ाती रही—“मैं कहा जाऊ ?” लेकिन तीसरे दिन मालकिन का प्रेमी, जो मास्को का रहनेवाला था और शहरो के कायदे-कानून जानता था, पुलिस को बुला लाया। तलवार और लाल डोरी में बंधी पिस्तौल से लैस एक पुलिसवाला सराय में आया और उसने शांति और सभ्यता के साथ धोविन को निकाल बाहर किया।

वह मार्च का महीना था। दिन साफ था और सूर्य चमक रहा था, किंतु पाला पड़ रहा था। बर्फ गल-गलकर नालियों में बह रहा था और चौकीदार लोग सड़को पर जमे हुए बर्फ को तोड़ रहे थे। बर्फ पर चलनेवाली बिना पहियों की गाड़िया कड़े बर्फ से टकराकर झटके खाती थी और कभी-कभी नगे पत्थरो से लग जाने के कारण उनमें से उल्लू के बोलने की-सी आवाज होती थी। धोविन ढाल के उस ओर गई जहां धूप फैली हुई थी और गिरजाघर पहुंचकर उसके बरामदे में धूप में बैठ गई। किंतु जब सूर्य मकान के पीछे डूबने लगा और गडहियों में फिर बर्फ जमने लगा तो वह ठंड के मारे घबराई। वह उठी और मानो अपने शरीर के बोझ को खींचती हुई आगे बढ़ी। परन्तु किस ओर ? घर, उसी एकमात्र घर की ओर जहां वह अभी तक रहा करती थी। ठहर-ठहर कर दम लेते हुए जब वह वहां पहुंची तो अघेरा होने लगा था। फाटक में घुसकर वह अंदर की ओर मुड़ी ही थी कि उसका पैर फिसल गया और वह चीख मारकर गिर पड़ी।

पहले एक आदमी उधर से निकला और फिर दूसरा। उन्होंने सोचा—पिये हुए हैं। एक और आदमी निकला और उससे टकरा गया। तब वह दरवान से बोला—“कोई औरत शराब पिये फाटक में पड़ी है। मैं तो उससे टकरा गया था और मेरा सिर फूटते-फूटते बचा। उसे यहांसे हटवाते क्यों नहीं ?”

दरवान उसको देखने गया, लेकिन धोविन मर चुकी थी।

यही वह कहानी है जो मेरे मित्र ने मुझे सुनाई। आप सोचेंगे कि शायद मैं उस पन्द्रह वर्षीय बच्चा से अपनी मुलाकात की बात और धोविन की कहानी छोटकर एक साथ रख रहा हूं; किंतु

आप ऐसा न सोचें। ये दोनों घटनाएँ विलकुल इसी तरह एक ही रात में घटी। तारीख तो मुझे ठीक याद नहीं, लेकिन महीना मार्च सन् १८८४ का था।

अपने मित्र का वृत्तान्त सुनकर मैं कोतवाली गया। मेरा विचार वहासे रज्जानोफ भवन जाकर घोबिन के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने का था। मौसम अच्छा था, धूप खिली हुई थी, साए मे रात को पड़े हुए बर्फ के नीचे पानी फिर से बहता हुआ दिखलाई देने लगा था और खामोवनीके चौक में कड़ी धूप के कारण बर्फ पिघल-पिघल कर बह रहा था। नदी भी शोर करती हुई बह रही थी। दूसरे पार बाग के वृक्ष नीले-नीले दिखलाई दे रहे थे, भूरी चिड़िए जो सर्दियों में दिखलाई भी नहीं पड़ती, अपने कलरव से सबका ध्यान आकर्षित कर रही थी और ऐसा मालूम पड़ता था कि मनुष्य भी इस समय आनन्द लूटना चाहता है, किंतु दुर्भाग्यवश उसके सिर पर अनेक चिंताएँ सवार हैं। गिरजाघर में घंटे बज रहे थे और इन मिश्रित ध्वनियों की पृष्ठ-भूमि में वैंरको से तोपो की आवाज, गोलियों की सरसराहट और उनका निशानो पर पड़ने का धमाका सुनाई दे रहा था।

मैं कोतवाली पहुँचा। वहाँ कई सशस्त्र व्यक्ति थे, जो मुझे अपने मुखिया के पास ले गए। वह भी तलवार तथा पिस्तौल से लैस था और अपने सामने खड़े हुए एक फटे-हाल थरथर कापते हुए बूढ़े के विषय में कुछ आदेश दे रहा था। वह बूढ़ा इतना दुर्बल था कि अपने से पूछे गए प्रश्नों का ठीक से उत्तर भी नहीं दे पा रहा था। उधर का काम निबटाकर मुखिया ने मेरी ओर ध्यान दिया। मैंने उससे कलवाली लडकी के बारे में पूछा। पहले तो वह मेरी बातों ध्यानपूर्वक सुनता रहा, फिर बाद में यह सोचकर मुसकराया कि मुझे नियमों का कुछ ज्ञान नहीं और यह तक पता नहीं कि ऐसी स्त्रियाँ कोतवाली क्यों ले जाई\* जाती हैं। उसकी मुसकराहट का एक विशेष कारण भी था, और वह था मेरा उस लडकी की अल्पवयस्कता पर आश्चर्यचकित

---

\* वेश्याएँ वहा डाक्टरी परीक्षा के लिए ले जाई जाती हैं।

की निर्दयता न दिखा सकी। दो दिन तो धोबिन वही रही और बराबर गिडगिडाती रही—“मैं कहा जाऊ ?” लेकिन तीसरे दिन मालकिन का प्रेमी, जो मास्को का रहनेवाला था और शहरो के कायदे-कानून जानता था, पुलिस को बुला लाया। तलवार और लाल डोरी में बधी पिस्तौल से लैस एक पुलिसवाला सराय में आया और उसने शांति और सभ्यता के साथ धोबिन को निकाल बाहर किया।

वह मार्च का महीना था। दिन साफ था और सूर्य चमक रहा था, किंतु पाला पड़ रहा था। बर्फ गल-गलकर नालियों में वह रहा था और चौकीदार लोग सड़को पर जमे हुए बर्फ को तोड़ रहे थे। बर्फ पर चलनेवाली बिना पहियों की गाड़िया कड़े बर्फ से टकराकर झटके खाती थी और कभी-कभी नगे पत्थरो से लग जाने के कारण उनमें से उल्लू के बोलने की-सी आवाज होती थी। धोबिन ढाल के उस ओर गई जहाँ धूप फैली हुई थी और गिरजाघर पहुँचकर उसके वरामदे में धूप में बैठ गई। किंतु जब सूर्य मकान के पीछे डूबने लगा और गड़हियों में फिर बर्फ जमने लगा तो वह ठंड के मारे घबराई। वह उठी और मानो अपने शरीर के बोझ को खींचती हुई आगे बढ़ी। परन्तु किस ओर ? घर, उसी एकमात्र घर की ओर जहाँ वह अभी तक रहा करती थी। ठहर-ठहर कर दम लेते हुए जब वह वहाँ पहुँची तो अंधेरा होने लगा था। फाटक में घुसकर वह अंदर की ओर मुड़ी ही थी कि उसका पैर फिसल गया और वह चीख मारकर गिर पड़ी।

पहले एक आदमी उधर से निकला और फिर दूसरा। उन्होंने सोचा—पिये हुए हैं। एक और आदमी निकला और उससे टकरा गया। तब वह दरवान से बोला—“कोई औरत शराब पिये फाटक में पड़ी है। मैं तो उससे टकरा गया था और मेरा सिर फूटते-फूटते बचा। उसे यहाँसे हटवाते क्यों नहीं ?”

दरवान उसको देखने गया, लेकिन धोबिन मर चुकी थी।

यही वह कहानी है जो मेरे मित्र ने मुझे सुनाई। आप सोचेंगे कि शायद मैं उस पन्द्रह वर्षीय वेश्या से अपनी मुलाकात की बात और धोबिन की कहानी छाटकर एक साथ रख रहा हूँ; किंतु

आप ऐसा न सोचें। ये दोनों घटनाएं बिल्कुल इसी तरह एक ही रात में घटी। तारीख तो मुझे ठीक याद नहीं, लेकिन महीना मार्च सन् १८८४ का था।

अपने मित्र का वृत्तान्त सुनकर मैं कोतवाली गया। मेरा विचार वहांसे रज्जानोफ भवन जाकर घोबिन के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने का था। मौसम अच्छा था, घूप खिली हुई थी, साए में रात को पडे हुए बर्फ के नीचे पानी फिर से बहता हुआ दिखलाई देने लगा था और खामोवनीके चौक में कडी घूप के कारण बर्फ पिघल-पिघल कर बह रहा था। नदी भी शोर करती हुई बह रही थी। दूसरे पार वाग के वृक्ष नीले-नीले दिखलाई दे रहे थे, भूरी चिड़िएं जो सदियों में दिखलाई भी नहीं पड़ती, अपने कलरव से सबका ध्यान आकर्षित कर रही थी और ऐसा मालूम पड़ता था कि मनुष्य भी इस समय आनन्द लूटना चाहता है, किंतु दुर्भाग्यवश उसके सिर पर अनेक चिंताएं सवार हैं। गिरजाघर में घटे वज रहे थे और इन मिश्रित ध्वनियों की पृष्ठ-भूमि में बैरको से तोपों की आवाज, गोलियों की सरसराहट और उनका निशानो पर पडने का घमाका सुनाई दे रहा था।

मैं कोतवाली पहुंचा। वहां कई सशस्त्र व्यक्ति थे, जो मुझे अपने मुखिया के पास ले गए। वह भी तलवार तथा पिस्तौल से लैस था और अपने सामने खड़े हुए एक फटे-हाल थरथर कापते हुए बूडे के विषय में कुछ आदेश दे रहा था। वह बूडा इतना दुर्बल था कि अपने से पूछे गए प्रश्नों का ठीक से उत्तर भी नहीं दे पा रहा था। उधर का काम निबटाकर मुखिया ने मेरी ओर ध्यान दिया। मैंने उससे कलवाली लड़की के बारे में पूछा। पहले तो वह मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनता रहा, फिर बाद में यह सोचकर मुसकराया कि मुझे नियमों का कुछ ज्ञान नहीं और यह तक पता नहीं कि ऐसी स्त्रिया कोतवाली क्यों ले जाई\* जाती हैं। उसकी मुसकराहट का एक विशेष कारण भी था, और वह था मेरा उस लड़की की अल्पवयस्कता पर आश्चर्यचकित

---

\* वेश्याए वहां डाक्टरी परीक्षा के लिए ले जाई जाती हैं।

होना। "इसमें आश्चर्य की क्या बात है ? यहां तो बारह-बारह साल तक की छोकरिया आती हैं और तेरह तथा चौदह साल की छोकरियों की तो गिनती ही नहीं है," उसने आह्लादपूर्वक कहा।

कलवाली लड़की के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए उसने बतलाया कि शायद वह कमेटो में भेज दी गई है (जहां तक मुझे याद पड़ता है उसने यही कहा था)। जब मैंने उससे पूछा कि लड़की रात को कहा रही तो उसने कुछ ऐसा ही अनिश्चित-सा उत्तर दे दिया। मैं जिस लड़की के सम्बन्ध में पूछ रहा था उसकी उसे कुछ विशेष याद नहीं थी। 'वहा तो प्रतिदिन ऐसी ढेरो लडकिया आया करती थी।

रज्जानोफ भवन के ३२ नम्बर के कमरे में पहुंचने पर मैंने देखा कि उस मरी हुई घोविन की आत्मा की गाति के लिए एक पादरी मृत शरीर के पास बैठा हुआ वाइबिल के भजन पढ़ रहा है। वह उठाकर उस तख्ते पर लिटा दी गई थी, जिसपर वह सोया करती थी और वहाके किरायेदारो ने, जो सबके सब बिलकुल गरीब थे, आपस में चंदा करके पूजापाठ और क्रिया-कर्म के व्यय के लिए काफी रुपया इकट्ठा कर लिया था और बूढी स्त्रियो ने उसे कपडे पहनाकर कफन के बक्स में लिटा दिया था। धुंधले प्रकाश में पादरी कुछ पढ़ रहा था और लवादा ओढे हुए एक स्त्री मोमवत्ती लिये खड़ी थी। इसी प्रकार की दूसरी मोमवत्ती लिये एक आदमी (मुझे कहना चाहिए गरीफ आदमी) खडा था। वह अच्छे कालरवाला एक ओवरकोट, चमकीले जूते और कलफदार कमीज पहने था। वह उस घोविन का भाई था। सरायवालो ने उसका पता लगाकर उसे बुला लिया था।

मृत स्त्री के पास से होता हुआ मैं मकान की मालकिन के पास गया और उसके विषय में पूछने लगा। मेरे प्रश्नों से वह डर गई। उसको भय हुआ कि कही उसपर कोई अभियोग न लगा दिया जाय; किंतु थोड़ी देर बाद वह खुलकर बोलने लगी और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। लौटते समय मैंने मृत स्त्री की ओर देखा। वैसे तो नभी मृत शरीरो में एक सुन्दरता होती है, परन्तु कफन में लिपटी हुई घोविन तो विशेष रूप से सुन्दर और आकर्षक जान पडती थी। उसका चेहरा

स्वच्छ और पीला था, उसकी बड़ी-बड़ी आंखें बंद थी, गाल बैठे हुए थे और उसके उन्नत ललाट पर सन के समान मुलायम बाल पड़े थे, चेहरा थका हुआ किंतु सदय था और उसपर दुःख नहीं बल्कि आश्चर्य की रेखा खिंची हुई थी। निश्चय ही जब जीवित प्राणी देखकर भी नहीं देखते, तो मृतको को आश्चर्य नहीं तो और क्या हो।

जिस दिन मैंने यह घटना लिखी उसी दिन मास्को में एक बड़ा नाच था।

उस दिन शाम को मैं घर से ८ बजे के बाद निकला। मेरे घर के चारों ओर कारखाने हैं और जब मैं घर से निकला तो कारखाने की सीटी बज चुकी थी और एक सप्ताह के सतत कार्य के पश्चात् लोगों को एक दिन की छुट्टी मिली थी।

मैं मजदूरों में से होकर गुजरा और मेरे पास से होकर बहुत से ऐसे मजदूर निकले जो शराब की भट्टियों और सरायों की तरफ जा रहे थे। बहुत-से तो पहले ही से पीकर धुत्त हो रहे थे और बहुतों ने अपने साथ औरतें ले रखी थी।

मैं कारखानों के बीच रहता हूँ। प्रति दिन सबेरे पांच बजे पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी और इस तरह दसियों सीटियों की दूर-दूर से आवाज आती है, जो इस बात की द्योतक होती है कि स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों का काम शुरू हो गया है। ८ बजे सीटियां फिर बजती हैं और आठ घंटे का विश्राम होता है। १२ बजे तीसरी सीटी होती है, जबकि खाने के लिए एक घंटे की छुट्टी होती है। चौथी सीटी शाम को ८ बजे बजती है और काम बन्द हो जाता है।

यह एक विचित्र बात है कि मेरे पास के तीनों कारखानों में विशेष रूप से नाच का सामान ही बनता है। सबसे पासवाले कारखानों में मोझे तैयार होते हैं, दूसरे में रेशमी सामान और तीसरे में ड्रज तथा पोमेड।

सम्भव है कि इन सीटियों को सुनकर अधिकांश लोगों के मन में समय के अतिरिक्त और किसी दूसरी बात का ध्यान न आए और वे कह उठे—“अरे देखो, सीटी बज गई, मेरे टहलने का समय हो गया।” किंतु यह भी सम्भव है कि कुछ व्यक्तियों को ये सीटियां अपने पीछे

छिपी हुई वास्तविकता की अनुभूति कराएं और बताएं कि सवेरे ५ बजेवाली सीटी का अर्थ यह है कि रात भर नीचे की सीली हुई कोठरियों से प्रायः एक साथ सोनेवाले स्त्री-पुरुष मुह-अधरे ही आकर उन कारखानों की ओर भागे जा रहे हैं, जहां मशीनें आलसियों की तरह पड़ी हुई हैं और वहां वे अपने-अपने काम की जगह पर बैठ रहे हैं। उन्हें इन कामों का कोई अंत दिखलाई नहीं पड़ता, न इनमें उन्हें अपने लिए कोई उपयोगिता ही दृष्टिगत होती। इसी तरह वे काम करते हैं—अक्सर गरमी, उमस और गन्दगी से भरे हुए कमरों में वे प्रतिदिन बारह-बारह घंटे और इससे भी अधिक देर तक काम करते हैं। इस बीच उन्हें विश्राम का बहुत ही कम अवकाश मिलता है। रात में वे सोते हैं और सवेरा होते ही उठ पड़ते हैं और फिर बार-बार वही काम करते हैं जिसका उनके लिए कोई अर्थ नहीं होता और जो उन्हें केवल पेट की ज्वाला बुझाने के लिए करना पड़ता है।

इस तरह सप्ताह-पर-सप्ताह बीत जाते हैं और बीच में एकाध दिन की छुट्टी के अलावा मजदूरों का जीवन ऐसे ही चलता रहता है। आज यहाँ मैंने इसी तरह की एक छुट्टी मनाने के लिए मजदूरों को बाहर निकलते देखा। वे लोग सड़को पर चक्कर लगा रहे हैं। चारों ओर सराय, शराबघर और स्त्रियाँ हैं। नशे में चूर होकर वे एक दूसरे के साथ धक्का-मुक्की करते-फिरते हैं और अपने साथ वैसे लडकियाँ लिये रहते हैं जैसी कि कल पुलिस थाने में भेजी गई थी। वे बर्फ पर चलने वाली गाड़ियाँ किराए पर लेकर या पैदल ही एक-दूसरे को गालियाँ देते हुए और न जाने क्या-क्या बकते हुए लडखड़ाते पैरों से सराय-सराय धूमते हैं। पहले ऐसे मजदूरों को आते-जाते देखकर मैं उनसे जानबूझकर बचता था और उन्हें बुरा भी समझता था। किंतु जब से मैं कारखानों के भोपू के प्रतिदिन वजने का अर्थ समझ गया हूँ तबसे उलटा मुझे यह आश्चर्य होने लगा है कि कारखानों में काम करनेवाले ये मर्द वैसे ही मक्कार क्यों नहीं बन जाते जैसे कि मास्कों में भरे पड़े हैं और ये स्त्रियाँ उसी छोकरी जैसी क्यों नहीं हो जाती जिसे मैंने अपने घर के पास देखा था।

इस तरह मैं घूम-फिरकर इन मजदूरों को लगभग ११ वजे तक सड़को पर गुल-गपाडा करते देखता रहा। इसके बाद उनका ऊधम धीमा पड़ने लगा। सड़को पर थोड़े-से शराबी-भर रह गए और इधर-उधर कुछ ऐसे स्त्री-पुरुष भी दिखलाई दिए जो पकड़कर कोतवाली ले जाए जा रहे थे। उसके बाद चारों तरफ से गाड़िया आती दिखलाई देने लगी।

सबकी सब गाड़िया एक ही दिशा में जा रही थी। कोचवक्म पर सुन्दर कपड़े पहने हुए और टोपी में एक विशेष प्रकार का फूल लगाए हुए कोचवान और दरवान बैठे हुए थे। साजवाज से सजे हूँटपुण्ट घोड़े बर्फ पर १४ मील प्रति घंटे की गति से दौड़े जा रहे थे और गाड़ियों में गरम लबादा पहने हुए महिलाएँ अपने बालों में लगे हुए फूलों और दूसरी शृंगार-सामग्रियों को सावधानी के साथ सम्हाले बैठी थी। सभी पदार्थ—घोड़ों की जोतों, गाड़ियों, रबड़-टायरो और कोचवानों के गरम कोटों के कपड़े से लेकर मोजों, जूतों, फूलों, मखमल, दस्तानों और इत्र तक—उन्हीं लोगों के बनाए हुए थे जिनमें से कुछ शराब पीकर अपनी गद्दी कोठरियों में तख्तों पर औंधे पड़े थे, कुछ सरायों में बेइयाबों के साथ लेटे थे और कुछ पुलिस चौकियों में बन्द थे। उनके पास से घोड़ों और गाड़ियों में चढ़कर—जो वस्तुतः उन मजदूरों के ही हैं—नाच में जानेवाले लोग गुजर रहे थे। फिर भी उनकी खोपड़ी में यह बात नहीं घुसती थी कि जिस नाच में वे जा रहे थे उसका उन शराबियों से भी कोई सम्बन्ध है जिनको उनके कोचवान डाटते हुए चलते थे।

ये लोग नाच में जाकर खूब आनन्द लूटते हैं। उनका अतः कारण शात होता है और उन्हें पूर्ण विश्वास होता है कि वे जो कुछ कर रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं बल्कि कुछ अच्छाई ही है।

आनन्द लूटते हैं ! हा, रात के ११ वजे से सवेरे ६ वजे तक आनन्द लूटते हैं, जब कि सरायों में लोग भूखे पेट चारबटे बदलते हैं और कुछ लोग उस घोबिन की तरह अपनी अंतिम घड़िया गिनते हैं।

और यह आनन्द होता कैसा है ? विवाहित और कुमारी लड़कियाँ अपनी छातियाँ खोले और कृत्रिम रूप से नितम्बों को ऊँचा किये अपने



शरीर का ऐसा भद्दा प्रदर्शन करती हैं जैसा सुशील कन्याएँ या स्त्रियाँ सारे ससार के राज्य के बदले में भी पुरुषों के सामने करना पसंद नहीं करेगी। उस अर्द्धनग्न अवस्था में, खुली व उभरी हुई छातियों और कंधों तक नगी बाहों के साथ, ये कन्याएँ और स्त्रियाँ, जिनकी शोभा सदा से ही लज्जा रही है, पीछे से फूली हुई ऐसी पोशाक पहने जिससे नितम्ब खूब कस जाते हैं, तीव्रतम प्रकाश में अपरिचित पुरुषों के सामने आती हैं। ये पुरुष भी ऐसे ही अनुचित ढंग से कसे हुए कपड़े पहने होते हैं और स्त्रियाँ उनका संगीत की तान के साथ आलिंगन करती हैं और घूम-घूम कर नाचती हैं। बूढ़ी स्त्रियाँ भी प्रायः युवतियों की ही भाँति शरीर खोले बँठी-बँठी तमाशा देखती हैं और बड़े आनन्द से स्वादिष्ट पदार्थ खाती पीती हैं। बूढ़े आदमी भी ऐसा ही करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह सब लीला रात को ही होती है, जब साधारण जनता सोती रहती है और इस कांड को नहीं देखती। किंतु ऐसा आमोद-प्रमोद छिपाने के अभिप्राय से नहीं किया जाता, आनन्द लूटनेवाले तो समझते हैं कि इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसे छिपाने की आवश्यकता हो। वे सोचते हैं कि जो कुछ वे करते हैं वह बड़ा अच्छा है और उनके आमोद-प्रमोद से, जिसमें सहस्रो व्यक्तियों के यत्रणापूर्ण श्रम का खून किया जाता है, न केवल किसीको हानि नहीं पहुँचती, बल्कि उलटे गरीबों को रोटी मिलती है।

मान लिया कि नाच में बड़ा आनन्द आता है, किंतु यह आनन्द आता कहा से है ? जब हम आपस में किसी व्यक्ति को क्षुधा-पीड़ित या ठंड से ठिठुरते देखते हैं तो हमें आनन्द मनाने में लज्जा आती है और जबतक उसकी ये दोनों पीड़ाएँ शांत नहीं कर दी जाती तबतक हम प्रसन्न नहीं हो पाते और हमारी समझ में नहीं आता कि जिन वस्तुओं से दूसरों को कष्ट होता है उनसे लोग अपना मनोरंजन कैसे कर लेते हैं। इसी प्रकार जब हम कुछ निर्दय शैतान लडकों को अधचिरी खपच्ची में कुत्ते की दुम दबाकर प्रसन्न होते देखते हैं तब हमें यह अच्छा नहीं लगता और समझ में नहीं आता कि ऐसी शरारत में लडकों को क्या मजा आता है ?

तब फिर क्या कारण है कि अपने इन आमोद-प्रमोदों में हम अंधे बन जाते हैं और उस चिरी खपच्ची को नहीं देख पाते जिससे हम उन लोगों की द्रुम को दबाते हैं जो हमारे मनोविनोद के कारण पीडा पाते हैं ?

डेढ-डेढ सौ रूबल की कीमती पोशाक पहने, गान से गाडी में बैठे हुए नाच में जानेवाली इन स्त्रियो में से एक भी ऐसी नहीं जिसका जन्म नाचघर या किसी फौजनेविल पोशाक बनानेवाली के घर में हुआ हो। उनमें से प्रत्येक देहात में रह चुकी है, किसानो से परिचित है और जानती है कि उसकी अपनी धाया अथवा अगरक्षिका के बाप-भाई गरीब है और उनके लम्बे तथा परिश्रमी जीवन की साध ही यह है कि वे किसी तरह डेढ सौ रूबल बचाकर एक झोपडा बनालें। वह इन सब बातों को जानती है। तो फिर वह कैसे आनन्द मना सकती है जब कि उसे पता है कि उसने अपने अर्द्धनग्न शरीर पर वह झोपडा पहन रखा है जो उसकी अच्छी दासी के भाई के जीवन का स्वप्न है ? मानलो कि उसका ध्यान इस बात की ओर गया ही नहीं। फिर भी, यह तो उसे मालूम ही होना चाहिए कि मखमल, रेगम, मिठाइया, फूल, लैस और पोशाकें अपने-आप पैदा नहीं होती, बल्कि मनुष्यो द्वारा ही बनाई जाती हैं। माथ-ही-साथ उसे इस बात का भी ज्ञान होना अनिवार्य है कि इन वस्तुओं को कैसे आदमी बनाते हैं, किस स्थिति में बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। वह इस बात से भी अनभिज्ञ नहीं हो सकती कि जिस दर्जिन को उसने डाटा था उसने उसके कपडे प्रेमवश नहीं बल्कि विवश होकर ही लिए हैं और इसी प्रकार लैस, फूल और मखमल को भी लोगो ने अपनी आवश्यकताओं से वाध्य होने पर ही बनाया है। किन्तु कदाचित्त उसकी आखें इतनी घुबली हो गई हैं कि वह इतनी स्पष्ट बातें भी नहीं देख पाती। फिर भी वह यह जाने बिना कैसे रह सकती है कि उसके कारण पांच-छ. आदमियो—बूढे, भले और प्रायः दुर्बल दरवानो और नौकरानियो—को नीद नहीं नसीब हुई है और वे कपट उठा रहे हैं ? उसने उनके क्लान्त, निष्प्रभ चेहरे तो देखे ही हैं। उसे यह तो मालूम ही है कि रात बड़े जोरो का पाला पड रहा था और उस पाले में बूढा कोचवान सारी रात कोचबक्स पर बैठा रहा था। किन्तु मैं जानता

हूँ कि रंगरलिया मनानेवाली ये स्त्रिया सचमुच ही इन बातों पर ध्यान नहीं देती और यदि नाच की मोह-निद्रा के कारण विवाहित युवतिया और कुमारिया यह सब नहीं देख पाती तो उन्हें दोषी नहीं समझना चाहिए। वे बेचारी तो बही करती हैं जो उनके बड़े-बूढ़े उनके लिए ठीक समझते हैं। किंतु क्या कोई बता सकता है कि इन बड़े-बूढ़ों की निर्दयता का रहस्य क्या है ?

बड़े-बूढ़े तो सदा एक ही उत्तर देते हैं। वे कहते हैं—“हम किसी को विवश नहीं करते। हम तो सारी चीजें पैसे देकर खरीदते हैं और पैसे देकर ही दासियों व कोचवानों से काम कराते हैं; खरीदने और भाड़े पर आदमियों को रखने में कोई बुराई नहीं; हम किसीको मजबूर नहीं करते, हम तो उनको भाड़े पर रखते हैं; इसमें बुराई क्या है ?”

कुछ दिन हुए मैं अपने एक परिचित से मिलने गया। पहले कमरे से गुजरते समय मैं मेज के पास दो स्त्रियों को बैठे देखकर अचम्भे में रह गया, क्योंकि मैं जानता था कि वह आदमी अविवाहित है। ३० साल की एक दुबली-पतली पीले रंग की बूढ़ी-सी स्त्री सिर पर रूमाल बांधे मेज के नीचे अपने हाथों और अंगुलियों से जल्दी-जल्दी कुछ कर रही थी और इस तरह झटके के साथ हिल रही थी जैसे उसे कोई दौरा आ रहा हो। उसके पास ही एक छोटी लडकी बैठी थी। वह भी कुछ काम कर रही और उसी प्रकार हिल रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि दोनों-की-दोनों धनुषकार रोग से पीड़ित हैं। मैंने उनके पास जाकर देखा कि वे क्या कर रही हैं ? उन्होंने मुझपर दृष्टि डाली और फिर वे उसी तन्मयता के साथ अपने काम में लग गईं। उनके सामने तमाखू और सिगरेट के कागजों का ढेर था। वे सिगरेटें बना रही थीं। औरत तमाखू को हाथों से मलकर मशीन से कागज के खोल में दवाती और लडकी की तरफ फेंक देती थी। लडकी सिगरेट पर कागज लपेटती और उसमें एक डाट-सी वस्तु ठूसने के बाद उसे एक तरफ फेंक देती थी और फिर दूसरी सिगरेट ले लेती थी। यह काम इतनी तेजी से और एकाग्रता के साथ हो रहा था कि जिसने स्वयं

अपनी आंखों से न देखा हो उसे वर्णन द्वारा समझाना असम्भव है। मैंने उनकी तेजी पर आश्चर्य प्रकट किया, जिसके उत्तर में औरत ने कहा—“चौदह वर्ष से यही करती आ रही हूँ।”

“क्या कुछ मुश्किल काम है?”

“हां, छाती दुखती और दम घुटने लगता है।”

सच पूछिए तो उसे यह कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। यह तो उसपर और उस छोटी लड़की पर दृष्टि डालते ही पता चल जाता था। लड़की दो वर्ष से यह काम कर रही थी और उसको काम करते देखकर कोई भी कह सकता था कि हृष्टपुष्ट होते हुए भी उसका स्वास्थ्य अब गिरने लगा है। मेरा मित्र एक दयालु और उदार-हृदय पुरुष था। उसने उन्हें सिगरेट बनाने के लिए नौकर रख छोड़ा था और एक हजार सिगरेट बनाने के लिए २ रुबल ५० कोपेक दिया करता था। उसके पास रुपया है, जो वह उन्हें काम कराकर देता है। इसमें क्या बुराई है? वह लगभग १२ बजे सोकर उठता है, शाम के छ बजे से रात के २ बजे तक ताश खेलता या पियानो बजाता है, स्वादिष्ट भोजन और मिठाइया उड़ाता है और दूसरे लोग उसके लिए सब काम करते हैं। उसने अब एक नया शौक पैदा कर लिया है—सिगरेट पीना। मुझे याद है कि उसे यह लत कब पडी थी।

हम अपने सामने एक स्त्री और एक लड़की का उदाहरण देखते हैं, जो अपने को मशीन बनाकर भी कठिनाई से गुजारा भर कर पाती है जो अपना सारा जीवन तमाखू की ही सांस लेने में बिता देती है और इस प्रकार अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर लेती है। दूसरी ओर हमारे मित्र का उदाहरण है। उसके पास धन है, जो उसने स्वयं नहीं कमाया है और वह अपने हाथों सिगरेट बनाने की अपेक्षा ताश खेलना अधिक पसंद करता है। वह इन स्त्रियों को इसी शर्त पर रुपया देता है कि वे उसके लिए सिगरेटें बनाती रहे और इसी प्रकार सदा दयनीय जीवन बिताती रहें।

मैं सफाई-पसंद हूँ और अपना रुपया एक घोबिन को केवल इस शर्त पर देता हूँ कि वह मेरे उन कपड़ों को घोया करे जिन्हें मैं दिन में दो

भार बदलता हू। इसी काम में उस बेचारी की सारी शक्ति खप गई और वह मर गई।

“इसमें बुराई क्या है ? लोग तो खरीदारी और दूसरो को नौकर रखने का काम करते ही रहेंगे; मैं चाहे करू या न करू। लोग तो दूसरो से मखमल और मिठाइया बनवाते और खरीदते ही रहेंगे, मैं चाहे ऐसा न भी करूं। तो फिर जब ऐसी ही व्यवस्था है तो मैं ही क्यों अपने को मखमल, मिठाई, सिगरेट और सफेद कपडो से वंचित रखू ?”—प्राय, या यो कहिए कि करीब-करीब हमेशा, मैं यही तर्क सुना करता हू। यह वैसा ही तर्क है जैसा विनाश करने पर तुली हुई कोई उन्मत्त भीड़ किया करती है। ऐसे ही तर्क से प्रेरित होकर एक कुत्ता दूसरे कुत्ते पर आक्रमण करता है और उसे मार गिराता है और उसके झुंड के दूसरे कुत्ते उसपर झपटकर उसके टुकड़े-टुकड़े कर डालते हैं। “जब एक बार ऐसी व्यवस्था आरम्भ हो गई है और उसके फलस्वरूप दूसरो को कुछ क्षति भी हो चुकी है तो मैं भी उसमें हिस्सा क्यों न लू ? इससे क्या लाभ कि मैं गद्दी कमीज पहनू और अपने लिए स्वयं सिगरेटें बनाऊ ? क्या इससे किसीको कुछ लाभ होगा ?” ऐसे प्रश्न लोग अपनी सफाई देते हुए करते हैं। यदि हम सत्य से इतनी दूर न जा पडे होते तो ऐसे प्रश्न का उत्तर देते हुए भी हमें लज्जा आती, किंतु हम इतने चक्करो में फसे हुए हैं कि यह प्रश्न हमको स्वाभाविक जान पडता है और यद्यपि इसका उत्तर देने में लज्जा आती है तथापि उत्तर देना अनिवार्य है।

यदि मैं अपने कपडे प्रतिदिन न बदलकर हफते भर वाद बदलू और अपनी सिगरेटें अपने आप बनालू या सिगरेट पीना भी छोड दू तो क्या अतर पडेगा ?

अतर यह पडेगा कि कुछ घोविनो और कुछ सिगरेट बनानेवालो को अपनी शक्ति का क्षय कम करना पडेगा और जो रुपया मैं पहले धुलाई या सिगरेट बनाई के रूप में देता वही रुपया अब मैं उस घोविन या किसी दूसरी घोविन को और उन मजदूरो को दे सकता हू जो काम करते-करते थक गए हैं और जो अब अपनी सामर्थ्य से अधिक काम करने की बजाय आराम कर सकते हैं और चाय पी सकते हैं। किंतु

अमीर और आरामनलव लोग अपनी स्थिति को नमझने के लिए इनके कम इच्छुक हैं कि वे इसका भी उत्तर देते हैं। वे कहते हैं—“यदि मैं गंदे कपड़े पहनूँ, मिगरेट पीना बन्द कर दूँ और इनपर खर्च होनेवाला रुपया गरीबों को दे दूँ तो भी वह रुपया उनके पास रहेगा नहीं, मव कुछ उनसे छीन लिया जायगा और मागर में एक बूंद के नमान मेरे रुपए में होगा भी क्या ?”

इन उत्तर का प्रत्युत्तर देते हुए और भी लज्जा आनी है, किन्तु प्रत्युत्तर तो देना ही होगा। यह तर्क एक बहुत ही प्रचलित तर्क है और इसका उत्तर भी बहुत सीधा है।

यदि मैं जंगलियों के यहां जाऊँ और वे लोग मुझे स्वादिष्ट मांस खाने को दें और दूसरे दिन मुझे मालूम हो जाय या कदाचित्त मैं स्वयं देख लूँ कि वह स्वादिष्ट मांस एक कौड़ी को मारकर तैयार किया गया था तो—यदि मैं मनुष्य का मांस खाना पसंद नहीं करता—मैं उमे फिर से कदापि नहीं खाऊंगा, चाहे वह कितना ही स्वादिष्ट क्यों न हो, चाहे उन लोगों में, जिनके साथ मैं ठहरा हुआ हूँ, मनुष्य का मांस खाने की कितनी ही अविक प्रथा क्यों न हो और चाहे मेरे अस्वीकार करने में खाने के काम में लाए जानेवाले कौड़ियों को कितना ही कम लाभ क्यों न पहुंचे। सम्भव है कि भूख से लाचार होकर मैं कदाचित्त मनुष्य का मांस भी खालूँ, किन्तु मनुष्य के मांस की दावत मुझे किसी और को नहीं देनी चाहिए, न ऐसी दावतों में हिस्सा लेना चाहिए, न उनके लिए लार टपकानी चाहिए और न उनमें हिस्सा लेने पर गर्व ही प्रकट करना चाहिए।

: २५ :

## हम देखते और देखकर समझते क्यों नहीं ?

“तो फिर हम क्या करें ? यह सब हमने तो किया नहीं है।” —लेकिन हमने नहीं तो फिर किसने किया है ? हम कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया; यह तो अपने-आप हो गया। यह बात तो ऐसी ही है जैसे कोई बच्चा किमी चीज को तोड़कर कहे कि वह तो आप-से-आप टूट गई।

हम कहते हैं कि अब जब कि शहरो का निर्माण हो चुका है हम लोग, जो उनमें रहते हैं, मजदूरो के श्रम को खरीदकर उनका पालन-पोषण करते हैं ।

किंतु यह बात सच नहीं है । समझने के लिए हमें केवल यह सोचने भर की आवश्यकता है कि हम देहात में किस तरह से रहते हैं और वहा लोगो का भरण-पोषण कैसे होता है ?

सर्दी समाप्त होती है और ईस्टर आता है । शहरो में अमीरो के वे ही राग-रग जारी हैं । घाटो पर, नदियो पर, उपवनो में, पार्को में, जहा देखो वही गाना-बजाना, थियेटर-तमाशा, घुडदौड, आतिशवाजी और रोशनी का दौरदौरा है । किंतु देहातो में इससे भी अच्छा है । वहाकी वायु अधिक शुद्ध और वहांके वृक्ष, मैदान और फूल ज्यादा ताजे हैं । जहा कलिया खिल रही है और जहा फूल लहलहा रहे हैं वहा अवश्य चलना चाहिए; यह सोचकर बहुत-से धनी-मानी दूसरो के श्रम का उपभोग कर शुद्ध वायु का सेवन करने और हरे-भरे मैदानो तथा जगलो का मजा लूटने देहात आते हैं । वहा वे उन गंवार किसानो के बीच जा बसते हैं जो बाजरे की रोटी और प्याज के टुकडे खाकर जीवन बिताते हैं, जो दिन में अट्ठारह-अट्ठारह घंटे काम करते हैं, जो रात को पूरी नीद नहीं सो पाते और फटे-चीथड़े लपेटे रहते हैं । कम-से-कम यहा उनके लिए प्रलोभन की कोई वस्तु नहीं है; न कल-कारखाने हैं और न बेकार लोग, जिनकी शहरो में बहुलता होती है और जिनके विषय में कहा जाता है कि काम देकर हम उनका भरण-पोषण करते हैं । यहां तो सारी गरमियो लोगो को इतना काम रहता है कि वे उससे पार नहीं पाते । बेकार रहना तो दूर, यहा तो श्रमिको के अभाव के कारण बहुत-सा माल नष्ट हो जाता है और बहुत-से स्त्री-पुरुष, बहुत-से बच्चे-बूढे, बहुत-सी बच्चोवाली स्त्रिया शक्ति से अधिक काम करने के कारण इस दुनिया से चल बसती हैं ।

यहा आकर धनी लोग अपने जीवन की कैसी व्यवस्था करते हैं ? क्यो इसमें पूछने की क्या बात है ? सुनिए, वे अपनी व्यवस्था इस प्रकार करते हैं—वहा यदि दास-प्रथा के दिनो का बना हुआ कोई पुराना

मकान हुआ तो उसे नया रूप-रंग प्रदान किया जाता है और सजाया जाता है और यदि कोई पुराना मकान न हुआ तो दो या तीन मजिलो का एक नया मकान बनवाया जाता है जिसमे लगभग १४ फुट ऊंचे १२ से लेकर २० तक या और भी अधिक कमरे होते हैं। अच्छे चिकने फर्श बनवाए जाते हैं, खिड़कियो में बड़े-बड़े शीशे लगवाए जाते हैं, बहुमूल्य गलीचे बिछवाए जाते हैं, बढिया फर्नीचर लगवाया जाता है और २०० से लेकर ६०० रुबल तक की आलमारी लाई जाती है। मकान के पास सडक पर ककड पिटवाई जाती है, जमीन बराबर करवाई जाती है, फुलवारिया लगवाई जाती है, कूद-फाद के यत्र खडे किए जाते हैं, चमकदार लट्टू लटकवाए जाते हैं और प्राय कोमल वनस्पतियो के रक्षा-गृह, ग्रीष्म भवन और ऊंचे-ऊंचे अस्तबल बनवाए जाते हैं और वे खूब अच्छी तरह सजवाए जाते हैं। मकान में चारो ओर तैलरगो के चित्र बनवाए जाते हैं और इन रगो में वह तेल खर्च किया जाता है जो बूढे किसानो और बच्चो को खाने के साथ मयस्सर नही होता। यदि किसीके पास इतना धन होता है तो वह इस प्रकार का मकान बनवाकर उसमें जा बसता है, किंतु यदि उसकी थैली इतनी भारी नही होती तो वह मकान किराए पर ले लेता है। संक्षेप यह कि हमारे वर्ग का आदमी चाहे कितना ही निर्धन और उदार क्यों न हो, वह जब देहात में जाकर रहता है तो ऐसे मकान में रहता है जिसको बनाने और साफ रखने के लिए दर्जनो मजदूर गाव से लेने पडते हैं— उस गाव से, जहा उन्हें अपनी रोजी के लिए अनाज पैदा करने का ही काम इतना रहता है कि वे उसे पूरा नही कर पाते।

कम-से-कम देहात में कोई यह नही कह सकता कि यहा तो कल-कारखाने पहले से ही है, मैं उनका उपयोग करू या न करू इससे कोई अतर नही पडेगा। यहा कोई यह भी नही कह सकता कि मैं बेकारो का भरण-पोषण करता हू। यहा तो हमें जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है उसके उत्पादन की व्यवस्था हम बिना किसी रोकटोक के कर लेते हैं और अपने आसपास रहनेवालो की आवश्यकताओ से लाभ उठाकर उन्हें उन कामो से अलग कर देते हैं जो उनके, हमारे और सबके



लिए आवश्यक है। इस तरह कुछ मजदूरों का तो हम मस्तिष्क विकृत कर देते हैं और शेष का जीवन और स्वास्थ्य नष्ट कर डालते हैं।

मान लीजिए कि किसी उच्च वर्ग या सरकारी कर्मचारियों का एक शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार गाव में रहता है। जून के मध्य में पढाई और परीक्षाएँ समाप्त करने के बाद परिवार के सब लोग और उनके मेहमान भी आकर इकट्ठे होते हैं और वहाँ सितम्बर मास तक रहते हैं। दूसरे शब्दों में यो कहिए कि वे वहाँ फसल की नराई आरम्भ होने पर आते हैं और उस फसल के समाप्त होने तथा सर्दियों की फसल बोए जाने के समय तक रहते हैं। ये सब वहाँ साल के आवश्यक कार्य के मौसम के आरम्भ होने के समय से लेकर उसका अंत होने तक तो नहीं—क्योंकि सितम्बर में सर्दियों की फसल की बूवाई और आलू की खुदाई जारी रहती है—लेकिन हा, काम के हलका पडने तक गाव में रहते हैं।

ये लोग जबतक गाव में रहते हैं तबतक उनके चारों तरफ किसानों का गरम मौसम का काम चलता रहता है। इस काम में जो परिश्रम करना पड़ता है उसके बारे में हमने चाहे कितना ही सुन और पढ क्यों न रखा हो और चाहे कितना ही देख भी क्यों न रखा हो, उसका वास्तविक अनुमान हम उस समय तक नहीं लगा सकते जबतक कि हम उसे स्वयं अपने हाथों से न करें।

धनाढ्य परिवार के ये लोग, जिनकी सख्या मान लीजिए दस या बारह होती है, यहाँ शहरों की ही भाँति या यदि सम्भव हुआ तो उससे भी बुरे ढंग से जीवन बिताते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि देहात में तो लोग आराम करने आते हैं। इसीलिए यहाँ उनके लिए कोई काम-धाम नहीं होता और न काहिली को छिपाने के लिए किसी वहाने की आवश्यकता होती है।

पिन्नोक्र-उपवास<sup>१</sup> के दिनों में जबकि किसान लोग केवल क्वास<sup>२</sup>,

१ यह उपवास ईस्टर के बाद नवे सप्ताह से आरम्भ होकर २९ जून तक चलता है।

२ एक प्रकार का रूसी पेय।

राई की रोटी और प्याज लेते हैं, नराने का काम आरम्भ होता है। गाव में रहनेवाले भद्र नागरिक इस काम को देखते हैं। कुछ सीमा तक वे उसके लिए आदेश देते हैं, कुछ सीमा तक वे उसे पसन्द करते हैं और मुरझाई हुई सूखी घास की गुंगंव, स्त्रियों के गीतों, हसियों के चलने की आवाज, काटनेवालों की कतार और स्त्रियों के घास बराबर करने के ढंग से उन्हें प्रसन्नता होती है। यह सब आनन्द उन्हें अपने घर के पास ही मिल जाता है और फिर वाद में दिन भर बेकार पड़े रहने के बाद नवयुवक और बालक स्नान के लिए सौ-दो सौ गज की दूरी भी गाड़ी में सवार होकर पार करते हैं।

घास मुझाने का काम दुनिया के सबसे अधिक महत्वपूर्ण कामों में से है। प्रायः प्रति वर्ष मजदूरो और समय की कमी के कारण कटाई पूरी होने से पहले ही वर्षा से मैदानों के भीग जाने का भय रहता है। गेप बची हुई २० प्रतिशत या इससे भी अधिक घास राष्ट्रीय सम्पत्ति का रूप ग्रहण करे या योंही खड़ी-खड़ी सड़कर नष्ट हो जाय, यह बात काम के अधिक या कम होने पर निर्भर करती है। यदि अधिक घास काटी जा सके तो बूढ़ों को अधिक मास और बच्चों को अधिक दूध मिल सकता है। साधारणतः यह बात समीचे लिए होती है। किंतु विगेष रूप से किसानों के लिए तो उन्हीं दिनों इस प्रश्न का निर्णय हो जाता है कि उन्हें तथा उनके बच्चों को रोटी या दूध उपलब्ध होगा या नहीं। इस बात को प्रत्येक व्यक्ति जानना है; यहां तक कि बच्चों को भी यह पता है कि यह काम बड़ा महत्वपूर्ण है और हर आदमी को अपनी पूर्ण सामर्थ्य के साथ काम करना चाहिए। इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर बच्चे-क्वास का वर्तन खेत में पिता के पास ले जाते हैं। उन भारी बर्तन को कभी एक और कभी दूसरे हाथ में लिये हुए बच्चे गाव से डेढ़ मील नंगे पांव तेज-से-तेज भागे चले जाते हैं, ताकि खाने में देर न हो और वाप की झिड़कियां न मुननी पड़ें। हर एक आदमी जानता है कि घास की कटाई के समय से लेकर फसल के घर में पहुंचने तक काम का झिलसिला टूट नहीं सकता और एक मिनट का भी आराम सम्भव नहीं। काम केवल कटाई का ही नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को

इसके अलावा दूसरे काम भी करने पड़ते हैं। खेत को जोतने और बराबर करने की आवश्यकता होती है। स्त्रियों को कपड़े धोने, रोटी बनाने और वर्तन मांजने का काम करना पड़ता है। पुरुषों को भाग-भागकर कारखाने और नगर में जाना पड़ता है, ग्राम के साम्प्रदायिक मामलों की देखभाल करनी पड़ती है, अदालतों में जाना, गाव के पुलिस अफसर से मिलना, गाड़ी चलाना और रात को घोड़ों को खिलाना पड़ता है। बूढ़े, जवान, बीमार—सभी शक्ति भर काम करते हैं। किसान लोग इतनी मेहनत करते हैं कि दिन का काम समाप्त होते-होते दुर्बल, बच्चे, बूढ़े और जीर्ण-शीर्ण लोग बड़ी कठिनाई से अन्तिम कतार काट पाते हैं और इतने थक जाते हैं कि सुस्ताने के बाद फिर उनका उठना दूभर हो जाता है। इसी प्रकार स्त्रियां भी काम करती हैं, यद्यपि वे अक्सर गर्भवती और बच्चेवाली होती हैं।

काम बड़ा कठोर होता है और लगातार होता रहता है। सब लोग पूरी सामर्थ्य लगाकर काम करते हैं और इस बीच उन्हें जो थोड़ा-बहुत अन्न मिलता है उसे ही नहीं बल्कि पहले का बचा हुआ अन्न भी खा-पी डालते हैं। मोटे और तगड़े तो वे वैसे भी कभी नहीं होते; इधर फसल का कार्य समाप्त करते-करते वे और भी दुर्बल हो जाते हैं।

देखिए, एक छोटी-सी टोली कटाई का काम कर रही है। तीन किसान हैं—एक बूढ़ा है, दूसरा उसका नवयुवक विवाहित भतीजा और तीसरा एक मोची, जिसका हृष्टपुष्ट पुट्टेदार शरीर है और जो किसीके घर नौकर रह चुका है। सूखी घास की यह कटाई आगामी जाड़ों के लिए उनके भाग्य का निर्णय करेगी और यह बतायगी कि वे गाय रख सकेंगे या नहीं और कर चुका सकेंगे या नहीं। निरंतर कार्य करते हुए उन्हें दो सप्ताह हो चुके हैं। बीच में वर्षा के कारण उनके काम में कुछ बाधा पड़ गई है। वर्षा बंद होने और हवा से घास के सूख जाने पर वे काम को शीघ्र-से-शीघ्र समाप्त करने का निर्णय करते हैं और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ दो स्त्रियों को भी काम पर लगाने का निश्चय करता है। बूढ़े के साथ उसकी स्त्री आती है जिमकी उम्र पचास वर्ष की है और जो बहुत काम करने और ११ बच्चों को

जन्म देने के कारण शिथिल पड़ गई है। वह बहरी भी है, किन्तु अभी काम अच्छा-खासा कर लेती है। उसके साथ उसकी १३ वर्ष की लड़की भी आती है, जो छोटी लेकिन तेज और मजबूत है। भतीजे के साथ उसकी स्त्री आती है, जो किसी भी पुरुष के समान मजबूत और लम्बी है। उसके साथ उसकी साली भी आती है, जो एक सिपाही की स्त्री है और गर्भवती है। मोची के साथ उसकी स्त्री और सास आती है। उसकी स्त्री बहुत अच्छा काम करती है और उसकी सास ८० वर्ष की एक बुढ़िया है, जो अक्सर भीख मागा करती है। कमर कसकर वे एक साथ काम पर जुट जाते हैं और जून की जलती हुई धूप में सवेरे से शाम तक काम करते हैं। कभी-कभी बादल आते हैं और वर्षा का भय होने लगता है। काम का हर घटा कीमती है। पानी या ब्यास लाने में जो समय लगता है वह तक उन्हें अखरता है।

एक छोटा लड़का, जो बुढ़िया का पोता है, सबके पीने के लिए पानी लाता है। स्पष्टतः बुढ़िया को इस बात की बड़ी चिंता है कि काम रुकने न पाए, इसीलिए वह हेंगी को हाथ से नहीं छोड़ती, यद्यपि उसका शरीर इतना थक चुका है कि चेप्टा करने पर भी वह कठिनाई से चल-फिर पाती है। कमर तक झुका हुआ वह छोटा लड़का नगे पैरो छोटे-छोटे कदम रखता अपने से भी भारी पानी का बर्तन कभी एक हाथ से और कभी दूसरे हाथ से सम्हालता हुआ लाता है। लड़की भी अपने से भारी घास का गट्ठर सिर पर रखकर ले जाती है। वह दो-चार कदम चलती है, रुक जाती है और बोझ आगे न ले चल सकने के कारण गट्ठर उठाकर फेंक देती है। ८० साल की वह बुढ़िया लगातार हेगी से घास इकट्ठा कर रही है, उसके सिर का रूमाल खिसककर एक ओर हो गया है और वह हाफती-लडखडाती हुई घास का गट्ठर खींचकर ले जाती है। ८० वर्ष की बुढ़िया हेगी से घास इकट्ठा करने के सिवा और कुछ नहीं करती, लेकिन यह भी उसकी सामर्थ्य से बाहर है। चटाई के जूते पहने वह धीरे-धीरे पैर को घसीटती चलती है और सिकुड़ी हुई भीहो से अपने सामने इतनी मलिनता के साथ देखती है मानो किसी भयंकर रोग से पीडित या मरनेवाली है। बूढ़ा

उसे जानबूझकर दूसरो से दूर घास के ढेर के पास काम करने के लिए भेजता है, ताकि उसको उनके बराबर काम न करना पड़े। किंतु वह रुकती नहीं और वही काल-जैसी मलिन मुद्रा बनाए दूसरो के बराबर ही काम करती रहती है।

सूरज वृक्षो के पीछे डूबने लगा है, किंतु अभीतक घास के सारे गट्ठर नहीं हटाए जा सके हैं और अभी बहुत काम शेष है। अनुभव तो सब लोग करते हैं कि काम बंद करने का समय हो गया, किंतु बोलता कोई नहीं; सब एक-दूसरे के काम बंद करने की प्रतीक्षा में है। अतत मोची, यह देखकर कि अब उसमें काम करने की शक्ति नहीं रह गई, बूढ़े से प्रस्ताव करता है कि बाकी काम कल के लिए छोड़ दिया जाय। बूढ़ा इससे सहमत हो जाता है और स्त्रिया तत्काल कपड़े, पानी के बर्तन, काटे आदि उठाने दौड़ती है और बुडिया जहा खड़ी थी वही घम से बैठ जाती है और फिर उसी मृत्यु-जैसे मलिन चेहरे से ठीक सामने देखती हुई लेट जाती है। किंतु अन्य स्त्रिया जाने लगती है, इसीलिए वह भी कराहती हुई उठती है और उनके पीछे-पीछे घिसटती हुई चलने लगती है।

अब जरा जमीदार के मकान पर दृष्टि दौड़ाए। उसी सन्ध्या को जब गाव की ओर से खेतों से लौटते हुए थके-मादे घसियारों के कन्धों पर लटकती हुई सिलिलियों की ठनठनाहट, हसियों के फलकों में पड़े हुए गड्डों को सीधा करते हुए हथौड़ों की चोट और उन स्त्रियों तथा लडकियों के शोर की ध्वनि सुनाई देती है जो अभी-अभी हसिए को पटककर चौपायों को लेने के लिए दौड़ी जा रही है, ठीक उसी समय जमीदार के मकान से दूसरे प्रकार की आवाजें आ रही हैं—'द्रिन-द्रिन-द्रिन' पियानो बज रहा है; किसी हंगेरियन गाने की तान गूज रही है और बीच-बीच में लकड़ी की गेद को लकड़ी के बल्ले से मारने की आवाज आ रही है। अस्तबल के पास चार हृष्टपुष्ट घोड़ों की किराए की एक सुन्दर गाड़ी खड़ी है।

इस गाड़ी में कुछ मेहमान दस रूबल किराया देकर दस मील से आए हैं। बस में जुते हुए घोड़े गर्दन हिलाहिलाकर अपनी घटिया बजा

रहे हैं। उनके सामने सूखी घास पडी हुई है, जिसे वे खुरो से रौद-रौदकर इधर-उधर फँला रहे हैं—यह वही घास है जो खेतों में इतने परिश्रम से इकट्ठी की जाती है। जमींदार के मकान में चहल-पहल हो रही है—एक स्वस्थ, हृष्टपुष्ट युवक—जो दरवानी के पुरस्कार में मिली हुई लाल कमीज पहने हुए है—कोचवानों को पुकारकर घोड़ों पर जीन कसने के लिए कह रहा है। दो किसान, जो वहाँ कोचवानी का काम करते हैं, अपने कमरे से बाहर आते हैं और साहबलोगों के लिए मजे-मजे घोड़े कसने जाते हैं।

मकान के और पास जाने पर एक दूसरे पियानों की आवाज सुनाई देती है। संगीतालय की एक नवयुवती विद्यार्थिनी, जो लडकों को संगीत सिखाने के लिए वही रहती है, एक प्रसिद्ध राग का अभ्यास कर रही है। दोनों पियानों की स्वर-लहरिया एक दूसरे से टकरा रही हैं। मकान के पास ही दो नर्सें जा रही हैं—उनमें से एक युवती है और दूसरी वृद्धा। वे बच्चों को सुलाने ले जा रही हैं—ये बच्चे उतने ही बड़े हैं जितने वे छोकरे जो पानी के बर्तन गाव से खेत दौड़ते हुए ले गए थे। एक नर्स अंग्रेज है और रूसी भाषा नहीं बोल सकती। वह इंग्लैण्ड से विशेष रूप से बुलाई गई है—इसलिए नहीं कि वह अपनी किसी योग्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसलिए कि वह रूसी भाषा नहीं जानती। इनसे थोड़ी दूर पर एक किसान दो औरतों के साथ मकान के पास की फुलवारी सींच रहा है। वही एक और आदमी कुंजर साहब की बन्दूक साफ कर रहा है।

और इधर देखिए, दो स्त्रियाँ धुले हुए कपड़ों की एक टोकरी लिये जा रही हैं। इन्होंने इन वावूसाहबों और उनके अंग्रेज व फ्रांसीसी अध्यापकों के कपड़े धोए हैं। दो स्त्रियों को चीनी के जूठे बर्तनों को माजने से ही फुसंत नहीं मिल पा रही है। सफेद कोंट पहने हुए दो किसान नीचे-ऊपर दौड़-दौड़कर कॉफी, चाय, शराब तथा सेल्जर-पानी\*

---

\* जर्मनी के सेल्जर नामक स्थान का पानी, जिसमें अनेक प्राकृतिक औषधि-गुण होते हैं।

पिला रहे है। मेज पर खाना रखा हुआ है। साहबलोग अभी-अभी खाना खाकर उठे है। अभी थोड़ी देर बाद वे फिर खाने बैठेंगे और आधीरात तक या रात के तीन बजे तक या, जैसा कि प्राय होता है, सवेरे तड़के तक खाते रहेंगे।

इनमें से कुछ लोग बैठे-बैठे सिगरेट पी रहे हैं और ताश खेल रहे हैं। कुछ लोग सिगरेट का धुआ उड़ाते हुए उदारवाद (Liberalism) की चर्चा कर रहे हैं; दूसरे लोग घूम-फिर रहे हैं, खा रहे हैं, सिगरेट उड़ा रहे हैं और जी न लगने पर घोडागाडी पर सवार हो टहलने जाने का निश्चय करते हैं। इन भद्र स्त्री-पुरुषो की सख्या कुल मिलाकर पन्द्रह के लगभग है। वे सभी स्वस्थ है और उनकी सेवा में तीस हूण्ट-पुण्ट स्त्री-पुरुष लगे हुए है।

और यह सब उस देहात में हो रहा है, जहाका एक-एक क्षण और एक-एक व्यक्ति बहुमूल्य है। यही दशा जुलाई में भी रहेगी जबकि किसान लोग जी को खराब न होने देने के लिए नीद हराम करके रात-रात भर कटाई करेंगे, जब स्त्रिया मुह-अधेरे ही उठकर गट्ठर वाघने के लिए पुआल कूटेंगी, जब फसल के काम से विलकुल थककर वह बुढिया, वह बच्चो की मा और वे छोटे-छोटे लडके खूब कस-कसकर बूते से बाहर काम करेंगे और अत्यधिक पानी पीने के कारण बीमार हो जायगे, जब नाज को गोदाम तक उठाकर लाने के लिए आदमियो, घोडो और गाडियो की कमी पड़ जायगी—उसी नाज को, जिससे सबका पेट भरता है और जिसकी लाखो मन के परिणाम में प्रतिदिन रूस में आवश्यकता होती है ताकि वहा के लोग भूखो न मरे। उस समय भी इन भद्र लोगो का वही ढर्रा रहेगा, थियेटर-तमाशो, सैर-शिकार, खाने-पीने, पियानो बजाने, नाचने-गाने आदि का वही अनत सिलसिला चलता रहेगा।

यहा हम घनी लोग यह वहाना नही बना सकते कि ऐसा तो सदा ही होता है, किसी बात की पहले से तैयारी थोड़े ही की गई थी ? यहां अत्यधिक भार से झुके हुए किसानो से उनका अनाज और श्रम लेकर स्वय हमलोग वडी चतुराई से इस प्रकार की जीवन-पद्धति की व्यवस्था करते है। हम इस प्रकार जीवनयापन करते है मानो उस मरती हुई

घोविन, उस पन्द्रह वर्षीया वेश्या, उस सिगरेट बनाते-बनाते थकी हुई स्त्री और अपने आसपास की उन बुढ़ियों और बच्चों से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं, जो कठोर श्रम के कारण क्लान्त हो गए हैं और जिन्हे भर पेट रोटी नहीं मिलती। हमलोग भोग-विलास में कुछ इस प्रकार लिप्त रहते हैं मानो ऐसी बातों का हमारे जीवन से कोई सम्बन्ध ही न हो। हम आखे खोलकर यह देखना नहीं चाहते कि यदि हमारा जीवन इतना आलस्यपूर्ण, विलासमय और पतित न होता तो मजदूरों और किसानों को इतना कड़ा परिश्रम न करना पड़ता। हम यह भी समझने की चेष्टा नहीं करते कि हम जैसा जीवन बिताना चाहते हैं वह निर्धनों के कठोर श्रम के बिना असम्भव है। हम लोग सोचते हैं कि उनकी यत्रणाएँ हमारे जीवन से विलकुल भिन्न हैं और हमारा वर्तमान जीवन हस की तरह निर्मल और पवित्र है।

हम रोमनों के जीवन-वृत्त पढते हैं और उन निर्दय धनाढ्यों के अमानुषिक व्यवहार पर आश्चर्य प्रकट करते हैं जो स्वयं तो बढिया-बढिया भोजन करते थे और कीमती-कीमती शरावे पीते थे, जबकि जन-साधारण भूख से तडप-तडप कर मरते थे। इसी तरह हम सिर हिलाकर अनेक दास-दासी रखनेवाले अपने उन पूर्वजों के जगलीपन पर विस्मय करते हैं जो धरेलू सगीत और नाटक-मडलियों का सगठन किया करते थे और अपने उपवनो की देखभाल के लिए पूरे गांव के गाव लिख देते थे। हमलोग अपनी मानवता के उच्च शिखर पर बैठे हुए उनपर आश्चर्य प्रकट करते हैं।

इसैया के पाचवे प्रकरण में हम निम्नलिखित वाक्य पढते हैं —

८—“धिक्कार है उन लोगों को जो इस भय से कि वे ससार के मध्य अकेले ही न रह जाय, मकान-से-मकान और खेत-से-खेत जोडते चले जाते हैं और ऐसा उस समय तक करते रहते हैं जबतक कि कहीं कोई खाली जगह ही नहीं रह जाती।”

११—“धिक्कार है उन लोगों को जो तेज शराव पीने के लिए सवेरे ही उठ खडे होते हैं और रात तक ऐसा ही करते रहते हैं जबतक कि नशा उनके अदर आग नहीं पैदा कर देता।”



१२—“और उनके भोजो में वीन, सारगी, ढोलकी, बसी और शराब होते हैं, किंतु वे न तो ईश्वर की सृष्टि को मानते हैं, न उसकी कृपाओ पर ध्यान देते हैं।”

१८—“धक्कार है उन लोगो को जो अहकार और पाप की रस्सी से अन्याय की गाड़ी चला रहे हैं।”

२०—“धक्कार है उन लोगो को जो बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा कहते हैं, जो प्रकाश को अंधकार और अधकार को प्रकाश समझते हैं और जो कड़ुवे को मीठा और मीठे को कड़ुवा ठहराते हैं।”

२१—“धक्कार है उन लोगो को जो अपने-आपको बुद्धिमान और ज्ञानी मानते हैं।”

२२—“धक्कार है उन लोगो को जो शराब पीने में वीर हैं और जिनकी शक्ति तेज शराब के प्याले बनाने में खर्च होती है।”

२३—“धक्कार है उन लोगो को जो पुरस्कार के लोभ में दुष्टो का समर्थन करते हैं और साधु पुरुषो को उनकी साधुता से वंचित करते हैं।”

हम इन शब्दो को पढ़ते हैं और हमें ऐसा लगता है मानो इनका हमसे कोई सम्बन्ध नहीं।

बाइबिल ( मैथ्यू प्रकरण ३ पद १० ) में लिखा है —

“और अब भी वृक्षो की जड़ पर कुल्हाड़ी चलाई जाती है और अच्छा फल न देनेवाला प्रत्येक वृक्ष काटकर आग में झोक दिया जाता है।”

हम लोगो को पूरा विश्वास है कि हम तो फल देनेवाले अच्छे वृक्ष हैं और ये शब्द हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरो के लिए कहे गए हैं जो बुरे हैं।

ईसैया के छठे पद में कहा गया है—

१०. “इन लोगो के मन को चर्चों से मोटा करदो, इनके कान बहरे करदो और इनकी आखे बंद करदो, जिससे वे अपनी आखो से देख न ले, कानो से सुन न ले और हृदय से समझ न लें और अपने जीवन में परिवर्तन करके अच्छे न बन जाय।”

११. "तब मैंने पूछा—हे नाथ, कबतक ? और उन्होंने उत्तर दिया—जबतक शहर और मकान नष्ट-भ्रष्ट होकर जनशून्य न हो जायं और सारी भूमि पूरी तरह उजाड़ न हो जाय ।"

हम लोग ये बातें पढ़ते हैं और यह सोचने के लिए बिलकुल तैयार हो जाते हैं कि यह अद्भुत काम हमारे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए किया गया है। किंतु हमारे यह सब न देख पाने का एक मात्र कारण यह है कि यह अद्भुत काम वस्तुतः हमारे साथ बराबर किया जा रहा है। न तो हम सुनते हैं, न देखते हैं और न सच्चे हृदय से किसी बात को समझते ही हैं। इस सबका क्या कारण है ?

: २६ :

## श्रेष्ठता का मिथ्या अहंकार

एक आदमी जो अपने को ईसाई न सही, सम्य और दयालु भी न सही, केवल एक ऐसा मनुष्य मानता है जिसमें विवेक और मनुष्यता के थोड़े-बहुत सकेत मिलते हैं वह भला कैसे इस प्रकार जीवन बिताना पसन्द कर सकता है कि मानव-समाज के जीवन-संघर्ष में भाग लिये बिना ही वह संघर्ष में भाग लेनेवालों के श्रम को हड़पता रहे और अपनी मांगों से न केवल संघर्ष करनेवालों के सिर का बोझ बढ़ाता रहे बल्कि साथ-ही-साथ संघर्ष करते-करते मर मिटनेवालों की सत्था में भी वृद्धि करता रहे ? फिर भी हमारा कथित ईसाई और सम्य समाज ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। यही नहीं, हमारे ईसाई और सम्य समाज का तो आदर्श ही यह है कि अधिक-से-अधिक सम्पत्ति-संग्रह की जाय, अर्थात् इतना धन एकत्र किया जाय कि उससे सब तरह का आराम मिले और हाथ-पैर हिलाने की आवश्यकता न पड़े। दूसरे शब्दों में यो कहिए कि हम स्वयं तो जीवन-संघर्ष से स्वतंत्र होना चाहते हैं और उस संघर्ष में खप जानेवाले अपने भाइयों के श्रम का पूरा शोषण करने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं।

मनुष्य ऐसी आश्चर्यजनक भूल कैसे कर बैठता ? उसकी यह दशा कैसे हुई कि जो बात इतनी स्पष्ट और असदिग्ध है उसे वह न तो देख पाता, न सुन पाता, न हृदय से समझ ही पाता है ?

इसके उत्तर में यदि हम केवल एक मिनट के लिए गम्भीरतापूर्वक विचार करें तो हम यह देखकर स्तम्भित रह जायेंगे कि जो लोग अपने को ईसाई न सही, केवल दयालु और सभ्य कहते हैं, उनके आचरण और विश्वास में आश्चर्यजनक अंतर है।

चाहे यह विघाता के अच्छे या बुरे विधान के कारण हो, चाहे प्रकृति के उस नियम के कारण जिसके अनुसार समस्त ससार और मानव-समाज का संचालन होता है—सत्य यह है कि हमारी जानकारी के आरम्भ से ही ससार में मनुष्य की कुछ ऐसी स्थिति रही है और अब भी है कि उसे नगा रहना पड़ता है, जाड़े से बचने के लिए उसे ऊनी कपडा नहीं मिलता, शरण के लिए गडहे नहीं मिलते और खाने के लिए अन्न नहीं मिलता, यद्यपि वह इस अन्न को खेतों में उसी तरह पा सकता है जिस तरह राबिन्सन क्रूसो ने अपने द्वीप में पा लिया था। मनुष्य की स्थिति कुछ ऐसी है कि सब लोगों को अपना तन ढकने, अपने लिए कपडे बनवाने, अपने चारों ओर चहारदीवारी खड़ी करने या ऊपर से वचाव के लिए छप्पर डालने और खाना पैदा करने के लिए प्रकृति में निरंतर संघर्ष करना पड़ता है, ताकि वे दिन में दो-तीन बार अपनी और अपने असमर्थ बच्चों व वृद्धों की क्षुधा शांत कर सकें।

मनुष्य-जीवन का हम चाहे किसी भी स्थान, काल या परिमाण में अध्ययन करें—चाहे यूरोप में, चाहे चीन, अमरीका या रूस में, चाहे सम्पूर्ण मानव-समाज का, चाहे उसके एक छोटे-से भाग का, चाहे प्राचीन काल के खानाबदोशों का, चाहे भाप के इजनों, सीने की मशीनों, विजली की रोशनियों और कृषि के नवीन साधनों के बीच रहनेवाले वर्तमान मानव-जीवन का—हमें एक ही बात दिखाई देगी, वह यह कि निरंतर कठोर काम करने पर भी मनुष्य अपने और अपने बाल-बच्चों व वृद्धों के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न, वस्त्र और स्थान प्राप्त नहीं कर पाता और बहुत-से लोग जीवन सम्बन्धी आवश्यकताओं के अभाव के कारण

और उनकी प्राप्ति के लिए अतिशय परिश्रम करने के कारण काल-कवलित हो जाते हैं ।

हम चाहे कहीं भी रहे, यदि हम अपने चारों ओर एक लाख, एक हजार, दस या एक ही मील का वृत्त बना लें और उसके अंदर के लोगों के जीवन पर दृष्टिपात करें तो उसमें हमें क्षुधा-पीडित बच्चे, बूढ़े, बुढ़िए, गर्भिणी स्त्रियाँ और बीमार व दुर्बल लोग दिखाई देंगे जिनकी पर्याप्त भोजन और आराम न मिलने के कारण अकाल मृत्यु हो जाती है । इनके अलावा वहाँ ऐसे आदमी भी दिखाई देंगे जो विपदास्पद और हानिकारक कार्य करते रहने के कारण भरी जवानी में ही चल बसते हैं ।

हम देखते हैं कि सृष्टि के प्रारम्भ से ही लोगों को अपनी साधारण आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना पड़ा है और बड़ी-बड़ी चेष्टाओं, हानियों तथा यातनाओं के बाद भी वे उसपर विजय नहीं पा सके हैं । हम यह भी जानते हैं कि हम चाहे कहीं भी रहे और कैसे भी रहे हममें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति दिन और प्रति घंटे इच्छापूर्वक या अनिच्छा से मानव-श्रम से उत्पन्न किए हुए पदार्थों का थोड़ा-बहुत उपभोग करता है । मनुष्य चाहे जहाँ और जिस तरह रहता हो, यह निश्चित है कि उसका मकान और उसके सिर पर की छत अपने-आप नहीं बनी । उसकी अगीठी में जो लकड़ी जल रही है और उसपर जो पानी पक रहा है वे वहाँ स्वयं नहीं चले आए । इसी तरह पकी-पकाई रोटी, भोजन, कपड़े और जूते आसमान से नहीं टपक पड़े । ये सारे पदार्थ मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं । इन्हें केवल वीते युग के मनुष्यों ने नहीं बनाया था, जो अब मर-खप गए हैं, बल्कि सदा इन्हें मनुष्य ही बनाते आए हैं और आज भी इन्हें हमारे लिए मनुष्य ही बना रहे हैं । इनमें से सैकड़ों और हजारों व्यक्ति अपने और अपनी सतान के लिए जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं—भोजन, वस्त्र व स्थान—का प्रबन्ध करने और अपने को यत्रणा तथा अकाल मृत्यु से सपरिवार बचाने की निष्फल चेष्टा करते हुए सूख-सूखकर मर जाते हैं । अभाव के साथ वे सब-के-सब संघर्ष करते हैं और इतना प्रबल संघर्ष करते हैं कि प्रति क्षण

उनके आसपास उनके भाई, बाप, मा और बच्चे काल-कवलित होते रहते हैं।

इस संसार के निवासी तूफान में फसे हुए जहाज के उन यात्रियों के समान हैं जिनके पास भोजन-सामग्री बहुत कम रह गई है। ईश्वर या प्रकृति ने हमें ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि आपदा से बचने के लिए कम-से-कम भोजन करना और निरंतर उद्योग करते रहना हमारे लिए अनिवार्य हो गया है। यदि हममें से कोई व्यक्ति ऐसा न करे और दूसरे के उस श्रम का उपभोग कर ले जो सामान्य हित के लिए आवश्यक नहीं है तो यह हमारे और हमारे सहकारियों दोनों के लिए नाशकारी है।

क्या कारण है कि आजकल के अधिकांश शिक्षित व्यक्ति न केवल स्वयं परिश्रम न करके शान्तिपूर्वक दूसरो के उस श्रम का उपभोग कर लेते हैं जो उनके जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह भी समझते हैं कि उनका ऐसा करना सर्वदा स्वाभाविक एवं उचित है ?

अपने-आपको स्वाभाविक और उचित श्रम से मुक्त करके और श्रम का भार दूसरो के कंधो पर लाद करके भी यदि हम अपने को चोर और धोखेबाज नहीं समझते तो इस सम्बन्ध में केवल दो ही धारणाएँ बनाई जा सकती हैं—(१) हम लोग जो साधारण श्रम में भाग नहीं लेते, मजदूरो से भिन्न हैं और समाज में हमारा एक विशेष कार्य है, ठीक उसी तरह जैसे नर-मधुमक्खी या रानी मधुमक्खी का काम परिश्रमी मधुमक्खियों से भिन्न होता है। (२) जीवन-सघर्ष से मुक्त होकर हमलोग दूसरो के लिए जो काम कर रहे हैं वह इतना उपयोगी है कि उससे निश्चय ही उस क्षति की पूर्ति हो जाती है जो हम उनपर ज्यादा बोझ लादकर उन्हें पहुंचाते हैं।

पुराने जमाने में जो लोग दूसरो के श्रम का शोषण करते थे वे दो बातें कहा करते थे—एक तो यह कि वे एक विशिष्ट कुल के जीव हैं और दूसरे यह कि उन्हें ईश्वर ने दूसरो के कल्याण की व्यवस्था करने अर्थात् दूसरो पर शासन करने और उन्हें शिक्षित बनाने के लिए विशेष रूप से यहाँ भेजा है। इसी धारणा से प्रेरित होकर वे दूसरो

को आश्वासन देते थे और प्रायः स्वयं भी विश्वास करते थे कि जो कुछ वे कर रहे हैं वह उस श्रम की अपेक्षा, जिसका वे उपभोग करते हैं, जनता के लिए अधिक आवश्यक और महत्त्वपूर्ण है। जबतक लोगों में यह विश्वास बना रहा कि मानव के विधान में ईश्वर का प्रत्यक्ष हाथ है और कुछ जातियाँ ऊँची व कुछ नीची होती हैं, तबतक यही तर्क चलता रहा। किंतु ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव होने पर और उसके फलस्वरूप समस्त मानव-समाज में समानता व एकता की भावना जागृत हो जाने पर यह तर्क इस रूप में नहीं चल सका। अब यह कहना सम्भव नहीं रह गया कि मनुष्यों के भिन्न-भिन्न कुल होते हैं, उनकी भिन्न-भिन्न विशेषताएँ होती हैं और उनके कार्य भी भिन्न-भिन्न होते हैं। स्वभावतः यह तर्क, जिसे कुछ लोग अब भी काम में लाते हैं, क्रमशः लुप्त होता गया और अब तो कदाचित् ही कहीं सुनाई देता है।

मनुष्य के विभिन्न कुलों के भेद की दलील तो अब जाती रही; किंतु यह बात अभी ज्यों-की-स्थो बनी हुई है कि शक्तिशाली व्यक्ति अपने-आपको श्रम से मुक्त रखकर दूसरों के श्रम का उपभोग करते हैं। इस वर्तमान स्थिति को उचित ठहराने के लिए बराबर वहाने गढ़े जाते रहे हैं, ताकि मानव की वश-विशेषता को स्वीकार किये बिना ही लोग अपने-आपको श्रम से वंचित रखना उचित समझ सकें। इस प्रकार के अनेक तर्क गढ़े गए हैं। यह बात विचित्र तो मालूम होती है, किंतु है बिलकुल सत्य कि जो कुछ भी विज्ञान के नाम से पुकारा जाता है उसका मुख्य उद्देश्य, उसकी मुख्य प्रवृत्ति ही ऐसे तर्क गढ़ने की रही है और अब भी है। धर्म-विज्ञान, न्याय-विज्ञान और तथाकथित दर्शन-शास्त्र का भी यही उद्देश्य रहा है। इधर कुछ दिनों से वर्तमान भौतिक विज्ञान का भी यही उद्देश्य हो गया है, यद्यपि इस तर्क को प्रयोग में लानेवाले लोगों को यह बात आश्चर्यजनक प्रतीत होती है।

जिन धार्मिक बारीकियों द्वारा यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई थी कि एक विशेष सम्प्रदाय ही ईसा मसीह का सच्चा अनुयायी है और इसलिए लोगों की आत्माओं तथा शरीर पर उसीका पूर्ण और असीमित

अधिकार है—उन धार्मिक बारीकियों का मुख्य उद्देश्य ऐसा करना ही था । न्याय-विज्ञान से सम्बन्ध रखनेवाले राजनीतिक, फौजदारी, दीवानी और अतर्राष्ट्रीय कानूनो का भी यही उद्देश्य है । इसी तरह अधिकांश दार्शनिक सिद्धान्त भी—विशेषतः हीगेल\* का सिद्धान्त जिसकी बहुत दिनों तक मान्यता रही थी—यही बात सिद्ध करना चाहते थे । हीगेल का मत था कि वर्तमान स्थिति उचित है और व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्यतंत्र आवश्यक है ।

एक बड़ी ही निम्न कोटि के अग्रेज लेखक ने, जिसकी दूसरी पुस्तको को लोग विलकुल भूल गए हैं और 'तुच्छ-से-तुच्छ' पुस्तको से भी तुच्छ समझते हैं, जन-संख्या पर एक पुस्तक लिखी । उसमें उसने इस कृत्रिम सिद्धांत का आविष्कार किया कि जन-संख्या की वृद्धि जीवनदायी साधनों की वृद्धि के अनुपात से नहीं होती । उसने अपने इस मिथ्या सिद्धान्त का वर्णन गणित के कुछ निर्मूल सूत्रों के रूप में किया और उसे संसार के सम्मुख ला उपस्थित किया । वह पुस्तक इतनी तुच्छ थी और उसमें योग्यता का इतना अधिक अभाव था कि उसे देखकर यही आशा की जा सकती थी कि उसकी ओर किसीका ध्यान आकर्षित नहीं होगा और वह पुस्तक लेखक की वाद की अन्य पुस्तको के समान ही कूड़े के ढेर में डाल दी जायगी । इसके सर्वथा विपरीत, उस पुस्तक के लेखक की गणना तत्काल प्रामाणिक अर्थशास्त्रज्ञों में होने लगी और लगभग पचास वर्ष तक उसे वही सम्मान प्राप्त रहा । लेखक का नाम था माल्थस और उसका सिद्धान्त यह था कि जन-संख्या में तो गुणानुसार वृद्धि होती है, (जैसे २, ४, ८, १६) किंतु जीवनोपयोगी साधन साधारण गणित की रीति के बढ़ते हैं (जैसे १, २, ३, ४) । माल्थस ने जन-संख्या को रोकने की प्राकृतिक और मानुषी विधियों पर भी प्रकाश डाला और उसकी सब बातें एकदम वैज्ञानिक तथा असदिग्ध

---

\* जार्ज विलहेल्म फ्रेडरिक हीगेल (१७७०-१८३१) प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक और प्रोफेसर, जिनका यह मत था कि जो सत्य है वही तर्क-संगत है और जो तर्कसंगत है वही सत्य है ।

सत्य मानी जाने लगी। इन्हें प्रयोग की कसौटी पर कसा नहीं गया बल्कि सिद्धांत रूप में प्रतिपादित करके भात्री निष्कर्षों का आधार मान लिया गया। पंडित और शिक्षित लोगो ने इसी प्रकार काम किया और काहिल जनता में तो माल्थस द्वारा प्रतिपादित इस महान नियम के प्रति बड़ा श्रद्धापूर्ण विश्वास उत्पन्न हो गया।

ऐसा क्यों हुआ ? ये वैज्ञानिक निष्कर्ष तो ऐसे जान पड़ते हैं मानो उनका सावारण जनता की भावना से कोई सम्बन्ध ही न हो।

किंतु ऐसा उसी व्यक्ति को प्रतीत होता है जो समझता है कि अर्थशास्त्र भी गिरजाघर के समान एक स्वयं-सिद्ध सस्या है जिससे कभी कोई भूल हो ही नहीं सकती। उसकी सम्मति में अर्थशास्त्र उन दुर्बल और भूल कर सकनेवाले व्यक्तियों का विचारमात्र नहीं है, जो महानता का प्रदर्शन भर करने के लिए अपने विचारों और शब्दों को 'विज्ञान' कहकर पुकारने लगते हैं।

यह जानने के लिए कि माल्थस का सिद्धान्त एक मनुष्य-कृत सिद्धान्त है और उसके कुछ निश्चित ध्येय हैं, केवल इस बात की आवश्यकता है कि हम उस सिद्धान्त से व्यावहारिक परिणाम निकालने की चेष्टा करें।

माल्थस के सिद्धान्त से जो-प्रत्यक्ष निष्कर्ष निकले वे इस प्रकार थे—श्रमजीवियों की दुर्दशा का कारण धनी और शक्तिशाली वर्ग का अहंकार, निर्दयता और सहानुभूति का अभाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थायी नियम है जिसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं और जिसका दोष यदि किसी पर है तो स्वयं भूखे मजदूरों पर। जब वे जानते हैं कि उनको खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो वे जन्म लेने की मूर्खता ही क्यों करते हैं ? अतः धनी और समर्थ लोगो का कोई दोष नहीं, वे पहले की ही तरह गातिपूर्वक जीवन विताते रह सकते हैं।

यह निष्कर्ष आलसी वर्ग के लिए इतना बहुमूल्य था कि समस्त शिक्षित-समाज में उसकी प्रामाणिकता की रत्ती भर भी चिंता नहीं की गई और न उसकी अशुद्धता तथा पूर्णतः अवैध रूप पर भी ही ध्यान दिया गया। शिक्षितों—या यो कहिए कि काहिलों—को जैसे ही इस



सिद्धान्त के भावी फल का पूर्वाभास मिला वैसे ही उन्होंने उसकी बड़े उत्साह के साथ सराहना की, उसपर सत्य अर्थात् अर्थशास्त्र की मोहर लगाई और पचास वर्ष तक उसका खूब ढोल पीटा ।

काम्टे<sup>१</sup> का साकारवाद (Positivism) और उससे निकला हुआ यह सिद्धान्त कि समाज एक विराट शरीर के समान है; डार्विन<sup>२</sup> का जीवन-सघर्ष का सिद्धान्त, जिसके अनुसार माना जाता है कि यह सघर्ष ही जीवन का सचालन करता है और मानव-समाज की वश-विभिन्नता का प्रतिपादन करता है; इसके अलावा मानस-शास्त्र, जीव-शास्त्र और आजकल के लोगो को बहुत पसन्द आनेवाला समाज-शास्त्र,—इन सबका भी वही ध्येय है। इन सब शास्त्रो के लोकप्रिय होने का कारण यही है कि वे उस विधि को न्यायोचित घोषित करते हैं जिसके अनुसार लोग अपने को श्रम-विषयक मानवीय कर्तव्य से मुक्त कर लेते हैं और दूसरे लोगो के श्रम के प्रतिफल का छक-छककर उपभोग करते हैं ।

जैसा कि सदा से होता आया है, इन सिद्धान्तो का निर्माण सर्व-प्रथम पुरोहितो की गुप्त गुफाओ में हुआ । उसके बाद ये अनिश्चित और अस्पष्ट रूप में जन-साधारण में फैल गए और लोगो ने इन्हे इसी रूप में स्वीकार कर लिया । जिस प्रकार पुरातन काल में धर्म-पंडितो और राज्य द्वारा की गई हिंसा का समर्थन करनेवाली धार्मिक सूक्ष्मताओ का ज्ञान विशेष रूप से केवल पुरोहितो को होता था और जन-साधारण में केवल यह गढ़ा-गढ़ाया सिद्धांत प्रचलित था कि राजाओ, पुरोहितो और कुलीनो की सत्ता एक पवित्र सत्ता है और जनता ने इस सिद्धान्त

१ आगस्ट काम्टे (१७९८-१८५७) प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक और साकारवादी जीवन-सिद्धान्त का प्रवर्तक । काम्टे का मत था कि मनुष्य केवल गोचर पदार्थ का ज्ञान प्राप्त कर सकता है और वह ज्ञान सम्पूर्ण नहीं बल्कि अपेक्षाकृत होता है ।

२ चार्ल्स राबर्ट डार्विन ( १८०९-१८८२ ) जगत्प्रसिद्ध ब्रिटिश विज्ञानवेत्ता, जिनका विकासवादी सिद्धान्त अभी कुछ समय पहले तक मान्य रहा है ।

को स्वीकार भी कर लिया था, उसी प्रकार बाद में तथाकथित शास्त्र की दार्शनिक और कानूनी वारीकियों का परिचय केवल शास्त्र-पारगत पुरोहितों को रहा और जन-साधारण में केवल यह सिद्धान्त प्रचलित रहा कि समाज का संगठन वैसा ही होना चाहिए जैसा है और वह इसके विपरीत हो ही नहीं सकता। जनता ने इस सिद्धान्त को श्रद्धापूर्वक स्वीकार कर लिया था।

यही दशा आज भी है। मानव-जीवन और शारीरिक विकास के नियमों का विश्लेषण आजकल केवल वैज्ञानिक पुरोहितों की गुफाओं में किया जाता है। जहाँ तक जनता का प्रश्न है, वह तो विश्वासपूर्वक यह निष्कर्ष स्वीकार कर लेती है कि श्रम-विभाजन का नियम अर्थशास्त्र द्वारा प्रमाणित नियम है, इसलिए व्यवस्था उसीके अनुसार होनी चाहिए, अर्थात् कुछ लोग तो काम करते-करते और भूखो तडफ-तडफ कर मर जाय और कुछ लोग सदा आनन्द उडाय। इस प्रकार कुछ लोगों का चक्की में पिसते रहना और कुछ लोगों का मौज उडाना ही मानव-जीवन का असंदिग्ध नियम है जिसे हम सबको स्वीकार कर लेना चाहिए।

शिक्षित कहे जानेवाले सब लोगों में—रेलवे-कर्मचारियों से लेकर लेखकों और कलाकारों तक में—इस काहिली की अब जो सफाई दी जाती है वह इस प्रकार है—

हम लोग, जिन्होंने अपने-आपको जीवन-सघर्ष के सामान्य मानवीय कर्तव्य से मुक्त कर लिया है, ससार की उन्नति करने में लगे हुए हैं; इसलिए हम समस्त मानव-समाज की ऐसी सेवा कर रहे हैं जिससे उन समस्त क्षतियों की पूर्ति हो जाती है जो हम दूसरों को उनके श्रम का शोषण करके पहुंचाते हैं।

हमारे युग के लोगों को यह तर्क उस तर्क से भिन्न प्रतीत होता है जिसके बल पर पुरातन काल के अकर्मण्य व्यक्ति अपनी अकर्मण्यता का औचित्य सिद्ध किया करते थे। हम लोगों को यह तर्क वैसा ही लगता है जैसा रोमन सम्राटों और नागरिकों को अपना यह तर्क कि उनके बिना समस्त सभ्य ससार का विनाश हो जायगा मित्रियों तथा ईरानियों के तर्क से

सर्वथा भिन्न जान पड़ता था, या जैसा कि इसी प्रकार का तर्क मध्य-कालीन सामंतों और पुरोहितों को रोमनों के तर्क से अन्य मालूम देता था।

किंतु यह भेद केवल ऊपरी है। यदि हम अपने वर्तमान तर्कों के सार की परीक्षा करें तो हमें यह तत्काल विश्वास हो जायगा कि इस तर्क में कोई नई बात नहीं है; इसपर थोड़ा-सा रंग चढ़ा हुआ है, किंतु यह वही वस्तु क्योंकि दोनों का आधार एक ही है। अपने-आप काम न कर दूसरों के श्रम के उपभोग को उचित ठहराने का प्रत्येक प्रयत्न—चाहे वह फराऊन और उसके पुरोहितों का हो, चाहे रोमन और मध्य कालीन राजाओं, सामंतों, पुरोहितों और पादरियों का—सदा ही दो धारणाओं पर अवलम्बित था—(१) हम लोग जनता के परिश्रम का उपभोग इसलिए करते हैं कि हम विशिष्ट व्यक्ति हैं और ईश्वर ने हम पर सर्वसाधारण पर शासन करने तथा उसे दैवी सत्य सिखाने का उत्तरदायित्व डाला है, (२) सर्वसाधारण में से कोई भी व्यक्ति यह निश्चय करने के योग्य नहीं कि सर्वसाधारण से कितना काम कराया जाय, क्योंकि (जैसा कि फेरीसियों ने पहले ही कहा था) “यह जन-समुदाय जो कानून से अनभिज्ञ है, अभिशापित है” (जॉन, ७-४९)। साधारण जनता यह नहीं समझ सकती कि उसका हित किस बात में है, इसलिए वह अपने साथ किये गए उपकारों का भी निर्णायक नहीं बन सकती।

आजकल जो सफाई दी जाती है वह मुख्यतः इन्हीं दो मूल धारणाओं पर अवलम्बित है—(१) हम लोग एक विशिष्ट वर्ग के शिक्षित व्यक्ति हैं; हम ससार की सभ्यता और उन्नति में हाथ बटाकर सर्वसाधारण का महान् उपकार करते हैं, (२) अशिक्षित जनता अपने ऊपर किये गए उपकारों को नहीं समझती और इसलिए वह उनका निर्णायक भी नहीं बन सकती।

श्रम के बोझ से हम अपने-आपको मुक्त कर लेते हैं, किंतु दूसरों के श्रम का उपभोग कर उनके जीवन का बोझ बढ़ा देते हैं। फिर भी हम दावा करते हैं कि इसके बदले हम उनका बड़ा उपकार करते हैं, जिसका वे अपने अज्ञान के कारण मूल्य नहीं आक सकते।

क्या यह भी वैसा ही तर्क नहीं है ? अतर केवल इतना है कि प्राचीन काल में दूसरो के श्रम का उपभोग करने का अधिकार रोमन नागरिको, पुरोहितो, वीरो और सामतो को था और आजकल यह अधिकार एक ऐसे वर्ग को है जो अपने को शिक्षित कहता है। इसमें भी वही अशुद्धि है जो पहले में थी। अशुद्धि इस बात में है कि श्रम से मुक्त होनेवाले व्यक्तियो द्वारा जनता के प्रति किये गए उपकारो के सम्बन्ध में तर्क-वितर्क करने से पूर्व ही कुछ लोग—उदाहरणत फराऊन, पुरोहित या हम-जैसे शिक्षित व्यक्ति—अपने को कथित उपकार के पद का अधिकारी बना लेते हैं और उस पदाधिकार को अक्षुण्ण रखते हुए उसकी सफाई-देने की युक्ति सोचते हैं।

इस प्रकार कुछ व्यक्तियो का दूसरे व्यक्तियो के साथ बलात्कार करने की स्थिति में होना ही सारी बातो की जड़ है। यही स्थिति पहले थी और यही स्थिति अब भी है। तब में और अब में एकमात्र अन्तर यह है कि आजकल का तर्क प्राचीन युग के तर्क से अधिक मिथ्या और कम सुदृढ है।

प्राचीन काल के सम्राट् और धर्माचार्य अपने को ईश्वर का दूत मानते थे और जनता भी उन्हें इसी रूप में स्वीकार करती थी। इसलिए वे सर्वसाधारण को बड़ी सरलता के साथ समझा सकते थे कि दूसरो के श्रम का उपयोग करने का अधिकार उन्हें ही—सम्राटो और धर्माचार्यो को ही—होना चाहिए। उनका कहना था कि स्वयं ईश्वर ने हमें इस काम के लिए नियुक्त किया है और आदेश दिया है कि जिस सत्य का प्रकाश मैंने तुझे दिखाया है उसे तू जनता पर प्रकट कर और उसपर शासन भी कर।

किंतु हमारे युग के शिक्षित लोग, जो मानव के समानाधिकारो को स्वीकार करते हुए भी अपने हाथो से काम नहीं करते, इस बात का सकारण प्रमाण नहीं दे सकते कि केवल उन्हें और उनके बच्चो को ही किसी विशेष उपकार को प्रदान करनेवाला विशिष्ट और भाग्यशाली वर्ग क्यों समझा जाय और उन लाखो आदमियो में से किसीको क्यों न चुना जाय जो कुछ थोड़े-से व्यक्तियो को शिक्षा प्रदान करते हुए

सैकड़ों और हजारों की सख्या में मर मिटते हैं ? (ध्यान रहे कि शिक्षा भी केवल रूपए से ही प्राप्त होती है और रूपया शक्ति है ) ।

इसका उनके पास एक ही उत्तर है—वह यह कि स्वयं काम न करके और दूसरो के श्रम का उपभोग करके हम उनको जो हानि पहुंचाते हैं उसके बदले हम उनके साथ एक ऐसा उपकार करते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते किंतु जिससे सारी क्षतियों की पूर्ति हो जाती है ।

: २७ :

## भयंकर भ्रम

जो लोग अपने को परिश्रम से मुक्त कर चुके हैं वे अपनी सफाई में जो दलील देते हैं, उसका सरलतम और बिलकुल ठीक-ठीक रूप यह है—हम लोग अपने-आपको श्रम से बचाकर बलात् दूसरो के श्रम का उपभोग करते हैं और अपनी इसी स्थिति के फलस्वरूप हम उनके साथ उपकार करते हैं । दूसरे शब्दों में, कुछ लोग जनता के श्रम से बलात् लाभ उठाकर और इस प्रकार प्रकृति के साथ उसके सघर्ष को और भी गम्भीर बनाकर उसे जो प्रत्यक्ष और बोध-गम्य हानि पहुंचाते हैं, उसके बदले वे उसके साथ कुछ ऐसे उपकार करते हैं जो न तो उसे प्रत्यक्ष दिखलाई ही पडते हैं, न उसकी समझ में ही आते हैं । यह बात बड़ी विचित्र है, किंतु जो लोग पुरातनकालीन व्यक्तियों की तरह आज भी मजदूरो का शोषण करते हैं, वे इस शोषण में विश्वास करते हैं और इसके द्वारा अपनी आत्मा का बोझ हलका कर लेते हैं ।

आइए, जरा देखे कि वर्तमान काल में जिन विभिन्न वर्गों ने अपने-आपको श्रम से मुक्त कर लिया है वे अपनी सफाई में क्या कहते हैं ?

वे कहते हैं—एक राजा, मंत्री या पादरी की हैसियत से मैं अपने सरकारी या धार्मिक कार्यों द्वारा जनता की सेवा करता हू । इसी तरह मैं अपनी व्यावसायिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक या कलात्मक चेष्टाओं से

भी सबसाधारण को लाभ पहुंचाता हूं। हमारी ये समस्त क्रियाएँ जनता के लिए उतनी ही आवश्यक हैं जितनी उनकी मजदूरी हमारे लिए है।

अब एक-एक करके उन तर्कों की समीक्षा की जाय जिनके आधार पर ये लोग अपने कार्यों की उपयोगिता सिद्ध करते हैं।

एक व्यक्ति का काम दूसरे के लिए उपयोगी है अथवा नहीं, इसकी जाच केवल दो ही कसौटियों पर हो सकती है—(१) बाहरी कसौटी अर्थात् जिसका उपकार किया जाता है वह उस उपकार की उपयोगिता को स्वीकार करे, (२) भीतरी कसौटी अर्थात् जो आदमी उपकार करता है उसके इस कार्य के मूल में उपकार की भावना हो।

सरकारी कर्मचारी (जिनमें मैं राज्य द्वारा स्थापित गिरजाघरों के पादरियों को भी सम्मिलित करता हूँ) उन लोगों का उपकार करते हैं जिनपर वे शासन करते हैं। सम्राट्, राजा, प्रजातंत्र के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, न्याय-मंत्री, युद्ध-मंत्री, शिक्षा-मंत्री, बड़े पादरी और उनके नीचे काम करनेवाले अन्य सरकारी कर्मचारी अपने-आपको जीवन के सघर्ष से मुक्त कर लेते हैं। वे कहते हैं कि अपने विभिन्न पदों पर रहते हुए हम जनता की जो सेवा करते हैं उससे उपर्युक्त क्षति की पूर्ति हो जाती है।

अब हम उनके इस कथन को पहली कसौटी पर कसकर देखते हैं। शासक वर्ग के सारे काम प्रत्यक्ष रूप से मजदूरों को ही लक्ष्य करके किये जाते हैं, किंतु, क्या मजदूर लोग यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें शासकों के कार्य से कोई लाभ होता है ?

हां, वे इस बात को स्वीकार करते हैं। अधिकांश लोग राज्यतंत्र को अपने लिए आवश्यक समझते हैं और सैद्धांतिक दृष्टि से वे उसकी उपयोगिता को भी स्वीकार करते हैं। किंतु उसके व्यावहारिक रूप को हम जितना भी देख पाए हैं और जितनी भी विशिष्ट घटनाओं से हम परिचित हैं, उन सबमें हमने यही देखा है कि जिन लोगों के उपकार के लिए सरकारी संस्थाएँ चलाई जाती हैं और ये काम किये जाते हैं वे

न केवल यही कहते हैं कि उन्हें इन सस्थाओं और इन कामों से कोई लाभ नहीं पहुंचता बल्कि वे इन्हें हानिकारक और विनाशकारी भी बताते हैं।

राज्य अथवा समाज का एक भी ऐसा कार्य नहीं जिसे बहुत से लोग हानिकर न समझते हो। इसी तरह एक भी ऐसी सस्था नहीं जिसे लोग नुकसानदेह न मानते हो; अदालतों, बैंकों, म्युनिसिपैलिटियों, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों, पुलिस, पादरियों, राज्य के बड़े-से-बड़े अधिकारियों से लेकर नगर तथा ग्राम की पुलिस तक, बड़े धर्म-गुरुओं से लेकर कन्न खोदनेवालों तक के कार्य को कुछ लोग लाभदायक और कुछ हानिकारक मानते हैं और यह बात केवल रूस में ही नहीं है बल्कि फ्रांस और अमरीका में भी है।

अमरीका में रिपब्लिकन दल के सारे काम को डेमोक्रेटिक दल हानिकर समझता है और इसी प्रकार शासन की वागडोर जब डेमोक्रेटिक दल के हाथ में होती है तब रिपब्लिकन दल\* के लोग और दूसरे लोग भी उसके सारे काम को बुरा समझते हैं।

बात इतनी ही नहीं है कि सरकारी कामों को साधारणतः सभी लोग उपयोगी नहीं समझते, बल्कि यह भी कि उन्हें व्यावहारिक रूप देने के लिए पाशविक बल का प्रयोग करना पड़ता है और उनसे लोगों का उपकार करने के लिए हत्याएँ, फासी, जेल, कठोर की बलात् वसूली आदि बातें आवश्यक हो जाती हैं।

इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं, एक तो यह कि सभी लोग सरकारी कार्य की उपयोगिता को स्वीकार नहीं करते और कुछ लोग उसे सदा अस्वीकार करते हैं, दूसरे यह कि उस उपयोगिता की विशेषता इस बात में निहित है कि वह सदा हिंसात्मक प्रयोगों द्वारा ही प्राप्त होती है। अतः राजनीतिक कार्यों की उपयोगिता के प्रमाण में यह बात नहीं कही जा सकती कि जिनके लिए ये किये जाते हैं वे इनकी उपयोगिता को स्वीकार करते हैं।

---

\* ये दोनों दल अमरीका के प्रमुख राजनीतिक दल हैं।

अब दूसरी कसौटी का भी प्रयोग कर देखिए। राजा से लेकर पुलिसमैन तक, राष्ट्रपति से लेकर आफिस के क्लर्क तक और धर्म-गुरु से लेकर कन्न खोदनेवाले तक सब मरकरारी आदमियों से कहिए कि वे यह बात सच्चे हृदय से बतलाय कि पद-ग्रहण करते समय उनके मन में जनता के साथ उपकार करने की भावना होती है या कोई दूसरा उद्देश्य। राजा, राष्ट्रपति, मंत्री, ग्रामीण, चीकीदार, महापात्र या अध्यापक का पद ग्रहण करने की उनकी इच्छा परोपकार की भावना से प्रेरित होती है या वे निजी लाभ के लिए ही इन पदों को ग्रहण करना चाहते हैं ?

गूढ़ अन्तःकरणवाले व्यक्ति यही उत्तर देंगे कि उनके सारे कार्य मुख्यतः व्यक्तिगत लाभ की भावना से ही प्रेरित होते हैं। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के काम करते-करते मर मिटनेवाले लोगों के श्रम से लाभ उठाकर जो हानि पहुँचाते हैं उसकी पूर्ति वे ऐसे काम से करते हैं जिसको बहुत-से लोग लाभदायक नहीं बल्कि हानिकर समझते हैं, जिसे लोग स्वेच्छापूर्वक स्वीकार नहीं करते, बल्कि जिसे कार्यान्वित करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ता है और जिसका उद्देश्य परोपकार नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थ होता है।

तो फिर वह कौन-सी बात है जो राजतंत्र को जनता के लिए उपयोगी सिद्ध करती है ?

केवल एक बात; वह यह कि जो लोग राजतंत्र का संचालन करते हैं उन्हें उसकी उपादेयता में पूर्ण विश्वास है और राजतंत्र सदा से चला आया है। किंतु सदा से चले आने की बात तो यह है कि दासता, वेश्यावृत्ति और युद्ध आदि भी सदा से चले आते हैं, किंतु वे न केवल निरर्थक बल्कि हानिकारक भी हैं। औद्योगिक वर्ग जिसमें व्यापारी, कारखानेदार, रेलो और सबको के संचालक, महाजन और जमींदार भी सम्मिलित हैं—यह विश्वास करते हैं कि वे जनता का इतना उपकार करते हैं कि उससे उनके द्वारा की गई समस्त असदिग्ध हानियाँ पूर्ण हो जाती हैं।



उनके इस विश्वास का क्या आधार है ? कौन और किस वर्ग के लोग उनके कार्य की उपादेयता स्वीकार करते हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में राज्य-कर्मचारी, जिनमें पादरी लोग भी सम्मिलित हैं, उन हजारों और लाखों मजदूरों की ओर सकेत कर सकते हैं जो सिद्धांततः सरकार तथा गिरजा के कामों की उपादेयता को स्वीकार करते हैं। किंतु बड़े-बड़े महाजन, शराब बनानेवाले और मखमल, कासे तथा शीशे का काम करनेवाले—तोप बनानेवाले की तो बात ही छोड़ दीजिए—किसकी ओर सकेत करेंगे ? इसी प्रकार जब व्यापारियों और जमींदारों से पूछा जायगा कि क्या आपके द्वारा लिये जानेवाले लाभों को लोकमत स्वीकार करता है तो वे किसकी ओर इंगित करेंगे ?

यदि इस सप्ताह में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो छोट, रेल, शराब और ऐसी ही दूसरी वस्तुओं के उत्पादन को लाभदायक समझते हैं तो उनसे कहीं अधिक ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो इनके उत्पादन को हानिकर मानते हैं। कीमत बढ़ानेवाले जमींदारों और व्यापारियों के कार्य का भला कौन समर्थन करेगा ? ऐसे कामों से मजदूरों की सदा हानि ही होती है और उनके संचालन में हिंसा का भी प्रयोग किया जाता है। यह हिंसा राजकीय हिंसा की अपेक्षा कम उग्र होती है किंतु इसके परिणाम उतने ही क्रूर होते हैं, क्योंकि सारे औद्योगिक और व्यापारिक कार्य मजदूरों की आवश्यकताओं से लाभ उठाकर चलाए जाते हैं। उनकी आवश्यकताओं से लाभ उठाकर एक ओर तो उन्हें कठिन और अप्रिय कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है और दूसरी ओर उनकी चीजें सस्ते दामों पर खरीद ली जाती हैं और जनता को उनकी आवश्यकता की चीजें ऊँचे-से-ऊँचे भाव पर दी जाती है। उनकी इन्हीं आवश्यकताओं से लाभ उठाकर उधार दिये हुए रुपयों का व्याज वसूल किया जाता है। उनके कार्यों पर चाहे किसी भी दृष्टिकोण से विचार किया जाय हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि औद्योगिक वर्ग द्वारा किये गए उपकार को मजदूर लोग न तो सिद्धांत की दृष्टि से और न किसी विशिष्ट मामले में ही स्वीकार करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उनमें से अधिकांश लोग उसे नितान्त हानिकर मानते हैं।

यदि हम दूसरी कसौटी का प्रयोग करें और पूछें कि औद्योगिक वर्ग के कार्यों की प्रेरक शक्ति क्या है तो हमें जो उत्तर मिलेगा वह शासकों के कार्यों के विषय में मिले हुए उत्तर से भी अधिक स्पष्ट होगा।

यदि कोई सरकारी कर्मचारी कहता है कि उसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के साथ लोकहित की चिंता करनी पड़ती है तो उसका विश्वास करना ही पड़ता है और ऐसे आदमी को सब लोग जानते हैं। किंतु व्यवसाय के आधारभूत मिद्धान्त के कारण उद्योगपति लोकहित को अपना उद्देश्य नहीं बना सकते और यदि वे धन की वृद्धि और रक्षा के अतिरिक्त अपने सामने कोई दूसरा उद्देश्य रखे तो अपने साथियों की दृष्टि में वे हास्यास्पद प्रतीत होंगे।

अतः मजदूर लोग उद्योगपतियों के कार्य को अपने लिए उपयोगी नहीं मानते। इनके इस कार्य में मजदूरों के विरुद्ध बल अथवा हिंसा का प्रयोग किया जाता है और उभे कार्य का उद्देश्य मजदूरों का उपकार नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति होना है। तिसपर भी आश्चर्य की बात है कि उद्योगपतियों को अपने द्वारा किये जानेवाले उपकारों की उपयोगिता का इतना अधिक विश्वास है कि इन कल्पित उपकारों के लिए वे अपने-आपको श्रम से मुक्त करके और श्रमिकों के श्रम से उत्पन्न हुए पदार्थों का उपभोग करके उनको स्पष्ट और अस-दिग्घ हानि पहुंचाते हैं।

वैज्ञानिकों और कलाविदों ने भी अपने-आपको श्रम से मुक्त करके उसका बोझ दूसरों पर डाल दिया है। उनका अन्तःकरण शांत होता है और उनको इस बात का पूर्ण विश्वास होता है कि वे दूसरों के साथ ऐसे उपकार कर रहे हैं जिनसे उनके द्वारा की गई हानि की पूर्ति हो जाती है।

उनके इस विश्वास का आधार क्या है ?

जिस तरह हमने सरकारी कर्मचारियों और उद्योगपतियों से पूछा था, उसी तरह हमें इनसे भी पूछना चाहिए कि क्या सारे मजदूर (या उनमें से कुछ लोग ही सही) विज्ञान-कला से प्राप्त होनेवाले उपकारों को स्वीकार करते हैं ?

इसका हमें बड़ा ही दुःखदाई उत्तर मिलेगा ।

शासको और पादरियो के कार्य को प्रायः सभी लोग सैद्धांतिक दृष्टि से उपयोगी मानते हैं और व्यवहार में भी आधे से अधिक मजदूर उसे ऐसा ही समझते हैं । उद्योग धंधेवालों के कार्य को भी कुछ मजदूर उपयोगी मानते हैं । किंतु वैज्ञानिकों और कलाविदों के कार्य की उपयोगिता एक भी मजदूर स्वीकार नहीं करता । इसकी उपादेयता केवल वे लोग स्वीकार करते हैं जो इसे कर रहे हैं या करते रहना चाहते हैं । श्रमिक लोग—जिनके कंधों पर समस्त मानव-जीवन के श्रम का भार होता है और जो वैज्ञानिक तथा कलाविदों के भोजन-वस्त्र का प्रवर्ध करते हैं, इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि वैज्ञानिकों और कलाविदों के कार्य से उनको कोई लाभ होता है, क्योंकि वे इन कार्य की, जो उनके लिए इतना उपयोगी कहा जाता है, कल्पना तक नहीं कर सकते । यह कार्य उनको निरर्थक और आचार को भ्रष्ट करनेवाला मालूम पड़ता है ।

ठीक ऐसा ही वे विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, चित्र-शालाओं, शिल्पशालाओं और नाटकगृहों के विषय में भी सोचते हैं जो उनके पैसे से बनाए जाते हैं । विज्ञान और कला सम्बन्धी कार्य को तो वे इतने निश्चित रूप से हानिकर समझते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजते । जनता को इसकी उपयोगिता समझाने के लिए और उसे अपने बच्चों को अनिवार्य रूप में स्कूल भेजने को विवश करने के लिए हर जगह कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी है । मजदूर इस कार्य को सदा विरोध की दृष्टि से देखते हैं और ऐसा करना वे तभी बंद कर सकते हैं जब वे स्वयं मजदूर न रह जाय और पहले आर्थिक लाभ तथा बाद में शिक्षा कही जानेवाली वस्तु की सहायता से वे श्रमिक वर्ग से निकलकर उन लोगों के वर्ग में आ जाय जो दूसरों की पीठ पर चढ़े रहते हैं । फिर भी, यद्यपि मजदूर लोग वैज्ञानिकों और कलाविदों के काम की उपादेयता को स्वीकार नहीं करते—और कर भी नहीं सकते—तथापि उन्हें इस बात के लिए बाध्य किया जाता है कि वे इस कार्य के लाभार्थ त्याग करे ।

शासक-वर्ग के लोग आदमियों को सीबे फासी पर लटकवा देते हैं या जेल भेज देते हैं। व्यापारी लोग दूसरों के श्रम का शोषण कर उनकी कौड़ी-कौड़ी छीन लेते हैं और उनके सामने यह समस्या ला खड़ी करते हैं कि या तो वे भूखो मरे या घृणित दासता स्वीकार करे। किंतु वैज्ञानिक और कलाविद् किसीको विवश नहीं करते। वे तो अपनी कृति केवल उन लोगों के सामने रखते हैं जो उन्हें ग्रहण करते हैं। फिर भी अपनी उस कृति को जन्म देने के निमित्त, जिसकी मजदूरों को विलकुल आवश्यकता नहीं होती, वे विद्यापीठों, विश्वविद्यालयों, हार्डस्कूलों, प्राथमिक पाठशालाओं, अजायबघरों, पुस्तकालयों और संग्रहालयों के निर्माण एवं संचालन तथा वैज्ञानिकों और कलाविदों के निर्वाह के लिए सरकारी एजेन्टों द्वारा मजदूरों का अधिकांश श्रम जबरदस्ती छिनवा लेते हैं।

यदि हम वैज्ञानिकों और कलाकारों से पूछें कि आप किस उद्देश्य को दृष्टि में रखकर अपना काम करते हैं तो हमें बड़े मार्कों के उत्तर मिलेंगे। सरकार से सम्बन्ध रखनेवाले मनुष्य यह उत्तर दे सकते हैं कि वे जनता के कल्याण को दृष्टि में रखकर कार्य करते हैं। इस उत्तर में तथाश भी होता है, जिसका लोकमत भी समर्थन करता है। उद्योगपति भी सार्वजनिक हित को ही अपना उद्देश्य बतला सकते हैं किंतु उसमें कल्याण-भावना के विद्यमान होने की कम सम्भावना है, यद्यपि समर्थन उसे भी मिल सकता है।

किंतु वैज्ञानिकों और कलाकारों का उत्तर तो आश्चर्यजनक रूप से निराधार और हठपूर्ण है। बिना किसी प्रकार का प्रमाण दिये ही वे पुराने युग के पुरोहितों की तरह कहा करते हैं कि समाज के कल्याण के लिए उनका काम सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और आवश्यक है और यदि वे काम न करें तो समस्त मानव-समाज विनष्ट हो जाय। यद्यपि उनके सिवा कोई दूसरा आदमी उनके काम की महत्ता को समझता या स्वीकार नहीं करता और यद्यपि स्वयं उनकी परिभाषा के अनुसार सच्चे विज्ञान और सच्ची कला का उद्देश्य उपादेयता नहीं है, तथापि वे अपने कार्य का गुण गाए बिना नहीं रहते। इस बात की चिंता किये

बिना ही कि उनके काम से जनता को लाभ होगा या नहीं, वे अपने प्रिय व्यसनो में लगे रहते हैं और उन्हें सदा यह विश्वास रहता है कि वे समाज के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण और आवश्यक कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार जहाँ एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी यह मानता है कि उसके काम का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ है और फिर भी वह मजदूरों के लिए यथासाध्य उपयोगी बनने का प्रयत्न करता है और इसी तरह जहाँ व्यवसायी भी अपने कार्य की स्वाथ-परायणता को स्वीकार करता हुआ उसको सार्वजनिक उपयोगिता का रूप देने की चेष्टा करता है, वहाँ वैज्ञानिक और कलाकार को न केवल अपने कार्य की उपयोगिता बल्कि उसकी पवित्रता का भी इतना पक्का विश्वास होता है कि वे अपने को उपयोगी बनाने की चेष्टा करने का दिखावा करना आवश्यक नहीं समझते और उपयोगितावाद के सिद्धांत को अस्वीकार तक कर देते हैं।

अतएव हम देखते हैं कि एक तीसरी श्रेणी के लोग अपने को श्रम से मुक्त करके और उसका भार दूसरों पर लादकर ऐसे कामों में लग रहे हैं जिनको मजदूर-वर्ग समझ ही नहीं पाते हैं और जिनको वे निरर्थक तथा बहुधा हानिकारक मानते हैं। इन कामों को करते समय उन्हें अपने को जनता के लिए उपयोगी बनाने की रत्ती भर भी चिंता नहीं होनी, वे सब कुछ स्वात सुखाय करते हैं फिर भी किसी कारणवश उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास होता है कि उनका कार्य मजदूरों के जीवन के लिए सदा नितात आवश्यक है।

लोगों ने अपने-आपको जीवन श्रम से मुक्त कर लिया है और उसका भार उन बेचारों पर लाद दिया है जो चक्की पीसते-पीसते ही दम तोड़ देते हैं। वे उनके श्रम का शोषण करते हैं और कहते हैं कि उनके काम, जो लोगों की समझ में नहीं आते और जिनका उद्देश्य दूसरों की सेवा करना नहीं है, ऐसे होते हैं जिनसे उम हानि की पूर्ति हो जाती है जो वे अपने-आपको जीवन-श्रम से मुक्त करके और दूसरों के श्रम का उपयोग करके दूसरों को पहुँचाते हैं।

सरकारी कर्मचारी दूसरों के श्रम का शोषण करके और स्वयं अपने-आपको जीवन-सधर्ष से मुक्त करके जो असदिग्ध और स्पष्ट

हानि पहुँचाते हैं उसकी पूर्ति करने की चेष्टा करते समय वे एक दूसरी स्पष्ट और असदिग्ध हानि कर बैठते हैं और वह हानि है मजदूरों के बल का प्रयोग ।

उद्योगपति दूसरों के श्रम के प्रतिफल को हड़पकर उन्हें जो असदिग्ध और स्पष्ट हानि पहुँचाते हैं उसकी पूर्ति करने के अभिप्राय से वे अपने लिए अधिक-से-अधिक धन इकट्ठा करने की चेष्टा करते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि वे दूसरों का अधिक-से-अधिक श्रम ले लेते हैं । दूसरे शब्दों में यों कहिए कि वे दूसरों के अधिक-से-अधिक श्रम का शोषण करते हैं ।

इसी प्रकार वैज्ञानिक और कलाकार भी अपने द्वारा मजदूरों को पहुँचाई गई निर्विवाद और स्पष्ट क्षति के बदले ऐसे काम करते हैं जो मजदूरों के लिए बोधगम्य नहीं हैं और जो स्वयं उनके ही कथनानुसार सत्य तभी हो सकते हैं जब वे उपयोगिता को लक्ष्य मानकर न किये जाय, किंतु फिर भी जिनकी ओर वे बरबस आकर्षित हो ही जाते हैं । इस प्रकार इन सब लोगों का यह अटल विश्वास हो गया है कि दूसरों के श्रम का उपभोग करने का उन्हें असदिग्ध अधिकार है ।

अतः यह स्पष्ट है कि जिन लोगों ने अपने को जीवन-श्रम से मुक्त कर लिया है उनके ऐसा करने का कोई कारण नहीं है । किंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्हें अपनी सफलता पर पक्का विश्वास होता है और वे आत्मिक निश्चितता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं ।

इस भयंकर भ्रम की तह में कोई बात, कोई झूठा सिद्धान्त अवश्य है ।

: २८ :

## श्रम से बचने के बहाने

जो लोग दूसरों के श्रम पर जीवन व्यतीत करते हैं उनका आधार वस्तुतः कोई छोटा-मोटा विश्वास नहीं बल्कि एक पूरा सिद्धान्त होता है । एक सिद्धान्त क्यों, सच पूछिए तो तीन सिद्धान्त होते हैं जिनका

एक दूसरे के बाद कई गताव्दियों से विकास होता आया है और जिन्होंने अब समन्वित होकर एक भीषण धोखे अथवा पाखण्ड का रूप धारण कर लिया है। इसी पाखण्ड ने दूसरों के श्रम पर जीवन व्यतीत करने वालों की अनैतिकता पर आवरण डाल रखा है।

जीविकोपार्जन के लिए श्रम करना मनुष्य का मूलभूत कर्तव्य है, किंतु इस कर्तव्य की अवहेलना का समर्थन इस ससार के जिस सबसे पुराने सिद्धांत ने किया वह था ईसाई गिरजा का सिद्धांत। इस सिद्धांत में बताया गया था कि जिस प्रकार चन्द्रमा और तारों से सूर्य भिन्न है और स्वयं तारों में भी परस्पर विभिन्नता है, उसी प्रकार ईश्वर के आदेशानुसार मनुष्य-मनुष्य में भी भिन्नता है। कुछ लोगों को ईश्वर ने सब पर, कुछ को बहुतों पर और कुछ को थोड़ों पर शासन करने के लिए नियुक्त किया है और शेष आदेश पालने के लिए बनाए गए हैं।

यद्यपि इस सिद्धांत की जड़ें अब हिल गई हैं तथापि अकर्मण्यता के कारण लोगों पर इसका प्रभाव अब भी शेष है। फलतः अनेक व्यक्ति इसकी शिक्षा को स्वीकार न करते हुए और बहुधा डममे अपरिचित तक होते हुए भी इसीका अनुसरण करते हैं।

वर्ग-भेद का समर्थन करनेवाले दूसरे सिद्धांत को मैं राज्य-दर्शन का नाम देना उचित समझता हूँ। इसकी पूरी व्याख्या हीगेल ने की थी। इसमें तत्कालीन स्थिति को ही उचित ठहराया गया था और बताया गया था कि लोगों ने जिस जीवन-क्रम को स्थापित कर लिया है और जिस जीवन-क्रम पर वे इस समय चल रहे हैं उसे मानव ने जन्म नहीं दिया है और न मानव उसका परिपोषण ही करता है, वह तो आत्मा या साधारणतः सम्पूर्ण मानव-जीवन के प्रस्फुरण का एकमात्र सम्भावित रूप है। किंतु यह सिद्धांत भी आजकल के लोक-नेताओं को स्वीकार्य नहीं है, वह तो केवल हमारी जड़ता के कारण ही आज भी कायम है।

तीसरा और आजकल का मुख्य सिद्धांत वैज्ञानिक है जिसके आधार पर वैज्ञानिक और कलाकार दोनों ही अपनी-अपनी चेष्टाओं का समर्थन करते हैं। यहाँ वैज्ञानिक से तात्पर्य वैज्ञानिक शब्द के साधारण अर्थ से नहीं

है जिसमें साधारणतः 'व्यापक ज्ञान' का बोध होता है, बल्कि यहाँ उमका तात्पर्य एक विशेष प्रकार के ज्ञान से है जिसका रूप और विषय दोनों ही विविष्ट होते हैं।

वैज्ञानिक कहा जानेवाला यही वह नया सिद्धांत है जिसकी आड़ में आजकल के अकर्मण्य लोगों की कर्तव्य-च्युति का अपराध मुख्यतः छिपा रहता है।

यूरोप में इस सिद्धांत का प्रादुर्भाव उन बहुसंख्यक अमीरों और अकर्मण्यों के प्रादुर्भाव के साथ हुआ जो न गिरजा के कर्मचारी थे न राज के, किंतु जिनको अपने पद को न्यायोचित ठहराने की आवश्यकता थी।

अभी बहुत दिन नहीं हुए फ्रांसीसी क्रांति के समय तक यूरोप में जो लोग शारीरिक श्रम नहीं करते थे उन्हें दूसरों के श्रम पर अधिकार प्राप्त करने के लिए गिरजा, सरकार, या सेना में किसी निश्चित पद पर होना नितांत आवश्यक था। सरकारी कर्मचारी लोगों पर शासन करते थे, गिरजा के कर्मचारी लोगों को दैवी सत्य की शिक्षा दिया करते थे और सैनिक कर्मचारी जनता की रक्षा करते थे।

बस, इन्हीं तीन वर्गों के लोग अपने को दूसरों के श्रम का शोषण करने का अधिकारी समझते थे और उसकी सफाई में वे अपने द्वारा जनता के साथ किये गए उपकारों का बखान कर सकते थे। दूसरे अमीर लोग, जो इस प्रकार की सफाई नहीं दे पाते थे, घृणा की दृष्टि से देखे जाते थे और अपने अपराध से परिचित होने के कारण उन्हें अपने घन और आलस्य पर बड़ी लज्जा आती थी।

किंतु एक समय आया जब राजकीय, धार्मिक व सैनिक वर्गों की च्युतियों के कारण उनसे सम्बन्धित धनिकों की संख्या बढ़ गई। इस नए वर्ग के भी पक्ष-समर्थन की आवश्यकता प्रतीत हुई और उसके लिए एक तर्क भी गढ़ लिया गया।

सौ वर्ष भी नहीं बीतने पाए थे कि इन नए वर्ग के लोगों ने, जो न तो राज्य और गिरजा की नौकरी करते थे न उनके कामों में ही भाग लेते थे, न केवल पहले तीन वर्गों के लोगों के समान ही दूसरों के श्रम का शोषण करने का अधिकार प्राप्त कर लिया, बल्कि अपने घन और



आलस्य पर लज्जित होता भी बंद कर दिया, और वे अपने स्थान को पूर्णतः न्यायोचित भी मानने लगे। आजकल इन लोगों की सख्या बहुत बढ़ गई है और निरंतर बढ़ रही है। आश्चर्य की बात तो यह है कि वे ही लोग, जिनका श्रम से मुक्त होने का अधिकार अभी कुछ ही दिन पहले तक न्यायोचित नहीं माना गया था, अब समझने लगे हैं कि केवल उनका ही अधिकार पूर्णतः न्यायोचित है। इतना ही नहीं, वे पहले तीन वर्गों की श्रम-मुक्ति को अन्याययुक्त और उनकी चेष्टाओं को हानिकारक मानते हुए उनपर कटाक्ष भी करने लगे हैं।

इससे भी बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि राज्य, गिरजा अथवा सेना के भूतपूर्व सेवक न तो अब अपने ईश्वर-प्रदत्त पद का सहारा लेते हैं, न व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक माने गए राज्यतंत्र के दार्शनिक महत्व पर ही भरोसा रखते हैं। अब तो उन्होंने अपने को इतने दिनों तक सम्हाले रखनेवाले इन अवलम्बों को छोड़ दिया है और उसी सिद्धांत की शरण में जा रहे हैं जिसके बल पर वैज्ञानिकों और कलाकारों के नेतृत्व में नए प्रमुख वर्ग ने श्रम से मुक्त होने के अपने आंचित्य का समर्थन किया है। आजकल यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने पुराने अभ्यास के फलस्वरूप अपनी उच्च सत्ता का समर्थन इस तर्क के आधार पर करता है कि शासन करने का उसे ईश्वर-प्रदत्त अधिकार है या यह कहता है कि राज्य व्यक्तित्व के ही विकास का एक रूप है तो इसका अर्थ यह है कि वह काल-गति का साथ नहीं दे पा रहा है और अनुभव करता है कि उसका कोई विश्वास नहीं करता। अपनी सत्ता का ठीक-ठीक समर्थन करने के लिए उसे अब धार्मिक अथवा दार्शनिक अवलम्ब ढूढने की आवश्यकता नहीं है, अब तो उसे नए वैज्ञानिक तर्कों की सहायता चाहिए। उसके लिए अब यह आवश्यक हो गया है कि वह राष्ट्रीय या सामाजिक विकास के सिद्धांत की शरण ले और आजकल के प्रमुख वर्ग की कृपा प्राप्त करे, जैसे कि मध्य युग में पादरियों की और १८ वीं शताब्दी के अन्त में दार्शनिकों की कृपा प्राप्त करने की आवश्यकता प्रतीत होती थी। फ्रेडरिक और केथरीन महान् को भी ऐसा ही करना पड़ा था।

आज यदि कोई धनी व्यक्ति अपनी पुरानी आदतों के कारण भूले-भटके ईश्वर की दुहाई देने लगे और यह कहे कि परमेश्वर ने उसे विशेष रूप से धनी होने के लिए छाटा है या यह कहे कि राष्ट्रीय हित के लिए अमीर-उमरावों की विद्यमानता बड़ी महत्वपूर्ण है, तो समझना चाहिए कि वह समय से पीछे है। अपनी सत्ता का यथेष्ट रूप से समर्थन करने के लिए उसे यह बताना चाहिए कि उत्पादन की विधियों में सुधार करके या उपभोग्य पदार्थों को सस्ता बनाकर या अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क में उत्तरोत्तर वृद्धि करके वह सम्यता की उन्नति में कितना योग दे रहा है। आजकल के अमीरों को विज्ञान की भाषा में बात करनी चाहिए और वर्तमान शक्तिशाली वर्ग के लिए त्याग करना चाहिए जैसा कि पुराने जमाने में धर्म-शास्त्रियों के लिए करना पड़ता था। उसको समाचारपत्र और पुस्तकें प्रकाशित करनी चाहिए और चित्रगालावों, संगीत-समितियों, बाल-विद्यालयों तथा टेक्निकल स्कूलों की व्यवस्था करनी चाहिए।

आजकल के शक्तिशाली वर्ग में विशिष्ट प्रवृत्ति के वैज्ञानिक और कलाकार हैं। श्रम न करने के औचित्य को सिद्ध करने के लिए उनके पास पूरा-का-पूरा तर्क है और जिस तरह पुराने जमाने में सब बातें पहले धार्मिक और बाद में दार्शनिक सिद्धांतों पर अवलम्बित होती थी उसी तरह आजकल सारे तर्क इस नए तर्क पर ही आधारित हैं और अब यह नया वर्ग ही दूसरे लोगों के श्रम से मुक्त होने का प्रमाणपत्र देता है।

आजकल जिस वर्ग को श्रम से मुक्त होने का पूर्ण औचित्य प्राप्त है वह वैज्ञानिकों—विशेषतः प्रयोगशील, यथार्थवादी, आलोचनात्मक प्रवृत्तिवाले और विकासशील वैज्ञानिकों—का वर्ग है। इस वर्ग में इसी प्रवृत्ति का अनुकरण करनेवाले कलाकार भी हैं।

यदि किसी पुराने सयोग से आज कोई वैज्ञानिक या कलाकार भविष्यवाणी, दैवी आदेश या आत्मा के विकास की चर्चा करता है तो इसका कारण यह है कि वह समय के पग से पग नहीं मिला पाया है। ऐसी दशा में उसे अपनी सत्ता को न्यायोचित सिद्ध करने में सफलता

नहीं मिलती। अपने पैरो को उखडने न देने के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी न किसी प्रकार अपनी चेष्टाओं का सम्बन्ध प्रयोगशील साकारवादी और आलोचनात्मक विज्ञान से स्थापित करे और उस विज्ञान को अपने समस्त कार्य-कलाप का आधार मान कर चले। तभी उसका विज्ञान सच्चा विज्ञान या उसकी कला सच्ची कला हो सकेगी, तभी आधुनिक युग में उसकी नीव दृढ़ हो सकेगी और तभी उसे यह विश्वास हो सकेगा कि उसकी चेष्टाओं से मानव-समाज का लाभ हो रहा है।

अतः अब यह प्रयोगशील, आलोचनात्मक और साकारवादी विज्ञान ही वह आधार है जिसपर श्रम से मुक्त होनेवाले सभी व्यक्तियों के कार्य-औचित्य का प्रमाण अवलम्बित है।

धार्मिक और दार्शनिक तर्क अब पुराने पड गए हैं, वे अपने-आपको डरते-डरते व लज्जा के साथ व्यक्त करते हैं और वैज्ञानिक रूप धारण करने की चेष्टा करते हैं। इसके विपरीत वैज्ञानिक तर्क पुराने सिद्धांतों को निर्भीकतापूर्वक उलट-पुलट और नष्ट कर देता है, उन्हें हर जगह से निकाल देता है और पूर्ण अजेयता के विश्वास के साथ गर्व से सिर ऊंचा करके चलता है।

धार्मिक तर्क यह था कि मनुष्य को अपने पद के अनुसार काय मिलता है, कुछ पर शासन का भार पडता है और कुछ पर आदेश-पालन का; कुछ के भाग्य में विलासमय जीवन वदा होता है और कुछ के भाग्य में दीनता में दिन काटना। इसलिए जिन्हें दैवी आदेश में विश्वास था वे यह शका नहीं कर सकते थे कि ईश्वर ने कुछ लोगों को शासन व ऐश्वर्य का जो पद प्रदान किया है वह न्यायोचित नहीं है।

राज्य-दर्शनवादियों का कहना यह था कि राज्य अपनी समस्त गाखाओं तथा श्रेणियों सहित—जो स्वत्व तथा अधिकार की दृष्टि से एक-दूसरे से भिन्न होती है—वह ऐतिहासिक रूप है जो मानवीय आत्मा के उचित प्रस्फुटन के लिए आवश्यक है; इसलिए स्वत्व और अधिकार की दृष्टि से राज्य या समाज में प्रत्येक मनुष्य का वही स्थान होना चाहिए जो उसके यथोचित जीवन में होता है।

वैज्ञानिक सिद्धात के अनुसार उक्त दोनों सिद्धात मूर्खतापूर्ण और अघबिग्वाम हैं, एक तो धार्मिक युग की विचारधारा का प्रतिफल है और दूसरा दार्शनिक युग की विचार-धारा का। मानव-समाज के जीवन-सम्बन्धी नियमों के अध्ययन की केवल एक ही निश्चयात्मक विधि है और वह है साकारवादी प्रयोगात्मक आलोचनात्मक विज्ञान की विधि। प्राणि-शास्त्र अन्य सभी यथार्थवादी विज्ञानों पर अबलम्बित है और इस प्राणि-शास्त्र के आधार पर बना हुआ जो समाज-शास्त्र है, अकेला वही हमें मानव-जीवन के नियमों का ज्ञान करा सकता है। मानवता अथवा मानव-समाज एक शरीर-यंत्र है जिसकी रचना या तो हो चुकी है या अभी हो रही है और जिसपर यांत्रिक विकास के सभी नियम लागू होते हैं। इनमें से एक मुख्य नियम शरीर के विभिन्न अंगों में श्रम का विभाजन है। इसलिए यदि कुछ लोग शासन और दूसरे केवल आदेश का पालन करते हैं, यदि कुछ लोग सोने की गुल्लियों में खेलते हैं और कुछ निर्धनता में पड़े सड़ते हैं तो इसका यह कारण नहीं है कि ईश्वर की इच्छा ही ऐसी है या राज्य व्यक्तित्व के प्रस्फुटन का ही एक रूप है, बल्कि इसका कारण यह है कि शरीर की भाँति समाज में भी श्रम का विभाजन होता है जो समस्त समाज के जीवन के लिए आवश्यक होता है, कुछ लोग शारीरिक कार्य करते हैं और कुछ मानसिक।

हमारे युग में इसी सिद्धात के आधार पर उस बृहद् ओट का निर्माण हुआ है जिसके पीछे छिपकर लोग अपने श्रम से मुक्त रहने के अधिकार को उचित प्रमाणित करते हैं।

: २६ :

## मानव-समाज की वैज्ञानिक व्याख्या

ईसा ने एक नए सिद्धात का प्रचार किया जोकि बाइबिल में उल्लिखित है। इस सिद्धात का तिरस्कार किया गया और उसे स्वीकार नहीं किया गया। तब आदम के अघ पतन और पहले फरिश्ते

की कहानी गढी गई और उसीको ईसा का उपदेश कहकर प्रचारित किया गया। यह गाथा बिलकुल मूर्खतापूर्ण और निराधार थी, किंतु इससे यह स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता था कि मनुष्य अनुचित रूप से जीवनयापन करता हुआ भी अपने को ईसा द्वारा समर्थित मान सकता है। यह निष्कर्ष नैतिक श्रम से घृणा करनेवाले बहुसंख्यक दुर्बल मनुष्यों को इतना भाया कि इसे उन्होंने एक साधारण सत्य नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा प्रकट किये गए सत्य के रूप में ग्रहण कर लिया। लगभग एक हजार वर्ष तक विद्वान् धर्मवेत्ता इसी निष्कर्ष को आधार मानकर अपने सिद्धांतों का निर्माण करते रहे।

बाद में ये धर्मशास्त्री भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में बंट गए, एक दूसरे के मत का विरोध करने लगे और उन्हें स्वयं अनुभव होने लगा कि उनकी बुद्धि चकरा गई है और वे अपनी कही हुई बातें समझ नहीं पा रहे हैं। किंतु जनता ने उनसे फिर उसी प्रिय सिद्धांत की पुष्टि करने की माग की, अतः उन्हें यह ढोंग रचना पडा कि वे जो कुछ कहते हैं उसे समझते हैं और उसपर विश्वास भी करते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपना उपदेश जारी रखा, किंतु वह भी समय आया जब धर्मशास्त्रियों के ये निष्कर्ष निरर्थक सिद्ध हुए, जनता ने उनकी गुफाओं के भीतर झाका और साश्चर्य देखा कि धर्मशास्त्र के रहस्य उसे जिस पवित्र और असदिग्ध सत्य के रूप में दिखलाई पड़ते हैं उसका वहा सकेत भी नहीं; वहा तो भयानकतम पाखंड के अतिरिक्त न कुछ है न कभी रहा है। स्वभावतः उसे अपने अधेपन पर बड़ा विस्मय हुआ।

दर्शन के सम्बन्ध में भी यही बात हुई। दर्शन से मेरा अभिप्राय कनफ्यूशियस<sup>१</sup>, सुकरात या एपिक्टेटस<sup>२</sup> की बताई हुई ज्ञान की बातों से नहीं है। यहा मेरा सकेत उस पेशेवर दर्शन से है जिसका उद्देश्य अकर्मण्य घनाढ्यों को प्रसन्न करना था।

१ चीनी दर्शन-शास्त्र का प्रवर्तक, प्रसिद्ध दार्शनिक और सुधारक (५५१-४७८ ई० पूर्व)।

२ स्टोइक दार्शनिक (प्रथम शताब्दी)।

अभी बहुत दिन नहीं हुए, इस विद्वत्तापूर्ण शिक्षित ससार में आन्धा के विकासवाद का बोलवाला था। इस सिद्धांत का कहना था कि जो कुछ है वह उचित है, न कोई वस्तु बुरी है न अच्छी और मनुष्य को बुराई के साथ युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, उसका काम तो केवल आत्मा का विकास करना है—अर्थात् जो सेना में नौकर है वह वहां की नौकरी करके, जो अदालत में है वह वहां का कर्त्तव्य पूरा करके और जो बीन बजाता है वह बीन बजाकर अपनी आत्मा का विकास करे।

मानव-वृद्धि कितने ही विभिन्न रूपों में व्यक्त की गई है। १९ वीं शताब्दी के लोग उन सब रूपों से परिचित थे। उन्हें रूसो<sup>१</sup>, पास्कल<sup>२</sup>, लेसिंग<sup>३</sup> और स्पिनोजा<sup>४</sup> के सिद्धांतों का ज्ञान था और साथ-ही-साथ वे प्राचीन काल के वृद्धि-तत्त्व को भी जानते थे। किंतु जनता के हृदय पर किसी और की बातों का प्रभाव नहीं पड़ा। यह भी कहना ठीक नहीं होगा कि हीगेल की लोकप्रियता का कारण केवल हीगेलियन सिद्धांतों का सामंजस्य था, क्योंकि फिक्टे<sup>५</sup>, शोपनहार<sup>६</sup> आदि के सिद्धांत कुछ कम सामंजस्यपूर्ण न थे। कुछ समय के लिए हीगेल के सिद्धांतों पर समस्त ससार को जो विश्वास हो गया था उसका केवल एक कारण था और वह कारण वही था जो मानव के पतन व उद्धार के सिद्धांत की सफलता का कारण था, अर्थात्, हीगेलियन सिद्धांत से निकलने-वाले निष्कर्ष भी मनुष्य की दुर्बलताओं को ही पोषित करते थे। वे कहते थे—प्रत्येक वस्तु उचित है, प्रत्येक वस्तु अच्छी है, किसीको

१ प्रसिद्ध फ्रांसीसी दर्शनवेत्ता (१७१२-७८)।

२ फ्रांसीसी दार्शनिक और गणित (१६२३-६२)।

३. जर्मन कवि और आलोचक (१७२९-८१)।

४ प्रसिद्ध आस्ट्रियन दर्शनवेत्ता (१६३२-७७)।

५. जर्मन दार्शनिक (१७६२-१८१४)।

६ निराशावादी जर्मन दार्शनिक ( १७८८-१८६० ) उनकी विचारधारा भगवान बुद्ध की विचारधारा से बहुत कुछ मिलती जुलती है।

किसी बात के लिए दीप नहीं दिया जा सकता। जिस प्रकार धर्माचारियों ने पुनरुद्धार के सिद्धान्त से लाभ उठाया था, उसी प्रकार दार्शनिकों ने हीगेल के सिद्धान्तों की नींव पर अपना किला खड़ा किया (कुछ पिछड़े हुए लोग तो अभी तक उसीमें बैठे हैं)। स्वभावतः धर्माचारियों की ही भाँति दार्शनिकों की उक्तियों में भी उलझन पैदा हो गई और उन्हें भी यही अनुभूति हुई कि वे जो कुछ कर रहे हैं उसे वे सत्य नहीं समझते। फिर भी धर्माचारियों के समान ही वे अपने कलुष की सफाई किये बिना ही जनता पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने की अविरल चेष्टा करते रहे। पहले की ही तरह जनता को जो बातें अनुकूल प्रतीत हुईं उनकी उसने पुष्टि चाही और उन्हीं वह विद्वान् उत्पन्न हो गया कि जो बाने उसे अस्पष्ट तथा विरोधात्मक लगनी हैं वे दर्शन की दृष्टि में दिन के प्रकाश की भाँति स्पष्ट हैं। किंतु समय आने पर यह सिद्धान्त भी मिथिल पड़ गया और उसका स्थान एक नए सिद्धान्त ने ले लिया। पुगना सिद्धान्त निरर्थक हो गया और जनता ने एक बार फिर पुरोहितों की गुफाओं में झाँक कर देखा कि कुछ अर्थहीन अगम्य शब्दों के अतिरिक्त वहाँ न कुछ है, न कभी रहा है। यह घटना तो मेरी याद में ही घटी।

मेरे जीवन के आरम्भ-काल में हीगेल के सिद्धान्त का जोलवाला था। उन दिनों तो मानो वह नमस्त वायुमण्डल में व्याप्त था। पत्र-पत्रिकाओं में, उपन्यासों और निबंधों में, कला और इतिहास में, उपदेश और परस्पर वातचीत में सब जगह हीगेल के ही सिद्धान्त की धूम थी। जिसने हीगेल को नहीं पढ़ा था उसे बात करने का अधिकार नहीं था। जो लोग सत्य का गोध करना चाहते थे, वे हीगेल के ग्रंथ पढ़ते थे। उस समय सब कुछ उसीपर अवलम्बित था। किंतु अब चालीन वर्ष बाद उसका कुछ भी शेष नहीं रह गया है, अब कोई उनका नाम तक नहीं लेता, मानो कभी उनका अस्तित्व ही न रहा हो। सबसे बड़े मार्क्स की बात तो यह है कि बूढ़े ईसाई धर्म के समान हीगेल के सिद्धान्त का पतन भी किसीके विरोध के कारण नहीं हुआ, बल्कि इसलिए हुआ कि एकाएक यह स्पष्ट हो गया कि हमारे

विद्वत्तापूर्ण शिक्षित ससार को दोनों में से एक की भी आवश्यकता नहीं है।

यदि हम आजकल के किसी शिक्षित व्यक्ति से फरिश्ते और आदम के अथ पतन या पुनरुद्धार की बातें करे तो वह न तो आपने तर्क-वितर्क करने की चेष्टा करेगा, न आपकी बात को झूठा ठहराने का प्रयत्न करेगा। वह तो केवल उलझन के साथ पूछेगा—“कौन-सा फरिश्ता ? आदम क्यों ? मुक्ति कैसी ? इससे मुझे क्या लाभ ?” यही बात हीगेल के सिद्धांत के बारे में भी है। आजकल का कोई व्यक्ति उसपर तर्क-वितर्क नहीं करेगा। वह केवल अचम्भे के साथ पूछेगा — “कौन-सी आत्मा ? उसका प्रादुर्भाव कहासे होता है ? और उसका विकास क्यों होता है ? मुझे उससे क्या लाभ ?”

आजकल के वैज्ञानिक इसके उत्तर में कहेंगे—“हां, ये सब बातें धार्मिक और दार्शनिक काल की चीखपुकार के कारण हुई थी, किंतु अब हमारे पास आलोचनात्मक और प्रमाणित विज्ञान है जोकि प्रयोग तथा सामान्य निर्णय पर आधारित होने के कारण कभी धोखा नहीं देता। हमारा ज्ञान अब लचर नहीं है जैसाकि पहले था और अब हमारे ही मार्ग पर चलने से मनुष्य-जाति के सब प्रश्नों का उत्तर मिल सकेगा।

किंतु ठीक ऐसी ही बातें तो पुराने धर्मचार्य भी कहा करते थे और निश्चय ही वे मूर्ख नहीं थे, क्योंकि हम जानते हैं कि उनमें से कितने ही प्रकांड बुद्धि के थे। हमारी याद में हीगेल के अनुयायी भी ऐसी बातें कुछ कम विश्वास के साथ नहीं किया करते थे। तथाकथित शिक्षित समाज ने उनके मतों को कुछ कम स्वीकार नहीं किया था। और वे हर्जॉन, स्टैंकविच, वेलिस्की आदि भी मूर्ख थोड़े ही थे। तो फिर, इस आश्चर्यजनक घटना का क्या कारण था कि बड़े-बड़े बुद्धिमान लोगों ने जनता को ऐसी बेसिर-पैर की खोलखली बातों का उपदेश दिया और जनता ने उन्हें आदर सहित स्वीकार भी किया ? कारण यही था कि इन सिद्धांतों के बल पर लोग अपने दोषपूर्ण जीवन को उचित ठहराते थे।



साकारवादी, आलोचनात्मक और प्रयोगशील वैज्ञानिकों को अपने अदर जो विश्वास है और जनता उनके सिद्धांतों को जिस आदर की दृष्टि से देखती है, उसका कारण क्या अब भी वही है जो पहले था ? यह बात बड़ी विचित्र मालूम होती है कि विकासवाद के सिद्धांत से लोगों के अन्यायपूर्ण कार्यों को उचित ठहराया जा सकता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो विज्ञान का सम्बन्ध केवल वस्तु से है और वह उसीका अध्ययन करना है ।

किंतु यह बात केवल देखने में ऐसी मालूम पड़ती है । ऐसा ही धार्मिक सिद्धांतों के विषय में भी थी । ऐसा जान पड़ता था कि धर्म का सम्बन्ध केवल सिद्धांतों से है, मनुष्य के जीवन से नहीं । दर्शन के विषय में भी ऐसी ही भ्रांति थी । ऐसा लगता था कि उसका सम्बन्ध केवल पारलौकिक तर्कों से है ।

किंतु ये सब बातें केवल देखने में ऐसी लगती थी । यही बात व्यापक रूप से हीगेल के सिद्धांतों और विशेष रूप से माल्थस की विचारधारा के विषय में भी थी ।

हीगेल का दर्शन-शास्त्र केवल तार्किक निष्कर्षों से सम्बन्धित जान पड़ता था, लोगों के जीवन से नहीं । ऐसी ही प्रतीति माल्थस की विचारधारा के विषय में भी होती थी । उसका एक मात्र सम्बन्ध वस्तु सम्बन्धी आकड़ों से जान पड़ता था, किंतु वह भी केवल प्रतीत ही होता था ।

आधुनिक विज्ञान वस्तुस्थिति की जांच करता है । किंतु कौन-सी वस्तुस्थिति ? क्या कारण है कि कुछ विशेष वस्तुस्थितियों का ही अध्ययन किया जाता है, दूसरियों का नहीं ?

आजकल के विज्ञान-वेत्ताओं को बड़ी गम्भीरता और विश्वास के साथ यह कहने का शौक है—“हम केवल वस्तुस्थिति का अध्ययन करते हैं,” मानो इन शब्दों का कोई अर्थ हो ।

केवल वस्तुस्थिति की जांच करना सम्भव नहीं है, क्योंकि जांच के लिए उपलब्ध पदार्थों की संख्या वस्तुतः अपरिमित है । वस्तुस्थिति की परीक्षा करने से पहले एक ऐसे सिद्धांत का होना आवश्यक है

जिसके आवार पर असख्य बातों में कुछ विशेष बातें परीक्षण के लिए चुनी जा सकें। ऐसा सिद्धांत मौजूद है और बड़े ही स्पष्ट रूप से व्यक्त भी किया जा चुका है। फिर भी आजकल के अनेक वैज्ञानिक या तो इमकी अवहेलना करते हुए इसे जानना नहीं चाहते या सचमुच इसे जानते ही नहीं या इसे न जानने का बहाना करते हैं। यही बात समस्त महत्वपूर्ण और निर्देशक सिद्धांतों के साथ रही है, चाहे वे धार्मिक रहे हो चाहे दार्शनिक।

प्रत्येक मत की नींव सदा उसके सिद्धांत में होती है और विद्वान् कहे जानेवाले लोग केवल उपलब्ध जानकारी के आवार पर कभी-कभी अनजाने ही नए निष्कर्ष निकाला करते हैं। किंतु उन सबके पीछे सदा एक मूलभूत सिद्धांत होता है। यही कारण है कि आधुनिक विज्ञान अपनी जाच के लिए वस्तुस्थित का चयन सुनिश्चित सिद्धांत के आधार पर करता है, जिसका कभी तो उसको ज्ञान होता है और कभी नहीं होता और कभी-कभी उसके विद्यमान रहने पर भी वह उसे जानना नहीं चाहता।

वह सिद्धांत यह है—समस्त मनुष्य-समाज एक शरीर-यंत्र है; व्यक्ति उस यंत्र का एक अंग है और समस्त यंत्र के परिचालन के लिए प्रत्येक व्यक्ति का एक विशिष्ट कर्तव्य होता है।

शरीर-यंत्र को अपने अस्तित्व की अक्षुण्णता के लिए जो-जो क्रियाएँ करनी पड़ती हैं, उन्हें उसके विभिन्न तंतु आपस में बाट लेते हैं, किसी इन्द्रिय को-वे पुष्ट करते हैं और किसीको दुर्बल बनाते हैं और किसी एकके साथ अधिक सहयोग करके ममण्टि रूप में सारे शरीर-यंत्र की आवश्यकताओं की सतोषजनक पूर्ति के लिए उद्योग करते हैं। सामाजिक जंतु—चीटिया और मधुमक्खिया भी—आपस में अलग-अलग काम बाट लेते हैं—रानी अडा देती है, नर गर्भाधान करते हैं और श्रेष्ठ मधु-मक्खिया अपनी समस्त जाति के जीवन के लिए श्रम करती है। ठीक इसी प्रकार मानव-समाज में भी उसके विभिन्न अंग अपना अलग-अलग कार्य करते हैं और फिर समस्त की उन्नति के लिए समन्वित भी हो जाते हैं।

अतः मनुष्य-जीवन के नियमों का अनुसंधान करने के लिए शरीर-यंत्रों के विकास और जीवन-सम्बन्धी नियमों का अध्ययन करना आवश्यक है। शरीर-यंत्रों के जीवन और विकास में हमें भिन्न-भिन्न नियम दिखाई देते हैं—(१) प्रत्येक घटना के तात्कालिक परिणाम के अतिरिक्त उसके अन्य परिणाम भी होते हैं, (२) जिन अंगों पर कार्य-विभाजन का सिद्धांत लागू नहीं होता वे प्रायः दुर्बल होते हैं, (३) विषमता और समता का नियम। ये सब देखने में बड़े निर्दोष मालूम होते हैं, किंतु यदि हम इन प्रेक्षित तथ्यों से निष्कर्ष निकालें तो हमें यह तत्काल पता चल जायगा कि इनकी प्रवृत्ति किस ओर है। इन सबका झुकाव एक ही बात की ओर होता है और वह है मानवता या मानव-समाज को एक शरीर-यंत्र मानना और उसके परिणामस्वरूप मानव-समाज में रचित कार्य-विभाजन को आवश्यक समझना। चूंकि मानव-समाज में बहुत-सी कृता और घृणा भरी हुई है, इन क्रियाओं को क्रूर या घृणास्पद नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि ये श्रम-विभाजन के व्यापक नियमों को सिद्ध करनेवाले असदिग्ध प्रमाण हैं।

आध्यात्मिक दर्शन-शास्त्र भी हर प्रकार की क्रूरता और घृणा को उचित ठहराया करता था, किंतु उसका यह कार्य दार्शनिक सिद्धांतों पर अवलम्बित होने के कारण असदिग्ध नहीं समझा जाता। विज्ञान में यह वैज्ञानिक रूप ग्रहण कर लेता है और इसलिए असदिग्ध मान लिया जाता है।

ऐसे सुन्दर सिद्धांत को भला कौन स्वीकार नहीं करेगा ? मानव-समाज को अवलोकन का विषय भर मानने की आवश्यकता है; फिर तो हम नष्ट होते हुए मनुष्यों की कमाई शांतिपूर्वक हड़प सकते हैं और अपनी आत्मा को यह सोचकर सान्त्वना दे सकते हैं कि एक नृतक, वकील, डाक्टर, दार्शनिक, अभिनेता या परमाणुओं के विभिन्न रूपों की जाच करनेवाले या किसी वस्तु के माध्यम की परीक्षा करनेवाले व्यक्ति की हैसियत से हम जो काम करते हैं वह मानव-शरीर-यंत्र के अंगों की आवश्यक क्रियाएँ हैं। जिस तरह यह प्रश्न नहीं उठ सकता

कि मस्तिष्क के तत्तु का पुट्ठो के तत्तुओ के श्रम से लाभ उठाना अन्याय-पूर्ण है या नही, उसी तरह यह प्रश्न भी नही उठ सकता कि दूसरो के श्रम का उपभोग करना मेरे लिए उचित है या नही। मैं तो वही करता हू जो भुझे भाता है।

तो भला हम एक ऐसे व्यावहारिक सिद्धात को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं जो हमे इस योग्य बना देता है कि हम अपनी आत्मा को सदा के लिए जेव मे रखकर शाति के साथ निरकुश पशु-जीवन व्यतीत करें और साथ ही यह भी अनुभव करते रहे कि हमे आधुनिक विज्ञान का अटल समर्थन प्राप्त है ? यही वह नया मत है जिसके आधार पर आजकल मनुष्यो को अकर्मण्यता और क्रूरता को उचित ठहराया जाता है।

: ३० :

## कॉम्टे की साकारवादी विचारधारा

इस मत को प्रचलित हुए अभी थोडे ही दिन हुए हैं—यही कोई ५० वर्ष। इसका मुख्य सस्थापक फ्रांसीसी दार्शनिक आगस्ट कॉम्टे था। वह सुव्यवस्थित जीवन में विश्वास करनेवाला एक धार्मिक व्यक्ति था। विशाट\* के शरीर सम्बन्धी अभिनव अन्वेषणो से प्रभावित होने के कारण कॉम्टे पर मेनेनियस एग्रोप द्वारा बहुत पहले व्यक्त किये गए इस पुराने विचार का गहरा असर पडा कि समस्त मानव-समाज, यहा तक कि समस्त मानवता को एक समष्टि, एक शरीर-यत्र माना जा सकता है और मनुष्य विभिन्न इन्द्रियो के सजीव तत्तु माने जा सकते हैं, जिनमे से प्रत्येक का समष्टि शरीर के प्रति एक निश्चित कर्तव्य होता है। यह विचार कॉम्टे को इतना पसद आया कि उसने इसके आधार पर एक दर्शन-सिद्धात की रचना कर दी। इस सिद्धात के

\* प्रसिद्ध फ्रांसीसी शरीर-शास्त्रज्ञ (१७७१-१८०२)।

प्रवाह में वह इस प्रकार वह गया कि उसे इतना भी स्मरण न रहा कि जिस उपमा के आधार पर उसने अपने सिद्धांत की नींव डाली है वह कथा-कहानियों के लिए तो उपयुक्त हो सकता है किंतु विज्ञान का उपयुक्त आधार नहीं बन सकता। जैसा कि बहुधा होता है, उसने अपनी इस प्रिय मान्यता को एक स्वयंसिद्ध सूत्र मान लिया और सोचा कि उसके सिद्धांत की भित्ति अकाट्यतम वैज्ञानिक प्रयोगों पर खड़ी है। उसके सिद्धांत के अनुसार मानव-समाज एक शारीरिक यंत्र के समान था, अतएव इस बात का ज्ञान कि मनुष्य क्या है और विश्व के साथ उसका कैसा सम्बन्ध होना चाहिए केवल उस यंत्र के गुणों का अध्ययन करने से प्राप्त हो सकता है। इन गुणों के समझने के लिए मनुष्य अन्य—अर्थात् छोटे-छोटे—शारीरिक यंत्रों का अध्ययन कर सकता था और उनसे परीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकता था। इसलिए कॉम्टे के मतानुसार सबसे पहली बात तो यह है कि विशेष परीक्षणों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की रीति ही सच्ची और वैज्ञानिक रीति है और सच्चा विज्ञान वही है जिसका आधार प्रयोग हो। दूसरी बात यह है कि विज्ञान का उद्देश्य तथा अंतिम लक्ष्य वह नया विज्ञान है जिसमें मनुष्य की कल्पना एक शरीर-यंत्र के रूप में की जाती है। इस नए काल्पनिक विज्ञान का नाम समाज-शास्त्र है। विज्ञान को इस दृष्टिकोण से देखने से साधारणतः ऐसा लगता है मानो मनुष्य का पूर्व ज्ञान गलत था और मानवीय ज्ञान का इतिहास तीन या वस्तुतः दो ही युगों में बटा हुआ है—(१) दार्शनिक तथा धार्मिक युग—सृष्टि के आरम्भ से लेकर कॉम्टे के अवतरण तक, और (२) सत्य विज्ञान, यानी स्वाभाविक अथवा आधारभूत विज्ञान का वर्तमान युग, जिसका आरम्भ कॉम्टे से होता है।

देखने में यह बड़ा सुन्दर लगता है। त्रुटि केवल एक है—वह यह कि सारा भवन रेत पर बना हुआ है, इस निराधार विश्वास पर कि मानव-समाज एक शरीर-यंत्र है।

यह मान्यता एक जबरदस्ती की मान्यता थी क्योंकि हमें मनुष्य-समाज को एक अदृश्य शरीर-यंत्र के रूप में स्वीकार करने का उसी

प्रकार अधिकार नहीं है जैसे त्रिदेव की विद्यमानता या अन्य दार्शनिक सिद्धांतों को स्वीकार करने का।

यह मान्यता इसलिए भी अगुद्ध थी कि मनुष्य-समाज में शरीर-यत्र के अनिवार्य लक्षण—अर्थात् अनुभूति और ज्ञान-केन्द्र—के विद्यमान न होते हुए भी उसकी परिभाषा गलत तौर पर शरीर-यत्र के रूप में की गई है। हाथी अथवा कीटाणु को शरीर-यत्र कहने का एक मात्र कारण यह है कि हम समझते हैं कि उसमें भी ज्ञान-शक्ति और अनुभूति का वंसा ही एकीकरण है जैसा हम स्वयं अपने में अनुभव करते हैं। किंतु मानव-समाज में इस आवश्यक लक्षण का अभाव है। इसलिए मानव-समाज और शरीर में हमें चाहे कितनी ही दूमरी समानताएं दिखाई दें, उक्त अनिवार्य संकेत के अभाव में मानव-समाज को शरीर-यत्र मानना बिलकुल अगुद्ध है।

किंतु साकारवाद के मूल सूत्र के निराधार और अगुद्ध होने पर भी शिक्षित समुदाय ने उसे बड़े प्रेम से अपनाया। इसका कारण यह था कि उस समय मनुष्य-समाज में प्रचलित हिंसात्मक नियमों को न्याय-युक्त सिद्ध करके इस साकारवाद ने अपने आपको उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण बना लिया था। इस सम्बन्ध में सबसे बड़े मार्को की बात यह है कि कॉम्टे की दो कृतियों—साकारवादी दर्शन तथा साकारवादी राजनीति—में से हमारे शिक्षित समाज ने केवल दर्शन को ही स्वीकार किया—अर्थात् उसने कॉम्टे की बात के केवल उस भाग को माना जो नए अनुभवात्मक सिद्धांतों के आधार पर मनुष्य-समाज की तत्कालीन दुराइयों को उचित बताता था। दूसरा भाग, जिसमें समस्त मानवता को एक शरीर-यत्र मानने के कारण उत्पन्न होनेवाले धार्मिक और नैतिक कर्तव्यों की चर्चा की गई थी, न केवल महत्वहीन बल्कि नगण्य और अवैज्ञानिक भी माना गया।

जो बात कैंट\* के दर्शन-शास्त्र के दो भागों के साथ हुई थी वही

---

\* इमैन्यूएल कैंट—लव्वप्रतिष्ठ जर्मन दार्शनिक और विज्ञानवेत्ता (१७२४-१८०४)।

कॉम्टे की कृतियों के साथ भी हुई। शुद्ध बुद्धिवाद की आलोचना को तो विद्वद् मडली ने स्वीकार कर लिया, किंतु व्यावहारिक बुद्धिवाद की आलोचना को जिसमें कैंट के नैतिक शिक्षण का सार भरा था, अस्वीकार कर दिया। कॉम्टे द्वारा प्रचारित सिद्धांतों में से उन्होंने उस भाग को वैज्ञानिक माना जिसमें तत्कालीन बुराडियों का समर्थन किया गया था, किंतु जनसमुदाय द्वारा स्वीकृत यह दर्शन मिथ्या और अपरिपक्व आधार पर अवलम्बित होने के कारण इतना डावाडोल था कि स्वयं अपने बल पर टिके रहना उसके लिए असम्भव था। और तब, तथाकथित विज्ञान की अनेक कपोल-कल्पित धारणाओं में से एक ऐसे सिद्धांत की उत्पत्ति हुई जिसमें न तो कोई नवीनता थी और न सत्य। यह सिद्धांत यह था कि प्राणी अर्थात् शरीर-यंत्र न केवल एक दूसरे से उत्पन्न होता है बल्कि एक शरीर-यंत्र अनेक शरीर-यंत्रों से उद्भूत होता है; उदाहरण के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि कोई मछली या वृक्ष बहुत लम्बे अर्से से (मान लीजिए १,००,००० वर्ष से) किसी एक ही योनि से उत्पन्न होती चली आई हो। यह भी सम्भव है कि एक ही जीव की सृष्टि विभिन्न जीवों से हुई हो। उदाहरण के लिए मधुमक्खियों के एक झुंड से अकेले किसी एक पशु की उत्पत्ति हो सकती है।

यह अशुद्ध और निराधार सिद्धांत शिक्षित समुदाय द्वारा और भी अधिक उत्साह के साथ अपनाया गया। इस सिद्धांत को निराधार कहने का कारण यह है कि आज तक किसीने यह नहीं देखा है कि एक विशिष्ट प्रकार का जीव दूसरे जीवों से किस प्रकार आविर्भूत होता है। अतः जीव-योनियों की उत्पत्ति की कल्पना कल्पनामात्र रह जाती है और कभी अनुभव-सिद्ध नहीं होती। इस धारणा के अशुद्ध होने का एक दूसरा कारण यह है कि योनि-उत्पत्ति के प्रश्न का यह कहकर समाधान करना कि जीव-योनि पौतक वंश-परम्परा के नियमों के अनुसार अत्यन्त दीर्घ काल में उत्पन्न हुई है कोई समाधान नहीं है; बल्कि उसी प्रश्न की एक नए रूप में पुनरावृत्ति मात्र है। इस समस्या का जो हल हजरत मूसा ने बतलाया था उसके अनुसार योनियों की

विभिन्नता का कारण ईश्वर की इच्छा और उसकी अनन्त शक्ति है, किन्तु जीव-विकास के सिद्धांत से सिद्ध होता है कि योनियों की विभिन्नता स्वयं अपने आपमें से, दीर्घकालीन पैतृक वंश-परम्परा और परिस्थिति की कभी समाप्त न होनेवाली विभिन्न स्थितियों के अनुसार उत्पन्न हुई है। सीधे-सादे शब्दों में जीव-विकास के सिद्धांत से केवल इतना सिद्ध होता है कि दीर्घ काल में एक वस्तु दूसरी वस्तु से हमारे इच्छानुसार उत्पन्न हो सकती है।

वस्तुतः यह प्रश्न का उत्तर नहीं बल्कि उसका रूपांतर मात्र है। ईश्वरेच्छा का स्थान घटना-चक्र को दे दिया गया है और अनन्त को शक्ति से हटाकर काल के साथ जोड़ दिया गया है। किन्तु इस नए सिद्धांत से—जिसे डार्विन के अनुयायियों ने और भी अधिक निराधार और मिथ्या बना दिया—कॉम्टे के पहले सिद्धांत का समर्थन हुआ और इसलिए वह हमारे युग का दैवी प्रकाश और समस्त शास्त्रों—यहां तक कि इतिहास, भाषा-विज्ञान और धर्म तक—का आधार बन गया। इससे भी बड़ी बात यह हुई कि इस सिद्धांत के सस्थापक स्वयं डार्विन ने स्वीकार किया कि उनके मन में इस सिद्धांत का प्रादुर्भाव माल्थस के सिद्धांत के अध्ययन के परिणामस्वरूप हुआ था और उसीसे प्रभावित होकर डार्विन ने यह सिद्धांत निकाला कि जीवन का आधारभूत नियम यह है कि प्राणीमात्र को—जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है—जीवन के साथ संघर्ष करना पड़ता है। हम देखते हैं कि काहिल लोगों को अपनी स्थिति को औचित्यपूर्ण ठहराने के लिए विलकुल ऐसी ही वस्तु की आवश्यकता थी।

इस प्रकार दो निर्बल सिद्धांत, जो पृथक-पृथक अपने पैरों पर खड़े होने में असमर्थ थे, एक-दूसरे का समर्थन करने लगे और स्थायी सिद्धांत-से दिखाई देने लगे। दोनों सिद्धांतों में वही अर्थ निहित था जो जनता को इतना प्रिय लगता था—अर्थात् यह कि मानव-समाज में जो बुराईया फैली हुई हैं उनके लिए मनुष्य दोषी नहीं ठहराया जा सकता, वर्तमान स्थिति वैसी ही है जैसी होनी चाहिए। वस इस नए सिद्धांत को लोगों ने अपने आवश्यकतानुकूल अर्थ में पूर्ण विश्वास और अभूतपूर्व उत्साह के



साथ अपना लिया और ये ही दो निराधार तथा अशुद्ध धारणाएँ, जो लोगो के लिए अधविश्वास बन गईं, नए विज्ञानवाद का आधार बनीं।

विषय और रूप दोनों ही में यह सिद्धांत ईसाई सिद्धांतों से अत्यधिक मिलता-जुलता है। जहाँ तक विषय का प्रश्न है, दोनों में सादृश्य यह है कि दोनों ही में एक वास्तविक वस्तु को एक विचित्र मिथ्या अर्थ दे दिया जाता है और फिर इसी कृत्रिमता को शोध का विषय बना लिया जाता है।

यह एक विचित्र बात है कि ईसाई धर्म में ईसा को स्वयं ईश्वर माना गया है, यद्यपि वह इस ससार के ही एक प्राणी थे। इसी प्रकार साकारवादी सिद्धांत के अनुसार सदेह मानव को एक यत्र माना गया है। वास्तविक रूप से इन दोनों सिद्धांतों में उल्लेखनीय सादृश्य है क्योंकि दोनों ही में कुछ थोड़े-से व्यक्तियों द्वारा प्रतिपादित विचारधारा को एक मात्र नितान्त सत्य विचारधारा स्वीकार कर लिया गया है। ईसाई धर्म में यह मान लिया गया है कि जो लोग अपने को ईसा के अनुयायी कहते हैं उन्हें ईश्वर का दर्शन होना पुनीत और एकांत सत्य है। इसी प्रकार साकारवादियों का विश्वास है कि जो लोग अपने को विज्ञानवेत्ता कहते हैं उन्हें विज्ञान का ज्ञान होना असदिग्ध और सत्य है। जिस प्रकार ईसाई लोग यह स्वीकार करते हैं कि प्रभु के सच्चे ज्ञान का प्रादुर्भाव गिरजा से ही होता है और अपने से पहले के आस्तिकों को वे केवल शिष्टतावश ईसाई धर्म का अवलम्बी मान लेते हैं, उसी प्रकार वैज्ञानिकों का दावा है कि साकारवादी विज्ञान का मूलपात कॉम्टे से ही हुआ था और यह तो उनकी भद्रतामात्र है कि वे स्वीकार कर लेते हैं कि उनसे पहले भी कभी विज्ञान का अस्तित्व था और वह भी अरस्तु आदि जैसे कुछ इनेगिने व्यक्तियों में। ईसाई धर्म के अवलम्बियों की ही भाँति साकारवादी विज्ञानवेत्ता भी शेष मानव-समाज में ज्ञान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते और अपने क्षेत्र से बाहरवालों के ज्ञान को एक भूल मात्र मानते हैं।

यह साम्यता आगे भी दिखाई देती है। जिस प्रकार ईसा और त्रिदेव के देवत्व का समर्थन करने के लिए इस पुराने सिद्धांत का आश्रय

लिया गया कि मानव का पतन होने पर ईसा ने अपने शरीर का त्याग कर उसको मुक्ति दी और जिस प्रकार इमी सिद्धांत को एक नया अर्थ देकर दोनों के मेल से लोकप्रिय ईसाई धर्म का निर्माण हुआ, उसी प्रकार हमारे युग में कॉम्टे के शरीर-यत्र सम्बन्धी मूलभूत सिद्धांत को प्रेरणा देने के लिए विकासवाद के पुराने सिद्धांत का महारा लिया गया और उसे एक नया अर्थ प्रदान कर दोनों के संयोग से लोकप्रिय वैज्ञानिक मत का आविर्भाव किया गया ।

दोनों ही क्षेत्रों में पुरानी नीति के समर्थन के लिए नई नीति आवश्यक थी और वह वही तक समझ में आती है जहां तक कि उसका आधारभूत नीति से सम्बन्ध है । यदि ईसा के देवत्व में विश्वास करने वाले व्यक्ति को यह समझ में नहीं आता कि ईश्वर इस पृथ्वी पर अवतरित क्यों हुआ, तो उम अवस्था में मुक्ति का सिद्धांत इसकी व्याख्या करने के लिए आ उपस्थित होता है । इसी प्रकार मनुष्य-समाज को यत्र माननेवाले व्यक्ति को यदि यह स्पष्ट नहीं होता कि व्यक्तियों के समूह को शरीर-यत्र क्यों माना जाता है तो विकासवाद का सिद्धांत इसका स्पष्टीकरण कर देता है ।

पहले मत और वास्तविकता के बीच विरोध की जो खाई है उसे पाटने के लिए मुक्ति के सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है । ईश्वर पृथ्वी पर मानव की रक्षा के लिए आया, किंतु मानव की रक्षा नहीं हुई, इस विरोध का निराकरण कैसे हो ? मुक्ति का सिद्धांत डमका उत्तर देता है—“ईश्वर ने उन व्यक्तियों की मुक्ति की है जो मुक्ति में विश्वास रखते हैं, यदि आपको इसमें आस्था है तो आपकी भी मुक्ति होगी ।”

इसी प्रकार पहले सिद्धांत और वास्तविकता के विरोधाभास को दूर करने के लिए विकासवाद का सिद्धांत प्रयोजनीय है । मानव-समाज एक यत्र है, फिर भी हम देखते हैं कि उसमें यत्र का प्रमुख लक्षण नहीं है—इस विरोध को कैसे दूर किया जाय ? इसका उत्तर हमें विकासवाद के सिद्धांत से मिलता है—“मानव एक ऐसा यत्र है जो अभी विकास की अवस्था में है । यदि आप इससे सहमत हैं तो आप मानव को एक यत्र मान सकते हैं ।”

जिस प्रकार त्रिदेव और ईसा के देवत्व सम्बन्धी धार्मिक विश्वासों को न माननेवाले लोगों के लिए मुक्ति के सिद्धांत के अर्थ तक को समझ सकना असम्भव है और जिस प्रकार इस अर्थ की व्याख्या केवल इस आधारभूत मत को मानकर ही की जा सकती है कि ईसा स्वयं ईश्वर हैं—उसी तरह साकारवादी अधविश्वासों से मुक्त मानव के लिए यह समझना तक असम्भव है कि मानव (Species) के आविर्भाव के सम्बन्ध में जो बातें सिखाई जाती हैं उनका वास्तविक मूल किस वस्तु में निहित है और इसका स्पष्टीकरण तभी होता है जब मनुष्य इस आधारभूत सिद्धांत को ग्रहण कर लेता है कि मानव-समाज एक शारीरिक यंत्र है।

और जिस प्रकार धार्मिक सिद्धांतों की सारी वारीकियां केवल मौलिक सिद्धांतों में विश्वास करनेवाले व्यक्तियों को ही समझ में आती हैं, उसी प्रकार समाज-शास्त्र की समस्त सूक्ष्मताएं—जिनपर आज नए-से-नए और धुरंधर-से-धुरंधर विज्ञानवेत्ता अपना मस्तिष्क खपा रहे हैं—केवल उनमें विश्वास करनेवाले लोगों की समझ में आती हैं।

दोनों सिद्धांतों की सदृशता एक और बात में भी दिखाई देती है और वह यह कि जो बातें आस्थापूर्वक स्वीकार की जाती हैं और जिनमें आगे छिद्रान्वेषण करने का कोई प्रश्न ही शेष नहीं रहता वे विचित्र-से-विचित्र सिद्धांतों का आधार बन जाती हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन सिद्धांतों के प्रचारक, जिन्हें अपने को धार्मिक बातों में पुनीत और वैज्ञानिक बातों में बुद्धिमान मानने अर्थात् अपने को अचूक समझने के अधिकार पर जोर देने की आदत पड़ गई है, वे बहुत ही मनमाने, अव्यावहारिक और पूर्णतः निराधार निष्कर्ष निकालते हैं और इन्हें दूसरों के सामने बड़ी गम्भीरता और पवित्रता के साथ व्यक्त करते हैं। किंतु जो लोग आधारभूत सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए भी विस्तार की बातों पर मतभेद रखते हैं वे इन निष्कर्षों के विचार पर उतनी ही गम्भीरता और पवित्रता के साथ वादविवाद करते हैं।

उदाहरण के लिए इस सिद्धांत के महान् पोषक हरवर्ट स्पेन्सर ने अपनी एक प्रारम्भिक पुस्तक में लिखा है—समाज और शरीर-यंत्र का निम्नलिखित बातों में एक-दूसरे से सादृश्य है—

(क) छोटे आकार में आरम्भ होकर वे अदृश्य रूप में बढ़ते रहते हैं, यहाँ तक कि कभी-कभी वे अपने मूल्य आकार से दम हजार गुना बड़े हो जाते हैं।

(ख) आरम्भ में उनकी रूपरेखा इतनी सरल होती है कि कहा जा सकता है कि उनकी कोई रूपरेखा ही नहीं है, किंतु जैसे-जैसे उनका विकास होता जाता है वैसे-वैसे उनकी जटिलता में वृद्धि होती जाती है।

(ग) प्रारम्भिक और अविकसित काल में इनके विभिन्न भागों में परस्पर निर्भरता नहीं के बराबर होती है, किंतु क्रमशः ये एक-दूसरे पर अधिक आश्रित होते हैं और अंत में यह निर्भरता इतनी प्रबल हो उठती है कि प्रत्येक भाग की क्रिया और जीवन शेष भागों की क्रिया और जीवन द्वारा ही सम्भव हो पाता है।

(घ) समाज का जीवन और विकास उसकी विभिन्न इकाइयों के जीवन और विकास से स्वतंत्र और अधिक दीर्घजीवी होता है। इकाइयों का जन्म, विकास, कार्य, पुनर्जन्म और मरण तो निरन्तर चलता ही रहता है, जबकि उनसे बना हुआ समुदाय पीढ़ी-दर-पीढ़ी तक जीवित रहता है और अपने ढाँचे की सम्पूर्णता और क्रियाशीलता के कारण आकार में निरन्तर वृद्धि पाता रहता है।

इसके बाद हरवर्ट स्पेन्सर शरीर-यंत्र और समाज के विभेदों की चर्चा करते हुए यह बताने की चेष्टा करते हैं कि ये भेद देखने भर को हैं और वास्तव में शरीर और समाज विलकुल एक जैसे होते हैं।

एक नए व्यक्ति के हृदय में स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि आखिर आप कह क्या रहे हैं ? समाज एक शारीरिक यंत्र क्योंकर है ? इनमें समानता कहाँ से आई ? आप कहते हैं कि ऊपर लिखे चार

---

※ प्रसिद्ध ब्रिटिश दार्शनिक ( १८२०-१९०३ )—संश्लेषात्मक दर्शन के समर्थक ।

लक्षणों के कारण ही समाज शरीर-यत्र से मिलता-जुलता है, लेकिन इसमें तो लेशमात्र भी सचाई नहीं। आप तो शरीर-यत्र के कुछ इने-गिने लक्षणों को ही लेते हैं और उन्हींके अतर्गत मानव-समाज की भी गणना कर लेते हैं। पहले तो आप समानता के चार लक्षण दिखाते हैं और फिर भेदों की चर्चा करते हैं। लेकिन आपकी राय में ये भेद सिर्फ दिखावटी हैं, इसलिए आप इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मानव-समाज को शरीर-यत्र माना जा सकता है। लेकिन यह तो केवल एक वाक्-पटुता हुई, इस आधार पर तो आप जिस वस्तु की भी चाहे शरीर-यत्र के लक्षणों के अतर्गत गणना कर सकते हैं।”

उदाहरण के लिए एक जगल को ले लीजिए जो मैदान में लगाया जाता है और धीरे-धीरे बढ़ता जाता है।

(क) स्पेन्सर ने पहली बात यह कही है कि छोटे आकार में आरम्भ होकर ये अदृश्य रूप से बढ़ते रहते हैं...आदि आदि। यही तो खेतों के साथ भी होता है। बीज धीरे-धीरे मैदान में जड़ जमा लेते हैं और मैदान वृक्षों से भर जाता है।

(ख) स्पेन्सर की दूसरी बात यह है कि प्रारम्भ में ढाँचा विल-कुल सरल होता है किन्तु बाद में बढ़ता जाता है। ठीक यही तो जगल के साथ भी होता है। सबसे पहले केवल कोमल तरु होते हैं और उसके बाद झाड़-झंझाड़। पहले ये सभी सीधे उगते हैं, परन्तु बाद में इनकी शाखाएँ एक-दूसरे से लिपट जाती हैं।

(ग) स्पेन्सर ने तीसरी बात यह कही है कि विभिन्न भागों की परस्पर निर्भरता बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि प्रत्येक भाग का जीवन शेष भागों के जीवन और क्रिया पर आश्रित हो जाता है..। यही वृक्षों के साथ भी होता है। झाड़ियों से वृक्षों के तनों को गर्मी पहुँचती है। इसी प्रकार यदि उन्हें काट डाला जाय तो दूसरे वृक्षों को जाड़े में पाला मार जाय। सीमावर्ती पेड़ों से जगल की हवा से रक्षा होती है और बीजवाले पेड़ों का उत्पादन-कार्य जारी रहता है। लम्बे और पत्तीदार वृक्ष छाया प्रदान करते हैं और एक वृक्ष का जीवन दूसरे वृक्ष के जीवन पर आश्रित होता है।

(घ) स्पेन्सर की चौथी मान्यता यह है कि भिन्न-भिन्न भागों का नाश हो सकता है किंतु उनसे बनी हुई सम्पूर्णता अमर रहती है...। यही बात जगल के लिए भी कही जा सकती है। कहावत भी है कि जगल किसी एक वृक्ष के लिए रुदन नहीं करता।

शरीर-यत्र के सिद्धांत के समर्थक साधारणतः जो उदाहरण देने हैं उसकी भी यही बात है। वे कहते हैं कि शरीर से यदि आप भुजा को काट डालें तो वह भुजा नष्ट हो जाती है। हम कहते हैं कि किसी वृक्ष को जगल की छाया और भूमि से हटा दीजिए और वह नष्ट हो जायगा।

इस सिद्धांत में और ईसाई सिद्धांत व विश्वास के आधार पर स्थापित सभी दूसरे सिद्धांतों में एक मार्ग की समानता है। वह यह कि ये सिद्धांत तर्क द्वारा खंडित नहीं किये जा सकते। सैद्धांतिक रूप से यह प्रमाणित करके कि हमें एक जगल को भी शरीर-यत्र मानने का अधिकार है हम समझते हैं कि हमने वैज्ञानिकों के सामने उनकी परिभाषा की अशुद्धता प्रकट कर दी है, किंतु यह बात लेश मात्र भी सत्य नहीं है। वैज्ञानिक लोग शरीर-यत्र की जो परिभाषा करते हैं वह इतनी अनिश्चित और लचीली होती है कि वे उसके अंतर्गत जो चाहे वही सम्मिलित कर सकते हैं। वे जगल को भी एक यत्र मान सकते हैं। जगल भी तो एक दूसरे को क्षति न पहुंचानेवाले भिन्न-भिन्न अंगों की शान्तिपूर्ण क्रिया-प्रतिक्रिया ही है, वह भी तो एक ऐसी समाविष्ट वस्तु है जिसके पृथक-पृथक अंगों का एक-दूसरे से घनिष्ठ संयोग हो सकता है और जो मधुमक्खियों के झुंड की तरह एक बन सकते हैं।

इसके उत्तर में आप कह सकते हैं कि तब तो उस जगल के पक्षी और कीड़े-मकोड़े भी—जिनकी एक-दूसरे पर क्रिया-प्रतिक्रिया होती रहती है किंतु जो एक-दूसरे को नष्ट नहीं करते—यहां तक कि उस जगल के वृक्ष भी शरीर-यत्र माने जा सकते हैं।

वैज्ञानिक लोग आपकी इस मान्यता को भी स्वीकार कर लेंगे। उनके सिद्धांत के अनुसार जीवित पदार्थों का हर वह समन्वय जिसके

पृथक-पृथक अंगों की आपस में प्रतिक्रिया होती रहती है किंतु जो एक दूसरे को नष्ट नहीं करते, एक शरीर-यंत्र माना जा सकता है। आप जिन पदार्थों में भी चाहे, पारस्परिक सम्बन्ध और सहयोग की मान्यता कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जिस चीज को भी चाहे उम्मीके विकास से दीर्घ काल में मनचाही वस्तु की उत्पत्ति हो सकती है।

प्रभु के त्रिदेव रूप में विश्वास करनेवाले लोगों के सामने यह सिद्ध करना असम्भव है कि भगवान के तीन रूप नहीं हैं, फिर भी यह बताना तो सम्भव है ही कि उनका मत ज्ञान पर नहीं बल्कि धार्मिक विश्वास पर आधारित है और यदि वे यह कहते हैं कि भगवान तीन हैं तो हम यह भी साधिकार कह सकते हैं कि भगवान १७ $\frac{1}{2}$  हैं।

इतने ही विश्वास के साथ बल्कि और भी अधिक विश्वास के माथ साकारवादी और विकामवादी विज्ञान के समर्थकों को भी यही उत्तर दिया जा सकता है। उस विज्ञान के आधार पर तो कोई कुछ भी प्रमाणित कर सकता है। लेकिन सबसे बड़े मार्कों की बात तो यह है कि यही साकारवादी विज्ञान वैज्ञानिक प्रणाली को सत्य ज्ञान का सकेत मानता है और जिसे वह वैज्ञानिक प्रणाली कहता है उसकी उसने स्वयं परिभाषा भी कर दी है। वास्तव में जिसे वह वैज्ञानिक प्रणाली कहकर पुकारता है वह और कुछ नहीं बल्कि साधारण वृद्धि है और यही साधारण वृद्धि पद-पद पर उसकी वृद्धि दिखाती है।

जो लोग साधु-सतों के पद पर आसीन थे उन लोगों ने जैसे ही यह अनुभव किया कि उनमें अब साधुत्व की कोई बात शेष नहीं रह गई है और वे अब अभिशापित हो गए हैं वैसे ही उन्होंने अपने को (पोप और धर्मसभा की भाँति) पुनीत ही नहीं बल्कि महापुनीत कहना आरम्भ कर दिया। वैसे ही, जैसे ही विज्ञान ने देखा कि अब उसमें कोई तर्कसंगत बात नहीं रह गई है वैसे ही उसने अपने को तर्कसंगत अथवा 'वैज्ञानिक' या 'शास्त्रीय' विज्ञान कहना आरम्भ कर दिया।

: ३१ :

## श्रम-विभाजन की आमक धारणा

कहा जाता है कि श्रम-विभाजन का नियम तो समार के सभी पदार्थों में पाया जाता है, इसलिए उसका मानव-समाज में भी होना अनिवार्य है। बहुत सम्भव है कि बात एंसी हो; किंतु इसके बावजूद यह प्रश्न तो बना रहता है कि क्या श्रम-विभाजन ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा कि वह आज के मानव-समाज में पाया जाता है? यदि श्रम-विभाजन की कोई एक प्रणाली लोगों को अनुचित और अन्याय-पूर्ण प्रतीत हो तो फिर किसी भी विज्ञान के लिए यह प्रमाणित करना सम्भव नहीं कि यही प्रणाली—जिसे लोग अनुचित और अन्यायपूर्ण समझते हैं—जारी रहनी चाहिए।

ईसाई धर्म ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि शक्ति डेव्हर-प्रदत्त है। बहुत सम्भव है कि ऐसा ही हो भी; किंतु यह प्रश्न तो जंप रह ही गया था—“ईश्वर ने यह शक्ति किसको दी है—कैथरीन को या भूगोव्योफ को?” निस्संदेह धर्म की कोई भी व्याख्या इस शका का समाधान नहीं कर सकती।

इसी प्रकार आत्मा के विकास में विध्वंस करनेवाले दर्शन-शास्त्र ने बताया था कि राज्य और कुछ नहीं, व्यक्तित्व के ही विकास का

---

१ रूस की महारानी कैथरीन द्वितीय ( महान् ), राज्यकाल—  
१७६१ से १७९६।

२ भूगोव्योफ ने १७७२ से १७७५ तक एक बड़े ही भयंकर किसान-विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसने कितने ही नगरों पर अधिकार कर लिया था।



एक रूप है। किंतु इससे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला—“क्या नीरो<sup>१</sup> और चगेज़खा<sup>२</sup> के राज्य को व्यक्तित्व के विकास का प्रति-रूपक माना जा सकता है ? निस्सदेह उच्च-से-उच्च दर्शन-वाणी भी इस शका को नहीं मिट्टा सकती।

यही बात विज्ञान पर भी लागू होती है। वैज्ञानिकों के मतानुसार श्रम-विभाजन शरीर-यंत्रों अर्थात् मानव-समाज के जीवन का एक अनिवार्य आधार है। किंतु मानव-समाज में हम किस वस्तु को इन्द्रियों का श्रम-विभाजन मानें ? कृमि-तंतुओं के श्रम-विभाजन का अध्ययन विज्ञान चाहे जितना भी करे उसका यह कार्य मनुष्य को यह बात मानने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता कि जिस श्रम-विभाजन को उसकी बुद्धि और आत्मा अगीकार नहीं करती वह न्यायपूर्ण है।

शरीर के जिन तंतुओं की हम खोज-बीन करते हैं उनमें श्रम-विभाजन का हमें चाहे कितना भी अकाट्य प्रमाण क्यों न मिले, यदि हमारी बुद्धि विलकुल मारी नहीं गई है तो हम यही कहेंगे कि किसी मनुष्य को जन्म भर सूती कपड़ा ही बुनते रहना अर्थात् एक ही प्रकार के कार्य में जुटे रहना प्रयोजनीय नहीं है, इस प्रकार की व्यवस्था श्रम-विभाजन नहीं बल्कि मनुष्य पर अत्याचार है।

स्पेंसर<sup>३</sup> और दूसरे लोग कहते हैं कि जुलाहों का एक पूरा-का-पूरा वर्ग है, इसलिए उनकी क्रियाएँ अवश्य ही इन्द्रियों के श्रम-विभाजन पर आधारित होंगी। किंतु यह तो ठीक वही बात हुई जो धार्मिक आचार्य कहा करते थे। धर्मवेत्ताओं के कथनानुसार इस संसार में एक

१ रोम के कुविख्यात सम्राट् क्लाडियस सीज़र नीरो ( ईसा पूर्व ३७-६८) का १४ वर्ष का शासन-काल विश्व के इतिहास में क्रूरता और व्यभिचार के लिए प्रसिद्ध है।

२ मगोलिया का प्रसिद्ध बर्बर शासक, जिसने दो बार चीन पर आधिपत्य जमाया और तुर्कों को यूरोपीय सीमा से बाहर निकलने पर बाध्य किया—(११६२-१२२७)।

३ प्रसिद्ध मनोविज्ञानवेत्ता हर्वर्ट स्पेंसर (१८२०-१९०३)।

शक्ति है, इसलिए वह ईश्वरप्रदत्त है चाहे वह कैसी भी क्यों न हो। इसी प्रकार स्पेसर आदि के कहने का अर्थ यह हुआ कि चूँकि इस ससार में जुलाहे हैं इसीलिए श्रम-विभाजन का भी यही उचित रूप है। इस तर्क में कुछ तथ्य हो सकता था यदि उपर्युक्त शक्ति और जुलाहों की उत्पत्ति स्वयं हुई होती। किंतु हम जानते हैं कि वे स्वयं उत्पन्न नहीं हुए हैं बल्कि हमने उन्हें जन्म दिया है। इसलिए हमें यह देखना होगा कि हमने उस शक्ति को ईश्वर के इच्छानुसार उत्पन्न किया है या स्वयं अपनी इच्छा से। और इसी प्रकार यह भी देखना होगा कि हमने इन जुलाहों को इन्द्रिय सम्बन्धी नियम के अनुसार जन्म दिया है या किसी और वस्तु के आधार पर।

लोग खेतीवारी करके अपना जीवन-निर्वाह करते हैं, जैसा कि सब लोगों के लिए करना उचित है। मान लीजिए कि इनमें से एक आदमी लुहार की धौकनी लगा लेता है और अपने हल की मरम्मत आप कर लेता है। उसे ऐसा करते देखें उसका पड़ोसी उसके पास आता है और कहता है कि मेरे हल की भी मरम्मत कर दो, इसके बदले मैं तुम्हें काम या रुपया दूंगा। इसी तरह फिर कोई तीसरा आदमी आता है, फिर चौथा और सिलसिला आगे चल पड़ता है। अब इन लोगों में आपसे आप श्रम-विभाजन की स्थापना हो जाती है और एक आदमी लुहार का काम ले बैठता है। इसी तरह मान लीजिए कि कोई दूसरा आदमी अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढा-लिखा लेता है, जिसे देख कर और लोग भी उसके पास अपने बच्चे लाकर पढाने को कहते हैं। अब वह आदमी अध्यापक बन बैठता है। लेकिन स्मरण रखिए कि ये लुहार और अध्यापक दोनों ही अस्तित्व में केवल इसलिए आए कि समाज ने उन्हें लुहारी और अध्यापन का कार्य करने को कहा और वे लुहार और अध्यापक उसी समय तक रह सकते हैं जबतक कि समाज उन्हें लुहारी और अध्यापन का कार्य करने के लिए कहता रहे। अब यदि ऐसा हो जाय कि बहुत-से लुहार और अध्यापक पैदा हो जायें और उनके काम की दूसरों को आवश्यकता न रह जाय तो ऐसी दशा में साधारण बुद्धि यही कहती है कि वे लोग फौरन इस पेशे को छोड़कर

फिर से खेतीबारी करने लग जायगे । जहा कही भी उचित श्रम-विभाजन की व्यवस्था के भंग होने का कोई कारण नहीं होता वहा सदा ऐसा ही होता भी है ।

जो लोग ऐसा करते है वे अपनी बुद्धि और अन्तरात्मा की प्रेरणा ही से करते है । अतएव हम लोग, जिन्हे भगवान् ने बुद्धि और अन्तरात्मा प्रदान की है, इस प्रकार के श्रम-विभाजन को उचित मानते है । किन्तु यदि स्थिति ऐसी हो जाय कि लूहार दूसरो को अपना काम करने के लिए विवग्न कर सके और घोडे की नाल बनाने का काम उस समय भी जारी रखे जब नालो की किसीको आवश्यकता ही न हो और इसी प्रकार यदि अध्यापक अपने अध्यापन का कार्य उस समय भी चलाते रहे जब कोई पढनेवाला ही न हो तो बुद्धि और अन्तरात्मा से विभूषित प्रत्येक दर्शक को यही लगेगा कि यह तो श्रम-विभाजन नहीं बल्कि दूसरे लोगो के श्रम का शोषण है, क्योंकि इस प्रकार के कार्य उन कसौटी पर खरे नहीं उतरते जो श्रम-विभाजन के औचित्य को परखने का एकमात्र साधन है । कसौटी यह है कि लोग जो काम करते है उसकी माग दूसरे आदमियो मे भी हो और लोग उसके लिए स्वेच्छा से पारिश्रमिक देने को तैयार हो । फिर भी वैज्ञानिक लोग इसी शोषण को श्रम-विभाजन कहते है ।

लोग ऐसी चीजे बनाते है जिनकी दूसरो को आवश्यकता नहीं होती, फिर भी वे चाहते है कि उनके इस कार्य के बदले उनका भरण-पोषण किया जाय । इतना ही नहीं वे तो यह भी कहते है कि श्रम-विभाजन के नियमो के अनुकूल होने के कारण उनका यह कार्य उचित है ।

हमारे ही देश मे नहीं, बल्कि सभी स्थानो मे जिस सबसे बडे शोषण का जनता को दुख उठाना पडता है वह है उस देश की सरकार और उसके अंतर्गत कार्य करनेवाले अनगिनत अधिकारी । अग्रेजो के कथनानुसार हमारे आज के आर्थिक कष्ट का कारण 'आवश्यकता से अधिक उत्पादन' है । अर्थात्, उनका कहना है कि ऐसे पदार्थो का अत्यधिक परिमाण मे उत्पादन होता है जिन्हे कोई चाहता नहीं या

जिनके सम्बन्ध में लोगो को यह समझ में नहीं आता कि इनका क्या किया जाय। यह सब उस विचित्र भावना का परिणाम है जो हमारे मस्तिष्क में श्रम-विभाजन के सम्बन्ध में बैठी हुई है।

यदि कोई मोची लगातार ऐसे जूते बनाता रहे जिनको बहुत दिनों से किसीको आवश्यकता ही नहीं रह गई है और यदि वह यह मोचे कि उसके डम कार्य के बदले उमका भरण-पोषण करना लोगो का कर्तव्य है तो हमें बड़ा आश्चर्य होगा। किन्तु जो लोग आमन-व्यवस्था, गिरजा, विज्ञान और कला से सम्बन्धित हैं उनके लिए क्या कहा जाय? वे तो जनता के लिए कोई भी ग्राह्य या उपयोगी वस्तु नहीं बनाते। उनकी बनाई हुई चीजो की किसीको आवश्यकता नहीं, फिर भी वे श्रम-विभाजन को दुहाई देते हुए बड़ी निर्भिकता के साथ कहते हैं कि हमें अच्छा खाना और कपडा मिले।

ऐसे जादूगर तो हो सकते हैं जिनके खेलो को जनता पसंद करे और उन्हें खूब खिलए-पिलाए; लेकिन ऐसे जादूगरो की तो कल्पना तक नहीं की जा सकती जिनके तमाशे किसीको पसंद न हो और फिर भी वे अपनी करामातो के बदले निर्भिकतापूर्वक बड़िया खाने-पीने की माग करें। किन्तु आज सरकारी लोग, गिरजा में काम करनेवाले और विज्ञान या कला के विशेषज्ञ, संसार के सभी लोग यही तो कर रहे हैं और यह सब श्रम-विभाजन को मिथ्या कल्पना का ही तो परिणाम है—एक ऐसी कल्पना जो मनुष्य की अन्तरात्मा से उद्भूत नहीं हुई है बल्कि उन निष्कर्षों पर अवलम्बित है जिन्हे वैज्ञानिक लोगो ने एक स्वर से स्वीकार कर लिया।

श्रम-विभाजन तो सदा रहा है और अब भी है, किन्तु वह उचित तभी होता है जब उसकी रूपरेखा का निर्णय मनुष्य की बुद्धि और अन्तरात्मा करती है, न कि केवल उसके प्रचलन को देखकर ही उसे स्वीकार कर लिया जाता है। सभी मनुष्यो की बुद्धि और अन्तरात्मा इस रूपरेखा का निर्णय बड़े ही सरल और असदिग्ध रूप में एक स्वर के साथ करती है—वह यह कि श्रम-विभाजन उचित तभी होता है जब किसी एक ब्यक्ति को विशेष क्रिया की दूसरे लोगो को इतनी आवश्यकता होती है कि वे न केवल उससे उस कार्य को करने को कहते

है बल्कि उसकी सेवाओं के बदले स्वेच्छापूर्वक उसका भरण-पोषण भी करने को तत्पर हो जाते हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति अपने वचन से लेकर तीस वर्ष की आयु तक दूसरों के सहारे जीवनयापन करता हुआ यह वचन देता रह सकता है कि पढ़-लिखकर मैं आपके लिए कोई उपयोगी काम करूंगा—ऐसा कार्य जो कोई उससे करने के लिए नहीं कहता—और यदि तीस वर्ष की आयु के बाद से मृत्यु पर्यन्त भी वह इसी प्रकार जीवन विताता रह सकता है और ऐसे कार्यों के करते रहने का वचन देता रह सकता है जिसे लोग उसे करने को नहीं कहते, तो यह श्रम-विभाजन नहीं माना जा सकता और वास्तव में यह श्रम-विभाजन है भी नहीं। यह तो शक्तिशालियों द्वारा निर्बलों के श्रम का शोषण मात्र है। यह तो वही डकैती है जिसे धर्माचार्य 'ईश्वरीय विधान' कहकर पुकारते थे, जिसे बाद में दार्शनिकों ने 'जीवन का आवश्यक रूप' कहकर पुकारा और जिसे आज वैज्ञानिक लोग इंद्रियों का श्रम-विभाजन कहते हैं। यही वह एकमात्र तथ्य है जिसमें आज के सत्ताधारी विज्ञान का सारा महत्व निहित है।

आज का विज्ञान हमारी अकर्मण्यता के लिए प्रमाण-पत्र देने लगा है, क्योंकि अकेले उसीको अपनी शोधशाला में बैठकर इस बात का निर्णय करने का अधिकार है कि समाज-रूपी शरीर-यंत्र में कौन-सा कार्य इंद्रिय सम्बन्धी नियमों के अनुसार हो रहा है और कौनमा उसके विरुद्ध। इसका आगम्य तो यह हुआ कि इस बात का निर्णय हर आदमी स्वयं अपनी बुद्धि और अन्तरात्मा से पूछकर नहीं कर सकता, यद्यपि सत्य यह है कि उसकी बुद्धि और अन्तरात्मा का निर्णय कहीं अधिक सच्चा और तात्कालिक होता है।

जिस प्रकार पहले धर्माचार्यों के सम्बन्ध में और बाद में सरकारी अधिकारियों के वारे में यह सदेह नहीं किया जा सकता था कि समाज के लिए वे ही सबसे अधिक आवश्यक हैं उसी प्रकार आज वैज्ञानिकों के सम्बन्ध में ऐसा लगता है कि उनकी क्रियाएँ शरीर-यंत्र के नियमों के विलकुल अनुकूल हैं अर्थात् वैज्ञानिक और कलाकार ही शरीर-यंत्र के सबसे बहुमूल्य मेधा-तन्तु हैं। लेकिन भगवान् इनका भला करे !

इसमें तो कोई बुराई नहीं कि ये लोग भी पुराने जमाने के पुरोहितों और दार्शनिकों की तरह लोगों पर शासन करें और खाय पियें, मीज उडाय, किंतु गत यह है कि वे उनकी तरह जनता को कुमार्ग पर न ले जायं ।

चूकि मनुष्य तर्कगोल व्यक्ति है इसलिए वह सदा अच्छे और बुरे में अन्तर करता आया है और इस दिगा में अपने पूर्वजों के अनुभव से भी लाभ उठाता रहा है । मनुष्य बुद्धि में सघर्ष करता रहा है, मत्स्य और सर्वोत्तम मार्ग को ढूँढता रहा है और धीरे-धीरे किंतु दृढता के साथ उस मार्ग पर बढ़ता रहा है । उसके इस मार्ग में बाधा डालने के लिए बहुत-से भ्रम खड़े किये जाते रहे हैं ताकि उसे बहकाया जा सके कि वह जो कुछ भी कर रहा है ठीक नहीं है और उसे पुराने लोगों की तरह से ही जीवन बिताते रहना चाहिए । सबसे पहले तो ईसाई धर्म के वे पुराने भयकर भ्रम सामने आए जिनसे मनुष्य ने बड़े ही सघर्ष और श्रम के पश्चात् अपने को धीरे-धीरे मुक्त किया, किंतु उनसे पूरी तरह से पिंड छूटने से पहले ही एक नया धोखा आ खड़ा हुआ और वह था राज्य-दर्शन का धोखा । मनुष्य ने इस जाल को भी भग किया किंतु अब एक नया तथा और भी अधिक भयकर छल उसके मार्ग में बाधा देने के लिए आ खड़ा हुआ है और वह है विज्ञान का छल ।

यह नया छल भी वंसा ही है जैसे कि पुराने थे, वस इतनी विशेषता अवश्य है कि हमारी अपनी और पूर्वजों की बुद्धि और अन्तरात्मा के स्थान पर एक वाह्य वस्तु का प्रयोग होने लगा है । इस वाह्य वस्तु को धर्मशास्त्रों में 'दैवी ज्ञान' कहा जाता था और इसीको अब विज्ञान में 'निरीक्षण' कहा जाता है । विज्ञान की चाल यह है कि मानवीय बुद्धि और अन्तरात्मा की भयकरतम कर्तव्यच्युतियों की तरफ ध्यान आकर्षित करके वह बुद्धि और अन्तरात्मा के प्रति मनुष्य के विश्वास को नष्ट कर देना चाहता है और अपने इस भ्रम-जाल को एक वैज्ञानिक सिद्धांत का वाना पहनाकर यह विश्वास दिलाना चाहता है कि वाह्य-तत्व का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य उन

असदिग्ध तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर लेता है जो उसके समक्ष मनुष्य-जीवन के नियमों को स्पष्ट कर देते हैं। इसके फलस्वरूप मनुष्य का मानसिक अधःपतन हो जाता है। चूँकि उसे यह विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि प्रत्येक वस्तु का निर्णय निरीक्षण के आधार पर ही होना उचित है—यद्यपि वास्तव में यह निर्णय बुद्धि और अन्तरात्मा द्वारा होना चाहिए—इसलिए उसकी अच्छे और बुरे को समझने की चेतना नष्ट हो जाती है और वह अच्छाई और बुराई की उस व्याख्या को समझने में असमर्थ हो जाता है जो उससे पहले का समाज करता आया था। उसकी धारणा यह हो जाती है कि ये सब बातें व्यक्तिगत और अन्य बातों पर आश्रित हैं, इसलिए इनका परित्याग कर देना चाहिए; सत्य का ज्ञान किसी एक व्यक्ति की बुद्धि या तर्कशक्ति से नहीं होता क्योंकि मनुष्य से भूल हो सकती है। उसके कथनानुसार सत्य को समझने का एक दूसरा मार्ग है जो कि अचूक और विलकुल यत्रवत है। यह मार्ग है तथ्य का अध्ययन करना। तथ्य का अध्ययन वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए अर्थात् साकारवाद और विकासवाद के उन दो सिद्धान्तों के आधार पर, जो निराधार हैं किंतु हमारे समक्ष असदिग्ध सत्य कहकर प्रस्तुत किये जाते हैं।

आज का विज्ञान, जिसका इतना बोलवाला है और जिमकी गम्भीरता गिरजा-धर्म से कम भ्रामक नहीं है, यह घोषणा करता है कि जीवन सम्बन्धी सभी प्रश्नों का एकमात्र हल प्रकृति-विशेषतः शरीर-यंत्रों—के तथ्यों का अध्ययन करना है। इस घोषणा का न तो अब तक प्रतिकार ही हुआ है और न सच पूछिए तो उसकी आलोचना करने की ही चिंता की गई है। उसकी नवीनता से प्रभावित होकर कुछ खिलवाड़ी नवयुवक प्राकृतिक विज्ञान के इन तथ्यों का अध्ययन करने दौड़ पड़ते हैं और उस मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं जो प्रचलित सिद्धांत के अनुसार हमें जीवन सम्बन्धी प्रश्नों के स्पष्टीकरण की ओर ले जानेवाला एकमात्र मार्ग है। किंतु ये विद्यार्थी जितना ही इसका अध्ययन करते हैं उतना ही वे जीवन की समस्याओं को हल करने की न केवल सम्भावना से बल्कि कल्पना तक से दूर हटते चले

जाते हैं। और जितना ही वे अपने निरीक्षण पर अबलम्बित न रहकर दूसरों के निरीक्षण के आधार पर बतार्ड गई बातों को विश्वासपूर्वक ग्रहण करने के आदी बनते जाते हैं उतना ही आन्तरिक मृत्यु उनकी आँखों में ओझल होता चला जाता है और उतना ही वे अच्छे और बुरे को समझने की अपनी चेतना को खोते चले जाते हैं तथा अपने पूर्ववर्ती मानव-समाज द्वारा निर्धारित अच्छाई-बुराई की व्याख्या को समझ सकने की उनको शक्ति लुप्त होती चली जाती है। इसी प्रकार जितना ही वे विज्ञान के अनर्गल मिथ्या का अनुकरण करते जाते हैं—जिसका कि मनुष्य के लिए कोई महत्त्व नहीं होता—उतना ही वे विलकुल अंधकारपूर्ण निरीक्षण के टूटे-फूटे खड्करो में खोए फिगते हैं और उतना ही वे स्वतंत्रतापूर्वक सोचने की अपनी शक्ति को ही नहीं बल्कि अपने मिथ्यात की सीमा से बाहर दूसरे लोगों के नवीन विचारों को समझने की क्षमता से भी हाथ धो बैठते हैं। सबसे बड़े महत्त्व की बात तो यह है कि अपनी आयु के सर्वोत्कृष्ट वर्षों वे जीवन अर्थात् श्रम के प्रति अनभ्यस्त बनने में विता देते हैं और अपनी स्थिति को न्यायसंगत मानने के आदी हो जाते हैं, जब कि शरीर से वे विलकुल निरर्थक पंगु बन जाते हैं। दार्शनिकों और तालमद\* के अनुयाइयों की तरह उनकी मेधा-शक्ति का लोप हो जाता है, वे मानसिक जनखे बन जाते हैं और जैसे-जैसे उनकी बुद्धि मन्द होती जाती है वैसे-वैसे उनके मन में एक प्रकार की आत्मविश्वास की भावना उदित होती है जो उन्हें सरल, स्पष्ट और मानवीय विचार-शैली को पुनः अपना सकने की सम्भावना से सदा के लिए वंचित कर देती है।

---

\* यहूदी कानूनों और पौराणिक कथाओं के संग्रह का नाम तालमद है।



## बुद्धिजीवियों के थोथे वचन

श्रम-विभाजन मानव-समाज में सदा रहा है और कदाचित् सदा रहेगा; किंतु प्रश्न श्रम-विभाजन की विद्यमानता का नहीं बल्कि उस कसौटी का है जिसपर कसकर हम श्रम-विभाजन को खरा मान सकते हैं। यदि हम निरीक्षण को कसौटी मानें तो इसका अर्थ यह है कि हमें अन्य सभी कसौटियाँ अस्वीकार्य हैं और समाज में प्रचलित जो कोई भी श्रम-विभाजन हमें उचित दिखाई देगा उसीको हम ठीक मानने की तैयार हो जायेंगे। वास्तव में यही वह दिशा है जिधर आज का सत्ताधारी विज्ञान हमें ले जा रहा है।

“श्रम-विभाजन ! कुछ लोग मानसिक और आत्मिक श्रम में सलग्न हैं, तो कुछ शारीरिक श्रम में”—यह बात लोग कितने विश्वास के साथ कहते हैं। वास्तव में वे ऐसा ही विश्वास भी करना चाहते हैं और समझते हैं कि इस ससार में सभी लोगों की सेवाओं का एक-दूसरे से बिलकुल ठीक विनिमय हो रहा है। किंतु आज जो श्रम-विभाजन प्रचलित है वह वास्तव में बलात्कार और शोषण का ही सरल और अत्यंत पुराना रूप है।

लोग कहते हैं—“तू या तुम लोग ( क्योंकि एक आदमी को खिलाने के लिए प्रायः अनेक आदमियों की आवश्यकता होती है ) मुझे खाना खिलाओ, कपड़े दो, मेरे लिए वे सभी कठोर कार्य करो जो मैं तुमसे करने के लिए कहूँ और जिनको तुम मेरे लिए वचन से ही करते आए हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो इसके बदले मैं तुम्हारे लिए वह मानसिक कार्य करूँगा जिसके करने में मैं समर्थ हूँ

और जिसका मुझे अभ्यास है । तुम मुझे शारीरिक भोजन दो और मैं तुम्हें आत्मिक भोजन दूंगा ।" यह लेखा-जोखा मालूम तो बिल्कुल ठीक होता है और वास्तव में ठीक है भी, वगैरें कि सेवाओं का यह विनिमय स्वेच्छापूर्वक हो और जो लोग शारीरिक भोजन देते हैं उन्हें आत्मिक भोजन प्राप्त करने से पहले उसे देने के लिए विवश न होना पड़े । आत्मिक भोजन का उत्पादक कहता है—“मैं तुम्हें आत्मिक भोजन दे सकूँ, इसके लिए तुम मुझे खाना कपडा दो और मैं जो गदगी करूँ उसे साफ़ करो । किंतु शारीरिक भोजन के उत्पादक को यह सब काम कोई माग़ उपस्थित किये बिना ही करना पड़ता है और यदि उसे आत्मिक भोजन न भी मिले तो भी उसे शारीरिक भोजन देना ही होता है । यदि सेवाओं का विनिमय स्वेच्छापूर्वक होता तो दोनों की स्थिति एक समान होती ।

हम मानते हैं कि मनुष्य के लिए आत्मिक भोजन भी उतना ही आवश्यक है जितना कि शारीरिक भोजन, किंतु विद्वान् और कलाकार कहते हैं—“इसके पहले कि हम जनमाधारण को आत्मिक भोजन दे हम चाहते हैं कि वे हमें शारीरिक भोजन दे ।” यदि वे ऐसा कह सकते हैं तो क्या शारीरिक भोजन के उत्पादक यह नहीं कह सकते कि इसके पहले कि हम शारीरिक भोजन दे हमें आत्मिक भोजन की आवश्यकता है और जबतक वह नहीं मिलेगा तबतक हम कार्य नहीं कर सकते ?

वैज्ञानिक और कलाकार कहते हैं—“इसके लिए कि मैं आत्मिक भोजन तैयार कर सकूँ मुझे एक हल चलानेवाले लुहार, मोची, बढई, इंट पाथनेवाले, मंगी और दूसरे लोगों की सेवाओं की आवश्यकता है ।” इसी तरह हर मजदूर को यह कहने का अधिकार है—“इसके पहले कि मैं तुम्हारे लिए शारीरिक भोजन तैयार करने के लिए कार्य आरम्भ करूँ मुझे तुम्हारे आत्मिक कार्य का लाभ मिल जाना चाहिए । मुझे अपने कार्य के लिए शक्ति प्राप्त करने के निमित्त धार्मिक शिक्षा, सुव्यवस्थित सामाजिक जीवन, वैज्ञानिक प्रयोगों के लाभ और कला से उत्पन्न आनन्द और सतोष की आवश्यकता है । मेरे पास इतना समय नहीं कि जीवन के अर्थ की मैं स्वयं व्याख्या करूँ—यह व्याख्या

तुम स्वयं करके दो। मेरे पास इसके लिए भी समय नहीं कि मैं सामाजिक जीवन के लिए उन नियमों का निर्माण करूँ जिनसे न्याय का उल्लंघन रोका जा सकता है—उन्हें तुम स्वयं मुझे बनाकर दो। इसी प्रकार मेरे पास यत्रशास्त्र, पदार्थ-विज्ञान, रसायनशास्त्र और शिल्पविद्या के अध्ययन में लगाने के लिए समय नहीं है—मुझे तो ऐसी पुस्तकें दे दो जो मेरे औजारों, मेरी कार्यप्रणाली, मेरे निवासस्थान और गरमी तथा प्रकाश प्राप्त करने के साधनों को सुधारने की युक्ति बता सकें। काव्य, संगीत और शिल्पकला में व्यस्त रहने के लिए भी मेरे पास समय नहीं, मुझे तो कला से उद्भूत होनेवाली वे प्रेरणाएँ और सतोप प्रदान कर दो जिनकी जीवन को आवश्यकता है।” कलाविद और विज्ञानवेत्ता कहते हैं—“मजदूर लोग हमारे लिए जो काम कर देते हैं उसे वे न करें तो हम अपनी आवश्यक और महत्वपूर्ण समस्याओं पर ध्यान नहीं दे सकेंगे।” किंतु मजदूर कहता है कि यदि मुझे मेरी बुद्धि और अन्तरात्मा की मांग के अनुसार धार्मिक शिक्षा नहीं मिलती, मेरे श्रम को सुरक्षित रखने के लिए उचित राज्य-व्यवस्था प्राप्त नहीं होती, मेरे कार्य को सुविधा प्रदान करनेवाला ज्ञान और मेरे श्रम को सुख देनेवाला कला का आनन्द प्राप्त नहीं होता तो मैं हल चलाने, खाद ढोने और गद्गी की सफाई करने के उन कामों को नहीं कर सकता जो कम महत्वपूर्ण और आवश्यक नहीं हैं। मजदूर यह भी कहता है कि आत्मिक भोजन के रूप में तुमने अबतक मुझे जो कुछ भी दिया है वह मुझे अनुकूल नहीं पड़ता मैं तो समझ तक नहीं सकता कि इससे किसीका क्या भला हो सकता है। इसलिए जबतक मुझे अपने लिए उपयोगी भोजन नहीं मिलता—जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए—तबतक मैं तुमको वह शारीरिक भोजन नहीं दे सकता जोकि मैं उत्पन्न करता हूँ।

अगर सभी मजदूर लोग ऐसा कहने लगे तो कैसा रहे ? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बातें कोरी मजाक की नहीं बल्कि सीधी-सादी न्याय की बातें होंगी। यदि मजदूर ऐसा कहे तो उनकी यह बात मानसिक कार्यकर्त्ताओं से कहीं अधिक न्यायमगत होगी, क्योंकि श्रम-

जीवियों का काम बुद्धिजीवियों के काम की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण और अनिवार्य होता है और जहां बुद्धिजीवियों को अपने वचन के अनुसार श्रमजीवियों को आत्मिक भोजन देने में कोई अड़चन नहीं पड़ती वहां श्रमजीवियों को शारीरिक भोजन देने में कठिनाई पड़ती है क्योंकि वह भोजन स्वयं उनके लिए पर्याप्त नहीं होता।

यदि हम-जैसे बुद्धिजीवियों के समक्ष इस प्रकार की सरल और न्याय-मंगल मार्गें रखी जायें तो हम उनका क्या उत्तर देंगे ? हम उन्हें किस प्रकार संतुष्ट करेंगे ? क्या हम उन्हें उधर-उधर की धार्मिक पुस्तकों और भिन्न-भिन्न मठों और गिरजाघरों से प्रकाशित परचे देकर उनकी धार्मिक शिक्षा की मांग को पूरा कर देंगे ? क्या हम कानूनी पुस्तकों, आदालतों के विभिन्न नियमों और अनेकानेक कमेटियों और कमीशनों के नियमों को उपस्थित करके उनकी सामाजिक न्याय की भूख मिटा सकेंगे ? इसी प्रकार क्या हम उनकी ज्ञान की पिपासा को नक्षत्रों और ग्रहों की घनाघट, आकाशगंगा की नापनील, शुष्क रेखागणित, सूक्ष्म यंत्रों द्वारा किये गए शोधों, आत्म-अनात्मवाद के जगड़ों और वैज्ञानिक विद्यालय की कारंवायों द्वारा संतुष्ट कर सकेंगे ? और फिर हम उनकी कलात्मक भांगों को पूरा कैसे करेंगे ? पुश्किन, १ डोस्टोवस्की, २ तुर्गेनेव ३ और टाल्स्टाय से ? फ्रांस के या अपने देश के ही चित्रकारों के उन चित्रों से जिनमें गंगी औरतों, साटन, मखमल, प्राकृतिक दृश्य आदि के चित्रण किये गए हैं ? बैगनर ४ या अपने ही यहां के किसी संगीतज्ञ के संगीत से ?—इनमें से कोई भी वस्तु न उनके अनुकूल पड़ती, न पड़ सकती है, क्योंकि चूंकि हमें दूसरों के श्रम का प्रयोग करने का अधिकार मिल गया है और आत्मिक भोजन के उत्पादन का हम पर कोई अनिवार्य उत्तरदायित्व नहीं है इसलिए वह उद्देश्य जो

१ प्रख्यात रूसी कवि और साहित्यकार (१७९९-१८३०)

२ रूस के महानतम उपन्यासकारों में से एक (१८२१-८१)

३ प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार और कहानीकार (१८१८-८३)

४ यूरोप का क्रांतिकारी संगीतज्ञ (१८१३-८३)

हमारे कार्यों का होना चाहिए हमारी आँखों से विलकुल ओझल हो गया है। हम यह जानते तक नहीं कि श्रमजीवियों की आवश्यकता क्या है ? हम उनके जीवनयापन के ढंग को, उनके दृष्टिकोण को और उनके बोलने के तरीकों को भूल गए हैं। हम खुद मजदूर तक को भूल गए हैं और हम उनका ठीक उनी तरह ने अध्ययन करते हैं जैसे कोई किमी दुर्लभ जाति या नवजात अमरीका का अध्ययन करता है।

इस प्रकार अपने लिए आरिक्त भोजन की माग करते हुए हमने अपने ऊपर आत्मिक भोजन प्रदान करने का उत्तरदायित्व ग्रहण कर लिया है।

किंतु एक काल्पनिक श्रम-विभाजन के फल-स्वरूप—जिसने हमें न केवल कार्य करने से पहले भोजन करने की अनुमति दे रखी है वल्कि जिनके अनुसार हम पीछियों तक बिना कुछ उत्पादन किये ही खूब मीज उड़ा सकते हैं—हमने अपने भरण-पोषण के बदले में देने के लिए ऐसी चीजें तैयार की हैं जो कि केवल विज्ञान और कला के लिए उपयोगी प्रतीत होती हैं, किंतु जो उन लोगों के लिए विलकुल निरर्थक, अग्राह्य और घृणास्पद हैं जिनके श्रम का गोपण हमने बदले में आत्मिक भोजन देने का वहाना करके कर लिया है। अपने कंधों पर हमने जो उत्तर-दायित्व ग्रहण किया है उसे अंधतावश हमने अपनी आँखों ने इतना ओझल कर दिया है कि हम यह भी भूल गए हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है; यहांतक कि जिन लोगों की सेवा करने का भार हमने लिया था उन्हींको अपनी वैज्ञानिक और कलात्मक क्रिया का विषय बना लिया है। हम उनका अध्ययन करने हैं और अपने विनोद और मनोरंजन के लिए उनके जीवन का चित्रण करते हैं। इस वान को हम विलकुल भूल गए हैं कि हमें उनका अध्ययन और चित्रण नहीं वल्कि उनकी सेवा करनी चाहिए।

अपने कंधों पर ग्रहण किये हुए उत्तरदायित्वों को हमने इतना अधिक भुला दिया है कि हम यह नहीं देख पाते कि विज्ञान और कला के क्षेत्रों में हमने जो कुछ भी करने की जिम्मेदारी ली थी उसे हमने नहीं दूसरों ने किया है और हमारा अपना स्थान भरा हुआ है। ऐसा

मालूम होता है कि जिस समय हम कभी शरीर-यंत्रों की आकस्मिक उत्पत्ति, कभी अध्यात्मवाद, कभी परमाणुओं के रूप, कभी विभिन्न अणुओं की स्वयंभू पुनरुत्पत्ति और कभी वनस्पतियों व प्राणियों के जीवन सम्बन्धी आधार-तत्वों आदि के सम्बन्ध में तर्क-वितर्क कर रहे थे—ठीक वैसे ही जैसे कि दार्शनिक लोग वर्जिन मेरी के निर्दोष, मूलभूत पाप-कर्म से अछूते जन्म के सम्बन्ध में वादविवाद करते थे—जन-साधारण को आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता हुई और जो लोग विज्ञान तथा कला के क्षेत्र में असफल होकर तिरस्कृत हो चुके थे उन्होंने एकमात्र आर्थिक लाभ के लिए चिन्तित रहनेवाले व्यापारियों के आदेश पर जनता को आत्मिक भोजन देना आरम्भ कर दिया और तबसे वे निरंतर ऐसा करते आ रहे हैं। यूरोप के अन्य भागों में प्रायः चालीस वर्षों में और रूस में भी पिछले लगभग दस वर्षों में करोड़ों पुस्तकें, चित्र और गानों की किताबें जन-साधारण में छापकर बाटी गई हैं और लोगों के सामने प्रदर्शन किये गए हैं। जन-साधारण इन्हें देखते हैं, गाते हैं और अपना आत्मिक भोजन प्राप्त करते हैं। इस भोजन को देने का उत्तरदायित्व तो हमने लिया था, किंतु उन्हें यह मिलता है किसी और से, और हम जो इस आत्मिक भोजन को प्रदान करने के नाम पर अपनी अकर्मण्यता को उचित ठहराते हैं, चुपचाप बैठे-बैठे आखे फाड़े देखते रहते हैं। किंतु हमें इस तरह आखें फाड़कर नहीं देखना चाहिए क्योंकि हमारे पक्ष की अतिम दलील भी अदृश्य होती जा रही है। हम सोचते हैं कि हमने किसी एक विषय में विशेषता प्राप्त की है, इसलिए हमारा कार्य भी एक विशेष प्रकार का है। हम सोचते हैं कि हम जनता के भस्तिष्क हैं, जनता हमें भोजन देती है, हमने उसे शिक्षित बनाने का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लिया है और यही एकमात्र कारण है कि हमने अपने को श्रम से मुक्त कर लिया है—लेकिन प्रश्न तो यह है कि हमने श्रमजीवियों को क्या सिखाया है और क्या सिखा रहे हैं? वे एक वर्ष, दस वर्ष, सैंकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा करते आ रहे हैं और अब भी हम वादविवाद ही कर रहे हैं और उन लोगों को भुलाकर स्वयं अपने को सिखा और एक-

दूसरे का मनोरंजन कर रहे हैं। हम उन्हें इतना अधिक भूल गए हैं कि दूसरे लोगो ने उन्हें सिखाना और उनका मनोरंजन करना आरम्भ कर दिया है। मजे की बात तो यह है कि हमें इस बात का पता भी नहीं चला। इससे यह त्रिलकुल स्पष्ट है कि हमलोग जनता का पगोपकार करने की जो बड़ी-बड़ी बातें बनाते हैं वह केवल एक निर्लज्ज ब्रह्मना मात्र है।

: ३३ :

## पथभ्रष्ट वैज्ञानिक और कलाकार

एक समय था जब हमारे समाज के जीवन की वागडोर धर्माचार्यों के हाथों में थी। गिरजा-धर्म ने लोगो के कल्याण का वचन दिया और इसके वहाने में अपने को मानव-समाज के जीवन-संघर्ष में योग देने में मुक्त कर लिया। किंतु ज्योंही ऐसा हुआ धर्म के ठेकेदार अपने कर्तव्य-पथ में विचलित हो गए और जनता भी उस धर्म की ओर में विमुख हो गई। गिरजा-धर्म के विनाश का कारण स्वयं उनकी त्रुटियां या भूलें नहीं थी, बल्कि यह कि उनके अनुयाइयो ने कौन्सटैन्टाइन\* के राज्यकाल में नरकारी अधिकारियों का योग पाकर धर्म के नियमों का परित्याग कर दिया था और उनके फलस्वरूप उनमें जो अकर्मण्यता और विलासिता घुसी उसीने ईसाई धर्म में त्रुटियों को जन्म दिया। ज्योंही गिरजा के धर्माचार्यों को धर्म ने मुक्ति मिली त्योंही उन्होंने उस मानव-समाज के हित का ध्यान छोड़ दिया जिसकी सेवा का भार उन्होंने अपने कंधों पर लिया था और स्वयं अपनी चिन्ता में सलग्न हो गए। इसीके फलस्वरूप वे अकर्मण्यता और विलासिता के शिकार बने। इसके बाद राज्यतंत्र ने लोकजीवन के नेतृत्व का भार ग्रहण किया। उसने जनता को न्याय, शांति, सुरक्षा, मुख्यवस्था और उनकी आत्मिक तथा भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति का वचन दिया और

\* रोम का सम्राट् कौन्सटैन्टाइन महान् (२७२-३३७)

इसके बदले जिन लोगों ने राज्य की सेवा की उन्हें जीवन के मघपं से मुक्ति मिल गई। और जैसे ही सरकारी कर्मचारी दूसरो के श्रम का गोपण करने में ममर्थ वने वैसे ही उन्होंने भी वही करना आरम्भ कर दिया जो गिरजा के कर्मचारियों ने किया था। उनके कार्य का लक्ष्य लोक-कल्याण नहीं बल्कि राज्य का कल्याण बन गया और रोम, फ्रान्स, इंग्लैंड, रूस और अमरीका में सभी राज्य-कर्मचारियों ने—शासक ने लेकर के छोटे-से-छोटे अफसर और कार्यकर्ता तक ने—अपने को अकर्मण्यता और आलस्य में डुबो दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य पर से लोगों का विश्वास उठ गया और आज हम सभी जगह अराजकता को जानबूझकर एक आदर्श के रूप में उपस्थित किये जाने देख रहे हैं। जनता की आंखों में राज्य के लिए आकर्षण न रह जाने का एकमात्र कारण यह था कि उसके कर्मचारियों ने दूसरे के श्रम का गोपण करना अपना अधिकार समझा।

यही बात वैज्ञानिकों और कलाकारों ने भी राज्य कर्मचारियों की सहायता से की है। उन्होंने भी अकर्मण्य बनने और दूसरो के श्रम का गोपण करने का अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा की और अब वे भी अपने कर्त्तव्य के च्युत हो गए हैं। वास्तव में इनसे भी भूल केवल इसलिए हुई कि श्रम-विभाजन के अग्रदूत मिट्टान को स्वीकार करने के पश्चात् उन्होंने दूसरो के श्रम का गोपण करना अपना अधिकार मान लिया और वे स्वयं अपने कर्त्तव्य के अर्थ को भूल गए। उन्होंने लोकहित को अपने कार्यों का लक्ष्य न मानकर विज्ञान और कला के रहस्यमय कल्याण को अपना ध्येय माना। अपने पूर्वजों की भांति उन्होंने भी अकर्मण्यता और विलासिता के ममक्ष मिर झुका दिया यद्यपि वह विलासिता उतनी शारीरिक नहीं जितनी बौद्धिक थी।

कहा जाता है कि विज्ञान और कला ने मानव-समाज के लिए बहुत कुछ किया है। यह बिलकुल ठीक भी है। ईसाई धर्म और राज्यतंत्र ने भी मानव-समाज को बहुत कुछ दिया था किंतु इसका कारण यह नहीं था कि उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और उनके कर्मचारियों ने जीवन-यापन के लिए निरंतर श्रम करते रहने के



उस मानवीय कर्तव्य को भुला दिया जो सभी मनुष्यों के लिए एक समान है, बल्कि ऐसा इन सब बातों के बावजूद हुआ था।

इसी प्रकार विज्ञान और कला ने भी मानव-समाज को बहुत कुछ दिया है किंतु इसका कारण यह नहीं था कि श्रम-विभाजन का बहाना लेकर वैज्ञानिकों और कलाकारों ने श्रमजीवियों की पीठ पर सवारी की, बल्कि असलियत यह थी कि उनके ऐसा करने के बावजूद मानव-समाज को लाभ पहुंचा। रोम का जनतंत्र शक्तिशाली था, इसलिए नहीं कि उसके नागरिक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने में समर्थ थे बल्कि इसलिए कि वहां के कुछ नागरिक बड़े ही योग्य थे।

और यही बात कला और विज्ञान की भी है। इसमें सन्देह नहीं कि कला और विज्ञान ने मानव-समाज को बहुत कुछ प्रदान किया है किंतु इसका कारण यह नहीं है कि उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों को पहले कभी-कभी और आज सदा अपने को श्रम से मुक्त रखने का अवसर प्राप्त है; बल्कि इसका कारण यह है कि ये लोग बड़े ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और उन्होंने श्रम से मुक्त होने के अवसर से लाभ न उठा करके मानव-समाज को आगे बढ़ाया। जो विद्वान और कलाविद् झूठे श्रम-विभाजन के आधार पर दूसरों के श्रम से लाभ उठाने का अधिकार मागते हैं वे सच्चे विज्ञान और सच्ची कला की सफलता में योग नहीं दे सकते क्योंकि झूठ सत्य को जन्म नहीं दे सकता।

हम लोग वृद्धिजीवियों को खा-पीकर मस्त, मोटे या दुबल देखने के इतने आदी हो गए हैं कि हमें किसी विद्वान् या कलाकार का हल जोतना या खाद ढोना बर्बरतापूर्ण मालूम होता है। हमें ऐसा लगता है कि उसकी सारी विद्वत्ता नष्ट हो जायगी या खाद की गाड़ी में ही छिन्न-भिन्न हो जायगी और उसके हृदय में जो महान कलात्मक मूर्त्तियां विद्यमान हैं वे खाद से गदी हो जायगी। किंतु जब हम यह देखते हैं कि एक वैज्ञानिक अर्थात् सत्य को सिखानेवाला जनसेवक जिस कार्य को स्वयं कर सकता है उसे करने के लिए वह दूसरों को विवश कर रहा है और अपना आधा समय स्वादिष्ट भोजन को खाने, घूमपान करने, गप्पाष्टक लड़ाने, वाक्विवाद करने, अखबारों और उपन्यासों को

क्या विज्ञान और कला जनता के लिए नहीं है ? २७५

पढ़ने और थियेटर जाने में बिता देता है तो हमें विलकुल आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि हम उसे ऐसा करते देखने के विलकुल अम्यस्त हो गए हैं। हम किसी दार्शनिक को किसी जलपनगाला, थियेटर या नाच में देखकर चकित नहीं होते और न हमें यही जानकर ताज्जुब होता है कि हमारी आत्मा को सुख पहुंचानेवाले और ऊंचे उठानेवाले कलाकार यदि अधिक बुरा काम नहीं करते तो कम-से-कम गराव पीने, ताश खेलने और दुश्चरित्र स्त्रियों की संगति में अपना जीवन अवश्य व्यतीत करते हैं।

विज्ञान और कला बड़े सुन्दर पदार्थ हैं और यही तो कारण है उन्हें विलासिता के ससर्ग से दूषित नहीं होने देना चाहिए अर्थात् वैज्ञानिकों और कलाकारों को अपने को इस मानवीय कर्तव्य से मुक्त नहीं करना चाहिए कि उन्हें स्वयं अपने और दूसरों के जीवन के लिए श्रम करना आवश्यक है। कला और विज्ञान ने मानव-समाज को उन्नति के पथ पर बढ़ाया है। यह विलकुल ठीक है, किंतु इसका कारण यह नहीं है कि वैज्ञानिकों और कलाकारों ने श्रम-विभाजन की दुहाई देकर अपने वचन और कर्म से लोगों को बलात्कार का प्रयोग करना सिखाया है और उन्हें दूसरों की निर्धनता और यातना से लाभ उठाने की शिक्षा दी है या प्रकृति के साथ होनेवाले उम सघर्ष में, जिसका सभी मनुष्यों को सामना करना पड़ता है, स्वयं अपने हाथ से कार्य करने के सर्व-प्रथम और अत्यन्त असदिग्ध मानवीय कर्तव्य से मुक्त रहने का पाठ पढ़ाया है।

: ३४ :

**क्या विज्ञान और कला जनता के लिए नहीं हैं ?**

“लेकिन आज के दिन हम विज्ञान की जो असाधारण उन्नति देखते हैं वह केवल इस श्रम-विभाजन का ही तो फल है और उसका यही तो कारण है कि विज्ञानवेत्ता और कलाकार अपना भोजन आप उत्पन्न

करने की आवश्यकता से मुक्त कर दिए गए हैं”—यह है वह उत्तर जो वृद्धिजीवी देते हैं। वे कहते हैं—‘यदि हर एक व्यक्ति के लिए हल् जोतना अनिवार्य होता तो हमें इतनी अद्भुत सफलता न मिल पाता जितनी कि आज मिली है; आज न तो वह उल्लेखनीय उन्नति दिखाई देती जिसके कारण प्रकृति पर मनुष्य के अधिकार में इतनी वृद्धि हुई है और न तबत्र सम्बन्धी अन्वेषण ही हो पाते जिन्होंने मनुष्य के मस्तिष्क पर इतना गक्तिगाली प्रभाव डाला है और हजारों का आना-जाना सुरक्षित बना दिया है—और न हमें आज के स्टीमर, रेल, आश्चर्य-जनक पुल, मुरगें, भाप में चलनेवाले इंजिन, तार, फोटो, टेलीफोन, सीने की मशीनें, फोनोग्राफ, विजली, दूरदर्शी यंत्र, रग्मि-विश्लेषणयंत्र, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, क्लोरोफार्म, विपनागक ओषधियां और कारबोलिक एसिड ही दिखाई देते। इस प्रकार के जिन पदार्थों पर आज हमारे युग को गर्व है, उन्हें मैं यहां गिनाने की चेष्टा नहीं करूंगा। यह काम तो आज प्रायः सभी समाचारपत्रों और लोकप्रिय पुस्तकों में हो रहा है और उनमें आज के युग की सफलताओं के खूब प्रशंसा के पुल बांधे जा रहे हैं। हम अपनी ये प्रशंसाएं इतनी अधिक करने हैं और हम अपनी सफलताओं पर इतने अधिक आश्चर्य होते हैं कि हमें जूनस बर्न\* की तरह इस बात का पक्का विश्वास हो गया है कि विज्ञान और कला ने जितनी उन्नति हमारे काल में की है उतनी कभी नहीं की और चूंकि यह आश्चर्यजनक सफलता श्रम-विभाजन के फलस्वरूप मिली है इसी लिए यह कैसे सम्भव है कि हम उसकी सराहना न करें।

मान लिया कि वर्तमान युग में हमने जो उन्नति की है वह वास्तव में अत्यन्त उल्लेखनीय, आश्चर्यजनक और अनाधारण है। यह भी मान लिया कि हमारे लिए यह परम मौभाग्य की बात है कि हम ऐसे असाधारण युग में रह रहे हैं। लेकिन हमें इन सफलताओं के मूल्य को आत्म-संतुष्टि की तुला पर नहीं आकना चाहिए, बल्कि श्रम-विभाजन

---

\* विस्मयकारी कहानिया लिखनेवाला यूरोप का एक अन्यन्त लोकप्रिय कहानीकार (१८२८-१९०५)

के उसी सिद्धांत की कसौटी पर कसना चाहिए जिसके समर्थन में ये बातें बखानी जाती हैं . दूसरे शब्दों में हमें आज की सफलताओं का मूल्य इस आधार पर आकना चाहिए कि वैज्ञानिकों के वैदिक श्रम में उन लोगों को कितना लाभ पहुंचा है, जिन्हें वैज्ञानिकों और कलाकारों को श्रम से मुक्त करने के लिए स्वयं श्रम करना पड़ता है। निस्संदेह ये सारी सफलताएं अत्यन्त अद्भुत हैं, किंतु किसी दुर्भाग्य के कारण—जिसे वैज्ञानिक लोग स्वयं स्वीकार करते हैं—इन सफलताओं से अभी तक श्रमजीवियों की स्थिति सुधरी नहीं है बल्कि हीनतर ही बनी हुई है। यह ठीक है कि आज का मजदूर पैदल चलने के बजाय रेलगाड़ी से आ-जा सकता है, किंतु इन रेलों के ही कारण तो उसके जगल जला दिए गए हैं, उसकी रोटी उसकी आंखों से दूर हटा दी गई है और वह ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया गया है कि एक प्रकार से रेल के मालिकों का दास बन गया है।

इसी तरह यह तो सत्य है कि भाप के इंजिनों और मशीनों की कृपा से आज मजदूर लोग छपे हुए रट्टी सूती कपड़े खरीद सकते हैं किंतु इन इंजिनों और मशीनों ने उनकी घर बैठी रोजी छीन ली है और उन्हें मिल-मालिकों का पूरी तरह से दास बना दिया है। ऐसे ही यदि यह सत्य है कि आज मजदूरों को टेलीफोन का प्रयोग करने की स्वतन्त्रता है—यद्यपि उनकी आर्थिक स्थिति उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती—तो यह भी तो छिपा नहीं कि इस टेलीफोन की ही महिमा से उसकी फसल कीमत के बढ़ते ही—और बेचारे को यह मालूम हुए बिना ही कि उसकी फसल की कहीं मांग है—फौरन पूजापतियों द्वारा खरीद ली जाती है। यही बात टेलीफोन, दूरदर्शी यंत्रों, काव्य-पुस्तकों, उपन्यासों, थियेट्रो, नाचों, सगीतों, चित्र-प्रदर्शनियों आदि की भी है। ये सब चीजें आज विद्यमान तो हैं किंतु इनसे श्रमजीवियों के जीवन में रत्तीभर भी सुधार नहीं हुआ है, क्योंकि दुर्भाग्यवश ये सभी उसकी पहुंच से बाहर हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इन आश्चर्यजनक आविष्कारों और कलामय कृतियों ने यदि अभी तक श्रमजीवियों के जीवन को क्षति

नहीं पहुँचाई है तो कम-से-कम उनके जीवन में सुधार करने में वे विलकुल असफल अवश्य रही हैं—और इस बात से वैज्ञानिक भी सहमत हैं ।

अत यदि हम विज्ञान और कला की सफलता की वास्तविकता को अपनी खुशियों के आधार पर नहीं बल्कि उमी मापदंड से नापे जिमसे श्रम-विभाजन का समर्थन किया जाता है अर्थात् यदि हम यह देखे कि इन सफलताओं से मजदूरों को वास्तव में कितना लाभ हुआ है तो हम देखेंगे कि हम इतनी तत्परता के साथ जो हर्ष और सतोष प्रदर्शित करते हैं उसके लिए कोई दृढ आधार नहीं है । माना कि एक किसान रेल की सवारी करता है, उसकी स्त्री छपा हुआ सूती वस्त्र खरीदती है, उनके झोपड़े में लकड़ी के दीवट के बजाय लैम्प जलता है और किसान अपनी सिगरेट दियासलाह से जलाता है । माना कि यह सब है तो सुविधाजनक, किंतु इतने ही में हमें यह कहने का अधिकार कहा मिल जाता है कि रेलों और कारखानों से जनता का कल्याण हुआ है ? यदि किसान रेल में यात्रा करता है और लैम्प, छपे हुए सूती कपड़े और दियासलाह खरीदता है तो इसका कारण यह है कि उसे ऐना करने से रोकना असम्भव है । यह बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि रेलों और कल-कारखानों का निर्माण मजदूर जनता के कल्याण के लिए नहीं किया गया है । ऐसी दशा में इन आकस्मिक सुविधाओं को, जिनसे कि किसान सयोगवश लाभ उठा लेते हैं, रेलों आदि की उपयोगिता के प्रमाणस्वरूप क्यों उल्लिखित किया जाय ? हम सभी लोग जानते हैं कि यदि रेलों और कारखानों का निर्माण करनेवाले विशेषज्ञों और पूजिपतियों को मजदूरों का कुछ ध्यान धाया भी होगा तो केवल यह सोचने के लिए कि उनसे किस प्रकार अधिक-से-अधिक महत्त करवाई जाय और—जैसा कि हम स्वयं रूम में और यूरोप तथा अमरीका में भी देख चुके हैं—उन्हें अपने उम कार्य में पूर्ण सफलता मिली है ।

यो तो हर घुरी चीज में कोई-न-कोई अच्छाई होती है । किनी अग्नि-दुर्घटना के बाद हम मुलगत हुए कोयलो से अपना शीत भगा सकते हैं और अपनी सिगरेटे भी जला सकते हैं, लेकिन हम यह कैसे कह सकते हैं कि आग लगाना उपयोगी है । हमें कम-से-कम अपने को

घोखे में नहीं रखना चाहिए। रेलों और फैक्टरियों के निर्माण और मिट्टी के तेल और दियासलाइयों के उत्पादन के पीछे जो उद्देश्य छिपा हुआ है उसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। इंजीनियर लोग रेलों को या तो सरकार के लिए मैनिक कार्यों के निमित्त बनाते हैं या पूँजी-पतियों के लिए आर्थिक उद्देश्यों की परिपूर्ति की दृष्टि से। इसी तरह वे मशीन मिल-मालिक के लिए या स्वयं अपने लाभार्थ या पूँजीपति के लाभ की दृष्टि से बनाते हैं। वे जो कुछ भी बनाने या सोचते हैं, सरकार या पूँजीपति और धनाढ्य व्यक्तियों के लाभ के लिए करते हैं। उनके आविष्कारों में से जो सबसे अधिक चातुर्यपूर्ण होते हैं—जैसे तोप, टारपीडो एक्रान्त कारावास की कोठरियाँ, तार आदि—उनका उद्देश्य या तो प्रत्यक्ष रूप से जनता को क्षति पहुँचाना होता है या ऐसे पदार्थों का उत्पादन करना जो न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि जनता की पहुँच में भी बाहर होते हैं, जैसे कि विजली की रोशनी, टेलीफोन और विलासिता बढ़ानेवाले अन्य असंख्यक यंत्र। उनका उद्देश्य ऐसी वस्तुओं का निर्माण करना ही होता है जिनसे लोगों को भ्रष्ट किया जा सकता है और उन्हें अपनी बची-खुची पूँजी को पानी की तरह बहा डालने को प्रेरित किया जा सकता है, जैसे सबसे पहले बोडका, शराब, वियर, अफीम, तम्बाकू और फिर बाद में छपे हुए सूती कपड़े, रूमाल और ऐसी-ही-ऐसी हर तरह की छोटी-मोटी चीजें।

यदि वैज्ञानिकों के आविष्कार और इंजीनियरों के काम जनता के लिए कभी-कभी उपयोगी सिद्ध होते हैं—जैसे कि रेल, छपे हुए सूती कपड़े, लोहे के बर्तन, हसिया आदि—तो इससे यही प्रमाणित होता है कि ससार की प्रत्येक वस्तु एक-दूसरे से सम्बन्धित है और प्रत्येक क्षतिपूर्ण कार्य से भी उन लोगों तक को लाभ होने की सम्भावना हो सकती है जिनके लिए ये क्रियाएँ साधारणतः हानिकारक होती हैं।

वैज्ञानिक और कलाकार लोग अपनी क्रियाओं को जनता के लिए उपयोगी होने का दावा तभी कर सकते हैं जब वे मजदूरों की सेवा करना अपना लक्ष्य बना लें—ठीक उसी तरह जैसे आज उन्होंने सरकारों और पूँजीपतियों की सेवा को अपना ध्येय मान रखा है।

हम भी उनके कार्यों की उपयोगिता को तभी स्वीकार कर सकते हैं जब वे जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति को अपना ध्येय माने । किंतु, उनमें से एक भी ऐसा नहीं करता ।

वैज्ञानिक लोग तो अपने उन पुनीत कार्यों में लगे हुए हैं जिनमें वनस्पति तथा प्राणियों के जीवन के आधारतत्त्व का ज्ञान प्राप्त होता है और तारको के दृष्टक विश्लेषण आदि फलीभूत होते हैं, किंतु किम प्रकार की कुल्हाड़ी से या किस ढग के कुल्हाड़ी के हत्ये से काटने का काम सबसे अच्छा हो सकता है, किस तरह की आरी सबसे अच्छा काम देती है, किस ढग से आटा सबसे अच्छा गूधा जा सकता है, किस तरह के आटे का प्रयोग करना चाहिए, किस तरह उसका खमीर उठाया जाय, किस तरह आग जलानी चाहिए, किस तरह से चूल्हा सुलगाना चाहिए, क्या खाना और क्या पीना चाहिए, किस तरह का कुकुरमुत्ता खाया जा सकता है और किस तरह उसकी सच्ची सबसे अच्छी तरह बनाई जा सकती है, इन सब प्रश्नों पर विज्ञान कभी ध्यान नहीं देता, यद्यपि सच पूछिए तो ये सब विज्ञान के ही काम हैं ।

मे जानता हूँ कि विज्ञान की व्याख्या ही यह है कि वह एक निरर्थक वस्तु है, किंतु ऐसा कहना एक अत्यंत वृष्टतापूर्ण वहाना मात्र है । विज्ञान का काम लोगों की सेवा करना है । हमने तार, टेलीफोन और फोनोग्राफ तो बनाए हैं, किंतु लोगों के वास्तविक जीवन और कार्यों में हमने क्या उन्नति की है ? यह कि हमने बीस लाख जंतुओं का पता लगा लिया है ? किंतु क्या हमने वाइविल के युग के बाद से किसी एक भी नए पशु को पालतू बनाया है ? आज जितने भी पशु हैं वे तो उससे भी पहले के पालतू बनाए हुए हैं । हिरण, बारहसिंगा, तीतर, बटेर आदि ये सब अभी जंगली अवस्था में ही हैं । हमारे वनस्पति विज्ञानवेत्ताओं ने तंतु का पता लगा लिया है और तंतु के अंदर वनस्पति तथा प्राणियों के जीवन के आधारतत्त्व का और इस तत्त्व के अन्दर किसी अन्य वस्तु का और उस अन्य वस्तु के भीतर भी किसी दूसरी वस्तु को ढूँढ निकाला है । स्पष्टतः अभी यह क्रम बहुत दिनों तक

समाप्त नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई अन्त हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि वैज्ञानिक लोग अपना ध्यान उन पदार्थों पर नहीं दे पाते जिनकी जनता को आवश्यकता है। और फिर, प्राचीन मिस्रों और यहूदी काल से—जब कि गेहूँ और मसूर की खेती पहले से ही हुआ करती थी—आज तक हमने आलू को छोड़कर जनता के खाद्य पदार्थों में एक पौधे की भी वृद्धि नहीं की और आलू भी हमें विज्ञान ने नहीं दिया है। विज्ञान ने तो हमें पनडुब्बियों को नष्ट करनेवाले गोलों, शीचालयों के लिए नालियों आदि का आविष्कार किया है। लेकिन हमारे चर्खों, किमान स्त्रियों के करघे, गाव के हल, कुल्हाड़ी, मूसल, हेगी, जुआ और वाट्टी आदि आज भी उसी अवस्था में हैं, जिस अवस्था में रूरिक<sup>१</sup> के समय में थे और यदि इनमें कुछ परिवर्तन हुआ भी है तो वह वैज्ञानिकों ने नहीं किया है।

यही बात कला के सम्बन्ध में भी सत्य है। आज अनगिनत लोग उच्च कोटि के लेखक माने जाते हैं। हमने उनका बड़ी सूक्ष्मता के साथ विश्लेषण किया है, उनपर डेरो आलोचनाएँ लिखी हैं और उन आलोचनाओं की आलोचनाएँ और फिर उनकी आलोचनाएँ की हैं। हमने चित्रों के सग्रह किये हैं, कला की सभी शैलियों का ध्यानपूर्वक मनन किया है और इतने वृन्दवादियों तथा नाट्यसंगीतों का आविष्कार किया है कि उन्हें सुनना स्वयं हमारे लिए कठिन हो गया है। किंतु हमने लोकगाथाओं और लोकगीतों में क्या वृद्धि की है ? हमने जनता को कौन-से चित्र और कौन-से संगीत दिये हैं ? जन साधारण के लिए तो पुस्तकें और तस्वीरें निकोल्सकी गली<sup>२</sup> में तैयार होती हैं और तूला<sup>३</sup> में बाजे आदि बनते हैं; लेकिन इनके निर्माण में बुद्धि-जीवियों ने कोई भाग नहीं लिया है।

१ रूस का प्रथम राजकुमार (८३०—८७९ ई०)

२ यह गली मास्को के बीचोबीच है जहाँ टॉल्स्टॉय के समय में किसानों आदि के लिए सस्ती पुस्तकें बिका करती थी।

३ मास्को का संगीत-केन्द्र।



सबसे अधिक स्पष्ट और आश्चर्य की बात तो यह है कि विज्ञान और कला के जिन विभागों को जनता के लिए उपयोगी होना चाहिए उनके ही कार्य की दिशा गलत है और इस गलत दिशा के कारण वे उपयोगी न होकर हानिकारक सिद्ध होते हैं। इंजीनियर, डाक्टर, अध्यापक, कलाकार, लेखक इन सभी को स्वयं अपने पेशे के कारण जनता की सेवा करनी चाहिए, किंतु वास्तव में होता क्या है ? आज की जो प्रवृत्ति है उससे लोगों को उल्टे हानि पहुंच रही है।

इंजीनियरों और मिस्त्रियों को काम करने के लिए भूजी चाहिए, बिना पूंजी के वे कुछ नहीं कर सकते, उनका मारा ज्ञान ही कुछ इम प्रकार का होता है कि उसे व्यवहार में लाने के लिए उन्हें पूंजी और काफी मजदूरों की आवश्यकता है। स्वयं अपने खर्च के लिए उन्हें प्रति वर्ष कम-से-कम १५०० से २००० रुबल तक चाहिए और यही कारण है कि वे गाव में नहीं रह सकते, क्योंकि वहां कोई उन्हें इतना पार्थिविक नहीं दे सकता। अर्थात् उनका पेशा ही उन्हें जनता की सेवा करने में रोकता है। अकण्ठित का उच्च ज्ञान होने के कारण वे किसी पुल के मेहराब का आकार निश्चित कर सकते हैं, किमी मोटर की शक्ति और कार्यक्षमता को आक कर सकते हैं और ऐसे-ऐसे ही दूसरे कार्य भी कर सकते हैं; किंतु जब उनके सामने किसान की मेहनत की सीधी-साधी समस्याएँ आ खड़ी होती हैं तो वे मानो किर्कतव्यविमूढ़ हो जाते हैं। हल और ब्रैलगाडी का सुधार किस तरह से किया जाय और नदी, नालों से खेतों को पानी किस तरह से पहुंचाया जाय ये सब बातें ऐसी हैं जिन्हें वे छोटे-से-छोटे किसान से भी कम जानते और समझते हैं। उन्हें तो बड़े-बड़े कारखाने चाहिए, अपने आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के काम करनेवाले व्यक्ति चाहिए और इतना ही नहीं बल्कि विदेशों से मगाई हुई मशीनें चाहिए और तब जाकर के वे कोई प्रबन्ध कर सकते हैं। किंतु आज जो लाखों मजदूरों की दशा है उसमें वे किसी प्रकार का भी सुधार करने में असमर्थ हैं और उनके अपने पेशे, अपनी आदतें और आवश्यकताएँ ऐसी हैं जो उन्हें ऐसे काम के लिए विलकुल असमर्थ बना देती हैं।

डाक्टरों की स्थिति तो और भी खराब है। उनकी कल्पित विद्या भी कुछ इस प्रकार की है कि वे केवल उन्हीं लोगों को आरोग्य प्रदान कर सकते हैं जो स्वयं कुछ नहीं करते और दूसरों के धर्म पर अधिकार जताते हैं। वैज्ञानिक रूप से काम करने के लिए उनको अनगिनत प्रकार के कीमती औजारों, दवाओं, स्वास्थ्यप्रद कमरों, भोजन, जल आदि की आवश्यकता होती है। उन्हें अपनी तनख्वाह तो चाहिए ही, माथ-ही-माथ उन्हें ये खर्च भी चाहिए, ताकि एक रोगी को अच्छा करने में वे उन सैकड़ों व्यक्तियों को भूखा मार सकें जो इन खर्चों को बरदाश्त करते हैं। उन्होंने राजधानियों में ऐसे लब्धप्रतिष्ठ व्यक्तियों की देख-रेख में रहकर अध्ययन किया है जो केवल उन लोगों की चिकित्सा करते हैं जिन्हें वे अस्पतालों में रख सकते हैं या जो चिकित्सा कराने ममय उन यंत्रों को खरीद सकते हैं जिनकी चिकित्सा के लिए आवश्यकता है और जो फीरत जलवायु परिवर्तन के लिए एक छोर से दूसरे छोर पर जा सकते हैं। इन लोगों की विद्या कुछ इस प्रकार की होती है कि छोटे स्थानों और गावों में काम करनेवाले डाक्टरों को हर समय यह शिकायत बनी रहती है कि उन्हें किसानों और मजदूरों की चिकित्सा करने के साधन प्राप्त नहीं हैं, और वे इतने निर्धन हैं कि रोगियों को स्वास्थ्यप्रद परिस्थितियों में नहीं रख सकते। साथ-ही-साथ ये डाक्टर यह भी शिकायत करते हैं कि उनके पास अस्पताल नहीं है, वे सारे काम को अकेले नहीं कर सकते, उन्हें और अधिक सहकारी डाक्टर और, गिश्त सहयोगी चाहिए। इस सबका मतलब क्या है ? इसका मतलब यह है कि जीवन-निर्वाह के साधनों की कमी ही जनसाधारण की सबसे बड़ी विपदा है, इसीके कारण उसे बीमारियाँ होती हैं, इसीके कारण बीमारियाँ फैलती हैं तथा इसीके कारण उनकी चिकित्सा नहीं हो पाती और विज्ञान है कि श्रम-विभाजन का झंडा लहराकर अपने सहकारियों को इन लोगों की सहायता के लिए बुलाता है। उसने अपने को पूर्ण रूप से धनिकों के अनुकूल बना लिया है और फलस्वरूप उसे केवल उन लोगों की चिकित्सा करने की चिन्ता रहती है जो सर्वसम्पन्न हैं। ये दवाएँ और तरीके वे उन लोगों को भी बताते हैं जिनके पास खर्च करने को

फूटी कौड़ी भी नहीं है। किंतु डाक्टरों के पास साधन नहीं हैं और इसलिए ये साधन इन किसानों से प्राप्त किये जाने चाहिए जो बीमार पड़ते हैं और साधनों की कमी के कारण अच्छे नहीं किये जाते।

जन-चिकित्सा के समर्थक सदा यही कहते रहते हैं कि अभी इस विद्या का बहुत ही कम विकास हुआ है और स्पष्टतः ऐसी ही बात है भी, क्योंकि—भगवान् वचाएँ—यदि यह विद्या अधिक विकसित हुई और (जैसा कि प्रस्ताव किया जाता है) एक-एक जिले में दो-दो डाक्टरों, दाइयों और शिक्षित महिला सहकारियों के वजाय तीस-तीस लोग जनता के सिर पर बोझ बनाकर भेजे गए तो फिर शीघ्र ही वह अवस्था आ जायगी जब कोई व्यक्ति निरोग करने के लिए रह ही नहीं जायगा। चिकित्सा-शास्त्र के समर्थक जनता को वैज्ञानिक ढंग से डाक्टरी सहायता पहुंचाने की जो बात किया करते हैं वह विलकुल ही भिन्न प्रकार की होती है और इस प्रकार की चिकित्सा-पद्धति अभी आरम्भ भी नहीं हुई। इसका सूत्रपात तभी हो सकता है जब वैज्ञानिक लोग, शिल्पवेत्ता या डाक्टर श्रम-विभाजन को उचित नहीं समझेंगे अर्थात् आज दूसरे लोगों के श्रम का जो शोषण किया जाता है उसे अनुचित मानेंगे और जनता को वे जो सहायता देते हैं उसके बदले लाखों रूबल तो दूर रहा एक हजार या पाच सौ रूबल मागना भी अपना अधिकार नहीं समझेंगे, बल्कि मजदूरों और किसानों के बीच उन्हीं-जैसी परिस्थितियों में रहकर जनता की मिस्त्रीगिरी, इजीनियरी, सफाई और दवा सम्बन्धी समस्याओं को हल करने में अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे। किंतु इस समय तो वैज्ञानिक लोग, जो मजदूर जनता के श्रम के भरोसे जीवन-निर्वाह करते हैं, जनता के जीवन की स्थिति को विलकुल भूल गए हैं। वास्तव में उनकी इस स्थिति की वे उपेक्षा करते हैं और इसपर क्रोध प्रकट करते हैं कि उनका मिथ्या ज्ञान जन-साधारण के व्यवहार में नहीं आता।

इजीनियरिंग की तरह चिकित्सा का क्षेत्र भी अभी अछूता है। श्रमजीवियों की वर्तमान वास्तविक अवस्था को दृष्टि में रखते हुए श्रम के समय का किस प्रकार सबसे अच्छा विभाजन किया जाय, किस

प्रकार अपने को सबसे अधिक पोषण दिया जाय, कौन-मा वस्त्र किस रूप में, कब और कैसे पहनने से सबसे मनोरम दिखाई देगा, किस प्रकार पैरो को ढंककर रखा जाय, किस प्रकार ठंड और मील में बचा जाय, किस प्रकार बच्चों को सबसे अच्छी तरह नहलाया-धुलाया और भोजन दिया जाय—ये सब प्रश्न ऐसे हैं जिनपर अभी तक विचार नहीं किया गया है। यही बात वैज्ञानिक शिक्षकों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। विज्ञान ने भी शिक्षण की व्यवस्था कुछ ठीक इसी ढंग से कर रखी है कि वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार केवल धनिकों को ही शिक्षा मिल पाती है और इजीनियरो तथा डाक्टरों की भांति ये शिक्षक भी अनायास ही पैसे के आगे सिर झुका देते हैं। रूस में तो ये लोग विशेष रूप से सरकार के दास बन जाते हैं।

इसके सिवा और हो ही क्या सकता है। आज की आदर्श व्यवस्थाओं से विभूषित स्कूल—जिनमें बेंचें, ग्लोव, नक्शे, पुस्तकालय, विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए कार्य-सूची आदि होते हैं—ऐसे होते जिनसे गांव का खर्चा दुगुना हो जाता है। साधारणतः स्कूल जितने ही वैज्ञानिक ढंग से सुव्यवस्थित होते हैं उतने ही वे अधिक खर्चिले होते हैं। विज्ञान का प्रवन्ध है ही ऐसा।

आजकल लोगो को काम के लिए अपने बच्चों की जरूरत पड़ती है और लोग जितने अधिक निर्धन होते हैं उतनी ही अधिक उनकी यह आवश्यकता होती है। विज्ञान के समर्थक कहते हैं कि शिक्षा से अब भी लोगो को लाभ होता है और जब यह विज्ञान और भी विकसित हो जायगा तो और भी अच्छा रहेगा। किंतु यदि शिक्षा का विकास हुआ और एक जिले में बीस स्कूलों के बदले सौ वैज्ञानिक स्कूल स्थापित हो गए और यदि इन स्कूलों के लिए जनसाधारण को व्यय करना पड़ा तो वे और भी निर्धन हो जायगे और उन्हें बच्चों से मेहनत कराने की और भी अधिक आवश्यकता पड़ेगी।

तो फिर क्या किया जाय ? लोग पूछते हैं। उत्तर मिलता है कि सरकार स्कूल स्थापित करेगी और शिक्षा को अनिवार्य बना देगी, जैसा कि यूरोप में होता है। किंतु खपया तो फिर भी जनसाधारण से ही

लिया जायगा जिन्हे और भी अधिक परिश्रम करना पड़ेगा तथा जिन्हें और भी कम अवकाश मिलेगा। अतः अनिवार्य शिक्षा सफल नहीं हो सकेगी। ऐसी अवस्था में शिक्षको के लिए मुक्ति का एक ही मार्ग रह जायगा, वह यह कि वे मजदूरों-जैसा जीवन विताय और उन्हें शिक्षा प्रदान करने के बदले में मजदूर लोग जो कुछ भी स्वेच्छा से दें वही स्वीकार करे। अपनी इसी गलत प्रवृत्ति के कारण विज्ञानवेत्ता जनता की सेवा नहीं कर पाते, जो कि उनका कर्तव्य है। हमारे बुद्धि-जीवियों की यह प्रवृत्ति कला के क्षेत्र में तो और भी स्पष्ट हो जाती है। कला को स्वभावतः जनता के लिए सुलभ होना चाहिए। विज्ञान तो इस मूर्खतापूर्ण वहाने की आड़ ले भी सकता है कि विज्ञान विज्ञान के लिए काम कर रहा है और जब वैज्ञानिक लोग विज्ञान का पूर्ण तरह से विकास कर लेंगे तो वह जनता को भी पहुँच के भीतर आ जायगा। किंतु कला—यदि वह सच्ची कला है तो—ऐसी होनी चाहिए कि सब लोग, विशेष रूप से वे लोग जो उसकी मृष्टि करते हैं, उम तक आसानी से पहुँच जाय। किंतु स्थिति इसके विलकुल विपरीत है। आज कलाकारों पर स्पष्ट रूप से यह दोषारोपण किया जा सकता है कि वे न जनता की सेवा करना चाहते हैं और न जानते हैं और न ऐसा करने में समर्थ ही हैं।

चित्रकार को अपनी महाकृतियों की रचना के लिए इतनी बड़ी चित्रशाला चाहिए जिसमें ऐसे कम-से-कम चालीस बर्दों या मोची एक साथ बैठकर काम कर सकें जो आज या तो स्थानाभाव के कारण ठिठुर रहे हैं या किसी बन्द गदी जगह में पड़े-पड़े घुट-घुट कर मर रहे हैं। इतना ही काफी नहीं है, उस चित्रकार को प्रकृति, पोशाक और यात्रा की भी आवश्यकता है। कला विद्यापीठ ने जन साधारण से जमा किये हुए लाखों रुबल कला को प्रोत्साहन देने के लिए व्यय किये हैं, किंतु कला-कृतियाँ केवल महलों में लटकती हैं, जनता तो इन्हे न समझती है न चाहती है।

इसी तरह सगीतज्ञों को अपने महान् सगीत का प्रदर्शन करने के लिए सफेद नेकटार्ड की एक विशेष ढग की पोशाक पहने हुए लगभग

२०० व्यक्तियों को एकत्र करन की आवश्यकता पडती है और एक नृत्य-संगीत के लिए लाखों रूबल खर्च करने पडते हैं। फिर भी यदि जन-साधारण को कभी कला की इस रचना को सुनने का सीभाग्य प्राप्त हो भी जाय तो भी उसमें वेचैनी और क्लान्ति के अतिरिक्त और किसी भावना की उत्पत्ति नहीं होगी।

लेखको और कहानियों के सम्बन्ध में तो यह सोचा जा सकता है कि उन्हें किन्हीं विशेष परिस्थितियों, रगशालाओं, प्राकृतिक दृश्यों, वृन्दवादको और अभिनेताओं की आवश्यकता नहीं है। किंतु हम देखते हैं कि एक लेखक को भी अपने महाग्रन्थ के निर्माण के लिए आरामदेह मकान और जीवन सम्बन्धी समस्त मनोरंजनों के अतिरिक्त कितने ही अन्य उपकरणों की भी आवश्यकता है, जैसे यात्रा, राजमहल, अध्ययन-शाला, थियेटर संगीत आदि। यदि लेखक स्वयं नहीं कमा पाते तो उन्हें पेन्शन दी जाती है जिससे कि वे पहले की अपेक्षा अच्छा लिख सकें। किंतु अतत परिणाम वही निकलता है। उनकी जिन रचनाओं का हम इतना आदर करते हैं वे जनता के लिए कूड़े का ढेर मात्र होती हैं क्योंकि उसे इनकी आवश्यकता ही नहीं।

अब मान लीजिए कि वैज्ञानिकों और कलाकारों की इच्छा के अनुसार आत्मिक भोजन उत्पन्न करनेवालों की सख्या बढा दी जाय और हर गाव में एक चित्रशाला बनाना, एक वृन्दवादन की स्थापना करना और कलाकार जैसी परिस्थिति को आवश्यक समझते हैं वैसी परिस्थिति में एक लेखक रखना अपरिहार्य कर दिया जाय। तो फिर क्या हो ? मैं समझता हू कि श्रमजीवी लोग इन निरर्थक व्यक्तियों का पेट भरने के लिए विवश होने से पहले इस बात की गपथ ले लेंगे कि वे न कभी कोई चित्र देखेंगे, न संगीत सुनेंगे, न कोई कविता या कहानी पढ़ेंगे।

लेकिन पूछा जा सकता है कि कलाकार लोग जनता की सेवा क्यों न करें ? हर झोपड़े में मूर्तियाँ और चित्र होते हैं। हर किसान मर्द और हर किसान औरत गाती है। उनमें से बहुतों के पास तो बाजे भी होते हैं और ये सब कहानियाँ कहते हैं और कविताओं का पाठ

करते हैं और कितने ही तो पड़ते भी हैं। ऐसी अवस्था में क्या कारण है कि ये दो चीजे, जो एक-दूसरे के लिए ताले और ताली की तरह बनाई गई हैं, एक-दूसरे से इतनी अधिक पृथक हो गई हैं कि उन्हें मिलाने की अब कोई सम्भावना ही दिखाई नहीं देती है।

किसी चित्रकार से जरा यह तो कहिए कि वह चित्रशाला, नग्न नमूने और वेगभूषाओं के बिना ही सस्ती तस्वीरे बनाया करे। वह तत्काल आपको उत्तर देगा कि यह तो कला का परित्याग है। इसी तरह किसी संगीतज्ञ से कह कर देखिए कि वह हारमोनियम या सितार बजाकर गाव की स्त्रियों को गाना सिखाया करे। किसी कवि या लेखक से कहकर देखिए कि वह काव्य, उपन्यास या व्यंग लिखना छोड़कर निरक्षर जनता की समझ में आने योग्य गीत, पुस्तके, कथाएँ और परियों की कहानियाँ लिखा करे ! ये सब-के-सब आपको उत्तर देंगे कि आप पागल हो गए हैं। किंतु क्या यह और भी बड़ा पागलपन नहीं है कि जिन लोगों ने हमारा पालन-पोषण किया है, जो हमें खाना और कपड़ा देते हैं उन्हें आध्यात्मिक भोजन देने का विश्वास दिलाकर हमने अपने को श्रम से मुक्त तो कर लिया है किंतु अब अपने वचन को इतना भूल गए हैं कि हमें उन लोगों के योग्य भोजन तैयार करने की कला ही याद नहीं रह गई है और हम अपनी इस कर्तव्यच्युति को अपना एक विशेष गुण मानने लगे हैं ?

“लेकिन ऐसा तो सभी जगह होता है,” उत्तर में कहा जाता है। यदि ऐसा सभी जगह होता है तो वह निस्संदेह अमानुषिक है और उस समय तक अमानुषिक रहेगा जबतक कि लोग श्रम-विभाजन का वहाना लेकर और जनसाधारण को आत्मिक भोजन का वचन देकर उनके श्रम के प्रतिफल को स्वयं हड़पते रहेंगे। विज्ञान और कला से जनसाधारण की सेवा तभी सम्भव है जब वैज्ञानिक और कलाकार जनसाधारण के साथ जनसाधारण के समान ही जीवन बितायें और बदले में कुछ मांगें बिना ही उन्हें अपनी वैज्ञानिक और कला सम्बन्धी सेवाएं समर्पित करें—ऐसी सेवाएं जिन्हें स्वीकार और अस्वीकार करने की पूर्ण स्वतंत्रता जनसाधारण को हो।

: ३५ :

## भूठा दावा

यह कहना कि विज्ञान और कला की क्रियाओं से मानव-समाज की उन्नति में सहायता मिलती है इस कहने के समान है कि धार पर बहती हुई नौका में बैठे हुए लोगों का ऊटपटांग ढग से पतवार पटकना उसकी गति में सहायक होता है। सत्य यह है कि इस क्रिया से नौका की गति में रुकावट भर पड़ती है। आज का तथाकथित श्रम-विभाजन अर्थात् दूमरो के परिश्रम के प्रतिफल को बलात् हड़प जाने की प्रवृत्ति— जो कि हमारे युग के वैज्ञानिकों और कलाकारों के क्रियाकलाप का आवश्यक आधार बन गई है—सदा से ही मानव-समाज की प्रगति की मंदता का मुख्य कारण रही है और अब भी है। इसका प्रमाण हमें स्वयं वैज्ञानिकों के इस कथन में मिलता है कि सम्पत्ति का असमान वितरण होने के कारण विज्ञान और कला की सफलताओं से लाभ उठाना मजदूरों की क्षमता से बाहर है।

मार्कों की बात तो यह है कि कला और विज्ञान में जितनी सफलता मिल रही है उसके अनुपात में सम्पत्ति-विभाजन का यह अनौचित्य घट नहीं रहा है, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है, क्योंकि धन का अनुचित विभाजन उस श्रम-विभाजन के सिद्धांत का परिणाम मात्र है जो वैज्ञानिक और कलाकार लोग अपने स्वार्थ के लिए सिखाते फिरते हैं। विज्ञान श्रम-विभाजन का समर्थन यह कहकर करता है कि यह तो एक अपरिवर्तनीय नियम है। वह यह देखता है कि श्रम-विभाजन पर आधारित धन-विभाजन अनुचित और अमंगलकारी होता है, फिर भी यह दावा करता है कि उसके



कार्यों से ( जिनमें श्रम-विभाजन का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया है ) मानव-समाज को लाभ होगा । इसका तो अर्थ यह हुआ कि जो लोग दूसरो के श्रम का उपभोग करते हैं वे यदि ऐसा बहुत अधिक समय तक और दिन-प्रति-दिन अधिक मात्रा में करते जाय तो सम्पत्ति का यह अनुचित विभाजन अर्थात् दूसरो के श्रम का शोषण समाप्त हो जायगा ।

कुछ लोग ऐसे हैं जो एक सतत गतिशील झरने के पास खड़े होकर उसके जलप्रवाह को प्यासे लोगों की ओर से मोड़ने का प्रयत्न करते रहते हैं, फिर भी दावा यह करते हैं कि वे ही उस जल को उत्पन्न करते हैं और थोड़े ही समय में सबके प्रयोग के लिए प्रचुर मात्रा में जल एकत्र हो जायगा । किंतु यह जल जो सदा प्रवाहित होता रहा है और अब भी अवाध रूप से बहता हुआ समस्त मानव-समाज की तृष्णा को शान्त करता है । निस्संदेह वह उन लोगों के उद्यम के फलस्वरूप उत्पन्न नहीं हुआ जो स्रोत के पास खड़े होकर जल-प्रवाह को रोकने का प्रयत्न करते रहते हैं । असलियत तो यह है कि उनकी चेष्टाओं के बावजूद यह जल बहता और फैलता ही रहता है ।

एक सच्चे गिरजाधर का अस्तित्व सदा रहा है । दूसरे शब्दों में यो कहिए कि ऐसे व्यक्ति सदा पाए जाते रहते हैं जो अपने समय के उच्चतम सत्य के सम्बन्ध में एकमत रहे हैं और उनका सगठन सदा ही उस गिरजे से भिन्न रहा है जो अपने को गिरजा कहने का दावा करता है । इसी प्रकार विज्ञान और कला का भी अस्तित्व इस संसार में सदा रहा है, किंतु यह विज्ञान और यह कला वह नहीं है जो आज अपने को विज्ञान और कला कहकर पुकारते हैं ।

जो लोग अपने को एक विशेष काल के विज्ञान और कला का प्रतिनिधि मानते हैं वे सदा यह समझते हैं कि उन्होंने बड़े-बड़े आश्चर्यजनक कार्य किये थे और अब भी कर रहे हैं । वे यह भी समझते हैं कि उनसे विलग होकर न किसी सच्चे विज्ञान और कला का अस्तित्व कभी था और न अब है । यह धारणा पूर्वकाल के भिन्न-भिन्न वैज्ञानिकों और कलाकारों की रही है और आज के भी वैज्ञानिकों और कलाकारों की है ।

## विज्ञान और कला की प्राचीनता

“किंतु विज्ञान और कला को अस्वीकार करने का अर्थ यह है कि आप उस वस्तु को अस्वीकार कर रहे हैं जिसपर मानव-समाज का जीवन आश्रित है।”—यह उत्तर मुझे लोग सदा दिया करते हैं और मेरे तर्कों को इसी तरह कुछ दिचार किये बिना ही टाल देते हैं। वे मेरे सम्बन्ध में कहते हैं—“अरे वह तो विज्ञान और कला को नहीं मानता, वह तो चाहता है कि मनुष्य एक वार फिर अपनी जगली अवस्था में रहने लगे, इसलिए उसकी बातों को सुनने और उससे वाद-विवाद करने से बचा लाभ ?”

किंतु यह मेरे प्रति अन्धाय है। यही नहीं कि मैं विज्ञान की (अर्थात् मानव-समाज के तर्कसंगत कार्य-कलाप की) और कला की (अर्थात् उक्त तर्कसंगत कार्य-कलाप की अभिव्यक्ति की) अवहेलना नहीं करता, बल्कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ विज्ञान और कला की खातिर ही कहता हूँ, ताकि वर्तमान युग की भ्रामक शिक्षा की कृपा से आज मानव-समाज जिस जगली अवस्था की ओर बड़ी तेजी के साथ बढ़ जा रहा है उससे वह बच सके। मेरे तर्क-वितर्क का एकमात्र उद्देश्य यही है।

मानव-समाज के लिए विज्ञान और कला उतने ही आवश्यक हैं जितने अन्न, जल और वस्त्र—बल्कि इनसे भी अधिक आवश्यक है। किंतु उनके आवश्यक होने का कारण यह नहीं है कि हम उन्हें ऐसा समझते हैं, बल्कि केवल यह कि वे वास्तव में मानव-समाज के लिए आवश्यक हैं। यदि लोग सूखी घास मनुष्य के शारीरिक उपभोग के

लिए तैयार करते हैं तो मेरा केवल यह मान लेना कि वह मनुष्य का खाद्य-पदार्थ है उसे खाद्य पदार्थ नहीं बना सकता। मुझे यह नहीं कहना चाहिए कि अगर सूखी घास एक आवश्यक खाद्य पदार्थ है तो उसे आप खाते क्यों नहीं। खाद्य पदार्थ आवश्यक तो होता है, किंतु मैं जो चीज खाने को कह रहा हूँ वह शायद खाने लायक नहीं है।

यही बात विज्ञान और कला के साथ भी हुई है। हम समझते हैं कि यदि किसी यूनानी शब्द के साथ 'लॉजी' अर्थात् 'शाम्त्र' शब्द जोड़ दे और उसे विज्ञान कहने लें तो वह विज्ञान हो जायगा। इसी प्रकार हम सोचते हैं कि यदि किसी अश्लील कार्य को—जैसे कि नग्न स्त्रियों के नृत्य को—किसी यूनानी शब्द से सम्बन्धित करने लगे और उसे कला कहकर पुकारने लें तो वह कला हो जायगा। किंतु हम इस प्रकार की बातें चाहे कितनी भी क्यों न कहे, विज्ञान और कला के नाम पर आजकल हम जिन कार्यों में सलग्न हैं—जैसे कि कीटाणुओं की गणना करना, आकाश-गंगा के रासायनिक अंगों का अन्वेषण करना, जलपरियों और ऐतिहासिक दृश्यों का चित्रण करना या कहानियाँ और नाटक लिखना—ये सब कार्य उस समय तक विज्ञान या कला नहीं हो सकते जबतक कि वे लोग जिनके लिए ये किये जाते हैं इन्हें स्वेच्छा से इस रूप में स्वीकार न कर लें। अभी तक ये इस रूप में स्वीकार नहीं किये गए हैं।

खाद्य पदार्थ उत्पन्न करने का अधिकार यदि केवल कुछ इने-गिने लोगों के हाथों में हो और शेष लोगों को इस अधिकार से वंचित कर दिया जाय या ऐसा करना उनके लिए असम्भव कर दिया जाय तो मैं समझता हूँ कि भोजन के गुण में न्यूनता आ जायगी। यदि अन्न के उत्पादन का एकाधिकार रूसी किसानों को दे दिया जाय तो काली रोटी, क्वास, आलू और प्याज के अतिरिक्त और कुछ उत्पन्न ही न हो, क्योंकि येही खाद्य पदार्थ उन्हें प्रिय तथा अनुकूल हैं। इसी प्रकार यदि विज्ञान और कला का एकाधिकार भी किसी जाति विशेष को सौंप दिया जाय तो मानव-समाज के इन श्रेष्ठतम कार्यों की भी ऐसी ही दशा हो जायगी। अन्तर केवल यह होगा कि खाद्य पदार्थ—अर्थात्

शारीरिक भोजन—तो प्रकृति से कुछ भिन्न नहीं होगा, क्योंकि कार्ली रोटी और प्याज दोनों ही अधिक स्वादिष्ट न होते हुए भी स्वाम्य-दायक तो हैं ही; किंतु मानसिक भोजन में अत्यधिक अन्तर पढ़ने की सम्भावना रहेगी और कुछ लोगों को ऐसे मानसिक भोजन पर दीर्घ काल तक आश्रित रहना पड़ेगा जो उनके लिए न केवल नितान्त अनावश्यक बल्कि हानिकारक और विषपूर्ण भी होगा। वे अफीम खा-खाकर और गरारों पी-पीकर धीरे-धीरे अपनी मृत्यु तक बुला लेंगे और जनता को भी इन्हींका उपयोग करने को कहेंगे।

हमारे साथ यही बात हुई है और इसका कारण यह है कि वैज्ञानिकों और कलाकारों को एक विभिष्ट पद प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अब विज्ञान और कला सम्पूर्ण मानव-समाज की तर्कसंगत प्रवृत्ति के प्रतिरूपक नहीं रह गए हैं, बल्कि उन इने-गिने व्यक्तियों की क्रियाएं बन गए हैं जिनको इनपर एकाधिकार प्राप्त है और जो अपने को वैज्ञानिक और कलाकार कहने का अभिमान करते हैं। इन लोगों ने विज्ञान और कला को मूल भावना को ही विकृत बना दिया है। वे अपने कर्तव्य के अर्थ को भूल गए हैं और अपना सारा समय केवल कुछ थोड़े-से आलस्यपूर्ण उपभोक्ताओं का मनोरंजन करने में तथा उन्हें उस मानसिक क्लान्ति से, जो दिन-रात उन्हें सताती रहती है, मुक्ति दिलाने में व्यतीत करते हैं।

इस भ्रमण्डल पर मानव के जन्म लेने के समय से ही विज्ञान उसके पास अपने स्पष्टतम और अधिक-से-अधिक व्यापक अर्थ में विद्यमान रहा है। वह विज्ञान, जिसे हम मनुष्यों का ज्ञान कह सकते हैं, इस संसार में मदा रहा है और अब भी है। मध पूछिए तो इसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यह न तो हमें आक्रमण करने को कहना है न रक्षात्मक युक्तिया ही दिखाता है। बात केवल इतनी है कि ज्ञान का क्षेत्र इतना विविध है और उसमें लोहा उत्पन्न करने के ज्ञान से लेकर देवी-देवताओं की हृदयों तक के ज्ञान की इतनी बातें सम्मिलित हैं कि मनुष्य उनमें खो जा है और अपना मार्ग उस समय तक नहीं ढूँढ पाता जबतक

उसको यह निर्णय करने के लिए कोई सकेत न मिल जाय कि इनमें से कौन सी बातें उसके लिए सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और कौन-सी बातें कम महत्त्व की हैं। यही कारण है कि मानवीय बुद्धिमत्ता का परम लक्ष्य सदा से ही उस सकेत को प्राप्त करने का रहा है जिससे विदित हो सके कि हमारे ज्ञान का क्रम क्या होना चाहिए अर्थात् उसमें से कौन-सी बात पहले आनी चाहिए और कौन-सी बाद में। वास्तव में यही वह ज्ञान है जो दूसरे प्रकार के ज्ञान का निर्देशन करता है और जिसे मनुष्य सदा ही वास्तविक अर्थ में विज्ञान कहता आया है। इस प्रकार का विज्ञान मानव-समाज में जगली अवस्था में से निकलने के बाद से सदा से ही विद्यमान रहा है और आज भी है।

मानव-समाज के उत्पत्ति-काल से ही ऐसे शिक्षकों का प्रदुर्भाव होता आया है जो विज्ञान का उसके वास्तविक अर्थ में निर्माण करते रहे हैं, अर्थात् मनुष्य को वह ज्ञान प्रदान करते रहे हैं जिससे वह जान सके कि उसे किस वस्तु की सबसे अधिक आवश्यकता है। इस प्रकार का विज्ञान हमें सदा यह बताता रहा है कि प्रारब्ध क्या है और इसलिए वह प्रत्येक मनुष्य को उसके सच्चे कल्याण का ज्ञान कराता रहा है। यही वह विज्ञान है जो ऊपर लिखे हुए सकेत का काम करता रहा है और हमें यह निश्चय करने में सहायता देता रहा है कि दूसरे प्रकार के ज्ञान का और उसे व्यवहार करनेवाली क्रिया—अर्थात् कला—का कितना महत्त्व है।

मनुष्य के भविष्य और कल्याण से सम्बन्ध रखनेवाले आधारभूत विज्ञान को जिस प्रकार के ज्ञान से सबसे अधिक सहायता मिली और जिस प्रकार का ज्ञान उसके सबसे निकटतम आया वही जनता की दृष्टि में सबसे उच्च माना गया और जिस प्रकार के ज्ञान सबसे कम उपयोगी थे उन्हें सबसे निम्न स्तर पर स्थान मिला। कन्फ्यूशियस, बुद्ध, मूसा, सुकरात, ईसा और मुहम्मद का विज्ञान इसी प्रकार का था। विज्ञान होता भी इसी प्रकार का है और हम-जैसे कथित शिक्षितों को छोड़कर सभी लोग ऐसे ही विज्ञान को समझते रहे हैं और अब भी समझते हैं।

इस प्रकार के विज्ञान को न केवल मदा समस्त विज्ञानों में प्रथम पद मिलता आया है बल्कि अकेले इमीसे दूसरे विज्ञानों का महत्त्व भी आका जाता रहा है। और इम महत्ता का यह कारण नहीं है कि कुछ घूर्त्त प्रचारको और शिक्षको ने इसे यह महत्ता प्रदान की—जैसी कि आजकल के कथित शिक्षित व्यक्तियों की मान्यता है—बल्कि इमका कारण यह है कि मनुष्य के भाग्य और कल्याण सम्बन्धी विज्ञान के बिना किसी दूसरे विज्ञान या कला का मूल्याकन या चुनाव ही ही नहीं सकता और न उसके फलस्वरूप विज्ञान का अध्ययन ही हो सकता है, क्योंकि जिन-जिन विषयों से विज्ञान का सम्बन्ध है उनकी सख्या अपरिमित है। यह एक ऐसी बात है जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मिक अनुभवों से जान सकता है। इम बात का ज्ञान प्राप्त किये बिना कि समस्त मानव-जीवन का भविष्य और कल्याण किस वस्तु में निहित है दूसरे प्रकार के विज्ञान और कला केवल निर्गन्ध और हानिकारक मनोरंजन मात्र रह जाते हैं, जैसा कि आज हम लोगों में हो रहा है। मनुष्य-समाज का अस्तित्व तो बहुत पुराना है, किंतु ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसके भविष्य और कल्याण का निर्देशन करनेवाला विज्ञान न रहा हो। यह सत्य है कि वाह्य दृष्टि से मानव-कल्याण सम्बन्धी विज्ञान का स्वरूप बौद्धो, ब्राह्मणों, यहूदियों, ईसाइयों और कनफ्यूमियम तथा लाओ-त्सु के अनुयायियों में भिन्न-भिन्न दिशाई देता है—यद्यपि इन महापुरुषों के उपदेशों पर विचार करते ही पता चल जाता है कि उनका सार एक ही है—किंतु हमें जहाँ कहीं भी जगली अवस्था में निकले हुए मनुष्य मिलते हैं वही हमें यह विज्ञान भी मिलता है और आज एकाएक ऐसा लग रहा है जैसे जिस विज्ञान ने अबतक समस्त मानवों के ज्ञान का पथ-प्रदर्शन किया है उसीको हम आज समस्त वस्तुओं की उन्नति में वाचक समझने लगे हैं।

लोग मकान बनाते हैं, एक शिल्पी एक तरह का नक्शा तैयार करता है तो दूसरा दूसरी तरह का और तीसरा तीसरी तरह का। इन नक्शों में थोड़ा-बहुत अन्तर तो अवश्य होता है किंतु वे होते सभी ठीक हैं, क्योंकि उन्हें बनानेवाले सभी शिल्पियों के ममक्ष एक मात्र यही विचार

होता है कि यदि नक्षत्रों के अनुसार कार्य हुआ तो मकान अवश्य बन जायगा। कनपयूसियस, बुद्ध, मूसा और ईसा ऐसे ही शिल्पी थे।

किन्तु कुछ लोग अकस्मात् आकर हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि मुख्य वस्तु किसी नक्षत्रों का बनाना नहीं, बल्कि किसी भी प्रकार मकान का निर्माण कर लेना है। इस 'किसी तरह' को ही ये लोग सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कहकर पुकारते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पोप अपने को सबसे पुनीत कहकर पुकारते हैं। जिस विज्ञान से मनुष्य के भविष्य और कल्याण का निर्णय होता है उसी विज्ञान को लोग अस्वीकार करते हैं और इस अस्वीकृति को ही विज्ञान मानते हैं। मानव के सृष्टि-काल से ही बड़े-से-बड़े बुद्धिवेत्ता पैदा हुए हैं जो अपने तर्क और अपनी आत्मा की पुकार से संघर्ष करते हुए सदा अपने से यही प्रश्न पूछते रहे हैं कि अकेले उनका ही नहीं बल्कि समस्त मानव-समाज का भविष्य और कल्याण किस वस्तु में निहित है। वे इसी प्रश्न पर विचार करते रहे हैं कि जिस शक्ति ने हमें उत्पन्न किया और जो हमारा पथ-प्रदर्शन करती है वह हमसे प्रत्येक मनुष्य से क्या चाहती है और हमारे मन में स्वयं अपने तथा समस्त ससार के कल्याण के लिए जो आकाक्षा छिपी हुई है उसे सन्तुष्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए।

वे अपने-आपसे यह प्रश्न करते रहे हैं—“मैं 'सम्पूर्ण' हूँ और फिर भी 'अनन्त अपरिमित' का अंश हूँ। अपने ही जैसे दूसरे अंशों से मेरा क्या सम्बन्ध है? अर्थात् मेरा व्यष्टि और समष्टि से क्या सम्बन्ध है?”

अपनी आत्मा तथा बुद्धि की पुकार के आधार पर और इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि उनके पूर्वजों तथा समकालीन व्यक्तियों ने भी अपने-आपसे यही प्रश्न पूछकर क्या उत्तर दिया था, इन महान् शिक्षकों ने एक ऐसा सिद्धांत निर्धारित किया है जो सबके लिए अत्यंत सरल, स्पष्ट, बोधगम्य और व्यवहार-योग्य है।

इस प्रकार के उच्च-से-उच्च और निम्न-से-निम्न कोटि के व्यक्ति हुए हैं। ससार उनसे भरा पड़ा है। ये सभी लोग अपने से यही प्रश्न करते हैं—“हमारी आत्मा और बुद्धि में समस्त मानव-समाज के कल्याण के लिए जो आकाक्षा भरी हुई है उसका हम वैयक्तिक हित की भावना से कैसे

मेल मिलानें ?” इस सामान्य मूल भावना से धीरे-धीरे किंतु निरन्तर जीवन के ऐसे नए रूपों का निर्माण हो रहा है जो हमारी बुद्धि और आत्मा की पुकार के अविक अनुकूल होते हैं।

अचानक एक नए वर्ग के लोगों का प्रादुर्भाव होता है और वे कहते हैं—“यह सब बाह्यगत है, इसे त्याग देना चाहिए, यह तो निष्कर्ष निकालने की वह प्रणाली है जिसमें किमी सर्वनम्मत स्वीकृत सिद्धांत को आवार मान लिया जाता है और जो धार्मिक तथा दार्शनिक युगों के लिए ही ठीक थी।” लोग यह कहते तो हैं किंतु अभी तक कोई यह समझ नहीं पाया है कि निष्कर्ष निकालने की इस प्रणाली में और उस प्रणाली में जिसमें पृथक-पृथक उदाहरणों को देखकर व्यापक नियम निर्धारित किये जाते हैं, अन्तर क्या है।

इस नए वर्ग के लोग यह भी कहते हैं कि आंतरिक अनुभूति के आवार पर मनुष्य अबतक जो कुछ भी जान पाया है, जीवन-धर्म की चेतना के सम्बन्ध में—जिसे नए वर्ग के लोग शारीरिक क्रिया कहकर पुकारते हैं—मनुष्य ने एक-दूसरे को जो कुछ भी बनाया है और सृष्टि के आरम्भ से आज तक बड़े-बड़े विद्वानों ने इस दिशा में जितनी भी सफलता प्राप्त की है, वह सब कूड़ा-ककट और महत्वहीन है।

इस नई विचारवारा के अनुसार ऐसा लगता है जैसे हम शरीर-यंत्र के एक तंतु हो और हमारी तर्कसंगत क्रिया का एक मात्र उद्देश्य हमारी शारीरिक क्रिया का निर्णय करना है तथा ऐसा करने के लिए हमको केवल अपने चारों ओर फैले हुए जगत का निरीक्षण मात्र करने की आवश्यकता है। यह बात कि हम एक ऐसे तंतु हैं जो सोचता है, दुःख उठाता है, बोलता है, समझता है और इसलिए हम अपने ही जैसे बोलनेवाले दूसरे तंतु से यह प्रश्न कर सकते हैं कि क्या वह भी हमारी ही तरह से दुःख और सुख का अनुभव करता है और इस प्रकार यह निश्चय करता है कि हमारा अनुभव कहा तक ठीक है; यह बात कि हमसे पहले के तंतु जिस प्रकार जीवित रहते थे, दुःख-सुख का अनुभव करते थे, विचार करते थे और बोलते थे तथा इस सम्बन्ध में उन्होंने जो कुछ लिखा है उससे हम लाभ उठा सकते हैं; यह बात कि



हमसे पहले के ततुओ ने अपने जो अनुभव व्यक्त किये हैं उनसे सहमत होने के कारण लाखों दूसरे ततु भी हमारे इन विचारों का समर्थन करते हैं और इन सबसे बड़ी बात यह है कि हम स्वयं एक जीवित ततु हैं और अपने प्रत्यक्ष अनुभव से अपने कर्तव्यों के औचित्य और अनौचित्य को समझते हैं—ये सब बातें निरर्थक हैं, निष्कर्ष निकालने की यह एक बहुत ही दोषयुक्त और अशुद्ध प्रणाली है। सच्चा वैज्ञानिक ढंग यह है—यदि हम जानना चाहते हैं कि हमारा व्यक्तिगत कर्तव्य क्या है अर्थात् यह जानना चाहते हैं कि हमारा ही नहीं बल्कि मानव-समाज और सारे ससार का कर्तव्य और हित किस वस्तु में निहित है तो हमको सबसे पहले अपनी आत्मा और बुद्धि की आवाज को सुनना बन्द करना होगा, हमको उन सब बातों पर विश्वास करना छोड़ना होगा जो मानव-समाज के महान शिक्षक अपनी बुद्धि और अपनी आत्मा के सम्बन्ध में कह गए हैं, हमको इन सब बातों को नगण्य समझ कर नए सिरे से विचार करना होगा। ऐसा करने के लिए हमको एक खुर्दशीन के द्वारा छोटे-छोटे कीड़ों और क्रिमियों के ततुओं की हरकत को देखना होगा। इससे भी आसान ढंग यह है कि जिन लोगों को निर्दोष होने का प्रमाणपत्र मिल चुका है वे इन वस्तुओं के सम्बन्ध में कुछ भी कहे उसीपर विश्वास कर लिया जाय। छोटे-छोटे कीड़ों और ततुओं को देखकर या जो कुछ दूसरों ने देखा है उसे पढ़कर हमको इन ततुओं के सम्बन्ध में अपनी मानवीय भावनाओं के आधार पर यह अनुमान लगाना होगा कि वे क्या चाहते हैं, किस बात के लिए प्रयत्नशील हैं और उन्हें क्या सोचने तथा समझने का अभ्यास है। इन्हीं बातों से, जिनका कि एक-एक शब्द अशुद्ध है, हमको तुलनात्मक आधार पर यह निश्चय करना होगा कि हम क्या करते हैं, हमारा कर्तव्य क्या है और हमारा तथा हम-जैसे दूसरे ततुओं का किस बात में भला है? अपने को समझने के लिए हमको न केवल द्रष्टव्य क्रिमियों का बल्कि उन लघुतम ततुओं का भी अध्ययन करना होगा जिन्हें हम मुश्किल से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमको एक जीव का दूसरे जीव के रूप में परिवर्तित

होने की क्रिया को भी देखना होगा, जिसे न तो अबतक कोई देख सका है और न जिसे हम निश्चय ही कभी देख सकेंगे।

यही बात कला की भी है। जहाँ कहीं भी सच्चा विज्ञान विद्यमान रहा है वहाँ कला सदा से ही मनुष्य के कर्तव्य और हित के ज्ञान की अभिव्यक्ति करती रही है। मनुष्य के जिन सम्पूर्ण कार्य-कलापो से भिन्न-भिन्न प्रकार के ज्ञान का उपार्जन होता है उनमें से लोग सृष्टि के आरम्भ काल से ही उस प्रबल क्रिया को चनते आए हैं जिससे मनुष्य के कर्तव्य और कल्याण का ज्ञान होता है। इस ज्ञान के प्रतिफल की अभिव्यक्ति ही कला कहलाती रही है। मानव-जीवन के आरम्भ काल से ही ऐसे मनुष्य होते आए हैं जो मानव-जाति के कर्तव्य और कल्याण के उपदेशों के प्रति विशेष रूप से जागरूक और उत्सुक रहे हैं तथा जिन्होंने अपनेको कर्तव्यच्युत करनेवाली भ्रातियों के विरुद्ध हर प्रकार से संघर्ष किया है। उन्होंने इस संघर्ष को यातनाओं का भी बखान किया है और नेकी की विजय पर आशा तथा बुराई की विजय पर निराशा व्यक्त की है और भावी सुख के प्रति हर्ष की अभिव्यक्ति की है।

सृष्टि के आरम्भ से ही सच्ची कला का—जिसका सदा ही अत्यधिक सम्मान होता रहा है—एक मात्र उद्देश्य, यही रहा है कि वह मनुष्य के कर्तव्य और कल्याण की अभिव्यक्ति करे। कला ने तो आरम्भ से लेकर आज तक सदा ही उस जीवनोपदेश का अनुगमन किया है जो वाद में धर्म के नाम से पुकारा गया और सच पूछिए तो सदा केवल इसी प्रकार की कला का सम्मान भी हुआ है। किंतु जब से मनुष्य के कर्तव्य और कल्याण का ज्ञान करानेवाले विज्ञान के स्थान पर एक ऐसे विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ है जो विश्व की समस्त बातों का ज्ञान प्राप्त कराने का दावा करता है—अर्थात् जबसे विज्ञान का असली अर्थ और उद्देश्य नष्ट हो गया है और सच्चे विज्ञान को लोग घृणापूर्वक धर्म के नाम से पुकारने लगे हैं तभी से कला का मनुष्य की एक महत्त्वपूर्ण क्रिया के रूप में लोप हो गया है।

जबतक कि हमारे कर्तव्य और कल्याण का निर्देशन धर्म की ओर से होता रहा तबतक कला धर्म की सेवा में ही लीन रही और सच्ची

कला बनी रही, किंतु जबसे वह धर्म का साथ छोड़कर विज्ञान की सेविका बनी तबसे उसकी महत्ता जाती रही है और यद्यपि आज भी वह अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा के आधार पर यह मूर्खतापूर्ण दावा करती है कि कला कला के लिए है, तथापि उसने मनुष्य को वाछनीय पदार्थ जुटानेवाले एक व्यवसाय का रूप ग्रहण कर लिया है और वह अनिवार्य रूप से नाखून रगने और श्रृंगार करने की कलाओ में घुलमिल गई है। मार्को की बात तो यह है कि इन सौंदर्य-प्रसाधनों के उत्पादक भी अपने को कलाकार कहने का उतना ही अधिकारी मानते हैं जितने आज कल के कवि, चित्रकार और सगीतज्ञ ।

हम अपने लम्बे अतीत पर दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं कि पिछले हजारों वर्षों में लाखों और करोड़ों व्यक्तियों के बीच में से कन्प्यूसियस बुद्ध, सोलन, सुकरात, सुलेमान, होमर, ईसइया और दाऊद जैसे कुछ थोड़े-से ही विशिष्ट व्यक्ति हुए हैं। स्पष्ट है कि इस प्रकार के व्यक्तित्व इस ससार में बहुत कम हुए हैं, यद्यपि उनका जन्म किसी जाति विगेष में नहीं अपितु जन साधारण में ही हुआ था। दूसरे शब्दों में यो कहिए कि आत्मिक भोजन को उत्पन्न करनेवाले इस प्रकार के सच्चे वैज्ञानिक और कलाकार अत्यंत दुर्लभ हैं और मानव-समाज उनका इतना जो सम्मान करता आया है वह अकारण नहीं है। किंतु आज ऐसा लगता है कि जैसे विज्ञान और कला की ये महान विभूतियाँ हमारे लिए निरर्थक हो गई हैं, जैसे आज विज्ञान और कला के उत्पादक श्रम-विभाजन के नियमानुसार कारखानों में पैदा किये जा सकते हैं और सृष्टि के आरम्भ से अबतक जितने भी वैज्ञानिक और कलाकार हुए हैं उनसे कहीं अधिक वैज्ञानिक और कलाकार हम दस वर्ष में पैदा कर सकते हैं। आजकल तो वैज्ञानिकों और कलाकारों का जैसे एक सघ-सा खुल गया है, जहाँ मनुष्य-जाति के लिए जितने भी आत्मिक भोजन की आवश्यकता है वह सब एक निर्दोष ढग पर तैयार कर लिया जाता है। और यह आत्मिक भोजन इतने अधिक परिमाण में तैयार कर लिया गया है कि अब पहले के प्रतिभा-सम्पन्न विद्वानों को स्मरण करने तक की आवश्यकता नहीं रह गई है। कहा जा सकता है कि

उनका कार्य तो धार्मिक और दार्शनिक युग का काम था इसलिए उसे मिटा देना चाहिए; सच्चे तर्क-संगत कार्य को आरम्भ हुए तो अभी पचास वर्ष ही बीते हैं और इन पचास वर्षों में हमने इतने महान् पुरुष उत्पन्न कर लिये हैं कि आज अकेले एक जर्मन विश्वविद्यालय में इतने विद्वान् हैं जितने समस्त ससार में नहीं हुए। विज्ञान भी हमने इतने उत्पन्न कर लिए हैं—सौभाग्यवश इन्हें उत्पन्न करना आसान भी है क्योंकि हमें तो केवल किसी यूनानी सज्ञा के साथ 'शास्त्र' शब्द जोड़ कर उसे बनी-बनाई तालिकाबो में श्रेणी-बद्ध करने भर की आवश्यकता है और फिर तो वह आपसे आप विज्ञान बन जाती है—कि न केवल हमारे लिए इन समस्त विज्ञानों का ज्ञान प्राप्त करना असम्भव है बल्कि किसी एक व्यक्ति के लिए उन सबका नाम तक याद रखना सम्भव नहीं, उनके नाम से ही एक मोटा कोष तैयार हो सकता है और नए विज्ञानों का तो दिन-प्रति-दिन प्रादुर्भाव हो ही रहा है। बहुत-से विज्ञान ऐसे बनाए गए हैं जिनसे हमें फिनलैंड के उस अध्यापक की स्मृति हो आती है जो एक जमींदार के लड़को को फ्रासीसी भाषा की बजाय फिनिश भाषा पढाया करता था। उसने पढाया तो खूब लेकिन दुःख इस बात का है कि उसके सिवाय और कोई उसका एक शब्द भी नहीं समझा। अन्य सभी लोग उसे एक निरर्थक कूडा समझते हैं। किंतु इसका भी एक जवाब है। कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक ज्ञान की समस्त उपयोगिता को लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि लोग अब भी धार्मिक युग की बताई गई बातों के प्रभाव में हैं—वही मूर्खतापूर्ण युग जब ससार के सभी लोग—हिब्रू, चीनी, हिन्दू और यूनानी सभी—अपने महान् उपदेशको द्वारा बताई गई समस्त बातों को समझते थे।

जो कुछ भी हो, सत्य यह है कि विज्ञान और कला का अस्तित्व सदा से ही मनुष्य-समाज में रहा है और जब वे अपने सच्चे स्वरूप में विद्यमान थे तब जनता को उनकी आवश्यकता थी और वह उन्हें समझ भी लेती थी। आज हम एक ऐसी वस्तु के पीछे पड़े हुए हैं जिसे हम कहते तो विज्ञान और कला है, किंतु वास्तविकता यह है कि हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं उसे विज्ञान अथवा कला कहलाने का अधिकार नहीं है।

## कष्ट-सहन बिना सच्ची सेवा असम्भव

लोग मुझे जवाब देते हैं—“लेकिन आज तो विज्ञान और कला की एक दूसरी परिभाषा मात्र दे रहे हैं, जो पहले से भी अधिक सकीर्ण है और जिससे विज्ञान सहमत नहीं है। और फिर गेप बातें इससे बाहर कब हैं ? ससार में अब भी गैलीलियो<sup>१</sup>, ब्रूनो<sup>२</sup>, होमर<sup>३</sup>, माइकेलं आंजेलो, वीथोवेन और वैगनर जैसे महान वैज्ञानिकों और कलाकारों तथा उनके अतिरिक्त उन छोटे-छोटे विज्ञान-वेत्ताओं और कलाविदों की भी हलचलें जारी हैं, जिन्होंने अपना समस्त जीवन ही विज्ञान और कला की सेवा में लगा दिया है।”

यह बात प्रायः इसलिए कही जाती है कि पहले के और आज के वैज्ञानिकों तथा कलाकारों के बीच एक कड़ी स्थापित की जा सके। ऐसा करते समय लोग श्रम-विभाजन के उस विशेष नए सिद्धांत को भूलने का प्रयत्न करते हैं, जिसके आधार पर आज विज्ञान और कला को विशिष्ट स्थान प्राप्त है।

सबसे पहली बात यह है कि प्राचीन और वर्तमान कार्यकर्ताओं के बीच ऐसी कोई कड़ी स्थापित करना असम्भव है। जिस प्रकार प्रारम्भिक ईसाइयों के पवित्र जीवन और आजकल के पोपो के जीवन में कोई तारतम्य नहीं है; उसी प्रकार गैलीलियो, शेक्सपियर और वीथोवेन जैसे व्यक्तियों के कार्यों की टिंडल, विक्टर ह्यूगो और वैगनर, जैसे

१. इटली का जगद्विख्यात खगोल वेत्ता।

२. इटल ३ प्रसिद्ध यूनानी कवि।

व्यक्तियों के कार्यों से कोई समानता नहीं है। जिस प्रकार प्राचीन काल के पुनीत धर्म-पिता पोपो के साथ अपना कोई सम्बन्ध मानना स्वीकार नहीं करते उसी प्रकार प्राचीन काल के प्रमुख विज्ञानवेत्ता आज के वैज्ञानिक नेताओं के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध रखने से इन्कार कर देते हैं।

दूसरी बात यह है कि विज्ञान और कला स्वयं को जो महत्त्व देने लगे हैं उससे हमें उनके ही द्वारा सस्थापित एक अत्यन्त स्पष्ट मापदण्ड मिल गया है जिससे हम यह निश्चय कर सकते हैं कि विज्ञान और कला का उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं। इस प्रकार हम स्वेच्छा से नद्दी वलिक एक स्वीकृत मापदण्ड के अनुमार यह निश्चय कर सकते हैं कि जो वस्तु अपने को विज्ञान और कला कहती है उसे ऐसा कहने का अधिकार है या नहीं।

पुराने जमाने में मिस्र और यूनान के धर्माचार्य ऐसे रहस्यपूर्ण कार्य किया करते थे जिनका भेद उनके सिवा और किसीको न मालूम होता था और वे कहते थे कि इन रहस्यों में ही समस्त विज्ञान और कला सन्निहित हैं—किंतु हम उनके कार्यों द्वारा जनता को पहुँचाए गए लाभ को आधार मान कर यह निर्णय नहीं कर सकते थे कि उनका विज्ञान सही है, क्योंकि वे स्वयं उन्हें दैवी मानते थे। किंतु अब हमारे सामने एक विलकुल ही स्पष्ट और सरल मापदण्ड है जिसमें किसी दैवी तत्व को स्थान नहीं। समाज अथवा मानव-जाति के कल्याण के लिए आज विज्ञान और कला मनुष्य के मानसिक कार्य करने को तत्पर हैं। अतः हमें इस बात का अधिकार है कि हम केवल ऐसे कार्यों को 'विज्ञान और कला' का नाम दें जिनके सामने उक्त लक्ष्य हो और जो उसे प्राप्त करें।

इसलिए वे विद्वान् और कलाकार जो दण्डविधान और नागरिक तथा अंतराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का निर्णय करते हैं, जो नए अस्त्र-शस्त्रों और बिस्फोटकों का अन्वेषण करते हैं और जो अश्लील नाटक अथवा उपन्यास लिखते हैं, वे अपने को चाहे कुछ भी कहें, हमें उनके ऐसे कार्यों को विज्ञान और कला कहने का कोई अधिकार नहीं

है, क्योंकि उन कार्यों का लक्ष्य समाज अथवा मानव-जाति का कल्याण करना नहीं होता बल्कि इसके विपरीत वे मानव-जाति को हानि पहुंचाते हैं। अतः यह सब विज्ञान या कला नहीं है। इसी प्रकार वे विद्वान् जो अपने सरल स्वभाव के कारण अपना सारा जीवन सूक्ष्मदर्शक और दूरदर्शक यंत्रों द्वारा दिखाई पड़नेवाले तत्वों आदि के अध्ययन में लगा देते हैं, अथवा वे कलाकार जो प्राचीन स्मारकों का परिश्रमपूर्वक अध्ययन कर ऐतिहासिक उपन्यास लिखने, चित्र बनाने या मधुर राग-रागिनियाँ और कविताएं रचने में लगे हुए हैं वे अपने आपको चाहे कुछ भी क्यों न कहे, उत्साही होते हुए भी वे वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार वैज्ञानिक और कलाकार नहीं कहे जा सकते। इसके कई कारण हैं—पहले तो उनके 'विज्ञान विज्ञान के लिए' और 'कला कला के लिए' के सिद्धांत पर किये गए कार्यों में मानवीय का कल्याण उद्देश्य नहीं होता और दूसरे हम उनके कार्यों को समाज और मानवता के लिए कल्याण-प्रद नहीं पाते। यह बात कि उनके कार्य से कभी-कभी कुछ व्यक्तियों का मनोरंजन और लाभ हो जाता है हमें इस बात की विलकुल अनुमति नहीं देती कि स्वयं उनकी ही वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार हम उन्हें वैज्ञानिक और कलाकार समझे।

ठीक इसी प्रकार जो लोग विजली से प्रकाश, गर्मी अथवा शक्ति प्राप्त करने के नए प्रयोग करते हैं या नए रासायनिक प्रयोगों से वारुद अथवा सुन्दर रंग तैयार करते हैं या शास्त्रीय संगीत शुद्ध रूप से प्रस्तुत करते हैं या रागमच पर अच्छा अभिनय करते हैं और सुन्दर चित्र बना सकते हैं या मनोरंजक उपन्यास लिख सकते हैं—वे अपने को कुछ भी कहे, उनके कार्य को—जिसका उद्देश्य धनी वर्गों की नीरसता को दूर करना मात्र है—विज्ञान और कला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनके कार्य का लक्ष्य शरीर-यंत्र के मानसिक कार्य की भाँति समस्त मानव-जाति का कल्याण नहीं होता। इसका एकमात्र उद्देश्य तथाकथित कला के आविष्कारों और उत्पादनों से व्यक्तिगत लाभ, सुविधाएं और धन प्राप्त करना ही होता है। अतः ऐसे कार्य को दूसरे प्रकार के स्वार्थरत व्यक्तिगत कार्यों—जैसे रेस्तोरा खोलना, घुडसवारी करना, वेश्यावृत्ति

करना आदि—से किसी प्रकार भी पृथक नहीं किया जा सकता। इन कार्यों का लक्ष्य केवल जीवन के आनन्द में अभिवृद्धि करना है और ये विज्ञान और कला की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते। विज्ञान और कला से तो हमें श्रम-विभाजन के आधार पर मानव-जाति अथवा समाज के कल्याण का आश्वासन मिलता है।

विज्ञान ने विज्ञान और कला की जो परिभाषा बताई है वह बिल्कुल सही है, किन्तु दुर्भाग्यवश आज के विज्ञान और कला की हलचलें उसके अन्तर्गत नहीं आती। उनके कुछ प्रतिनिधि ऐसे कार्य कर रहे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हानिकारक हैं, कुछ व्यर्थ का परिश्रम कर रहे हैं और कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं, जो सहत्वहीन हैं और जिनसे केवल धनिकों का ही लाभ हो सकता है।

शायद ये सभी लोग नेक आदमी हैं, लेकिन वे उन कामों को नहीं करते, जिन्हें करने का उन्होंने अपनी परिभाषा के अनुसार ठेका लिया है। अतः उन्हें अपने को विज्ञानवेत्ता और कलाकार समझने का उतना ही कम अधिकार है, जितना कि अपने उत्तरदायित्वों का पालन न करनेवाले आज के धर्माचार्यों को अपने को सत्य के ठेकेदार और उपदेशक कहने का है।

आज जो लोग विज्ञान और कला में लगे हुए हैं वे अपने कर्त्तव्य का पालन क्यों नहीं करते या कर सकते, यह समझना कुछ मुश्किल नहीं है। वे अपने कर्त्तव्यों का पालन इसलिए नहीं कर पाते कि उन्होंने अपने कर्त्तव्यों को अधिकार बना लिया है।

वैज्ञानिक और कलात्मक कार्य अपने वास्तविक अर्थों में तभी फलप्रद हो सकते हैं, जब वे अधिकारों की चिन्ता त्यागकर केवल कर्त्तव्यों का ध्यान रखें। उनकी एकमात्र इसी विशेषता के कारण भाववत्ता उनका इतना अधिक सम्भाव करती है।

जो लोग वास्तव में मासिक परिश्रम करके दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करते समय सदा यातनाएँ सहनी पड़ती हैं। जिस प्रकार प्रसव-पीड़ा के पश्चात् ही शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार यातनाओं को सहन करने के बाद ही आध्यात्मिकता का निर्माण होता है।



विचारकों और कलाकारों के भाग्य में उत्सर्ग और कष्ट का हाँसा अनिवार्य है, क्योंकि उनका उद्देश्य मानव का कल्याण होता है। मनुष्य दुःखी होते हैं, वे कष्ट भोगते हैं और मर जाते हैं। ठहर्ने और अपने में फिर से स्फूर्ति लाने का अवकाश किसे मिलता है ?

विचारक और कलाकार किमी एकान चोटी पर जाकर नहीं बैठ जाते, जैसा कि प्रायः हम नमस्क लेते हैं। उनके चित्त में तो मदा चिन्ता और खेलवली मची रहती है। वे ऐसी बातों को प्रकाश में लाने की चेष्टा करते हैं जो मनुष्य के लिए वर्दान निद्र हो सकती हैं और उमे ताडनाओ मे वचा सकती हैं। किन्तु अभी तक वे इन बातों का पता नहीं लगा पाए हैं और सम्भव है कल तक ऐसा करने के लिए बहुत देर हो जाय—सम्भव है तबतक मनुष्य की जीवन-नीला ही समाप्त हो जाय।

वह व्यक्ति कभी विचारक और कलाकार नहीं हो सकता जिनसे किमी ऐसी मस्या में शिक्षा, योग्यता और उपाधि ग्रहण की हो जो दावा तो करती है विद्वानों और कलाकारों को जन्म देने का, किन्तु वास्तव में पैदा करती है विज्ञान और कला की हत्या करनेवालों को। मच्चा कलाकार और विद्वान् तो वह है जो यह मोचता ही नहीं और न प्रकट ही करता कि उसकी अतरात्मा में क्या है ? वह तो उन कार्यों को किये बिना रह ही नहीं सकता जिन्हे करने के लिये दो प्रबल शक्तियाँ—आंतरिक आवश्यकता और जनता की माग—उमे प्रेरित करती रहती हैं।

जो लोग मोटे-ताजे और आत्म-मनुष्य हैं तथा छक-छककर जीवन के आनन्दों का उभोग करते हैं वे विचारक और कलाकार ही नहीं सकते।

जिम प्रकार के मानसिक कार्य और उसकी अभिव्यक्ति की वास्तव में दूसरों को आवश्यकता है, उसकी साधना मनुष्य के लिए मन्मे अधिक कठिन और कष्टकारी है। धर्मशास्त्र के गढो मे वह उनके लिए मूली का तख्ता है। यदि किमी मे इसके लिए लगन है तो उनका एकमात्र और अनदिग्य लक्षण यह है कि वह स्वार्थ का त्याग कर देता

है और स्वयं में निहित शक्तियों का दूसरे के लाभ के लिए व्यवहार करने में अपने को निष्ठावर कर देता है।

यह तो सम्भव है कि हम बिना कष्ट उठाए यह मिखला सकें कि ससार में कितने कीट-पतंग हैं, या सूर्य के घब्रों को जाच कर सकें या उपन्यास तथा सगीत-नाटक की रचना कर सकें। किंतु दमरो को यह बताना कि उनके कल्याण का मार्ग आत्मत्याग और परोपकार में निहित है और साथ-ही-साथ इस सिद्धांत का बलपूर्वक परिपादन करना कष्ट उठाए बिना असम्भव है।

ईसाई धर्म के आचार्यों में जबतक सहन-शक्ति और कष्ट उठाने की क्षमता थी तबतक उसका अस्तित्व बना रहा, किन्तु जब वे भोग-विलास में पड़कर आलसी बन गए तो उनका शिक्षण-कार्य समाप्त हो गया।

जैसा कि किसान कहते हैं—“पहले सोने के पुजारी और लकड़ी के कमडलु हुआ करते थे, किंतु अब कमडलु सोने के हो गए हैं और पुजारी लकड़ी के।”

ईसा-मसीह का सूली पर प्राण देना अकारण नहीं था; बलिदान-पूर्ण कष्ट-सहन सब पर विजय प्राप्त कर लेता है।

आज विज्ञान और कला को सब प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त हैं और वे प्रामाणिक हैं, फिर भी लोगों को एकमात्र यही चिन्ता लगी रहती है कि उनके लिए और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था कौं जाय, अर्थात् उन्हें ऐसा बना दिया जाय कि उनमें मानव-जाति की सेवा हो ही न सके।

सच्चे विज्ञान और सच्ची कला के दो निश्चित लक्षण होते हैं; पहला आंतरिक—अर्थात् विज्ञानवेत्ता तथा कलाकार अपने कर्तव्य का पालन लाभ के लिए नहीं बरन आत्म-त्याग के लिए करते हैं, और दूसरा बाह्य—अर्थात् विज्ञान और कला के विशेषज्ञों के कार्य उन सब व्यक्तियों की समझ में आ सकते हैं जिनकी भलाई को दृष्टि में रख कर वे किये जाते हैं।

मनुष्य चाहे किसी भी वस्तु को अपने पेशे और हित का प्रति-निधि क्यों न माने, विज्ञान उसकी शिखा अवश्य देगा और कला उस

शिक्षा को अभिव्यक्त करेगी । सोलन और कन्फ्यूसियस के आध्यात्मिक सिद्धांत हो, चाहे मूसा और ईसा के धार्मिक उपदेश—वे सभी विज्ञान हैं । इसी प्रकार एथेस के भवन हो, चाहे दाऊद के भजन और चाहे गिरजाघर की पूजा—ये सब कला हैं, कितु पदार्थ के चौथे परिणाम का अध्ययन करना और रासायनिक योगों को क्रमवद्ध करना कभी विज्ञान नहीं रहा है और न होगा । हमारे युग में सच्चे विज्ञान का स्थान धर्म-शास्त्रों ने और सच्ची कला का स्थान रीति-रिवाजों और राजकीय समारोहों ने ले लिया है । जनता को इनमें से किसी में भी विश्वास नहीं है और कोई भी इन्हें गम्भीरता के साथ ग्रहण नहीं करता । लेकिन हमारे यहाँ जिसे विज्ञान और कला कहा जाता है वह आलसी विचारकों और भावुकों की उपज है और उसका उद्देश्य इसी प्रकार के दूसरे आलसी विचारकों और भावुकों पर प्रभाव डालना है । ये चीजें जनता की समझ में नहीं आती और न उसके काम की ही होती, क्योंकि इनमें जनता के कल्याण की कोई भावना नहीं होती ।

मानव-जीवन के प्रारम्भ से ही हमें सर्वत्र और सदैव एक ऐसा सिद्धांत दिखाई देता है जो छलपूर्वक अपने को विज्ञान कहता है और जो जनता को जीवन का अर्थ समझाने के बजाय छिपाता है । यही बात मिस्रियों, हिन्दुओं, चीनियों और कुछ सीमा तक यूनानियों में थी और बाद में रहस्यवादियों, ज्ञानवादियों और तंत्रवादियों में आई । फिर यह मध्ययुग के अध्यापकों और रसायनवेत्ताओं में विद्यमान रही और इस प्रकार हमारे युग तक चली आई ।

हमारे लिए तो यह विशेष सौभाग्य की बात है कि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जब अपने को विज्ञान कहनेवाली विचारधारा न केवल दोषरहित है बल्कि—जैसा कि हमें निरन्तर आश्वासन दिया जाता है—असाधारण रूप से सफल भी है । क्या इस सौभाग्य का कारण यह नहीं कि मनुष्य स्वयं अपनी कुरूपता को न तो स्वीकार कर सकता और न करेगा ? फिर ऐसा क्यों हुआ कि जब अन्य विज्ञानों, नीतिशास्त्रों आदि में शब्दों के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह गया, हम विशेष रूप से इतने सौभाग्यशाली बने रहे ?

स्मरण रखिए कि सकेत बिलकुल उसी प्रकार के हैं हममे वही आत्म-मत्तुष्टि और अघ आस्वासन विद्यमान है कि हम और केवल हम सच्ची राह पर हैं और उसपर चलनेवाले पहले राही हैं, वहा आगा भरी हुई है कि हम कोई-न-कोई असाधारण बात खोज निकालेंगे, और इन सबसे अधिक हममें हमारी पोल खोलनेवाला वही लक्षण विद्यमान है अर्थात् यह कि हमारा सारा ज्ञान हममे ही केन्द्रित होकर रह जाता है जब कि जनता न उसे समझती है न स्वीकार करती है और न उसे उसकी आवश्यकता ही है। वास्तव मे हमारी स्थिति बड़ी कल्याणजनक है। किंतु क्यो न उसका उसी रूप मे सामना किया जाय जिम रूप में वह है।

अब समय आ गया है कि हम चेतें और अपने चारो ओर देवे हमारी अवस्था बिलकुल उन मुशियो और फारीमियो जैसी है जो मूसा की गद्दी पर बैठ गए हो और जिन्होंने स्वर्ग की कुजी अपने हाथ मे ले ली हो, किन्तु जो न स्वयं उसमे घुसते हो और न दूसरो को घुसने देते हो। हम लोग, जो अपने को विज्ञान और कला के पुजारी मानते हैं, सबसे बडे छली हैं। हमे इस पद पर बने रहने का उतना भी अधिकार नहीं है जितना कि मक्कार-से-मक्कार और दुराचारी-मे-दुराचारी धर्माचार्यो को होता है। हमे इस ऊंची स्थिति पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, हमने उसे कपट से प्राप्त किया है और अब हम उसे छल से कायम रख रहे हैं।

भूर्तिपूजक पुजारी और हमारे अपने तथा कैथोलिक सम्प्रदाय के धर्माचार्य चाहे कितने भी दुराचारी क्यो न हो या रहे हो, अपनी स्थिति के कारण उन्हें यह श्रेय तो प्राप्त हुआ ही कि उन्होंने और कुछ नहीं तो कम-से-कम जनता को जीवन की शिक्षा देने और मुक्ति का मार्ग बताने का विचार तो किया। हमने उन्हें पीछे धकेल दिया है और यह सिद्ध करके कि वे धोखेवाज थे स्वयं उनका स्थान ग्रहण कर लिया है, किन्तु हम जनता को जीवन का तरीका नहीं सिखाते बल्कि साफ-साफ शब्दो में कहते हैं कि इन सब बातों को सीखने का प्रयत्न करने से कोई नाभ नहीं। फिर भी हम जनता का सत निचोड लेते हैं और

वदले मे अपने वच्चो को यूनानी और लैटिन व्याकरण की उल्टी-सीधी बाते सिखाते हैं जिससे कि हमारी भाति वे भी पगु बने रहे ।

हम कहते हैं कि पहले जाति-विभाजन था, किन्तु अब नहीं है लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ व्यक्ति और उनके वच्चे तो काम करते हैं और कुछ व्यक्ति और उनके वच्चे नहीं करते ? किसी हिन्द को लाइए जो हमारी भाषा नहीं जानता और उमे रुद्धियो मे चली आती हुई हमारी जीवन-प्रणाली का अध्ययन करने को कहिए । वह उसमे भी वही दो मुख्य, स्पष्ट जातिया देखेगा जो उसके अपने समाज में विद्यमान हैं, एक जाति जो काम करती है और दूसरी वह जो काम नहीं करती । जैसा कि उनमे है, हममे भी काम न करने का अधिकार एक विशेष प्रेरणा से मिलता है जिमे हम विज्ञान और कला और आम तौर पर 'शिक्षा' कहते हैं । आज हमारी आखो पर जिस पागलपन का परदा आया हुआ है जिसके कारण हम इतनी स्पष्ट और असदिग्ध बाते भी नहीं देख पाते उसका एकमात्र कारण यही शिक्षा है और इसी शिक्षा के कारण हमारी बुद्धि भ्रमित हो गई है ।

हम अपने भाइयो को चूसते रहते हैं, फिर भी अपने को ईसाई, दयालु और शिक्षित मानते हैं और समझते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से औचित्यपूर्ण है ।

: ३८ :

## तब फिर हम क्या करें ?

तब फिर हम क्या करें ? हमें करना क्या चाहिए ?' यह प्रश्न— जिसमे यह स्वीकारोक्ति निहित है कि हमारे जीवन का ढग गलत और बुरा है और साथ ही यह सकेत भी है कि उमे बदलना असम्भव है— मैं सब तरफ से मुन्ता हूँ और यही कारण है कि मैंने अपनी पुस्तक का नाम भी यही चुना है ।

इस प्रश्न के सम्बन्ध में मैंने जो कष्ट भेले हैं, जो त्रास की हैं और जो हल निकाला है, उनीका मैंने इन पुस्तक में वर्णन किया है। मैं भी दूसरों ही जैसा एक इन्सान हूँ और यदि मैं अपने शान-पास के किसी भावधारण जन से किसी बात में भिन्न हूँ भी तो मुख्यतः इसमें कि मैंने दुनिया के भूठे उपदेशों के प्रचार में उसमें अतिव्यय योग दिया है, मुझे सत्ताप्राप्त विचारवाले व्यक्तियों में अपेक्षाकृत अधिक प्रथमा मिली है और इस कारण मेरा दिमाग अधिक फिर गया है और मैं दूसरों की अपेक्षा अधिक पथभ्रष्ट हो गया हूँ।

और इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैंने अपने लिए जो हल निकाला है, वह उन सभी ईमानदार व्यक्तियों के लिए ठीक होगा जो स्वयं ने यही प्रश्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है—'हम क्या करें ?' इसका मैंने स्वयं को यह उत्तर दिया—'मुझे अपने ने या दूसरों में भूठ नहीं बाँटना चाहिए और न मनुष्य में भयभीत होना चाहिए, चाहे उनका कुछ भी परिणाम क्यों न निकले। यह बात हम सब जानते हैं कि दूसरों से भूठ बोलने का क्या अर्थ है। फिर भी हम मुबह ने याम तक खगातार भूठ बोलते रहते हैं। 'वर पर नहीं है', जब कि हम घर पर होते हैं; 'बहुत खुशी हुई', जब कि हमें बिलकुल खुशी नहीं होती, 'आदर महित', जब कि हममें आदर की कोई भावना नहीं होती, 'भैरे पास पैसा नहीं है', जब कि हमारे पास खूब पैसा होता है, आदि-आदि। हम यह तो जानते हैं कि दूसरे व्यक्तियों से भूठ बोलना—विशेषकर कुछ विशेष बातों में—बुरा होना है, किन्तु स्वयं से भूठ बोलने में हमें जरा भी डर नहीं लगता। हम यह सोचने की चेष्टा ही नहीं करते कि दूसरों में श्रेष्ठ गए सबसे बुरे, निकृष्ट और छलपूर्ण भूठ का भी परिणाम उन भूठ की तुलना में कुछ नहीं होता जो हम स्वयं में बोलते हैं और जिसके आवार पर हम अपने सारे जीवन की रूपरेखा बनाते हैं। इसलिए यदि हम इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं कि हम क्या करें तो हमें स्वयं अपने से इस प्रकार भूठ बोलने का अपगधी नहीं होना चाहिए।

किन्तु जब हमारे सारे काम, हमारा सारा जीवन भूठ पर आधारित है और हम बड़ी सावधानी के साथ इस अनन्य को दूसरों के सामने

और स्वयं अपने सामने भी सत्य कहकर रखते हैं तो फिर हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर देना कैसे सम्भव हो सकता है ? भूठ न बोलने का मतलब है सत्य से न डरना; बुद्धि और अन्तरात्मा के निष्कर्षों को स्वयं से छिपाने के लिए वहाने न खोजना और जब दूसरे इस प्रकार के वहाने बनाएँ तो उन्हें स्वीकार न करना; अपने चारों ओर के व्यक्तियों से मतभेद रखने में भयभीत न होना; इस बात में न धवराना कि हमारी बुद्धि और अन्तरात्मा जो कुछ कहती हैं उसे माननेवाला कोई दूसरा नहीं; इस बात से भी न डरना कि सत्य हमें किस स्थिति पर पहुँचा देगा। हमें यह दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि सत्य और अन्तरात्मा की पुकार चाहे हमें किधर भी क्यों न ले जाय वह भूठ पर आधारित जीवन से बुरा नहीं हो सकता। ऊँची स्थितिवाले हम जैसे विचारको के लिए भूठ न बोलने का अर्थ है अपने लेखे-जोखे से भय न खाना। शायद हम पहले से ही दूसरों के इतने ऋणी हैं कि उमसे उकृणा नहीं हो सकते, फिर भी अपनी स्थिति को न जानने में तथ्यों का सामना करना अधिक अच्छा है। असत्य मार्ग पर हम चाहे कितने भी दूर क्यों न जा चुके हों, वहाँ से लौट पडना उसपर चलते रहने की अपेक्षा बेहतर है। दूसरों में भूठ बोलने में हानि ही होती है। मारी उलझने भूठ की अपेक्षा सत्य से ही अधिक प्रत्यक्ष रूप से और अधिक शीघ्रतापूर्वक मुलभाई जा सकती है। दूसरों में भूठ बोलने से केवल गुत्थी उलझ जाती है और उसके हल में बाधा पड़ जाती है, किंतु स्वयं अपने सामने किसी भूठ को सत्य कहकर उपस्थित करने से मनुष्य का समस्त जीवन ही नष्ट हो जाता है।

गलत रास्ते पर चलना आरम्भ करके भी यदि कोई व्यक्ति उसे ही ठीक समझे तो उस रास्ते पर उठाया गया उमका ही कदम उसे उसके लक्ष्य से अधिक दूर ले जाता है। यदि कोई मनुष्य बहुत समय तक भूठे रास्ते पर चलता रहता है, फिर उसे पता चलता है या बताया जाता है कि वह गलत मार्ग पर है, तब भी इस विचार में डरकर कि वह इस मार्ग पर बहुत दूर निकल आया है यदि वह अपने को यह कह कर आश्वासन देता है कि इसी मार्ग पर चलकर वह अब भी ठीक राह

पर पट्ट च जायगा, तो वह कभी भी ठीक रास्ते पर नहीं पहुँचेगा। यदि कोई मनुष्य सत्य से डरता है और उसे देखकर उसे भ्रगीकार न कर भूठ को ही सत्य मान लेता है तो वह यह कभी नहीं ममभूँ सकेगा कि उसे क्या करना चाहिए।

हम लोग, जो न केवल धनिक हैं वरन् विशेष स्थिति में हैं और शिक्षित कहे जाते हैं, भूठे मार्ग पर इतनी दूर बढ़ चुके हैं कि हमारे लिए स्वयं को समझ पाना और उस भूठ को स्वीकार करना जिसके बीच हम जीवन बिता रहे हैं तभी सम्भव हो सकता है जब या तो हम में दृढ निश्चय हो या हमने मार्ग के घोर कण्टो के अनुभव प्राप्त कर रखे हो।

वन्यवाद है उन कण्टो को जो मुझे भूठे मार्ग पर चलने के कारण भोगने पडे। मैंने जीवन के असत्य को देख लिया और उसे स्वीकार कर मैं अपने में इतना साहस ला पाया (पहले केवल मन में ही) कि बिना परिणाम की चिन्ता किये बुद्धि और अतरात्मा के बताए मार्ग पर चल सकूँ। और मुझे उस साहस का पुरस्कार मिला। मेरे चारो ओर जीवन क, जो जटिल, अस्त-व्यस्त, भ्रामक और अर्थहीन रूप बिखरा हुआ था वह तत्काल स्पष्ट हो गया और मेरी जो स्थिति पहले विचित्र और बोझिल थी वह अकस्मात् स्वाभाविक और सरल बन गई। इस नई स्थिति में मेरे कार्य ने अपनी ठीक दिशा निश्चित कर ली और उसका रूप वैसा ही रह गया जैसा मैंने पहले सोचा था। यह नया कार्य कहीं अधिक शांतिदायक, सुरुचिपूर्ण और आनन्दप्रद था। वे ही चीजें, जिनसे पहले मैं भयभीत होता था, आकर्षक बन गईं।

इसलिए मैं सोचता हूँ जो मनुष्य ईमानदारी में अपने से यह प्रश्न करता है कि मैं क्या करूँ और उसका उत्तर देने में स्वयं से भूठ नहीं बोलता बल्कि बुद्धि द्वारा निर्देशित मार्ग को ग्रहण करता है, वह इस प्रश्न का उत्तर दे चुकता है। यदि वह अपने से केवल भूठ भर न बोले तो उसे मालूम हो जायगा कि उसे क्या करना चाहिए, कहा जाना चाहिए, और किस प्रकार कार्य करना चाहिए। जो एकमात्र वस्तु उसे अपना मार्ग खोज निकालने में बाधक हो सकती है, वह है अपना और अपनी



स्थिति का झूठा तथा बहुत ऊँचा अनुमान लगाना । यही बात मेरे साथ थी और इसलिए इस प्रश्न का कि हम क्या करें मुझे पहले मेरे उत्तर से ही उद्भूत होनेवाला एक दूसरा उत्तर समझ में आया—वह यह कि सच्चे अर्थ में पश्चात्ताप किया जाय अर्थात् अपनी स्थिति और कार्य का हमने जो मूल्यांकन कर रखा है उसे पूरी तरह से बदल दिया जाय । अपनी स्थिति को उपयोगी और महत्वपूर्ण समझने के बजाय हमें उसकी हानि और तुच्छता स्वीकार करनी चाहिए, अपनी शिक्षा पर अहंकार करने के बजाय हमें अपने अज्ञान को स्वीकार करना चाहिए, अपनी दया और नैतिकता पर गर्व करने की बजाय हमें अपनी अनैतिकता और निर्दयता को स्वीकार करना चाहिए और अपने महत्त्व के बजाय अपनी नगण्यता को स्वीकार करना चाहिए ।

मैं कहता हूँ कि अपने में झूठ न बोलने के अलावा मुझे पश्चात्ताप भी करना पडा, क्योंकि यद्यपि एक का उद्भव दूसरे में होता है तथापि अपनी उच्चता की झूठी छाप मेरे मन पर इतनी गहरी बैठ गई थी कि सच्चे हृदय से पश्चात्ताप किये बिना और अपने झूठे अहंभाव को दूर किये बिना मैं अपने द्वारा बोले जाने वाले झूठ का अधिकांश नहीं देख पाया । पश्चात्ताप करने के बाद ही, अर्थात् यह समझना बन्द करने पर कि मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ और अपने को दूसरो-जैसा समझने पर ही मैं अपने जीवन के मार्ग को साफ-साफ देख सका ।

उससे पहले मैं 'क्या करें' प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका था, क्योंकि मैंने इस प्रश्न को अपने सामने बहुत ही गलत ढंग से रखा था । पश्चात्ताप करने से पहले मैंने प्रश्न पर विचार पर इस दृष्टिकोण से विचार किया था—मैंने जो शिक्षा प्राप्त की है और मुझमें जो प्रतिभा है उसको देखते हुए मुझे अपने जीवन में क्या कार्य करना चाहिए ? अपनी इस शिक्षा और प्रतिभा द्वारा मैंने किसानों में जो कुछ लिया है और अब भी ले रहा हूँ उसका मैं किस प्रकार बदला चुका सकता हूँ ?—प्रश्न को इस रूप में रखना गलत था, क्योंकि इनमें यह झूठी भावना निहित थी कि मैं अन्य व्यक्तियों के समान न होकर एक

विशिष्ट व्यक्ति है और इसलिए मेरा यह कर्तव्य है कि मैं अपने चालीन वर्षों के अभ्यास से प्राप्त प्रतिभा और शिक्षा द्वारा जनता की सेवा करूँ। मैंने अपने से प्रश्न तो किया, किंतु अपनी रुचि के अनुसार अपने कार्य का पहले से ही निश्चय करके मैंने इस प्रश्न का अग्रिम उत्तर भी दे दिया। वास्तव में मैंने अपने से पूछा—“मेरे-जैसा विलक्षण लेखक, जिम्मे इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है और जो इतने गुरुओं से सम्पन्न है, यह अपने इन गुरुओं और इस ज्ञान का मानव-जाति की सेवा में किम प्रकार उपयोग करे ?” यह प्रश्न मुझे अपने सामने उसी प्रकार उपस्थित करना चाहिए था जिस प्रकार ममस्त धर्म-ग्रन्थों में पारंगत और विज्ञान की सारी जटिलताओं का ज्ञान रखनेवाले एक शिक्षित यहूदी धर्माचार्य के सामने उपस्थित होता है। यहूदी धर्माधिकारी और मेरे, दोनों के लिए यह प्रश्न इस प्रकार होना चाहिए था—“मैं जो अपनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के कारण अध्ययन के सर्वोत्तम वर्षों में श्रम करना सीखने के वजाय, फ़ामीसी भापा, पियानो, व्याकरण, भूगोल, न्यायशास्त्र, कविता, कहानियाँ, उपन्यास, दार्शनिक सिद्धांत और मौनिक विद्या सीखता रहा—मैं जो अपने जीवन के सर्वोत्तम वर्ष आत्मा को भ्रष्ट करनेवाले व्यर्थ के कार्यों में विताता रहा—इन बीती हुई दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद ऐसा क्या करूँ जिससे मैं उन लोगों का दबला चुका सकूँ जो अबतक मुझे भोजन और वस्त्र प्रदान करते रहे हैं और जो अब भी मुझे भोजन और वस्त्र दे रहे हैं ?” यदि यह प्रश्न मेरे सामने उस रूप में आया होता जिस रूप में मेरे पञ्चाताप करने के बाद आया—अर्थात् इस रूप में कि मम-जैसे सिर-फिरे आदमी को क्या करना चाहिए—तो उसका उत्तर सरल और इस प्रकार होता—सबसे पहले ईमानदारी के साथ अपना गेट पालने की कोशिश करो अर्थात् दूसरों पर आश्रित रहना छोड़ दो और जिन समय यह सीख रहे हो तथा सीख चुको उस समय अपने हाथ पैर, दिल-दिमाग और उन सारी शक्तियों से—जो तुम्हारे पास हैं और जिनसे लोग लाभ उठाना चाहते हैं—दसगें की सेवा करने के प्रयत्न-श्रवसर को काम में लाओ।

और इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्वयं से और दूसरो से भूठ न बोलने के अतिरिक्त पश्चात्ताप करना और घमंड को दूर करना भी आवश्यक है—शिक्षा का घमंड, संस्कृति का घमंड और गुणों का घमंड। हमारे लिए भी स्वीकार करना आवश्यक है कि हम दूसरो के हितैषी और उनसे बड़े-चढ़े नहीं हैं और न ही अपनी उपयोगी सम्पत्ति में दूसरो को भी भागीदार बनाने के लिए उत्सुक हैं। इतना ही नहीं, हमें यह भी मानना जरूरी है कि हम सब तरह से अपराधी, बिगड़े हुए और बिलकुल निकम्मे आदमी हैं। हमें परोपकारी बनने की कामना न करके स्वयं अपना सुधार करने और दूसरो के प्रति अपराध और अन्याय बन्द करने की आकांक्षा रखनी चाहिए।

कितने ही नेक नवयुवक, जिन्हें मेरे लेखों के नकारात्मक भाग से सहानुभूति है, मुझसे प्रायः पूछते हैं—“तो फिर मैं क्या करूँ ? मुझे करना क्या चाहिए ? मैंने विश्वविद्यालय आदि से उपाधि प्राप्त की है। मैं अपने को उपयोगी बनाने के लिए क्या करूँ ?”

ये नवयुवक ऐसा पूछते तो हैं, लेकिन मन-ही-मन में उन्होंने पहले से ही यह निश्चय कर लिया है कि उन्हें जो शिक्षा मिली है वह उनके लिए अत्यंत लाभदायक है और वस उमी लाभ के द्वारा वे जनता की सेवा करना चाहते हैं। यही कारण है कि वे कभी अपनी कथित शिक्षा की जाच ईमानदारी के साथ और आलोचनात्मक भाव से नहीं करते और न स्वयं से यह पूछते कि वह अच्छी है या बुरी। यदि वे ऐसा करें तो वे अनिवार्यतः अपनी शिक्षा का विरोध करने लगेंगे और फिर से शिक्षा प्रारम्भ करने के लिए बाध्य हो जायेंगे। ठीक इसी बात की आवश्यकता भी है। इस प्रश्न का कि हम क्या करें व बिलकुल भी निर्णय नहीं कर पाते, क्योंकि उस प्रश्न को वे उसके सच्चे प्रकाश में देख ही नहीं पाते।

प्रश्न इस प्रकार रखा जाना चाहिए—“मेरे-जैसा असहाय और बेकार आदमी, जिसने दुर्भाग्यवश अपने जीवन के सर्वोत्तम वर्ष आत्मा और शरीर के लिए हानिकारक वैज्ञानिक शास्त्रों के अध्ययन में लगा

दिए हैं, किस प्रकार हम भूल का सुधार करें और मनुष्य की मन्ची मेवा करना सीखें ?" किंतु यह प्रश्न उनके सामने आता इस रूप में है—“मैंने जो इतना प्रगतिशील ज्ञान प्राप्त किया है, उसके द्वारा मैं किस प्रकार समाज के लिए उपयोगी बन सकता हूँ ?” यही कारण है कि जबतक मनुष्य अपने को धोका देना बन्द नहीं कर देता और पश्चात्ताप नहीं करता तबतक वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता कि उसे क्या करना चाहिए। पश्चात्ताप कोई भयावनी चीज नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे सत्य भयावना नहीं है, बल्कि वह उसीके समान सुखदायक और फलप्रद है। हमें केवल सत्य को पूर्ण रूप से स्वीकार करने और पूरा-पूरा पश्चात्ताप करने की आवश्यकता है जिससे हम यह समझ सकें कि किसीको न तो विशेष अधिकार और सुविधाएँ प्राप्त हैं और न वह उन्हें प्राप्त कर सकता, उसके सामने तो केवल कर्तव्य और उत्तरदायित्वों का एक अनंत सागर लहराता रहता है, मनुष्य का पहला तथा निर्विवाद कर्तव्य यह है कि वह अपने और दूसरों के जीवन का भारबहन करने के लिए प्रकृति के साथ सघर्ष में भाग ले।

और मनुष्य के कर्तव्य की यह स्वीकारोक्ति ही ‘क्या करें’ प्रश्न के तीसरे उत्तर का सार है।

मैंने अपने से झूठ न बोलने का प्रयत्न किया। मैंने अपने मन में अपनी शिक्षा और योग्यता के झूठे अहंकार को निकाल फेंकने और पश्चात्ताप करने का प्रयत्न किया। किंतु ‘क्या करें ?’ प्रश्न को सुलझाते समय एक नई कठिनाई आ खड़ी हुई। काम इतने थे कि इस बात का संकेत मिलना आवश्यक था कि इनमें से कौन-सा कार्य विशेष रूप से किया जाय। इस प्रश्न का उत्तर उस वृत्ति के लिए सच्ची तरह पश्चात्ताप करने में मिला जिसमें मैं रह रहा था। “क्या करें ? आखिर करें क्या ?”—प्रत्येक मनुष्य यही पूछता है और मैं भी उस समय तक यही प्रश्न पूछता रहा जबतक कि अपने व्यवसाय की ऊँची धारणा से प्रभावित होने के कारण मैंने यह नहीं देख लिया कि मेरा पहला और निर्विवाद कार्य स्वयं अपने लिए भोजन, वस्त्र, गरमाई और निवास-स्थान प्राप्त करना है और इसे करते हुए दूसरों की सेवा करना है,

क्योंकि सृष्टि के प्रारम्भ होने से अब तक मनुष्य का यही पहला और अनिवार्य कर्तव्य रहा है।

मनुष्य अकेले इसी कार्य में जुटा रहकर पूर्ण शारीरिक और आध्यात्मिक सन्तुष्टि प्राप्त कर सकता है। अपनी और अपने प्रियजनों की सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने से मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं की परिपूर्ति होती है और उसका दूसरों के लिए यही करना उसकी आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है।

मनुष्य के दूसरे सब कार्य तभी आँचित्यपूर्ण हो सकते हैं जब उसकी यह प्राथमिक आवश्यकता पूर्ण हो जाय।

मनुष्य अपने लिए कोई भी व्यवसाय क्यों न चुने—चाहे वह शासक बने, चाहे अपने देशवासियों की रक्षा का काम करे, चाहे धर्म की सेवा करे, चाहे शिक्षक बने, चाहे जीवन के आनन्द में वृद्धि करने की युक्ति ढूँढे, चाहे प्रकृति के नियमों की खोज करे, चाहे शाश्वत सत्य को कलाकृतियों में अंकित करे—उसका सर्वप्रथम और अनदिग्ध कर्तव्य सदा यही होगा कि वह अपना तथा दूसरों का पोषण करने के लिए प्रकृति के साथ सघर्ष में भाग ले। यह कर्तव्य हमेशा मनुष्य का पहला कर्तव्य रहेगा, क्योंकि उसको सबसे अधिक आवश्यकता जीवन की है। इसलिए मनुष्य की रक्षा करने, उसे शिक्षित बनाने और उसके जीवन को अधिक मधुर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि स्वयं जीवन की रक्षा की जाय। हमारा उम सघर्ष में भाग न लेना और दूसरे व्यक्तियों के परिश्रम का उपभोग करना निस्सन्देह मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए एक हाथ में मनुष्य के जीवन को नष्ट करना और दूसरे हाथ में उसकी सेवा का प्रयत्न करना दुस्साहस और पागलपन नहीं तो और क्या है ?

जीविका के लिए प्रकृति के साथ सघर्ष करना सदा मनुष्य का सबसे पहला और निश्चित कर्तव्य रहेगा, क्योंकि यह जीवन का नियम है और इसकी अवज्ञा करने पर मनुष्य को अपने भौतिक अथवा बौद्धिक जीवन के अनिवार्य विनाश के रूप में दण्ड मिलता है। यदि कोई व्यक्ति एकान्त में रहकर प्रकृति के साथ सघर्ष से बचने की चेष्टा

करता है तो उसे तत्काल दृष्ट मिलता है अर्थात् उसका शरीर नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार यदि किसी समाज में रहना हुआ मनुष्य स्वयं को कर्तव्य में मुक्त रखकर दूसरो से अपना काम करवाता है और उनके जीवन को क्षति पहुँचाता है तो उसे नुस्त ही उसका दृष्ट मिलना है; उसका जीवन विवेकगून्य और अनौचित्यपूर्ण हो जाता है।

अपने विगत जीवन से मैं इतना बुद्धिभ्रष्ट हो गया था और हमारे समाज में विघाता अथवा प्रकृति के प्राथमिक और निर्विवाद नियम पर इतना पर्दा पडा हुआ है कि मुझे उस नियम का पालन करना बडा विचित्र, यहा तक कि भयकर और लज्जाजनक लगा, मानो एक शास्त्र और निर्विवाद नियम की अवज्ञा नहीं बल्कि उसका पालन विचित्र, भयकर और लज्जाजनक हो।

पहले-पहल मुझे ऐसा लगा कि मोटे शारीरिक कार्य के लिए किसी विशेष प्रवन्ध अथवा सगठन की आवश्यकता है—एक-मे विचारवाले व्यक्ति होने चाहिए, मेरे परिवारवालो की अनुमति होनी चाहिए या मुझे देहात में जाकर रहना चाहिए। उस समय शारीरिक श्रम करने का प्रयत्न करने में मुझे कुछ लज्जा अनुभव होती थी, क्योंकि हमारे वर्ग के लोगो के लिए यह कुछ असाधारण-सी बात थी और मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं उसे किस प्रकार प्रारम्भ करूँ।

किन्तु मुझे इतना समझने भर की आवश्यकता थी कि किसी विशेष योजना अथवा प्रवन्ध की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि जीवन की जिस भूठी स्थिति में मैं रह रहा था उससे स्वाभाविक स्थिति में लौटने मात्र की आवश्यकता थी—केवल उस भूठ का परिमार्जन करने की आवश्यकता थी जिसमें मैं रह रहा था। अपनी सारी कठिनाइयो को दूर करने के लिए वस इतना ही स्वीकार करना था। इस बात की विलकुल भी आवश्यकता नहीं थी कि कोई प्रवन्ध किया जाय, अपने को उसके अनुकूल बनाया जाय अथवा दूसरो की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जाय, क्योंकि मैं चाहे किसी भी अवस्था में रहूँ, ऐसे व्यक्ति सदा मौजूद थे जो न केवल अपने लिए वरन् मेरे लिए भी भोजन, वस्त्र और गरमी का प्रवन्ध करते थे। यदि मेरे पास पर्याप्त समय और बल

होता तो मैं भी ऐसा अपने लिए और उनके लिए सर्वत्र किसी भी अवस्था में कर सकता था ।

जिन कामों का मुझे अभ्यास नहीं था और जिनसे दूसरों को आश्चर्य-सा लगता था उनके लिए मुझे भूठी लज्जा भी अनुभव करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्हें न करने में मैं स्वयं पहले से ही भूठी नहीं लेकिन सच्ची शर्म महसूस कर रहा था, और जब मुझे इसकी चेतना हुई और मैं इसके व्यावहारिक निष्कर्षों पर पहुँचा तो मुझे इसका पूरा-पूरा पुरस्कार भी मिल गया । मैं बुद्धि के निष्कर्षों से भयभीत नहीं हुआ और ये निष्कर्ष मुझे जिस दिशा में ले गए मैं उसी दिशा में गया ।

इस व्यावहारिक निष्कर्ष पर पहुँचने पर मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे सारे प्रश्न जो मुझे कितने कठिन और उलझे हुए दिखाई देते थे कितनी सरलता और आराम में स्वयंमेव सुलभ गए ।

‘मैं क्या करूँ’ ?—इस प्रश्न के उत्तर में मुझे जो उत्तर सबसे अधिक असदिग्ध प्रतीत हुआ वह यह था—“मुझे जिन कामों की मजदूरी अधिक आवश्यकता है उन्हें मैं स्वयं करूँ—अपने कमरे की सफाई करूँ, अपने चूल्हे को स्वयं जलाऊँ, अपना पानी स्वयं लाऊँ, अपने कपड़ों की देख-भाल आप करूँ—अर्थात् वे सब काम करूँ जिन्हें मैं स्वयं कर सकता हूँ ।” मैं समझता था कि मेरा ऐसा करना नौकरों को अजीब-सा लगेगा, लेकिन यह अजीबपन केवल एक सप्ताह तक ही रहा और बाद में तो ऐसा लगने लगा कि यदि मैं अपनी पुरानी आदतें फिर से ग्रहण कर लूँ तो वे आदतें मुझे अजीब-सी लगने लगेगी ।

इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या इस शारीरिक श्रम को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है और क्या इसके लिए ग्रामवासियों का कोई संगठन बनाना चाहिए ? मैंने अनुभव किया कि यह सब अनावश्यक है क्योंकि यदि इस श्रम का उद्देश्य व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है न कि बेकारी में योग देना या दूसरे व्यक्तियों की मेहनत का लाभ उठाना (जैसा कि धन कमानेवाले व्यक्ति करते हैं) तो वह उद्देश्य स्वभावतः मनुष्य को नगर से देहात की ओर खींच ले जायगा जहाँ

इस प्रकार का श्रम सबसे अधिक लाभदायक और सबसे अधिक सुन्कारी होता है।

श्रमिकों की किसी जाति विशेष का संगठन भी अनावश्यक प्रतीत हुआ क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं परिश्रम करता है वह स्वभावतः श्रम-जीवियों के विद्यमान वर्ग में सम्मिलित हो जाता है।

मेरे सामने यह भी प्रश्न था—क्या यह कार्य मेरा सारा समय नहीं ले लेगा और क्या इसके कारण मेरे उस मानसिक कार्य में रुकावट नहीं पड़ेगी जो मुझे पसन्द है, जिसका मैं अभ्यस्त हूँ और जिसे मैं कभी-कभी उपयोगी भी मानता हूँ ? इस प्रश्न के उत्तर में मुझे एक अत्यंत अप्रत्याशित उत्तर मिला। जितना अधिक मैंने शारीरिक श्रम किया उतनी ही अधिक मेरे मानसिक श्रम की शक्ति भी बढ़ गई और मुझे व्यर्थ की बातों से मुक्ति मिल गई।

परिणाम यह निकला कि शारीरिक श्रम में आठ घंटे लगाने के बाद भी, अर्थात् आलस्य दूर करने के कठोर प्रयत्न में पहले जो पूरा दिन योही बीत जाता था उसके आधे भाग तक शारीरिक श्रम करने के बाद भी मेरे पास आठ घंटे शेष बच जाते थे, जिनमें से मानसिक कार्य के लिए मुझे केवल पांच घंटों की आवश्यकता थी।

यह भी स्पष्ट दिखाई दिया कि यद्यपि मैं एक अत्यंत उर्वर लेखक था और मैंने चालीस वर्षों तक लिखने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं किया था और लगभग ५,००० पृष्ठ लिखे थे, तथापि यदि मैं इन समस्त चालीस वर्षों में एक किसान का साधारण कार्य करता रहा होता, तो जाड़े की सध्याओं और वेकार दिनों को न गिनते हुए भी प्रतिदिन केवल पांच घंटे अध्ययन-मनन कर और केवल अवकाश के दिनों में ही दो पृष्ठ प्रतिदिन की गति से लिखकर मैंने चौदह वर्षों में ये पांच हजार पृष्ठ लिख लिये होते। स्मरण रहे कि कभी-कभी मैंने एक दिन में सोलह पृष्ठ भी लिखे हैं।

यह एक आश्चर्यजनक तथ्य था—गणित का एक बहुत ही सरल हिसाब—जिसे एक सात वर्ष का बच्चा भी हल कर सकता था, लेकिन जिसे मैंने पहले कभी हल करने की चेष्टा नहीं की थी। एक दिन में



त्रौवीस घटे होते हैं। आठ घटे हम सोते हैं, इसलिए सीलह वचते हैं। यदि कोई वृद्धिजीवी अपने काम मे पाच घटे प्रतिदिन भी लगाए तो वह बहुत कार्य कर लेगा। ग्यारह घटे तो फिर भी शेष रह गए। आखिर इनका क्या होता है ?

मैंने पाया कि शारीरिक परिश्रम ने मानसिक कार्य को असम्भव बनाने के बजाय उसे सुधारा और सहायता पहुंचाई।

इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या यह शारीरिक कार्य मुझे उन अनेक निर्दोष आनन्दो से वंचित नहीं कर देगा, जो मनुष्य के लिए स्वाभाविक है (जैसे, विभिन्न कलाओं का आनन्द लेना, ज्ञान प्राप्त करना, अन्य व्यक्तियों के सम्पर्क में आना और जीवन के अन्य साधारण सुखों को भोगना), मुझे विपरीत बात ही सही मालूम दी। मैंने जितना अधिक कार्य किया और उसमें किसानों के मोटे काम से जितनी अधिक समता आई, उतना ही अधिक आनन्द और ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, उतना ही अधिक घनिष्ठ और मधुर दूसरों से मेरा सम्पर्क रहा और उतना ही अधिक मुझे जीवन का सुख मिला।

रहा एक और प्रश्न, जो मैंने अक्सर उन लोगों से मुना है जो पूरे ईमानदार नहीं होते—परिश्रम के जिस सागर का मैं उपभोग करता हूँ उसमें मेरा श्रम तो एक नन्ही बूद के समान है इसलिए उससे क्या लाभ होगा ?

इसका भी मुझे एक बहुत ही आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित उत्तर मिला। मैंने अनुभव किया कि अपने जीवन में मुझे शारीरिक श्रम का अभ्यस्त भर होने की आवश्यकता है, फिर तो मेरे अन्दर शारीरिक बेकारी के फलस्वरूप जो बुरी और खर्चीली आदतें तथा आवश्यकताएँ पैदा हो गई हैं वे आप-से-आप बिना मेरी ओर से लेशमात्र प्रयत्न किये ही समाप्त हो जायगी। रात को दिन और दिन को रात बनाने की बात तो दूर रही और उस प्रकार के विस्तर, वस्त्र तथा परम्परागत सफाई की भी बात दूर रही जो शारीरिक श्रम करते समय विलकुल असम्भव और कष्टकर होते हैं, मेरी भोजन सम्बन्धी आवश्यकताएँ तक पूरी तरह से बदल गईं। पहले मुझे मिठाइयाँ और तरह-तरह के अमीराना

तथा मसालेदार भोजन अच्छे लगते थे, किंतु अब उनकी अपेक्षा सादे से सादा भोजन—जैसे, गोभी का रसा, गेहूं का दलिया, काली रोटी और चाय—सबसे मधुर लगने लगा ।

जिन सीधे-सादे किसानों के सम्पर्क में मैं आया उनके साधारण जीवन की तो बात ही अलग है क्योंकि उन्हें तो थोड़े में सतुष्ट रहने की आदत थी ही, मेरी अपनी मागें मेरे परिश्रमी जीवन के अनुरूप अदृश्य रूप से बदलने लगी और जैसे-जैसे मुझमें परिश्रम की आदत पडती और बढ़ती गई मेरा परिश्रम भी, जो पहले सागर में एक बूद के समान था, धीरे-धीरे महत्ता धारण करने लगा । जिस अनुपात से मेरा परिश्रम अधिकाधिक उत्पादनशील होता गया, उसी अनुपात से दूसरों के परिश्रम से लाभ उठाने की आवश्यकता कम होती गई और मेरा जीवन अनायास ही बिना किसी प्रयत्न अथवा कष्ट के इतना सरल हो गया कि उसकी मैं परिश्रम के नियमों का पालन किये बिना स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता था । मैंने अनुभव किया कि मेरे जीवन की सबसे खर्चीली जरूरतें, झूठी शान और मनोरजन की आकांक्षाएँ, सब कुछ मेरे आलस्यपूर्ण जीवन का ही प्रत्यक्ष प्रमाण थी ।

जब मैं स्वयं शारीरिक श्रम करने लगा तो झूठी शान और मनोरजन के लिए कोई गुजाइश ही नहीं रह गई, क्योंकि काम में मेरा समय सुखपूर्वक कट जाता था और थकान आने पर आराम से चाय पीते हुए किसी पुस्तक को पढना अथवा किसी पडोसी से बातचीत करना क्लृप्ति मिटाने के अन्य साधनों—नाटक, ताश, सगीत अथवा सभा—से, जिनमें बड़ा खर्च होता था, अधिक रुचिकर प्रतीत होने लगा ।

एक सवाल यह था कि कहीं इस शारीरिक परिश्रम से, जिसका मुझे अभ्यास नहीं था, मेरे उस स्वास्थ्य को हानि तो नहीं पहुंचेगी जो दूसरे व्यक्तियों के प्रति मेरे उपयोगी होने के लिए आवश्यक है ? मैंने देखा कि प्रमुख चिकित्सकों के इस दृढ़ मत के बावजूद कि कठोर शारीरिक श्रम—विशेषकर मेरी-जैसी आयु में—स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है और मेरे लिए हल्का व्यायाम, मालिश आदि ही ठीक रहेगा, मैंने जितना ही अधिक परिश्रम किया उतना ही अधिक अपने

को स्वस्थ, प्रसन्नचित्त और दया से परिपूर्ण अनुभव किया। अतः मुझे इस बात में लेशमात्र भी सदेह नहीं रह गया कि मनोरंजन की सभी आधुनिक युक्तियाँ—जैसे समाचारपत्र, नाटक, सगीत, भ्रमण, नृत्य, ताश, पत्रिकाएँ और उपन्यास—मनुष्य के मानसिक जीवन को, दूसरो के लिए मेहनत की स्वाभाविक अवस्था पैदा किये बिना, कायम रखने के साधन-मात्र हैं। यही बात खाने, पीने, रहने, प्रकाश, गरमी, वस्त्र, दवाओं, सोडा-लेमन, मालिश; व्यायाम, विद्युत-चिकित्सा आदि के सम्बन्ध में बताई जानेवाली डाक्टरों की युक्तियों के बारे में है। इन सब बातों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि ये सब छलपूर्ण युक्तियाँ और कुछ नहीं बल्कि श्रम का अभ्यास न रह जाने पर मनुष्य को अपने शारीरिक जीवन को वहन करने में समर्थ बनाने के साधन-मात्र हैं। यह तो कुछ ऐसी ही बात है जैसे किसी पूरी तरह से बन्द कमरे में पीधों को वायु प्रदान करने के लिए रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पानी का भाप बनाया जाय, जबकि वास्तव में यह काम केवल खिड़की खोल देने से ही हो सकता है। दूसरे शब्दों में आवश्यकता केवल इस बात की है कि भोजन करने से जो शक्ति उत्पन्न होती है उसे शारीरिक श्रम द्वारा उपयोग में लाया जाय—ऐसा करना केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशुओं के लिए भी स्वाभाविक है।

हमारे वर्ग के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य की ये उलझनें वैसी ही हैं जैसे कोई मिस्त्री पहले तो किसी वायलर को गरम करे और उसके समस्त द्वारों को कसकर बन्द कर दे और फिर उसे फटने न देने के लिए उपाय खोजता फिरे।

और स्पष्ट हो जाने पर मुझे यह सब बड़ा हास्यास्पद प्रतीत हुआ। अनेकानेक सन्देह, खोज और विचार के बाद मैं इस असाधारण सत्य पर पहुँचा हूँ कि मनुष्य को आखे देखने के लिए, कान सुनने के लिए, टांगे चलने के लिए और हाथ तथा पीठ काम करने के लिए मिले हैं और यदि वह इसका स्वाभाविक उपयोग नहीं करेगा तो इससे उसे हानि ही होगी।

मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि हम-जैसे ऊँचे वर्ग के व्यक्तियों के साथ वैसा ही होता है जैसा मेरे एक परिचित के घोड़ों के साथ हुआ था।

उनके सर्विस को घोड़ों की रस्ती भर भी परवाह नहीं थी और वह घोड़ों की बावत कुछ समझता भी नहीं था। एक बार जब उसके मालिक ने उसे सर्वोत्तम घोड़ों को बाजार ले जाने का आदेश दिया तो उसने उनमें से कुछ को चुनकर दूकानों में ले जाकर खड़ा कर दिया। उसने उन्हें जी खिलाए और पानी पिलाया और उन बहुमूल्य घोड़ों की विशेष रूप से सावधानी रखने के उद्देश्य से उसने उनपर किसी को सवारी नहीं करने दी और न ही उन्हें कहीं बाहर ले जाने अथवा अभ्यास करने की अनुमति दी। फल यह हुआ कि सब घोड़ों की टांगे खराब हो गईं और वे बेकार हो गए।

यही बात हमारे साथ हुई है। अंतर केवल इतना है कि घोड़ों को किसी प्रकार का धोखा नहीं दिया जा सकता और उन्हें भागने न देने के लिए बांध कर रखना पड़ता है। हम भी लोभ के पाश में फंसाए और बाधे जाकर इसी प्रकार की अस्वाभाविक और विनाशकारी अवस्थाओं में रखे जाते हैं। हमने अपने लिए एक ऐसे जीवन की व्यवस्था की है जो मनुष्य के नैतिक और शारीरिक दोनों प्रकार के स्वभाव के विपरीत है और हम अपनी सारी मानसिक शक्ति लगाकर मनुष्यों को यह समझाने की चेष्टा करते हैं कि जीवन ऐसा ही होना चाहिए। जिसे हम संस्कृति, विज्ञान, कला तथा जीवन की सुख-सुविधाओं का परिष्कार कहते हैं, वह मनुष्य की नैतिक और स्वाभाविक मांगों को धोखा देने का प्रयत्न है, हम जिसे स्वास्थ्य और चिकित्सा कहते हैं वह मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक शारीरिक मांगों को छलने का प्रयत्न है। किंतु इन प्रवचनाओं की भी सीमा है और हम प्रायः उस सीमा तक पहुंच गए हैं।

गोपेनहावर और हार्टमैन की प्रचलित और अत्यंत सुखचिपूर्ण विचारधारा तो यह है कि यदि मनुष्य का सच्चा जीवन ऐसा ही है जैसा कि वह आजकल दिखाई देता है, तब तो इससे अच्छा यह है कि हम विलकुल जियें ही नहीं। ऊंचे वर्गों में आत्मघातों की बढ़ती हुई संख्या भी यही कहती है कि यदि यही जीवन है तो इससे तो न जीना अच्छा। डाक्टरी ज्ञान, विज्ञान और नारी की जनन-शक्ति को

नष्ट करने के आविष्कार भी यही कहते हैं—“यदि यही जीवन है, तो अच्छा है कि आनेवाली सतति जन्म ही न ले।”

वाइविल में कहा गया है कि परिश्रम से थक जाने पर रोटी खाना और दुख में बच्चे पैदा करना मानवीय नियम है।

वोदारेफ नामक एक किसान ने, जिसने इस सम्बन्ध में एक लेख लिखा था, मेरे सामने इस कहावत की बुद्धिमता को स्पष्ट कर दिया। [ मेरे जीवन में दो रूसी विचारको ने मुझपर बड़ा गहरा नैतिक प्रभाव डाला है, उन्होंने मेरे विचारों को परिपुष्ट किया है और जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है। ये दोनों व्यक्ति न कवि थे, न विद्वान् और न शिक्षक। वे दो अद्भुत व्यक्ति थे, जो अब भी जीवित हैं। दोनों किसान हैं एक सुतायफ और दूसरा वोदारेफ। ]

मोलियर के एक नाटक के एक पात्र ने चिकित्सा-सम्बन्धी विषयों में भूल करते हुए एक स्थान पर कहा है कि यकृति बाई ओर है। ...इसी प्रकार कहा जाता है कि मनुष्य को अपने भोजन के लिए कार्य करना आवश्यक नहीं है, मशीनें ही सब काम करेंगी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि महिलाओं को भी बच्चे पैदा करने की आवश्यकता नहीं है, विज्ञान हमें बहुत-से उपाय सिखा देगा। इस प्रकार की बातें सोचनेवाले व्यक्तियों की संख्या भी बहुत अधिक है।

क्रापीवेस्की जिले \* में एक फटाहाल किसान है, जो इधर-उधर घूमता रहता है। युद्ध के दिनों में एक सैनिक अधिकारी ने उसे अन्न की खरीद के काम के लिए भरती किया। अधिकारी के निकट मर्म्क में रहने के कारण ऐसा मालूम होता है कि उस किसान के दिमाग में यह फितूर बैठ गया कि उच्च वर्ग के लोगों की तरह उसे भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, उसे तो अपने जीवन-निर्वाह के लिए सम्राट से वेतन मिलता ही रहेगा। अब वह अपने को 'मव प्रकार की सैनिक सामग्री का ठेकेदार, महामान्य सैनिक राजकुमार व्लोखिन'

---

\* यह वही जिला है जिसमें टॉल्स्टॉय का निवास-स्थान यागनाया पालियाना स्थित है।

कहता है। वह कहता है कि उसने सैनिक सेवा की मारी अवस्थाए पार कर ली है और चूकि उसकी सैनिक सेवाए पूर्ण हो चुकी है इसलिए अब उसे सम्राट से 'नकदी, वस्त्र, वर्दी, घोड़े, गाड़ी, चाय, मोटर, नौकर और सब वस्तुए प्राप्त होनी चाहिए। उससे जब पूछा जाता है कि क्या कुछ काम करोगे तो वह इस प्रश्न के उत्तर में मदा गर्व के साथ कहता है—“बहुत-बहुत धन्यवाद ! यह सब काम किमान कर लेंगे।”

यदि कोई उससे यह कहे कि सम्भव है कि किसान भी काम करना न चाहे तो वह उत्तर देता है—“किसानों के लिए परिश्रम करने में कोई कठिनाई नहीं होती। अब किसानों की सुविधा के लिए मशीनें ईजाद कर दी गई है। उनके लिए मेहनत करना अधिक कष्टदायक नहीं है।” जब कोई उससे पूछता है कि तुम किसलिए हो, तो वह उत्तर देता है—“समय काटने के लिए।”

मैं इस आदमी को सदा एक दर्पण के रूप में देखता हूँ। उसमें मैं स्वयं का और अपने समस्त वर्ग का प्रतिबिम्ब देखता हूँ।

अपने जीवन का अन्तिम ध्येय यह बनाना कि हम किमी तरह ऐसे पद पर पहुँच जाय जिससे अपना समय सुखपूर्वक काट सकें या धन कमाने को अपना लक्ष्य मानना और यह सोचना कि सारा श्रम तो किसान को करना चाहिए क्योंकि मशीनों की ईजाद से अब उसके लिए श्रम करना कष्टकर नहीं रह गया है—ये सब बातें हमारे वर्ग की विवेकशून्य विचारधारा का परिचय देती हैं।

जब हम पूछते हैं “तब हम क्या करें ?” तो वास्तव में हम कुछ पूछते नहीं बल्कि केवल यह स्वीकार करते हैं कि हम कुछ करना नहीं चाहते, यद्यपि हमारी यह स्वीकारोक्ति उतनी स्पष्ट नहीं जितनी उस 'महामान्य सैनिक राजकुमार बलोखिन' की है, जिसकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है।

जो समझ से काम लेता है वह ऐसे प्रश्न नहीं कर सकता, क्योंकि एक ओर वह जिस वस्तु का प्रयोग करता है, वह बनाई गई है और मनुष्य के हाथों से बनाई गई है और दूसरी ओर सचाई यह

है कि एक स्वस्थ मनुष्य जागने और कुछ भोजन करने के तत्काल बाद ही अपने हाथ पैर और दिमाग से काम करने की आवश्यकता अनुभव करता है। जो आदमी काम ढूढना और करना चाहता है उसके लिए काम की कमी नहीं, आवश्यकता केवल इतनी है कि वह अपने को रोके नहीं। केवल वे लोग जो काम करने में शर्म महसूस करते हैं—उस महिला की भाँति जो अपने अतिथियों से कहती है कि द्वार खोलने का कष्ट न कीजिए, ठहरिए मैं अभी नौकर को बुलाती हूँ—केवल वे ही अपने से यह प्रश्न कर सकते हैं—“हम क्या करें ?”

आवश्यकता काम ईजाद करने की नहीं है—आखिर हम वह सारा काम कर भी तो नहीं सकते। जिसकी हमें और दूसरे व्यक्तियों को जरूरत है। आवश्यकता इस बात की है कि हम जीवन के इस दूषित दृष्टिकोण से छुटकारा पा जाय कि हम अपने सुख के लिए खाते और सोते हैं। साथ-ही-साथ आवश्यकता इस बात की है कि जीवन का वह सरल तथा सच्चा दृष्टिकोण अपनाया जाय जिसे किसान विकसित करते और कायम रखते हैं, अर्थात् यह कि मनुष्य मुख्यतः एक मग़ीन है जिसे चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और इसलिए काम न करना और केवल खाते जाना लज्जाजनक, कष्टदायक और असम्भव है। खाना और काम न करना एक बड़ी ही भयकर बात है, जिसकी अग्निकांड से तुलना की जा सकती है। यदि मनुष्य में केवल इतनी चेतना हो तो उसके पास काम की कभी कमी नहीं रहेगी और वह काम न केवल सुखदायक बल्कि उसके शरीर और आत्मा की माँगों को सन्तुष्ट करनेवाला भी होगा। मेरे सामने इस समस्या का रूप इस प्रकार था—हमारा भोजन हमारे दिन को चार भागों में बाँट देता है (१) नाश्ते तक (२) नाश्ते से दोपहर के भोजन तक (३) दोपहर के भोजन से सायंकाल के भोजन तक (४) और सायंकाल। मनुष्य का कार्य भी चार भागों में विभाजित किया जाता है—(१) मास-पेशियों का कार्य; अर्थात् हाथ, पैर, कंधे और पीठ का कार्य जो गाढ़े पसीने का कार्य होता है (२) उगलियों और कलाइयों का कार्य अर्थात् शिल्प का कार्य (३) मस्तिष्क और विचार का कार्य और (४) सामाजिक

कार्य। हमें जो लाभ मिलते हैं उन्हें भी चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम, मोटे शारीरिक श्रम का प्रतिफल—जैसे अन्न, पशु, इमारत कुए आदि, दूसरे, शिल्प का प्रतिफल—जैसे कपड़े, जूते, वर्तन आदि; तीसरे, मानसिक कार्य के प्रतिफल—जैसे विज्ञान और कला, तथा चौथे, अन्य व्यक्तियों के साथ सम्पर्क, परिचय आदि। मुझे ऐसा लगा कि सबसे अच्छी बात यह होगी कि दिनचर्या में इस प्रकार उलट-फेर किया जाय कि मनुष्य की चारो क्षमताएँ कार्य में लाई जा सकें और हम जिन चारो प्रकार के प्रतिफलों से लाभ उठाते हैं उनका इस प्रकार पुन निर्माण किया जाय कि हमारे दिन के चारो भाग चारो प्रकार के कामों में लगे रहें—जैसे, पहले में शारीरिक श्रम, दूसरे में मानसिक श्रम, तीसरे में शिल्प-कार्य और चौथे में साथियों से मिलना-जुलना।

यदि हम अपने कार्यों की इस प्रकार व्यवस्था करले तब तो बहुत ही अच्छा हो, किंतु यदि ऐसा सम्भव न हो तो सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम कार्य के प्रति चेतना का भाव बनाए रखें—अर्थात् समय के प्रत्येक भाग का लाभपूर्वक उपयोग करें।

मुझे ऐसा लगा कि ऐसी व्यवस्था होने पर ही समाज से श्रम का झूठा विभाजन मिट सकेगा और उस उचित विभाजन की स्थापना हो सकेगी जो मनुष्य के आनन्द-भोग में बाधक सिद्ध नहीं होगा।

उदाहरण के लिए मैंने अपने को जीवन भर मानसिक कार्य में ही लगाए रखा है। मैं सोचता था कि मैंने श्रम का विभाजन कुछ इस प्रकार कर लिया है कि लिखना अर्थात् मानसिक श्रम मेरा विशेष व्यवसाय बन गया है। दूसरे आवश्यक कार्य मैं दूसरों को करने के लिए छोड़ देता था, या यों कहिए कि जबर्दस्ती उनसे करवाता था। यह प्रबन्ध, जो स्पष्ट रूप से मानसिक श्रम के लिए सबसे अधिक लाभकारी था, अन्त में मानसिक श्रम के लिए हानिकारक निकला। वह अन्याययुक्त तो था ही।

जीवन भर मैंने लिखने का ही काम किया और अपने भोजन-निद्रा तथा मनोरंजन की व्यवस्था अपने इसी विशेष कार्य के घटों के अनुसार की। इसके अतिरिक्त मैंने कुछ नहीं किया।



फल यह हुआ कि मैंने अपने निरीक्षण और ज्ञान का क्षेत्र बहुत सकुचित बना लिया। प्रायः ऐसा होता कि मुझे अध्ययन के लिए कोई विषय ही न मिलता और बहुधा जब मैं व्यक्तियों के जीवन का वर्णन करने बैठता तो मुझे अपने इस अज्ञान का आभास होता और मुझे बहुत-सी ऐसी बातें सीखनी और पूछनी पड़ती जिनके बारे में प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी विशेष कार्य में नहीं लगा हुआ है, जानता है। दूसरे मैंने देखा कि जब कभी मैं लिखने बैठता हूँ तो कोई आंतरिक प्रेरणा मुझे ऐसा करने के लिए विवश नहीं करती। इसके अतिरिक्त किसीने भी मुझसे यह माग नहीं की कि मैं लिखने के लिए लिखूँ। अर्थात् किसीको मेरे विचारों की आवश्यकता नहीं थी; लोग तो केवल आर्थिक लाभ के लिए पत्रों में मेरा नाम देना चाहते थे। ऐसे समय में मैं अपने से जो कुछ भी निचोड़ सकता था निचोड़ने का प्रयत्न करता था। कभी मैं कुछ नहीं दे पाता था, कभी केवल निष्कण्ट साहित्य ही दे पाता था और असतुष्ट तथा बुझा-बुझा-सा रहता था। इसलिए दिन और हफ्ते निकल जाते और मैं कुछ न लिख पाता; लिखता भी तो ऐसी चीजें जिनकी किसी को आवश्यकता नहीं थी। मैं केवल खाता, पीता, सोता और अपने को गरम रखता। दूसरे शब्दों में यों कहिए कि मैंने ऐसा स्पष्ट और भद्दा अपराध किया जिसे मजदूर-वर्ग के किसी व्यक्ति ने कदाचित्त ही कभी किया हो। लेकिन जब मैंने शारीरिक कार्य—साधारण और कलात्मक दोनों—की आवश्यकता अनुभव की तो बात कुछ और ही हो गई; मेरा सारा समय व्यस्त रहने लगा, जो नगण्य होते हुए भी मेरे लिए निश्चित रूप से उपयोगी, सुखदायक और शिक्षाप्रद था। अब मैं अपने को इस असदिग्ध रूप से उपयोगी तथा सुखदायक कार्य से तभी विलग करता और लिखने के अपने विशेष कार्य को तभी अपनाता जब मुझे उसकी आंतरिक आवश्यकता अनुभव होती और जब मैं देखता कि एक लेखक के रूप में मेरे कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से माग की गई है। इससे मेरे विशिष्ट कार्य—लेखन—का ओज बढ़ गया और उससे स्वभावतः उसके मूल्य तथा सुख-प्रदान करने की शक्ति में भी वृद्धि हुई।

अतः परिणाम यह निकला कि मेरे शारीरिक श्रम में लगे रहने से—जो मेरे लिए भी उतना ही आवश्यक था जितना और लोगो के लिए—मेरे मानसिक कार्य में न केवल बाधा ही नहीं पहुँची बल्कि उमकी उपयोगिता, गुण और मधुरता के लिए वह एक आवश्यक शक्ति सिद्ध हुआ।

पक्षी की बनावट कुछ इस प्रकार की होती है कि उसके लिए उड़ना, चलना, चुगना और विचार करना आवश्यक होता है और जब वह ये सब कार्य करता है तो उसे सतुष्टि और प्रसन्नता होनी है। एक शब्द में, तब वह वास्तव में पक्षी बन जाता है। ठीक ऐसी ही बात अदामी के साथ है। जब वह चलता है, फिरता है, वस्तुओं को उठाता है, घसीटता है, अपनी उगली, आँख, कान, जीभ और दिमाग से काम करता है—तब और केवल तब वह सतोष प्राप्त करता है और वास्तविक मनुष्य बनता है।

जिस व्यक्ति ने मेहनत करना अपना कर्तव्य समझ लिया है वह स्वभावतः अपनी मेहनत का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से बनाएगा कि उससे उसकी आंतरिक तथा बाह्य आवश्यकताएँ स्वाभाविक रूप से पूरी हो जाय। इस क्रम को वह तब तक नहीं बदलेगा जब तक किसी अन्य विशेष कार्य के लिए उसके अन्तर में एक दुर्दमनीय उत्कठा न जाग्रत हो और जब तक दूसरे लोग भी उससे ऐसा कार्य करने की माग न करें।

श्रम की विशेषता ही यह है कि मनुष्य को अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इतने भिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं कि उससे श्रम बौद्धि न रहकर मधुर बन जाता है। परिश्रम को अभिशाप मानने की झूठी धारणा ही एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य में कार्य से मुक्त रहने की भावना उत्पन्न कर सकती है और जिसके फल-स्वरूप अन्य व्यक्तियों को विशिष्ट कार्यों में व्यस्त होने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसीको हम 'श्रम-विभाजन' कहते हैं।

कार्य-व्यवस्था की इस मिथ्या धारणा के हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हमें सचमुच यही उचित प्रतीत होता है कि मोची, मिस्त्री, लेखक अथवा गायक को साधारण मनुष्योचित श्रम से मुक्त रखा जाय।

जहा जबरदस्ती दूसरो के श्रम से लाभ उठाने की प्रेरणा नहीं होती और जहा वेकारी को सुखकर समझने की मिथ्या धारणा नहीं होती वहा कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि वह अपने मनपसन्द कार्य को करने के लिए अपने को उस शारीरिक श्रम से मुक्त कर ले जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। इसका कारण यह है कि विशिष्ट कार्य करना कोई लाभ की बात नहीं है बल्कि उसे न करने मे एक त्याग है जो मनुष्य को अपने विशेष झुकाव तथा अपने साथियो के प्रति करना पडता है।

मान लीजिए कि गाव का एक मोची खेती के अपने परम्परागत और सुखदायक काम को छोडकर पडोसियो के जूतो की मरम्मत करने या बनाने का काम अपना लेता है। वह अपने को इस अत्यन्त सुख-प्रद और उपयोगी कृषि-कार्य से इसीलिए वचित करता है कि उमे जूता सीना पसन्द है और वह जानता है कि इस कार्य को उसकी-जैसी कुशलता के साथ दूसरा कोई आदमी न कर सकेगा और लोग इस कार्य के लिए उमके प्रति कृतज्ञ होंगे। किन्तु उसकी यह इच्छा कभी नहीं हो सकती कि वह जीवनभर और कोई कार्य कर ही न सके और इस प्रकार कार्य के परिवर्तन से जो सुख मिलता है उससे वचित रहे। यही बात गाव के मुखिया, मिस्त्री, लेखक अथवा विद्वान् के माथ भी है। केवल हम-जैसे भण्ट बुद्धिवाले यह समझते हैं कि अगर कोई मालिक अपने बलर्क को दफतर से बरखास्त कर देता है और उसे किसान की भांति कार्य करने को वापस भेज देता है या यदि कोई मंत्री पदच्युत और निर्वासित कर दिया जाता है तो ऐमा उसे दड देने के लिए किया जाता है और उसकी अवनति कर दी जाती है। सच तो यह है कि इससे उसे लाभ होता है, उमका विशेष कण्टकर और जटिल कार्य मधुर श्रम मे बदल जाता है।

जहा समाज अपनी स्वाभाविक अवस्था मे होता है वहा यह बात विलकुल भिन्न होती है। मैं एक ऐसे समाज \* को जानता हूँ जहा

\* टॉल्स्टॉय का अभिप्राय उस समाज से है जो चैकोवस्की ने १८ वी

लोग स्वयं अपना अन्न पैदा करते हैं। उक्त समाज का एक सदस्य अन्य सदस्यों की अपेक्षा अधिक शिक्षित था और उसे व्याख्यान देने पड़ते थे, जिन्हें वह दिन में तैयार करता और सायंकाल को उगल देता। उसने यह कार्य स्वेच्छा से किया क्योंकि वह अनुभव करता था कि वह दूसरों के लिए एक उपयोगी और भला कार्य कर रहा है। किंतु वह कोरा मानसिक श्रम करते-करते ऊब गया और उमका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। समाज के सदस्यों को उसपर दया आई और उन्होंने उसे खेतों में कार्य करने के लिए बुला लिया।

जो लोग श्रम को जीवन का सार और आनन्द मानते हैं उनके जीवन का आधार सदा वह सघर्ष ही रहेगा जो मनुष्य प्रकृति के साथ करता है—जैसे कृषि-कार्य, कला-कौशल, मानसिक कार्य और व्यक्तियों के बीच पारस्परिक सम्पर्क।

इस प्रकार के एक या अनेक कार्यों को छोड़कर किसी कार्य में विशेषता प्राप्त करना तभी सम्भव होगा जब वह विरोध उस कार्य के प्रति अनुरक्ति रखते हुए और यह जानते हुए भी कि वह उस कार्य को दूसरे लोगों से अच्छा कर सकेगा, अपने लाभ की चिन्ता न करे और उन कार्यों को करे जिनकी दूसरे लोग उससे प्रत्यक्ष रूप से अपेक्षा रखते हैं। श्रम के बारे में जब हम इस प्रकार का मत बनायेंगे और उसके फलस्वरूप जब श्रम का स्वाभाविक विभाजन होगा तभी शारीरिक श्रम का अभिशाप मिट पायगा। और तब, सारा परिश्रम आनन्द का रूप ग्रहण कर लेगा क्योंकि उस समय मनुष्य या तो निर्विवाद रूप से उपयोगी और आनन्ददायक कार्य करेगा या फिर उसे इस बात का आत्म-सतोष होगा कि दूसरों की भलाई के लिए एक अधिक कठिन और असाधारण कार्य करने में वह स्वार्थ का त्याग कर रहा है।

---

शताब्दी में कन्सास राज्य में स्थापित किया था। जिस व्यक्ति की उसमें चर्चा आई है उसका नाम हीन्स था। उसने अपना नाम बदलकर विलियम फ्रे रख लिया था और टॉल्सटॉय से याचनाया पोलियाना में मिला था।

“लेकिन श्रम का उपविभाजन तो और भी लाभदायक होता है,” यह अक्सर कहा जाता है।

किंतु प्रश्न यह है कि वह किसके लिए अधिक लाभदायक है ?

इसके उत्तर में कहा जाता है कि इस विभाजन से जूते और वस्त्र का अधिक उत्पादन होता है।

“लेकिन ये जूते और कपड़े किसको बनाने पड़ेंगे ?”

“ऐसे लोगों को जो पीढियों से पिनों की घुड़ियाँ ही बनाते आए हैं और जिन्होंने इसके अलावा और कुछ नहीं किया है।”

“तो फिर यह उनके लिए लाभदाई कैसे हो सकता है ?”

यदि मुख्य उद्देश्य केवल अधिक-से-अधिक मात्रा में कपड़ा और पिन तैयार करना हो तब तो यह सब ठीक है। किंतु जिस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना है वह है मनुष्य और उसकी भलाई मनुष्य की जीवन में है और जीवन परिश्रम में है। ऐसी अवस्था में यह कैसे हो सकता है कि कष्टदायक और निम्न कोटि का कार्य लाभदायक सिद्ध हो ?

यदि जीवन का लक्ष्य समस्त समुदाय की चिन्ता न करते हुए कुछ विशेष व्यक्तियों को ही लाभ पहुंचाना हो तब तो सबसे फायदे की बात यह हो कि कुछ लोग दूसरे लोगों को खा जाय। कहा जाता है कि मनुष्य का मांस बड़ा स्वादिष्ट होता है। किंतु जिस वस्तु की कामना मैं स्वयं करता हूँ वही समस्त समुदाय के लिए भी सबसे अधिक लाभदायक होता है। अर्थात् यह कि शरीर और आत्मा ही नहीं बल्कि अन्तरात्मा और बुद्धि का भी अधिक-से-अधिक कल्याण हो और उनकी आवश्यकताओं की अधिक-से-अधिक पूर्ति हो। मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया कि अपनी भलाई और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुझे केवल उस पागलपन से मुक्त होने की आवश्यकता है जिसमें मैं क्रायीवेंस्की के पागल व्यवित की भाँति पड़ गया था और यह समझता था कि भद्र पुरुषों को परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, वह सब तो दूसरे व्यक्तियों को करना चाहिए। जब मुझे यह बात मालूम हुई तो मुझे विश्वास हो गया कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कार्य

किया जाता है वह अपने को स्वभावतः विभिन्न प्रकार के कार्यों में विभाजित कर लेता है, जिसमें से प्रत्येक का अपना आकर्षण होता है। यह कार्य न केवल बोझिल नहीं होता, बल्कि दूसरे प्रकार के परिश्रमों से विश्राम दिलाने में सहायक होता है।

इस कार्य को मैंने मोटे तौर पर अपने जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार चार भागों में विभाजित किया है और उसी आधार पर कार्य करते हुए मैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करता हूँ।

सारांश यह कि मुझे 'हम क्या करें' प्रश्न के जो उत्तर मिले वे ये हैं—

पहले—अपने से झूठ न बोलना और अपनी बुद्धि द्वारा सकेतित सत्य मार्ग से हम चाहे कितने ही विमुक्त क्यों न हों, सत्य से न डरना।

दूसरे—अपने को दूसरों से अधिक पुण्यात्मा, ऊँचा और सम्माननीय समझने के विचार को ठुकरा देना और अपने को अपराधी स्वीकार करना।

तीसरे—मानवता के शाश्वत, असदिग्ध नियम का पालन करना और अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के जीवन का पोषण करने के लिए शक्तिमत् प्रकृति के साथ संघर्ष करना।

: ३६ :

## सारी मुसीबतों की जड़ सम्पत्ति

अपने बारे में मुझे जो कुछ कहना था, कह चुका; किंतु जिन बातों का सम्बन्ध हर व्यक्ति से है उन्हें भी कहे बिना जी नहीं मानता। इसके अतिरिक्त मैं जिन निष्कर्षों पर पहुँचा हूँ उन्हें साधारण जीवन की कसौटी पर कसना चाहता हूँ।

मैं यह बताना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमारे वर्ग के अधिकांश व्यक्तियों को उसी निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए

जिसपर मैं पहुंचा हूँ। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि यदि थोड़े-से व्यक्ति भी इसी निष्कर्ष पर पहुंच गए तो उसका क्या परिणाम निकलेगा।

मेरा खयाल है कि बहुत-से लोग उसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जिसपर मैं पहुंचा हूँ क्योंकि यदि हमारे वर्ग के, हमारी जाति के लोग केवल अपने चारों ओर गम्भीरतापूर्वक देखने भर की चेष्टा करें तो व्यक्तिगत सुख की आकांक्षा रखनेवाले नवयुवक अपने जीवन के निरन्तर बढ़ते हुए उन कष्टों से भयभीत हो उठेंगे जो उन्हें साफ तौर पर विनाश की ओर खींचे लिये जा रहे हैं। इसी तरह समझदार लोग अपने क्रूर और अन्यायपूर्ण जीवन से सहम जायेंगे और कायर लोग अपने जीवन के सकटों से काप उठेंगे।

हमारे जीवन का विषाद। हम अपने जीवन के मिथ्या आचरण में विज्ञानों और कलाओं की सहायता से चाहे कितनी भी थोड़ी बचो न लगाएं, हमारा यह जीवन वर्ष-प्रति-वर्ष अधिक क्षीण, अधिक रोग-युक्त और अधिक दुःखदायी होता जा रहा है। हर साल आत्महत्याओं और गर्भपातों की संख्या बढ़ती जा रही है, हर साल इस वर्ग के लोग अधिक दुर्बल होते जा रहे हैं और हर साल हम अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन का अधिकार बढ़ता जा रहा है।

स्पष्ट है कि जीवन का ऐशोआराम बढ़ाने से या ओपधियों का सेवन करने से या कृत्रिम दातों और वालों का प्रयोग करने से या प्राणायाम और मालिश करने से मुक्ति नहीं मिल सकती। यह सत्य इतना स्पष्ट हो गया है कि जब समाचारपत्रों में अमीरों के लिए पाचक चूर्णों का विज्ञापन छपता है तो उसे 'गरीबों के लिए वरदान' शीर्षक से प्रकाशित किया जाता है। उनमें कहा जाता है कि गरीबों की पाचन-शक्ति अच्छी होती है, किंतु अमीरों को भोजन पचाने के लिए ऊपरी सहायता की आवश्यकता होती है जिसमें ये चूर्ण भी शामिल हैं।

किंतु अमीरों के पाचन-विकार का इलाज मनोरंजन, ऐशोआराम या चूर्ण से नहीं हो सकता—यह बीमारी ती केवल जीवन में परिवर्तन करने से ही हो सकती है।

हमारे जीवन के साथ हमारी अतरात्मा का विग्रह ! मानवता के प्रति हम जो विश्वासघात करते हैं उसको न्यायपूर्ण सिद्ध करने का हम चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न करें, स्पष्ट तथ्यों के सामने हमारे मव बहाने धूल में मिल जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर लोग अत्यधिक श्रम और अभाव के कारण मर रहे हैं और फिर भी हम उनके द्वारा तैयार किये गए भोजन और वस्त्र का तथा उनके परिश्रम का भी केवल परिवर्तन की दृष्टि से उपभोग कर डालते हैं। इसलिए हमारे वर्ग के लोगों की अतरात्मा—यदि अतरात्मा नाम की वस्तु उनमें रह गई है तो—बैन से नहीं बैठ पाती। वह जीवन के उम सारे सुख-विलास को विषाक्त बना देती है, जो हमें अपने भाइयों के श्रम के फलस्वरूप प्राप्त होता है—ऐसे भाई जो हमारे लिए श्रम करते-करते मर मिटते हैं।

इस बात को हर समझदार आदमी स्वयं महसूस करता है। वह उसे भूलना पसन्द करेगा; लेकिन हमारे युग में ऐसा करना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त विज्ञान और कला के सभी सर्वोत्तम अंग—वे अंग जिन्होंने अपने उद्देश्य को भुलाया नहीं है—हमें लगातार हमारी निर्दयता और अनीचित्यपूर्ण स्थिति का ध्यान दिलाते रहते हैं। विज्ञान और कला की सार्थकता को प्रमाणित करनेवाले जितने भी पुराने और दृढ़ तत्त्व थे वे सब नष्ट हो गए हैं; 'विज्ञान विज्ञान के लिए' और 'कला कला के लिए' के नए नपुंसक तर्क सरल सामान्य बुद्धि को भ्राश्य नहीं हैं।

मनुष्य की आत्मा नए बहानों की आड़ पाकर सतुष्ट नहीं हो सकती। उसे तो जीवन के परिवर्तन से ही सतोष मिल सकता है और उस अवस्था में किसी व्यक्ति के लिए अपने अनीचित्य को सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं रह जायगी, क्योंकि फिर ऐसी कोई वस्तु रह ही नहीं जायगी जिसे अपनी सार्थकता सिद्ध करने की जरूरत हो।

हमारी जीवन-प्रणाली का संकट ! हम जिनका शोषण कर रहे हैं उनका धैर्य एक दिन समाप्त हो सकता है। इस सरल और अत्यन्त स्पष्ट संकट को हम अपने से छिपाने का चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों



न करे, इसका हम सब तरह की धोखेबाजी, हिंसा और टालमटोल से कितना ही निराकरण करने का प्रयत्न क्यों न करे, यह सकट प्रति दिन और प्रति घटा बढ़ता जा रहा है। वैसे तो हमें इससे बहुत समय से खटका रहा है, किंतु अब यह सकट इतना बढ़ गया है कि हमें गरजते सागर में अपने जीवन की छोटी नौका को सभालना कठिन हो रहा है। उसकी तूफानी लहरे हम तक आ पहुँची हैं और क्रुद्ध होकर हमें निगल जाने की धमकी दे रही हैं। विनाश और हत्याकांड से भरी हुई मजदूरो की क्रांति हमें केवल भयभीत नहीं कर रही है बल्कि उसी क्रांति में से होकर हमने तीस वर्ष निकाल भी दिये हैं और इधर-उधर की अस्थायी युक्तियों से किसी प्रकार उसके विस्फोट को कुछ समय के लिए टालने में सफल हो सके हैं। यही यूरोप की दशा है; यही हमारी दशा है। हमारे लिए तो यह और भी खतरनाक है, क्योंकि हमारे पास सुरक्षा के साधन नहीं हैं। सर्वसाधारण की दृष्टि में अब ज़ार के अतिरिक्त जनता का दमन करनेवाले किसी भी वर्ग की कोई सार्थकता नहीं रह गई है। जनता तो आज केवल हिंसा, मक्कारी और अवसरवादिना के बल पर ही दबाकर रखी जा रही है, किंतु उसके प्रतिनिधियों में हमारे प्रति घृणा और तिरस्कार की भावना प्रति घटे बढ़ती जा रही है।

पिछले तीन या चार वर्षों में हमारे लोगों के बीच एक नए महत्त्वपूर्ण शब्द का आम प्रयोग होने लगा है, जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना था। यह राह चलते गाली के रूप में प्रयुक्त होता है और इसका अर्थ मुप्तखोर होता है।

शोषित जनता में घृणा की भावना बढ़ती जा रही है तथा धनिक वर्गों की शारीरिक और नैतिक शक्तिया क्षीण होती जा रही हैं। प्रवचना के जिस पर्दे में सब कुछ छिपा था। वह छिन्न-भिन्न हो रहा है और इस भयकर सकट के समय धनिक वर्गों के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे वे अपने को सात्वना दे सकें।

पुराने तरीको को फिर से अपनाना असम्भव है, नष्ट प्रतिष्ठा को फिर कायम करना नामुमकिन है; जो लोग अपने जीवन का ढंग नहीं बदलना

चाहते उनके लिए केवल एक चीज बाकी रह गई है और वह है यह आशा कि हमारे जीवन-काल में तो यही हालत रहेगी—बाद में जो कुछ होना है होता रहे ।

यह है वह कार्य जिसे धनिकों का अन्धा समाज कर रहा है, लेकिन सकट बराबर बढ़ रहा है और विनाश की घड़ी दिन-पर-दिन पास आती जा रही है ।

तीन कारण हैं जो धनिक वर्ग को अपने जीवन का ढंग बदलने की आवश्यकता का संकेत करते हैं—(१) अपनी तथा अपने निकटस्थों की भलाई की आवश्यकता, जो उस रास्ते पर चलने से नहीं मिल सकती जिसपर कि धनिक वर्ग के लोग चल रहे हैं (२) अतरात्मा की पुकार का पालन करने की आवश्यकता, जो वर्तमान मार्ग पर चलते हुए एक दम असम्भव है, और (३) जीवन के प्रति निरंतर बढ़ता हुआ सकट जिसे किसी भी बाहरी युक्ति से नहीं टाला जा सकता । इन तीनों बातों के कारण धनिक वर्ग के लोगों को अपने जीवन का ढंग बदलने के लिए प्रेरित होना चाहिए, जिससे उनकी भलाई हो, वे अपनी अतरात्मा की आवाज पर चल सकें और सकट को टाल सकें ।

इस प्रकार का परिवर्तन केवल एक है और वह है धोखा देना बन्द करना, पञ्चाताप करना और यह स्वोकार करना कि परिश्रम अभिशाप नहीं बल्कि जीवन का आनन्दप्रद व्यापार है ।

इसके उत्तर में लोग कहते हैं—किंतु जिस शारीरिक श्रम को हजारों किसान भेरे रुपयों के बदले में प्रसन्नता से करने को तैयार हो जायेंगे उसे यदि मैं प्रतिदिन दस, आठ या पांच घंटे करू तो इससे क्या लाभ होगा ?

इसका एक सबसे सरल और निश्चित परिणाम यह होगा कि आप पहले से अधिक प्रसन्न, स्वस्थ, कुशल और दयालु हो जायेंगे और यह सीख जायेंगे कि वास्तविक जीवन क्या है, जिससे आप अपने को आज तक छिपाए हुए थे अथवा जो आपसे अब तक छिपा हुआ था ।

हमारे, यदि आपके पास अतरात्मा है तो उसे दूसरे व्यक्तियों को श्रम करते हुए देखकर—जिसकी कठोरता का हम अपने अज्ञानवश बढ़ा-बढ़ाकर अथवा कम मूल्यांकन करते हैं—अब की भांति पीड़ित

नहीं होना पड़ेगा। इसके विपरीत आप हर समय इस मधुर चेतना का अनुभव करेंगे कि आप अपनी अतरात्मा की मांगों को प्रतिदिन अधिकाधिक पूरा करते जाते हैं और अपने जीवन में बुराईयों का संग्रह करने की भयकर स्थिति से दूर हटते जाते हैं, जिसके कारण आपके लिए दूसरों की भलाई करना असम्भव होगया है। आप एक ऐसे उन्मुक्त जीवन की मधुरता का अनुभव करेंगे जिससे आप दूसरों की भलाई कर सकेंगे। आप अपने जीवन में एक ऐसी खिडकी खोल सकेंगे जिससे होकर नैतिक विश्व के आकाश से प्रकाश-रेखा आप तक पहुँच सकेगी, जिससे अवतक आप वंचित रहे हैं। आप जो बुराई करते हैं उसका आपको बदला मिलेगा; इस निरंतर भय में रहने के वजाय आप यह अनुभव करेंगे कि आप दूसरों को प्रतिशोध से बचा रहे हैं। सबसे बड़ी अनुभूति तो आपको यह होगी कि आप दलितों को घृणा और बदले की भीषण भावना से बचा रहे हैं।

इसके उत्तर में लोग आम तौर से कहते हैं—“किंतु सचमुच ही यह एक बड़ी हास्यास्पद बात होगी कि हम लोग—जिनके सामने गम्भीर दार्शनिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, कलात्मक, धार्मिक और सामाजिक समस्याएँ हैं और जो राज्यों के मन्त्री, मन्त्रिसद, शिक्षाविद अध्यापक, कलाकार और संगीतज्ञ हैं और जिनका एक-एक क्षण बहुमूल्य है—ऐसी छोटी-छोटी बातों पर समय नष्ट करें जैसे कि अपने जूते साफ करना, अपनी कमीजें धोना, जमीन खोदना, आलू धोना, अपनी मुर्गियों, गायों आदि को दाना खिलाना आदि। ये तो ऐसे कार्य हैं जिन्हें हमारे लिए न केवल हमारे नीकर-चाकर और रसोइए ही बल्कि वे हजारों व्यक्ति भी हर्षपूर्वक कर देते हैं जो हमारे समय की कद्र करते हैं। किंतु हम स्वयं कपड़े क्यों पहनते हैं, स्वयं क्यों नहाने हैं, अपने बालों में अपने हाथों से कषा क्यों करते हैं, स्वयं बीजे में मुँह क्यों देखते हैं, हम क्यों चलते हैं, महिलाओं और अतिथियों के आने पर उन्हें कुर्सियाँ क्यों पकड़ाते हैं, दरवाजे क्यों बन्द करते और खोलते हैं, आदमियों को गाड़ियों में क्यों बैठाते हैं और इसी प्रकार के सौँ और ऐसे काम क्यों करते हैं, जिन्हें हमारे दास हमारे लिए किया करते थे और कर सकते हैं ?

क्योंकि हम समझते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा करना मनुष्य की मर्यादा के अनुकूल है, यही मनुष्य का कर्तव्य और धर्म है।

यही बात शारीरिक श्रम के लिए है। मनुष्य की यह मर्यादा है, उसका यह पवित्र धर्म और कर्तव्य है कि वह अपने हाथ-पैर से वह काम ले जिसके लिए वे उसे मिले हैं। जिस अन्न का मनुष्य उपभोग करता है उसकी सहायता से उसे ऐसे श्रम करने चाहिए जिनसे अन्न की पुनः उत्पत्ति हो, अर्थात् मनुष्य को अपने हाथ-पैरों को निरर्थक नहीं रहने देना चाहिए, उन्हें केवल धो-धाकर साफ ही न रखना चाहिए और न उनसे केवल मुँह में अन्न, पान और सिगरेट रखने का काम लेना चाहिए।

शारीरिक श्रम का यह महत्त्व प्रत्येक समाज में प्रत्येक मनुष्य के लिए है। किंतु हमारे समाज में—जहाँ दुर्भाग्यवश समूचा का समूचा वर्ग प्रकृति के इस नियम की अवज्ञा करता है—शारीरिक श्रम का एक और भी महत्त्व हो गया है, वह एक ऐसा मंत्र और एक ऐसा कार्य बन गया है जो मानवता को अपने ऊपर मडरानेवाले सक्कों के बादलों से बचाता है। यह कहना कि शारीरिक श्रम करना शिक्षित व्यक्ति के लिए एक महत्त्वहीन कार्य है ऐसा ही है जैसे किसी मंदिर का निर्माण करते समय यह पूछना कि अमुक पत्थर को अपने स्थान पर ढग से लगाने का क्या महत्त्व है।

जितने भी अधिक-से-अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य होते हैं वे सब अनायास ही नम्रतापूर्वक और बिना किसी आडम्बर के हुआ करते हैं। न तो हल चलाने का कार्य और न इमारत बनाने या पशु चराने या सोचने के कार्य ही बर्फी पहनकर, दीपो की चमक-दमक में और तोपों के गर्जन के बीच किये जा सकते हैं। इसके विपरीत दीपो की जगमगाहट तोपों की गडगडाहट, सगीत, बर्फी सफाई और चमक-दमक (जिन्हें हम किसी कार्य के महत्त्व का प्रतीक मानने के आदी हो गए हैं) यह प्रकट करते हैं कि उनके बीच जो कुछ भी हो रहा है वह सब महत्त्वहीन है। महान और सच्चे कार्य सदा ही सरल और विनम्र होते हैं।

और यही बात हमारी सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या के बारे में है—उन भयकर विरोधाभासों का हल निकालना जिनके मध्य हम-रह रहे हैं।

इन विरोधाभासों को सुलझानेवाले कार्य ये विनम्र, आडम्बर-विहीन कार्य ही हैं - अर्थात् अपना कार्य स्वयं करना और अपने लिए तथा यथासम्भव दूसरों के लिए भी शारीरिक श्रम करना। यदि हम घनिकों में अपने जीवन के दुर्भाग्य, अन्याय और सकटपूर्ण स्थिति को समझने की क्षमता हैं तो हमें ऐसा करना ही होगा।

यदि मैं और मेरे जैसे एक-दो दर्जन दूसरे लोग शारीरिक श्रम से घृणा न कर उसे आत्मिक सतोष और सुरक्षा के लिए आवश्यक समझने लगे तो उसका क्या परिणाम होगा ? परिणाम यह होगा कि एक, दो या तीन दर्जन व्यक्ति, बिना किसीसे लड़े-झगड़े और बिना किसी सरकारी या क्रान्तिकारी हिंसा के अपनी इस समस्या को सुलझा लेंगे जो देखने में असम्भव प्रतीत होती है किंतु जो सारी दुनिया के सामने हैं। इतना ही नहीं वे उसे ऐसे ढंग से सुलझा लेंगे कि वे पहले की अपेक्षा अधिक अच्छा जीवन बिता सकेंगे, उनकी आत्मा को अधिक शान्ति मिलेगी और उन्हें दमन का भूत अधिक नहीं सताएगा। परिणाम यह होगा कि दूसरे व्यक्ति देखेंगे कि जिस अच्छाई को वे सब जगह ढूँढते-फिरते थे वह उनके पास ही है और उनकी अतरात्मा तथा सांसारिक विधान के बीच जो विरोधाभास देखने में विपम मालूम देते थे वे अत्यन्त सरल और सुखद ढंग से सुलझ गए हैं। इसीलिए उन्हें अपने आसपास के लोगों से भयभीत होने के बजाय उनके पास आना तथा उन्हें प्यार करना चाहिए।

प्रकट रूप से विपम प्रतीत होनेवाला आर्थिक और सामाजिक प्रश्न क्राईलाफ के वक्स\* के समान है। वह सरलता से खुल सकता है। लेकिन वह खुले तो तब जब लोग उसे खोलने की सवमे पहली और सरल क्रिया करे, अर्थात् उसके ढक्कन को उठाए।

---

\* क्राईलाफ की कहानियों में एक ऐसे वक्स की चर्चा है जिसके ताले को बहुत-से लोगों ने खोलने की चेष्टा की, किंतु खोल न सके। बात यह थी कि उस वक्स में ताला लगा ही नहीं था, उसके तो ढक्कन को उठाने भर की आवश्यकता थी।

तो प्रकट रूप से विगम प्रतीत होनेवाला यह प्रश्न वही पुराना है—कुछ व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों के श्रम का शोषण। हमारे समय में इस प्रश्न की अभिव्यक्ति सम्पत्ति के रूप में होती है। पहले लोग बल-प्रयोग से दूसरों को गुलाम बनाकर उनसे परिश्रम कराते थे। आज हम सम्पत्ति के बल पर कराते हैं।

आज सम्पत्ति ही सब बुराइयों की जड़ है। जो इससे सम्पन्न है वे और जो इससे वंचित है वे भी बस इसीसे त्रसित है। यही उन व्यक्तियों की अंतरात्मा के क्रन्दन की जड़ है जो इसका दुरुपयोग करते हैं और यही उन दो वर्गों के बीच के संघर्ष की जड़ है जिनमें से एक के पास इसकी बहुलता है और दूसरे के पास इसका अभाव। इस प्रकार बुराई की जड़ होते हुए भी सम्पत्ति ही आज हमारे समाज की समस्त हलचलों का उद्देश्य है। यही सारी दुनिया की क्रियाओं का निर्देशन करती है।

राज्य और सरकारें सम्पत्ति के लिए पड्यत्र करती और लडती हैं। साहूकार, व्यापारी, निर्माता और जमींदार सम्पत्ति के लिए ही कार्य करते, योजना बनाते और अपने को तथा दूसरों को कष्ट में डालते हैं। अधिकारीगण और कारीगर सम्पत्ति के लिए ही संघर्ष करते, धोखा देते, दमन करते और कष्ट भोगते हैं। हमारे न्यायालय और हमारी पुलिस सम्पत्ति की ही रक्षा करती हैं। हमारी दण्ड-व्यवस्थाएँ, हमारे बन्दीगृह और अपराध के तथाकथित गमन के हमारे सारे साधन सम्पत्ति के कारण ही विद्यमान हैं।

सम्पत्ति सारी बुराइयों की जड़ है और इसीके बटवारे तथा रक्षा की सारी दुनिया को चिंता है।

तब सम्पत्ति क्या है ?

लोग यह सोचने के आदी हैं कि सम्पत्ति सचमुच ही कुछ ऐसी वस्तु है जिसपर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है। यही कारण है कि वे उसको 'सम्पत्ति' कहते हैं। हम अपने घर और अपने हाथ के बारे में एक ही बात कहते हैं—यह 'मेरा अपना' हाथ है, यह 'मेरा अपना' घर है।

किंतु वास्तव में यह एक भूल और अंधविश्वास है। हम जानते हैं—और नहीं जानते तो आसानी से जान सकते हैं—कि सम्पत्ति दूसरे व्यक्तियों के कार्य को हड़पने का साधन मात्र है। दूसरे व्यक्तियों का कार्य निश्चय ही अपना नहीं हो सकता। इसका सम्पत्ति की वैयक्तिक धारणा के साथ कोई मेल नहीं और यह धारणा एकदम ठीक तथा निश्चित है। जिम वस्तु में मनुष्य की रुचि है और जो उसकी चेतना अर्थात् उनके अपने शरीर से सम्बन्धित है उसे मनुष्य ने सदा 'मेरी अपनी' कहा है और सदा कहता भी रहेगा। मनुष्य का शरीर ही उसकी सच्ची सम्पत्ति है और जब वह किसी ऐसी वस्तु को अपनी 'सम्पत्ति' कहता है जो उसका शरीर नहीं है किंतु जिसे वह अपने शरीर की ही भांति अपनी इच्छा के अधीन रखना चाहता है, तो वह गलती करता है, भ्रम और कष्ट में पड़ता है तथा दूसरों को कष्ट देने के लिए बाध्य होना है।

मनुष्य अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने नौकरों और अपनी अन्य वस्तुओं को अपना कहता है, किंतु वास्तविकता उसे नदा उसकी गलती बता देती है। इसलिए उसे या तो वह अन्यविश्वाम त्यागना पड़ता है या स्वयं दुःख उठाकर दूसरों को दुःख में डालने पर विवश होना पड़ता है।

आज के युग में चूकि रुपए का चलन हो गया है और सरकार उसका संग्रह करती है, हम नाममात्र के लिए मनुष्यों पर अपना स्वामित्व त्यागकर रुपए-पैसे पर स्वामित्व जतलाने लगे हैं अर्थात् दूसरे लोगों के श्रम पर अपना अधिकार जनाने लगे हैं।

किंतु पत्नी, पुत्र, नौकर या घोड़े के स्वामित्व के अधिकार की बात एक कोरी कल्पना है। वास्तविकता ने इसे छिन्न-भिन्न कर दिया है और जो इसमें अब भी विश्वास करते हैं उन्हें दुःख ही होता है, क्योंकि हमारी पत्नी अथवा हमारा पुत्र कभी हमारे शरीर की भांति हमारी इच्छा की दासता स्वीकार नहीं करेंगे और केवल हमारा शरीर ही हमारी वास्तविक सम्पत्ति रहेगा। इसी प्रकार रुपया-पैसा भी कभी हमारा अपना नहीं हो सकेगा।

वह तो केवल आत्म-प्रवचना और कष्ट का स्रोत ही होगा, जबकि हमारी वास्तविक सम्पत्ति फिर भी हमारा शरीर ही होगा, जो सदा हमारी आज्ञा का पालन करता है और हमारी चेतना के साथ बंधा हुआ है।

केवल हम-जैसे लोग, जो अपने शरीर के अतिरिक्त दूसरी वस्तुओं को भी अपनी 'सम्पत्ति' कहने के आदी हैं, यह सोच सकते हैं कि इस-प्रकार का वेसिरपैर का अन्धविश्वास लाभदायक हो सकता है और उससे हमें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। वास्तविकता पर थोड़ा-सा विचार करने से ही पता लग जायगा कि इस अंधविश्वास में भी अन्य अन्ध-विश्वासों की भांति भयंकर परिणाम छिपे हुए हैं।

एक सरलतम उदाहरण लीजिए।

मैं स्वयं को और किसी एक दूसरे व्यक्ति को भी अपनी सम्पत्ति समझता हूँ। मैं अपने को भोजन तैयार करने के योग्य बनाना चाहता हूँ। यदि मेरे मन में यह अंधविश्वास न हो कि उस दूसरे व्यक्ति पर मेरा अधिकार है तो मैं यह कार्य—और दूसरी आवश्यक कलाएँ भी—अपनी सम्पत्ति अर्थात् स्वयं अपने शरीर को सिखाऊँगा। किंतु स्थिति यह है कि यह कार्य मैं अपनी काल्पनिक सम्पत्ति को सिखाता हूँ। परिणाम यह होता है कि जब मेरा रसोइया मेरा कहना नहीं मानता या मुझे खुश करना नहीं चाहता, अथवा भाग जाता है तो मेरे सामने एक मात्र विकल्प यही रह जाता है कि अपनी व्यवस्था मैं आप करूँ। किंतु मुझे सीखने का अभ्यास तो होता नहीं; केवल यह अनुभूति भर होती है कि जितना समय मैंने उस रसोइए की चिंता करने में लगाया उतने में मैं स्वयं रसोई बनाना सीख जाता। यही बात इमारतों, कपड़ों, वर्तनों जायदाद और रुपए के बारे में भी है। जितनी भी काल्पनिक सम्पत्तियाँ हैं वे मेरे मन में ऐसी अनुपयुक्त आकांक्षाएँ जागृत कर देती हैं जो सदा पूरी नहीं हो सकती और साथ-ही-साथ मेरे लिए यह सम्भावना नहीं रह जाती कि कभी मैं अपनी सच्ची और निर्विवाद सम्पत्ति अर्थात् अपने शरीर के उस ज्ञान, उस कुशलता, उन आदतों और उस पूर्णता की प्राप्ति कर सकूँगा जो मुझे करनी चाहिए।



इसका परिणाम सदा यह होता है कि मैं अपने लिए या अपनी सच्ची सम्पत्ति के लिए कोई लाभ उठाए बिना ही ऐसी सम्पत्ति पर, जो मेरी नहीं थी और मेरी नहीं हो सकती थी, अपनी शक्ति और कभी-कभी सम्पूर्ण जीवन व्यतीत कर देता हूँ।

मैं उन चीजों को सजाता हूँ जिन्हें मैं अपना पुस्तकालय, अपनी चित्रशाला, अपने कमरे और वस्त्र मानता हूँ। मैं अपनी रूचि की वस्तुएँ खरीदने के लिए अपना निजी धन प्राप्त करता हूँ और इस सबका अंत यह होता है कि मैं अपनी काल्पनिक सम्पत्ति में उलझकर—जैसे वह वास्तव में मेरी ही हो—यह बिल्कुल भूल जाता हूँ कि मेरी निजी सम्पत्ति में—जिसपर मैं वास्तव में परिश्रम कर सकता हूँ, जो मेरी सेवा कर सकती है और सदा मेरे नियंत्रण में रहेगी—तथा उस सम्पत्ति में जिसे मैं चाहे कुछ कहूँ लेकिन मेरी नहीं है और मेरी नहीं हो सकती और न ही मेरे परिश्रम का उद्देश्य बन सकती—क्या अन्तर है।

शब्दों का अर्थ हमेशा स्पष्ट होता है जब तक कि हम जानबूझकर उनको झूठा अर्थ न प्रदान करें।

तब सम्पत्ति का क्या अर्थ है ? सम्पत्ति वह है जिसपर मेरा केवल मेरा, अधिकार है, जिसका मैं जब जो चाहूँ कर सकता हूँ, जिसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता, जो जीवन-पर्यंत मेरी ही रहती है और जिसे मुझे उपयोग में लाना, बढ़ाना और सुधारना चाहिए।

इस प्रकार की सम्पत्ति स्वयं मनुष्य अपने लिए हो सकता है।

किंतु ठीक यही अर्थ उस काल्पनिक सम्पत्ति को भी दिया जाता है जिसे प्राप्त करने के लिए संसार की समस्त भयंकर बुराइयों का जन्म होता है जैसे युद्ध, फासी, न्यायालय, बन्दीगृह, विलास, पाप, हत्या और जनता का विनाश। स्मरण रहे कि यह एक असम्भव को सम्भव बनाने का प्रयत्न होता है, ऐसे पदार्थों को प्राप्त करने का प्रयत्न होता है जो हमसे बाहर हैं और जो हमारी अपनी कदापि नहीं हो सकती।

इसलिए यदि एक दर्जन व्यक्ति आवश्यकतावश नहीं बल्कि यह सोच करके कि मनुष्य को श्रम करना चाहिए और वह जितना ही

श्रम करेगा उतना ही उसके लिए अच्छा होगा, हल चलाए या लकड़ी चीरें या जूते गाठे तो इसका क्या परिणाम होगा ? परिणाम यह होगा कि एक दर्जन व्यक्ति या अकेला एक व्यक्ति ही—अपनी बुद्धि और अपने कार्यों से अन्य व्यक्तियों को वतला देगा कि मनुष्य जिस भयकर दुःख से पीड़ित है वह न तो प्रारब्ध का नियम है, न ईश्वरीय इच्छा और न ही कोई ऐतिहासिक आवश्यकता है, वह तो एक कोरा अधविश्वास है—एक ऐसा अधविश्वास जो न तो बहुत दृढ़ है और न भयकर ही। वह एक दुर्बल और महत्त्वहीन अन्धविश्वास है और उससे छुटकारा पाने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि उसपर विश्वास ही न किया जाय और उसे गदे जाले की भांति नष्ट कर दिया जाय।

जो मनुष्य अपने जीवन के सुखद नियम का पालन करने के लिए श्रम करते हैं अर्थात् जो श्रम के नियम का पालन करने के लिए श्रम करते हैं, वे अपने को निजी सम्पत्ति के अन्धविश्वास से, जो इतने दुर्भाग्यों से परिपूर्ण है, अवश्य मुक्त कर लेंगे। और तब ससार की वे समस्त संस्थाएँ जो मनुष्य के शरीर के अतिरिक्त दूसरे प्रकार की तथा-कथित सम्पत्ति की रक्षा के लिए बनी हुई हैं, उनके लिए केवल अनावश्यक ही नहीं बल्कि भारस्वरूप हो जायगी और यह बात सबको स्पष्ट हो जायगी कि ये संस्थाएँ न केवल अनिवार्य ही नहीं हैं बल्कि हानि कारक, कृत्रिम और झूठी भी हैं।

जो व्यक्ति श्रम को अभिशाप नहीं बल्कि आनन्द समझता है उसके लिए निजी शरीर के अतिरिक्त और कोई सम्पत्ति अर्थात् दूसरे मनुष्य के श्रम का उपयोग करने की सत्ता न केवल व्यर्थ बल्कि कष्टदायक भी होगी।

यदि मैं अपना भोजन तैयार करना चाहता हूँ और यदि मुझे ऐसा करने का अभ्यास है तो किसी दूसरे व्यक्ति का मेरे लिए भोजन तैयार करना मुझे एक अभ्यस्त कार्य से बचित कर देता है और मुझे आत्म-सतोष भी प्रदान नहीं करता। इसके विपरीत जो व्यक्ति श्रम को ही जीवन समझता है, अपने जीवन को श्रम से परिपूर्ण कर लेता है और इसलिए जिसे अन्य व्यक्तियों के श्रम की कम-से-कम आवश्यकता है

अर्थात् जिसे अपने जीवन के आलस्यपूर्ण समय को सुख और आनन्द से भरने के लिए सम्पत्ति की कम-से-कम आवश्यकता है उसके लिए काल्पनिक सम्पत्ति बेकार है।

यदि किसी व्यक्ति का जीवन श्रम से परिपूर्ण हो तो उसे कमरो, भेज, कुर्सियों और तरह-तरह के सुन्दर वस्त्रों की आवश्यकता नहीं। उसे कम खर्चिले भोजन की आवश्यकता होगी और गाड़ियों तथा मन-बहलाव के साधन भी निरर्थक होंगे।

सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी श्रम को अपने जीवन का कर्त्तव्य और आनन्द समझता है वह दूसरे लोगों के श्रम से लाभ उठाकर अपने परिश्रम को कम करना पसन्द नहीं करेगा।

जो व्यक्ति अपने जीवन को कर्मक्षेत्र मानता है वह अपना यह लक्ष्य बना लेगा कि जितनी ही उसकी कुशलता और सामर्थ्य में वृद्धि होगी उतना ही अधिक वह परिश्रम करेगा और इस प्रकार अपने जीवन को उत्तरोत्तर पूर्ण बनाता जायगा।

ऐसे व्यक्ति के लिए जो कर्म के परिणाम में नहीं बल्कि स्वयं कर्म में विश्वास करता है और जो काल्पनिक सम्पत्ति को प्राप्त करना अर्थात् दूसरों के श्रम का शोषण करना अपना ध्येय नहीं मानता उसके लिए कभी श्रम के साधनों का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं हो सकता।

ऐसा व्यक्ति स्वभावतः सदा सबसे अधिक उत्पादन करनेवाले साधन को ही चुनेगा। फिर भी उसे सबसे कम उत्पादन करनेवाले साधन का प्रयोग करने पर भी समान रूप से ही संतोष मिलेगा। यदि उसके पास इजन से चलनेवाला हल होगा तो वह उससे खेत जोतेगा और यदि नहीं होगा तो घोड़े से खींचे जानेवाले हल से ही काम लेगा और यदि यह भी नहीं हुआ तो किसानवाला लकड़ी का हल ही काम में लायगा। यदि यह हल भी न हुआ तो वह फावड़े से ही खेत खोद लेगा। सारांश यह कि प्रत्येक दशा में वह अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाने के लक्ष्य में समान रूप से सफलता प्राप्त कर लेगा और इस प्रकार उसे पूर्ण संतोष मिलेगा।

ऐसा मनुष्य वाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार से उस मनुष्य की अपेक्षा अधिक सुखी होगा जो सम्पत्ति-समग्रह को अपने जीवन का लक्ष्य बना देता है। वाह्य दृष्टि से ऐसे मनुष्य को कभी अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लोग भ्रम के प्रति उमकी उत्कठा को देखकर उसके कार्य को सदा अधिक-से-अधिक लाभदायक बनाने का प्रयत्न करेंगे और ऐसा करने के लिए वे उस मनुष्य के भौतिक अस्तित्व को सुरक्षित बना देंगे। यह एक ऐसा कार्य है जो लोग सम्पत्ति के पीछे भागनेवाले व्यक्तियों के लिए नहीं करते और यह जानी हुई बात है कि भौतिक सुरक्षा में ही मनुष्य की सम्पूर्ण आवश्यकता निहित है।

भीतरी रूप से भी ऐसा व्यक्ति सम्पत्ति के लिए लालायित रहने-वाले व्यक्ति की अपेक्षा सदा अधिक सुखी होगा, क्योंकि सम्पत्ति की तृष्णा में जीवन व्यतीत करनेवाला मनुष्य अपनी मनोवाछित वस्तु कभी प्राप्त नहीं कर सकेगा, जबकि दूसरा व्यक्ति उसे अपनी शक्ति भर अवश्य प्राप्त कर लेगा। कमजोरी में, वृद्धावस्था में, मरते हुए भी वह अपने हाथ में हथियार लिए पूर्ण सतोष का अनुभव करेगा और दूसरे लोगों की प्रीति तथा सहानुभूति प्राप्त कर लेगा।

अत यदि थोड़े-से पागल और सनकी लोग दिन में दस घटे—इतना समय तो सभी बुद्धिजीवियों के पास फालतू रहता है—सिगरेट पीने, ताश खेलने और सर्वत्र अपनी सुस्ती साथ लिए मोटर में घूमने के बजाय हल चलाय, जूते बनाय और इसी प्रकार के कार्य करें तो इसका क्या परिणाम होगा ?

परिणाम यह होगा कि ये सनकी व्यक्ति ही व्यवहार रूप से दिखला देंगे कि जिस काल्पनिक सम्पत्ति के कारण मनुष्य स्वयं दुःख भोगते और दूसरों को दुःख देते हैं वह सुख के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि बाधक है और एक अन्वविश्वास के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वे सिद्ध कर देंगे कि सम्पत्ति—वास्तविक सम्पत्ति—मनुष्य का अपना मस्तिष्क और अपने हाथ-पैर है तथा इस वास्तविक सम्पत्ति का प्रसन्नता के साथ लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने निजी शरीर से

बाहर की सम्पत्ति की उस झूठी धारणा को त्याग दे जिसके लिए हम अपने जीवन की अधिकांश शक्ति खर्च कर देते हैं। ये व्यक्ति यह भी दिखला देगे कि मनुष्य काल्पनिक सम्पत्ति में विश्वास करना तभी बंद करेगा जब वह अपनी वास्तविक सम्पत्ति—अपनी सामर्थ्य, अपने शरीर—का विकास कर लेगा ताकि वह उससे सौ गुना लाभ और सुख प्राप्त कर सके जिसकी हमें कल्पना तक नहीं है। वह व्यक्ति इतना उपयोगी, शक्तिशाली और दयालु बन जायगा कि उसे जीवन के चाहे किसी भी क्षेत्र में जाना पड़े वह सदा अपने पावों पर खड़ा रहेगा, सब जगह और सबके साथ वह अपना बन्धुत्व दिखायगा और सब लोग उसके महत्त्व को समझेंगे तथा उसका सम्मान करेंगे। लोग इस एक पागल को या उस जैसे अनेक पागलों को देखकर समझ जायगे कि सम्पत्ति के अन्वविश्वास ने उन्हें जिस भयंकर ग्रथि में जकड़ रखा है उसे खोलने और उससे मुक्ति पाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। यह एक ऐसी ग्रथि है जिसमें जकड़े रहकर लोग कराहते तो रहते हैं किन्तु उससे छुटकारा पाने की युक्ति नहीं जानते।

लेकिन एक अकेला आदमी ऐसी भीड़ में क्या कर सकता है जहाँ कोई उसके विचारों से सहमत ही न हो ?

जो लोग इस प्रकार का तर्क करते हैं उनकी वेडमानी का इमसे अधिक स्पष्ट परिचय और क्या हो सकता है ? बहुत-से मल्लाह मिलकर एक नौका को धारा के विपरीत खींच ले जाते हैं। क्या उनमें से कोई मल्लाह इतना मूर्ख भी हो सकता है कि अपनी रस्मी को यह कहकर पकड़ने से इन्कार करदे कि अकेले उसमें नौका को धारा के विपरीत खींच ले जाने की पर्याप्त शक्ति नहीं है। जो मनुष्य यह अनुभव करता है कि उसके पशु-जीवन के अधिकार—अर्थात् खाने और सोने—के अतिरिक्त कुछ मानवीय कर्तव्य भी हैं, वह अपने कर्तव्य को खूब अच्छी तरह समझता है, ठीक उसी प्रकार जैसे मल्लाह अपने कर्तव्य को जानता है। मल्लाह अच्छी तरह जानता है कि उसे नौका को धारा के विपरीत खींचने के लिए, केवल अपनी शक्ति लगानी है। वह किसी और काम को करने की चिंता तभी करेगा जब उसके हाथ में रस्सी

नहीं होगी। और जो बात मल्लाहों के साथ है वही बात समान कार्य में लगे हुए सब व्यक्तियों के साथ है, प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना है कि रस्सी छूटने न पाए बल्कि मालिक ने जो दिशा बताई है उसी ओर रस्सी खींची जाती रहे। दिशा सदा एक ही रहे इसके लिए हमें बुद्धि प्रदान की गई है।

यह दिशा समस्त मनुष्यों के जीवन और अतरात्मा में और उनकी बुद्धिमत्ता की सभी अभिव्यक्तियों में इतनी स्पष्ट और असदिग्ध रूप से लक्षित कर दी गई है कि केवल वे ही व्यक्ति जो श्रम करना नहीं चाहते यह कह सकते हैं कि उन्हें यह दिशा दिखाई नहीं पडती।

अतः इसका परिणाम क्या होगा ?

यही कि एक दो आदमी नाव को खींचकर ले चलेंगे और उन्हें देखकर एक-के-बाद एक दूसरे लोग भी योग देने लगेंगे, यहां तक कि बजड़ा इतनी सरलता के साथ आगे बढ़ने लगेगा मानो आप ही चल रहा हो। इससे प्रेरित होकर ऐसे लोग भी योग देने लगे जो यह जानते ही नहीं कि क्या और क्यों किया जा रहा है।

जो लोग चेतनतापूर्वक ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं उनके कंधे से कंधा सबसे पहले वे व्यक्ति भिडायगे जो ईश्वरीय नियमों को अध चेतनता और अधविश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। बाद में आगे बढ़े हुए व्यक्तियों पर केवल विश्वास होने के कारण बहुत-से लोग योग देने लगेंगे और तब मनुष्य अपना सर्वनाश न करके सुख प्राप्त करेगा। यह काम बहुत ही शीघ्रता के साथ हो सकता है यदि हमारे वर्ग के लोग और उनके पीछे चलनेवाले कर्मजीवियों का विशाल बहुमत मलमूत्र उठाने और फेंकने में लज्जा न करे, बल्कि दूसरों-अपने भाइयों-द्वारा साफ कराने में शर्म करे, यदि वह अपने हाथों से बनाए हुए जूते पहन कर पड़ोसियों से मिलने में लज्जित न हो बल्कि बूट-जूते और मोजे पहनकर उन व्यक्तियों में जाते हुए शरमाए जिनके पैरों में पहनने को कुछ भी नहीं है, यदि फ्रांसीसी भाषा अथवा सबसे ताजे समाचार न जानने पर लज्जित न हो बल्कि रोटी बनाना न जानने के कारण रोटी खाने में शरमाए, यदि कलफ लगे हुए और सफेद-चिट्टे कपड़े न पहनने

पर लज्जित न हो बल्कि ऐसे साफ कपड़े पहनकर घूमने में शरमाए जो उसकी बेकारी के परिचायक हो और यदि वहाँ अपने मैले हाथों पर लज्जित न हो बल्कि अपने उन हाथों पर शरमाए जो श्रम न करने के कारण सुकुमार बने हुए हैं।

यह सब तभी होगा जब जनता इसकी माग करेगी और जनता इसकी माग तब करेगी जब उसके मस्तिष्क से भ्रम का वह पर्दा हट चुकेगा जो सत्य को उससे छिपाए रहता है। मेरी अपनी याद में ही इस दिशा में बड़े-बड़े परिवर्तन हो चुके हैं और ये परिवर्तन इसीलिए हुए कि जनता का मत बदल गया। मुझे वह समय याद है जब अमीर लोग चार घोड़ों की गाड़ी और दो नौकरों के बिना बाहर निकलने में लज्जा अनुभव करते थे। यदि उनके पास कपड़े और जूते पहनाने, नहलाने आदि के लिए कोई नौकर या नौकरानी न होती थी तो इसे वे अपना हेठापन समझते थे। किंतु अब वे डम बात से शरमाने लगे हैं कि वे अपने कपड़े व जूते स्वयं क्यों नहीं पहनते और नौकरों के साथ बाहर क्यों जाते हैं। ये सब परिवर्तन जनमत के कारण ही हुए हैं।

आज जनता की चेतना में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे क्या स्पष्ट नहीं हैं ? पच्चीस वर्ष पहले की दास-प्रथा को उचित ठहरानेवाली मिथ्या भावना को नष्ट भर करने की आवश्यकता थी, उसके बाद तो क्या प्रशंसनीय है और क्या लज्जाजनक इसके बारे में जनता का मत अनायास बदल गया और उसके जीवन में भी परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार आज केवल उस मिथ्या भावना को नष्ट करने की आवश्यकता है जो मनुष्य पर पैसे के बोलवाले को उचित मानती है; फिर तो क्या सराहनीय है और क्या लज्जाजनक इस बारे में जनता का मत आपसे-आप बदल जायगा और उसके साथ जीवन भी बदल जायगा।

और इस मिथ्या धारणा का नाश तथा उसके बारे में जनमत का परिवर्तन काफी तेजी से हो रहा है। इस मिथ्या धारणा की पोल खुल गई है और अब वह सत्य को छिपाने में असमर्थ है। यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो हमें पता चल जायगा कि जनमत का यह परिवर्तन

न केवल होना ही चाहिए वरन् हो भी चुका है। कमी केवल इम बात की है कि अभी वह स्वीकार नहीं किया गया है और शब्दों में व्यक्त नहीं किया गया है। हमारे युग के जो थोड़े-बहुत पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं उन्हें केवल अपने ससार-सम्बन्धी विचारों से फलित होनेवाले परिणामों पर विचार भर करने की आवश्यकता है, ऐसा करने पर उन्हें तत्काल पता चल जायगा कि अच्छे और दूरे, सराहनीय और लज्जास्पद का जो मल्याकन अब भी उनके जीवन का मार्ग-निर्देशन करता है वह उनकी जीवन-सम्बन्धी धारणाओं के एकदम विपरीत है।

हमारे समय के लोग यदि अपने आलस्य में बिताए जानेवाले जीवन से एक क्षण को अलग हटकर उसकी तुलना अपनी विश्व-सम्बन्धी धारणाओं के साथ निष्पक्षतापूर्वक करें तो उन्होंने अपनी धारणाओं के साथ जीवन की जो परिभाषा निश्चित कर रखी है वह उन्हें भयभीत कर देगी।

उदाहरण के लिए धनिक वर्ग के एक नवयुवक को ले लीजिए, चाहे उसकी प्रवृत्तियाँ कौसी भी क्यों न हो। स्मरण रहे कि नवयुवकों में जीवन-शक्ति अधिक तीव्र और आत्म-चेतना अधिक घुघली होती है। प्रत्येक सम्य नवयुवक बुढ़े, बच्चे अथवा महिला की सहायता न करने में लज्जा अनुभव करता है। वह सोचता है कि दूसरे व्यक्ति के स्वास्थ्य अथवा जीवन को सकट में डालना और स्वयं को बचाना लज्जाजनक है। तूफान आने पर खिरगिज क्या करते हैं, इस सम्बन्ध में शुएलर\* हमें जो बातें बताता है, उसे हरेक व्यक्ति लज्जाजनक और बर्बरतापूर्ण समझता है। तूफान के समय वे अपनी पत्नियों तथा बड़ी-बूढ़ियों को खेमे के खूटे पकड़े रहने के लिए भेज देते हैं और स्वयं खेमे में बैठे शराब पीते रहते हैं। किसी दुर्बल व्यक्ति से जवर्दस्ती अपना काम कराने में प्रत्येक व्यक्ति को लज्जा आती है और इससे

---

\* यूजिन शुएलर (१८४०-१०) पीटर्सवर्ग में सन् १८७३ से ७६ तक अमरीकी दूतालय का सेक्रेटरी था। सन् १८७३ में उसने मध्य एशिया का दौरा किया था।



भी अधिक शर्म की बात तब होती है जब किसी संकट के समय— उदाहरण के लिए जहाज में आग लग जाने पर—ताकतवर लोग कमजोरो को एक ओर धकेल देते हैं और उन्हें संकट में छोड़कर स्वयं रक्षा-नौका पर पहले चढ़ने का प्रयत्न करते हैं। नवयुवक इस सबको लज्जास्पद समझते हैं और कुछ असाधारण परिस्थितियों में ऐसा कभी नहीं करेंगे। किंतु दैनिक जीवन में इसी प्रकार के, वरन् इनसे भी बुरे कार्य, वे नित्य करते रहते हैं यद्यपि प्रलोभनवश ये काम उनकी आखों से छिपे रहते हैं।

इन बातों पर यदि वे सोचें भर तो इनके परिणामों को देखकर वे काप उठेंगे।

एक नवयुवक रोज धुली हुई कमीज पहनता है। उसे नदी पर कौन धोता है ? एक महिला, जो प्रायः वृद्धा होती है और जो नवयुवक की दादी या मा की उम्र की हो सकती है और कभी-कभी वीमार भी हो जाती है। यह नवयुवक यदि किसी दूसरे व्यक्ति को केवल सनक के कारण अपनी साफ कमीज उतारकर एक ऐसी वृद्धा महिला को धोने के लिए देते हुए देखे जो उसकी मा की आयु की हो सकती है, तो वह उसके लिए क्या सोचेगा ?

मान लीजिए एक नवयुवक गान दिखाने के लिए कुछ घोड़े रखता है। सकट के समय इन घोड़ों को एक ऐसा आदमी सम्हालता है जो उसके पिता या पितामह की आयु का होता है। स्वयं नवयुवक इन घोड़ों पर तब चढ़ता है जब सकट निकल जाता है। यह नवयुवक उन व्यक्ति को क्या समझेगा जो अपने आनन्द के लिए स्वयं अपना बचाव करके दूसरे को सकट में झोक देता है ?

अमीरो का सारा जीवन ही इस प्रकार के कार्यों का मसूह होता है। हम अपने जीवन में बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों से बेहद परिश्रम कराते हैं और दूसरों की जान जोखिम में डालकर उनसे काम लेते हैं। यह सब हम इसलिए नहीं कराते कि हमें कुछ कार्य करने का समय मिल जाय, बल्कि इसलिए कि हमारी सनक पूरी हो सके। मछेरा हमारे लिए मछलिया पकड़ता हुआ डूब जाता है; घोविन ठंड खाकर

मर जाती है, लुहार अघे हो जाते हैं, मजदूर बीमार पड़ जाते हैं और मशीनों से क्षत-विक्षत हो जाते हैं, लकड़हारे पेड़ गिराते समय उनके नीचे दब जाते हैं, राज छत पर से गिर पड़ते हैं और दर्जिनें क्षय-ग्रस्त हो जाती हैं। जीवन के सभी सच्चे काम क्षति और जोखम उठाकर किये जाते हैं। इसे छिपाना और न देखना असम्भव है। इस स्थिति से बाहर निकलने का एकमात्र मार्ग यही है कि दूसरों से केवल वही लिया जाय जो जीवन के लिए आवश्यक है और वास्तविक कार्य स्वयं अपने जीवन की क्षति और जोखम उठाकर किये जाय।

शीघ्र ही वह समय आयगा—सच पूछिए तो आने लगा है—जब न केवल नौकरो द्वारा परोसा गया त्रि-विध व्यजनोवाला भोजन खाना लज्जाप्रद और अपमानजनक समझा जायगा, बल्कि जिस भोजन को स्वयं भेजवानों ने अपने हाथ से न बनाया हो उसे ग्रहण करना भी समान रूप से लज्जाप्रद और अपमानजनक होगा। जबकि पैरो से काम लिया जा सकता है तो तेज घोड़ोवाली बग्घी की बात तो दूर रही एक साधारण घोड़ा-गाड़ी में घूमना भी लज्जाजनक होगा। काम के दिनों में ऐसे कपड़े, जूते या दस्ताने पहनना जिनसे काम न हो सके, अथवा अधिक या कम कीमत का ऐसा पियानो बजाना जिनके लिए दूसरे अजनबी व्यक्तियों को परिश्रम करना पड़े, कुत्ते को दूध और डबलरोटी खिलाना जबकि ऐसे भी आदमी हैं जिन्हें दूध और साधारण रोटी मयस्सर नहीं; और मोमबतियां या स्टोव जलाना जबकि दूसरों के पास आग या प्रकाश का अभाव है, ये सब कार्य लज्जास्पद हो जायगे। ऐसी विचारधारा की ओर हम अनिवार्य रूप से और तेजी से बढ़ रहे हैं। हम एक नए जीवन के किनारे पर आ खड़े हुए हैं। इस नए जीवन को सस्थापित करना जनमत का कार्य है और इस प्रकार का जनमत तेजी से बनता जा रहा है। महिलाएँ ही जनमत बनाती हैं और हमारे युग में तो महिलाएँ विशेष रूप से प्रभाव-शालिनी हैं।

## स्त्रियों का कार्यक्षेत्र

जैसा कि वाइविल में कहा गया है, पुरुष के लिए मेहनत-मजदूरी का नियम बनाया गया है और स्त्री के लिए सन्तानोत्पत्ति का। विद्वान् चाहे कुछ भी कहे, इन नियमों में परिवर्तन नहीं होता, ठीक उसी प्रकार जैसे यकृत सदा अपने ही स्थान पर रहता है। इस नियम को भंग करने की एक मात्र सजा आज भी मृत्यु ही है।

अतः केवल इतना है कि यदि पुरुष अपने कर्त्तव्य की अवहेलना करेगा तो उनको इसका मृत्यु-दण्ड निकट भविष्य में ही मिल जायगा जिसे हम वर्तमान कह सकते हैं, किन्तु यदि स्त्रियाँ ऐसा करेंगी तो उसकी सजा उन्हें कुछ अधिक दूर भविष्य में मिलेगी। समस्त पुरुषों द्वारा नियम का उल्लंघन होने पर मनुष्य-जाति तत्काल नष्ट हो जाती है, जब कि समस्त स्त्रियों द्वारा उल्लंघन होने पर अगली पीढ़ी नष्ट होती है। किन्तु कुछ पुरुषों और कुछ स्त्रियों द्वारा नियम भंग होने पर समस्त मानव-जाति नष्ट नहीं होती, उससे केवल अपराधियों के मानवीय गुणों का ह्रास हो जाता है।

जिन वर्गों के लोग दूसरों पर बलात्कार करने में समर्थ थे उनमें पुरुषों ने अपने कर्त्तव्य की अवज्ञा बहुत पहले आरम्भ कर दी थी। वह सतत बढ़ती जा रही है और अब हमारे समय में आकर उसने पागलपन का रूप ग्रहण कर लिया है। श्रम के नियम का यह उल्लंघन अब एक आदर्श बन गया है, जिसे राजकुमार वञ्छोखिन ने अपने सिद्धांतों में व्यक्त किया है और जिसका रैनों तथा समस्त शिक्षित सप्ताह ने समर्थन किया है। उनके कथनानुसार मशीनें काम करने के लिए हैं, जब कि मनुष्य आनन्द-भोग करनेवाले स्नायुओं का पुतला है।

स्त्रियों के कर्तव्यच्युत होने के उदाहरण प्रायः नहीं-से रहे हैं। कभी-कभी वेश्यावृत्ति और भ्रूणहत्या के रूप में यह अभिशाप प्रकट हुआ है। धनिक वर्गों में जब पुरुषों ने अपना कर्तव्य-पालन बन्द कर दिया, स्त्रियाँ अपने कर्तव्यों का पालन करती रहीं जिसका परिणाम यह हुआ कि स्त्रियों का प्रभाव बढ गया तथा वे पुरुषों पर शासन करने लगीं। वे आज भी ऐसा कर रही हैं, जैसा कि होना भी चाहिए। पुरुषों ने अपने नियम को भंग किया और परिणामतः उनकी विवेक-शक्ति नष्ट हो गई।

प्रायः कहा जाता है कि स्त्रियाँ—विशेषकर पेरिस की सन्तानहीन स्त्रियाँ—सभ्यता के समस्त साधनों का उपयोग कर इतनी मोहक बन गई हैं कि उन्होंने अपनी मोहिनी से पुरुषों पर जादू कर दिया है। यह धारणा न केवल गलत है बल्कि सत्य के विलकुल विपरीत है। पुरुष पर जादू सन्तानहीन स्त्री ने नहीं बल्कि माँ ने किया है जो पुरुषों के कर्तव्यच्युत होने पर भी अपने प्राकृतिक नियम का पालन करती रही है।

जो स्त्री बनावटी उपायों से अपने को सन्तानवती होने से बचाती है और अपने ऊँचे कन्धों तथा धुंधराले केशों का प्रदर्शन कर पुरुष को मोहने की चेष्टा करती है वह पुरुष को बश में करनेवाली स्त्री नहीं है, वह तो पुरुष से भ्रष्ट होकर, उसके ही स्तर पर उतर आई है और उसने भी पुरुष की ही भाँति अपने कर्तव्य को छोड़ दिया है और उसकी जीवन-सम्बन्धी समस्त बुद्धिसंगत धारणाएँ नष्ट हो चुकी हैं।

इसी भूल से उस वितडावाद का जन्म हुआ है जिसे स्त्रियों के अधिकार कहकर पुकारा जाता है।

इन अधिकारों का आधारसूत्र यह है स्त्री कहती है—“ओ पुरुष, तूने तो अपने सच्चे कार्य को त्याग दिया है और तू हमसे चाहता है कि हम अपना बोझ उठाते फिरें। नहीं! यदि ऐसा है तो हम भी तुम्हारी ही तरह वैको, मन्त्रालयों, विश्वविद्यालयों, शिक्षालयों तथा कलाशालाओं में कार्य करके श्रम का ढोंग रच सकती हैं। हम भी

तुम्हारी ही तरह दूसरे लोगो के परिश्रम का फायदा उठाना चाहती है और श्रम-विभाजन के वहाने केवल अपनी वासनाओ की पूर्ति में ही जीवन बिताना चाहती है ।”

वे ऐसा कहती ही नहीं हैं, बल्कि करके दिखला देती हैं कि वे श्रम का ढोग पुरुषो से बुरा नहीं बरन् अच्छा ही रच सकती हैं ।

स्त्रियो के यथाकथित अधिकारो का प्रश्न ऐसे पुरुषो में उठा—और ऐसे ही पुरुषो में वह उठ भी सकता था—जिन्होंने अपने सच्चे परिश्रम के नियम का उल्लंघन किया । अतः यदि हम अब एक बार फिर श्रम के उसी नियम पर वापस लौट जाय तो स्त्रियो के अधिकार का प्रश्न ही न उठे ।

जो स्त्री स्वयं अपने लिए निर्दिष्ट किये गए कार्यों में सलग्न रहती है वह कभी खान खोदने में अथवा हल चलाने में पुरुष का हिस्सा बढ़ाने का अधिकार नहीं मागेगी । वह तो केवल घनिक वर्ग के झूठे श्रम में ही हिस्सा माग सकती है ।

हमारे वर्ग की स्त्री पुरुष में अधिक शक्तिशाली हैं, इसका कारण यह नहीं है कि वह आकर्षक हैं या पुरुष की ही भांति श्रम का ढोग रचने में पटु हैं । इसका कारण यह है कि उनमें अपने कर्तव्य का उल्लंघन नहीं किया और जान को जोखम में डालकर तथा अधिक-से-अधिक चेष्टा करके सच्चे परिश्रम को बहन किया—उम सच्चे परिश्रम को जिससे घनिक वर्ग के पुरुष ने अपने को मुक्त कर लिया था ।

स्त्रियो का पतन, उनकी अपने कर्तव्य की अवहेलना करने की प्रवृत्ति मेरी याद में ही आरम्भ हुई और मेरी याद में ही वह दिन-दूनी रात-बौगुनी फैलती गई है । स्त्रियो ने अपने सच्चे कर्तव्य को भूल कर यह सोच लिया है कि उनकी शक्ति उनके सौंदर्य के आकर्षण में है या इस बात में कि पुरुष जिस झूठे परिश्रम का स्वाग रचते हैं उसकी वे कितनी चतुराई से नकल कर सकती हैं ।

किंतु सतान इन दोनों बातों में बाधक होती है । इसलिए मेरे देखते-ही-देखने घनी वर्ग के लोगो में विज्ञान की सहायता से—विज्ञान सदा ही गन्दे कार्य करने को तैयार रहता है—गर्भ-निरोध के दर्जनो उपाय

काम में लाए जाने लगे हैं और इससे सम्बन्ध रखनेवाली सामग्रियां स्नानागार की साधारण सामग्रियां बन गई हैं। इस प्रकार घनिकवर्ग की माताएं, जिनके हाथ में शक्ति थी, अब अपनी उस शक्ति को साधारण महिलाओं से हौड करने में और उन्हें अपने से आगे न बढ़ने देने में व्यय कर रही हैं।

यह बुराई दूर-दूर तक फैल गई है और दिन-प्रति-दिन और भी अधिक फैलती जाती है और वह समय दूर नहीं जब वह घनी वर्गों की समस्त स्त्रियों तक पहुंच जायगी। तब स्त्रियां पुरुषों के ही धरातल पर पहुंच जायगी और उनकी ही भांति जीवन के प्रति तर्कसंगत दृष्टिकोण खो बैठेंगी। उस अवस्था में उस वर्ग के उद्धार का कोई मार्ग नहीं रह जायगा। किंतु अब भी समय है, क्योंकि इतना होने पर भी आज भी पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ही अपने कर्तव्य का अधिक पालन करती हैं और इस कारण उनमें से बहुत-सी अब भी समझदार हैं। इसलिए हमारे वर्ग की कुछ महिलाओं में अब भी अपने वर्ग की रक्षा करने की शक्ति है।

काश, ये महिलाएं अपने मूल्य और अपनी शक्ति को समझ पातीं और इन्हें अपने पतियों, भाइयों और बच्चों—दूसरे शब्दों में यों कहिए कि समस्त मानव-जाति—की रक्षा करने के काम में ला सकतीं।

घनिक वर्गों की माताओं! आज पुरुषवर्ग जिन बुराइयों से पीड़ित है उनसे मुक्ति दिलाने की शक्ति केवल तुम्हारे हाथों में है। मेरा सकेत उन महिलाओं से नहीं है जो पुरुषों को आकर्षित करने के लिए दिन-रात बनाव-सिगार में व्यस्त रहती हैं और जो भूलवश या निराशा के कारण अपनी इच्छा के विरुद्ध बच्चे तो पैदा करती हैं किंतु उन्हें दुधारू धात्रियों\* को सौंप देती हैं। मेरा अभिप्राय उन महिलाओं से भी नहीं है जो विश्वविद्यालयों की विभिन्न श्रेणियों में शिक्षा पाती हैं, मनोविज्ञान तथा गणित के बारे में बातचीत करती हैं और अपने विकास में बाधा न पहुंचने देने के उद्देश्य से सतानोत्पत्ति से बचने का

\*रूस में धात्रियों का प्रयोग इंग्लैंड आदि की अपेक्षा अधिक होता है।

प्रयत्न करती हैं। मेरा अर्थ उन महिलाओं और माताओं से है जो सन्तति-निरोध की सामर्थ्य रखते हुए भी इस शाश्वत नियम के आगे सहज भाव से और जानबूझकर आत्मसमर्पण कर देती हैं—यह जानते हुए कि इसके लिए कष्ट उठाना और परिश्रम करना उनका कर्तव्य है। धनिक वर्गों की इन स्त्रियों और माताओं में ससारी पुरुषों को बुराइयों से मुक्ति दिलाने की शक्ति औरों की अपेक्षा अधिक होती है। ऐसी माताओं, ईश्वरीय नियम के आगे इस प्रकार जानबूझकर समर्पण करने वाली स्त्रियों और माताओं! हमारे दुःखी और बहके हुए वर्ग में, जिसमें अब मानव होने की कोई क्षमता ही नहीं रह गई है, केवल आप ही ईश्वरीय-विधान के अनुसार जीवनयापन करने के सच्चे अर्थ को जानती हैं। आप ही अपने उदाहरण से पुरुषों को दिखला सकती हैं कि जिस ईश्वरीय इच्छा से वे अपने को वचित कर लेते हैं उसके आगे नतमस्तक होने में ही जीवन का सुख है। केवल आप ही उस आनन्द, उल्लास और सौभाग्य का पूर्ण ज्ञान रखती हैं जो ईश्वरीय नियम का उल्लंघन न करने पर ही पुरुषों को प्राप्त हो सकता है। आप अपने पति के उस प्यार के आनन्द को जानती हैं, जो कभी समाप्त नहीं होता, जो अन्य आनन्दों की भाँति भग नहीं हो पाता वल्कि जो वात्सल्य के नए आनन्द का सूत्रपात करता है। केवल आप ही ईश्वरीय इच्छा के समक्ष सरल भाव से सिर झुकाकर श्रम के महत्त्व को जान पाती हैं—वह श्रम नहीं, जिसका वर्दियों और प्रकाश से जगमगाते भवनो में झूठा प्रदर्शन किया जाता है वल्कि वह श्रम, जो ईश्वर ने हमपर लादा है। आप इस श्रम के पारितोषिक को तथा इससे प्राप्त होनेवाले सुख को जानती हैं।

माताओं, इस श्रम का सच्चा रूप आपके सामने तब आता है जब प्रणय के सुख-भोग के बाद आप उत्तेजना, भय और आशा के साथ गर्भावस्था की उस पीड़ा की प्रतीक्षा करती हैं, जो आपको नी मास के लिए रुग्ण बना देती है, जो आपको मृत्यु के द्वार पर ले जाती है और जिसके कारण आपको असह्य यातना भोगनी पड़ती है। इन भयकरतम पीड़ाओं के आगमन और वृद्धि की प्रसन्नतापूर्वक प्रतीक्षा

करने के बाद आपके लिए एक अतुल सुख का भंडार खुल जाता है ।

आपको इसकी अनुभूति तब होती है जब आप इन यातनाओं के बाद फौरन बिना विश्राम किये ही नए श्रम और नए कष्ट का भार ग्रहण कर लेती हैं—यह नया श्रम और यह नया कष्ट होता है शिशु-पालन का, जिसमें आप तुरन्त लीन हो जाती हैं और अपने कर्तव्य तथा भावनाओं के आगे मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता नींद तक को—जो एक कहावत के अनुसार मा-बाप से भी अधिक प्यारी होती है—नगण्य समझती हैं । आप महीनो और वर्षों तक एक रात भी चैन से नहीं सो पाती । कभी-कभी, नहीं, नहीं, अक्सर, कई-कई रातों तो बिना सोए ही निकल जाती हैं, जहाँ आप अपनी बाहों में रुग्ण शिशु को थाम्हे कम्पित हृदय से इधर-से-उधर टहलती रहती हैं ।

और जब आप यह सब बिना किसीसे प्रशंसा पाए, बिना किसी के देखे और बिना किसीसे श्लाघा या पुरस्कार की आशा किये करती हैं, जब आप इसे लाभ के तौर पर नहीं, बरन् अपना कर्तव्य समझकर मजदूर के तौर पर करती हैं—तब आप जानती हैं कि पुरुषों की प्रशंसा के लिए की गई झूठी कल्पित मेहनत में और ईश्वरीय इच्छा की पूर्ति के लिए किये गए सच्चे श्रम में—जिसका सकेत आप अपने हृदय में महसूस करती हैं—क्या अंतर है ।

आप जानती हैं कि यदि आप सच्ची मा हैं तो केवल इतना ही नहीं होगा कि लोग आपके श्रम को देखने की चिंता नहीं करेंगे और उसके लिए आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे, बल्कि यह भी होगा कि स्वयं वे लोग जिनके लिए आपने परिश्रम किया है न केवल आपको धन्यवाद ही नहीं देंगे बल्कि प्रायः आपको सतायेंगे और बुरा-भला कहेंगे । इतने पर भी आप दूसरी सन्तान के लिए यातना सहेंगी, फिर प्रसव की अनदेखी भयंकर पीडा सहन करेंगी, फिर किसीसे पुरस्कार की आशा नहीं करेगी और फिर उसी सतोष का अनुभव करेंगी । यदि आप ऐसी महिला हैं तो आपमें पुरुषों पर प्रभाव डालने की क्षमता होनी चाहिए । सब पूछिए तो आप ही के हाथों में उनकी मुक्ति निहित है ।



किंतु आपकी संख्या प्रतिदिन घटती जाती है आपमें से कुछ अपने को पुरुषों को मोहने की चेष्टा में लगाने लगी है और बाजारू औरत बन गई है। कुछ दूसरी पुरुषों से उनके कृत्रिम, नगण्य धर्मों में होड़ करने लगी है। कुछ ऐसी भी है जो अभी अपने कर्तव्य के प्रति झूठी तो नहीं बनी है किंतु जो इसे मन-ही-मन बुरा समझती है। वे महिलाओं और माताओं के समस्त कार्यों को पूरा तो करती हैं, किंतु उनपर मातृत्व का जो भार इच्छा न रहते हुए दैवयोग ने आ पड़ता है उसे वे बड़ी ही खिन्नता के साथ वहन करती हैं और मन-ही-मन स्वतन्त्र, वध्या महिलाओं से ईर्ष्या करती हैं। इस प्रकार वे अपने को श्रम के एकमात्र पुरस्कार—ईश्वरीय इच्छा की पूर्ति करने के आत्म-सतोष—से वंचित कर लेती हैं। इस प्रकार जिम मुग्ध से उन्हें मनोंप होना चाहिए उसीसे वे पीड़ित होती हैं।

हम अपने जीवन के झूठे ढग से इतने भ्रमित हो गए हैं, हमारे वर्ग के लोगों ने जीवन की नमझ इतनी अधिक लो दी है, कि हमारे बीच में अब कोई अन्तर नहीं रह गया है। जीवन के समस्त भार और खतरे को दूसरों की पीठ पर डालकर भी हम अपने को उन मच्चे नाम से नहीं पुकारते जिससे कि उन लोगों को पुकारना चाहिए जो अपने लिए समस्त सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने में दूसरों का सर्वनाश कर देते हैं—वह नाम है वदमाश और कायर।

किंतु स्त्रियों में अब भी दो वर्ग हैं। कुछ ऐसी हैं जिनमें मानव के सर्वोच्च रूप के दर्शन होते हैं, और कुछ वेध्याए हैं। यह भेद ऐसा है जिसे भावी सतति तो मानेगी ही, हमें भी स्वीकार करना पड़ेगा।

स्त्री चाहे कैसा भी साज-भूंगार क्यों न करे, वह अपने को चाहे किसी भी नाम से क्यों न पुकारे और वह चाहे कितनी भी नुमस्कृत क्यों न हो, यदि वह भोग-विलास का परित्याग किये बिना नन्तानोत्पत्ति में वचती है तो वह निस्सदेह एक वेध्या है। इसी प्रकार स्त्री चाहे कितनी भी पतित क्यों न हो, यदि वह अपने को इच्छापूर्वक नन्तानोत्पत्ति के कार्य में लगाती है तो वह जीवन की सर्वोत्तम और सर्वोच्च सेवा करती

हैं अर्थात् ईश्वर की इच्छा का पालन करती हैं। निश्चय ही उससे बढ़कर और कोई नहीं।

यदि आप इस प्रकार की स्त्री हैं तो आप दो बच्चों के बाद या तीस बच्चों के बाद भी यह नहीं कहेंगी कि आपने काफी बच्चे पैदा कर लिये हैं—ठीक उसी प्रकार जैसे एक पचास वर्ष का मजदूर जो नियमित रूप से खाता-पीता और सोता है और जिसकी मास-पेशियों में काम करने की शक्ति है यह नहीं कहेगा कि उसने काफी काम कर लिया है। यदि आप ऐसी स्त्री हैं तो आप अपने बच्चों के लालन-पालन का भार किसी दूसरी मा पर नहीं डालेंगी—ठीक उसी प्रकार जैसे एक मजदूर एक काम को प्रारम्भ करने के बाद और उसे लगभग पूरा कर लेने पर किसी दूसरे व्यक्ति से उसे पूरा करने को नहीं कहेगा। इसका कारण यह है कि इस प्रकार के कार्य में आपने अपना जीवन लगा दिया है और यह काम आपके पास जितना ही अधिक होगा उतना ही अधिक आपका जीवन पूर्ण और सुखी होगा।

और यदि आप इस प्रकार की स्त्री हैं—पुरुषों के सौभाग्य से ऐसी स्त्रियाँ अब भी दिद्यमान हैं—तो ईश्वरीय इच्छा-पालन के जिस नियम से आप स्वयं अपने जीवन का मार्गदर्शन करती हैं उसे आप अपने पति के, अपने बच्चों के और अपने निकटस्थों के जीवन पर भी लागू करेंगी।

यदि आप ऐसी हैं और अपने निजी अनुभव से जानती हैं कि जो श्रम जान को जोश्रम में डालकर और दूसरों के जीवन के लिए अधिकतम प्रयत्नों के साथ आत्मत्याग की भावना से किया जाता है और जिसे न कोई देखता है और न जिसके लिए कोई पारितोषिक ही मिलता है वही श्रम मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है और उसीसे उसको सतोष और शक्ति मिलती है—यदि आप यह सब जानती हैं तो दूसरी से भी ऐसे ही श्रम की अपेक्षा करेंगी, अपने पति को ऐसे श्रम के लिए प्रेरित करेंगी, ऐसे ही श्रम द्वारा मनुष्य की योग्यता का मूल्यांकन करेंगी तथा ऐसे श्रम के लिए अपने बच्चों को भी तैयार करेंगी।

केवल वह मा जो सन्तानोत्पत्ति को एक अप्रिय दुर्घटना समझती है और सोचती है कि जीवन का सार प्रेमानन्द, सासारिक सुख-सुविधाओं, शिक्षा और मेलजोल में है, केवल ऐसी मा अपने बच्चों का पालन-पोषण इस प्रकार करेगी जिससे कि उन्हें अधिक-से-अधिक आनन्द मिले और वे उनका अधिक-से-अधिक उपभोग करें। वह उन्हें सुस्वादु भोजन खिलायगी, अच्छे वस्त्र पहनायगी, कृत्रिम मनोरंजन प्रदान करेगी और ऐसी शिक्षा देगी जो उन्हें प्राणों को हथेली पर रखकर और पूर्ण प्रयत्नों के साथ त्यागमय परिश्रम करने के योग्य बनाने के बजाय उनके लिए उपाधिया प्राप्त करेगी और श्रम न करने का अवसर प्रदान करेगी। केवल ऐसी स्त्री—जिसके लिए जीवन का कोई महत्त्व नहीं रह जाता—अपने पति के उस छलपूर्ण और झूठे कार्य के साथ सहानुभूति रखेगी जिसके द्वारा वह स्वयं को तो मनुष्योचित कर्तव्यों से मुक्त रखकर दूसरे व्यक्तियों के श्रम का उपयोग करता ही है साथ-ही-साथ अपनी पत्नी को भी कराता है। केवल इसी प्रकार की स्त्री अपने पति-जैसे व्यक्ति को अपनी पुत्री का पति बनाना पसन्द करेगी और व्यक्तियों का मूल्यांकन उनके निजी गुणों के आधार पर नहीं बल्कि उनसे सम्बन्धित वस्तुओं के आधार पर करेगी—जैसे सामाजिक स्थिति, धन और दूसरे व्यक्तियों के श्रम को हड़पने की क्षमता। एक सच्ची मा, जो अपने अनुभवों से ईश्वरीय विधान को समझ गई है, अपने बच्चों को भी उसी विधान का पालन करने के लिए तैयार करेगी। अपने बच्चे को अधिक खाते-पीते, ज़नाना वनते और अच्छे वस्त्र पहनते देखकर ऐसी मा को दुःख होगा, क्योंकि वह जानती है कि ये चीजें उसके लिए ईश्वर की इच्छा का पालन करना कठिन बना देगी।

इस प्रकार की मा अपने पुत्र या पुत्री को ऐसी शिक्षा नहीं देगी जिससे वह श्रम से बचने के लोभ का शिकार बन जाय बल्कि ऐसी शिक्षा देगी जिससे वह जीवन के श्रम को वहन करने योग्य बन सके। उसे यह पूछने की आवश्यकता न होगी कि वह अपने बच्चों को क्या सिखाए, अथवा उन्हें किस कार्य के लिए तैयार करे। वह जानती है कि

पुरुष का कार्य क्या है और उसे क्या सिखाया जाय तथा किस कार्य के लिए तैयार किया जाय । ऐसी स्त्री न केवल अपने पति को इस प्रकार के कृत्रिम, झूठे कार्य के प्रति प्रेरित नहीं करेगी जिसका एकमात्र उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के श्रम का उपयोग करना है बल्कि उन सभी कार्यों को भी, जो उसके बच्चों को दुहरा प्रलोभन प्रदान करते हैं, घृणा और भय की दृष्टि से देखेगी । ऐसी स्त्री अपनी पुत्री के लिए पति का चुनाव यह देखकर नहीं करेगी कि उस पुरुष के हाथ सफेद हैं या उसके व्यवहार सुसंस्कृत है बल्कि चूँकि वह सच्चे और कृत्रिम श्रम का अन्तर जानती है इसलिए वह सदा और सर्वत्र मनुष्य के सच्चे श्रम को महत्त्व देगी जिसमें प्राणी तक का सकट होता है । साथ-ही-साथ झूठे दिखावटी श्रम को, जिसका उद्देश्य स्वयं को सच्चे कार्य से मुक्त कर लेना है, वह घृणा की दृष्टि से देखेगी । इस प्रकार के श्रम की अपेक्षा वह सर्वप्रथम अपने पति से करेगी और दूसरो से भी इसी सद्गुण की माग करेगी ।

जो महिलाएँ अपने को नारी के कर्तव्य से मुक्त रखकर भी उसके अधिकारों से लाभ उठाना चाहती हैं वे यह न कहें कि जीवन के प्रति ऐसा दृष्टिकोण मा के लिए असम्भव है । वे यह न कहें कि वे अपने बच्चों के प्रेम में इतनी अधिक पगी होती हैं कि उनके लिए यह सम्भव नहीं कि वे उन्हें सुस्वादु भोजन, मनोरजन और अच्छे वस्त्र न दें और पति के पास धन न होने पर अथवा पति के अच्छी स्थिति में न होने पर अपने बच्चों की सुरक्षा की ओर से उदासीन रहें या अपनी विवाहयोग्य पुत्रियों और अशिक्षित पुत्रों के भविष्य की ओर से निर्दिष्ट हो जायं ।

यह सब झूठ है, एकदम सफेद झूठ । एक सच्ची मा ऐसा कभी नहीं कहेगी ।

आप कहती हैं कि आप अपने बच्चों को मिठाई और खिलौने देने तथा सरकस ले जाने की इच्छा का सवरण नहीं कर सकती । किंतु क्या आप उन्हें विषैले फल खाने को नहीं देती ? और उन्हें गणिकाओं के होटल में नहीं ले जाती ? फिर क्या बात है कि कुछ मामलों में आप अपने को रोक सकती हैं और कुछ में नहीं ?

इसका कारण यह है कि आप जो कुछ भी कह रही हैं वह सच नहीं है ।

आप कहती हैं कि आप अपने बच्चों से प्यार करती हैं इसलिए आपको उनके जीवन की चिन्ता है, उनकी भूख और बीमारी की चिन्ता है, और आप अपने पति की स्थिति से प्राप्त सुरक्षा को महत्त्व देती हैं; हालांकि आप उस स्थिति को अनुचित मानती हैं ।

आपको अपने बच्चों की भावी सम्भावित विपत्तियों की—अत्यंत दूरवर्ती और सदिग्ध विपत्तियों की—इतनी आशंका है कि आप अपने पति को ऐसे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करती हैं जिन्हें आप स्वयं अनौचित्यपूर्ण समझती हैं । किंतु वर्तमान परिस्थितियों में आप अपने बच्चों को आजकल के जीवन की अभागी घटनाओं से बचाने के लिए क्या कर रही हैं ?

क्या आप दिन का अधिक भाग अपने बच्चों के साथ व्यतीत करती हैं ? यदि आप उसका दसवा हिस्सा भी व्यतीत करती हो तो बहुत है ।

शेष समय आपके बच्चे अपरिचितों और गली-गली फिरनेवाले नौकरो के पास रहते हैं, या ऐसी सस्थाओं में रहते हैं जहां शारीरिक तथा नैतिक छूत के लिए निरन्तर भय बना रहता है । आपके बच्चे खाते हैं और पोषण प्राप्त करते हैं । उनका भोजन कौन तैयार करता है और उस भोजन में क्या-क्या होता है ? अधिकांश में आप इस बात को नहीं जानती । इसी प्रकार आप यह भी नहीं जानती कि कौन उनमें नैतिक भावनाएं भरता है । इसलिए यह न कहिए कि आप अपने बच्चों की भलाई की खातिर बुराडया सहन करती हैं । यह सच नहीं है । आप बुराई डमलिए करती हैं कि वह आपको पसन्द है ।

एक सच्ची मा जो सतान की उत्पत्ति और उसके पालन-पोषण में त्यागपूर्ण कर्तव्य और ईश्वरीय इच्छा की पूर्ति देखनी है, ऐसी बात नहीं कहेगी । वह ऐसा नहीं कहेगी, क्योंकि वह जानती है कि उसका कार्य अपने बच्चों को अपनी इच्छा अथवा समय की प्रचलित प्रवृत्ति के अनुसार ढालना नहीं है । वह जानती है कि मनुष्य को जो सबसे बड़ी और पवित्र वस्तु देखने को मिली है वह ये बच्चे ही हैं—हमारी

भावी पीढी । वह यह भी जानती है कि इस पवित्र वस्तु की तन-मन से सेवा करना ही उसका जीवन है ।

सतत जीवन और मृत्यु के बीच झूलते रहने के कारण और एक प्रस्फुटित होते हुए जीवन की रक्षा का भार होने के कारण वह स्वयं जानती है कि जीवन और मृत्यु उसके अधिकार में नहीं है, उसका काम तो जीवन की सेवा करना है । इसलिए वह इस सेवा के लिए दूर के रास्ते नहीं खोजेगी बल्कि जो मार्ग निकटस्थ है उसकी अवहेलना नहीं करेगी ।

ऐसी मा बच्चे पैदा करेगी, स्वयं उनका पालन-पोषण करेगी अपने से पहले दूसरो को खाना खिलाएगी, बच्चो के लिए भोजन तैयार करेगी, उनके कपडे सिएगी और धोएगी, उन्हें शिक्षा देगी और उनके साथ सोएगी तथा बात करेगी, क्योंकि वह देखती है कि इसीमें उसके जीवन का कार्य है । वह जानती है कि प्रत्येक जीवन की सुरक्षा श्रम में और श्रम करने की क्षमता में है, और इसलिए वह अपने पति के धन में या बच्चो की उपाधियों में बाह्य सुरक्षा की खोज नहीं करेगी बल्कि उनमें भी ईश्वरीय इच्छा के उत्सर्गपूर्ण परिपालन की उसी क्षमता का विकास करेगी जिसकी अनुभूति वह स्वयं अपने में करती रही है और जिसका सच्चा रूप प्राणो को सकट में डालकर भी परिश्रम करने की भावना में दिखाई देता है । ऐसी मा दूसरो से नहीं पूछेगी कि उसे क्या करना है, उसे इन सब बातो का स्वयं ज्ञान होगा । वह किसी बात का भय नहीं करेगी और सदा शान्त रहेगी क्योंकि उसे पता होगा कि उसने वही किया है जो उसे करना चाहिए था ।

पुरुषो और सतानविहीन स्त्रियो के लिए तो ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के उपायो के बारे में सन्देह हो सकता है, किंतु मा का मार्ग तो एकदम स्पष्ट है और यदि वह सरल हृदय से उसे विनम्रतापूर्वक पूरा करती रहे तो वह मानव-जीवन की पूर्णता के सर्वोच्च स्थान पर जा खड़ी होती है और सबके लिए ईश्वरीय इच्छा के उस पूर्ण पालन की प्रतिमा बन जाती है जिसकी आकाक्षा सभी लोगो में होती है ।

यह क्षमता केवल मा में है कि जिस ईश्वर ने उसे इस संसार में भेजा और जिसकी सेवा उसने बच्चे पैदा करके, उनका लालन-पालन करके तथा अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करके की है, उमसे वह अपनी मृत्यु से पूर्व यह कहे—“हे प्रभु अब अपनी दासी को शांति के साथ इस ससार से विदा लेने दो।” यह क्षमता मानव-जीवन की सबसे उच्च पूर्णता है जिसकी कोई भी मनुष्य कामना कर सकता है।

ऐसी स्त्रिया, जो अपने जीवनोद्देश्य को पूरा कर लेती हैं, पुरुषों पर शासन करती हैं और मानवजाति के लिए ध्रुव तारे की भांति पथ-प्रदर्शक बन जाती हैं। ऐसी स्त्रिया जनमत का निर्माण करती हैं और भावी सतति को तैयार करती हैं। यही कारण है कि उनके हाथों में सबसे बड़ी शक्ति रहती है—वह शक्ति है वर्तमान समय की प्रचलित और भयावनी बुराइयों से पुरुष की रक्षा करना।

हा, नारियो और माताओ, इस ससार की मुक्ति सबसे अधिक तुम्हारे ही हाथों में है।



